अष्टम माला, खंड 33, अंक 13

मंगलवार, 24 नवम्बर, 1987
3 अग्रहायण, 1909 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

नौवाँ सत्र

(आठवीं लोक सभा)

(खंड 33 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।]

विषय-सूची

अष्टम माला, खण्ड 33, नौवां सत्र, 1987/1909 (शक)

अंक 13, मंगलवार, 24 नवम्बर, 1987/3 अग्रहायण, 1909 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या : 249 से 251 और 255 से 258	1—18
अल्प सूचना प्रश्न संख्या 1	18—19
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या : 248, 252 से 254 और 259 से 267	19—31
अतारांकित प्रश्न संख्या : 2502 से 2518, 2520 से 2541, 2543 से 2702, 2704 से 2721 और 2733 से 2735	31—200
सभा-पटल पर रखे गए पत्र	200—203
कार्य-मंत्रणा समिति	203—204
नियम 377 के अधीन मामले	204—207
(एक) कन्याकुमारी में रबड़ पर आधारित उद्योग स्थापित करने की आवश्यकता	
श्री एन० डेनिस	204
(दो) खाड़ी क्षेत्र में विमान किराये में एयर इण्डिया द्वारा कमी किए जाने की आवश्यकता	
श्री वी० एस० विजयराघवन	204—205
(तीन) उड़ीसा की चिल्का झील की गाद निकालने और उसका पर्यटन केन्द्र के रूप में विकास करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की मांग	
श्री बृजमोहन महन्ती	205
(चार) भूतपूर्व सैनिकों के लिए, विशेषकर सीमा सुरक्षा बल में	

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में सी ने पूछा था।

आरक्षित सभी रिक्त स्थानों को नियमों में उपयुक्त संशोधन करके भरने की आवश्यकता

श्री अजय मुशरान 205

(पांच) तूफान और वर्षा से हाल में क्षति को देखते हुए उड़ीसा को अधिक केन्द्रीय सहायता प्रदान करने की मांग

श्री जगन्नाथ पटनायक 205—206

(छः) महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में विकास के लिए विशेष तदर्थ अनुदान राशि मंजूर करने की आवश्यकता

श्री हुसैन दलवाई 206

(सात) आन्ध्र प्रदेश के नैल्लोर जिले में जतलकनूपुर गांव में वर्तमान कर्मचारी-रहित रेल फाटक पर कर्मचारी तैनात करने की आवश्यकता

श्री पी० पेंचालैया 206—207

(आठ) बाढ़ों को नियंत्रित करने और असम को विद्युत की आपूर्ति करने के लिए गेरुकामुख परियोजना को पूरा करने की आवश्यकता

श्री गोकुल सैकिया 207

संविधान (छप्पनवां संशोधन) विधेयक 207—282

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही 207

श्री के० रामचन्द्र रेड्डी 209

श्री नरेश चन्द्र चतुर्वेदी 210

श्री जगन्नाथ कौशल 212

श्री सोमनाथ चटर्जी 212

श्री जैनुल बशर 220

श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर 224

श्री बालकवि बैरागी 226

श्री पी० कुलनदईवेलू 229

श्री योगेश्वर प्रसाद योगेश 233

श्रीमती गीता मुखर्जी 234

श्री भद्रेश्वर तांती 235

श्री सी० जंगा रेड्डी 236

प्रो० सैफुद्दीन सोज 237

श्री जी० एम० बनातवाला 240

खण्ड 2, 3 और 1

पारित करने के लिए प्रस्ताव

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही 242—282

प्राकृतिक आपदाओं, विशेषकर सूखा, बाढ़ और तूफान से उत्पन्न स्थिति के बारे में चर्चा 282—307

श्री दिनेश गोस्वामी 283

श्री एम० रघुमा रेड्डी 289

श्री मनोज पांडे 293

श्रीमती प्रभावती गुप्त 295

श्री तम्पन थामस 299

श्री सोमनाथ रथ 302

श्री मदन पाण्डे 305

श्री विजय कुमार यादव 307

लोक सभा

मंगलवार, 24, नवम्बर, 1987/अग्रहायण, 1909 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों के लिए संशोधित मार्गनिर्देश

*249. **श्री एन० डेनिस** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों के लिए संशोधित मार्गनिर्देश तैयार किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों के लिए मार्गदर्शी सिद्धांतों में संशोधन करने सम्बन्धी अन्तर-मंत्रालयीय समिति की रिपोर्ट सरकार क विचाराधीन है ।

श्री एन० डेनिस : पिछड़े क्षेत्र के निर्धारण के लिए अपनाया मानदण्ड पुराना हो गया है; इसे वर्ष, 1969 में अपनाया गया था । अब इस विषय पर बैंजल समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है और ऐसा मालूम हुआ है कि पर्यावरण पहलू पर कोई सहमति नहीं हुई है । मैं जानना चाहता हूं कि पिछड़े क्षेत्र के सम्बन्ध में औद्योगिक पिछड़ेपन के अन्य पहलूओं पर शीघ्र विचार किया जायेगा क्योंकि किसी भी प्रकार के विलम्ब या स्थागन से समस्या उत्पन्न होगी ।

क्या माननीय मंत्री महोदय बताएंगे कि औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों अर्थात प्रखण्ड या तालुका के संदर्भ में के निर्धारण हेतु, मानदण्ड को जिले के औद्योगिक पिछड़ेपन के बजाये एक इकाई के रूप में माना जाये ।

श्री एम० अरुणाचलम : मैं माननीय सदस्य के विचार से सहमत हूं कि हमारी नीति कुछ पुरानी है। योजना आयोग के सचिव की अध्यक्षता में एक अंतर्-मंत्रालय समिति नियुक्त की गई थी। समिति ने अपना प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत कर दिया है । सरकार इस पर अभी विचार कर रही है। समिति ने हमारे मित्र द्वारा बताये पारिसिकि पहलू का गहन अध्ययन किया है । मैं आशा करता हूं कि शीघ्र ही सरकार उस पर तथा अन्य मामलों पर निर्णय लेगी ।

प्रो० एन० जी० रंगा : यह प्रतिवेदन कब उपलब्ध होगा।

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : कृपया मुझे रंगा जी के प्रश्न का उत्तर देने दें।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री डेनिस के प्रश्न के उत्तर में आपके सहयोगी मंत्री महोदय ने जो कहा है उसमें आप कुछ भी जोड़ सकते हैं।

श्री जे० वेंगल राव : मैं निश्चित कहूंगा।

श्री जी० जी० स्वैल : यदि कोई सदस्य अपनी सीट से उठकर अचानक कोई प्रश्न पूछता है तो क्या मंत्री के लिए कोई उत्तर देना आवश्यक हो जाता है ? यदि यह किसी निर्धारित पूर्वोदाहरण से मेल खाता हो तो ऐसा किया जाना चाहिए। हम उसके अनुरूप करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : इस प्रकार का कोई पूर्वोदाहरण नहीं है कि···

श्री जी० जी० स्वैल : नहीं, नहीं मंत्री महोदय इसका उत्तर दे रहे हैं। मेरा प्रश्न पूर्वोदाहरण के बारे में है।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं। कोई पूर्वोदाहरण नहीं है। यह पूर्वोदाहरण नहीं है। मैंने मंत्री महोदय को कहा है कि वे रंगा जी के प्रश्न का उत्तर न दें।

श्री जी० जी० स्वैल : हम चाहते हैं कि इसे एक पूर्वोदाहरण के रूप में स्वीकार किया जाए। हम ऐसा कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं ऐसा कोई पूर्वोदाहरण नहीं बना रहा हूं। मैंने मंत्री महोदय को सिर्फ यह कहा कि वे श्री डेनिस के प्रश्नों के जवाब में कुछ जोड़ सकते हैं! मैं श्री रंगा के प्रश्नों को अनुमति नहीं दे रहा हूं।

श्री जी० जी० स्वैल : हमें इससे प्रसन्नता होगी।

श्री० जे० वेंगल राव : हम नहीं चाहते कि इस बात पर आप खुश हों।

श्री जी० जी० स्वैल : आप हमें खुश नहीं कर सकते। मैं जानता हूं।

श्री एन० डेनिस : कुछ जिले जिन्हें औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा वर्गीकृत किया गया है, अनेक वर्षों से औद्योगिक उद्योगों के बिना वैसे ही हैं। वित्तीय तथा भौतिक प्रोत्साहन की नीति पूर्णतया सफल नहीं रही। महानगरों तथा शहरों से उद्योगों को विस्थापित करने सम्बन्धी सरकार की नीति भी कारगर नहीं हो सकी। इसलिए क्या मैं मंत्री महोदय से यह जान सकता हूं कि पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना के लिए सरकार कौन से ठोस कदम उठाने जा रही है ? उद्योगों के बिखराव की वर्तमान नीति के अनुसार उद्योग नगरों तथा शहरों में स्थापित हो रहे हैं जिससे पर्यावरण तथा जमाव की भी समस्या उत्पन्न हो रही है। मैं एक और प्रश्न पूछना चाहूंगा। मैं यह भी जानना चाहूंगा कि क्या यह सच है तमिलनाडु जैसे कुछ राज्यों में पिछले 20 वर्ष या उससे अधिक समय से सरकारी क्षेत्र के उद्योग अभी शुरू नहीं किये गये हैं। क्या हमारे देश में वर्तमान विषमताओं तथा आसन्तुलनों को दूर करने के लिए सरकार ऐसे राज्यों में सरकारी क्षेत्र के उद्योग स्थापित करने का विचार करेगी।

श्री जे० वेंगल राव : मेरे सहयोगी ने जो कुछ कहा मैं सिर्फ उसी में कुछ जोड़ना चाहूंगा। उनका अन्तिम प्रश्न तमिलनाडु के बारे में था। तमिलनाडु देश के विकसित राज्यों में से एक है। देश में इसका तीसरा स्थान है। उन्होंने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के बारे में भी ध्यान दिलाया है। हाल ही

में मैंने मद्रास में एक सरकारी क्षेत्र की इकाई का उदघाटन किया था। जिसका निर्माण मेसर्स एन्ड्रयूयूले ने किया है। मैंने इसका उद्घापन किया है। तमिलनाडू में केन्द्र सरकार ने काफी पूंजी। निवेश किया है। दूसरा प्रश्न अन्तं-मंत्रालय समिति के बारे में था। भारत सरकार ने योजना आयोग के सचिव श्री बैजल के अधीन आयोग की नियुक्ति की है। बैजल समिति का प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत किया गया है।

यह सरकार के विचाराधीन है। मैं समझता हूं कि नये वर्ष 1988 में जनवरी या फरवरी में हम समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए निर्णय लेंगे।

प्रो० एन० जी० रंगा : महोदय, मुझे खेद है कि मैंने अनावश्यक ही यह समस्या उत्पन्न की। मैं यह जानना चाहूंगा कि कितनी जल्दी रिपोर्ट पर विचार हो पायेगा और जब इस पर विचार कर लिया जायेगा यह सभा पटल पर कब रखी जायेगी; क्या सरकार इस बात का ध्यान रखेगी कि तत्काल वर्गीकृत पिछड़े क्षेत्रों में जो उद्योग पहले ही शुरू किये गये हैं, उन्हें इस समिति द्वारा की गई सिफारिश से किसी प्रकार हानि न हो।

श्री जे० वेंगल राव : आर्थिक सहायता के सम्बन्ध में पिछड़े क्षेत्रों में स्थित उद्योगों को 31 जनवरी, 1988 के पश्चात कोई आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं होगी और हम वह आर्थिक सहायता समाप्त कर रहे हैं। सम्पूर्ण देश में पिछड़े क्षेत्रों के विभिन्न भागों में उद्योगों के विस्तार के लिए बाई जाल समिति ने लगभग 150 विकासशील केन्द्रों की सिफारिश की है। अब यह मंत्रिमण्डल को प्रस्तुत की गई है। इसके बाद मैं इसे सभा पटल पर रखूंगा।

श्री आनन्द गजपति राजू : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या कुछ क्षेत्रों को पिछड़े क्षेत्र घोषित करने का निर्णय देते समय नौकरियों में इनके लिए बने रोजगार के मापदण्डों पर विचार किया जायेगा। दूसरे, प्रश्न के भाग (ख) के सम्बन्ध में, मैं जानना चाहूंगा कि क्या मेरे जिले-विजय-नगरम को जहां तक उद्योगों और कृषि का सम्बन्ध है, इसकी बातों को ध्यान में रखते हुए पिछड़ा क्षेत्र घोषित करने पर विचार किया जायेगा।

श्री जे० वेंगल राव : मैं समझता हूं निश्चय ही आपके निर्वाचन क्षेत्र में यह एजेंसी-परवतीपुरम् एजेंसी—इस समिति की सिफारिशों से लाभ उठाएगी।

[हिन्दी]

श्री राम प्यारे पनिका : उपाध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों में गाईडलाइंज में परिवर्तन करने के सम्बन्ध में सरकार समय-समय पर आश्वासन देती रही है। लेकिन अभी भी वह इस नतीजे पर नहीं पहुंची है कि वह निश्चयात्मक ढंग से कोई निर्णय लें। नतीजा यह हो रहा है कि देश के बहुत से इलाकों में, खास कर बेकवर्ड इलाकों में इमबेलेंस हो रहा है। क्या मंत्री जी एक निश्चित तिथि उस योजना की घोषित करेंगे जिसके अन्तर्गत बैकवर्ड जिले घोषित करने हैं और जिले में भी ब्लाक लेवल और तालुका लेवल पर इनको बैकवर्ड घोषित किया जायेगा ? क्योंकि जिले के एक ब्लाक या तालुका में इण्डस्ट्री लग जाने से पूरा जिला उन्नति नहीं कर सकता, खासकर जो पहाड़ी, डेजर्ट, ट्राइबल या साइक्लोनिक एरियाज हैं, जिनका डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, क्या मंत्री जी आश्वस्त करेंगे कि रिपोर्ट के आधार पर इनको बैकवर्ड इलाका घोषित किया जायेगा ?

[अनुवाद]

श्री के० बंगल राव : ऐसा केवल इन क्षेत्रों के विकास में असंतुलन को समाप्त करने, दूसरे सुदूर क्षेत्रों में उद्योगों के विस्तार के लिए किया गया है । इस रिपोर्ट में मुख्य सिफारिश यह है कि उद्योग उन स्थानों जो पहले ही महानगरों और अन्य बड़े नगरों जैसे भीड़भाड़ वाले हैं, से दूर स्थित होने चाहिए । यह विशेष रूप से सरकार के विचाराधीन है । मैं समझता हूं हम इस पर यथाशीघ्र निर्णय लेंगे ।

श्री राम प्यारे पनिका : इन्हें प्रोत्साहन नहीं । दिया जा रहा है ।

श्री एम० अरुणाचलम : इसकी जानकारी मैं दूंगा । हमारी इस समय पिछड़े क्षेत्रों के सम्बन्धी विकास नीति है और यदि आप वर्तमान नीति, आशय पत्रों, पिछड़े क्षेत्रों को दिये गये लाइसेंसों और डी० जी० टी० डी० का विश्लेषण करते हैं, आप पाएंगे कि इन लाइसेंसों का पर्याप्त प्रतिशत पिछड़े क्षेत्रों को चला जाता है । वर्ष, 1984 में, कुल 1068 आशय पत्र जारी किये गये थे और इनमें से 624 आशय पत्र पिछड़े क्षेत्रों को जारी किये गये थे; जहां तक औद्योगिक लाइसेंसों का सम्बन्ध है, 905 में से 323 लाइसेंस पिछड़े क्षेत्रों को जारी किये गये । जहां तक डी० जी० टी० डी० पंजीकरण का संबंध है, 1915 में से 1144 पिछड़े क्षेत्रों को आबंटित किये गये हैं । यदि आप आंकड़ों को देखें, 1130 पत्रों में से 621 पिछड़े क्षेत्रों को जारी किये गये हैं; जहां तक औद्योगिक लाइसेंसों का सम्बन्ध है, 618 लाइसेंसों में से, 278 पिछड़े क्षेत्रों को दिये गये हैं, जहां तक डी० जी० टी० डी० पंजीकरण का सम्बन्ध है, 1986 में, 1162 पंजीकरणों में से 610 पिछड़े क्षेत्रों में किये गये हैं । केन्द्रीय निवेश सहायता देने का एक प्रमाण और है; पिछले तीन वर्षों में आर्थिक सहायता में पर्याप्त वृद्धि हुई है । वर्ष 1982 में···

श्री राम प्यारे पनिका : विवाद इस पर नहीं है । विवाद केवल किसी क्षेत्र को पिछड़ा हुआ क्षेत्र घोषित करने के बारे में है । मार्ग निदेश जिनके अन्तर्गत पिछड़े क्षेत्र घोषित किए जा रहे हैं, ऐसे नहीं हैं जिनके अनुसार वास्तव में पिछड़े क्षेत्र शामिल किये जा पायेंगे ।

श्री एम० अरुणाचलम : बाई जाल समिति ने इस पर ध्यान दिया है । राज्य सरकारों ने बहुत सुझाव दिए हैं । बाई जाल समिति ने उन पर ध्यान दिया है, और इसने अपनी सिफारिशें दी हैं । सरकार रिपोर्ट पर विचार कर रही है ।

डा० दत्ता सामन्त : मंत्री महोदय ने कहा है कि पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित किए जाने चाहिए । सरकार उत्पादन शुल्कों और अन्य सहायता में भी काफी रियायत दे रही है । यह अच्छी बात है और मैं इसकी प्रशंसा करता हूं । लेकिन कठिनाई यह है । जो भी बड़े औद्योगिक घर हैं, वह बम्बई, कलकत्ता और अन्य नगरों में हैं यही लोग पिछड़े क्षेत्रों के लिए दी गई सभी रियायतों का लाभ उठा रहे हैं; वे महानगरों में उद्योगों को बन्द करके पिछड़े क्षेत्रों में स्थानांतरित कर रहे हैं । इसे बन्द किया जाना चाहिए । महाराष्ट्र में लगभग 140 बड़े उद्योग और लगभग 9,000 छोटे उद्योग बंद कर दिये गये हैं और इन मामलों में से 98 प्रतिशत का कारण 'नियोजक' है । इन्हीं उद्योगपतियों ने गुजरात अथवा कर्नाटक अथवा आंध्र प्रदेश में पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों को स्थापित करने के लिए दी गई रियायतों का लाभ उठाया है । बम्बई में चार मुख्य मंत्री आये हैं । उन्होंने इन सभी नियोजकों को ताज होटल में बुलाया और वह इनके साथ दामाद जैसा व्यवहार कर रहे हैं और कह रहे हैं, "कृपया, आइये । मैं आपको आधारभूत सुविधाएं, आर्थिक सहायता और सभी सुविधाएं दूंगा ।" क्या मैं जान सकता हूं

कि क्या सरकार इस बात के लिए प्रतिबन्ध लगा रही है कि पिछड़े क्षेत्र में फैक्टरी शुरू करते ससय अन्य क्षेत्रों और स्थानों में स्थित समतुल्य फैक्टरी अथवा विद्यमान फैक्टरी को बंद नहीं किया जाना चाहिए। मैं समझ सकता हूं कि जब यह कहा जाता जाता है कि नई फैक्टरियां शुरू नहीं की जानी चाहिए। लेकिन इसी समय, महानगरों में स्थित फैक्टरियां बन्द नहीं की जानी चाहिए। वह रियायतें देने से नई फैक्टरियां तैयार कर सकते हैं। सरकार किस प्रकार की निगरानी रखने जा रही है।

(व्यवधान)

ऊर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे) : लेकिन यदि कह रहे हैं दत्ता सामन्त के कारण बन्द कर रहे हैं, आप क्या कर सकते हैं ?

डा० दत्ता सामन्त : क्या आप टाटा और बिरला जैसे बड़े लोगों की फैक्टरियां चालू करने जा रहे हैं ? **(व्यवधान)**

श्री जे० वेंगल राव : मुझे खेद है कि मेरे उत्तर दिये बिना वे अनावश्यक चिन्ता कर रहे हैं। जैसाकि माननीय सदस्य डा० दत्ता सामन्त ने कहा है, हम शहरों में विद्यमान उद्योगों को बंद नहीं कर रहे हैं और पिछड़े क्षेत्रों में भी योजना जनवरी, 1988 के अन्त में समाप्त हो जाएगी। मैं डा दत्ता सामन्त को परेशान करना नहीं चाहता। लेकिन महाराष्ट्र में सबसे अधिक उद्योग बंद हुए हैं। मैं डा० दत्ता सामन्त का सहयोग चाहता हूं। **(व्यवधान)**

डा० दत्ता सामन्त : उद्योग दत्ता समान्त के कारण बन्द नहीं हुए हैं। ऐसा इसलिए हुआ है कि कुछ लोग इसका लाभ उठा रहे हैं, आप उन्हें सभी रियायतें दे रहे हैं। क्या आप फैक्टरियां उद्योगपतियों के लिए स्थापित कर रहे हैं ?

श्री वी० शोभानाद्रीश्वर राव : मैं माननीय सदस्य विशेष रूप से जानना चाहूंगा कि क्या यह सच नहीं है कि शिवारमन समिति ने औद्योगिक पिछड़ेपन की पहचान करने के लिए ब्लाक को यूनिट के रूप में मानने की सिफारिश भी है, साथ ही बाई जाल समिति ने भी औद्योगिक पिछड़ेपन के लिए ताल्लुक को यूनिट के रूप में लेने की सिफारिश की है जबकि सम्पूर्ण देश में 93 'उद्योग रहित जिले' हैं, सम्पूर्ण दक्षिण मैं केवल एक 'उद्योग रहित जिला' है जिससे स्पष्ट होता है कि उद्योग ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं लगाये गये हैं। इन परिस्थितियों में मैं विशेष तौर से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा—मुझे खुशी है कि उन्होंने एक घोषणा की है। कि सरकार आ गायी जनवरी में एक निर्णय लेगी—एक बात जिसके लिए हम बहुत अधिक परेशान हैं वह यह है कि केन्द्र में जहां विकास हो रहा है उन्हें छोड़कर कोई आर्थिक सहायता अथवा प्रोत्साहन नहीं दिया जायेगा। मैं सरकार से पूछता हूं कि क्या यह ठीक है और क्या सरकार विश्वास दिलायेगी कि पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग शुरू करने के लिए इस समय जो प्रोत्साहन दिये गये हैं वह भविष्य में भी उद्योग रहित ब्लाकों अथवा ताल्लुकों में दिये जायेगें और क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश की ओर से उद्योग रहित जिलों, ताल्लुकों अथवा ब्लाकें में इस नीति परिवर्तन का विरोध किया गया है ? क्या यह सच है और यदि हां, तो क्या दक्षिण में पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक विकास को ध्यान में रख कर किसी राज्य से किसी राज्य के दबाव का विरोध करेगी। मैं विशेषतौर से मंत्री महोदय से उत्तर प्राप्त करना चाहूंगा।

श्री जे० वेंगल राव : महोदय वर्तमान नीति में, आंध्र प्रदेश में कोई उद्योग रहित जिला नहीं है। बाई जाल रिपोर्ट के अनुसार आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडू जो इस सिफारिश से लाभ प्राप्त करेंगे में यह सभी असंगतियां समाप्त कर दी जायेंगीं।

[हिन्दी]

श्री के० डी० सुल्तानपुरी : माननीय मंत्री जी ने कहा है कि हजार से ऊपर लाइसेंस दिए हैं, मैं यह जानना चाहता हूं कि पहाड़ी क्षेत्रों में कितने लाइसेंस दिये हैं और कितनी देर में कारखाना स्थापित करने के लिए कहा गया है। कितने कारखाने स्थापित हो चुके हैं और कितने ऐसे हैं जो अभी लगने बाकी हैं।

क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि जिन क्षेत्रों में यह कारखाने लगाये जाये उन क्षेत्रों के लोगों को क्या रोजगार प्राप्त हों ? तह भी बताएं कि लाइसेंस का दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है ?

[अनुवाद]

श्री एम० अरुणाचलम : पहाड़ी क्षेत्रों को विशेष पिछड़े क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया है। हम लोग पिछड़े क्षेत्रों को लाइसेंस दे रहे हैं। मेरे पास जिक्र पहाड़ी क्षेत्रों के आंकड़े नहीं है। मेरे पास पूरे पिछड़े क्षेत्र के कुल आंकड़े है। यदि माननीय सदस्य को इसकी आवश्यकता है तो मैं इसे एकत्र कर उन्हें भेज दूंगा।

विद्युत परियोजनाओं के लिए विदेशी ऋण

+

*250. **श्री प्रकाश चन्द्र** :

श्री धर्मपाल सिंह मलिक :

क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार का देश की बिजली की मांग पूरी करने के लिए विद्युत परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए विदेशी ऋण लेने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री बसन्त साठे) : (क) और (ख) योजना संसाधनों और विद्युत उपस्करों की सप्लाई के लिए स्वदेशी स्रोतों पर निर्भरता को प्राथमिकता दी जाती है। कुछ विद्युत परियोजनाओं के लिए संसाधनों की कमी पर समग्र रूप से विचार करके तथा प्रत्येक मामले पर विचार-विमर्श करके विदेशी सहायता ली जाती है। इस संबंध में प्राप्त विशिष्ट प्रस्तावों की जांच प्रत्येक मामले के गुण-दोषों के आधार पर की जाती हैं।

[हिन्दी]

श्री प्रकाश चन्द्र : उपाध्यक्ष महोदय, देश में ऐसी कौन-कौन सी विद्युत परियोजनाएं हैं जो सरकार के विचाराधीन हैं और जिनके लिए विदेशी सहायता लिए जाने का विचार है ? इस समय किन-किन देशों से इन योजनाओं के लिए विदेशी सहायता लिए जाने पर विचार चल रहा है ?

श्री बसन्त साठे : उपाध्यक्ष जी, जैसा मैंने अपने उत्तर में बताया जो गैप रहने वाला है मांग और पूर्ति में करीबन 10 हजार मेगावाट का, जितना प्लान में प्रावधान है वह सारा हम अंतर्गत क्षेत्रों से पूरा कर रहे हैं। मैंने पहले भी सदन में बताया था कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में करीब 10 हजार मेगावाट की कमी रहने वाली है। जहां तक रिसोर्सेज का सवाल है, हमने 34 हजार करोड़ की लागत की है 22 हजार मेगावाट के लिए। हालांकि जरूरत थी करीबन 32 हजार मेगावाट की। इसलिए यह जो गैप है इसके लिए हमें बाहर से सहायता लेनी पड़ेगी। वह सहायता बाई-लैटरल आती है जैसे

सोवियत रूस से। वहां से सबसे बड़ी सहायता मिल रही है, करीबन 4 हजार मेगावाट की क्षमता का उन्होंने हमें सहायता देने का आश्वासन दिया है। एक टिहरी के लिए है और एक बकरेश्वर के लिए है, इसकी बात चल रही है। मेरी पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री जी से बात हुई, जो नई योजना का सोवियत रूप से आफर आया है, अगर पश्चिम बंगाल की सरकार मान लेती है तो मामला आसान हो जायेगा। और भी जगहों से आफर्स आये हैं जैसे कनाडा से, जर्मन से, यू० के० से इत्यादि। जो विभिन्न प्रोजेक्ट्स हैं उनको हम मैरिट पर विचार कर रहे हैं इसलिए किसी विशेष प्रोजेक्ट के बारे में मैं यहां नहीं बता सकता, क्योंकि वह फाइनल नहीं हुआ।

[अनुवाद]

श्री वसुदेव आचार्य : क्या माननीय मंत्री बताएंगे कि इन देशों ने इन ऋणों पर शर्तें रखी हैं तथा दबाव दे रहे हैं कि बॉयलर तथा दूसरे उपकरण भी इन्हीं देशों से खरीदे जाएं जिसके फलस्वरूप ए० बी० एल० तथा बी० एच० ई० एल० जैसे हमारे बॉयलर निर्माता एककों को क्रय-आदेश नहीं मिल रहे हैं ? मैं जानना चाहता हूं कि यह सच है या नहीं ?

श्री बसन्त साठे : यह सच नहीं है। जहां तक बी० एच० ई० एल० या ए० बी० एल० या अन्य इकाइयों को देशीय क्षमता का सम्बन्ध है, हम उन्हें सिर्फ अपने योजना संसाधनों से काम दे सकते हैं। हम ऐसा पूरी तरह कर रहे हैं। जहां तक शर्तों का सम्बन्ध है, कोई भी देश यदि सहायता देना चाहता है तो वह दान स्वरूप नहीं देगा। स्वभावतः वे अपने हितों की पूर्ति चाहेंगे। पर हमें अपने हितों की भी रक्षा करनी है। हमारे राष्ट्रीय हित का बलिदान नहीं होना चाहिए।

कोई भी देश चाहे रूस, जर्मनी, अमेरिका या ब्रिटेन हो वे सहायता को दान के रूप में नहीं देंगे। इसलिए या तो आप अधिकार चाहते हैं या आप कहें कि आपको अधिकार नहीं चाहिए। बकरेश्वर कारखाने के सम्बन्ध में भी यह शर्त थी कि हमें उपकरण उसी देश से खरीदने होंगे, जो हमें सहायता देने जा रहा है। या तो आप ही कहें या नहीं। निर्णय आपको करना है। यदि आप नहीं कहते हैं तो न तो बी० एच० ई० एल० न ए० बी० एल० को यह मिलेगा। इसलिए इसे परस्पर हित का होना चाहिए। मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता यह है कि हमारे राष्ट्रीय हितों का बलिदान न हो। हम उसे किसी भी प्रकार से सुनिश्चित करेंगे।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : मैं जानना चाहता हूं कि देश में विद्युत संयंत्र स्थापित करने के लिए क्या सरकार को अनिवासी भारतीयों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ? यदि उन्हें प्रस्ताव नहीं प्राप्त हुआ है तथा भविष्य में वे पाने जा रहे हैं तो ऐसे प्रस्तावों पर सरकार का रवैया क्या होगा ? दूसरी बात, क्या अनिवासी भारतीयों ने कर्नाटक सरकार से बात की है तथा तटीय क्षेत्रों में तीन विद्युत संयंत्र लगाने का प्रस्ताव दिया है, और क्या कर्नाटक सरकार ने इस प्रस्ताव को भारत सरकार को भेजा है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री बसंत साठे : सिद्धांततया जब हम विदेशों तथा कम्पनियों से द्विपक्षीय प्रस्ताव स्वीकार कर रहे हैं, हमें खुशी होगी यदि हमारे अनिवासी भारतीय संसाधन लाने को इच्छुक हों। हम निश्चय ही उसे प्रोत्साहित करेंगे, लेकिन अभी तक कोई ठोस प्रस्ताव प्राप्त नहीं आया है। प्रस्ताव कल्पनिक नहीं हो सकते। इसे किसी परियोजना, के साथ जोड़ना होता है। यह ठोस रूप में होना चाहिए व्यवहार्य रिपोर्ट अवश्य होनी चाहिए। कर्नाटक सरकार ने किसी स्टेशन के लिए कोई ठोस प्रस्ताव हमें नहीं भेजा है। यदि ऐसा कोई प्रस्ताव आता है तो हम निश्चित ही इसकी तकनीकी तथा वित्तीय

आधार पर पर जांच करेंगे। सिद्धांत रूप में मैं कह सकता हूं कि हम ऐसे प्रस्ताव का स्वागत करेंगे।

श्री जी० जी० स्वैल : महोदय, मेरा प्रश्न, मंत्री महोदय द्वारा कुछ समय पहले दिए गए उत्तर से उठता है न कि वर्तमान प्रश्न से। मंत्री महोदय ने कहा है। 10000 मेगावाट का अन्तर है और भविष्य में यह अन्त बढ़ने जा रहा है। मैं जानना चाहूंगा कि भविष्य में इस अन्तर को समाप्त करने के लिए क्या आप किसी भावी योजना पर काम कर रहे हैं। अपने परमाणु विद्युत संयत्र से उत्पन्न प्लुटोनियम का आप क्या उपयोग कर रहे हैं ? क्या आपके पास कहीं फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है ? आपको पता है कि तीन दिन में पृथ्वी सूर्य से उतनी ऊर्जा प्राप्त करती है जितनी सभी जंगलों तथा हाइड्रोकार्बन को जला कर प्राप्त होगी। सौर ऊर्जा काम में लाना 21वीं सदी की तकनीक होने जा रही है। क्या हम इस क्षेत्र में कोई अनुसंधान कार्य कर रहे हैं ?

श्री वसंत साठे : ऊर्जा के इन नये क्षेत्रों की ओर ध्यान दिलाने के लिए, मैं माननीय सदस्य का अनुग्रहीत है। इस क्षेत्र में अनुसंधान और विकास कार्य किए जा रहे हैं। हमारी भावी योजना है। हमारा अध्ययन दर्शाता है कि सन् 2000—यह बहुत ज्यादा दूर नहीं है अब से सिर्फ 12 वर्ष हैं—तक योजना आयोग और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा अनुमानित मांग अधिस्थापित क्षमता 167000 मेगावाट होगा। अभी यह 51000 मेघावाट है। अगले 12 वर्षों में हमें इसमें लगभग 115000 मेगवाट और जोड़ने हैं। यह वास्तविक स्थिति है, यदि हमें वर्तमान नांग पर आधारित अनुमानित मांग को पूरा करना है। संसाधनों की कमी भी है पूरा समय सदन इसे जानता है। आपकी इच्छा कुछ भी हो सकती है, लेकिन संसाधन पैदा करने के लिए आपके पास कोई जादू की छड़ी नहीं है। जब तक आपके पास संसाधन नहीं हैं इस क्षमता को नहीं बढ़ाया जा सकता। वास्तविकता यही है। वेशक हम खुश होंगे···

श्री० जी० जी० स्वैल : संसाधन उपलब्ध हैं।

श्री वसंत साठे : महोदय माननीय सदस्य ने प्लुटोनियम तथा परमाणु संसाधनों की ओर हमारा ध्यान दिलाया है। अनुसंसाधन तथा विकास कार्य चल रहे हैं···**(व्यवधान)**

मैंने इसी सदन में कहा है कि हम अनुसंधान तथा विकास प्रयास कर रहे हैं। जहां तक सौर उर्जा का संबंध है हम तकनीक कहीं से भी लेने को तैयार हैं। वास्तविक सफलता तथा बिद्युत तथा घरेलू ऊर्जा के संदर्भ में ऊर्जा की समस्या का समाधान उस दिन होगा जब हम सौर ऊर्जा का उपयोग करेंगे। जिस दिन यह सफलता हासिल होगी उस दिन हम सभी हालातों पर काबू कर सकेंगे। ऐसा दिन आएगा। मुझे विश्वास है, इस देश के युवा वैज्ञानिक यह सफलता प्राप्त कर सकेंगे।

श्री जी० जी० स्वैल : क्या देश में कोई फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है ?

श्री वसंत साठे : मैं समझता हूं हमें यह प्रश्न परमाणु ऊर्जा विभाग से पूछना चाहिए।

श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर : महोदय, माननीय मंत्री ने अभी-अभी सदन को बताया है कि भारत सरकार विदेशी सहायता लेने के लिए तैयार हो गई है। इस संबंध में, क्या मैं माननीय मंत्री से यह जान सकता हूं कि कर्नाटक सरकार के 120 मेगवाट गैस टर्बाइन के लिए भारत सरकार ने राज्य सरकार को विदेश से विलम्बित आधार पर सहायता प्राप्त करने की अनुमति देने से इंकार कर दिया है। माननीय मंत्री पिछले सत्र के दौरान सभा में इस बात पर सहमत हो गए थे कि वे अपने वित्त मंत्री के पद के प्रभाव का उपयोग करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि वे प्रस्ताव पर सहमत हो

जाएं। अब मैं समझता हूं कि वित्त मंत्री ने इसे रद्द कर दिया है यह दोहरी नीति है। ऐसा क्यों ?

महोदय, आपने सैद्धान्तिक रूप से स्वीकार कर लिया था। आप कर्नाटक सरकार को विलम्बित भुगतान पर सहायता लेने पर राजी क्यों नहीं करते हैं ? क्या मंत्री महोदय कृपया यह बताएंगे कि वित्त मंत्रालय ने इस मामले को रद्द क्यों किया ? क्या आप वित्त मंत्रालय को अपने निर्णय पर पर पुनर्विचार करने के लिए भी कहेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि भारत सरकार कर्नाटक सरकार को विलम्बित भुगतान के आधार पर उपस्कर आयात करने की अनुमति दें।

श्री बसंत साठे : गैस टर्बाइन वाली इस मेगावाट परियोजना को तैयार करने में कर्नाटक सरकार की सहायता करने की जिम्मेदारी मेरी थी। मैंने कर्नाटक सरकार की ओर से विलम्बित भुगतान के प्रश्न पर वित्त मंत्रालय से बात भी की थी। परन्तु यह ऐसा मामला है जिसे कर्नाटक सरकार को वित्त मंत्रालय के साथ स्वयं सुलझाना है। वे चीजें पहले लेना चाहते हैं और भुगतान बाद में करना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास धन नहीं है। रिजर्व बैंक और वित्त मंत्रालय पूरी विदेशी मुद्रा एक मुश्त देने को तैयार हैं, परन्तु कर्नाटक सरकार का कहना है कि भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली विदेशी मुद्रा के बदले में देने के लिए उनके पास रुपए नहीं हैं। इसीलिए आप विलम्बित भुगतान की बात कर रहे हैं। मैंने वित्त मंत्रालय से बात की है और यदि वित्त मंत्रालय को राजी कर लिया जाए तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

श्री भागवत झा आजाद : सोवियत संघ से काहलगांव ताप विद्युत परियोजना के समान द्विपक्षीय वर्ता की आवश्यकता समझते हुए सरकार का बाद में हुए समझौते के अन्तर्गत बायलर आदि जैसी चीजों की सप्लाई न होने से परियोजना को किस प्रकार बचाने का विचार है। उदाहरणार्थ, सोवियत संघ से सामग्री की सप्लाई न होने के कारण काहलगांव कार्यक्रम में विलम्ब हो रहा है, जिसके परिणामस्वरूप लागत में वृद्धि हो गई है और परियोजना के क्रियान्वयन में कठिनाई आ रही है। आप इन सबसे कैसे बचेंगे। मुझे बताया गया है कि काहलगांव को कम सामग्री सप्लाई की गई है और 210 मेगावाट की यह परियोजना जो 1990 में तैयार होनी थी अब उसका तब तक तैयार होना संभव नहीं है। वित्त की इस बाधा से आपकी चिन्ता और न बढ़े, इसके लिए आप क्या करेंगे क्योंकि इससे परियोजना की लागत में वृद्धि हो जाएगी और उसके पूरा होने में विलम्ब होगा ?

श्री बसंत साठे : जहां तक काहलगांव जैसी सोवियत संघ से सहायता प्राप्त परियोजनाओं का संबंध है, हमारे पास एक साझा निगरानी दल है। इसमें कुछ कमियां हैं परन्तु मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन देता हूं कि इन्हें दूर किया जा रहा है और सभी फालतू पुर्जे अथवा उपकरणों की आवश्यकताओं को समय से पूरा किया जाएगा और सामग्री की सप्लाई में विलम्ब के कारण परियोजना में विलम्ब नहीं होगा।

भारतीय तेल निगम द्वारा रबी मौसम के लिए डीजल की सप्लाई

***251 श्री बालासाहिब विखे पाटिल** :

श्री बिमल कान्ति घोष :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल निगम को आगामी रबी मौसम के दौरान डीजल की जरूरतों को पूरा करने में किसी प्रकार की कठिनाई की आशंका है; और

(ख) यदि हां, तो इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए कौन से कदम उठाए जा रहे हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

[हिन्दी]

श्री बालासाहिब विखे पाटिल : उपाध्यक्ष जी, मैंने अपने प्रश्न में यह पूछा है कि तेल की कठिनाई रबी की फसल के लिए होगी या नहीं । इसका डिटेल में ब्यौरा न देकर "नो सर और इज नॉट एराइज" में जवाब दे दिया गया है । इस देश में बहुत बड़े पैमाने पर सूखा हरेक राज्य में पड़ा है और गुजरात व राजस्थान में बहुत ज्यादा मात्रा में पड़ा है । अत: मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि गेहूं, चावल और दाल आदि फसलों के लिए हरेक स्टेट ने कितनी डीजल और क्रूड आयल की मांग की है ? आपने इसकी कितनी क्वांटिटी का इंतजाम किया है ? आप तो जानते ही हैं कि अगले तीन महीनों में आपका यह तेल काफी मात्रा में लगने वाला है । आप इसका बंटवारा किस प्रकार करते हैं ? जब मांग ज्यादा होती है तो ऊंचे दामों पर वह तेल मिलता है । अत: यह तेल ब्लैक-मार्किट में न बिकने पाये क्या आपने इसके लिए कोई इंतजाम किया है ? अगर हां तो कितना स्टोरेज किया गया है ? इसके साथ ही मैं आपसे यह भी जानना चाहूंगा कि अलग-अलग स्टेट्स ने कुल कितनी मांग की है ?

श्री ब्रह्म दत्त : मान्यवर, हाई स्पीड डीजल के लिए प्रदेशों से मांग नहीं आती है और न ही इसके लिए अलग से कोई कोटा निर्धारित किया जाता है । वह जिम्मेदारी हमारी है कि हम पूरे देश की मांग को पूरा करें । हमने पूरे देश की मांग को पूरा करने का प्रबन्ध भी किया है । पहले हमारा अन्दाजा यह था कि हमें इस वर्ष 17.31 मिलियन टन की आवश्यकता पड़ेगी । लेकिन बाद में हमने यह अन्दाजा लगाया कि हमें 17·46 मिलियन टन की आवश्यकता होगी । हमने इसका पूरा प्रबन्ध कर लिया है । हमें अभी तक बढ़ी हुई मांग किसी प्रदेश और जिले से सुनने को नहीं मिली है । जब भी कभी ऐसी मांग आई है तो वह हम पूरी करते रहे हैं । इस बारे में कोई भी शिकायत किसी राज्य सरकार ने नहीं की है । इस बात की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि भविष्य में ऐसी कोई शिकायत न हो ।

श्री बाला साहिब विखे पाटिल : आप रबी मौसम की फसल के लिए जो तेल का इंतजाम करने जा रहे हैं उसमें इंडीजैनस तेल कितना होगा और विदेशों से कितना मगाएंगे ? अगर आप इसे विदेशों से मंगा रहे हैं तो यह कब तक यहां पहुंचेगा ? मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि आप कितना तेल इम्पोर्ट करेंगे और कितना इंडीजैनस प्रोडेक्शन होगा ?

श्री ब्रह्म दत्त : मान्यवर, इस समय हम 16085 हजार टन हाई स्पीड डीजल तो रिफाइनरीज से पैदा करेंगे और इसके अलावा 1704 हजार टन बाहर से मगायेंगे जो मांग को निश्चित रूप से पूरा कर देगा और हमारी जो बाहर से मंगाने की, इम्पोर्ट नीति है उसमें ज्यादा लोग टर्म काण्ट्रैक्ट्स हैं ऐसे मुल्कों से जो हमें लगातार देते रहें । हमने ऐसा प्रबन्ध किया है कि हमें रैगूलरली तेल मिलता रहे और रेलवे से भी हमने इस तरह बंटवारे का इंतजाम किया है जिससे हमें कोई कठिनाई नहीं होगी । हम हिन्दुस्तान के किसानों को कोई भी कठिनाई नहीं होने देंगे।

[अनुवाद]

श्री बिमल कान्ति घोष : मैं उत्तर से संतुष्ट हूं और इसलिए मैं और कोई प्रश्न नहीं पूछना चाहता हूं।

"थर्टी सेवन स्टेट यूनिट्स लूज रुपीज 130 करोड़ें" शीर्षक से प्रकाशित समाचार

+

*255. **श्री वाई०एस० महाजन** :

डा० बी०एल० शैलेश :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 30 अक्तूबर, 1987 के "इकानामिक टाइम्स" में "थर्टी सेवन स्टेट यूनिट्स लूज रुपीज 130 करोड़ें" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा कौन से उपचारात्मक उपाय किए गए हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) और (ग) 1987-88 के प्रथम छः मास के दौरान और पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि की तुलना में सरकारी उद्यम विभाग के 37 उद्यमों के उत्पादन और लाभदेयता के अनन्तिम और गैर-लेखा परीक्षित अनुमानों के रुख को नीचे तालिका 1 और 2 में दर्शाया गया है :—

तालिका-1

(करोड़ रुपए में)

उत्पादन/कारोबार अनुमान

	अप्रैल-सितम्बर 1986-87	अप्रैल-सितम्बर 1987-88	प्रतिशत वृद्धि
निर्माता एकक	1565	1857	(+) 19%
गैर-इंजीनियरी निर्माता एकक 8	186	249	(+) 34%
योग	1751	2106	(+) 20%
परामर्शदायी/ठेका लेने वाले एकक	46	45	—

तालिका-2

(करोड़ रु० में)

	लाभदेयता के अनुमान	
	अप्रैल-सितम्बर 1986-87	अप्रैल-सितम्बर 1987-88
इंजीनियरी एकक	(—) 20.4	(—) 56.5
गैर इंजीनियरी एकक	(—) 63.4	(—) 58.5
परामर्शदायी/ठेका लेने वाले एकक	(—) 11.7	(—) 18.2
समग्र	(—) 95.5	(—) 133.2

मुख्य रूप से मजदूरी में संशोधन/अन्तरिम सहायता प्राकृतिक विपदाएं जैसे बाढ़/अकाल, बिजली की अपर्याप्त सप्लाई आदि के कारण अतिरिक्त वित्तीय बोझ की वजह से हानि 95.5 करोड़ रुपए से बढ़कर 133.2 करोड़ रुपए हो गई ।

(घ) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के उत्पादन कार्य को सुधारने हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में उत्पादन कार्य की समय-समय पर समीक्षा करना, उपयोक्ता विभागों/मंत्रालयों के मध्य अन्तः कार्यवाही, वित्तीय संसाधनों पर और अधिक नियंत्रण, अधिष्ठापित सुविधाओं का अधिकतम उपयोग, लागत पर बेहतर नियंत्रण, बेहतर कार्यशील पूंजी प्रबन्ध आदि शामिल हैं ।

श्री वाई०एस० महाजन : माननीय मंत्री द्वारा दिए गए उत्तर से पता चलता है कि घाटे में वृद्धि के अनेक कारण हैं और उनमें से एक मजदूरी में संशोधन/अन्तरिम सहायता एक है । मैं जानना चाहता हूं कि पिछले छह महीनों के दौरान कुल मजदूरी में कितनी वृद्धि हुई, जो घाटे का एक कारण माना जाता है ।

श्री जे० वेंगल राव : अन्तरिम सहायता के कारण पिछले छह महीनों में मजदूरी बिल में लगभग 35 करोड़ और एक वर्ष में 70 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है ।

श्री वाई० एस० महाजन : माननीय मंत्री जी के वक्तव्य से यह भी पता चलता है कि उत्पादन में सुधार हुआ है । इंजीनियरिंग यूनिटों के मामले में उत्पादन 19 प्रतिशत और गैर-इंजीनियरिंग यूनिटों के मामले में 34 प्रतिशत बढ़ा है, फिर भी वित्तीय घाटा पहले की तरह है । जैसाकि विवरण से पता चलता है; वे वित्तीय संसाधनों पर नियंत्रण रखने, अधिष्ठापित सुविधाओं का अधिकतम उपयोग करने, बेहतर लागत नियंत्रण करने, बेहतर कार्यगत पूंजी प्रबंध करने आदि पर अधिक ध्यान दे रहे हैं । ये सब प्रबन्ध के कार्य हैं । प्रबन्ध ऐसे उपाय कैसे कर सकता है जबकि कई यूनिटों में उनके प्रमुख हैं ही नहीं ? लगभग 30 से 40 उपक्रम बिना प्रमुख अधिकारी; अर्थात् प्रबन्ध निदेशक के बिना काम कर रहे हैं । इन सब पहलुओं की देखभाल प्रबन्ध निदेशक ही करता है । मैं यह जानना चाहता हूं कि कितने उद्यमों में प्रमुख नहीं हैं और इन मामलों में सरकार का क्या करने का विचार है ?

श्री जे० वेंगल राव : माननीय सदस्य का प्रश्न इकानामिक टाइम्स में प्रकाशित समाचार पर आधारित है । जबकि पहले भाग में घाटे आदि का उल्लेख है, दूसरे भाग में कहा गया है कि कहीं-कहीं कुछ अच्छा काम हुआ है । भारत हैवी इलेक्ट्रीकय लिमिटेड जैसा विशाल उपक्रम लगातार लाभ कमा रहा है, जो इस वर्ष के प्रथम छमाही में अनुमानतः 31 करोड़ रुपए था । इस दर से 1987-88 में इसके,

निर्धारित 40 करोड़ के लाभ के लक्ष्य को पार कर जाने की संभावना है। लाभ कमाने वाली अन्य कम्पनियां हैं, मारुति उद्योग, हिन्दुस्तान केबिला, भारत वैगन, प्रागा टूल्स, हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस, नेपा और राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम। खनन तथा सम्बद्ध मशीनरी निगम में भी काफी प्रगति हुई है जिससे पिछले वर्ष अत्यधिक उत्पादन हुआ है। फिर भी उद्योग मंत्रालय के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की सम्पूर्ण तसवीर उत्साहजनक नहीं है। वेतन की कठिनाइयों के कारण, पहले छह महीनों के अन्तरिम परिणामों के, फलस्वरूप लगभग 35 करोड़ रुपए का बिल आया है। सरकारी उपक्रम ठीक ढंग से कार्य कर रहे हैं और किसी भी यूनिट में कोई समस्या नहीं है।

श्री थम्पन थामस : मंत्री महोदय ने बताया है कि अन्तरिम राहत के भुगतान के कारण घाटा हुआ है। मैं यह नहीं समझ पा रहा कि अन्तरिम राहत के भुगतान के परिणामस्वरूप सरकारी क्षेत्र को स्थायी घाटा किस प्रकार हो सकता है। आप विस्तार से जांच क्यों नहीं करते और इस घाटे के कारणों का पता क्यों नहीं लगाते ? क्या यह घाटा मुख्य रूप से उद्योग के कुप्रबन्ध के कारण हुआ है अथवा इस क्षेत्र में उपयुक्त समन्वयन की कमी के कारण हुआ है ? मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या आप इन उद्योगों की आवधिक पुनरीक्षा करने के लिए कर्मचारियों, प्रबन्ध मंडल और उपयोकताओं के बीच समन्वय स्थापित करने हेतु कोई कदम उठाएंगे और इस महा सभा के ध्यान में यह बात लाएंगे ? क्या आप इस प्रणाली को शुरू करने के लिए विचार कर रहे हैं ?

श्री जे० वेंगल राव : महोदय, मेरे विभाग की पिछली परामर्शदात्री समिति की बैठक में, मैंने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की सम्पूर्ण स्थिति प्रस्तुत की थी। माननीय सदस्यों का सुझाव एक बहुत अच्छा सुझाव है। हम एक समिति नियुक्त करेंगे जो इन सब बातों की जांच करेगी।

डा० कृपासिन्धु भोई : मेरे माननीय मित्र श्री महाजन के प्रश्न का उत्तर देते हुए मंत्री महोदय ने वही बात कही है जो 'इकनामिक टाइम्स' में कही गई है। उन्होंने उत्तर नहीं दिया कि सरकारी क्षेत्र के कितने उपक्रम अध्यक्ष विहीन हैं अर्थात् प्रबन्ध निदेशकों और चेयरमैन के बिना हैं। यही बात हम जानना चाहते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि इस मामले में कार्यवाही करने में क्या कठिनाई है और सही व्यक्तियों को सही स्थान पर नियुक्त करने में क्या कठिनाई है ?

उसी रिपोर्ट में यह बताया गया है कि एक संगठन ई०पी०आई०एल० को पिछले तीन वर्षों में लगातार संचयी घाटा हुआ है। परन्तु चूंकि पिछले 2 वर्षों से संगठन का कार्यनिष्पादन काफी अच्छा है, क्या मंत्री महोदय इस मामले पर पुनर्विचार करेंगे और इस मामले पर पुनः विचार करने के लिए इसे मंत्रिमण्डल समिति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे ताकि ई०पी०आई०एल० को बन्द न किया जाए।

श्री जे० वेंगल राव : मैंने अपने स्तर पर ई०पी०आई०एल० यूनिट को बन्द न करने के बहुत प्रयास किए हैं। कुवैत और ईरान में युद्ध के कारण इस यूनिट को अत्यधिक घाटा हुआ है। मैंने मंत्रिमण्डल से इस यूनिट को बन्द न करने का अनुरोध भी किया परन्तु मंत्रिमण्डल ने इसे बन्द करने का निर्णय किया है। मैं कुछ नहीं कर सकता। **(व्यवधान)**

फ्रांस से इलैक्ट्रानिक स्विचिंग प्रणाली का आयात

*256. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेलिमेटिक्स विकास केन्द्र (सी-डॉट) ने एक इलेक्ट्रानिक स्विचिंग प्रणाली (ई० एस० एस०) का विकास किया है जिस पर केवल 4000 रुपये की लागत आयेगी और उससे 16,000 लाइनें काम कर सकेंगी;

(ख) यदि हां, तो क्या फ्रांस की एक बहुराष्ट्रीय कम्पनी से ऊंची दर पर इसी प्रकार के किट के आयात का प्रस्ताव तुरन्त छोड़ दिया जायेगा; और

(ग) यदि नहीं तो उसके विस्तृत कारण क्या हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (सन्तोष मोहन देव) : (क) से (ग) एक **विवरण** सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) 16,000 पोर्ट्स तक का संचालन करने की क्षमता रखने वाली सी-डॉट डिजिटल स्विचिंग प्रणाली का विकास सी-डॉट द्वारा किया जा रहा है। डिजाइन तैयार हो जाने तथा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ होने के पश्चात् ही प्रति लाइन लागत निश्चित हो पाएंगी।

(ख) और (ग) इस प्रकार की किट का किसी फ्रेंच मल्टीनेशनल कारपोरेशन से फिलहाल आयात किए जाने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

श्री हन्नान मोल्लाह : वक्तव्य में स्पष्ट तस्वीर प्रस्तुत नहीं की गई। महोदय, दूर-संचार के विकास के लिए यह बहुत ही अच्छा उपाय है।

सी-डॉट प्रणाली के बारे में यह खुलेआम कहा गया है कि सरकार ने पहले ही एक अनुबन्ध कर लिया है और यह कि एक बहुत सुदृढ़ लाबी उन्हें फ्रांस की बहुराष्ट्रीय निगम से अनुबन्ध करने के लिए सहमत करने का प्रयास कर रही है। यदि यह गलत है तो मन्त्री महोदय को खुले आम इसका खण्डन करना चाहिए परन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा है कि इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या ऐसे किसी प्रस्ताव के बारे में चर्चा की गई है और उस पर कोई कार्यवाही की गई है और क्या दूर संचार विभाग इसे किसी दूसरी विदेशी कम्पनी से आयात कर रहा है।

श्री सन्तोष मोहन देव : महोदय, मैं माननीय सदस्य की बात से पूरी तरह सहमत हूं कि सी-डॉट, जिसमें 300 इंजीनियर बहुत अच्छी तरह से कार्य कर रहे हैं और इस समय हमारे पास सी० आई० टी० ए० एल० सी० ए० टी० ई० एल० से कोई उपकरण खरीदने का कोई प्रस्ताव नहीं है। प्रेस में दी गई यह जानकारी बिल्कुल गलत है। प्रारम्भ में चार साल पहले जब सी० आई० टी० ए० एल० सी० ए० टी० ई० एल० के साथ सहयोग स्थापित किया गया था तब दो लाख लाइनों का आयात किया गया था। वह राष्ट्रीय नेटवर्क में लगी हुई हैं। इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। हम अपने ही देश में मनकापुर में उत्पादन कर रहे हैं और निर्धारित कार्यक्रमानुसार उत्पादन हो रहा है। हम सी-डॉट से उनकी एक्सचेंज के बारे में पुर्नानिवेशन प्राप्त करने का प्रयास करते हैं जो बंगलौर में अलसूर नामक स्थान पर बनाई जा रही है। जब वह वाणिज्यिक दृष्टि से उत्पादन शुरू करेंगे तो हम उनसे उत्पादन लेना प्रारम्भ करेंगे।

श्री हन्नान मोल्लाह : सरकार का प्रस्ताव है कि इस शताब्दी में वह 300 लाख टेलीफोन स्थापित करेंगे। इस अवधि में उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सी-डॉट द्वारा अब तक किन प्रणालियों का विकास किया गया है और यह सब प्रणालियां कब उत्पादन शुरू करेंगी और क्या सरकार उस समय अवधि तक 300 लाख टेलीफोनों के लक्ष्य को प्राप्त करने में समर्थ होगी ?

दूसरी बात यह है कि दूर-संचार विभाग के कर्मचारी सरकार के प्रयासों से बहुत अधिक चिन्तित

और भयभीत हैं क्योंकि सरकार के सामने एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है कि इस समय अवधि में बड़े पैमाने पर आयात किया जायेगा और 30 हजार कर्मचारियों का भविष्य खतरे में है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या कर्मचारियों ने प्रधान मंत्री जी को कोई ज्ञापन भेजा है और क्या सरकार ने उस ज्ञापन पर विचार किया है, और, यदि हां, तो क्या परिणाम प्राप्त हुये।

श्री सन्तोष मोहन देव : महोदय, सी-डॉट ने एक ई० पी० बी० एक्स० 128 आयात एक्सचेंज बनाये हैं और अब फर्मों को इन्हें तैयार करने के लिए लाइसेंस दिये गये हैं। ग्रामीण क्षेत्र के लिए 122 लघु एक्सचेंज भी हैं। कित्तूर और चराग में 2 एक्सचेंज कार्य कर रहे हैं और आई० टी० आई० क्षेत्र में एक लाख लाइनें तैयार की जा रही हैं। वर्ष 1988-89 से वह 50 हजार लाइनें बनाना शुरू कर देंगे।

मूल प्रश्न के सम्बन्ध में मैंने पहले ही बता दिया है कि यह अभी शुरू नहीं किया गया है। वह अब प्रोटो-टाइप की स्थापना करके इसकी जांच कर रहे हैं।

दूसरे प्रश्न के संबंध में, बेरोजगारी का कोई प्रश्न नहीं उठता क्योंकि ई० एस० एस०-2 बंगलौर में बनाया जायेगा और यथा समय हम राय बरेली फैक्टरी को भी आधुनिक बनाने के बारे में भी विचार कर रहे हैं।

जी हां, हमें अनेक कर्मचारियों से ज्ञापन प्राप्त हुए हैं और हमने उनको आश्वासन दिया है कि हम यह देखेंगे कि इस क्षेत्र में अन्य विविध उत्पादों का निर्माण शुरू किया जायेगा और बेरोजगारी का कोई प्रश्न ही नहीं होगा।

[हिन्दी]

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा राजस्थान में तेल और गैस की खोज में उपलब्धि

*257. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्रों में तेल और गैस की खोज में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग की अब तक क्या उपलब्धियां रहीं;

(ख) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने इन रेगिस्तानी क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त छिद्रण उपकरण प्रदान किये हैं;

(ग) यदि नहीं. तो छिद्रण कार्य में तेजी लाने के लिए आयोग इन क्षेत्रों के लिए कब तक अतिरिक्त छिद्रण उपकरण प्रदान करेगा; और

(घ) इस संबंध में वर्ष, 1987-88 के दौरान कौन से कार्यक्रम आरम्भ किये जायेंगे ?

[अनुवाद]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग को राजस्थान के दो क्षेत्रों अर्थात मनहेड़ा टिब्बा और घोटारु में गैस मिली है।

(ख) और (ग) चालू वित्तीय वर्ष में एक और रिग लगाने का तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग का प्रस्ताव है।

(घ) वर्ष 1987-88 के दौरान लगभग 1375 किलोमीटर भूकम्पीय सर्वेक्षण करने और 4 कुएं खोदने का तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : उपाध्यक्ष महोदय, जैसलमेर में एक्सप्लोरेशन और ड्रिलिंग का काम चार वर्षों से चल रहा है और एक रिग ही काम में लाई जा रही है। अभी आपने जवाब में कहा है कि चालू वित्त वर्ष में एक रिग और लगाने का प्रस्ताव है। मैं यह जानना चाहता हूं कि यह प्रस्ताव जो लगाने का है, तो कौन से रिग आप लगाएंगे और कब लगाने जा रहे हैं। दूसरे में यह जानना चाहता हूं कि यह जो चार कुएं खोदने का प्रस्ताव है, ये कब और किन-किन स्थानों पर खोदे जाएंगे।

श्री ब्रह्म दत्त : श्रीमन्, वहां एक कठिनाई उत्पन्न हो गई थी। एक तो सीमांत का इलाका है और दूसरे रेगिस्तानी इलाका है जैसाकि माननीय सदस्य जानते हैं। तो जो साधारण रिग थी, जिसको इधर-उधर करने के लिए सड़क बनानी पड़ती है, उसकी इजाजत हमको नहीं मिली। इसलिए विशेष प्रकार की रिग, जो रेगिस्तान के लिए उपयोगी होगी और जिसमें सड़क नहीं बनानी पड़ेगी, बी०एच० ई० एल० से हमने बनवाने को कहा है और हमें उम्मीद है कि एक दो महीने के अन्दर वह रिग हमको मिल जाएगी। इसलिए मैंने यह उत्तर दिया है कि वित्तीय वर्ष के अन्त तक यह रिग वहां लगा देंगे और इसी स्ट्रक्चर पर हम लोग इसको लगाने जा रहे हैं।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : मनहेड़ा टिब्बा और घोटारू में जो गैस प्राप्त हुई है, उसका किस प्रकार उपयोग किया जा रहा है और कितनी गैस प्राप्त हुई है ?

श्री ब्रह्म दत्त : अभी मनहेड़ा टिब्बा से हम लोग 50 हजार क्यूबिक मीटर गैस प्रति दिन निकाल सकते हैं और हमने राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को कहा है कि वह यहां पर एक गैस बेस्ड थर्मल पावर यूनिट लगाये और तीन मेगावाट का उन्होंने प्रस्ताव किया है, जो इससे चल सकता है। हम लोग इसके बारे में बातचीत कर रहे हैं और जैसे ही बातचीत पूरी हो जायेगी, तो उनको गैस देंगे। घोटारू में जो गैस हम को मिली है, उसमें 0.13 प्रतिशत तक हीलियम है और ओ० ए० जी० सी० यह प्रयास कर रहा है कि यहां पर उससे हीलियम निकाली जा सके, जोकि एक उपयोगी गैस है।

श्री गार्गी शंकर मिश्र : मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में तीन जगहें लोकेट की गई हैं, जहां पर ड्रिलिंग करना होगा। क्या वहां पर हेलीकोप्टर से···**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न राजस्थान के बारे में है न कि मध्य प्रदेश के बारे में।

[हिन्दी]

श्री गार्गी शंकर मिश्र : फार्मेशन एक ही है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : इस प्रकार उड़ीसा को भी इससे जोड़ा जा सकता है।

[हिन्दी]

श्री गार्गी शंकर मिश्र : क्या वहां पर हेलीकोप्टर से रिग पहुंचाने का प्रबन्ध करेंगे। राजस्थान में भी करेंगे और मध्य प्रदेश में भी करेंगे ?

श्री ब्रह्म दत्त: मान्यवर, राजस्थान का जब नम्बर आयेगा, तो जैसी जरूरत होगी वैसा करेंगे। हेलीकोप्टर से रिग नहीं पहुंचाएंगे और मध्य प्रदेश का अभी नम्बर नहीं आ रहा है।

[अनुवाद]

कृष्णा गोदावरी बेसिन से औद्योगिक एककों को गैस की सप्लाई

+

*258. **श्री श्रीहरि राव** :

श्री ए०जे०वी०बी० महेश्वर राव :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में कृष्णा-गोदावरी बेसिन से औद्योगिक एककों को कब तक गैस सप्लाई किये जाने की सम्भावना है;

(ख) इस क्षेत्र से गैस की कुल कितनी मात्रा प्राप्त की जा सकती है; और

(ग) गैस की सप्लाई के लिए चुने गये उद्योगों का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) इस कैलेण्डर के वर्ष के समाप्त होने तक आंध्र प्रदेश, के औद्योगिक एककों की गैस की सप्लाई आरम्भ हो जाने की आशा है।

(ख) कृष्णा-गोदावरी बेसिन में नरसापुर/राजोल के चार गैस युक्त कुओं से विस्तारित उत्पादन परीक्षण अवधि के दौरान ओ० एन० जी० सी० को लगभग 1.5 लाख घन मीटर गैस प्रति दिन उत्पादन प्राप्त होने की आशा है।

(ग) निम्नलिखित पांच उपभोक्ताओं को लगभग 63,000 घन मीटर गैस प्रतिदिन सप्लाई करने के लिए अनुबन्धों पर हस्ताक्षर किये गये हैं :—

(1) ए० पी० बगासा प्रोजेक्ट लिमिटेड

(2) डेल्टा पेपर मिल्स लिमिटेड

(3) कोस्टल एग्रो इंडस्ट्रीयल काम्पलैक्स प्रा० लिमिटेड

(4) गोथामी साल्वेंट आयल प्रा० लिमिटेड

(5) आंध्र शुगर्स लिमिटेड।

श्री श्रीहरि राव : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय, से यह जानना चाहता हूं कि क्या पूर्वी गोदावरी जिले के उपभोक्ताओं को पाइपलाइन के जरिये खाना पकाने की गैस की सप्लाई करने की कोई योजना है।

श्री ब्रह्म दत्त : ऐसी संभावना हो सकती है।

श्री श्रीहरि राव : राजामुन्दरी में एक कागज का कारखाना है और वहां अन्य बड़े उद्योग भी हैं। काकीनाडा में गोदावरी फर्टिलाइजर्स तथा अन्य उद्योग स्थित हैं। क्या इन उद्योगों को किसी प्रकार के वायु प्रदूषण के बिना गैस की सप्लाई करने की कोई योजना है ?

श्री ब्रह्म दत्त : हम अधिक उपभोक्ताओं का पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं। मेरे पास ऐसे दस नाम हैं जिनसे हमारी बातचीत चल रही है। यदि उपभोक्ता इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए आगे आते हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे। मेरे विचार में यहां इसकी अच्छी संभावनाएं हैं।

———

अल्प सूचना प्रश्न

दिल्ली में खाना पकाने की गैस की कमी

अ० सू० प्र० 1. श्री प्रकाश चन्द्र : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय दिल्ली में खाना पकाने की गैस की कमी है तथा प्रयोक्ताओं को गैस का आर्डर देने के दो-तीन सप्ताह बाद भी खाली सिलेंडरों के स्थान पर गैस के भरे हुए सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो सप्लाई कम होने के क्या कारण हैं, तथा दिल्ली में और देश के अन्य भागों में भी गैस की इस कमी को दूर करने के लिए सरकार का क्या उपचारात्मक कदम उठाने का विचार है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) और (ख) कुछ समय पूर्व दिल्ली के कुछ भागों में एल० पी० जी० रिफिलों की कुछ अस्थाई कमी विकसित हुई जो कुछ मामलों में उपभोक्ताओं को वास्तविक रूप से सप्लाई करने में 11 दिन तक लगते हैं इसका मुख्य कारण दो रिफाइनरियों को अनियोजित ढंग से बन्द करना, ट्रांसपोर्टरों द्वारा अचानक हड़ताल करने के कारण उत्पाद के आवागमन की समस्या, दिल्ली में रिफिलों के लिए पैनिक बुकिंग तथा एल०पी०जी० की भारी मात्रा में उपलब्धता में कमी। इन कमियों को दूर करने के लिए पहले ही कदम उठाये गये हैं। और आशा है कि अगले कुछ सप्ताहों में एल० पी० जी० की स्थिति में सुधार होगा। इसके अतिरिक्त एल० पी० जी० की उपलब्धता और देश में बाटलिंग क्षमता को बढ़ाने के लिए दीर्घावधिक आधार पर कदम उठाये जा रहे हैं।

श्री प्रकाश चन्द्र : उपाध्यक्ष महोदय, तेल शोधक कारखानों को गैर-योजनाबद्ध ढंग से बंद करने के क्या कारण हैं ? सरकार का क्या दीर्घकालिक उपाय किए जाने का विचार है ?

श्री ब्रह्म दत्त : हमें मथुरा और कोयाली से पर्याप्त मात्रा में एल० पी० गैस प्राप्त हो रही है। कोयाली में 26 सितम्बर से 29 अक्तूबर तक योजनाबद्ध तरीके से काम बन्द रखा गया था। परन्तु इसकी अवधि लगभग एक सप्ताह तक बढ़ गई। पुन: 5 नवम्बर से 8 नवम्बर तक कुछ तकनीकी कारणों से कुछ अवधि के लिए गैर-योजनाबद्ध ढंग से काम बन्द रखा गया था। कोयाली में तकनीकी कारणों से कुछ दिन उत्पादन भी रुक गया था। दीर्घकालिक उपायों के बारे में हम तीन या चार बातों के लिए योजना बना रहे हैं। हम विद्यमान तेलशोधक कारखानों से एल०पी०गैस के उत्पादन में बढ़ोतरी करने का प्रयास कर रहे हैं। हम हजीरा में एल० पी० जी० गैस के निस्सारण के लिए भी एक संयंत्र की स्थापना कर रहे हैं। यह जनवरी, 1988 में काम करना शुरू कर देगा। 1991-92 में भी हम मध्य प्रदेश के विजयपुर में एक संयंत्र स्थापित करने की आशा कर रहे हैं। इससे हमें 4-5 लाख मी० टन अतिरिक्त एल० पी० जी० गैस प्राप्त होगी। इसके अलावा हम हल्दिया और हजीरा में आयात सुविधाओं का भी

सृजन कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास बम्बई तथा विजाग केवल दो पत्तन हैं जहां आयातित एल०पी०जी० गैस को प्राप्त करने की क्षमता सीमित है । हम ये 3-4 कदम उठा रहे हैं । मेरे विचार में इससे हमारी स्थिति में दीर्घकालिक सुधार होगा ।

श्री प्रकाश चन्द्र : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार एल० पी० जी० गैस के परिवहन को अपने हाथ में लेगी ताकि उपभोक्ताओं को सिलेंडरों का लाना ले जाना तथा सप्लाई सही ढंग से हो सके और भविष्य में भी उपभोक्ताओं को सिलेण्डरों की प्राप्ति में किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े ?

श्री ब्रह्म दत्त : यह एक काफी विवादास्पद प्रश्न है—कि क्या हमारी अपनी परिवहन व्यवस्था होने से स्थिति में सुधार होगा । सबसे पहले, मैं इस विचार से सहमत नहीं हूं । यदि समस्त परिवहन को हम हाथ में ले लेते हैं तो हमारे लिए काफी परेशानी पैदा हो जायेगी ।

श्री अजय मुशरान : हाल ही में एक एल० पी० जी० गैस संयंत्र का उद्घाटन किया गया था, यद्यपि वह समारोह जबलपुर जिले के बिटोनी नामक स्थान पर नहीं हो सका था । यह एक विशेष बात है कि जबलपुर तथा जबलपुर के आस-पास का क्षेत्र अभी भी एल० पी० जी० गैस बड़ौदा तथा अन्य स्थानों से प्राप्त कर रहा है बजाये इसके कि उस क्षेत्र को खुद उसके जिले में स्थापित संयंत्र से गैस प्राप्त करनी चाहिए । मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि जबलपुर को अन्य स्थानों की बजाये जबलपुर से ही गैस देने के लिए अब तक क्या प्रबन्ध किये जायेंगे अथवा किये गये हैं क्योंकि सप्लाई की प्रणाली दोषपूर्ण होने के कारण जबलपुर क्षेत्र तथा जबलपुर के आस-पास के क्षेत्र में गैस की सप्लाई न किये जाने तथा अपर्याप्त सप्लाई किये जाने की कठिनाई अनुभव की जा रही है ।

श्री ब्रह्म दत्त : माननीय सदस्य ने जबलपुर संयंत्र के बारे में प्रश्न पूछा है । मैं उन्हें जानकारी दे दूंगा क्योंकि मुझे इस बात का पता लगाना है ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री साहू ।

[हिन्दी]

श्री शिव प्रसाद साहू : क्वेश्चन आवर खत्म होने के बाद हम बोलेंगे । एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : जी नहीं, मैंने सोचा था कि कि आप एक पूरक प्रश्न पूछना चाहते थे ।

———

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

डाक और दूरसंचार विभागों में नैमित्तिक श्रमिक

***248 श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया** :

श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय की एक खंड पीठ ने हाल ही में सरकार को यह निर्देश दिए हैं कि न्यूनतम मजूरी के मामले में नैमित्तिक श्रमिकों को भी नियमित श्रमिकों के समान माना जाना चाहिए और इन्हें शीघ्र ही नियमित किया जाना चाहिए;

(ख) यदि हां, तो इन निर्देशों का पालन करने के लिए कौन से कदम उठाए गए हैं;

(ग) यदि ये निर्देश कार्यान्वित नहीं किए गए हैं, तो इसमें अब विलंब किए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) कितने श्रमिक इससे लाभान्वित हुए हैं और उन संबंधित प्रतिष्ठानों के नाम क्या हैं जहां ये श्रमिक काम करते हैं और इन श्रमिकों को किस तरह के लाभ दिए गए हैं ?

संचार मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी हां।

उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार, नैमित्तिक मजदूरों को मजदूरी की अदायगी संभववर्ग काडरों में नियमित कर्मचारियों को देय न्यूनतम वेतन समतुल्य महंगाई भत्ते अथवा अतिरिक्त महंगाई भत्ते की समकक्ष दरों पर की जाएगी। जो नैमित्तिक कर्मचारी एक वर्ष से अधिक समय से सेवा में हैं, उन्हें यथा संभव खपाने के लिए 8 महीने के भीतर एक युक्तिसंगत योजना तैयार करने के लिए सरकार से कहा गया था। निर्णय देने की तारीख अर्थात् 27-10-87 से चार महीनों के भीतर मजदूरी की बकाया धनराशि की अदायगी की जानी थी।

(ख) और (ग) निर्णय के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है।

(घ) न्यूनतम वेतन एवं बकाया धनराशि के संबंध में निर्णय से डाक विभाग के लगभग 5,000 नैमित्तिक मजदूरों तथा दूर संचार विभाग के 75,000 नैमित्तिक मजदूरों को लाभ होने की सम्भावना है।

[अनुवाद]

केरल में गोदामों का निर्माण

*252. **श्री के० मोहनदास** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सिविल सप्लाई कार्पोरेशन ने गोदामों का निर्माण करने के लिए वित्तीय सहायता दिए जाने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री एच०के०एल० भगत) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

तमिलनाडु के लिए औद्योगिक लाइसेंस

*253. **श्री आर० जीवरत्नम** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1984-85, 1985-86 और 1986-87 के दौरान तमिलनाडु ने कितने औद्योगिक लाइसेंसों के लिए आवेदन किया; और

(ख) उद्योग-वार कितने आवेदन पत्रों पर कार्यवाही की गई, कितने स्वीकृत किए गए, कितने रद्द किए गए और कितने आवेदन पत्र विचाराधीन पड़े हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव : (क) तमिलनाडु राज्य में उद्योग स्थापित करने के लिए उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के उपबन्धों के अन्तर्गत औद्योगिक लाइसेंसों की मंजूरी हेतु वर्ष 1984, 1985, 1986 और 1987 (16-11-87 तक) की अवधि के दौरान क्रमश: 201, 154, 269 और 135 आवेदन प्राप्त हुए थे।

(ख) जिन आवेदनों पर औद्योगिक लाइसेंस/आशयपत्र मंजूर किए गए थे उनकी संख्या और अस्वीकृत या लंबित आवेदनों की संख्या के वर्षवार ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण I संलग्न है। औद्योगिक लाइसेंस/आशय पत्रों के आंकड़े अनुसूचित उद्योगवार रखे जाते हैं और वर्ष 1984, 1985, 1986 तथा 1987 (अक्तूबर तक) की अवधि के दौरान जारी किए गए औद्योगिक लाइसेंसों/आशय पत्रों की संख्या दर्शाने वाला विवरण II में संलग्न है।

विवरण I

जिन आवेदनों पर औद्योगिक लाइसेंस/आशय पत्र मंजूर किए गए थे उनकी संख्या और अस्वीकृत या लंबित आवेदनों की संख्या के वर्षवार ब्यौरे

वर्ष	औद्योगिक लाइसेंस	आशय पत्र	अस्वीकृत	अन्यथा निपटान	लंबित
1984	3	99	94	4	1
1985	1	56	81	16	—
1986	—	93	141	29	6
1987 (16-11-87 की स्थिति)	—	58	25	9	43
योग :	4	306	341	58	50

विवरण-II

तमिलनाडु में उद्योग स्थापित करने के लिए वर्ष 1984 से 1987 (अक्तूबर तक) जारी किए गए आशय पत्रों और औद्योगिक लाइसेंसों के अनुसूचित उद्योग वार ब्यौरे

(अक्तूबर तक)

क्र० सं०	अनुसूचित उद्योग	1984		1985		1986		1987	
		आ० पत्र	औ० ला०	आ० पत्र	औ० ला०	आ० पत्र	औ० ला०	आ० पत्र	औ० ला०
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	धातुकर्मीय उद्योग	5	37	9	22	5	6	5	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	ईंधन	—	—	1	1	1	—	—	—
3.	बायलर और भाप जनित्रण संयत्र	—	—	—	—	2	—	—	—
4.	प्राइम मूवर्स (वैद्युत जनित्रणों के अलावा)	1	—	3	—	1	—	—	1
5.	वैद्युत उपकरण	19	6	19	3	20	7	20	9
6.	दूर संचार	6	2	10	3	5	3	1	3
7.	परिवहन	4	5	7	7	2	3	—	1
8.	औद्योगि कमशीनें	9	4	7	8	1	4	—	2
9.	मशीनरी औजार	—	—	2	1	—	—	2	2
10.	कृषि मशीनें	—	—	—	—	—	—	—	—
11.	अर्थमूविंग मशीनें	—	—	—	—	—	—	—	—
12.	विविध मैकेनिकल और इंजीनियरी उद्योग	1	—	3	1	6	—	—	—
13.	वाणिज्यिक कार्यालय और घरेलू उद्योग	3	1	1	—	—	—	—	—
14.	चिकित्सा और शल्य चिकित्सा उपकरण	1	—	—	—	1	2	—	1
15.	औद्योगिक उपकरण	1	2	2	—	2	2	3	2
16.	वैज्ञानिक उपकरण	—	—	—	—	—	—	—	—
17.	गणितीय सर्वेक्षण और रेखा चित्र	—	—	—	—	—	—	—	—
18.	उर्वरक	—	—	2	1	—	—	—	—
19.	रसायन (उर्वरक के अलावा	12	7	13	6	17	11	11	4
20.	फोटोग्राफी के लिए कच्ची (रॉ) फिल्म और कागज	—	—	—	—	1	1	—	—
21.	रंगाई की सामग्री	—	—	—	—	—	—	—	—
22.	औषध और भेषज	3	—	2	1	—	2	2	—
23.	वस्त्र (रंगे, छपे अन्यथा तैयार वस्त्र शामिल हैं)	6	6	9	117	19	10	13	1
24.	कागज और लुग्दी (कागज उत्पादन सहित)	2	—	?	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25.	चीनी	2	3	—	1	—	3	13	—
26.	किण्वन (फर्मेंटेशन) उद्योग	1	—	—	—	—	—	—	1
27.	खाद्य संसाधन उद्योग	3	1	—	1	6	—	5	1
28.	वनस्पति तेल और वनस्पति	—	—	—	—	2	—	—	—
29.	साबुन श्रृंगार और प्रसाधन सामग्री	—	—	—	—	—	—	—	—
30.	रबड़ की वस्तुएं	6	1	2	1	1	3	4	—
31.	चमड़ा और चमड़े का सामान और पिक्कर्स	1	10	11	3	9	2	13	3
32.	ग्लू और जेलेटिन	—	—	—	—	—	—	—	—
33.	कांच	1	—	—	—	1	—	—	—
34.	सिरेमिक्स	2	—	—	—	1	2	—	—
35.	सीमेंट और जिप्सम उत्पाद	—	—	1	—	1	—	—	1
36.	इमारती लकड़ी उत्पाद	—	—	—	—	—	—	—	—
37.	रक्षा उद्योग	—	—	—	—	—	—	—	—
38.	विविध उद्योग	—	—	4	—	—	—	1	—
	योग :	89	85	110	117	104	61	93	36

केरल में औद्योगिक रूप से पिछड़े जिले

*254 **प्रो० पी०जे० कुरियन : क्या उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों के नाम क्या-क्या हैं;

(ख) केन्द्रीय सरकार ने उनका औद्योगिक विकास करने के लिए अब तक कुल कितनी धनराशि खर्च की है;

(ग) क्या इन जिलों में कोई औद्योगिक विकास हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव : (क) केरल के निम्नलिखित 7 जिले केन्द्रीय रूप से औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिले निर्धारित किए गए हैं :—

'क' श्रेणी

(1) वायनाड

(2) इडुक्की

'ख' श्रेणी

(3) एलेप्पी

(4) कन्नानोर

(5) मालापुरम

'घ' श्रेणी

(6) त्रिचूर

(7) त्रिवेन्द्रम

(ख) इन पिछड़े जिलों में उद्योगों की स्थापना करने के लिए केरल को केन्द्रीय निवेश राजसहायता के रूप में अब तक 16.62 करोड़ रु० राशि की प्रतिपूर्ति की गई है। दी गई राजसहायता की राशि का वर्षवार ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

	(करोड़ रु०)
1972-73 से	
1983-84	6.94
1984-85	4.34
1985-86	1.66
1986-87	2.70
1987-88 (अक्तूबर तक)	0.98

(ग) और (घ) केरल के पिछड़े जिलों में औद्योगिक विकास की गति को सरकार द्वारा जारी किए गए आशयपत्रों, औद्योगिक लाइसेंसों तथा तकनीकी विकास के महानिदेशालय के पंजीकरणों की निम्नलिखित संख्या से देखा जा सकता है :—

वर्ष	आशय पत्र	औद्योगिक लाइसेंस	तकनीकी विकास महानिदेशाय के पंजीकरण
1984	5	13	8
1985	18	15	13
1986	10	8	4
1987 (सितम्बर तक)	5	3	7

[हिन्दी]

हिमाचल प्रदेश में भारतीय खाद्य निगम की भंडारण क्षमता

259. **श्री जितेन्द्र प्रसाद** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम ने हिमाचल प्रदेश में पंजाब और हरियाणा जैसे पड़ोसी राज्यों में बनाई गई भंडारण क्षमता की तुलना में अब तक कितने मीट्रिक टन खाद्यान्न के भण्डारण की क्षमता बनाई है;

(ख) क्या भारतीय खाद्य निगम का हिमाचल प्रदेश में 40,000 मीट्रिक टन की भंडारण क्षमता के गोदामों का निर्माण करने/उन्हें किराये पर लेने का कोई कार्यक्रम था; यदि हां, तो यह कार्यक्रम कब कार्यान्वित किया गया;

(ग) कार्यक्रम का कार्यान्वयन सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और अब तक किन-किन स्थानों पर गोदामों का निर्माण कर लिया गया है/गोदामों को किराये पर ले लिया गया है और उनमें से प्रत्येक की भण्डारण क्षमता कितनी-कितनी है; और

(घ) कार्यक्रम के अनुसार उपर्युक्त गोदामों का निर्माण कब तक कर लिया जाएगा/गोदामों को कब तक किराये पर ले लिया जाएगा ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत): (क) 1-10-1987 को स्थिति के अनुसार, भारतीय खाद्य निगम के पास अपनी और किराये की दोनों को मिलाकर पंजाब में 45.29 लाख मीटरी टन, हरियाणा में 15.14 लाख मीटरी टन और हिमाचल प्रदेश में 14,290 मीटर टन खाद्यान्नों के लिए ढकी हुई भण्डारण क्षमता थी।

(ख) और (ग) भारतीय खाद्य निगम ने हिमाचल प्रदेश में 8 केन्द्रों में 30,840 मीटरी टन की क्षमता का निर्माण करने की अनन्तिम रूप से एक योजना बनायी है बशर्ते कि इसके लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध हो। इसके अलावा, सेन्ट्रल वेयरहाउसिंग कारपोरेशन ने भी हिमाचल प्रदेश में 4 केन्द्रों पर 16,000 मीटरी टन की क्षमता का निर्माण करने के लिए अनन्तिम रूप से एक प्रस्ताव तैयार किया है जिसमें से 8,000 मीटरी टन की क्षमता को खाद्यान्नों का भण्डारण करने के लिए भारतीय खाद्य निगम को सौंपे जाने की सम्भावना है। भारतीय खाद्य निगम ने हिमाचल प्रदेश में अभी तक किसी प्रकार की भण्डारण क्षमता का निर्माण नहीं किया है। किराये पर ली गई क्षमता का केन्द्रवार अलग-अलग ब्यौरा नीचे दिया जाता है :—

क्रम सं०	केन्द्र	राजस्व जिला	क्षमता (मीटरी टन में)
1	2	3	4
1.	सोलन	सोलन	300
2.	परवानू	सोलन	6250
3.	बिलासपुर	बिलासपुर	250
4.	चम्बा	चम्बा	200
5.	हमीरपुर	हमीरपुर	200
6.	जछ	कांगड़ा	3940
7.	कांगड़ा	कांगड़ा	570
8.	नगरोता	कांगड़ा	1000
9.	कुल्लु	कुल्लु	300
10.	तापरी	किन्नौर	120

1	2	3	4
11.	मंडी	मंडी	350
12.	नाहन	सिरमौर	410
13.	बाली	शिमला	400
		जोड़ :	14290

(ख) भारतीय खाद्य निगम और सेन्ट्रल वेयरहाउसिंग कारपोरेशन के 12 केन्द्रों में से 4 केन्द्रों पर निर्माण की अनन्तिम समय-सूची निम्नानुसार है :—

एजेन्सी	केन्द्र	पूरा करने की अनन्तिम तारीख
1	2	3
भारतीय खाद्य निगम	नूरपुर	मार्च, 1990
भारतीय खाद्य निगम	उना	मार्च, 1990
सेन्ट्रल वेयरहाउसिंग कारपोरेशन	सोलन	दिसम्बर, 1988
सेन्ट्रल वेयरहाउसिंग कारपोरेशन	मंडी	मार्च, 1989

शेष 8 केन्द्रों पर निर्माण अनुसूची पता लगाये गये स्थानों पर राज्य सरकार द्वारा भूमि उपलब्ध किए जाने पर तैयार की जाएगी।

[अनुवाद]

सूखा प्रभावित राज्यों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के विस्तार के लिए ऋण

*260. श्री एस० बी० सिदनाल :

श्रीमती बसवराजेश्वरी :

क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने सूखा प्रभावित राज्यों से अनुरोध किया है कि वे बैंकों से ऋण लेकर सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विस्तार करें;

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकारों ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार लाने के लिए क्या उपाय किए;

(ग) बैंकों द्वारा कितने सूखा प्रभावित राज्यों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार लाने के लिए ऋण दिए गए;

(घ) क्या सूखा प्रभावित राज्यों को कोई केन्द्रीय सहायता भी उपलब्ध कराई गई है; और

(ङ) यदि हां, तो कितनी ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) से (ङ) केन्द्रीय सरकार ने राज्यों को सलाह दी है कि वे उचित दर की दुकानों को वाणिज्यिक बैंकों तथा अन्य संस्थाओं से ऋण सुविधाएं प्राप्त करने में सहायता करें। राज्य सरकारों ने अतिरिक्त उचित दर की दुकानें खोली हैं और उन्होंने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं को अनधिकृत माध्यमों में जाने से रोकने के लिए प्रवर्तन कार्रवाई भी तेज की है।

2. उचित दर की दुकानों को दी जाने वाली ऋण सुविधा को प्राथमिकता क्षेत्र वाले ऋण के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उचित दर की दुकानों को दी जाने वाली ऋण सुविधा के सम्बन्ध में भारतीय रिजर्व बैंक/वाणिज्यिक बैंकों द्वारा अलग से आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

3. सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करने के लिए केन्द्रीय सहायता दी गई है और यह सहायता सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं के अतिरिक्त मात्रा में आबंटन और मोबाइल वैन खरीदने के लिए वित्तीय सहायता के रूप में दी गई है, जो निम्न प्रकार है :—

जुलाई से नवम्बर, 1987 की अवधि के दौरान, सूखे, बाढ़ आदि से प्रभावित राज्यों को गेहूं तथा चावल की 10.59 लाख मीटरी टन अतिरिक्त मात्रा आवंटित की गई है। खाद्य तेलों का आवंटन जुलाई, 1987 के 70,000 मीटरी टन से बढ़ाकर अक्तूबर तथा नवम्बर, 1987 में लगभग 2.00 लाख मीटरी टन कर दिया गया है। चीनी के आवंटन को बढ़ाकर अगस्त, 1987 के 7.62 लाख मीटरी टन के मुकाबले में सितम्बर-अक्तूबर, 1987 में 8.57 लाख मीटरी टन कर दिया गया है।

4. नागरिक पूर्ति विभाग ने भी चलती-फिरती उचित दर की दुकानों के रूप में चलाने हेतु 73 वैनें क्रय करने के लिए 1987-88 के दौरान आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, चण्डीगढ़ तथा उड़ीसा के राज्यों को 182.50 लाख रुपए की वित्तीय सहायता मुहैया की है। इसके अलावा, चालू वर्ष में ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी बिक्री केन्द्रों को मजबूत करने के के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 50 लाख रुपए की राशि भी मुहैया की गई है।

साफ्ट कोयले के मूल्य में कटौती

*261. **श्री अजय विश्वास** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साफ्ट कोयले के प्रयोक्ताओं के लाभार्थ इसके मूल्य में कटौती करने का प्रस्ताव है जिससे वे इसका अधिकतम प्रयोग करें और पर्यावरण की सुरक्षा की जा सके; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस सम्बन्ध में क्या योजना है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) और (ख) घरेलू उपभोग में काम आने वाले साफ्ट कोक की खान मुहाना कीमत पहले ही उत्पादन लागत से भी कम तय की गई है। इसे और भी कम करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

कच्चे तेल का उत्पादन

*262. **श्री कृष्ण सिंह** :

डा० कृपा सिन्धु भोई :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सितम्बर, 1987 को समाप्त हुई छमाही में कच्चे तेल का उत्पादन निर्धारित लक्ष्य से 20 प्रतिशत से भी अधिक हुआ था;

(ख) यदि हां, तो वास्तविक उत्पादन कितना हुआ और कच्चे तेल के उत्पादन के लिए कितना लक्ष्य रखा गया था;

(ग) कितने कारणों से उत्पादन अधिक हुआ है और पूरे वर्ष में निर्धारित लक्ष्य की तुलना में कितना उत्पादन होने की संभावना है;

(घ) कच्चे तेल के इतने उत्पादन से देश की आवश्यकताओं की किस सीमा तक पूर्ति होने की आशा है; और

(ङ) चालू वर्ष के दौरान कच्चे तेल की कुल कितनी मात्रा का आयात करने की आवश्यकता पड़ेगी और उस पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च होने की संभावना है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) से (ग) चालू वर्ष के प्रथम छः मास के दौरान कच्चे तेल का उत्पादन 15.18 मि० मी० टन था जबकि योजना 14.86 मि० मी० टन की थी। चालू वर्ष के लिए कच्चे तेल का उत्पादन लक्ष्य 30.46 मि०मी० टन का है जिसे प्राप्त किए जाने की आशा है।

(घ) करीब 63 प्रतिशत।

(ङ) वर्ष 1987-88 के दौरान 18.34 मि० मी० टन कच्चे तेल के आयात किए जाने की सम्भावना है, जिस पर 3175 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है।

ऊर्जा के स्रोत

*263. **श्री प्रताप राव बी० भोसले** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय ऊर्जा के स्रोत कौन-कौन से हैं;

(ख) वर्ष 2004 ई० तक ऊर्जा की बढ़ती हुई आवश्यकता की पूर्ति हेतु जुटाये जाने वाले ऊर्जा के स्रोत कौन-कौन से हैं; और

(ग) वर्तमान ताप विद्युत यूनिटों की उत्पादन क्षमता बढ़ाने हेतु सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) इस समय देश में ऊर्जा स्रोत कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस, जल-विद्युत शक्यता, न्यूक्लीय विद्युत, कोयले पर आधारित ताप-विद्युत, ईंधन लकड़ी, पशु-विष्ठा, कृषि सम्बन्धी अपशिष्ट पदार्थ और भार ढोने वाले पशुओं की शक्ति हैं। सौर ऊर्जा तथा पवन ऊर्जा जैसे ऊर्जा के अपारम्परिक स्रोतों का भी विकास किया जा रहा है।

(ख) ऊर्जा की मांग को पूरा करने के लिए ऊर्जा के पारम्परिक तथा अपारम्परिक दोनों स्रोतों का उपयोग करना जारी रखा जाएगा।

(ग) ताप-विद्युत यूनिटों के कार्य-निष्पादन में सुधार करने के लिए किए जा रहे उपायों में निम्न-लिखित शामिल हैं :—केन्द्र द्वारा प्रायोजित नवीकरण तथा आधुनिकीकरण कार्यक्रम को कार्यान्वित करना, अपेक्षित गुणवत्ता वाला कोयला अपेक्षित मात्रा में प्राप्त करने में राज्य बिजली बोर्डों की सहायता

करना, विद्युत केन्द्रों के कार्मिकों को प्रचालन तथा अनुरक्षण सम्बन्धी तकनीकों का प्रशिक्षण देना और ताप-विद्युत यूनिटों के शीघ्र स्थिरीकरण तथा उनके समुचित रूप से कार्य करने में सहायता करने के लिए भ्रमणकारी दलों तथा कृतिक बलों द्वारा विद्युत केन्द्रों का दौरा किया जाना।

लघु उद्योगों से संबंधित नियमों और प्रक्रियाओं के सरलीकरण संबंधी विशेषज्ञ समिति

***264. श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :**

श्री बनवारी लाल पुरोहित :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लघु उद्योगों से संबंधित विभिन्न नियमों और प्रक्रियाओं के सरलीकरण संबंधी विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार का इन नियमों और प्रक्रियाओं में क्या परिवर्तन करने का विचार है; और

(ग) इससे देश के लघु उद्योगों को किस सीमा तक सहायता मिलेगी ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) से (ग) एक **विवरण** सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

1. लघु एककों में निरीक्षकों के दौरों की संख्या और प्रक्रियाओं एवं औपचारिकताओं को कम करने हेतु अर्थोपाय सुझाने के लिए जनवरी, 1986 में भारत में लघु उद्योग संगठनों के महासंघ के अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक कार्यकारी दल का गठन किया था।

2. इस दल ने मुख्यत: ये सिफारिशें की थीं : (1) निरीक्षकों का व्यवहार-पक्ष, (2) कानून को लागू करने में नरमी (3) निरीक्षकों द्वारा दौरों की पूर्व सूचना देना, (4) उत्पादन, बैंकिंग और वित्तीय संस्थानों सहित विभिन्न प्राधिकरणों के निरीक्षकों के दौरों की संख्या में सामान्य कमी करना, (5) फार्मों और विवरणियों की संख्या में कमी करना, (6) लघु उद्योगों के लिए उच्चतर उत्पादन छूट की सीमा और लघु क्षेत्र के संदर्भ में प्रदूषण नियन्त्रण का अध्ययन करने के लिए एक अलग समिति का गठन करना।

3. अपेक्षित अनुमति से उत्पादन निरीक्षकों के दौरों को वर्ष में एक बार करने के अनुदेश जारी किए गए हैं। विभिन्न स्तरों पर कर-दाता सहायता एक स्थापित किए गए हैं। लघु उद्योगों एककों को (1) उत्पादन शुल्क लगने वाली वस्तुओं की मूल्य सूची को प्रस्तुत करने, (2) कारखाने के अहाते के भीतर क्षेत्र का निर्धारण करने, (3) जिन लघु एककों का उत्पादन 50 लाख रुपए मूल्य से अधिक नहीं है उनके मामले में मासिक विवरणियों का सारांश मूल्यांकन करने और कानूनी रजिस्टरों के स्थान पर निजी उत्पादन रिकार्डों पर विचार करने में प्रक्रिया संबंधी कुछ छूट दी गई है। 15 लाख रुपए से अधिक मूल्य का उत्पादन करने वाले लघु एककों और विभिन्न प्रशुल्क शीर्षकों के अन्तर्गत आने वाले एक से अधिक वस्तुओं का उत्पादन कर रहे एककों के मामले में 30 लाख रुपए तक के लिए यह छूट सीमा लागू की गई है।

4. कम व्यक्तियों को रोजगार में रखने वाले संस्थानों के कुछ श्रम कानूनों के अन्तर्गत विवरणियां प्रस्तुत न करने तथा रजिस्टर न रखने की छूट देने के लिए सरकार ने लोक सभा में श्रम कानून (कुछ संस्थानों द्वारा विवरणियां प्रस्तुत न करने तथा रजिस्टर न रखने की छूट) विधेयक, 1987 प्रस्तुत किया है विधेयक संसद में विचाराधीन है।

5. लघु उद्योगों को वित्तीय सहायता देने में वाणिज्यिक बैंकों तथा राज्य वित्तीय निगमों में बेहतर समन्वय करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग तथा वित्तीय संस्थाओं को विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं सरकार ने बैंकिंग संस्थाओं से यह सिफारिश की है कि बैंक अधिकारियों द्वारा लघु उद्योग एककों के निरीक्षण दौरे उचित अधिकार प्राप्त करके पहले समय लेकर तथा उच्च स्तर पर किए जाएं।

6. किसी लघु औद्योगिक एकक द्वारा वास्तविक रूप से उत्पादन शुरू करने से पहले अनेक फार्मों को भरने की समस्याओं पर विचार करने और उद्यमी द्वारा उत्पादम शुरू कर देने के बाद भरे जाने वाले फार्मों तथा रखे जाने वाले रिकार्डों को सरल बनाने, और उनकी संख्या कम करने के लिए अभ्युपाय सुझाने/संबंधित एजेंसियों की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु एक जैसा फार्म तैयार करने के लिए भारत में लघु उद्योग संगठनों के महासंघ के अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। इस समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

7. अनंतिम/स्थायी लघु उद्योग पंजीकरण के लिए प्रयुक्त होने वाले फार्मों की समीक्षा करने के लिए एक अलग समिति का भी गठन किया गया है। समिति द्वारा सुझाए गए फार्मों की जांच कर ली गई है और अपनाए जाने के लिए स्वीकृति दिए जाने से पूर्व उपयुक्त संशोधन करने पर विचार किया जा रहा है।

कोयले की रायल्टी के बारे में कोल इंडिया लि० और बिहार सरकार के बीच विवाद

*265. **श्री थम्पन थामस** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयले की रायल्टी के मामले में बिहार सरकार तथा कोल इंडिया लि०, धनबाद के बीच विवाद है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इस विवाद को हल करने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) और (ख) जी हां। भारत कोकिंग कोल लि०, धनबाद ने स्वामित्व के निर्धारण के संबंध में राज्य सरकार के साथ कुछ मुद्दे उठाए हैं। राज्य सरकार के प्राधिकारी इस बात पर बल दे रहे हैं कि कंपनी को घोषित ग्रेडों के आधार पर स्वामित्व का भुगतान करना चाहिए तथा ग्रेडों में वास्तविक रूप से हो रही त्रुटियों को हिसाब में नहीं लेना चाहिए। अन्य मुद्दा खातों के उस स्टाक पर स्वामित्व के संबंध में है जो भौतिक सत्यापन के फलस्वरूप बट्टे खाते में डाले गए।

(ग) कंपनी ने उपर्युक्त मुद्दों के ब्यौरे राज्य सरकार के संबंधित प्राधिकारियों को प्रस्तुत कर दिए हैं तथा इनके निपटान के लिए समुचित स्तर पर नियमित रूप से अनुवर्ती कार्रवाई भी की जा रही है।

कर्नाटक में विदेशी सहायता से लघु विद्युत संयंत्र लगाना

*266. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने विदेशी सहायता से चार लघु विद्युत संयंत्र स्थापित करने के लिए केन्द्रीय सरकार से स्वीकृति मांगी है;

(ख) यदि हां, तो यह प्रस्ताव कब भेजा गया था; और

(ग) केन्द्रीय सरकार का इस परियोजना को कब स्वीकृति प्रदान करने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (ग) राज्य में चार स्थानों पर डीजल विद्युत उत्पादन सेट स्थापित करने के संबंध के 1985 में कर्नाटक सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था । केन्द्र सरकार ने प्रस्ताव को फरवरी, 1987 में अनुमोदित कर दिया है । राज्य प्राधिकारियों को यह भी सलाह दी गई है कि उपस्कर के आयात हेतु निर्मक्त विदेशी मुद्रा मुहैया कराई जाएगी ।

दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के मेडिकल स्टोरों में कथित नकली दवाइयां

*267. **श्री कमल नाथ** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करें कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के मेडिकल स्टोरों से नकली अथवा उपयोगावधि समाप्त हुई दवाएं मरीजों को दिए जाने के समाचारों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच की गई; और

(ग) यदि हां, तो इस जांच के क्या परिणाम निकलें हैं और दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है तथा दवाइयां खरीदने एवं जारी करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के अनुसार आदर्श और बढ़िया गुणवत्ता वाली औषधियां प्राप्त करने के लिए उनकी सुनिश्चित प्रक्रिया है । संस्थान ने घटिया औषधियों की सप्लाई की सभी विशिष्ट घटनाओं पर तत्काल कार्यवाही की है । की गई कार्यवाही में ये शामिल हैं; तथाकथित घटिया/खराब गुणवत्ता वाली औषधियों को जारी करना, बन्द करना, सप्लाई के भुगतानों को रोकना, आर्डरों को रद्द करना, दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के साथ कारोबार से सप्लाईकर्ताओं का बहिष्कार करना, मामलों को भेषज नियंत्रक, दिल्ली प्रशासन के पास भेजना तथा की गई सप्लाई को बदलवाना । संस्थान के किसी भी कर्मचारी पर दायित्व निर्धारित करने के लिए जांच की जाती है ।

[अनुवाद]

भारत कोकिंग कोल लि०, धनबाद के कर्मचारियों का अभ्यावेदन

2502. **श्री एस० जयपाल रेड्डी** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत कोकिंग कोल लि०, धनबाद के कर्मचारियों ने अपनी कई शिकायतों के संबंध में भारत कोकिंग कोल लि०, (बिहार) के मुख्य कार्यकारी को अभ्यावेदन दिया है;

(ख) क्या यह शिकायतें खान अधिनियम और औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत स्थायी आदेशों से संबंधित हैं;

(ग) यदि हां, तो उनकी शिकायतों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस विवाद को सुलझाने के लिए कौन से कदम उठाए गए हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे) (क) से (ग) जी, हां। भारत कोकिंग कोल लि० के कर्मचारी अपनी शिकायतें समय-समय पर कोलियरी, एरिया तथा कंपनी स्तर के अपने उच्च अधिकारियों को प्रस्तुत करते हैं जिनमें कंपनी के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक भी शामिल हैं। यह शिकायतें ऐसी नहीं है कि हमेशा औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम खान अधिनियम और औद्योगिक विवाद अधिनयम के अधीन किसी कानूनी प्रावधान के निश्चित उल्लंघन से ही संबंधित रहती हैं। यह शिकायतें जिन मामलों से संबद्ध रहती हैं वे हैं आश्रितों को रोजगार की व्यवस्था, पदोन्नति के तेज और अधिक अवसर, स्थानांतरण, मुआवजा और आनुतोषिक का भुगतान, अवकाश यात्रा रियायत के भुगतान में विलम्ब, आदि। यह शिकायतें कभी-कभी कार्यस्थल की दशाओं, खनिजों की कालोनियों और धौरा में रहन-सहन की दशाओं और सुविधाओं तथा चिकित्सा और शिक्षा सुविधाओं की कमी आदि से भी संबंधित रहती है।

(घ) भारत कोकिंग कोल लि०, में किसी अन्य कोयला कंपनी की ही भांति, कर्मचारियों की शिकायतों को दूर करने के लिए सुस्थापित क्रियाविधि है। कामगारों को उनके अभिवेदन के बारे में मौखिक या लिखित रूप से सूचना दी जाती है। कभी-कभी संबद्ध यूनियनों के साथ चर्चा के जरिए भी शिकायतें सुलझाई जाती हैं। कभी-कभी यूनियनें औद्योगिक विवाद अधिनियम के अधीन विवादों को केन्द्रीय औद्योगि संबंध मशीनरी के सामने उठाती हैं जिनमें ट्रिब्यूनल और कानून के अधीन निर्धारित अन्य फोरम शामिल हैं। प्रबंध मण्डल का हमेशा यह प्रयास रहता है कि विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से वातचीत और चर्चा के जरिए सुलझाया जाए।

साइकिल कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड की साइकिलों की अनियमित बिक्री के कारण हुई हानि

2503. **डा० सुधीर राय** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को साइकिल कारपोरेशन आफ इण्डिया द्वारा साइकिलों, सहायक उपकरणों और स्क्रैप के अनियमिति सौदों के कारण हुई हानि की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीयकरण से आज तक कारपोरेशन को इस कारण कुल कितनी हानि हुई है;

(ग) दोषी व्यक्तियों और पार्टियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) अन्य क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (घ) लेखा परीक्षा (आडिट) द्वारा कम्पनी के प्रवन्धकों के ध्यान में साइकिलों, सहायक उपकरणों और स्क्रैप की अनियमित बिक्री के कुछ दृष्टान्त लाए गए हैं। इसके कारण हुए घाटे का शुद्ध रूप से मूल्यांकन करना सम्भव नहीं है। कम्पनी के दोषी पार्टियों से बकाया राशियों की वसूली के लिए और विपणन प्रणाली में सुधार के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है।

भारतीय साइकिल निगम लिमिटेड के भूतपूर्व अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक काठमांडू का दौरा

2504. **श्री पूर्ण चन्द्र मलिक** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मार्च, 1984 में, भारतीय साइकिल निगम के तत्कालीन अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक ने कुछ अन्य व्यक्तियों के साथ काठमांडू का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या यह दौरा सरकारी था; और

(ग) क्या अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक तथा उनके साथ गए लोग वहां ठहरे थे तथा बिल का भुगतान किसने किया था ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगलराव) : (क) से (ग) कम्पनी के पास रिकार्ड के अनुसार साइकिल कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड के तत्कालीन अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक सहित व्यक्तियों के एक दल द्वारा मार्च, 1984 में काठमांडू के कथित दौरे और उनके सोल्टी ओबेराय होटल में ठहरने के बारे में एक डीलर ने दावा पेश किया है । ऐसा कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं है जिससे दौरे के अधिकाधिक होने का पता चल सके ।

एकाधिकार और अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग द्वारा निपटाये गए मामले

2505. **श्री शांताराम नायक** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान एकाधिकार और अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग द्वारा निपटाये गए मामलों की संख्या कितनी है;

(ख) आयोग के समक्ष विचाराधीन मामलों की संख्या कितनी है;

(ग) विचाराधीन मामलों में से किस श्रेणी के मामले सर्वाधिक है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान ऐसे मामलों की संख्या कितनी है जिनमें जनसाधारण को लाभ पहुंचाया गया है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) 1-1-1985 से 31-1987 तक की अवधि के दौरान एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग ने अवरोधक और अनुचित व्यापार प्रथाओं से सम्बन्धित 2957 मामलों को निपटाया ।

(ख) 31-10-1987 को आयोग के समक्ष ऐसे 3327 मामले लम्बित पड़े थे ।

(ग) 31 अक्तूबर, 1987 को लम्बित मामलों में अनुचित व्यापार प्रथाओं की अपेक्षा अवरोधक व्यापारिक प्रथाओं से सम्बन्धित मामले अधिक हैं ।

(घ) गत तीन वर्षों में आयोग द्वारा निर्णीत सभी मामलों से आम व्यक्ति को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुंचा है ।

भूमि अधिग्रहण के संबंध में नये मानदण्ड

2506. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 6 अप्रैल, 1987 के कलकत्ता से प्रकाशित बिजनेस स्टैंडर्ड "में" गवर्नमेंट सेट्स न्यू नार्मस आन लैंड एक्विजिशन" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर

दिलाया गया है जिसमें बताया गया है कि भूमि-अधिग्रहण के कारण विस्थापित लोगों के लिए मुआवजे, पुनर्वास तथा रोजगार की व्यवस्था किए जाने के संबंध में समान पद्धति बनाने के प्रयास से भूमि अधिग्रहण में और अधिक विलंब होने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सही-सही क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं और मार्ग निर्देश दिए गए हैं; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए कौन-कौन से कदम उठाने का विचार है कि इन कारणों से परियोजनाओं के कार्य में कोई असाधारण विलंब न हो ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) से (ग) जी हां। परियोजनाओं की स्थापना के लिए भूमि अधिग्रहण के बारे में एक समान पद्धति लागू करने के लिए ही नहीं बल्कि विस्थापित व्यक्तियों को पेश आ रही कठिनाइयों को कम करने के उद्देश्य से सरकार ने इसमें शामिल विभिन्न पहलुओं पर विचार किया है और मार्च, 1986 में नये मार्ग-निर्देश जारी किए हैं।

नये मार्ग निर्देशों में यह व्यवस्था है : (1) उपयोगी कृषि भूमि विशेषकर गीली भूमि, वन भूमि अथवा पारिस्थितिकीय रूप से भुर-भुरी भूमि का अधिग्रहण न किया जाये, (2) आवश्यकताओं से अधिक भूमि के अधिग्रहण से बचने के उद्देश्य से परियोजना प्राधिकारियों को परियोजना की स्थापना के विस्तृत औचित्य के साथ-साथ अपेक्षित भूमि की न्यूनतम मात्रा स्पष्टत: निर्दिष्ट करनी पड़ेगी, (3) परियोजना की प्रारंभिक अवस्था में भूमि की जितनी आवश्यकता होगी उसकी उपेक्षा उसके भावी अनुमानित विस्तार के लिए अधिकतम 25% भूमि अवश्य होगी, (4) समुचित समय के भीतर मुआवजे की अदायगी के लिए प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना, (5) जिन व्यक्तियों को विस्थापित माना जायेगा उनके अभिनिर्धारण के लिए प्रत्येक भूमि अधिग्रहण एकक द्वारा पुनर्वास कक्ष की स्थापना करना, (6) परियोजना में प्रत्येक विस्थापित परिवार के एक सदस्य को रोजगार प्रदान करने के बारे में यदि कोई औपचारिक अथवा अनौपचारिक समझौता हो तो उसे समाप्त करना ताकि उद्यमों में कर्मचारियों की बहुलता की सम्भावना से बचा जा सके और यह भी साध्य हो सके कि सरकारी क्षेत्र के उद्यमों का प्रचालन वाणिज्यिक रूप से लाभकारी स्तर पर हो तथा वे आंतरिक संसाधन पैदा करने में सक्षम हों।

पेनिसिलिन बी का आयात

2507. **श्री जनकराज गुप्त** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पेनिसिलिन बी से 6 ए०पी०ए० और एंजाइम प्रक्रिया से पेनिसिलिन वी के विनिर्माण के लिए प्रयोग में लाई जा रही मशीनों और प्रक्रिया में क्या अंतर है;

(ख) पैनिसिलिन बी के आयात के लिए मंजूरी प्रदान करने में रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग की क्या भूमिका है;

(ग) क्या इस विभाग अथवा किसी दूसरे प्राधिकरण ने पेनिसिलिन के किसी विशेष ग्रेड के प्रयोग से 6 ए०पी०ए० के विनिर्माण पर रोक लगायी है; और

(घ) इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) (क) 6-ए०पी०ए० के उत्पादन में रसायन, एनजाइमों का प्रकार, प्रक्रिया-पैरामीटर आदि

आरम्भिक कच्चे माल और प्रौद्योगिकी पर निर्भर करेंगे। इनसे संयंत्र और उपकरणों के डिजाइन का निर्धारण होगा।

(ख) औषध निर्माण के लिए किसी वस्तु के आयात की अनुमति देते समय इस विभाग सहित विभिन्न विभागों की सिफारिशों पर विचार किया जाता है।

(ग) और (घ) सरकार की नीति के अनुसार पेन्सिलिन जी का उपयोग करने वाले एककों को केवल पेन्सिलिन जी का आयात करने की अनुमति दी जाती है और इसके स्थान पर पेन्सिलिन का आयात करने की अनुमति नहीं दी जाती है।

कोयला कंपनियों के पास खानों के मुहानों पर पड़ा अनबिका स्टाक

2508. **श्री आर० एम० भोये :**

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :

क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रमुख प्रयोक्ताओं द्वारा कोयला न उठाने के कारण कोयला कंपनियों के पास खानों के मुहाने पर पड़ा अनबिका स्टाक रिकार्ड स्तर पर पहुंच गया है;

(ख) क्या इस्पात, बिजली, रेल सीमेंट एककों और उर्वरकों संयंत्रों जैसे लगभग सभी प्रमुख क्षेत्रों ने कोयले की खरीद कम कर दी है;

(ग) यदि हां, तो इस बारे में ब्यौरा क्या है; और

(घ) ऐसी परिस्थितियों में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) जी, नहीं। कोयले का अखिल भारतीय खान मुहाना स्टाक चालू वित्त वर्ष के प्रारम्भ में 28.83 मिलियन टन था किन्तु उठान में वृद्धि के फलस्वरूप 31-10-1987 को वह घटकर 22-44-मिलियन टन (अनंतिम) रह गया है।

(ख) से (घ) : अप्रैल से अक्तूबर, 1987 की अवधि में विभिन्न उपभोक्ता क्षेत्रों का कोयले उठान 96.88 मिलियन टन रहा जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में यह 89·03 मिलियन टन था। इस प्रकार उठान में 8·81 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। क्षेत्रवार प्रेषण का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

(आंकड़े मिलियन टनों में)

क्षेत्र		कोयले का उठान अप्रैल-अक्टूबर अवधि 1987-88	1986-87
1	2	3	4
1. बिजली कंपनियां			
(1) कच्चा कोयला		51·13	44.67
(2) वाशरी मिडलिंग		(1.07)	(1·16)
2. इस्पात		13.05	13.20

1	2	3	4
	3. लोको	4.26	4.59
	4. सीमेंट	4.72	4.73
	5. उर्वरक	2.25	2.50
	6. साफ्ट कोक निर्माण	1.03	1.05
	7. निर्यात	0.07	0.06
	8. ईंट भट्ठा और अन्य	18.09	15.88
	9. कोलियरी उपभोग	2.28	2.35
		96·88	89.03
		(1.07)	(1.16)

(कोष्ठक के आंकड़े मिडलिंग के हैं)

उपर्युक्त सारणी से यह स्पष्ट है कि इस्पात, लोको, उर्वरक और साफ्ट कोक को छोड़कर अन्य सभी क्षेत्रों में इस वर्ष (अप्रैल-अक्टूबर) में कोयला उठान पिछले वर्ष इसी अवधि की तुलना में अधिक रहा है। विभिन्न कोयला उपभोक्ता क्षेत्रों को प्रेषण और भी बढ़ाने के लिए प्रयास चल रहे हैं।

ऐल्यूमिनियम कायल, पालिथिलीन और पालिस्टरीन तथा मैग्नीशियम धातु की परियोजनाएं स्थापित करना

2509. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़ी कंपनियों द्वारा ऐल्यूमिनियम कायल पालिथिलीन और पालिस्टरीन और मैग्नीशियम धातु क्षेत्र में परियोजनाएं स्थापित करने के लिए कुल 250 करोड रुपये के निवेश का प्रस्ताव किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इससे संबंधित कंपनियों के नाम तथा ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) और (ख) ऐल्युमिनियम कायल्स, पाज़िइथाइलीन, पालीस्ट्रिरीन और मैग्नीशियम धातु के क्षेत्रों की परियोजनाओं के संबंध में कुछ आवेदन प्राप्त हुए हैं, किन्तु जब तक उन पर अन्तिम निर्णय नहीं लिया जाता है, तब तक ऐसे आवेदनों के ब्यौरे बताए नहीं जाते हैं।

तीव्र डाक सेवा आरम्भ करना

2510. **श्री सुरेश कुरुप** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यवार कितने तथा किन स्थानों पर तीव्र डाक सेवा आरम्भ कर दी गई है;

(ख) क्या चालू वित्तीय वर्ष के दौरान राज्यों में और अधिक क्षेत्रों में यह सेवा आरंभ करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो यह सेवा किन स्थानों पर और कब आरम्भ की जायेगी, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) ब्यौरा संलग्न **विवरण I** में दिया गया है।

(ख) और (ग) जी हां, ब्यौरा संलग्न विवरण II में दिया गया है। अनुबंध "ख" में विभिन्न राज्यों के शहरों के नाम हैं, जहां चालू वित्तीय वर्ष के दौरान द्रुत डाक सेवा प्रारम्भ करने के लिए उनकी उपयुक्ता का निर्धारण करने की जांच की जा रही है। इस समय के बारे में कोई निश्चित आश्वासन नहीं दिया जा सकता।

विवरण I

उन स्थानों की राज्यवार संख्या तथा नाम जहां द्रुत डाक सेवा पहले ही प्रारंभ की जा चुकी है।

राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	द्रुत डाक केन्द्रों की सं०	द्रुत डाक केन्द्रों का नाम
1	2	3
आंध्र प्रदेश	2	1. विशाखापट्टनम
		2. हैदराबाद
असम	2	1. गुहावाटी
		2. सिल्चर
दिल्ली	1	1. दिल्ली
गुजरात	3	1. अहमदाबाद
		2. बड़ोदरा
		3. सूरत*
हरियाणा	1	1. फरीदाबाद
कर्नाटक	1	1. बेंगलूर
केरल	1	1. कोचीन
मध्य प्रदेश	1	1. इंदौर
महाराष्ट्र	4	1. बंबई
		2. नागपुर
		3. पुणे
		4. थाने*
मणिपुर	1	1. इम्फाल (18-11-1987)
राजस्थान	1	1. जयपुर
तमिलनाडु	3	1. मद्रास
		2. कोयम्बटूर
		3. होसूर*
त्रिपुरा	1	1. अगरतला
उत्तर प्रदेश	3	1. कानपुर
		2. गाजियाबाद*
		3. नौएडा*
पश्चिम बंगाल	1	1. कलकत्ता

*इन स्थानों में द्रुत डाक सेवा के लिए आवक वस्तुओं को ही स्वीकार किया जाता है और ऐसी डाक वस्तुओं का ही वितरण नहीं किया जाता है।

विवरण-II

निम्नलिखित केन्द्रों में द्रुत डाक सेवा प्रदान करने की वरियता से जांच की जा रही है।

राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	द्रुत डाक केन्द्रों का नाम
बिहार	पटना
जम्मू और काश्मीर	श्रीनगर
केरल	त्रिवेन्द्रम
कर्नाटक	मंगलूर
मध्य प्रदेश	ग्वालियर
मेघालय	शिलांग
उड़ीसा	1. भुवनेश्वर
	2. कटक
उत्तर प्रदेश	आगरा
तमिलनाडु	1. त्रिची
	2. मदुरै
	3. सलेम
चण्डीगढ़	चण्डीगढ़

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश के बाराबंकी और सीतापुर जिले के गांवों का विद्युतीकरण

2511. **श्री कमला प्रसाद रावत** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्तर प्रदेश के बाराबंकी और सीतापुर जिलों के कितने गांवों में बिजली पहुंचाने का प्रस्ताव है;

(ख) अब तक कितने गांवों में बिजली पहुंचाई गई है; और

(ग) लोगों द्वारा कितने गांवों में बिजली पहुंचाने की मांग की गई है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्तर प्रदेश में 25170 गांवों का विद्युतीकरण किए जाने का लक्ष्य है। राज्य बिजली बोर्ड द्वारा ग्राम विद्युतीकरण के जिलेवार लक्ष्य, इसकी आवश्यकता सहित विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए व प्रतिवर्ष के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। प्राप्त सूचना के अनुसार, 30-9-1987 की स्थिति के अनुसार, उत्तर प्रदेश के बाराबंकी तथा सीतापुर जिलों में क्रमश: 838 तथा 825 गांवों का विद्युतीकरण किया गया है।

[अनुवाद]

राज्यों को आवश्यक वस्तुओं का आबंटन

2512. **श्री रेणुपद दास** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1987-88 के दौरान चावल, गेहूं सहित खाद्यान्नों, सरसों का तेल, नमक और चीनी की राज्यवार कितनी मांग है;

(ख) केन्द्रीय सरकार ने राज्यवार कितनी मात्रा में आबंटन किया है; और

(ग) इस अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य को वास्तव में कितनी मात्रा उपलब्ध कराई गई ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) अप्रैल, 1987 से नवम्बर, 1987 की अवधि के लिए चावल तथा गेहूं की राज्यवार मांग दर्शाने वाला **विवरण-I** संलग्न है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की लेवी चीनी का मासिक कोटा उनसे प्राप्त हुई मांग के आधार पर आबंटित नहीं किया जाता है, बल्कि 1-10-1986 को अनुमानित आबादी के लिए प्रति माह प्रति-व्यक्ति 425 ग्राम चीनी देने के एक समान प्रतिमान के आधार पर दिया जाता है।

सरसों का तेल तथा नमक सार्वजनिक वितरण प्रणाली की मदें नहीं हैं और इसलिए केन्द्रीय सरकार द्वारा इनका आबंटन नहीं किया जाता है।

(ख) अप्रैल, 1987 से नवम्बर, 1987 की अवधि के लिए केन्द्र द्वारा किया गया चावल तथा गेहूं का राज्यवार आबंटन दर्शाने वाला **विवरण-II** संलग्न है।

(ग) अप्रैल, 1987 से सितम्बर, 1987 की अवधि के दौरान गेहूं तथा चावल की उठाई गई वास्तविक मात्रा संलग्न **विवरण-III** में दी गई है।

विवरण-I

1987-88 के दौरान (अप्रैल, से नवम्बर) केन्द्रीय पुल से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा की गई चावल तथा गेहूं की मांग

(हजार मी० टन में)

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	चावल	गेहूं
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	1585.0	187.0
2.	अरुणाचल प्रदेश	55.5	7.8
3.	असम	496.0	566.0
4.	बिहार	605.0	1340.0
5.	गुजरात	280.0	540.0
6.	गोवा	35.2	13.5
7.	हरियाणा	28.5	256.0
8.	हिमाचल प्रदेश	74.4	60.0
9.	जम्मू व कश्मीर	184.5	103.5
10.	कर्नाटक	480.0	170.0
11.	केरल	1500.0	175.0

1	2	3	4
12.	मध्य प्रदेश	250.0	400.0
13.	महाराष्ट्र	1010.0	770.0
14.	मणिपुर	64.0	32.0
15.	मेघालय	116.0	16.0
16.	मिजोरम	80.0	8.4
17.	नागालैंड	67.0	32.0
18.	उड़ीसा	230.0	184.0
19.	पंजाब	12.0	81.0
20.	राजस्थान	18.0	500.0
21.	सिक्किम	36.0	2.0
22.	तमिलनाडु	850.0	240.0
23.	त्रिपुरा	103.5	4.0
24.	उत्तर प्रदेश	750.0	585.0
25.	पश्चिम बंगाल	1350.0	1100.0
26.	अंड़मान व निकोबार द्वीप समूह	12.0	6.3
27.	चण्डीगढ़	4.0	14.4
28.	दादर व नगर हवेली	2.5	1.1
29.	दिल्ली	210.0	420.0
30.	दमण व दीव	1.95	0.36
31.	लक्षद्वीप	5.5	0.07
32.	पांडिचेरी	16.25	2.4
	योग :	10512.80	7817.83

विवरण-II

विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए 1787-88 (अप्रैल से नवम्बर) के दौरान केन्द्रीय पुल से चावल, गेहूं और चीनी का आबंटन

(हजार मी० टन में)

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	चावल	गेहूं	चीनी
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	765.0	168.0	201.2
2.	अरुणाचल प्रदेश	48.5	11.2	2.5
3.	असम	350.0	291.2	76.9
4.	बिहार	215.0	614.0	267.7
5.	गुजरात	265.0	480.0	129.6

1	2	3	4	5
6.	गोवा	32.0	14.8	4.0
7.	हरियाणा	28.0	240.0	51.1
8.	हिमाचल प्रदेश	52.0	40.0	16.1
9.	जम्मू व कश्मीर	198.0	99.0	23.1
10.	कर्नाटक	465.0	200.0	142.1
11.	केरल	1120.0	280.0	95.6
12.	मध्य प्रदेश	245.0	400.0	200.2
13.	महाराष्ट्र	490.0	760.0	239.5
14.	मणिपुर	41.0	16.0	5.5
15.	मेघालय	73.0	16.8	5.3
16.	मिजोरम	52.0	8.4	2.1
17.	नागालैण्ड	64.0	26.0	3.4
18.	उड़ीसा	160.0	184.0	99.1
19.	पंजाब	12.0	100.0	63.6
20.	राजस्थान	20.0	560.0	135.3
21.	सिक्किम	36.0	2.0	1.3
22.	तमिलनाडु	400.0	240.0	180.4
23.	त्रिपुरा	115.0	20.0	8.0
24.	उत्तर प्रदेश	400.0	360.0	423.4
25.	पश्चिम बंगाल	1000.0	1008.0	207.1
26.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	9.0	6.3	1.9
27.	चण्डीगढ़	4.0	14.4	2.9
28.	दादर व नगर हवेली	1.6	0.8	0.4
29.	दिल्ली	200.0	400.0	61.5
30.	दमण व दीव	3.6	0.8	0.3
31.	लक्षद्वीप	5.5	0.07	0.6
32.	पांडिचेरी	14.0	2.4	2.3
	योग :	6884.2	6564.17	2655.0

विवरण-III

अप्रैल-सितम्बर, 1987 के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से चावल तथा गेहूं की राज्यवार उठाई गई मात्रा

(आंकड़े हजार मी० टन में)

क्रम स०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	चावल	गेहूं
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	561.6	34.1

1	2	3	4
2.	अरुणाचल प्रदेश	32.0	2.8
3.	असम	244.4	92.3
4.	बिहार	23.0	236.2
5.	गुजरात	146.4	218.4
6.	गोआ	25.0	6.8
7.	हरियाणा	6.6	12.2
8.	हिमाचल प्रदेश	19.2	15.6
9.	जम्मू व कश्मीर	85.5	42.2
10.	कर्नाटक	341.1	83.6
11.	केरल	864.4	51.6
12.	मध्य प्रदेश	114.4	95.6
13.	महाराष्ट्र	310.7	549.6
14.	मणिपुर	28.9	4.3
15.	मेघालय	54.6	12.3
16.	मिजोरम	42.2	1.3
17.	नागालैंड	38.7	2[illegible].3
18.	उड़ीसा	63.1	36.0
19.	पंजाब	1.9	—
20.	राजस्थान	8.9	200.4
21.	सिक्किम	15.2	1.0
22.	तमिलनाडु	220.2	57.9
23.	त्रिपुरा	75.7	4.9
24.	उत्तर प्रदेश	154.8	86.0
25.	पश्चिम बंगाल	403.7	330.1
26.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	3.8	1.3
27.	चण्डीगढ़	1.9	2.3
28.	दादर व नगर हवेली	—	—
29.	दिल्ली	94.7	109.7
30.	दमण व दीव	0.3	नगण्य
31.	लक्षद्वीप	0.2	नगण्य
32.	पांडिचेरी	1.8	नगण्य
	योग :	3984.9	2312.8

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के स्वामित्व में रिग

2513. **श्रीमती जयन्ती पटनायक :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के स्वामित्व में गहरे समुद्र में ड्रिलिंग का कार्य करने के लिए कितने रिग हैं;

(ख) क्या इनमें से कुछ ड्रिलिंग रिग या तो पुराने पड़ गए हैं अथवा क्षतिग्रस्त हैं;

(ग) यदि हां, तो कितने क्षतिग्रस्त रिग्स को मरम्मत के लिए भेजा गया है; और

(घ) इन रिगों की मरम्मत पर कितनी राशि व्यय की गई है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) दस।

(ख) आग में केवल एक ही रिग क्षतिग्रस्त हुआ है और अब इसका प्रयोग "अर्ली" प्रोडक्शन "सिस्टम" के रूप में किया जा रहा है। शेष नौ रिगों में से कोई भी रिग पुरानी अथवा क्षतिग्रस्त नहीं है।

(ग) और (घ) विगत से 3 जैक अप रिगों की टांगों में प्रचालनगत कार्य के दौरान साइक्लिक और स्टेटिक दबाव से मशीनों पर अधिक दबाव पड़ने के कारण दरार हो गए थे। इन रिगों में प्रथमतः बम्बई से दुबई तक ले जाने के दौरान समुद्री तूफान में फंसने और दुबारा दुबई से जापान, जहां इसकी टांगों की मरम्मत की जा रही थी के दौरान क्षति पहुंची थी। सभी तीनों रिगों की मरम्मत करा ली गई है। समुद्री तूफान के कारण रिग के क्षतिग्रस्त हो जाने पर मरम्मत कराने के सम्बन्ध में करीब 16.736 मि० अमरीकी डालर का व्यय हुआ। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने बीमा के प्रति करीब 14 करोड़ रुपए की राशि पहले ही प्राप्त कर ली है और इनके द्वारा बीमा के प्रति 9 करोड़ रुपए की राशि का और दावा विचाराधीन है।

शेष दो रिगों की मरम्मत पर हुआ खर्चा करीब 3.10 करोड़ रुपए था।

सार्वजनिक टेलीफोनों के लिए आवेदन पत्र

2514. **श्री सैयद मसुदल हुसैन** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सार्वजनिक टेलीफोनों के लिए राज्य-वार कुल कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार कितने आवेदन पत्र स्वीकृत हुए, कितने विचाराधीन हैं और कितने नामंजूर किए गए; और

(ग) लम्बित आदेदन-पत्रों को कब निपटाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पुरानी पन बिजली परियोजनाओं का नवीनीकरण और आधुनिकीकरण

2515. **चौधरी राम प्रकाश** : क्या ऊर्जा मंत्री तह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ताप विद्युत परियोजनाओं के आधुनिकीकरण की ही तरह पुरानी पन-बिजली परियोजनाओं का नवीनीकरण और आधुनिकीकरण करने का है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) देश में प्रचालनाधीन जल विद्युत केन्द्रों के नवीकरण और आधुनिकीकरण के लिए एक कार्यक्रम तैयार करने हेतु राष्ट्रीय जल विद्युत निगम के अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। समिति ने कुल 14030 मेगावाट की स्थापित क्षमता के 110 विद्युत केन्द्रों का सर्वेक्षण और समीक्षा की थी और अपने प्रतिवेदन में 60 विद्युत केन्द्रों के नवीकरण और क्षमता में वृद्धि करने की तथा 93 विद्युत केन्द्रों के आधुनिकीकरण की सिफारिश की थी। सीमित ने अनुमान लगाया है कि 305.18 करोड़ रुपए की अनुमान लागत से 3 से 4 वर्ष की अवधि के अन्दर नवीकरण और आधुनिकीकरण से स्थापित क्षमता में 527.81 मेगावाट की तथा प्रति वर्ष 395.87 मिलियन यूनिट ऊर्जा की वृद्धि होगी। कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए वित्त व्यवस्था को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

मिश्र की भेषज कंपनियों के साथ तकनीकी सहयोग

2516. **श्री हरिहर सोरन** :

श्री डा० जी० विजय रामा राव :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिश्र की कुछ भेषज कंपनियां आधारभूत औषधों के उत्पादन के लिए भारत से तकनीकी सहयोग मांग रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मिश्र की भेषज कंपनियों का मिश्र में अथवा भारत में आधारभूत औषध यूनिट स्थापित करने का विचार है; और

(घ) उनके मंत्रालय ने मिश्र की कंपनियों की इस पेशकश के उत्तर में क्या कार्यवाही की है ?

उद्योग मंत्रालय में रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर०के०जयचन्द्र सिंह) : (क) मिश्र की सरकारी क्षेत्र की भेषजीय कंपनियों के मुख्य कार्यकर्ताओं के एक पांच सदस्यीय शिष्टमंडल ने राज्य व्यापार निगम के नियंत्रण पर अक्तूबर, '987 में भारत का दौरा किया। किन्तु मूल औषधों के निर्माण के लिए तकनीकी सहयोग के लिए मिश्र की ओर से कोई विशिष्ट प्रस्ताव अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं।

(ख) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

औद्योगिक स्पर्धा

2517. **श्री एच० बी० पाटिल** : **क्या उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाजार की बिगड़ी हुई स्थति के कारण भारत विश्व की औद्योगिक स्पर्धा से बहुत पिछड़ गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई अध्ययन किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) विकास की प्रारम्भिक स्थिति में औद्योगिक विकास के लिए प्रेरक शक्ति आयात प्रतिस्थापन की थी। सरकार विकासशील उद्योगों का संरक्षण करने के लिए वचनबद्ध थी, इसलिए भारतीय उद्योग को बाह्य प्रतिद्वंदिता से अलग रखा गया। उसके बाद भारतीय उद्योग ने अपने आधार में विविधता लाकर परिपक्वता अर्जित कर ली। नई नीति में भारतीय उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिद्वन्द्विता में लाने पर बल दिया गया है। प्रौद्योगिकी को उन्नत करने तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसकी प्रतियोगिता में सुधार करने के लिए उद्योगों का निरंतर अध्ययन किया जाता है।

रेपसीड तेल का आयात और उसका राज्यों को आबंटन

2518. **श्रीमती विभा घोष गोस्वामी :** क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष, 1986 और अक्तूबर, 1987 तक की अवधि के दौरान रेपसीड तेल की कुल कितनी मात्रा का आयात किया गया;

(ख) आयातित रेपसीड तेल की राज्यवार मांग कितनी है; और

(ग) इस अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य को कितने रेपसीड तेल का आबंटन किया गया और वास्तव में तेल की कितनी मात्रा उपलब्ध कराई गई ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) निम्नलिखित मात्रा आयात की गई थी :—

तेल वर्ष (नवंबर-अक्तूबर)	मात्रा (मीटरी टनों में)
1985-86	1,57,830
1986-87	2,80,619

(ख) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र आयातित खाद्य तेल के बारे में अपनी कुल मांग तेल वर्ष के लिए सूचित करते हैं। तेल वर्ष, 1986-87 (नवम्बर-अक्तूबर) के लिए आयातित खाद्य तेल की राज्यवार मांग **सलग्न विवरण** I में दी दी गई है।

(ग) रेपसीड तेल का राज्यवर आबंटन तथा उसकी उठाई गई मात्रा संलग्न **विवरण** II में दी गई है।

विवरण-I

तेल वर्ष (नवम्बर-अक्तूबर) 1986-87 के लिए मांग

क्र० सं०	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का नाम	(मीटरी टनों में)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	2,01,000
2.	असम	7,200

1	2	3
3.	बिहार	17,280
4.	गुजरात	2,08,000
5.	हरियाणा	30,000
6.	हिमाचल प्रदेश	12,000
7.	जम्मू व कश्मीर	6,000*
8.	कर्नाटक	1,12,500
9.	केरल	57,000
10.	मध्य प्रदेश	62,000*
11.	महाराष्ट्र	2,30,000
12.	मणिपुर	5,960*
13.	मेघालय	8,400
14.	नागालैंड	12,000
15.	उड़ीसा	72,000
16.	पंजाब	21,6000
17.	राजस्थान	14,500
18.	सिक्किम	1,800
19.	तमिलनाडु	1,32,000
20.	त्रिपुरा	2,736
21.	उत्तर प्रदेश	19,200
22.	पश्चिम बंगाल	1,86,000
23.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	1,200
24.	अरुणाचल प्रदेश	450
25.	चण्डीगढ	1,200
26.	दादरा व नगर हवेली	1,080
27.	दिल्ली	35,000
28.	गोवा, दमण व दीव	5,640
29.	लक्षद्वीप	200
30.	मिजोरम	3,000
31.	पांडिचेरी	7,200
	कुल योग :	13,90,186

*राज्य से 1986-87 के लिए कोई मांग प्राप्त नहीं हुई। अतः 1986-87 के लिए मांग 1985-86 की मांग के ही स्तर पर ली गई है।

विवरण-II

1986 तथा 1987 (अक्तूबर, 1987 तक) में आयातित खाद्य तेलों का आबंटन तथा उनकी उठाई गई मात्रा

(मात्रा मीटरी टनों में)

क्र० सं०	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	1986 (जनवरी-दिसम्बर) आबंटन	1986 (जनवरी-दिसम्बर) उठाई गई मात्रा	1987 (जनवरी-अक्तूबर) आबंटन	1987 (जनवरी-अक्तूबर) उठाई गई मात्रा
1.	असम	2400	436	3400	1400
2.	बिहार	—	—	1200	1000
3.	हरियाणा	1900	1354	1400	1601
4.	हिमाचल प्रदेश	3360	2056	4850	3245
5.	जम्मू व कश्मीर	4575	2881	7000	3820
6.	मणिपुर	4650	3729	5100	4585
7.	मेघालय	3200	2676	2300	174
8.	नागालैण्ड	4810	2591	4900	4767
9.	राजस्थान	750	261	2700	578
10.	सिक्किम	1150	742	1110	458
11.	त्रिपुरा	2080	338	2170	488
12.	उत्तर प्रदेश	300	200	2100	725
13.	पश्चिम बंगाल	113500	86515	122200	97021
14.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	90	15	—	—
15.	अरुणाचल प्रदेश	460	49	680	107
16.	चण्डीगढ	—	—	20	—
17.	दिल्ली	12900	9254	11080	7592
18.	मिजोरम	2480	2289	2750	1379

पश्चिम बंगाल से दिल्ली के "स्पीड पोस्ट" लिए सेवा आरम्भ करना

2520. **श्री अनिल बसु :**

श्री सैफुद्दीन चौधरी :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के और अधिक स्थानों से दिल्ली नई/दिल्ली के लिए "स्पीड पोस्ट" सेवा आरंभ करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या सरकार का पश्चिम बंगाल में आसनसोल, रानीगंज, दुर्गापुर और वर्धमान में "स्पीड पोस्ट" सेवा आरंभ करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) जी नहीं, फिलहाल पश्चिम बंगाल के और क्षेत्रों से दिल्ली/नई दिल्ली के लिए द्रुत डाक सेवा आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को मद्देनजर रखते हुए, प्रश्न ही नहीं उठता है।

(घ) द्रुत डाक सेवा का विस्तार एक चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है जो द्रुत डाक व्यवस्था की संभावना अपेक्षित आधारभूत संरचना पर निर्भर करता है। इसके अलावा किसी विशेष शहर में द्रुत डाक सेवा प्रारम्भ करने का निर्णय लेते समय इस अतिरिक्त कार्यभार को करने के लिए मानव-शक्ति का उपलब्ध होना (चूंकि फिलहाल द्रुत डाक सेवा को नये पदों के सृजन पर लगी पाबंदी के कारण बिना किसी पद की मंजूरी के उपलब्ध मानव-शक्ति द्वारा संचालित किया जाता है) एक अन्य पहलू है। अतः प्रत्येक मामले में द्रुत डाक सेवा आरम्भ करने के प्रश्न की इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए जांच की जाती है। फिलहाल यह समझा जाता है कि पश्चिम बंगाल के ये शहर अर्थात आसनसोल, दुर्गापुर, और वर्धमान उपरोक्त दर्शायी गई शर्तों को पूरा नहीं करते हैं।

सड़क परिवहन को उद्योग घोषित करना

2521. **श्री मुल्लापली रामचन्द्रन** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सड़क परिवहन को एक उद्योग घोषित किए जाने का विचार है; और

(ख) इह सम्बन्ध में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव इस मंत्रालय में विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

दूर संचार इंजीनियरों और तकनीशियों की कमी

2522. **श्री यशवन्तराव गडाख पाटिल** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय दूर संचार इंजीनियरों और तकनीशियनों की कमी है;

(ख) क्या इनकी आवश्यकता का दीर्घकालीन ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इनके लिए मोजूदा प्रशिक्षण सुविधाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन सुविधाओं को बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं अथवा करने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) जी नहीं। कुछ मिलाकर कमी नहीं है।

(ख) जी हां।

(ग) परिसंपत्तियों की वृद्धि तथा कार्यभार संबंधी मानदंडों के मूल्यांकन के अनुसार किया जा रहा है।

(घ) दूरसंचार कार्मिकों के प्रशिक्षण के लिए विभाग में इस समय पर्याप्त प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध हैं। वरिष्ठ स्तर के दूरसंचार इंजीनियरों के प्रशिक्षण के लिए 2 उच्चस्तरीय प्रशिक्षण केन्द्र हैं तथा कनिष्ठ तकनीकी अधिकारियों तथा अन्य पर्यवेक्षकीय संवर्ग के कर्मचारियों के प्रशिक्षण केन्द्र 12 क्षेत्रीय दूरसंचार प्रशिक्षण केन्द्र हैं। अधीनस्थ तकनीकी तथा प्रचालन संवर्गों के प्रशिक्षण के लिए 21 जिला/सर्किल दूरसंचार प्रशिक्षण केन्द्र हैं।

(ङ) 5 क्षेत्रीय दूरसंचार प्रशिक्षण केन्द्रों को अतिरिक्त आधुनिक सुविधाओं के साथ जोनल दूरसंचार प्रशिक्षण केन्द्र के रूप में उन्नयन किए जाने का प्रस्ताव है।

आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन

2523. **डा० जी० विजय रामा राव** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवश्यक वस्तु अधिनियम में किए गए विशेष उपबंधों के कारण छोटे एवं बड़े सभी अपराधों को गैर-जमानती बना दिए जाने से ईमानदार व्यापारियों को हो रही अकारण कठिनाइयों एवं परेशानियों के बारे में कोई अभ्यावेदन मिले हैं;

(ख) क्या अपील सम्बन्धी क्षेत्राधिकार को न्यायपालिका के स्थान पर कार्यपालिका को हस्तांतरित किया गया है; और

(ग) क्या विभिन्न अभ्यावेदनों तथा निजी अनुभव के आधार पर सरकार इसमें कोई संशोधन करने पर विचार कर रही है ताकि इस अधिनियम का रिश्वत लेने के लिए अवलम्बन के रूप में उपयोग नहीं किया जा सके तथा इसके कारण भ्रष्टाचार में वृद्धि न हो ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) से (ग) जी हां। कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें यह सुझाव दिया गया है कि आवश्यक वस्तु (विशेष उपबंध), अधिनियम, 1981 के अंतर्गत आने वाले अपराधों को जमानती बनाया जाए और अपीली अधिकारिता न्यायिक प्राधिकारी के पास हो, राज्य सरकार के पास नहीं।

आवश्यक वस्तु (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 1981 को 1-9-1982 से पांच वर्ष की अवधि के लिए लागू किया गया था, जिसे अब 1-9-1987 से संसद के एक अधिनियम, अर्थात आवश्यक वस्तु (विशेष उपबन्ध) चालू रखने का अधिनियम, 1987 द्वारा पांच वर्ष की और अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है। अगस्त, 1987 में इस अधिनियम की अवधि बढ़ाते समय, प्राप्त हुए अभ्यावेदनो पर सम्यक रूप से विचार किया गया था।

आवश्यक वस्तु अधियियम में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

"दक्षेस" के सदस्य देशों के लिए खाद्यान्नों का रक्षित भंडार

2524. **श्री प्रकाश वी० पाटिल** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काठमांडू में अभी हाल ही में हुए "दक्षेस" सम्मेलन में सूखा अथवा बाढ़ की स्थिति

में सदस्य देशों द्वारा प्रयोग किए जाने के लिए खाद्यान्न का एक रक्षित भंडार बनाने का एक प्रस्ताव रखा गया था;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए तैयार की गई योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह रक्षित भंडार कब तक बनाया जाएगा और यह कब तक कार्य करने लगेगा ?

संसदीय कार्य, मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) हाल ही में काठमांडु में हुए तीसरे शिखिर सम्मेलन में "दक्षेस" के सदस्य देशों द्वारा 4-11-1987 को दक्षेस खाद्य सुरक्षा रक्षित भंडार बनाने के करार पर हस्ताक्षर किए गए थे।

(ख) रक्षित भंडार में गेहूं या चावल या दोनों का सम्मिश्रण होगा। रक्षित भंडार का आरम्भिक आकार 200,000 मीटरी टन होगा। प्रत्येक सदस्य देश को रक्षित भंडार के लिए अपने हिस्से के रूप में खाद्यान्नों की आवंटित मात्रा नियत करनी होगी। यह मात्रा उसे अपने देश के अन्दर रखनी होगी। भारत के लिए आवंटित अंश 153,200 मीटरी टन है। करार की शर्तों के अनुसार प्रत्येक सदस्य देश को आपातिक स्थिति में कुछेक शर्तों और कार्यविधि के अधीन रक्षित भंडार से खाद्यान्न लेने का अधिकार होगा।

(ग) यह करार दक्षेस की मंत्री परिषद द्वारा नियत की जाने वाली तारीख को लागू होगा बशर्ते कि सदस्य देशों ने करार के लिए उस तारीख को खाद्यान्नों की कम 125,000 मीटरी टन की मात्रा मिलकर निर्धारित की हो।

पश्चिम बंगाल में चिनाकुरी कोयला केन्द्र का आधुनिकीकरण

2525. **श्री नरसिंह सूर्यवंशी** :
श्री प्रताप राव बी० भोसले :

क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में चिनाकुरी कोयला केन्द्र का आधुनिकीकरण करने से सम्बन्धी अध्ययन करने के लिए जर्मन संघीय गणराज्य से सहायता प्राप्त करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में आगे क्या प्रगति हुई है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) और (ख) संघीय जर्मन जगणराज्य, ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० की चीनाकुरी कोलियरी की मोटी सीम में खनन कार्य के लिए बिजली चालित सपोर्ट वाली उपयुक्त खनन प्रणाली लागू करने के लिए जो साध्यता रिपोर्ट तैयार की जाएगी उसके लिए वित्तीय सहायता देने को सहमत हो गया है। यह साध्यता अध्ययन, अभी हाल ही में दिए गए एक ठेके के अधीन, जर्मनी की एक परामर्शी फर्म को सौंपा गया है।

नमक के स्टॉक

2526. **श्री विजय एन० पाटिल** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में नमक उत्पादक क्षेत्रों में नमक के स्टॉक में वृद्धि होती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो नमक के स्टॉक में वृद्धि होने के क्या कारण हैं; और

(ग) एकत्रित हुए नमक के स्टॉक को कम करने के लिए और इसकी आन्तरिक और निर्यात मांग बढ़ाने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) नमक के भण्डार में वृद्धि मुख्यतः नमक उत्पादन करने वाले प्रमुख राज्यों में पिछले तीन वर्षों में सूखे की परिस्थितियों के परिणामस्वरूप नमक निर्माण करने के मौसम में विस्तार के कारण हैं।

(ग) एकत्रित नमक के भण्डार को कम करने के लिए घरेलू तथा निर्यात मांग बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा किए गए कुछ उपाय, ये हैं :—

1. सोडा ऐश/कास्टिक सोडा के उत्पादन के लिए नये औद्योगिक एककों को लाइसेंस दिए गए हैं। नमक की खपत बढ़ाने के लिए विद्यमान एककों को अपना उत्पादन अधिकतम सीमा तक बढ़ाने के लिए कहा गया है।

2. नमक निर्माण के लिए भूमि के नये अधिन्याय को दो वर्ष के लिए स्थगित कर दिया गया है।

3. सामान्य नमक के निर्यात का विमार्गीकरण (डिकेनेलाइज्ड) करके खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत लाया गया है।

महाराष्ट्र में डिजिटल इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज के उपकरण लगाना

2527. **श्री अशोक शंकरराव चव्हाण** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन सेवाओं में सुधार करने के लिए डिजिटल इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज के उपकरण आयात किए जा रहे हैं और देश के जिला मुख्यालयों में स्थापित किए जा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो महाराष्ट्र के उन जिला मुख्यालयों के नाम क्या हैं जहां डिजिटल इलैक्ट्रानिक उपकरण प्राथमिकता के आधार पर स्थापित किए जा रहे हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) जी हां। कम क्षमता के डिजिटल एक्सचेंजों का सीमित मात्रा में आयात किया जा रहा है तथा उन्हें कुछ जिला मुख्यालयों और कस्बों में संस्थापित किया जा रहा है।

(ख) महाराष्ट्र के जिस जिला मुख्यालयों में एन०ई०ए० एक्स० टाइप के इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज का संस्थापन किए जाने का प्रस्ताव है उसका नाम है गाडचिरोली।

[हिन्दी]

उदयपुर में सीमेंट कारखाने की स्थापना करना

2528. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत नेपाल सहयोग से हिमालय की तलहटी में उदयपुर में एक सीमेंट कारखाना स्थापित करने के लिए वर्ष 1984 में कोई समझौता हुआ था; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी संक्षिप्त ब्यौरा क्या है और इसके कार्यान्वयन के संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) नेपाल में उदयपुर में एक सीमेंट कारखाना लगाने के एक प्रस्ताव को प्रारम्भ में 1977 में

भारत और नेपाल के उद्योग मंत्रियों के बीच हुए समझौते में शामिल किया गया था। फलस्वरूप, इस परियोजना को संयुक्त उद्यम के रूप में कार्यान्वित करने की सम्भावनाओं का पता लगाया गया था। इस परियोजना के जीव्यता अध्ययन और संवेदनशीलता विश्लेषण से यह पता चला कि संयुक्त उद्यम परियोजना वाणिज्यिक दृष्टि से जीव्य नहीं होगी। अत: इस परियोजना को कार्यान्वित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

आन्ध्र प्रदेश में अस्थायी टेलीफोन कनेक्शन

2529. **श्री एस० पलाकोंड्रायुडू** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में आंध्र प्रदेश में मंजूर में किए गए—अस्थायी टेलीफोन कनेक्शनों की वर्ष-वार कुल संख्या क्या है;

(ख) आंध्र प्रदेश में सिकंदराबाद, हैदराबाद, विजयवाड़ा और विशाखापत्तनम में मंजूर किए गए और नामंजूर किए गए अस्थायी टेलीफोन कनेक्शनों की कुल संख्या क्या है; और

(ग) वर्ष 1984-85, 1985-86 और 1986-87 में उक्त आवेदन नामंजूर किए जाने का क्या कारण थे ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) अपेक्षित जानकारी नीचे दी गई है :—

वर्ष	मंजूर किए गए अस्थाई टेलीफोन कनेक्शनों की सं०
1984-85	479
1985-86	512
1986-87	599

(ख) 1984-85, 1985-86 और 1986-87 के दौरान स्वीकृत/अस्वीकृत किए गए स्थाई टेलीफोन कनेक्शनों की कुल संख्या इस प्रकार है :—

स्थान	अस्थाई टेलीफोन कनेक्शनों की कुल संख्या	
	स्वीकृत	अस्वीकृत
सिकन्दराबाद-हैदराबाद	725	1,146
विजयवाड़ा	212	शून्य
विशाखापट्टनम	173	शून्य

(ग) इसका कारण एक्सचेंजों की क्षमता पूर्ण होना तथा तकनीकी दृष्टि व्यवहार्य न होना है।

सीमेंट का आयात

2530. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1 अप्रैल, 1986 को तथा 1 अप्रैल, 1987 को सीमेंट उद्योग की अधिष्ठापित क्षमता कितनी थी;

(ख) वर्ष 1986-87 और 1987-88 (अब तक) के दौरान सीमेंट का कितनी मात्रा में आयात तथा निर्यात किया गया; और

(ग) क्या गत एक वर्ष के दौरान कारखाना-बाह्य मूल्य में कोई कमी हुई है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एन० अवणाचलम) : (क) सीमेंट उद्योग की अधिष्ठापित क्षमता निम्नलिखित है :—

तिथि	अधिष्ठापित क्षमता (लाख मी० टन में)
1-4-1986	443.9
1-4-1986	537.5

(ख) **आयात** : सीमेंट की सुगम उपलब्धता को देखते हुए, विशेष अन्तिम प्रयोक्ताओं की विशिष्ट मांग को पूरा करने के लिए कुछ विशेष प्रकार के सीमेंट के अलावा वित्तीय वर्ष 1986-87 से किसी आयात की अनुमति नहीं दी गई है । तथापि, 1985-86 के दौरान सरकार द्वारा प्राधिकृत 5.00 लाख मी० टन कुल आयात के शेष के रूप में 1986-87 में भारतीय राज्य व्यापार निगम के माध्यम से 1.76 लाख मी० टन सामान्य ग्रे पोर्टलैंड सीमेंट का आयात किया गया था ।

निर्यात : भारत-नेपाल व्यापार सन्धि के अन्तर्गत केवल नेपाल को सीमेंट का निर्यात किया जाता है, जिसके ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

वर्ष	मात्रा
1986-87	00.45 लाख मी० टन
1987-88 (अक्तूबर, 87)	शून्य

(ग) जी, नहीं । इसके विपरीत लेवी सीमेंट के संधारण मूल्य में 15 दिसम्बर, 1986 से 24.50 रु० प्रति मी० टन वृद्धि हुई थी । गैर-लेवी सीमेंट के मूल्य और वितरण पर कोई नियंत्रण नहीं है तथा इसका मूल्य उत्पादन लागत और बाजार प्रवृतियों द्वारा निर्धारित होता है ।

दूरसंचार विस्तार योजना के कार्यान्वयन के लिए प्रशिक्षित कर्मचारी

2531. **श्रीमती माधुरी सिंह** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरसंचार विस्तार योजनाओं की कार्यान्वित करने के लिए कितने तकनीशियन, इंजीनियर और प्रबन्धक उपलब्ध हैं; और

(ख) कर्मचारियों की कमी की स्थिति में सरकार का समुचित प्रशिक्षित कर्मचारियों की मांग और उपलब्धता के इस अन्तर को किस प्रकार पूरा करने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) और (ख) आंकड़े एकत्र किए जा रहे हैं और सभा पटल पर रख दिए जाएंगे ।

मध्य प्रदेश में नए इलैक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज और स्वचालित ट्रंक एक्सचेंज

2532. **श्री भानु प्रताप शर्मा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, रीवा, जबलपुर, रायपुर, बिलासपुर और सागर शहरों में नये इलैक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज और स्वचालित ट्रंक एक्सचेंज लगाए जाएंगे; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कार्यवाही योजना का ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) भोपाल, इन्दौर, जबलपुर और रायपुर में नये इलैक्ट्रानिक स्थानीय और ट्रंक आटोमेटिक एक्सचेंज (टी०ए०एक्स०) प्रणाली के उपस्कर लगाए जाएंगे। रीवा में एक नया इलैक्ट्रानिक स्थानीय एक्सचेंज प्रदान करने की योजना है। ग्वालियर में इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज सुलभ कराने का प्रस्ताव विचाराधीन है। बिलासपुर और सागर के लिए कोई योजना नहीं है।

(ख) ब्यौरे संलग्न **विवरण** में दिए गए हैं।

विवरण

मध्य प्रदेश में जिन नए इलैक्ट्रॉनिक एक्सचेंजों और टी० ए० एक्स० की योजना बनाई गई है उनकी सूची

स्थान	एक्सचेंज की किस्म	क्षमता	सप्लाई कार्यक्रम
भोपाल	स्थानीय	4000 लाइनें	1986-87
	स्थानीय	4000 लाइनें	1988-89
	टी० ए० एक्स०	4000 लाइनें विस्तार	
	टी० ए० एक्स०	1000 लाइनें मुख्य	1986-87
		500 लाइनें विस्तार	1987-88
रायपुर	स्थानीय	3000 लाइनें	1988-89
	स्थानीय	3000 लाइनें विस्तार	1988-89
	टी० ए० एक्स०	1000 लाइनें मुख्य	1986-87
जबलपुर	स्थानीय	4000 लाइनें मुख्य	1988-90
	स्थानीय	1000 लाइनें विस्तार	1989-90
	टी० ए० एक्स०	1200 लाइनें मुख्य	1988-89
इन्दौर (ट्रांस्पोर्ट नगर)	स्थानीय	10,000 लाइनें मुख्य	1988-89
इन्दौर (नेहरू पार्क)	स्थानीय	6000 लाइनें मुख्य	1988-89
	स्थानीय	4000 लाइनें विस्तार	1988-89
	टी० ए० एक्स०	1000 लाइनें मुख्य	1988-89
रीवा	स्थानीय	1200 लाइनें	1988-89

इलैक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंजों की स्थापना

2533. **श्री चिन्तामणि जैना** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन शहरों में इलैक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज की सुविधा प्रदान की गई है;

(ख) इन शहरों में अब तक कितने इलैक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किए गए हैं;

(ग) देश में और अधिक इलैक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने के बारे में सरकार के क्या कार्यक्रम हैं; और

(घ) किन शहरों का चयन किया गया है तथा ये एक्सचेंज कब तक स्थापित किए जाएंगे ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) निम्नलिखित शहरों में इलेक्ट्रोनिक टेलीफोन एक्सचेंजों की सुविधा प्रदान कर दी गई है :—

बंबई, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, बेंगलूर, अहमदाबाद, हैदराबाद, कानपुर, पठानकोट, श्रीगंगानगर, सिरसा, गांधीधाम, कुरनूल, बेरावल, डिब्रूगढ़, इम्फाल, करुर, गुड़गांव, दुलवर्गा, छंगनचेरी, पालीमारवाड़, उदीप्पी, पोरबन्दर, तिनसुखिया, वियावर, मेहसागणा, गया, खन्ना, मागो, कलामबली, अलवर, जोरहाट, श्रीनगर, गांधीनगर, अवोहर, अरमूर, कोटवागुदम, रामचन्द्रपुरम, बाजपे, येलबाल, कलपाटा, मन्नार, धार, बालघाट, गुना, शिवपुरी, हाफ्लांग, लूंगलेह, हमीरपुर, कुल्लु, क्योंझर, धेनकनाल, छत्तरपुर, डुंगरपुर, टोंक, झुनझुनु, पिथौरागढ़, उरई, सुलतानपुर, रानीखेत, सेंथिया, ताम्बरम, बैकान, ऊझानी, कोसीकलां, अल्मोड़ा नैनीताल, वृन्दावन, सादाबाद, गोवर्धन, रुद्रपुर, चुरहाट, कित्तौर, उदयामपेरुर, और हेब्बागुडी।

(ख) अब तक स्थापित इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों की संख्या इस प्रकार है :—

शहर का नाम	मुख्य इलैक्ट्रानिक एक्सचेंजों की संख्या
1	2
अहमदाबाद	2
बंबई	13
कलकत्ता	5
दिल्ली	14
हैदराबाद	2
कामपुर	1
मद्रास	2
पठानकोट	1
श्रीगंगा नगर	1
सिरसा	1
गांधीधाम	1
कुरनूल	1
बेराबल	1
डिब्रूगढ़	1
इम्फाल	1
करुर	1
गुड़गांव	1
गुलबर्गा	1

1	2
छंगनचेरी	1
पालीमारका	1
उदीप्पी	1
पोरबन्दर	1
तिनसुखिया	1
वियावर	1
मेहसाणा	1
गया	1
खन्ना	1
मार्गो	1
कलामबाली	1
अलवर	1
जीरहाट	1
श्रीनगर	1
गांधीनगर	1
अबोहर	1
अरमूर	1
कोटवागुदम	1
रामचन्द्रपुरम	1
बाजपे	1
येलबाल	1
कलपेट्टा	1
मन्नार	1
धार	1
बालघाट	1
गुना	1
शिवपुरी	1
हाफलांग	1
लुंगलेह	1
हम्मीरपुर	1
कुल्लू	1
क्योंझर	1
धेनकनाल	1
दत्तरपुर	1
डुंगरपुर	1
टोंक	1

1	2
झुनझुनू	1
पिथौरागढ़	1
उरई	1
सुलतानपुर	1
रानीखेत	1
सेंथिया	1
ताम्बरम	1
वैंकान	1
कोसीकलां	1
अल्मोड़ा	1
नैनीताल	1
वृन्दावन	1
सादाबाद	1
गोवर्धन	1
चुरहाट	1
कित्तौर	1
उदयामपेरुर	1
हेब्बागुडी	1
ऊझानी	1
रुद्रपुर	1

(ग) सरकार ने सातावीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के दौरान 178 और इलैक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने की योजना बनाई है।

(घ) सातवीं पंचवर्षी योजना अविध के दौरान इलैक्ट्रीनिक टेलीफोन एक्सचेंज की स्थापना के लिए निम्नलिखित शहरों को चुना गया है :—

अमृतसर, कलकत्ता, नौएडा, बदरपुर, विशाखापत्तनम, हैदराबाद, गाजियाबाद, कानपुर, मद्रास, अहमदाबाद, बेंगलूर, पूणे, भोपाल, रायपुर, भुवनेश्वर, दिल्ली, बंबई, लुधियाना, जयपुर, पटना, रांची, राजकोट, जोधपुर, जालंधर, गुवाहाटी, सूरत, त्रिची, विजयवाड़ा, हसन, वाराणसी, दुमका, हाजीपुर, मधुबनी नवादा, पूर्णिया, कीडिनार (खेरा), कथवा, बैतूल, दतिया, खरगोन, माण्डला, शाहजहांपुर, टीकमगढ़, अम्बिकापुर, भिण्ड, मनगाड़, धातर, मनगांव, ईटानगर, बिलासपुर, नाहन, ऊना, चम्बा, कोरापुर, फूलबनी, सुन्दरगढ़, वारीपाड़ा, जालौर, जैसलमेर, झालाबाड़, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, (आर०एस०) सिरोही, बूंदी, फतेहपुर, गाजीपुर, ललितपुर, पौड़ी, बांदा, अलीपुरद्वार सूरजपुर, पाल्टा, कोचीन, भद्राचलम, ताडिपत्री, गुलाबगाग, सीतामढ़ी, जामखण्डी कुमटा, तिप्तुर झाबुआ, रीवा, सिद्दी, पीतमपुर (धार), छिंदवाड़ा, जगदलपुर, परवारनगर, महाड़, एजबाल, करमीगंज, हेलाकामड़ी, दिफू, गौराया, पलवल, सामलखां, सानेवाल, मकराणा, नागौर, गुडालौर, गुमोडीपुण्डी, सानीपेट, तूतीकोरिन, पोर्ट ट्रस्ट, शिवगंगा, बड़ौत, खुरजा, सिकन्दराबाद, वैतू, पंचपादरा, सामधारी, स्वेतवाना, सिन्धरी,

बाड़मेर, मीकाकचुंग, तुंगसंग, खिपरे, पारेन, चुमुखदीमा, रामनगर, कासीपुर, किटचा, रेनीगुण्टा, राया, कोटखै, चण्डीगढ़ और मुराईमालिननगर।

बल्क औषधों के फार्मूलेशन्स बनाना

2534. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औषधियों का निर्माण करने वाली कुछ कंपनियों ने बल्क औषधों के फार्मूलेशनों का निर्माण बन्द कर दिया है जिसके फलस्वरूप उन औषधों की कमी हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इन औषधों की मांग पूरी करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) क्या सरकार ने इन कंपनियों को इसकी अनुमति दी है और यदि नहीं, तो इन औषधि के फार्मूलेशनों का निर्माण बन्द करने के लिए उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मंत्रालय में रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) जहां तक सूचना उपलब्ध है, ऐसे कोई भी मामले सरकार की जानकारी में नहीं आए हैं।

(ख) के (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के वितरकों को औषधियों की पूर्ति

2535. **डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लि० के वितरकों को नियमानुसार अग्रिम धनराशि जमा करवाने के बावजूद भी निर्धारित समय के अन्दर कुछ औषधियों अन्य सामग्रियों की पूर्ति नहीं की गई थी, और वितरकों द्वारा इस जमा धनराशि को वापस मांगे जाने पर वापस नहीं किया गया जिससे वितरकों में सरकार और इंडिया ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड के विरुद्ध भारी असंतोष है;

(ख) इन वितरकों के क्या नाम हैं और उनके द्वारा जमा की गई धनराशि ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का इन वितरकों को जमा धनराशि को शीघ्र वापस करने के लिए कदम उठाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक ?

उद्योग मंत्रालय में रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) इसके बारे में सरकार को किसी भी वितरक से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। ये कंपनी के दैनिक वाणिज्यिक लेने-देन के मामले हैं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

पोलियो रोधी टीकों की कमी

2536. **श्री मोहन भाई पटेल** :

श्रीमती गीता मुखर्जी :

श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश के बहुत से मामले में विशेषकर गुजरात, अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह और पश्चिम बंगाल में पोलियो प्रतिरक्षण के लिए पोलियो रोधी टीकों की भारी कमी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) देश में इन टीकों की आसानी से उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा क्या उपाया किए जा रहे हैं ?

उद्योग मंत्रालय में रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) और (ख) आयातित टीके परीक्षण की संशोधित पद्धति के अंतर्गत निर्धारित मानकों के अनुसार न होने के कारण जून, 1987 के बाद देश में पोलियो के टीकों की सामान्यतः कमी आई।

मैसर्स रेडिक्युरा फार्मा दिल्ली से प्राप्त सूचना के अनुसार गुजरात, अण्डमान व निकोबार द्वीपों और पश्चिम बंगाल को पोलियो के टीकों की निम्नलिखित मात्रा की आपूर्ति की गई :—

गुजरात-10, 19000 खुराक, अण्डमान व निकोबार-5000 खुराक, पश्चिम बंगाल 200,000 खुराक।

(ग) स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा अक्तूबर, 1987 से सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को आपूर्ति पुनः आरंभ कर दी गई है।

मूल्य नियंत्रण के लिए औषधियों की सिफारिश

2537. **श्री राजकुमार राय** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए आवश्यक लगभग 90 औषधियों के मूल्य को नियंत्रित करने की सिफारिश की गई है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी औषधियों को मूल्य नियंत्रण के अन्तर्गत लाया गया है तथा शेष औषधियों को कब तक मूल्य नियंत्रण के अन्तर्गत लाया जाएगा;

उद्योग मंत्रालय में रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) और (ख) मूल्य नियंत्रण के लिए श्रेणी I में शामिल की गई औषध स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की सिफारिशों पर आधारित है और औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1987 में दी गई है। जिसकी प्रतियां 27 अगस्त 1987 को सदन के पटल पर रखी गई थी।

केरल में नारियल जटा उद्योग को वित्तीय सहायता

2538. **श्री के० कुन्जम्बु** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में नारियल जटा उद्योग को बचाने के लिए क्या विशिष्ट उपाय किए जा रहे हैं; और

(ख) वर्ष 1987-88 के दौरान सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए कितनी राशि की वित्तीय सहायता दी गई ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) कयर बोर्ड, केरल सहित अन्यत्र कयर उद्योग का संवर्द्धन करने के लिए विभिन्न योजनाएं अर्थात् (1) सहकारीकरण योजना (2) लघु क्षेत्र के निर्माण करने वाले एककों के वर्कशेड (3) कयर यार्न तथा कयर उत्पादों (रबड़ीकृत कयर को छोड़कर) की बिक्री पर छूट (4) कयर उत्पादों पर नगद क्षतिपूर्ति सहायता कार्यान्वित कर रहा है। इसके अलावा अनुसंधान तथा विकास, बाजार सर्वेक्षण तथा निर्यात संवर्धन, कयर बोर्ड द्वारा किए जा रहे कुछ अन्य उपायों में से हैं जिनका उद्देश्य भी कयर उद्योग का विकास करना है।

(ख) केरल की विभिन्न योजनाओं सहित योजनागत योजनाओं को सहायता प्रदान करने हेतु वर्ष 1987-88 के लिए 410 लाख रु० राशि प्रदान की गई है।

खादी का उत्पादन

2539. **श्री कमला प्रसाद सिंह** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना में खादी के के उत्पादन का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था तथा वास्तविक उत्पादन कितना हुआ; और

(ख) सांतवी पंचवर्षीय योजना के दौरान क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है तथा अब तक कितना उत्पादन हुआ है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत खादी के लिए निर्धारित किए गए लक्ष्य तथा वास्तविक उत्पादन निम्नलिखित हैं :—

		छठी योजना
	लक्ष्य (आवधिक वर्ष 1984-85)	**वास्तविक उत्पादन (1984-85)**
मात्रा		
10 लाख वर्ग मीटरों में	165.00	103.98
मूल्य (करोड़ रु० में)	200.00	157.62

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान खादी के लिए निर्धारित लक्ष्य और अब तक उत्पादन निम्न प्रकार है :—

	सातवीं योजना				
	लक्ष्य (आवधिक वर्ष 1989-90)	1985-86 लक्ष्य	1985-86 वास्तविक उत्पादन	1986-87 लक्ष्य	वास्तविक उत्पादन (अनंतिम)
मात्रा (10 लाख वर्ग मीटरों में)	180.00	133.01	104.98	144.16	106.42
मूल्य (करोड़ रु० में)	300.00	208.00	195.01	227.00	201.95

तमिलनाडु में ग्रामीण परिवार भंडारण सुविधाओं और खाद्य पदार्थों को संशोधित करने के लिए खाद्य और कृषि संगठन के साथ समझौता

2540. **श्री वी० तुलसीराम** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु में ग्रामण परिवार भंडारण सुविधाओं के सुधार और खाद्य पदार्थों को संसाधित करने के लिए खाद्य और कृषि संगठन के साथ कोई समझौता किया गया है;

(ख) यदि हां, तो समझौते का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आंध्र प्रदेश में भी ऐसी सुविधाओं के लिए खाद्य और कृषि संगठन के साथ ऐसा ही एक और समझौता करने का कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) जी हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) जी नहीं।

(घ) खाद्य विभाग को न तो राज्य सरकार/आन्ध्र प्रदेश के संस्थानों और न ही खाद्य और कृषि संगठन से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

विवरण

"तमिलनाडु में चुनिंदा खण्डों में ग्रामीण इलाकों में परिवारों द्वारा खाद्यों के भंडारण और खाद्यों के विधायन में सुधार करने विषयक परियोजना" के बारे में खाद्य और कृषि संगठन और भारत सरकार के बीच हुए करार का ब्यौरा।

उद्देश्य

विकास से संबंधित उद्देश्य : तमिलनाडु में मध्यम और छोटे किसानों पर विशेष ध्यान देते हुए कटाई उपरान्त खाद्य की हानियों को कम करना।

तात्कालिक उद्देश्य निम्नानुसार हैं :—

1. विधायन और भंडारण की नयी तकनीकों को शुरू कर तमिलनाडु में 100 गांवों में कटाई उपरान्त खाद्य की हानियों को कम करने के लिए किसानों की क्षमता में सुधार लाना ।
2. ग्राम-स्तर की महिला कामगारों को सौंपे गए कार्यों में कटाई उपरान्त टैक्नोलोजी को सम्मिलित कर कटाई उपरान्त हानियों को कम करने के लिए एक अनवरत कार्यक्रम चलाना ।

गतिविधियां और उत्पादन

इस परियोजना द्वारा :

1. एक अथवा दो खंडों में 100 गांवों के ग्राम स्तर के सभी कामगारों के लिए दो चरणों में और 4 समूहों में प्रत्येक एक मास की अवधि के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाए जाएंगे ताकि गरीब किसानों के घरों पर विशेष ध्यान देते हुए खाद्यान्नों की कटाई उपरान्त हानियों को कम करने तथा खाद्यान्नों के विधायन के बारे में किसान परिवारों के सदस्यों का मार्गदर्शन करने के लिए उन्हें लैस किया जा सके । अनुमात: 200 महिला विस्तार कामगारों को प्रशिक्षित किया जाएगा ।
2. कटाई उपरान्त हानियों को कम करने और खाद्यान्नों का विधायन करने के लिए एक एक विस्तार कार्यक्रम को कार्यान्वित करेगी जिसमें मोटे अनाजों पर बल दिया जाएगा और यह चुनिदा खण्डों के 100 गांवों में विस्तार कार्यक्रम को जारी रखेगी ताकि गांवों के के निर्धन और भूमिहीन परिवारों सहित सभी परिवारों के साथ सम्पर्क किया जा सके और उन्हें शिक्षित किया जा सके । विशेष रूप से पी०एफ०एल०आई०एन०डी०/001 परियोजनाओं द्वारा शुरू की गई साधारण भंडारण तकनीकों का प्रसार प्रस्तर किया जाएगा ।
3. परियोजना गतिविधियों के लिए सहभागिता निगरानी प्रणाली शुरू की जाएगी और परियोजना गतिविधियों का मूल्यांकन किया जाएगा ।
4. इस कार्य के आधार पर तमिलनाडु के सभी खंडों में विस्तार कामगारों के इस्तेमाल के लिए स्थानीय भाषाओं में एक पुस्तिका तैयार की जाएगी ।
5. सर्वेक्षण किया जाएगा और वर्तमान पद्धतियों, हानियों का अध्ययन किया जाएगा तथा ग्रामीण इलाकों में परिवार द्वारा खाद्यानों के भंडारण और खाद्यान्नों, फलों, सब्जियों, कन्द-मूलों का विधायन में सुधार करने विषयक तरीकों के बारे में विचार किया जाएगा और संगत तकनीकों को लागू करने के लिए कारंवाई शुरू की जाए । इस अध्ययन में प्रयुक्त कीटनाशकों की अवशेष मात्रा का निर्धारण करना शामिल है ।

कार्य योजना :

कार्य योजना में परियोजना को प्रारम्भ करते समय निर्धारित की जाने वाली तारीखों से तीन मुख्य चरणों की परिकल्पना की गई है । फिर भी, प्रशिक्षणार्थियों के विभिन्न समूहों के लिए एक चरण से दूसरे चरण में उसी समय शिफट करना आवश्यक नहीं है क्योंकि उन्हें प्रशिक्षित करने के तुरन्त बाद कारंवाई कार्यक्रम पर कार्य करने के लिए लगाना वांछनीय है ।

चरण—1 (अनुमानतः 12 महीने)—**ग्राम स्तर के कामगारों को प्रशिक्षण प्रदान करना।**

प्रशिक्षण कार्यक्रम और पुस्तिका तैयार हो जाने के बाद कम से कम 200 कामगरों अथवा प्रत्येक गांव से 2 कामगारों को प्रत्येक एक महीने की अवधि में 4 से 6 प्रशिक्षण सत्रों में प्रशिक्षत किया जाएगा जिससे चुनिंदा खंडों में प्रत्येक सत्र में 30 से 50 कामगार प्रशिक्षित हो जाएंगे।

चरण—2 (अनुमानतः 18 महीने) —**कारंवाई कार्यक्रम का कार्यान्वयन।**

ग्राम स्तर के प्रक्षिक्षित कामगार अपने-अपने गावों में निम्नलिखित पहलुओं के बारे में कारंवाई कार्यक्रम को शुरू करेंगे :—

1. वर्तमान भंडारण ढांचों, विधियों, खाद्य विधायन कार्यविधियों और उन पर ग्रामीण परिवारों की राय जानने के लिए सर्वेक्षण।

2. उन्नत प्रौद्योगिकी के बारे में ग्रामीण महिलाओं को सुशिक्षित करना और प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना।

3. नये साधारण भंडारण के ढांचे के बारे में जानकारी का प्रचार प्रसार करना और छोटे किसानों के घरों के लिए उनकी उपयोगिता का मूल्यांकन करना, और छोटे किसानों के घरों के लिए भंडारण ढांचों का निर्माण करने अथवा उनका उच्च श्रेणीकरण करने में सहायता प्रदान करना।

4. इस परियोजना की योजना, उसके कार्यान्वियन और मूल्यांकन में ग्रामीण घरों को शामिल करना ताकि सहभागिता निगरानी प्रणाली के माध्यम से पुनर्निवेशन और उन्नत प्रणाली विज्ञान की व्यवस्था की जा सके।

5. निष्कर्षों के अनुसार उपचारित अनाज में विषैले अवशेषों की मानीटरिंग करना और परियोजना तकनीकों को अपनाना।

प्रशिक्षण और अनुसंधान कार्मिक कुल 100 गांवों में कारंवाई कार्यक्रम की सभी अवस्थाओं में ग्राम स्तर के कामगारों को वैज्ञानिक सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करेंगे।

चरण—3 (अनुमानतः 6 महीने)—**मूल्यांकन और रिपोर्टें**

विस्तार सामग्री और परियोजना परिणामों को तैयार करना। यह विभिन्न पुस्तिकाएं तैयार कर तथा एक खंड में किए गए मूल्यांकन के आधार पर विस्तृत सूचना सुलभ कर किया जाएगा ताकि खंड की अन्तर्निहित गतिविधि के रूप में राज्य में स्थित सभी खंडों में कार्यान्वियन हेतु एक एक निश्चित योजना का विकास किया जा सके।

रिपोर्टिंग

खाद्य और कृषि संठगन द्वारा सरकार को प्रस्तुत करने के लिए प्रत्येक छमाही में राष्ट्रीय परियोजना समन्वयक द्वारा प्रगति रिपोर्टें तैयार की जाएंगी। इन रिपोर्टों में नियत गतिविधियों के बारे में ब्यौरा दिया जाएगा और ऐसे आंकड़े दिए जाएंगे जिनके आधार पर परियोजना के तात्कालिक उद्देश्यों के बारे में हुई प्रगति का मूल्यांकन किया जाएगा। परियोजना की समाप्ति के चार मास पूर्व राष्ट्रीय परियोजना समन्वयक द्वारा टर्मिनल रिपोर्ट का मसौदा तैयार किया जाएगा, और उसको खाद्य और कृषि संगठन द्वारा अन्तिम रूप दिया जाएगा। इस रिपोर्ट में मोटे तौर पर इस बात का जायजा लिया जाएगा

कि परियोजना की अनुसूची में उल्लिखित गतिविधियों को किस हद तक पूरा कर लिया गया है, उनका क्या फल मिला है, उसके तात्कालिक उद्देश्यों को पाया कर लिया गया है। संगत विकास उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उसके परिणामों को इस्तेमाल किया गया है, और रिपोर्ट में इस परियोजना से से उत्पन्न होने वाले किसी भावी कार्य पर सिफारिशें की जाएंगी।

खाद्य और कृषि संगठन द्वारा सुलभ किए जाने वाले आदान

खाद्य और कृषि संगठन द्वारा निम्नलिखित आदान सुलभ किए जाएंगे :—

1. परियोजना का कार्यान्वयन करने के लिए संस्थानों और कार्मिकों को ठेके और मानदेय देना।
2. कार्मिकों और विस्तार कामगारों के लिए प्रशिक्षण की लागत।
3. सहायक कार्मिक : दो ड्राइवर, आवश्यक लिपिकीय सेवाएं।
4. प्रशिक्षण में तथा गांवों में विस्तार और प्रदर्शन गतिविधियों में इस्तेमाल करने के लिए साधारण उपकरणों और सामान की व्यवस्था। ग्राम प्रशिक्षण सत्रों में प्रशिक्षणार्थियों द्वारा निदर्शन यूनिट से सुसज्जित एक वाहन का इस्तेमाल किया जाएगा।

सरकार का अंशदान*

सरकार निम्नलिखित आदान उपलब्ध करेगी :—

—दोनों वाहनों (एक पी०एफ०एल०/आई०एन०डी०/001 द्वारा और एक इस परियोजना द्वारा सुलभ किया जाएगा) के लिए ईंधन, उनके रख-रखाव और बीमा आदि।

—बिल्डिंग, सप्लाइज और उपकरण। कालेज द्वारा प्रशिक्षण तथा प्रयोगशाला कार्य के लिए सुविधाएं मुहैया की जाएंगी।

सरकारी आदानों को गृह विज्ञान महाविद्यालय की जिम्मेरारी में सौंपा जाएगा।

*(उपर्युक्त आदानों को सरकार के अंशदान के रूप में श्री अविनाशलिंगम, महिला गृह विज्ञान महाविद्यालय, कोयतम्बतूर, तमिलनाडु द्वारा सुलभ किया जाएगा)।

परियोजना का बजट

कोड,	व्यय का प्रयोजन	कुल अमरीकी डालर	पहला वर्ष अमरीकी डालर	दूसरा वर्ष अमरीकी डालर	तीसरा वर्ष अमरीकी डालर
1	2	3	4	5	6
10.	**कार्मिक सेवाएं**				
	परियोजना समन्वयक (3एम०/एम० प्रति वर्ष)	15,000	5,000	5,000	5,000
	4 शिक्षण स्टाफ (4 एम०/एम० प्रति वर्ष)				
	1 सचिव (अंशकालिक)				
	2 ड्राइवर				

1	2	3	4	5	6
30. संविदागत सेवाएं					
	रिपोर्टें	3,500	—	—	3,500
40. सामान्य परिचालन व्यय		2,500	1,000	1,000	500
50. सप्लाईज और सामान					
	प्रशिक्षण, विस्तार और निदर्शन, कीटनाशकों, बोरियों के लिए सामग्री और स्थानीय इमारती सामान	10,000	3,500	3,500	3,000
60. उपकरण					
	1. 4 पहियों से चलने वाला वाहन	12,000	12,000	—	—
	जोड़ :	43,000	21,500	9,500	12,500

बिहार की रुग्ण चीनी मिलों को सहायता

2541. **श्री ललितेश्वर प्रसाद शाही :**

डा० गौरी शंकर राजहंस :

क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने राज्य चीनी निगम के प्रबन्धाधीन चल रही रुग्ण चीनी मिलों के आधुनिकीकरण और उनके विस्तार के 100 करोड़ रुपए से अधिक केन्द्रीय सहायता की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीयक सरकार स्थिति से निपटने के लिए यह सहायता देने के लिए सहमत हो गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) बिहार राज्य चीनी निगम के प्रबन्ध के अधीन चीनी मिलों से चीनी विकास निधि से ऋण सहायता के लिए कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

[हिन्दी]

औद्योगिक संस्थानों द्वारा सीमावर्ती पहाड़ी क्षेत्रों में पूंजी निवेश

2543. **श्री हरीश रावत** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के पहाड़ी क्षेत्रों में विभिन्न औद्योगिक संस्थानों द्वारा कितने प्रतिशत पूंजी निवेश किया गया है और यह प्रतिशत किस सीमा तक राष्ट्रीय प्रतिशत से कम है;

(ख) क्या उनका मंत्रालय पहाड़ी क्षेत्रों में इन औद्योगिक संस्थानों को अधिक पूंजी निवेश के लिए आकर्षित करने हेतु एक योजना बनाने पर विचार कर रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इन क्षेत्रों के औद्योगिक विकास के लिए चालू योजना अवधि के दौरान केन्द्रीय सहायता हेतु कौन से कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण के अनुसार, 1982-83 तथा 1983-84 के दौरान सीमावर्ती पहाड़ी राज्यों में पूंजी निवेश निम्न प्रकार था :—

क्र० सं०	राज्य	निवेशित पूंजी (लाख रु०) 1982-83	1983-84
1.	असम	55729	54622
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	91
3.	जम्मू तथा कश्मीर	17141	21756
4.	मणिपुर	304	154
5.	मेघालय	9254	9433
6.	मिजोरम	—	—
7.	नागालैण्ड	5	—
8.	सिक्किम	—	—
9.	त्रिपुरा	1730	1825
10.	हिमाचल प्रदेश	51715	55146
	उपर्युक्त का योग :	135878	143027
	समग्र भारत की तुलना में उपर्युक्त का प्रतिशत	(2.16)	(1.98)
	समग्र भारत	6299198	7208534

(ख) से (घ) सरकार ने उद्योगों को लाइसेंस मुक्त करके केन्द्रीय रूप से पिछड़े घोषित क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने हेतु एम०आर०टी०पी०/फेरा कंपनियों पर भी लाइसेंस मुक्त करने की योजना लागू करके निवेश प्रक्रियाओं और औद्योगिक नीतियों को उदार और सुप्रवाही बनाने जैसे अनेक अभ्युपाय किए हैं, जम्मू तथा कश्मीर पूर्वोत्तर क्षेत्र के पहाड़ी, दूरवर्ती तथा अगम्य क्षेत्रों में निवेश करने वालों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए केन्द्रीय निवेश राजसहायता के अलावा, 90% की दर से परिवहन राज सहायता दी जाती है।

उपर्युक्त के अलावा, "उद्योग रहित" जिलों में अवस्थापनापरक सुविधाओं के विकास के लिए विद्यमान केन्द्रीय सहायता योजना को पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों के लिए उदार बना दिया गया है, जिसके अनुसार कुल लागत में केन्द्र सरकार का हिस्सा एक तिहाई के स्थान पर अब 50% प्रति जिला होगा।

मध्य प्रदेश में टेलीफोन एक्सचेंज और उप डाकघर खोलना

2544. **श्री कम्मोदी लाल जाटव** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश में कोई नये टेलीफोन एक्सचेंज और उप डाकघर खोले गए हैं;

(ख) यदि हां तो उनकी संख्या कितनी है;

(ग) मध्य प्रदेश के शेष क्षेत्रों में कब तक टेलीफोन एक्सचेंज और उप डाकघर खोलने का प्रस्ताव है; और

(घ) इस कार्य पर कितनी धनराशि व्यय होने की संभावना है ;

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) जी, हां ।

(ख) **दूरसंचार** : 250 टेलीफोन एक्सचेंज ।

डाकघर : 9 उप डाकघर ।

(ग) **दूरसंचार** : 25 लाइनों, 50 लाइनों और 100 लाइनों के टेलीफोन एक्सचेंज क्रमश: 10,23 और 46 व्यक्तियों द्वारा नाम दर्ज कराए जाने के बाद खोले जाते हैं । इस प्रकार के एक्सचेंज मांग होने पर चनणबद्ध रूप से खोले जाएंगे ।

डाकघर : समय-समय पर ऐसे प्रस्तावों पर विचार किया जाता है और निर्धारित मानदंडों के अनुसार औचित्य पाए जाने पर, ऐसे प्रस्तावों को वित्त मंत्रालय के साथ उठाया जाता है ।

(घ) **दूरसंचार** : मांग तथा संशाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

डाकघर उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता ।

[अनुवाद]

इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज के कार्यकरण में सुधार

2545. **श्रीमती किशोरी सिंह** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज के कार्यकरण में सुधार करने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ख) क्या इस उपक्रम में कार्यकारी निदेशक नियुक्त किए जायेंगे; और

(ग) क्या रोजगार के और अवसर पैदा करने के लिए सरकार का इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज के अन्तर्गत और स्विचिंग फैक्ट्रियां स्थापित करने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) जी, हां ।

(ख) इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज बोर्ड में चार कार्यात्मक (फंक्शनल) निदेशक नियुक्त किए जाने का प्रस्ताव है ।

(ग) आई०टी०आई० के अधीन और अधिक स्विचिंग फैक्ट्रियां स्थापित करना दूरसंचार विभाग के लिए योजना में आबंटित कुल धन पर निर्भर करेगा । इसके बावजूद स्ट्रोजर रूरल एक्सचेंजों की लगभग 45,000 लाइनों के उत्पादन के स्थान पर बंगलौर में सी-डाट डिजाइन रूरल के आटोमैटिक एक्सचेंजों की 1 लाख लाइनों का उत्पादन शुरू करने का निर्णय किया गया है ।

दिल्ली में छोटे निर्माण यूनिटों द्वारा बिजली की चोरी

2546. **श्री अख्तर हसन** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में बिजली की निरन्तर बढ़ती जा रही मांग को पूरा करने के लिए कोई कदम उठाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) राजधानी में अनेक छोटे निर्माण यूनिटों द्वारा बिजली की की जा रही चोरी को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) पिछले एक वर्ष के दौरान ऐसे कितने मामलों का पता चला और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) दिल्ली में विद्युत की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए किए जा रहे उपायों में ये शामिल हैं; दादरी में राष्ट्रीय राजधानी विद्युत परियोजना में 840 मेगावाट क्षमता और राजघाट विद्युत केन्द्र में 135 किलोवाट क्षमता स्थापित करना, इन्द्रप्रस्थ और बदरपुर केन्द्रों के कार्यनिष्पादन में सुधार लाना तथा पारेषण और वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करना। इसके अतिरिक्त उत्तरी क्षेत्र में क्रियान्वित किए जा रहे केन्द्रीय क्षेत्र के विद्युत केन्द्रों से दिल्ली को विद्युत का अपना हिस्सा प्राप्त होगा।

(ग) और (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

नारीमनम और कोविकल पल्ली में निकाले गए कच्चे तेल का शोधन और वितरण

2547. **श्रीमती वैजयन्ती माला बाली** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नारीमनम और कोविलकल पल्ली में भारी मात्रा में निकाला गया कच्चा तेल शोधन और वितरण के लिए दूरस्थ स्थानों को भेजा जाता है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) और (ख) नारीमानम और कोविकल पल्ली से थोड़ी सी मात्रा में तेल का उत्पादन किया जा रहा है और इसे निकटतम मद्रास रिफाइनरी में टैंकरों द्वारा भेजा जा रहा है।

तट पर और तट से दूर तेल तेल की खोज

2548. **श्री उत्तम राठौड़** :

श्री कमला प्रसाद रावत :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान किन-किन नए क्षेत्रों अथवा तट पर और तट से दूर क्षेत्रों पर तेल और प्राकृतिक गैस कल खोज का कार्य शुरू किया गया है;

(ख) इन क्षेत्रों से कितना तेल और प्राकृतिक गैस मिलने की सम्भावना है; और

(ग) तेल के खोज कार्य पर अब तक कितना व्यय हुआ है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) चालू वर्ष के दौरान निम्नलिखित क्षेत्रों में सर्वेक्षण और अन्वेषी कार्य आरम्भ किए गए हैं :—

सर्वेक्षण

स्थान	**थाला**
नलिया-पीपल	कच्छ-सौराष्ट्र
चारियादियो, कमलाबाड़ी	ऊपरी असम
ब्रह्मपुत्र का उत्तरी किनारा	ऊपरी असम
सिराप, पठारिया, आदमटीला	असम अरकन फोल्ड बैल्ट
पिपैरिया-परासिया अछेरा-बोंडा संग्रामपुरा सिंगापुर, बैजिया	गोंडवाना/विंध्यान

अन्वेषी खुदाई

स्थान	**बेसिन**
इलास खरवाड़ा बेचारजी चनासमा दक्षिणी पाटन	केम्बे बेसिन
सनाद्रा	कच्छ सौराष्ट्र
झांझी, सोनारी	ऊपरी असम बेसिन
कंचनपुर, आदमटीला, अगरतला डोम	असम अरकन फोल्ड बैल्ट
वेतलापलंम, चिनतलापली, वडाली	कृष्णा गोदावरी वेसिन
पपनचेरी नानिलम रघुनायपुरम भुवनगिरी, रघुनाथ	कावेरी बेसिन, बंगाल बेसिन
सुरिनसर, नूरपुर	हिमालय की तराई और गंगा बेसिन

अपतटीय क्षेत्रों में निम्नलिखित नए क्षेत्रों में अन्वेषी खुदाई आरम्भ की गई है :—

पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र

बी-132, सी-24, बी-80, सी-22, बी-134, और कोचीन हाई-1

पूर्वी अपतटीय क्षेत्र

जी॰ एस-16 पी॰एच 11, पी॰एच-13

अण्डमान अपतटीय क्षेत्र

हेनरी लारेंस

(ख) इन क्षेत्रों से तेल और प्राकृतिक गैस की सही संभाव्य क्षमता की जानकारी आगे और अन्वेषण/खुदाई किए जाने के बाद ही होगी।

(ग) किए गए व्यय के संबंध में जानकारी वर्ष, 1987-88 के लेखों को अंतिम रूप देने के बाद ही होगी।

राष्ट्रीय डिजाइन परिषद की स्थापना

2549. **श्री राम बहादुर सिंह :**
श्री थम्पन थामस :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का "राष्ट्रीय डिजाइन परिषद्" स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि ह, तो क्या इस संबंध में कोई प्रगति हुई है; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) एक राष्ट्रीय डिजाइन परिषद स्थापित करने की वांछनीयता तथा संभाव्यता का पता लगाने हेतु एक कार्य दल बनाया गया था। सरकार ने उक्त कार्य दल की सिफारिशों की जांच की थी और यह अनुभव किया था कि परिषद का गठन करने और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के साथ-साथ उद्योग की भागीदारी शामिल करने की दृष्टि से उक्त प्रस्तावो में संशोधन किए जाने की आवश्यकता है। अतः कार्य दल की सिफारिशों को उनके वर्तमान रूप में स्वीकार नहीं किया जा सका था।

लद्दाख क्षेत्र लघु उद्योगों की स्थापना

2550. **श्री पी० नामग्याल :** क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लद्दाख के लोग लद्दाख क्षेत्र में सरकारी क्षेत्र के हिन्दुस्तान मशीन टूल्स का बाच असेंबली यूनिट रेडियो, और टी० वी० असेंबली और अन्य छोटे इलेक्ट्रानिक उपकरणों असेंबली यूनिट जैसे छोटे उद्योग स्थापित किए जाने की मांग करते रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस दिशा में अब तक क्या कदम उठाए हैं और यदि नहीं तो लद्दाख के लोगों की इस मांग पर विचार नहीं किए जाने के कारण क्या हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) जी, हां।

(ख) सरकारी क्षेत्र के एकक स्थापित करने के लिए पूंजीनिवेश सम्बन्धी निर्णय भौगोलिक स्थितियों की बजाय तकनीकी-आर्थिक दृष्टिकोणों के आधार पर किए जाते हैं। लद्दाख में सरकारी क्षेत्र के एकक स्थापित करने के लिए किसी प्रस्ताव पर गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाएगा।

एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम में संशोधन

2551. **श्री अरुण कुमार नेहरू :** क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा बड़े व्यापार गृहों के प्रति अपनी नीति को और अधिक उदार बनाने के लिए एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम में संशोधन किए गए हैं अथवा करने पर विचार किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा इनसे क्या परिणाम निकलने की सम्भावना है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) तथा (ख) : एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के संशोधनों के सम्बन्ध में अभी अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

देश में निर्मित कारों के मूल्य

2552. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में निर्मित विभिन्न प्रकार की कारों के वर्तमान तुलनात्मक मूल्य क्या हैं;

(ख) दूसरे देशों में कारों के मूल्यों की तुलना में ये कितने कम अथवा अधिक हैं; और

(ग) क्या निकट भविष्य में कम मूल्य की कारें मिलने लगेंगी ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) सम्भवतः मारुति उद्योग के अलावा देश में बनाई जा रही कारों के मूल्यों की अन्य देशों में बनाई जा रही कारों के मूल्यों से तुलना करना सम्भव नहीं है। यदि कर को ध्यान में रखा जाता है, तो मारुति कारों के मूल्य अन्य देशों में इसी प्रकार के वाहनों के मूल्यों के समकक्ष ही हैं।

(ग) वाहनों की लागत, सामग्री और निर्विष्ट लागतों, कर ढांचे, मजदूरियों, आदि जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है। हाल ही में विदेशी मुद्राओं के मूल्य में अत्यधिक वृद्धि से भी उत्पादन लागत में वृद्धि हुई है। तथापि, उत्पादकों द्वारा कारों के मूल्यों को निविष्टियों के मूल्यों और राजकोषीय कराधानों के अनुरूप रखने के प्रयास किए जाते हैं।

विवरण

कारों के लोकप्रिय माडल	**चालू मूल्य (रु०)**
1. मारुति 800	72,550 (उत्पादन शुल्क और डीलरों के लाभ सहित
2. मारुति डी-एक्स	103,975 (—वही—)
3. एम्बेसडर (पेंट्रोल)	84,307 (कारखाना बाह्य विक्रय मूल्य)
4. एकन्टेसा क्लासिक	1,27,659 (—वही—)
5. प्रीमियर पद्मिनी	62,414 (कारखाना बाह्य मूल्य)
6. प्रीमियर 118 एन० ई०	93,934 (—वही—)
7. स्टैण्डर्ड 2000	1,49,346 (उत्पादक शुल्क और डीलरों का कमीशन निकालकर)

डब्ल्यू० एम० आई० (क्रेन्स) लि० बम्बई द्वारा नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन की परियोजना के निष्पादन में बिलम्ब

2553. **श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डब्ल्यू० एम० आई० (क्रेन्स) लि०, बम्बई अपनी दूसरी खान विस्तार योजना में नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लि० की परियोजना की निर्धारित समय अवधि में निष्पादन करने में असफल रहा है;

(ख) क्या डब्ल्यू० एम० आई० (क्रेन्स) लि०, बम्बई अपने निर्माण संयंत्र के बन्द होने के कारण संकट का सामना भी कर रहा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) से (ग) मेसर्स डब्ल्यू० एम० आई०(क्रेन्स) लि० उस पश्चिम जर्मन फर्म मेसर्स एम० ए० एन०-जी० एच० एच० के भारतीय सहकर्मी हैं जिसे नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लि० की द्वितीय खान विस्तार परियोजना का ठेका दिया गया है। मेसर्स डब्ल्यू० एम० आई० (क्रेन्स) लि० तय समय अनुसूची के अनुसार काम कर रहे हैं। डब्ल्यू० एम० आई० की यूनिटों में से बम्बई स्थित एक यूनिट में काम नहीं होने से समय सूची के अनुसार कार्रवाई पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है क्योंकि उस यूनिट में किया जाने वाला काम महत्वपूर्ण काम नहीं था।

ताप विद्युत संयंत्रों की स्थापना

2554. **श्री वक्कम पुरुषोतमन** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्षा न होने के कारण पन बिजली के उत्पादन में हुई कमी को ध्यान में रखते हुए देश में और ताप विद्युत संयंत्र स्थापित करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) इस वर्ष देश के कई भागों में कम वर्षा होने के कारण जल-विद्युत उत्पादन में कमी आई है। इस कमी को को पूरा करने के लिए ताप-विद्युत उत्पादन में वृद्धि करने के लिए अनेक उपाय किए गए हैं। इन उपायों में शामिल हैं— अतिरिक्त विद्युत उत्पादन क्षमता को चालू करने में तेजी लाना, नये चालू किए गए यूनिटों का शीघ्र स्थिरीकरण करना, विद्यमान क्षमता का इष्टतम समुपयोजन करना, पारेषण और वितरण हानियों में कमी लाना और ऊर्जा संरक्षण तथा मांग प्रबन्ध सम्बन्धी उपायों को कार्यान्वित करना।

पारेषण नेटवर्क सहित ताप-विद्युत तथा जल-विद्युत संयंत्रों की स्थापना में लम्बी निर्माण अवधि तथा काफी अधिक मात्रा में पूंजी निवेश निहित है। अत: विद्युत सम्बन्धी दीर्घ अवधि की आयोजना, देश के विभिन्न क्षेत्रों की विद्युत की मांग को पूरा करने हेतु विभिन्न सप्लाई विकल्पों के समग्र रूप से तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन पर निर्भर करती है न कि किसी वर्ष में अपर्याप्त वर्षा के परिणामस्वरूप जल-विद्युत उत्पादन में थोड़ी अवधि की कमी पर।

उड़ीसा में वाइड बैंड माइक्रोवेव प्रणाली

2555. **श्री बृज मोहन महन्ती** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा अथवा राज्य के किसी भाग में कोई वाइड बैंड माइक्रोवेव प्रणाली चल रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उड़ीसा जैसे पिछड़े राज्य को इतनी कम प्राथमिता देने के क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) जी, हां।

(ख) उड़ीसा राज्य में निम्नलिखित चौड़ी पट्टी माइक्रोवेव प्रणालियां कार्य कर रही हैं :—

(i) मद्रास-कलकत्ता माइक्रोवेव प्रणाली वाया कटक और बेहरामपुर।

(ii) कलकत्ता-बम्बई माइक्रोवेव प्रणाली वाया सम्बलपुर।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

टेलीफोन उपकरणों का आयात

2556. **श्री वी० एस० विजयराघवन** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई प्रौद्योगिकी मिशन के अन्तर्गत टेलीफोन उपकरणों का आयात किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या ये सभी उपकरण ग्रामीण क्षेत्रों में प्रयोग किए जाएंगे ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

लघु पन बिजली केन्द्र

2557. **श्री जी० भूपति** : क्या **ऊर्जा मंत्री** क्या बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में लघु पन बिजली केन्द्रों की संख्या कितनी है; और

(ख) इन पन बिजली केन्द्रों की बिजली उत्पादन क्षमता कितनी है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) इस समय कुल 100 माइको, मिनी और लघु जल विद्युत केन्द्र प्रचालन में हैं।

(ख) इन जल विद्युत केन्द्रों की उत्पादन क्षमता राज्यवार संलग्न **विवरण** में दी गई है।

विवरण

क्रम सं०	राज्य/प्रणाली का नाम	केन्द्रों की संख्या	लगभग कुल क्षमता (किलोवाट)
1	2	3	4
1.	हिमाचल प्रदेश	11	13770
2.	जम्मू और कश्मीर	8	28305
3.	उत्तर प्रदेश	26	34550
4.	पंजाब	1	1000
5.	राजस्थान	1	3000
6.	महाराष्ट्र	3	15300
7.	आंध्र प्रदेश	3	11350
8.	दामोदर घाटी निगम	1	4000
9.	सिक्किम	3	3296
10.	पश्चिम बंगाल	7	19908

1	2	3	4
11.	असम	1	2000
12.	मणिपुर	3	2400
13.	मेघालय	2	12710
14.	नागालैंड	1	1500
15.	त्रिपुरा	3	16010
16.	अरुणाचल प्रदेश	24	13420
17.	मिजोरम	1	1000
18.	नीपको	1	6
	जोड़ :	100	183525

पश्चिम बंगाल में सरसों के तेल की कमी

2558. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पश्चिम बंगाल में सरसों के तेल की सप्लाई में भारी कमी की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से स्थिति का समाधान करने के लिए सरसों के तेल की पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करने का अनुरोध किया था; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) केन्द्रीय सरकार सरसों के तेल का आबंटन नहीं करती है। राज्य सरकार को आयातित रेपसीड तेल सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से देने के लिए आबंटित किया जाता है। इसके आबंटन में वृद्धि की गई है और राज्य व्यापार निगम इस आबंटित मात्रा की आपूर्ति करने का प्रयत्न कर रहा है। अगस्त, 1987 से नवम्बर, 1987 की अवधि में किया गया माहवार आबंटन निम्नवत है :—

अगस्त, 1987	17,000 मीटरी टन
सितम्बर, 1987	19,500 मीटरी टन
अक्तूबर, 1987	22,000 मीटरी टन
नवम्बर,	22,000 मीटरी टन

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश के मांडला शहर में एस० टी० डी० सेवा प्रारम्भ करना

2559. **श्री मोहन लाल झिकराम** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के मांडला शहर में एस० टी० डी० डी० सेवा के कब तक प्रारम्भ होने की संभावना है;

(ख) उन नगरों के क्या नाम हैं जिन्हें इस सेवा से जोड़ा जाएगा;

(ग) इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) मांडला जिले के नैनपुर नगर में ट्रंक बुकिंग या सी० बी० एन० एम० एक्सचेंज के कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) मध्य प्रदेश के मांडला नगर में एस० टी० डी० सेवा 1988-89 के दौरान शुरू किए जाने की योजना है।

(ख) राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय उपभोक्ता-ट्रंक डायलिंग नेटवर्क के साथ जुड़े सभी नगर मांडला के साथ जुड़ जाएंगे ।

(ग) जबलपुर के लिए यू० एच० एफ० लिंक प्रदान करने के लिए वन क्षेत्र अधिग्रहण में विलंब के कारण एस० टी० डी० सुविधा सुलभ कराने में विलंब हो रहा है।

(घ) नैनपुर से मौजूदा ट्रंक परियात के आधार पर ट्रंक बुकिंग केन्द्र खोलने का औचित्य नहीं बनता । नैनपुर में सी० बी० एन० एम० एक्सचेंज खोलने की कोई योजना नहीं है ।

[**अनुवाद**]

कुशल मांग प्रबन्ध नीति लागू करना

2560. **श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में ऊर्जा की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए एक कुशल मांग प्रबन्ध नीति लागू करने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का ऊर्जा की बढ़ती हुई मांग को देखते हुई एक समेकित ऊर्जा योजना तैयार करने का विचार है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (ग) मांग की कुशल प्रबन्ध व्यवस्था दीर्घकालिक ऊर्जा विकास योजनाओं का एक अभिन्न अंग है। मांग की गई की प्रबन्ध व्यवस्था सम्बन्धी उपायों को सुदृढ़ करने के लिए की गई कार्यवाही की जाने वाली प्रस्तावित कार्यवाही में वे शामिल हैं; अर्थ व्यवस्था की विभिन्न श्रेणियों में ऊर्जा की दृष्टि से कुशल प्रौद्योगिकियों को अपनाना, विद्युत मोटरों और उपकरणों की कार्यकुशलता में वृद्धि करना, आइ टाइम-आफ-दी-मीटरिंग, विद्युत टैरिफों को युक्तिसंगत और कारगर बनाना, फालतू विद्युत का प्रणालियों के बीच आदान-प्रदान करना, पम्प स्टोरेज स्कीमों को शुरू करना, ऊर्जा के अनुपयोगी और दिखावटी उपयोग को रोककर ऊर्जा का संरक्षण करना, विद्युत की व्यस्ततम मांग को कम करने के लिए भारों को अलग-अलग समय पर करना व्यस्ततमकालीन अवधि के दौरान कैप्टिव विद्युत यूनिटों को प्रचालित करना ।

कर्नाटक में घाटी प्रथा पन-बिजली परियोजना

2561. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक की घाट प्रथा पन बिजली परियोजना की स्थापित क्षमता कितनी है;

(ख) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण और योजना आयोग ने उक्त पन-बिजली परियोजना के कार्यान्वियन की स्वीकृत कब दी थी;

(ग) परियोजना के कार्यान्वियन में कितनी प्रगति हुई है; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) कर्नाटक में घाटप्रथा जल विद्युत परियोजना की स्थापित क्षमता 2×16 मेगावाट है।

(ख) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने परियोजना को तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से अगस्त, 1980 में स्वीकृति दे दी थी और योजना आयोग ने मई, 1982 में मंज़ूरी दे दी थी।

(ग) और (घ) बिजली घर के निर्माण के लिए आशय-पत्र जारी किया जा चुका है। टेलरेस के सम्बन्ध में कार्य आदेश जारी कर दिया गया है। पेनस्टाक शैलों की गढ़ाई का कार्य हो गया है तथा कार्यस्थल पर मौजूद हैं। पेनस्टाक का उत्थापना सम्बन्धी कार्य चल रहा है। विद्युत उत्पादन यूनिट के लिए आर्डर दे दिया गया है तथा बिजली से प्रचालित यात्रा (ट्रेवलिंग) क्रेन भी कार्यस्थल पर प्राप्त हो गई है।

श्री दल बहादुर की याद में स्मृति डाक टिकट जारी करना

2562. **श्रीमती डी० के० भंडारी** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दार्जिलिंग के नेपाली भाषी लोगों से दल बहादुर की याद में एक स्मृति डाक टिकट जारी करने का कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इन अनुरोधों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या श्री दल बहादुर एक पुराने स्वतन्त्रता सेनानी थे; और

(घ) यदि हां, तो इन अनुरोधों पर क्या कार्यवाही की गई ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) और (ख) अध्यक्ष, नेपाली साहित्य सम्मेलन, दार्जिलिंग जो कि दल बहादुर गिरि जन्म शताब्दी आयोजन-समिति दार्जिलिंग के अध्यक्ष भी हैं, से एक अनुरोध प्राप्त हुआ है।

(ग) प्रस्तावक के अनुसार, श्री दल बाहदुर एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तथा महात्मा गांधी के अनन्य सहयोगी थे।

(घ) प्रस्तावक से उनके जीवनवृत्त का विवरण प्राप्त होने के पश्चात इसे फिलेटली सलाहकार समिति के समक्ष इस विषय पर उनका निर्णय प्राप्त किए जाने के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।

उड़ीसा के ग्राम पंचायतों के मुख्यालयों में डाकघर

2563. **श्री सोमनाथ रथ** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह निर्णय किया है कि ग्राम पंचायत मुख्यालय में कम से कम एक डाक घर होना चाहिए;

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा के ग्राम पंचायत मुख्यालय में कितने डाकघर खोले जाएंगे;

(ग) उड़ीसा में ऐसे कितने ग्राम पंचायत मुख्यालय हैं जहां पर कोई भी डाकघर नहीं है; और

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उड़ीसा में जनता यह मांग कर रही है कि ग्राम पंचायत मुख्यालयों और अन्य स्थानों पर डाकघर खोले जाएं।

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) जी, नहीं। ऐसा निर्णय लिया गया है कि जिन ग्राम पंचायतों में फिलहाल कोई डाकघर नहीं है उन्हें नये डाकघर खोलते समय प्राथमिकता दी जाएगी।

(ख) और (ग) विभाग के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार उड़ीसा में कुल 4388 ग्राम पंचायतें हैं जिनमें से 3829 ग्राम पंचायतों में डाकघर की सुविधा सुलभ है तथा 459 ग्राम पंचायतों में उनके निकटतम क्षेत्रों में स्थित डाकघरों द्वारा सेवा प्रदान की जाती है। अन्य राज्यों सहित उड़ीसा में खोले जाने वाले नये डाकघरों की संख्या वर्ष दर वर्ष उपलब्ध संसाधनों तथा अलग-अलग मामलों में जनसंख्या राजस्व तथा नजदीकी डाकघर से दूरी जैसे अन्य मानदंडों के औचित्य पर निर्भर करेगी। इसके अतिरिक्त, पदों के सृजन पर लगे प्रतिबन्ध को मद्देनजर रखते हुए नये डाकघर खोलना भी इस उद्देश्य के लिए अपेक्षित पदों के सृजन के लिए वित्त मंत्रालय की स्वीकृति पर निर्भर होगा। चूंकि ये तत्व अभी अनिश्चित हैं अत: अभी यह कहना कठिन है कि उड़ीसा में कितने नये डाकघर खोले जाने की संभावना है।

(घ) जी, हां।

वनस्पति तेल एककों की स्थापना करना

2564. **श्री एम० रघुमा रेड्डी** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में स्वदेशी वनस्पति तेल उत्पादन एककों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या देश में और अधिक वनस्पति तेल एककों की स्थापना करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) असंगठित क्षेत्र में, अनुमानत: 96,000 घानियां हैं।

संगठित क्षेत्र में, तिलहनों की पेराई के लिए 338 लाइसेंस शुदा इकाइयां तथा 507 विलायक निष्कर्षण संयंत्र हैं।

(ख) और (ग) जब भी प्रस्ताव प्राप्त होते हैं, उन पर गुण-दोषों के आधार पर विचार किया जाता है।

औद्योगिक वस्तुओं की मांग में मन्दी का आकलन

2565. **श्री सी० माधव रेड्डी** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने भीषण सूखे की परिस्थितियों के कारण विभिन्न क्षेत्रों में औद्योगिक वस्तुओं की मांग में सम्भावित कमी आकलन किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसमें कितनी कमी होने की सम्भावना है और इससे उत्पादन पर कितना प्रभाव पड़ेगा ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) औद्योगिक उत्पादन पर सूखे के प्रभाव को निरन्तर मानीटर किया जा रहा है। उर्वरक तथा वस्त्रों जैसे क्षेत्रों को छोड़कर औद्योगिक उत्पादन पर अभी तक मामूली असर हुआ है। जनवरी, 1988 में रबी की फसल की सम्भावनाओं का पता चलने पर स्पष्ट स्थिति सामने आएगी।

पश्चिम बंगाल के जलपाई गुड़ी जिले में टेलीफोन सेवा

2566. **श्री मानिक सान्याल** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जलपाईगुड़ी जिले में विभिन्न टेलीफोन एक्सचेंजों में समुचित उपकरणों के अभाव के कारण इस जिले के एक्सचेंजों द्वारा प्रदान की जा रही शोचनीय सेवाओं की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक उपाय करने का विचार है; और

(ग) क्या सरकार इस ओर तत्काल ध्यान देगी ताकि इस जिले में दूर-संचार जैसी आवश्यक सेवाएं और अधिक समय तक अव्यवस्थित न रहें ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) जलपाईगुड़ी जिले की दूरसंचार सेवाएं सामान्यत: संतोषप्रद हैं।

(ख) और (ग) तथापि सेवाओं में आगे सुधार लाने के लिए निम्नलिखित कार्यवाइयां की जा रही हैं :—

(अ) जलपाईगुड़ी के मैनुअल एक्सचेंज की आटोमेटिक बनाया जाएगा जिसके 1990 तक चालू हो जाने की संभावना है।

(आ) अलीपुरद्वार मैनुअल एक्सचेंज की इलैक्ट्रानिक ऑटोमेटिक में बदला जाये यह कार्य चल रहा है।

(इ) मल और वीरपाड़ा मैनुअल एक्सचेंजों की ऑटोमेटिक एक्सचेंजों में बदला जायेगा।

(ई) जलपाईगुड़ी माइक्रोवेव प्रणाली के जरिए अलीपुरद्वार और सिलीगुड़ी से पहले ही जुड़ा हुआ है।

(उ) बनरहाट, वीरापाड़ा, हासीमारा को यू० एच० एफ० प्रणाली द्वारा परस्पर जोड़ दिया जाएगा।

(ऊ) अलीदुरद्वार के लिए, 1988 तक और जलपाईगुड़ी के लिए 1990 तक आई० एस०डी० सुविधा प्रदान कर दी जाएगी।

हिन्दी में तार भेजना

2567. **श्री विष्णु मोदी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाकघर विभाग के अधिकारी आम जनता से हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तार स्वीकार कर रहे हैं;

(ख) क्या डाकघर विभाग के अधिकारियों के पास हिन्दी में प्राप्त हुए तार को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने की कोई व्यवस्था उपलब्ध नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और डाकघर विभाग के अधिकारियों द्वारा ऐसी व्यवस्था कब तक कराये जाने की सम्भावना है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) अंग्रेजी के तार सभी तारघरों में स्वीकार किए जाते हैं। हिन्दी के तार उन निर्दिष्ट तारघरों में स्वीकार किए जाते हैं जहां सही ढंग से प्रशिक्षित स्टाफ उपलब्ध हैं।

(ख) हिन्दी के तार बुकिंग तारघरों से टेलीफोन (फोनोकॉम आधार पर) अथवा हिन्दी मोर्स, अथवा हिन्दी टेलीप्रिंटर सर्किलों के जरिए भेजे जाते हैं। देश के 18168 तारघरों में यह सुविधा सुलभ है।

(ग) तारघरों में मांग के आधार पर तथा प्रशिक्षित स्टाफ के उपलब्ध होने पर हिन्दी सेवा सुलभ करा दी जाती है।

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा भारत एल्यूमीनियम कम्पनी लिमिटेड के रक्षित विद्युत संयंत्र का निर्माण

2568. **प्रो० मधु दंडवते** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत एल्यूमीनियम कम्पनी लिमिटेड ने 67.5 मेगावाट क्षमता के अपने रक्षित विद्युत संयंत्रों के चार एककों के निर्माण और स्थापना और चालू करने का काम राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम को सौंपा है;

(ख) क्या भारत एल्यूमीनियम कम्पनी लिमिटेड ने राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम से कम्पनी के रक्षित विद्युत संयंत्रों का स्वामित्व लेने का प्रस्ताव किया है;

(ग) यदि हां, तो क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है; और

(घ) यदि नहीं, तो भारत एल्यूमीनियम कम्पनी लिमिटेड और राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के बीच इस बारे में क्या मतभेद हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) कोरबा में मैसर्ज भारत एल्यूमीनियम कम्पनी के 270 मेगावाट (4 × 67.5 मेगावाट) के कैप्टिव विद्युत संयंत्र को चालू करने, उसका प्रचालन करने तथा उसका अनुरक्षण करने की जिम्मेवारी राष्ट्रीय ताप-विद्युत निगम को सौंपी गयी है।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) इस मामले पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है।

राज्य बिजली बोर्डों की राज-सहायता

2569. **श्री के० रामामूर्ति : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) भारी घाटा उठा रहे राज्य बिजली बोर्डों के कार्य-निष्पादन में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं;

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम दो वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य बिजली बोर्ड को दी गई राज-सहायता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है, और क्या यह राज-सहायता राज्य बिजली बोर्डों को हुई हानि की क्षतिपूर्ति के लिए दी गई थी;

(ग) क्या राज्य बिजली बोर्डों को दी जाने वाली राज-सहायता में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) राज्य बिजली बोर्डों को होने वाली वित्तीय हानियों के लिए अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित कारणों को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है :—

1. अलाभकर टैरिफ ।

2. कुछ वर्गों को विशेषकर कृषि क्षेत्र को आर्थिक सहायता की दरों पर विद्युत सप्लाई करना ।

3. विद्युत का कम उत्पादन, तथा ।

4. पारेषण और वितरण में अधिक हानियां होना ।

यह व्यवस्था करने के लिए कि प्रत्येक राज्य बिजली बोर्ड अपने प्रचालन कार्यों और अपने टैरिफ का समायोजन ऐसे ढंग से करें कि वर्ष के प्रारम्भ में निवल अचल परिसम्पत्तियों पर कम से कम 3% अधिशेष अर्जित कर सके, विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1940 में वर्ष 1983 में संशोधन किया गया था । अपने कार्य निष्पादन में सुधार लाने के लिए कार्यवाही योजना तैयार करने हेतु सभी राज्य बिजली बोर्डों को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए गए ।

भारतीय बिजली अधिनियम, 1910 में वर्ष 1986 में संशोधन किया गया था जिससे अपराध को करने तथा उसके लिए प्रेरित करने के लिए कठोर दण्ड के साथ बिजली की चोरी को एक संज्ञेय आराध बनाया जा सके तथा राज्य बिजली बोर्ड मुकदमा चला सके ।

राज्य बिजली बोर्डों/बिजली विभागों द्वारा विद्युत उत्पादन तथा प्रचालन कार्यों की कार्य कुशलता में सुधार लाने के लिए और पारेषण एवं वितरण हानियों को कम करने के लिए पुरस्कार स्कीमें शुरू की गई हैं ।

(ख) वर्ष 1985-86 और 1986-87 के दौरान दावा की गई/प्रत्येक राज्य बिजली बोर्ड को दी गई आर्थिक सहायता का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है । कृषि क्षेत्र को आर्थिक सहायता की दरों पर विद्युत सप्लाई करने से राज्य बिजली बोर्डों को हुई हानियों की पूर्ति के लिए यह आर्थिक सहायता राज्य सरकारों द्वारा दी जाती है ।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

विवरण

वर्ष 1985-86 तथा 1987-88 के दौरान राज्य सरकारों द्वारा की गई/भुगतान की गई ग्राम विद्युतीकरण आर्थिक सहायता दिखाने वाला विवरण

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं०	राज्य	1985-86			1986-87*		
		दावा की गई आर्थिक सहायता	लेखे में प्रदान की गई	सरकार द्वारा भुगतान की गई	दावा की गई आर्थिक सहायता	लेखे में प्रदान की गई	सरकार द्वारा भुगतान की गई
1.	आंध्र प्रदेश	31.56	24.00	—	34.42	34.40	—
2.	बिहार	50.55	50.60	—	उ०न०	66.00	उ०न०
3.	गुजरात	107.60	107.60	—	उ०न०	—	उ०न०
4.	हरियाणा	60.26	19.97	—	58.95	—	उ०न०
5.	हिमाचल प्रदेश	8.30	—	—	उ०न०	—	उ०न०
6.	कर्नाटक	33.58	33.60	—	उ०न०	42.90	उ०न०
7.	केरल	उ०न०	—	उ०न०	उ०न०	उ०न०	उ०न०
8.	मध्य प्रदेश	95.60	64.00	64.00	उ०न०	66.00	66.00
9.	महाराष्ट्र	102.33	102.35	47.86	14.53	128.4	34.07 ×
10.	उड़ीसा	12.52	—	—	उ०न०	—	उ०न०
11.	पंजाब	124.48	124.48	--	158.12	153.30	—
12.	राजस्थान	89.80	15.00	15.00	109.30	4.70	4.74
13.	तमिलनाडु	210.80	210.74	—	उ०न०	243.10	उ०न० =
14.	उत्तर प्रदेश	198.20	198.20	130.90 =	उ०न०	198.80	उ०न० "
15.	पश्चिम बंगाल	उ०न०	20.89	20.00	34.26	20.00	उ०न०
16.	असम	20.87	उ०न०	—	उ०न०	—	उ०न०
17.	मेघालय	2.79	उ०न०	—	उ०न०	3.53	
	जोड़ :		971.56	277.76		961.13	104.81

*अनन्तिम

× वर्ष 1982-83 के दौरान आर्थिक सहायता के भुगतान के कारण बोर्ड से वसूल की गई ।

= सरकार, राज्य सरकार की ओर बकाया आर्थिक सहायता की राशि को शामिल करते हुए, बोर्ड को दिए गए ऋण के कारण राज्य सरकार की ओर बकाया ब्याज की देय राशि को छोड़कर, राज्य बिजली बोर्डों को अग्रिम राशि देने के लिए साधन और उपाय कर रही है । सरकार से यथाशीघ्र आर्थिक सहायता सम्बन्धी राशि स्वीकार किए जाने के औपचारिक आदेश जारी किए जाएंगे, अपेक्षित राशि समायोजन सम्बन्धी कार्य भी कर दिए जाएंगे ।

" देय ब्याज की मात्रा की सीधा सम्बन्ध बोर्ड को आर्थिक सहायता के भुगतान से है ।

हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड के रूपनारायणपुर एकक में आप्टीकल फाइबर परियोजना की स्थापना

2570. **श्री बसुदेव आचार्य** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड के रूपनारायणपुर एकक में आप्टीकल फाइबर परियोजना स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम०अरुणाचलम) : (क) और (ख) जी, नहीं। हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड की प्रस्तावित आप्टिकल फाइबर परियोजना को नैनी, जिला इलाहाबाद (उ०प्र०) में स्थापित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

[हिन्दी]

बरौनी में पेट्रो-रसायन कारखाने की स्थापना

2571. **प्रो० चन्द्र भानु देवी** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बरौनी में एक पेट्रो-रसायन कारखाना स्थापित करने का प्रस्ताव सरकार के पास बहुत समय से लम्बित पड़ा हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इस पर कब तक अन्तित निर्णय लेगी ?

उद्योग मंत्रालय में रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) और (ख) बरौनी, बिहार में एक पेट्रो-रसायन परिसर की स्थापना करने की संभावना की जांच करने के लिए गठित कार्यदल की रिपोर्ट हाल ही में प्राप्त हुई है।

[अनुवाद]

सुपर बाजार द्वारा देशी घी सहित दैनिक आवश्यकता की वस्तुओं को बेचने की व्यवस्था

2572. **श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुपर बाजार दैनिक आवश्यकता की सभी घरेलू वस्तुओं को उपलब्ध कराने के अधिक प्रयास नहीं कर रहा है और अपना ध्यान प्याज और पामोलीन बेचने जैसे आसान कामों पर केन्द्रित कर रहा है; और

(ख) यदि नहीं, तो लोगों की देशी घी, इत्यादि जैसी दैनिक आवश्यकता की वस्तुओं को सुपर बाजार द्वारा न बेचे जाने के क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री एच०के०एल० भगत) : (क) और (ख) जी नहीं। सुपर बाजार आम तौर पर मांगी जाने वाली दैनिक आवश्यकता की सभी वस्तुएं, जिनमें देशी घी भी शामिल है, अपने उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराने का हर संभव प्रयास करता है।

तिमारपुर, दिल्ली में कूड़े-कचरे से विद्युत उत्पादन की परियोजना

2573. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा :**

श्री जी०एस० बसव राजू :

क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिमारपुर, दिल्ली में लगाए गए विद्युत संयंत्र ने कूड़े-कचरे से विद्युत का उत्पादन आरम्भ कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर कुल कितनी धनराशि व्यय की गई;

(घ) क्या सरकार का ऐसे और संयंत्र स्थापित कराने का विचार है;

(ङ) यदि हां, तो इसके लिए चुने गए स्थलों के क्या नाम हैं; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ऊर्जा मंत्री (श्री बसन्त साठे) : (क) और (ख) कूड़ा-करकट के भष्मीकरण पर आधारित तिमारपुर में स्थापित विद्युत संयंत्र का विभिन्न विद्युत भार पर चलाने के परीक्षण किए गए हैं तथा विद्युत घर से जोड़ा गया है। ये संयंत्र ठेकेदार फर्म से तभी लिया जाएगा जबकि प्रचालन प्रयोग सफलतापूर्वक सम्पन्न हो जाएगा और उसके बाद नियमित प्रचालन शुरू हो जाएगा।

(ग) कुल व्यय की गई राशि लगभग 20 करोड़ रुपए की है जिसका वित्त पोषण डेनमार्क सरकार द्वारा उदार ऋण शर्तों के अन्तर्गत किया जा रहा है।

(घ) से (च) दिल्ली के तिमारपुर में स्थापित संयंत्र अनुसंधान तथा विकास की प्रायोगिक परियोजना है। इस परियोजना के सफलतापूर्वक तथा निरन्तर चलने पर ऐसे और अन्य संयंत्रों को लगाने पर विचार किया जाएगा। ऐसे संयंत्रों को लगाने के लिए किसी अन्य स्थान का अभी तक चयन नहीं किया गया है।

दिल्ली में उपभोक्ता परिषद

2574. **श्री पी०एम० सईद** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत दिल्ली उपभोक्ता संरक्षण परिषद का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो परिषद में कार्य करने के लिए कितने व्यक्तियों को नामांकित किया गया है और उनमें नाम क्या हैं; और

(ग) क्या यह परिषद लोगों से शिकायतें और सुझाव प्राप्त करेगी और उनके लिए उपचारात्मक उपाय करेगी?

संसदीय कार्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री एच०के०एल० भगत) : (क) से (ग) दिल्ली प्रशासन ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत उपभोक्ता संरक्षण परिषद

गठित की है, जिसमें 79 सदस्य हैं। इस परिषद का गठन सभा पटल पर रखे गए विवरण में दिया गया है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 5117/87] यह परिषद एक परामर्शदात्री निकाय है, जिसका उद्देश्य संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में उपभोक्ताओं के अधिकारों, जैसे संरक्षण का अधिकार सूचित किए जाने का अधिकार, चयन का अधिकार, सुनवाई का अधिकार, शिकायतें दूर किए जाने का अधिकार तथा उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, को प्रोत्साहन तथा संरक्षण देना होगा। इस परिषद के सुझाव सिफारिशी स्वरूप के होंगे। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 में उपभोक्ता की शिकायतों को दूर करने के लिए एक अलग अर्द्ध-न्यायिक तंत्र स्थापित करने का विचार किया गया है।

पवन ऊर्जा फार्मों की स्थापना

2575. **श्री ई० अय्यपू रेड्डी** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने तमिलनाडु के चिदम्बरनाथ जिले के घुल्लैकाडू गांव में 40 एकड़ भूमि पर पूर्णतः पवन ऊर्जा से संचालित फार्म की स्थापना करने सम्बन्धी योजना का प्रस्ताव किया है और इस प्रयोजन के लिए अन्य स्थानों, जैसे उड़ीसा में पुरी, महाराष्ट्र में वारवेल और गुजरात में ओखा, का चयन किया गया है;

(ख) तमिलनाडु में इस प्रायोगिक परियोजना से कुल कितनी बिजली पैदा की गई तथा पवन ऊर्जा फार्मों की व्यवहार्यता की क्या सम्भावनाएं हैं; और

(ग) ताप विद्युत और जल विद्युत ऊर्जा की प्रति यूनिट लागत की तुलना में इसकी प्रति यूनिट लागत कितनी है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत विभाग ने तूतीकोरिन, तमिलनाडु के मूलायकाडू गांव में 1.1 मेगावाट की पवन फार्म परियोजना आरम्भ की है। 880 किलोवाट की क्षमता 1986 के दौरान पहले हो शुरू हो चुकी है तथा पूर्णतया चालू स्थिति में हैं। इसी प्रकार की पवन फार्म परियोजनाएं उड़ीसा के पुरी; महाराष्ट्र के देवगढ़; गुजरात के ओखा तथा मांडवी में भी स्थापित की जा चुकी हैं।

(ख) तूतीकोरिन पवन फार्म परियोजना से 30-9-87 तक राज्य ग्रिड को 20 लाख यूनिट से भी अधिक बिजली दी जा चुकी थी। छोटी समस्याओं को छोड़कर अभी तक शुरू की गई पवन फार्म परियोजनाएं आम तौर पर सफलतापूर्वक चली है। वर्तमान संकेतों के अनुसार देश में कई तेज हवाओं वाले स्थानों पर विस्तृत पवन फार्म परियोजनाओं की सम्भाव्यता है।

(ग) पवन विद्युत उत्पादन की लागत किसी स्थान की पवन दशाओं, मशीन का यूनिट साइज तथा परियोजना के समग्र आकार पर निर्भर करती है। 55 किलोवाट मशीन का प्रयोग करते हुए अभी तक शुरू की गई। मेगावाट परियोजना के लिए उत्पादन लागत 1.25 रुपए/यूनिट—150 रुपए/यूनिट की सीमा के बीच रही। यदि इसी प्रकार के आकारों की नई तापीय तथा हाईडिल परियोजनाओं की वास्तविक लागत पर विचार किया जाए तो ये लागतें तुलनात्मक रूप से अच्छी होंगी।

महाराष्ट्र के थाने जिले में उत्तन में टेलीफोन एक्सचेंज खोलना

2576. **श्री एस०जी० घोलप** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने यह घोषणा की है कि लगभग सभी ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी ताकि कम से कम 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित प्रत्येक गांव को दूरसंचार सुविधा उपलब्ध कराई जा सके;

(ख) यदि हां, तो कब और महाराष्ट्र के थाने जिले में अगले दो वर्षों के भीतर जिन एक्सचेंजों को खोले जाने की संभावना है, उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) उत्तन (महाराष्ट्र) में कब तक टेलीफोन एक्सचेंज के स्थापित किए जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) जी, हां। यह योजना बनाई गई है कि दीर्घकालिक नीति के तहत प्रत्येक पांच किलोमीटर के भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत रह रही आबादी को दूरसंचार सुविधा प्रदान कर दी जाए बशर्ते कि इसके लिए वित्त एवं सामग्री संसाधन उपलब्ध हों।

(ख) अस्थायी तौर पर वर्ष 1995 तक, निम्नलिखित ग्रामों में अगले दो वर्षों में सात एक्सचेंज खोले जाने की योजना है।

(एक) भोखाड़ा (दो) डोलखंब (तीन) पोतगांव (चार) शिखाड (पांच) वाडापोखरन (छः) वेवजी (सात) उत्तवन।

(ग) अस्थाई तौर पर 1988-89 तक।

सीमेंट पर से नियंत्रण हटाना

2577. **डा० दत्ता सामंत** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने देश में सीमेंट पर से पूरी तरह नियंत्रण हटाने की सिफारिश की है;

(ख) वर्ष 1987-88 में सीमेंट की कुल आवश्यकता कितनी होगी तथा वर्ष 1987-88 में कितना उत्पादन होने की सम्भावना है; और

(ग) सरकार ने योजना आयोग की सिफारिश पर क्या निर्णय किया है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, नहीं।

(ख) वर्ष 1987-88 के दौरान सीमेंट का उत्पादन 415.00 लाख मी० टन होने की संभावना है और उक्त उत्पादन से वर्तमान आवश्यकता पूरी हो जायेगी।

(ग) उपर्युक्त (क) में उल्लिखित उत्तर की दृष्टि से प्रश्न ही नहीं उठता। फिर भी, सरकार हाल के वर्षों में सीमेंट के मूल्यों तथा वितरण नियंत्रण में लगातार कमी करती रही है। सीमेंट को पूर्णतः नियंत्रण मुक्त करने के लिए अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

[हिन्दी]

दुल्लीपट्टी, बिहार में तेल की खोज

2578. **श्री अब्दुल हन्नान अंसारी** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दो वर्ष पहले बिहार के मधुबनी जिले में दुल्लीपट्टी में भू-वेधन कार्य आरम्भ किया गया था;

(ख) क्या वहां गैस और तेल के भण्डार प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो यह कार्य कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) मधुबनी में कुएं की खुदाई 22-3-86 को की गयी।

(ख) से (घ) कुएं की ड्रिलिंग और परीक्षण का काम पहले ही पूरा हो गया है। यहां कुआं इस क्षेत्र में अन्वेषण कार्य नीति तैयार करने हेतु भूतल की जानकारी प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए था यहां तेल और गैस नहीं मिली है।

मध्य प्रदेश में विजयपुर में गैस टरबाइन विद्युत संयंत्रों की स्थापना

2579. **श्री महेन्द्र सिंह** :

श्री अरविन्द नेताम :

क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गैस टरबाइन विद्युत संयंत्रों की स्थापना करने के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की नीति क्या है;

(ख) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने गुना जिले के विजयपुर गांव और ग्वालियर के निकट मांडेरा तहसील में गैस टरबाइन विद्युत संयंत्र स्थापित करने के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव भेजा है; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और हाजिरा-जगदीशपुर पाइपलाइन से इन विद्युत संयंत्रों को गैस की सप्लाई सम्बन्धी स्थिति क्या ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) गैस टर्बाइन विद्युत संयंत्रों की स्थापना के सम्बन्ध में प्रस्तावों की जांच गैस/ईंधन को उपलब्धता, क्षेत्र की विद्युत की आवश्यकता तथा अन्य सम्बन्धित तकनीकी-आर्थिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए की जाती है।

(ख) और (ग) अगस्त, 1984 में मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड ने गुना जिले में विजयपुर में 3 × 100 मेगावाट क्षमता का गैस टर्बाइन विद्युत केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था जिसमें बम्बई हाई से गैस के उपयोग की परिकल्पना की गई थी प्रस्तावित केन्द्र के लिए गैस की उपलब्धता की पुष्टि न होने के कारण इन पर कार्यवाही नहीं की गई थी।

सितम्बर, 1987 में मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड ने ग्वालियर जिले की मंदेर तहसील में

3 × 100 मेगावाट का गैस टर्बाइन विद्युत केन्द्र स्थापित करने हेतु केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को एक परियोजना प्रतिवेदन भेजा था जिसमें एच० बी० जे० पाइप लाइन से गैस के उपयोग की परिकल्पना की गई थी। गैस तथा जल सहित सभी निवेशों की उपलब्धता की पुष्टि हो जाने तथा अपेक्षित स्वीकृतियां प्राप्त हो जाने के बाद केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित स्कीम का तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से मूल्यांकन किया जा सकेगा।

[अनुवाद]

राज्यों द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू किया जाना

2580. **श्री राम भगत पासवान :**

श्री रेणु पद दास :

क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य सरकारों ने किन राज्यों में आवश्यक वस्तुओं के काला बाजारियों एवं जामखोरों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए एक आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू किया गया; और

(ख) इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों ने अब तक क्या कदम उठाए हैं ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 संपूर्ण भारत पर लागू होता है। तथापि, आवश्यक वस्तु (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1981, जो 1-9-1982 से लागू हुआ है, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेश अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह, दादरा व नगर हवेली और लक्षद्वीप पर लागू नहीं होता।

(ख) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अधिनियमत किए जाने के बाद से ही राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा इसके तहत प्रवर्तन कार्रवाई की जाती रही है। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से मिली सूचना के अनुसार वर्ष, 1987 (1-1-1987 से 17-11-1987 तक) के दौरान 137019 छापे मारे गए, 4379 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए, 3419 मुकदमे चलाए गए और 16.37 करोड़ रुपए मूल्य की आवश्यक वस्तुएं जब्त की गईं/पकड़ी गई हैं।

राज्य विद्युत बोर्डों के लाभ और हानि

2581. **प्रो० पराग चालिहा :**

श्री श्रीकांत दत्त नरसिंह राज वाडियार :

क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष, 1985-86 और 1986-87 में विभिन्न विद्युत बोर्डों में लाइन टूटने अथवा पारेषण में हानि के मामलों में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और क्या राज्यवार इसके कारणों में भिन्नता है;

(ग) राज्यवार वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) क्या गैर-सरकारी क्षेत्र के प्रबन्ध और स्वामित्व वाले बिजली घरों की कार्य निष्पत्ति सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों अथवा बोर्डों से अच्छी है;

(ङ) यदि हां, तो उसके मुख्य कारण क्या हैं;

(च) देश में गैर सरकारी क्षेत्र में चल रहे उपक्रमों सहित विभिन्न केन्द्रीय और राज्य विद्युत बोर्डों का संयंत्र भार सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(छ) देश में गैर-सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों सहित विभिन्न केन्द्रीय और राज्य विद्युत बोर्डों के के पिछले तीन वर्षों में लाभ और हानि से सम्बन्धित ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (ग) वर्ष 1984-85 और 1985-86 में दौरान विभिन्न राज्य बिजली बोर्डों/बिजली विभागों को हुई पारेषण और वितरण हानियां संलग्न विवरण-एक में दी गई हैं। राज्यों की अपनी प्रणाली के स्वरूप, स्थानिक क्षेत्राधिकार, भारों के स्वरूप और प्रणाली की प्रचालन संबंधी परिस्थितियों आदि पर निर्भर करते हुए ये हानियां अलग-अलग राज्य में भिन्न-भिन्न होती हैं।

(घ) से (च) सार्वजनिक क्षेत्र के अनेक विद्युत केन्द्रों का कार्यनिष्पादन प्राइवेट क्षेत्र के ताप विद्युत संयंत्रों के कार्यनिष्पादन से काफी अच्छा है। विभिन्न ताप विद्युत केन्द्रों के संयंत्र भार अनुपात में अन्तर विभिन्न कारणों की वजह से होता है। जिसमें ये शामिल हैं; जबरन बन्दी, नियोजित अनुरक्षण के लिए बन्दी, प्रणाली की भार संबंधी परिस्थितियों के कारण संयंत्र का उपलब्ध न होना, संयंत्र की आयु आदि। विभिन्न राज्य बिजली बोर्डों और प्रमुख केन्द्रीय क्षेत्र तथा प्राइवेट क्षेत्र के उपकमों के संयंत्र भार अनुपात का ब्यौरा संलग्न विवरण-दो में दिया गया है।

(छ) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण-तीन में दी गई है।

विवरण-एक

राज्य बिजली बोर्डों/बिजली विभागों में पारेषण और वितरण

राज्य बिजली बोर्ड/विभाग	पारेषण और वितरण हानियों की प्रतिशतता	
	1984-85	1985-86
1	2	3
हरियाणा	22.17	19.84
हिमाचल प्रदेश	22.03	20.22
जम्मू व कश्मीर	39.63	35.85
पंजाब	19.27	18.82
राजस्थान	24.75	26.54
उत्तर प्रदेश	21.66	20.50
चण्डीगढ	27.23	18.90
डेसू	23.35	18.00
गुजरात	24.09	25.50
मध्य प्रदेश	20.30	18.90

1	2	3
महाराष्ट्र	14.52	14.51
गोवा, दमन व दीव	24.64	20.43
आंध्र प्रदेश	20.70	19.19
कर्नाटक	23.71	22.50
केरल	24.33	24.60
तमिलनाडु	19.32	18.70
पांडिचेरी	19.94	18.00
बिहार	22.83	22.48
उड़ीसा	18.14	23.00
सिक्किम	20.21	18.20
पश्चिम बंगाल	23.91	23.13
अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	18.57	15.11
असम	22.28	19.98
मणिपुर	61.34	45.00
नागालैंड	10.46	20.00
त्रिपुरा	30.54	30.50
मिजोरम	44.58	43.64

विवरण-दो

ताप विद्युत केन्द्र तथा 1986-87 एवं 1987-88 के दौरान संयंत्र भारत अनुपात

		संयंत्र भार अनुपात (%)
विद्युत केन्द्र	1986-87	1987-88 (अप्रैल-अक्तूबर)
1	2	3
(एक) केन्द्रीय क्षेत्र		
एन॰ टी॰ पी॰ सी॰		
बदरपुर	5?.6	57.8
सिंगरौली सु॰ ता॰ वि॰ केन्द्र	74.3	78.4
कोरबा सु॰ ता॰ वि॰ केन्द्र	80.6	73.0
रामगुण्डम सु॰ ता॰ वि॰ केन्द्र	82.0	68.0
फरक्का सु॰ ता॰ वि॰ केन्द्र	46.1	22.9

1	2	3
नेवेली		
दामोदर घाटी निगम		
चन्द्रपुर	40.7	39.8
दुर्गापुर	50.9	43.2
बोकारों	49.3	29.8
(बी) राज्य बिजली बोर्ड		
दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान		
इन्द्रप्रस्थ केन्द्र	66.1	44.9
हरियाणा		
फरीदाबाद विस्तार	44.1	44.6
पानीपत	27.1	35.7
राजस्थान		
कोटा	54.8	67.2
पंजाब		
भटिंड़ा	58.9	67.2
रोपड़	78.1	62.3
उत्तर प्रदेश		
ओबरा	37.8	49.6
पनकी	52.9	26.7
हरदुआगंज "क"	16.1	37.6
हरदुआगंज "ख" तथा "ग"	40.7	43.1
परीक्षा	50.0	26.2
अनपारा	71.9	51.0
गुजरात		
धुवारण (टी)	64.3	63.9
उकई	51.9	55.2
गांधीनगर	48.3	52.7
वानकबोरी	51.3	61.3
उत्राण	—	—
महाराष्ट्र		
नासिक	62.7	63.3
कोराडी	41.0	48.4

1	2	3
पारस	35.8	40.6
भुसावल	49.9	51.4
पारली	45.7	60.2
चन्द्रपुर	56.7	49.0
खापरखेड़ा	—	—
उरण जी० टी०	—	—
मध्य प्रदेश		
सतपुड़ा	52.6	48.5
कोरबा-I	47.8	36.3
कोरबा-II	61.2	61.0
कोरबा-III	46.4	53.2
अमरकंटक	60.9	44.7
कोरबा पश्चिम	53.7	47.7
आंध्र प्रदेश		
कोठागुडम "क"	59.3	64.7
कोठागुडम "ख"	44.5	68.5
कोठागुडम "ग"	64.8	67.0
विजयवाड़ा	90.1	89.8
रामगुंडम "ख"	79.6	67.9
नैलोर	64.3	59.1
कर्नाटक		
रायचुर	45.6	53.0
तमिलनाडु		
एन्नौर	48.8	56.4
तूतीकोरिन	76.1	71.5
मैत्तूर	—	—
बिहार		
पतरातू	33.0	30.2
बिरौनी	29.3	28.4
मुजफ्फरपुर	41.8	33.4
उड़ीसा		
तलचेंर	31.7	33.2

1	2	3
पश्चिम बंगाल		
बंदेला	55.3	58.7
संथालडीह	26.9	26.4
गैस टरबाइन	—	—
असम		
चन्द्रपुर	59.4	63.9
नामरूप	30.4	55.6
बोंगाईगांव	9.2	14.8
गैस टरबाइन	—	42.5
(तीन) प्राइवेट सैक्टर		
ए० ई० कम्पनी	64.5	57.1
टाटा इलेक्ट्रिक कम्पनी	63.2	70.3
कलकत्ता इलेक्ट्रिक सप्लाई निगम	56.0	53.1

विवरण-तीन

राज्य बिजली बोर्डों/प्रमुख केन्द्रीय व निजी क्षेत्र के उपक्रमों के 1983-84, 1984-85, 1985-86 के दौरान लाभ/हानि

(करोड़ रुपए)

क्र० सं०	राज्य बिजली बोर्ड	1983-84	1984-85	1985-86
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	10.7	49 7	14.4
2.	बिहार	(12.7)	(9.7)	(121.1)
3.	गुजरात	14.9	36.1	(1.70)
4.	हरियाणा	(40.7)	(74.0)	(75.31)
5.	हिमाचल प्रदेश	(11.1)	(22.4)	(8.27)
6.	कर्नाटक	13.3	10.8	(17.0)
7.	केरल	(11.7)	9.7	4.95
8.	मध्य प्रदेश	(1.5)	(18.2)	65.95
9.	महाराष्ट्र	(28.0)	(33.1)	51.63
10.	उड़ीसा	(1.7)	(12.5)	(29.50)
11.	पंजाब	(16.4)	(6.6)	(6.39)

1	2	3	4	5
12.	राजस्थान	(46.3)	(73.5)	(45.5)
13.	तमिलनाडु	(3.1)	8.7	27.88
14.	उत्तर प्रदेश	(30.2)	(42.0)	(1.10)
15.	पश्चिम बंगाल	(68.8)	(35.3)	(29.91)
16.	असम	(36.4)	(43.4)	(115.28)
17.	मेघालय	(0.5)	(2.1)	(2.43)
केन्द्रीय क्षेत्र				
	कर की अदायगी के पश्चात लाभ			
1.	राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम	44.90	87.54	182.95
2.	राष्ट्रीय जल विद्युत निगम			18.79
निजी क्षेत्र				
	सांवधिक विनियोजन के पश्चात लेकिन लाभांशों की अदायगी से पूर्व			
1.	ए० ई० कं० लिमिटेड	4.77	4.37	5.38
2.	टाटा पावर कं० लि० (ट्राम्बे)	6.80	4.09	2.81
3.	सी० ई० एस० सी०	1.46	1.69	उपलब्ध नहीं

सरकारी क्षेत्र के उद्योगों की विकास दर

2582. **श्री तारिक अनवर** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षी योजना-अवधि के दौरान सरकारी क्षेत्र के उद्योगों की कितनी विकास दर होने की संभावना है; और

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) पूंजी—निवेश के रूप में कुल मिलाकर लगभग 15% वार्षिक संयोजित विकास दर होने की संभावना है जो 31-3-85 को 42. 791 करोड़ रुपए से बढ़ कर 31-3-90 को लगभग 86.000 करोड़ रुपए हो जाएगी।

फर्रुखाबाद में स्वचालित टेलीफोन प्रणाली

2583. **श्री खुर्शीद आलम खां** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फर्रुखाबाद में स्वचालित टेलीफोन प्रणाली स्थापित करने का सुझाव काफी समय से विचाराधीन है;

(ख) क्या स्वचालित टेलीफोन प्रणाली की अनुपलब्धता के कारण नगर के व्यापर और उद्योग के लिए भारी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं; और

(ग) इस आवश्यक सुविधा को उपलब्ध कराने के लिए कब तक कदम उठाए जाएंगे ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष महोन देव): (क) जी नहीं। फर्रूखाबाद में आटोमेटिक एक्सचेंस के संस्थापन के लिए योजना की मंजूरी 1985 में ही दे दी गई थी।

(ख) उम्मीद है कि आटोमेटिक एक्सचेंज के संस्थापन के बाद व्यापर तथा उद्योग के क्षेत्र में महसूस की जा रही कुछ समस्याएं दूर हो जाएंगी।

(ग) फर्रूखाबाद में आटोमेटिक एक्सचेंज वर्ष, 1990-91 में चालू किए जाने की संभावना है।

दिल्ली में टेलीफोन कनेक्शनों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना

2584. **श्री स्वामी प्रसाद सिंह** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक श्रेणी के टेलीफोन प्रयोक्ता को टेलीफोन एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए किन-किन औपचारिकताओं का पालन करना पड़ता है;

(ख) प्रत्येक श्रेणी के टेलीफोन कनेक्शनों को एक एक्सचेंज के भीतर एक जगह से दूसरी जगह ले जाने अथवा दूसरे एक्सचेंज में स्थानांतरित करने के लिए कितना शुल्क देना पड़ता है; और

(ग) टेलीफोन कनेक्शनों के ठीक से काम न करने संबंधी शिकायतों को दूर करने के लिए क्या समय सीमा निर्धारित की गई है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) किसी भी श्रेणी के अंतर्गत कोई टेलीफोन कनेक्शन शिफ्ट करने के लिए उपभोक्ता को निर्धारित फार्म में आवेदन करना होता है। आवेदन-पत्र निशुल्क सुलभ है।

(ख) किसी भी श्रेणी के अन्तर्गत टेलीफोन कनेक्शन शिफ्ट करने का प्रभार इस प्रकार होता है :—

(क) एक ही कक्ष में एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन के लिए = 75 रुपए।

(ख) उसी एक्सचेंज में अथवा दूसरे एक्सचेंज में शिफ्ट करने के अन्य मामलों में :—

एक्सचेंज प्रणाली की क्षमता	शिफ्ट करने का प्रभार	टिप्पणी
(एक) 500 लाइनों से कम	150 रु०	
(दो) 500 लाइनों तथा इससे अधिक	600 रु०	उपभोक्ता द्वारा आंतरिक फिटिंग के लिए स्वयं व्यवस्था करने पर 300 रु० तक की छूट दी जाती है।

(ग) दोष युक्त टेलीफोनों की शिकायतें दूर करने के लिए निर्धारित समय इस प्रकार है :—

(एक) कुल शिकायतों की 85 प्रतिशत तक शिकायतें-दो घंटों की अवधि में निपटानी होती हैं ।

(दो) कुल शिकायतों की 95 प्रतिशत तक शिकायतें 4 घंटे की अवधि में निपटानी होती हैं ।

(तीन) लाइन मैंन की ड्यूटी के आखिरी दो घंटे तथा रात्रि के समय प्राप्त शिकायतें अगले दिन निपटाई जानी होती हैं ।

टेलीफोन बिलों की बकाया राशि

2585. **डा० ए० के० पटेल** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि 31 अक्तूबर, 1987 को भूतपूर्व संसद सदस्यों, भूतपूर्व मंत्रियों तथा मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों पर टेलीफोन बिलों की बकाया राशि कितनी थी ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : जानकारी सभी यूनिटों से मंगाई गई है और यशाशीघ्र सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

औद्योगिक अल्कोहल की खपत

2586. **श्री मोहम्मद महफूज अली खां** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में औद्योगिक अल्कोहल की खपत काफी कम हो गई है;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों में (अब तक) औद्योगिक अल्कोहल की खपत में कमी की तुलनात्मक प्रतिशता क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) आगामी छः महीनों में देश में औद्योगिक अल्कोहल की कितनी मात्रा फालतू होने का अनुमान है और इसकी खपत की संभावनाएं क्या हैं ?

उद्योग मंत्रालय में रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) और (ख) हड़ताल, पावर में कटौती कच्चे माल की अनुपलब्धता आदि जैसे विभिन्न कारणों औद्योगिक उद्देश्यों के लिए अल्कोहल की खपत में उससे पूर्व वर्ष की तुलना में अल्कोहल वर्ष 1984-85 (दिसम्बर, 1984—नवम्बर, 1985) के दौरान 8 प्रतिशत और अल्कोहल वर्ष 1985-86 (दिसम्बर, 1986—नवम्बर, 1986) के दौरान 14 प्रतिशत की कमी आई । तयापि वर्ष 1985-85 की तुलना में वर्ष 1986-87 के दौरान इसमें 58 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है ।

(ग) आगामी अल्कोहल वर्ष 1987-88 (दिसम्बर, 1987—नवम्बर, 1888) के लिए अल्कोहल की मांग और उत्पादन का निर्धारण केन्द्रीय शीरा बोर्ड द्वारा अपनी अगली बैठक में किया जाएगा जिसके जनवरी/फरवरी, 1988 में होने की आशा है । उस समय अन्तरराज्यीय आवंटन भी किया जाएगा । चूंकि आसवनियां अनुमानित बिक्री के आधार पर ही अल्कोहल का उत्पादन करती हैं अतः उनके पास अल्कोहल का अधिक भण्डार इक्ट्ठा नहीं होगा और ऐसे भावी भण्डारों का कोई अनुमान लगाना सम्भव नहीं है ।

राजस्थान में लिग्नाइट का खनन-कार्य

2587. **डा० पी० वल्लल पेरूमन** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन में अब तक, एकबार, कुल कितना पूंजी निवेश किया गया है; और

(ख) राजस्थान में लिग्नाइन के खनन कार्य के लिए कितनी धनराशि नियत किए जाने का प्रस्ताव है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन में 31 मार्च, 1987 को कुल निवेश का यूनिटवार विवरण नीचे दिया गया है :

	(रुपए करोड़ों में)
खान I	261.10
खान II (अवस्था I और अवस्था II)	411.57
ताप बिजली घर-II	90.40
ताप बिजली घर-II (अवस्था I और II, पारेषण लाइन सहित)	618.88
ब्रिकेटिंग और कार्बनीकरण संयंत्र	34.09
उर्वरक संयंत्र	47.24
प्रोसेस स्टीम प्लांट	9.90
वले धुलाई संयंत्र	0.22
अन्य (नेवेली, राजस्थान एरिया आदि में तथा उसके आसपास भूवैज्ञानिक समन्वेषण कार्य सहित)	46.24
	1519.64

(ख) राजस्थान के लिग्नाइट-संभावित क्षेत्रों में विस्तृत ड्रिलिंग कार्य चल रहा है। राजस्थान खनन परियोजना की लागत साध्यता रिपोर्ट तैयार हो जाने के बाद ही अनुभानित की जा सकती है।

कोयले के उत्पादन में गिरावट

2588. **श्री के० रामचन्द्र रेड्डी** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कोयले की आवश्यकता की तुलना में कोयले का उत्पादन बहुत कम है;

(ख) सन् 2000 ईसवी तक कोयले का उत्पादन लक्ष्य प्राप्त करने की दृष्टि से चालू वर्ष के दौरान कोयले के उत्पादन की वर्तमान दर में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या कोयले के उत्पादन में बृद्धि करने के लिए सरकार का सिंगरौली कोलफील्ड्स की निगाही स्थित खुली खान का विकास करने संबंधी प्रस्ताव को स्वीकृति देने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) जी, नहीं।

(ख) देश में कोयला संसाधनों के विकास के लिए योजनाएं बनाई गई हैं। इस संबंध में व्यवस्थाओं के अनुसार वार्षिक कोयला उत्पादन सातवीं, आठवीं और नवीं पंचवर्षीय योजना में क्रमश: 226 मिलियन टन, 325 मि० ट० और 417 मि० ट० रहेगा। कोयला उत्पादन बढ़ाने के लिए किए जाने वाले उपायों में यह बातें शामिल हैं : वर्तमान खानों के पुनर्गठन में निवेश करके उत्पादन क्षमता बढ़ाना, नई खानें खोलकर उत्पादन बढ़ाना तथा आधारभूत सुविधाएं और सहायक सेवाएं बढ़ाकर उत्पादन में वृद्धि करना।

(ग) और (घ) जी, हां।

सिंगरौली कोयला क्षेत्र में निगाही ओपेनकास्ट खान में 1991 में कोयला उत्पादन शुरू होने की आशा है तथा परियोजना के चरण I में 4.2 मिलियन टन की पूरी उत्पादन-क्षमता 1995 में हो जाने की आशा है। परियोजना की अनुमानित लागत रुपए 462.39 करोड़ है।

विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी देने के संबंध में नीति-निर्णय

2589. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने यह नीति-निर्णय लिया है कि जब तक राज्य सरकारें भूमि अधिग्रहण और मूलभूत ढांचे के संबंध में सुविधाओं की प्रक्रिया पूरी नहीं कर लेंगी तब तक कोई भी ताप अथवा पन-बिजली परियोजना मंजूर नहीं की जाएगी;

(ख) यदि हां, तो किन-किन राज्यों ने भूमि और मूलभूत ढांचे संबंधी सुविधा उपलब्ध नहीं कराई है; और

(ग) इस संबंध में केन्द्रीय सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

डाक-तार सेवाओं को अलग-अलग करना

2590. **श्री हुसैन दलवाई** : क्या **संचार मंत्री** यह वाताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक-तार सेवाओं को अलग-अलग कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त सेवाओं को अलग करने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या उक्त सेवाओं को अलग किए जाने के कारण उप-डाकघरों का कारोबार कम हो गया है और वे घाटे में चल रहे हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) से (ग) जी नहीं। स्थिति एक दम ऐसी नहीं है। भारत सरकार ने 4-1-1985 को संचार मंत्रालय का पुनगर्ठन करके दो विभाग अर्थात डाक विभाग एवं दूर-संचार विभाग बना दिए हैं। वैसे संयुक्त डाक-तार घर जोकि डाक विभाग के अधीन है, पहले की भांति ही तार-सेवाएं प्रदान कर रहे हैं।

किसी संयुक्त डाक-तार घर का कार्यभार जब बढ़कर प्रतिदिन 500 तारों तक पहुंच जाता है तो वहां तार शाखा को एक अलग विभागीय तारघर के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है जो कि दूर-संचार विभाग के अधीन आता है और इस प्रकार डाकघर की स्थापना में पहले की तुलना में कमी आ जाती है। यह एक पुरानी पद्धति है और 4-1-1985 से पहले प्रचालन में भी थी।

किसी एक डाकघर के लाभ/हानि को तार संबंधी कार्य के साथ नहीं जोड़ा जाता। औसत आधार पर डाक विभाग द्वारा तार सेवाओं पर किया गया खर्च दूर-संचार विभाग के नाम अन्तरित कर दिया जाता है।

[हिन्दी]

खादी ग्रामोद्योग आयोग का पुनर्गठन

2591. **श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग के पुनर्गठन का प्रस्ताव गत एक वर्ष से लम्बित पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग का औपचारिक रूप से गठन न किए जाने के कारण नीति सम्बन्धी अनेक मामले लम्बित पड़े हैं; और

(ग) सरकार का उक्त आयोग का कब तक गठन किए जाने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) पिछले खादी ग्रामोद्योग आयोग की बढ़ाई हुई अवधि 31 अक्तूबर, 1986 को समाप्त हो गई थी। तत्पश्चात, खादी ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 में श्री रामकृष्णय्या, भूतपूर्व डिप्टी-गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक की अध्यक्षता में सा० ग्रा० पुनरीक्षण समिति की सिफारिशों के आधार पर संशोधन किया गया है जिससे पुनर्गठित आयोग में क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व सहित विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ग्रामीण विकास, विपणन आदि के विशेषज्ञों को पांच वर्ष की दीर्घावधि के लिए शामिल किया जा सके। संशोधित सा० ग्रा० आयोग नियमों सहित इन संशोधनों को जुलाई, 1987 में कार्यान्वयन के लिए अधिसूचित किया गया था। श्री एम० अरुणाचलम, उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास के राज्य मंत्री को 7 अगस्त, 1987 से इस आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा वित्तीय सलाहाकर जो संशोधित अधिनियम के अनुसार पदेन सदस्य हैं, के साथ आयोग कार्य कर रहा है। सम्पूर्ण आयोग का गठन यथाशीघ्र कर दिया जाएगा।

मध्य प्रदेश के पेंच ताप बिजली घर और संजय गांधी ताप विद्युत परियोजना को मंजूरी देना

2592. **श्री अरविंद नेताम** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का पेंच ताप बिजली घर को 420 मेगावाट की अधिष्ठापित क्षमता स्थापित करने के लिए कब तक मंजूरी देने का विचार है क्योंकि मध्य प्रदेश के पन-बिजली परियोजना, बोधघाट (500 मेगावाट) और संजय गांधी ताप विद्युत संयंत्र परियोजना (420 मेगावाट) के कार्यान्वयन में असाधारण देरी हो रही है; और

(ख) क्या केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तैयार की गई बारहवीं वार्षिक ऊर्जा सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश की बिजली की आवश्यकताओं को देखते हुए संजय गांधी ताप बिजली घर चरण-II और पेंच ताप बिजली घर के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा मंजूरी दिया जाना आवश्यक है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड द्वारा विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1940 में अन्तर्गत सांविधिक अपेक्षाओं को

पूरा करने, जल की उपलब्धता और निधियों की व्यवस्था सहित आवश्यक निवेशों के सुनिश्चित हो जाने तथा आवश्यक स्वीकृतियां, जिसमें पर्यावरण की दृष्टि से स्वीकृति शामिल है, उपलब्ध हो जाने के बाद प्रस्तावित पेंच ताप विद्युत केन्द्र (2 × 210 मेगावाट) पर अनुमोदन हेतु विचार किया जा सकेगा ।

संजय गांधी ताप विद्युत केन्द्र (2 × 210 मेगावाट) के चरण-दो के सम्बन्ध में प्रस्ताव मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड से केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को अक्तूबर, 1984 में प्राप्त हुआ था । बाद में, मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड ने सूचित किया था कि 500-500 मेगावाट के दो यूनिट (210-210 मेगावाट के यूनिटों के स्थान पर) स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है । संशोधित व्यवहार्यता प्रतिवेदन केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में अभी प्राप्त नहीं हुआ है ।

सातवीं योजना के दौरान लगभग 947 मेगावाट तथा 1990-91 से 1994-95 की समयवधि के दौरान 2005 मेगावाट क्षमता जोड़े जाने के कार्यक्रम से आशा की जाती है कि मध्य प्रदेश अपनी व्यस्ततमकालीन और ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा कर लेगा ।

आजमगढ़ की एस० टी० डी० के द्वारा बड़े शहरों से जोड़ना

2593. **श्री संतोष कुमार सिंह** :

श्री राजकुमार राय :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आजमगढ़ में टेलीफोनों की संख्या में पर्याप्त रूप से वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो टेलीफोन एक्सचेंज के आधुनिकीकरण के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है;

(ग) क्या सरकार का वहां इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) आजमगढ़ जिले और मऊनाथ भंजन को एस० टी० डी० के द्वारा बड़े शहरों से जोड़ने के कितना कार्य हो चुका है और यह योजना कब तक क्रियान्वित हो जाएंगी ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ) 31-3-87 की स्थिति के अनुसार आजमगढ़ में पहले ही 1000 लाइनों का एक एम० ए० एक्स० आटोमैटिक एक्सचेंज है । फिलहाल इस एक्सचेंज को इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज में बदलने की कोई योजना नहीं है ।

(ङ) आजमगढ़ की एस० टी० डी० के जरिये बड़े शहरों के साथ जोड़ने की योजना स्वीकृत है । आजमगढ़ और मऊनाथ भंजन में भवन कार्य पूरा हो चुका है । इसे सातवीं योजना के दौरान चालू करने का लक्ष्य रखा गया है ।

[अनुवाद]

6-अमीनो पैनिसिलिनिक एसिड की वितरण नीति

2594. **श्री डाल चन्द्र जैन** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार की 6-अमीनो पैनिसिलिनिक एसिड के वितरण की नीति क्या है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गैर-सरकारी क्षेत्र के कुछ निर्माता इसका सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य वसूल कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो सरकार का ऐसे दोषी निर्माताओं के विरुद्ध कौन से कदम उठाने का विचार है;

(घ) क्या इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि० और हिन्दुस्तान एंटिवायोटिक लिमिटेड उपभोक्ताओं को 6-अमीनो पैनिसिलिनिक एसिड नियमित रूप से सप्लाई कर रहे हैं; और

(ङ) इन दो कम्पनियों की 6-अमीनो पैनिसिलिनिक एसिड उत्पादन करने की क्षमता कितनी है और इन्होंने 1 अप्रैल, 1987 से 31 अक्तूबर, 1987 तक इसकी कितनी मात्रा सप्लाई की है ?

उद्योग मंत्रालय में रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) 6-एमिनो पैन्सिलीनिक एसिड (6-ए०पी०ए०) एक सरणीबद्ध मद है और इसका वितरण वास्तविक उपयोगकर्ताओं को उनकी ग्राह्यता के आधार पर किया जाता है।

(ख) सरकार की जानकारी में कोई खास मामला नहीं लाया गया है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) जी, हां।

(ङ) मेसर्स इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि० की और हिन्दुस्तान एन्टिबायोटिक्स (एच० ए० एल०) की 6 ए० पी० ए० वार्षिक अधिष्ठापित क्षमता क्रमश: 47 मी० टन और 35 मी० टन है और सम्बद्ध अवधि में उनके द्वारा क्रमश: 4.58 मी० टन० और 7.5 मी० टन की आपूर्ति की गई है।

गुजरात राज्य बिजली बोर्ड को कोयला सप्लाई न किया जाना

2595. **श्री रणजीत सिंह गायकवाड़** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य के ताप बिजली घरों को चलाने के लिए अपेक्षित कोयले सप्लाई का भुगतान करने में गुजरात राज्य विद्युत बोर्ड को वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या भुगतान न किए जाने के कारण गुजरात राज्य विद्युत बोर्ड को कोयले की खेपों की सप्लाई रोक दी गई है;

(ग) क्या राज्य विद्युत बोर्ड को कोयले की डिलीवरी ठीक समय पर न किए जाने के कारण ताप बिजली घरों को बन्द करना पड़ जाएगा;

(घ) भुगतान न किये जाने के कारण कोयले की कितनी मात्रा की सप्लाई नहीं की गई और उसका मूल्य कितनी है;

(ङ) 31 अक्तूबर, 1986 तक गुजरात राज्य विद्युत बोर्ड की ओर कोयला खानों की कितनी धनराशि बकाया थी और गुजरात राज्य विद्युत बोर्ड को कितना कोयला सप्लाई किया गया था; और

(च) गुजरात राज्य विद्युत बोर्ड को कोयले की डिलीवरी करने के लिए क्या कदम उठाये जाने का विचार है ताकि बोर्ड अपने ताप बिजलीघरों को चला सके ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

आंध्र प्रदेश में गांवों का विद्युतीकरण

2596. **श्री मानिक रेड्डी** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में बीस सूत्री ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत 30 अक्तूबर, 1987 तक अभी तक कितने गांवों का विद्युतीकरण किया गया है;

(ख) इस राज्य में सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक कितने गांवों का विद्युतीकरण किए जाने की संभावना है; और

(ग) आंध्र प्रदेश में सभी गांवों का कब तक विद्युतीकरण किए जाने की संभावना है?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (ग) 1971 की जनगणना के अनुसार आंध्र प्रदेश में कुल 27221 आबाद गांवों में से सितम्बर, 1987 के अन्त तक 24810 गांव विद्युतीकृत कर दिए गये थे। आंध्र प्रदेश में शेष बचे गांवों का विद्युतीकरण सातवीं पंचवर्षीय योजना में पूरा कर लिए जाने की संभावना है।

राजस्थान में लिग्नाइट खान और बिजली परियोजना के लिए विदेशी सहयोग

2597. **डा० बी० एल० शैलेश** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूरोप के 8 देशों ने राजस्थान में लिग्नाइट खान और बिजली परियोजना में सहयोग करने की पेशकश की है;

(ख) क्या किसी देश ने रुपयों में भुगतान करने की पेशकश की है; यदि हां, तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार का अन्तिम निर्णय क्या है?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) से (ग) यूरोप के अनेक देशों ने (उन देशों सहित जिनके साथ भारत का रुपया भुगतान प्रबन्ध है) राजस्थान में समेकित खान और बिजली परियोजना के विकास में सहयोग देने की संभावनाओं के बारे में पूछताछ की है। विदेशी सहयोग के बारे में अन्तिम निर्णय तभी लिया जाएगा जबकि परियोजना के सम्बन्ध में साध्यता तैयार हो जाये।

कोयला खदान मजदूर कल्याण निधि और कोयला खदान बचाव केन्द्रों (कोल माइन रेस्क्यू स्टेशन्स) का कोल इंडिया लि० के साथ विलयन

2598. **डा० सुधीर राय** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला विभाग ने कोयला खदान मजदूर कल्याण निधि और कोयला खदान बचाव केन्द्रों (कोल माइन्स रेस्क्यू स्टेशन्स) का कोल इण्डिया लि० के साथ विलयन के पश्चात की स्थिति की पुनरीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो क्या आकलन सकारात्मक है;

(ग) क्या कोल इंडिया लि० ने अपेक्षित मूलभूत ढांचे का विकास कर लिया है और कारंवाई योजना बना ली है; और

(घ) यदि हां, तो उसकी मुख्य आवश्यक बातें क्या हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) और (ख) जी, हां। कोयला विभाग सुरक्षा और कल्याण दोनों के संबंध में बैठकों और/या पत्र-व्यवहार के जरिये लगातार सारी सूचनाएं और स्थिति की जानकारी रखता है। कोल इंडिया लि० से कोयला विभाग ने कहा है कि वह भूतपूर्व कोयला खान श्रम संगठन और कोयला खान बचाव स्टेशनों के सभी क्रियाकलाप जारी रखें और चरणबद्ध तरीके सेउनमें सुधार के लिए प्रयास करें। कोल इण्डिया लि० की कल्याण निधि में वर्ष-प्रतिवर्ष वृद्धि की जा रही है ताकि कोयला कम्पनियां विभिन्न क्षेत्रों में अपने कल्याण क्रियाकलाप बढ़ा सकें--- यह क्षेत्र हैं आवास व्यवस्था, सफाई, चिकित्सा और शिक्षा सुविधाएं, पीने के सुरक्षित पानी की व्यवस्था, आदि। वास्तव में तो ऐसा हुआ है कि 1985-86 में कल्याण क्रियाकलाप पर कोयला खान श्रम कल्याण संगठन द्वारा खर्च की गई रु० 11.88 करोड़ की छोटी सी राशि की तुलना में कोल इंडिला लि० ने उसी वर्ष इन क्रियाकलापों पर लगभग रु० 102 करोड़ की राशि खर्च की थी।

(ग) और (घ) कोल इण्डिया लि० में भूतपूर्व कोयला खान श्रम कल्याण निधि संगठन के सभी क्रियाकलाप करने के लिए बहुत मजबूत आधारभूत सुविधाएं हैं और वास्तव में तो उस संगठन से अधिक कल्याण कार्य करने की क्षमता है। कोल इण्डिया लि० के स्तर पर एक कल्याण बोर्ड का गठन किया जा चुका है। इस बोर्ड में कामगारों के प्रतिनिधि हैं। ऐसे ही बोर्ड सहायक कम्पनियों में भी स्थापित किए जा रहे हैं। यह बोर्ड भूतपूर्व कोयला खान कल्याण संगठन के विभिन्न क्रियाकलाप में वृद्धि करने के लिए कार्य योजनाएं बनाएंगे। जगजीवन नगर, धनबाद और कल्ला, आसनसोल के केन्द्रीय अस्पतालों की चिकित्सा सेवाओं में सुधार के उपाय सुझाने के लिए एक परामर्शदाता नियुक्त किया गया है। कोल इण्डिया लि० ने बचाव स्टेशनों की परिचालन क्षमता में सुधार के लिए भी योजनाएं बनाई हैं। कोल इण्डिया लि० ने एक चार सदस्यों वाली समिति गठित की है जिसे कोल इण्डिया लि० की खानों में, बचाव सेवाओं के सुधार हेतु उपाय सुझाने का काम दिया गया है।

साफ्ट कोक के उत्पादन और वितरण में सुधार

2599. **डा० सुधीर राय** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साफ्ट कोक के उत्पादन और वितरण में कोई सुधार हुआ है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) साफ्ट कोक के उत्पादन और वितरण में सुधार लाने के लिए क्या कार्यवाई की गई है अथवा करने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) और (ख) साफ्ट कोक के उत्पादन में पिछले कुछ वर्षों में गिरावट आई है जैसाकि निम्नलिखित आंकड़ों से स्पष्ट है :—

1985-86	1986-87	1988-88 (अप्रैल-सितम्बर)
1.72 मि० ट०	1.52 मि०ट०	0.67 मि० ट०

उत्पादन में कमी के कारण इस प्रकार हैं : कोयला कंपनियों के लिए साफ्ट कोक का उत्पादन लाभजनक नहीं होता है क्योंकि इसमें श्रम शक्ति बहुत लगती है और इसे छोटे पैमाने पर करना पड़ता है। जिन कंपनियों के पास साफ्ट कोक उत्पादन के लिए सही किस्म का कोयला है उन्हें पहले से ही भारी घाटा हो रहा है और उनके कच्चे कोयले की बिक्री के अन्य मध्यम हैं।

भारत कोकिंग कोल लि०, सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि० और ईस्टर्न कोलफीड्स लि० नामक कोयला कंपनियों के साफ्ट कोक उत्पादन का कोयला विभाग अनेक राज्य सरकारों को आबंटन करता है। यह आबंटन घरेलू उपभोक्ताओं के लिए रुपए 175/-प्रति टन एक्स कोलियरी की प्रशासित कीमत पर तथा औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिये रुपए 300/-प्रति टन एक्स कोलियरी की प्रशासित कीमत पर किया जाता है। अधिकांश उत्पादन बिहार और पश्चिम बंगाल को जाता है। अन्य राज्यों में उत्तर प्रदेश और दिल्ली को भी अपेक्षाकृत बड़ी मात्रा में यह माल मिलता है जबकि राजस्थान और गुजरात को कुछ कम मिलता है। अधिकांश अन्य राज्यों को नगण्य मात्रा में यह माल मिलता है। चूंकि साफ्ट कोक की उपलब्ध मात्रा में कमी आ रही है और दूसरी ओर परिवहन खर्च अधिक रहता है इसलिए इसका वितरण उत्पादक केन्द्रों के आस-पास ही केन्द्रित है।

(ग) कोयला कंपनियों को निर्देश दिया जा रहा है कि साफ्ट कोक का उत्पादन बढ़ाएं ताकि राज्यों को अधिक मात्रा में यह उपलब्ध हो सके। साफ्ट कोक के प्रयोग का प्रोत्साहित करने और इसकी उपलब्धि बढ़ाने के लिए कोल इंडिया लि० की एक सहायक कंपनी केन्द्रीय खान आयोजन और डिजाइन संस्थान लि० ने धुंआ-रहित ठोस ईंधन संयंत्र बनाने के लिए एक नई तकनालाजी का विकास किया है। ऐसे संयंत्र छोटे पैमाने के उद्योग के रूप में भी लागए जा सकते हैं और इनसे ऐसे उप-उत्पादन भी मिल जाते हैं जो अभी व्यर्थ नष्ट हो जाते हैं। इस तकनालॉजी का पूर्वी राज्यों में विशेष स्वागत हुआ है।

केरल में एस० टी० डी० सुविधा

2600. **श्री सुरेश कुरुप** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केरल में उन नगरों/शहरों के क्या नाम हैं जो पहले से ही एस० टी० डी० सुविधा से जुड़े हुए हैं और जिनके वर्ष 1987-88 के दौरान एस० टी० डी० सुविधा से जोड़े जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : केरल राज्य में जो कस्बे/शहर एस० टी० डी० सुविधा से जुड़े हैं उनके नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं। केरल राज्य में 1987-88 के दौरान निम्नलिखित शहरों/कस्बों में एस० टी० डी० सुविधा सुलभ कराने की संभावना है :—

1. एलाथुर
2. कन्हागड
3. कयामकुलम
4. माले
5. मान्नर
6. निलेश्वर
7. पारुर
8. पंडालम
9. पूनाली
10. तेलीचेरी

विवरण

केरल राज्य में निम्नलिखित शहरों/कस्बों मे एस० टी० डी० सुविधा सुलभ है :

1. अदूर
2. अलगप्पानगर
3. अल्लेप्पी
4. अलवाए
5. अंगामाली
6. एक्टीगल
7. बडगारा
8. वलियापट्टम
9. कन्नानोर
10. चिंगनूर
11. चालाकुडी
12. चंगांचेरी
13. चेरपुर
14. चोवघाट
15. चिंगवानम्
16. कांगानूर
17. अरनाकुलम
18. गुरुवायुर
19. इडुक्की
20. इसीनजालकुडा
21. कलपेटा
22. कलाडी
23. कोट्टायम
24. कोठामंगलम
25. कोटारक्कारा
26. कोजलैंकोडे
27. कोलांचेरी
28. कुन्डारा
29. कुन्नामकुलम
30. मलापपुरम
31. मनेजेरी
32. मावेलीकारा
33. मोवथापुजहा
34. मुन्नार
35. नराक्कल
36. नयातिनकरा
37. ओलावकोट
38. ओलूर
39. पालघाट
40. पलई
41. पथनमथिट्टा
42. प्ययानूर
43. पेरम्वावूर
44. पुन्नालुम
45. क्वीलोन
46. क्वीलैंडी
47. शेरतलाई
48. तलाईपरम्बा
49. तिरूवल्ला
50. तिरूर
51. थोडूपुजहा
52. त्रिचूर
53. त्रिवेन्द्रम
54. वैकाम
55. विजहीन्जम

गोवा के शहरों में डाकघरों में डाले गए साधारण पत्रों को भेजने के लिए डाक विभाग द्वारा प्रयोग किया जाने वाला यातायात

2601. **श्री शांताराम नायक : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोवा राज्य के पणजी, माप्सा, वास्को-डी-गामा पोण्डा और मार्गोव शहरों में डाकघरों

में डाले गए साधारण पत्रों को भेजने के लिए डाक विभाग द्वारा किस प्रकार की यातायत का प्रयोग किया जाता है;

(ख) क्या डाक विभाग द्वारा हवाई जहाज ओर रेल यातायात दोनों का प्रयोग किया जाता है; यदि हां, तो कितने प्रतिशत डाक सामग्री हवाई जहाज से भेजी जाती है और कितने प्रतिशत डाक सामग्री रेल के माध्यम से भेजी जाती है;

(ग) किन-किन मामलों में एक सामग्री भेजने में हवाई जहाज का प्रयोग किया जाता है और किन-किन मामलों में रेल यातायात का प्रयोग किया जाता है; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) गोवा में पोस्ट की गई डाक की ढुलाई के लिए यातायात के निम्नलिखित साधनों का प्रयोग किया जाता है :—

(i) विभागीय डाक मोटर सेवा ।

(ii) राज्य परिवहन की बसें ।

(iii) रेल और ।

(iv) हवाई सेवाएं ।

(ख) हवाई और रेल दोनों यातायातों का प्रयोग किया जाता है ।

(i) हवाई मार्ग द्वारा भेजी गई डाक वस्तुओं का प्रतिशत—लगभग 30 ।

(ii) रेल द्वारा भेजी गई डाक वस्तुओं का प्रतिशत-लगभग 30 ।

(ग) और (घ) हवाई मार्ग से जुड़े स्थानों और ऐसे स्थानों जहां तुरन्त वितरण के लिए हवाई सेवा लाभप्रद होती है, की प्रथम श्रेणी और अधिभार सहित द्वितीय श्रेणी की डाक हवाई मार्ग द्वारा भेजी जाती है । शेष डाक को रेल/सड़क या फिर दोनों मार्गों से भेजा जाता है ।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश बाराबंकी, सीतापुर, हरदोई तथा शाहजहांपुर जिलों में खाना पकाने की गैस को एजेंसियों तथा पेट्रोल पम्पों का खोला जाना

2602. **श्री कमला प्रसाद रावत** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उत्तर प्रदेश के बाराबंकी, सीतापुर हरदोई तथा शाहजहांपुर जिलों में खाना पकाने की गैस की नई एजेंसियों तथा पेट्रोल पम्प खोलने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इस जिलों में गैस एजेंजियों तथा पेट्रोल पम्प किन-किन स्थानों पर खोलने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) जी, हां ।

(ख) वांछित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) उपर्युक्त (ख) का दृष्टि से प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

क्रम सं०	स्थान का नाम	जिला
1	2	3
I. एल पी० जी० की वितरणशिपें		
1.	रूदौली	बाराबंकी
2.	लहरपुर	सीतापुर
3.	बिसवान	—वही—
4.	सीतापुर	—वही—
5.	हरदोई	—हरदोई
6.	शाहाबाद	—वही—
7.	संदिला	—वही—
8.	शाहजांनपुर	शाहजांनपुर
9.	तिलहर	—वही—
II. खुदरा बिक्री केन्द्र		
1.	भेलसार क्रासिंग फेजाबाद लखनऊ रोड़	बाराबंकी
2.	बाराबंकी रा० रा०	—वही—
3.	दिवा टाउन	—वही—
4.	एलापुर-कुरौली (लखनऊ बारबंकी रोड़ पर)	—वही—
5.	हैदरगढ़ (मुज्जफरपुर और कोमती के बीच)	—वही—
6.	सफेदाबाद	—वही—
7.	रुदौली	—वही—
8.	बालामऊ	हरदोई
9.	मेलाऊ	—वही—
10.	मेलावन	—वही—
11.	हरदोई-बिलग्राम रोड़	—वही—
12.	हरदोई-लखनऊ रोड़	—वही—
13.	सिकन्दरा क्रासिंग	—वही—

1	2	3
14.	बिलग्राम (रोड़) चुंगी के बाहर	—वही—
15.	सीतापुर रोड़ (चुंगी के बाहर)	—वही—
16.	गोपामऊ	—वही—
17.	रामपुर मथुरा	सीतापुर
18.	महबूबाबाद	—वही—
19.	रसकुला	—वही—
20.	सीतापुर	—वही—
21.	पिसौनवा	—वही—
22.	अटाराई	—वही—
23.	लहरपुर	—वही—
24.	जैतपुर	शाहजांनपुर
25.	निगोही	—वही—
26.	सिधौली	—वही—
27.	अलागंज	—वही—

[अनुवाद]

टाटा और बिरला औद्योगिक समूहों द्वारा तेल शोधक कारखानों में ईक्विटी शेयर खरीदना

2603. **श्री रेणुपद दास** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने टाटा और बिरला औद्योगिक समूहों को दो तेल शोधक कारखानों के संबंध में ईक्विटी शेयर खरीदने की अनुमति दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) और (ख) भारत सरकार ने संयुक्त क्षे में करनाल में 6 मिलियन मी० टन प्रति वर्ष की क्षमता की एक रिफाइनरी स्थापित करने का निर्णय लिया है। मंगलूर में 3 एम० टी० पी० ए० की पेट्रोरसायन रिफाइनरी की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करवाने का भी निर्णय लिया गया है।

2. करनाल रिफाइनरी के प्राइवेट को-प्रमोटर मैसर्स टाटा केमिकल्स लिमिटेड होंगे। सार्वजनिक क्षेत्र का प्रमोटर इंडियन आयल कारपोरेशन होगा। दोनों में प्रत्येक की 26 प्रतिशत इक्विटी होगी और शेष राशि को प्रवासी भारतीयों सहित लोगों से इकट्ठा किया जाएगा।

3. प्रस्तावित मंगलूर रिफाइनरी में प्राइवेट सेक्टर के को-प्रमोटर मैसर्स, इंडियन रेयन कारपोरेशन के साथ सार्वजनिक क्षेत्र के भागीदार मेसर्स हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन होंगे। इसमें दोनों भागीदारों की 26-25 प्रतिशत इक्विटी होगी और शेष राशि को प्रवासी भारतीयों सहित लोगों से लिया जाएगा।

हरियाणा में चावल की खरीद

2604. **डा० बी० एल० शैलेश** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि हरियाणा के गैर-सरकार व्यापारी लेवी आर्डर में त्रुटियों का लाभ उठाकर बढ़िया किस्म का चावल हरियाणा से बाहर भेज रहे हैं और कम हुए खाद्य भंडारों को पूरा करने के लिए अधिकाधिक चावल की खरीद करने के सरकार के प्रयासों को विफल कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन त्रुटियों को दूर करने और खरीफ की फसल के चालू खरीद सीजन में सरकार के समग्र चावल खरीद लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए किए गए उपाय

2605. **डा० बी० एल० शैलेश** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि जमाकर्ताओं के हितों की प्रभावी और सार्थक रक्षा के लिए सरकार ने कम्पनियों के ऐसे बेईमान प्रबन्धकों को **दण्ड देने** हेतु, जो लोगों को उनके द्वारा जमा की गई धनराशि पर ब्याज का भुगतान नहीं करते तथा मियाद पूरी हो जाने पर उनकी जमा धनराशि वापिस नहीं करते, क्या उपाय किए हैं ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : सार्वजनिक निक्षेपों के पुनर्भुगतान के लिए उनकी शर्तों के अनुसार उपबन्ध बनाये गये हैं जब तक कि कम्पनी (निक्षेपों की स्वीकृति) नियम, 1975 के अनुसार उन्हें नवीकृत न किया गया हो और अन्यों के साथ-साथ राज्य सभा में 31 अगस्त, 1987 को पेश किये गये कम्पनी (संशोधन) विधेयक, 1987 में सार्वजनिक निक्षेपकर्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए भी उपबंध बनाये गये हैं।

ईंधन की कम खपत वाली इंजन सम्बन्धी प्रौद्योगिकी

2606. **डा० बी० एल० शैलेश** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में मोटर वाहनों में प्रयोग की जाने वाली इंजिनों की ईंधन अन्तःक्षेपण प्रणाली में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो क्या ईंधन की कम खपत करने वाली इंजन सम्बन्धी प्रौद्योगिकी का विकास करने के लिए भारतीय मोटर वाहन निर्माताओं द्वारा कोई विदेशी कम्पनियां चलाई गई हैं अथवा चलाई जा रही हैं;

(ग) तत्सम्बन्धी मुख्य ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार इसके लिए किन-किन शर्तों पर सहमत हुई है और प्रत्येक मामले में कितनी विदेशी मुद्रा व्यय की जाएगी ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) अभी हाल ही में, भारतीय मोटर वाहन निर्माताओं को सम्पूर्ण वाहन तथा केवल इंजन के लिए प्रौद्योगिकी को उन्नत करने की अनुमति दी गई है। प्रौद्योगिकी का यह उन्नयन यात्री कार, वाणिज्यिक वाहन तथा दुपहिया व तिपहिया स्कूटरों में किया गया है। तथापि, वाहनों के पुराने मॉडलों के कुछ निर्माता, अपनी इंजन प्रौद्योगिकी को उन्नत करने के प्रयास में, प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों से सहयोग प्राप्त करने की सम्भावनाओं का पता लगा रहे हैं।

(ख) से (घ) एक निर्माता मे० प्रीमियर आटोमोबाइल्स लि०, अपनी प्रीमियर-पद्मिनी माडल की कारों के इंजन को उन्नत बनाने की सम्भावनाओं पर ऑस्ट्रेलिया के मेसर्स ए० वी० एल० के साथ विचार विमर्श कर रहे हैं।

उड़ीसा में आधारभूत औषध यूनिट की स्थापना

2607. **श्री हरिहर सोरन** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उड़ीसा में एक आधारभूत औषध यूनिट की स्थापना करने का विचार है;

(ख) क्या आधारभूत औषध यूनिट वर्ष 1987-88 में स्थापित की जाएगी;

(ग) यदि हां, तो उड़ीसा में इसे किस स्थान पर स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(घ) उक्त प्रस्ताव को कार्यान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मंत्रालय में रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

बिहार और पश्चिम बंगाल में बिजली उत्पादन के नए तरीके पर आधारित संयंत्र स्थापित करना

2608. **श्री पूर्ण चन्द्र मलिक** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अब एक नये तरीके से बिजली उत्पादन किया जाने लगा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसका कोयला खनन उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ेगा;

(घ) क्या बिहार और पश्चिम बंगाल में बिजली उत्पादन के इस नये तरीके पर आधारित संयंत्र स्थापित करने की कोई योजना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (ङ) सौर ऊर्जा, बॉयोमास, बॉयोगैस, पवन तथा समुद्रिक ऊर्जा और मेगनेटो-डायनेमिक (एम० एच० डी०) प्रक्रिया के माध्यम से उत्पादन जैसे ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का उपयोग करके विद्युत उत्पादन करने सम्बन्धी नये तरीके अनुसंधान एवं विकास/प्रमाणन की स्थिति में हैं अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत विभाग द्वारा प्रयोजित 5 मेगावाट की प्रारम्भिक (इनपुट) क्षमता वाला एक एम० एच० डी० संयंत्र प्रयोग के तौर

पर तिरुचिरापल्ली में चालू किया गया है। बिहार तथा पश्चिम बंगाल सहित देशों के विभिन्न भागों में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा तथा बायोमॉस गैसीफायर का उपयोग करने वाले कई निदर्शन विद्युत यूनिट स्थापित किए गए हैं।

देश की विद्युत की अधिकांश मांग को पारम्परिक ताप-विद्युत (कोयले पर आधारित) और जल-विद्युत उत्पादन के माध्यम से पूरा किया जाना जारी रहेगी और निकट भविष्य में विद्युत उत्पादन के अपारम्परिक उपायों के प्रचालन से कोयला-खनन उद्योग पर किसी प्रकार के विपरीत प्रभाव की बहुत कम संभावना है।

विभागेत्तर कर्मचारी सम्बन्धी मदन किशोर समिति द्वारा की गई सिफारिशें

2609. **प्रो० नारायण चन्द पाराशर** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभागेत्तर कर्मचारी सम्बन्धी मदन किशोर समिति ने ग्रामीण क्षेत्रों में विभागेत्तर उप-कार्यालयों का दर्जा बढ़ा कर विभागीय उप-कार्यालयों अथवा उनका दर्जा घटाकर विभागेत्तर शाखा कार्यालयों के रूप में करने की सिफारिश की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पश्चात् अब तक ऐसे विभागेत्तर उप-कार्यालयों की जिनमें दर्जा बढ़ाने के लिए अपेक्षित कार्यभार था, का दर्जा बढ़ा दिया गया है और जिनके पास कार्य-भार नहीं है, उनका दर्जा घटा दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो मण्डल-वार ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है जबकि विभागेत्तर उप-कार्यालयों का (एक) विभागीय उप-कार्यालयों के रूप में दर्जा बढ़ाया गया, (दो) विभागेत्तर शाखा कार्यालय के रूप में दर्जा घटाया गया और (तीन) यथावत् बने रहने की अनुमति दी गई और हिमाचल प्रदेश में ऐसे कार्यालयों का प्रत्येक श्रेणी में जिला-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या समिति की सिफारिशों के अनुसार ऐसे सभी विभागेत्तर उप-कार्यालयों को, जिनमें अपेक्षित कार्यभार है विभागीय उप-कार्यालय का दर्जा दिया जाएगा ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) वास्तविक सिफारिश इस प्रकार थी :—

"सभी पहलुओं पर विचार करने के पश्चात मेरा यह विचार है कि जिन छोटे कस्बों में पूर्णकालीक विभागीय उप-डाकघर का औचित्य नहीं बनता उन कस्बों में तथा ग्रामीण क्षेत्रों में कोई अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर नहीं होना चाहिए। ऐसे स्थानों पर यदि पांच घंटे या इससे अधिक समय का कार्यभार है तो हम विभागीय डाकघर खोल सकते हैं अन्यथा एक शाखा डाकघर ही खोला जा सकता है। तदनुसार मैं यह स्पष्ट करता हूं कि :—

(i) शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कोई भी अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर नहीं होना चाहिए।

(ii) शहरी क्षेत्रों में मौजूदा डाकघर या तो बंद कर दिये जाने चाहिए अथवा विभागीय उप-डाकघरों में अंतरित किए जाने चाहिएं।

(iii) ग्रामीण क्षेत्रों में मौजूदा अतिरिक्त विभागीय उप-डाकघर उपर्युक्त सिफारिश के आधार पर या शाखा डाकघरों में अथवा उप-डाकघरों में परिवर्तित किए जाने चाहिएं।

(ख) उपर्युक्त सिफारिश कार्यान्वित नहीं की गई थी। इसके विपरीत डाक-तार बोर्ड ने 1978 में निम्नलिखित नीति निर्णय लिया :—

"अतिरिक्त विभागीय उप-डाकघर मौजूद की तरह जारी रखे जाएं तथा भविष्य में निम्नलिखित मानदण्ड पूरे होने पर ही अतिरिक्त विभागीय उप-डाकघर खोले जाएं :—

(i) यदि अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर का मौजूदा कार्यभार 4 घंटे या इससे अधिक परन्तु 5 घंटे से अधिक नहीं है तो उसका दर्जा बढ़ाकर अतिरिक्त विभागीय उप-डाकघर बना दिया जाए।

(ii) पी० सी० ओ० सुविधा वाले अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघरों को अतिरिक्त विभागीय उप-डाकघरों में परिवर्तित किया जाना चाहिए।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) जी, नहीं। अतिरिक्त विभागीय डाकघरों का दर्जा बढ़ाने के लिए कार्यभार के अतिरिक्त हानि की एक अनुमेय सीमा भी निर्धारित की गई है। इसके अतिरिक्त पदों के सृजन पर प्रतिबन्ध जारी है।

हिमाचल प्रदेश में गोदामों का निर्माण

2610. **प्रो० नारायण चन्द पाराशर : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** हिमाचल प्रदेश में गोदामों के निर्माण के बारे में 28 जुलाई, 1987 के अतारांकित प्रश्न संख्या 335 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश के उन सात स्थानों के जिलों सहित नाम क्या हैं, जहां पर भारतीय खाद्य निगम गोदामों का निर्माण कर रहा है; और

(ख) इन गोदामों में से प्रत्येक पर कितनी अनुमानित लागत आयेगी और इनके कब तक बन कर तैयार हो जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) भारतीय खाद्य निगम ने हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित 8 केन्द्रों पर गोदामों का निर्माण करने के लिए अनन्तिम योजना बनाई है :—

क्रम सं०	केन्द्र	जिला
1.	शिमला	शिमला
2.	नूरपुर	कांगड़ा
3.	बैजनाथ	कांगड़ा
4.	परवानू	सोलन
5.	हमीरपुर	हमीरपुर
6.	चम्बा	चम्बा
7.	ऊना	ऊना
8.	कुल्लु	कुल्लु

(ख) नूरपुर और ऊना में भंडारण क्षमता का निर्माण कार्य मार्च, 1990 तक पूरा हो ही जाने की सम्भावना है। शेष 6 केन्द्रों पर निर्माण अनुसूची पता लगाए गए स्थानों पर राज्य सरकार द्वारा भूमि उपलब्ध किए जाने पर तैयार की जाएगी। इसके अधीन, कुल अनन्तिम योजनाबद्ध 30,840 मीटरी टन क्षमता के निर्माण के लिए कुल लगभग 4 करोड़ रुपए की लागत आएगी।

हिमाचल प्रदेश में लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन लगाना

2611. **प्रो० नारायण चन्द पाराशर** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान "हैक्सागन" योजना के अन्तर्गत कोई लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन लगाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो जिला वार उन स्थानों के क्या नाम हैं जहां पर पर अब तक सार्वजनि क टेलीफोनों के लिए (एक) मंजूरी दी गई, (दो) प्रतिस्थापित किए गए; और

(ग) इस सम्बन्ध में सातवीं पंचवर्षीय योजना के प्रत्येक वर्ष के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है और प्रत्येक जिले में प्रत्येक वर्ष के लिए पृथकत: वास्तविक उपलब्धता क्या रही ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) जी, हां।

(ख) जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) हिमाचल प्रदेश के लिए लक्ष्य और उपलब्धियां नीचे दी गई है :—

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धियां
1985-86	1	1
1986-87	7	8
1987-88	25	8 31-10-87 तक
1988-89	अभी निर्धारित	
1989-90	नहीं किए गए हैं	

विवरण

क्रम सं०	मंजूर	जिला	टिप्पणी
1	2	3	4
1.	कुठेरा	ऊना	—
2.	राजपुरा	सिरमौर	1986-87 में खुला
3.	कोरगा	—वही—	—
4.	कालार	—वही—	1985-86 में खुला
5.	घुरनिवार	—वही—	1986-87
6.	डागेरा	—वही—	1986-87
7.	दिओनी	—वही—	1986-87

1	2	3	4
8.	बांनकालान	—वही—	1986-87
9.	नावरोधर	—वही—	1986-87
10.	डिडोग खानोटा	—वही—	1986-87
11.	पंजेरा	सोलन	—
12.	लाडोरी	कांगड़ा	—
13.	हारसी	—वही—	1986-87 में खुला
14.	माकरीरी	मांडी	—
15.	बासाही	—वही—	—

नोट : 1987-88 के दौरान खोले गए लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन के नाम एकत्र किए जा रहे हैं।

तिलहनों का आयात और खाद्य तेलों की कमी का अनुमान

2612. **श्री मुलापल्ली रामचन्द्रन** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1987-88 में खाद्य तेलों में कितनी कमी आने का अनुमान है;

(ख) क्या सरकार के पास आयातित तिलहनों के वितरण का कोई निश्चित प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) तेल वर्ष 1987-88 के लिए फसलों के बारे में अनुमान अभी तक उपलब्ध नहीं है। तथापि, देश के कई तिलहन उत्पादक राज्यों में सूखे की स्थिति के कारण देशीय खाद्य तेलों की आपूर्ति में कमी जारी रह सकती है।

(ख) और (ग) इस समय तिलहनों का आयात नहीं किया जा रहा है। तथापि, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के माध्यम से सहायता आधार पर 5 लाख मी० टन तिलहनों का आयात करने का प्रस्ताव है।

सातवीं पंचवर्षीय योजना में कुंओं की खुदाई

2613. **श्री शान्ताराम नायक** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना में तेल के कितने कुंओं की खुदाई करने का विचार है;

(ख) समुद्र तट से दूर और समुद्र तट दोनों पर पता लगाए गए क्षेत्रों का अलग-अलग ब्यौरा क्या है; और

(ग) कितने पूंजी निवेश का प्रस्ताव है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) सातवीं पंचवर्षीय

योजना की अवधि के दौरान तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा लगभग 2000 कुएं तथा आयल इण्डिया लिमिटेड द्वारा लगभग 240 कुएं खोदने का प्रस्ताव है।

(ख) ड्रिलिंग कार्यक्रम का विवरण इस प्रकार है :—

तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग

अपतट

	अन्वेषणकारी कुएं	विकास कुएं
कैम्बे बेसिन	239	664
कच्छ और सौराष्ट्र	8	—
राजस्थान	16	—
ऊपरी असम/और असम अरकन फोल्ड बेल्ट	153	232
कृष्णा-गोदावरी	52	—
कावेरी	46	—
बंगाल	8	—
हिमालय की तराई और गंगा वैली	7	—
	529	896

तटीय

बम्बई	183	325
कच्छ और सौराष्ट्र	10	—
केरल-कोंकण	10	—
बंगाल	5	—
कृष्णा-गोदावरी	14	—
कावेरी	21	—
अण्डमान	8	—
जोड़ :	251	325

आयल इण्डिया लिमिटेड

	अन्वेषणकारी कुएं	विकास कुएं
अपतटीय		
असम और अरुणाचल प्रदेश	61	156

महानदी (उड़ीसा)	8	—
राजस्थान	6	—
	75	156
तटीय		
अण्डमान	3	—
उत्तर पूर्वी तट	6	—
	9	

(ग) सातवीं योजना की अवधि के दौरान ड्रिलिंग कार्यों पर तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा लगभग 4500 करोड़ रुपए तथा आयल इण्डिया द्वारा लगभग 500 करोड़ रुपए खर्च किए जाने का अनुमान है।

कर्नाटक में उद्योगों में बिजली की कटौती

2614. **श्री एस० एम० गुरड्डी :**

श्री जी० एस० बसवराजू :

श्री एच० एन० नन्जे गौडा :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक के पन-बिजली केन्द्रों से सम्बद्ध जलाशयों में पानी के कम भण्डार को देखते हुए राज्य में उद्योगपतियों की बिजली की सप्लाई में और कटौती किए जाने की आशंका हो गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या कर्नाटक में उद्योगों की बिजली की कटौती के कारण भारी नुकसान हुआ है; और

(ग) क्या बिजली की कटौती के कारण उद्योगों को नुकसान हुआ है और क्या केन्द्रीय सरकार उद्योगों को सहायता के लिए सहमत हो गई है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम०-अरुणाचलम) : (क) से (ग) विद्युत विभाग के अनुसार, कर्नाटक राज्य में मांग की तुलना में बिजली की उपलब्धता में 26.7% की कमी हुई थी। 7-11-87 की स्थिति के अनुसार कृषि को 16 से 24 घंटे बिजली देने के लिए राज्य में मांग कटौती 0 से 20% तथा ऊर्जा में कटौती 30% से 80% थी। औद्योगिक उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कारणों में एक कारण बिजली की कमी है, किन्तु उत्पादन में क्षति होने के कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

राज्य व्यापार निगम द्वारा खाद्य तेल का आयात

2615. **श्री हरिहर सोरन :** क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का भारतीय राज्य व्यापार निगम के माध्यम से खाद्य तेल का आयात करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उस देश का क्या नाम है जहां से भारतीय राज्य व्यापार निगम का खाद्य तेल आयात करने का विचार है;

(ग) क्या भारतीय राज्य व्यापार निगम का पोत पर्यन्त निष्प्रभार आधार पर खाद्य तेल आयात करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो राज्य व्यापार निगम द्वारा वर्ष 1987-88 के दौरान कितनी मात्रा में खाद्य तेल का आयात करने का विचार है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) भारत सरकार पहले से ही भारतीय राज्य व्यापार निगम के माध्यम से खाद्य तेलों का आयात कर रही है।

(ख) जिन देशों से खाद्य तेलों का आमतौर पर पोत-लदान होता है वे इस प्रकार है :—

तेल	देश
सोयाबीन का तेल	अमरीका, ब्राजील, अर्जेन्टीना और यूरोप
रेपसीड तेल	कनाडा और यूरोप
ताड़ का तेल/पामोलीन	मलेशिया और इन्डोनेशिया

(ग) खाद्य तेलों की कुछ मात्रा पोत पर्यन्त निःशुल्क आधार पर आयात करने का एक प्रस्ताव है।

(घ) आयात की जाने वाली खाद्य तेलों की मात्रा का निर्णय समय-समय पर विभिन्न घटकों, जैसे मांग और आपूर्ति के बीच अन्तर अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य और अन्य सम्बन्धित बातों को ध्यान में रखकर किया जाता है।

खाद्य तेल का आयात

2616. **श्री मोहन भाई पटेल** :

चौधरी अख्तर हसन :

क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी-अक्तूबर, 1987 के दौरान प्रत्येक महीने में खाद्य तेल की कितनी मात्रा का आयात किया गया;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं और यदि हां, तो आयात हेतु प्रस्तावित प्रत्येक प्रकार के खाद्य तेल से सम्बन्धित ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य को खाद्य तेल की कितनी मात्रा सप्लाई की गई है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) जनवरी-अक्तूबर, 1987 के दौरान आयात किए गए खाद्य तेल की महावार मात्रा निम्नवत

है :—

माह	मात्रा मीटर टनों में
जनवरी, 1987	171988
फरवरी, 1987	51255
मार्च, 1987	85565
अप्रैल, 1987	54044
मई, 1987	86507
जून, 1987	93070
जुलाई, 1987	139301
अगस्त, 1987	159106
सितम्बर, 1987	204527
अक्तूबर, 1987	295680
	1341043

(ख) राज्य व्यापार निगम प्रत्येक पोत-लदान (शिपमेंट) के अलग-अलग करार के अन्तर्गत पार्टियों के माध्यम से खाद्य तेल का आयात करता है। खाद्य तेल की आयात की जाने वाली मात्रा का निर्णय विभिन्न बातों जैसे मांग तथा आपूर्ति के बीच के अन्तर, अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों और अन्य सम्बन्धित बातों को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर किया जाता है।

(ग) जनवरी-अक्तूबर, 1987 के दौरान प्रत्येक राज्य को सप्लाई किए गए आयातित खाद्य तेलों की मात्रा के सम्बन्ध में विवरण संलग्न है।

विवरण

(मीटरी टनों में)

क्र० सं०	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	सप्लाई की गई मात्रा
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	74,858
2.	असम	1,847
3.	बिहार	7,559
4.	गुजरात	1,03,382
5.	हरियाणा	5,228
6.	हिमाचल प्रदेश	8,189
7.	जम्मू व कश्मीर	4,077

1 2	3
8. कर्नाटक	43,140
9. केरल	31,405
10. मध्य प्रदेश	20,461
11. महाराष्ट्र	79,948
12. मणिपुर	7,609
13. मेघालय	3,708
14. नागालैण्ड	7,076
15. उड़ीसा	13,916
16. पंजाब	7,185
17. राजस्थान	5,599
18. सिक्किम	876
19. तमिलनाडु	49,358
20. त्रिपुरा	984
21. उत्तर प्रदेश	8,752
22. पश्चिम बंगाल	1,00,572
23. अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	789
24. अरुणाचल प्रदेश	145
25. चण्डीगढ़	425
26. दादरा व नगर हवेली	542
27. दिल्ली	12,942
28. गोआ	4,257
29. लक्षद्वीप	248
30. मिजोरम	1,379
31. पाण्डिचेरी	5,357
32. दमण	—
33. दीव	—
कुल :	6,11,83

औद्योगिक अल्कोहल का निर्यात

2617. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल :**

श्री मोहम्मद महफूज अली खां :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डिस्टिलर्स एसोसिएशन औद्योगिक अल्कोहल का निर्यात करने की मांग करती रही है;

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या औद्योगिक अल्कोहल के निर्यात के बारे में कोई निर्णय लिया गया है;

(घ) यदि हां, तो निर्यात किस एजेंसी के माध्यम से किया जाएगा;

(ङ) कितनी मात्रा का निर्यात किया जाएग; और

(च) निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त होने की संभावना है ?

उद्योग मंत्रालय में रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) आल इण्डिया डिस्टिलर्स एसोसिएशन (ए० आई० डी० ए०) को, सीधे ही अथवा उनके अधिकृत नामितों के माध्यम से, 500 लाख लिटर अल्कोहल के निर्यात का प्रबन्ध करने की अनुमति दी गई है, परन्तु शर्त यह है कि राज्य व्यापार निगम के पास ठेकों का पंजीकरण कराया जाएगा और राज्य व्यापार निगम को सेवा शुल्क का भुगतान किया जाएगा।

(च) ए० आई० डी० ए० द्वारा ठकों को अन्तिम रूप दिए जाने के पश्चात स्पष्ट स्थिति सामने जाएगी। ए० आई० डी० ए० को प्राप्त पूछताछों के आधार पर, देश को इस मात्रा से लगभग 18.00 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा की आय होने की संभावना है।

चमड़ा उद्योग का विकास

2618. **श्री वाई० एस० महाजन** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को चमड़ा उद्योग की समस्याओं की जानकारी है यदि हां, तो वे क्या हैं;

(ख) सरकार ने चमड़ा उद्योग के आधुनिकीकरण और उचित विकास के लिए कौन से कदम उठाये हैं ताकि घरेलू बाजार की बढ़ती हुई आवश्यकताओं के अनुरूप इसे तैयार करने के साथ-साथ इसे निर्यात करने योग्य भी बनाया जा सके; और

(ग) सरकार द्वारा इस उद्योग में समान विकास की नीति को अपनाने के लिए बड़े औद्योगिक घरानों, बहुराष्ट्रिकों लघु और मध्यम दर्जे के उत्पादकों को एक साथ लाने के लिए क्या प्रयत्न किए जा रहे हैं ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) चमड़ा उद्योग की समस्याओं का पता लगाना एक अनवरत प्रक्रिया है तथा नियमित अन्तरालों के बाद समीक्षा करके समय-समय पर इस बारे में सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं। देश में चमड़ा उद्योग के सामने आने वाली महत्वपूर्ण समस्याओं में कच्चे माल व कुशल श्रमशक्ति प्रशिक्षण एवं डिजाइन सुविधाओं की कमी हैं जिन्हें निर्यात हेतु महत्वपूर्ण क्षेत्रों के रूप में माना गया है। इन समस्याओं को दूर करने के लिए चमड़ा उद्योग को बदलती प्रौद्योगिकी के बराबर रखने तथा आधुनिक उत्पादों का भी विनिर्माण करने में समर्थ करने के लिए कुछ विशिष्ट कदम उठाये गये हैं जिनसे विदेशी बाजार की आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी। उद्योग को ओ० जी० एल० के अन्तर्गत अपरिष्कृत चमड़ों व खालों, पपड़ीदार चमड़े और गोजातीय चमड़ों से परिष्कृत किये गये चमड़ों का आयात करने की अनुमति है। उक्त उद्योग को चमड़ा परिष्करण सहायक सामानों और फिनॉल मोम, नैफ्थालीन आदि जैसे चमड़ा

सहायक सामान के लिए प्रमुख कच्चे माल का रियायती सीमा शुल्क दर पर आयात करने की भी अनुमति दी गई है। चमड़े और चमड़े की वस्तुओं के उत्पादन के लिए आवश्यक अधिकतर मशीनों को घटे हुए शुल्क सहित खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत रखा गया है ताकि उक्त उद्योग अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का बढ़िया चमड़ा और चमड़े की वस्तुएं बना सके और पुरानी और घिसी पिटी मशीनों के स्थान पर आधुनिक मशीनें लगा सके।

लघु क्षेत्र और विकेन्द्रीकृत क्षेत्र चमड़ा उद्योग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वास्तव में, चमड़े के जूते और चमड़े की वस्तुओं का विनिर्माण लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित है। सरकार और इसके लघु उद्योग विकास संगठन, केन्द्रीय जूता तकनीकी केन्द्र, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम आदि जैसे अभिकरणों ने इस क्षेत्र की मदद करने के लिए कई उपाय किए हैं। इनमें प्रशिक्षण और विपणन सुविधाएं देना, सामान्य सुविधा केन्द्रों की स्थापना करना, स्वदेशी चमड़ा और जूते की मशीनों का आदर्श विकास करना, किराया खरीद आधार पर चमड़े के जूतों के लिए मशीनें खरीदने में सहायता देना और प्रति वर्ष 15.00 लाख रु० मूल्य का उत्पादन करने वाले एककों के लिए उत्पादन शुल्क से छूट देना शामिल है।

सरकार लघु क्षेत्र और विकेन्द्रीकृत क्षेत्र की उपर्युक्त ढंग से सहायता कर रही है और चमड़े की वस्तुओं से अर्जित की जाने वाली विदेशी मुद्रा में वृद्धि करने के लिए संगठित क्षेत्र को बढ़ावा दे रही है। चमड़े के जूते और चमड़े की वस्तुओं के विनिर्माण के लिए बड़े एककों को यूनिट स्थापित करने की अनुमति दी जाती है जबकि ये केन्द्रीय रूप से अधिसूचित पिछड़े क्षेत्रों में हों और वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ होने के तीसरे वर्ष से 75 प्रतिशत निर्यात दायित्व ले सकें। सम्बद्ध अधिनियमों के उपबन्धों के अधीन एम०आर०टी०पी० और फेरा कम्पनियों को एकक स्थापित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की अनुमति भी दी गई है। इस प्रकार ये बड़े एकक लघु विकेन्द्रीकृत क्षेत्र के हितों के नुकसान पहुंचाए बिना चमड़े की वस्तुओं से होने वाली निर्यात आय को अधिकतम करने में सहायक होंगे। इस उद्योग के कार्यकलापों को आधुनिक बनाने के लिए चमड़ा उद्योग के सभी क्षेत्रों से प्राप्त होने वाले विदेशी सहयोग के आवेदनों और चमड़ा प्रौद्योगिक में विदेशी विशेषज्ञों की नियुक्ति के अनुरोधों पर बहुत उदारतापूर्वक विचार किया जाता है।

कर्नाटक को खाद्यान्नों की सप्लाई

2619. **श्री एस० एम० गुरड्डी :**

श्री एच०एन० नन्जे गौड़ा :

क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने केन्द्रीय सरकार से राज्य की खाद्यान्नों की मांग को पूरा करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो उस राज्य को सितम्बर से नवम्बर, 1987 की अवधि के दौरान खाद्यान्नों की कुल कितनी मात्रा सप्लाई की गई; और

(ग) उस राज्य की वास्तविक मांग कितनी थी और सरकार द्वारा इस मांग को किस हद तक पूरा किया गया है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) से (ग) कर्नाटक को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए गेहूं और चावल का आबंटन इस समय राज्य सरकार की मांग के अनुसार किया जाता है।

सितम्बर से नवम्बर 1987 तक की अवधि के लिए उनकी मांग, आवंटन और उठान के बारे में सूचना इस प्रकार है :—

(हजार मीटरी टन में)

	मांग	आबंटन	उठान
चावल	180.0	180.0	*119.8
गेहूं	75.0	75.0	*29.2

*उठान के आंकड़े केवल अक्तूबर, 1987 तक के हैं।

चावल और गेहूं का आयात

2620. **श्री एस० एम० गुरड्डी :**
श्री कमल नाथ :

क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन ने भविष्यवाणी की है कि भारत को इस वर्ष खरीफ की फसल में पर्याप्त कमी के कारण चावल की कुछ मात्रा आयात करनी पड़ेगी;

(ख) वर्ष 1987-88 और 1988-89 के दौरान चावल तथा अन्य अनाजों की कितनी मात्रा का आयात किया गया; और

(ग) अनाज का आयात किन देशों से किया जायेगा और उसकी अनुमानित लागत क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) जी, हां। खाद्य और कृषि संगठन की रिपोर्ट, कि भारत को कुछ मात्रा में चावल का आयात करने की आवश्यकता पड़ सकती है, सरकार के ध्यान में आयी है।

(ख) इस समय सरकार एजेंसियों के पास खाद्यान्नों (गेहूं और चावल) के स्टाक की समुचित मात्रा है। वर्ष 1987-88 के दौरान अब तक गेहूं और चावल का कोई आयात नहीं किया गया है। तथापि, सरकार आवश्यकता पड़ने पर खाद्यान्नों का आयात कर सकती है।

(ग) उपर्युक्त (ख) की दृष्टि में प्रश्न ही नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित किया गया गन्ने का क्रय मूल्य

2621. **श्री वाई० एस० महाजन :** क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने चीनी मिलों को गन्ने के मूल्य का 25 रुपये प्रति क्विंटल के स्थान पर 27 रुपये की दर से भुगतान करने का निर्देश दिया है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार का चीनी मिलों से चीनी गन्ने के 18 रुपये प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर आधारित मूल्य पर लेते रहने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो क्या न्यूनतम समर्थन मूल्य और गन्ना मिलों द्वारा गन्ना उत्पादकों को भुगतान किए जाने वाले वास्तविक मूल्य के बीच अन्तर और अधिक हो जाएगा;

(घ) क्या चीनी मिलें गन्ने के मूल्य इत्यादि में वृद्धि के कारण होने वाले अतिरिक्त घाटे को किसानों से वसूल करने की कोशिश करेंगी; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार का कदाचारों से किसानों के हितों की किस प्रकार रक्षा करने का विचार है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) प्रेस रिपोर्टों के अनुसार उत्तर प्रदेश में चीनी फैक्ट्रियों से कहा गया है कि वे 1987-88 मौसम के लिए गन्ने का 26 से 27 रुपये प्रति क्विंटल का भाव दें।

(ख) 1987-88 मौसम के दौरान चीनी फैक्ट्रियों द्वारा गन्ने के देय सांविधिक न्यूनतम मूल्य की नवम्बर, 1986 में घोषणा की गई थी। यह मूल्य 8.5 प्रतिशत की रिकवरी पर 18.00 रुपये प्रति क्विंटल था और लेवी चीनी का मूल्य गन्ने के सांविधिक न्यूनतम मूल्य के आधार पर निकाला जाता है।

(ग) से (ङ) सांविधिक न्यूनतम मूल्य तो केवल न्यूनतम मूल्य है। कोई भी चीनी फैक्ट्री इससे कम मूल्य नहीं दे सकती है। मिलों द्वारा गन्ने का वास्तव में दिया गया मूल्य मांग और पूर्ति जैसे कारणों और अन्य स्थानीय कारणों पर निर्भर करता है। ये मूल्य सांविधिक नहीं होते हैं। सरकार की आंशिक नियंत्रण की नीति उत्पादित चीनी की 50 प्रतिशत मात्रा को खुले बाजार में बेचने की इजाजत देती है। पिछले कुछेक वर्षों के दौरान चीनी उद्योग के कार्य निष्पादन से यह विदित होगा कि गन्ने के ऊंचे दाम अधिक तत्परता के साथ दिये गये हैं। अत: उत्पादकों पर किसी नुकसान को डालने का प्रश्न ही नहीं उठता और किसानों के हितों की रक्षा की जाती रहेगी जब कोई कदाचार सरकार के ध्यान में लाया जाएगा तब उस पर कड़ाई से कार्रवाई की जाएगी।

[हिन्दी]

गन्ना उत्पादकों को देय बकाया राशि का भुगतान

2622. **श्री कमला प्रसाद रावत :**

श्री शांति धारीवाल :

चौधरी राम प्रकाश :

श्री मुरलीधर माने :

श्री सैयद शाहबुद्दीन :

क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अक्तूबर, 1987 को पूरे देश में चीनी मिल मालिकों और सरकारी चीनी मिलों की ओर गन्ना उत्पादकों की राज्य-वार कितनी राशि बकाया थी;

(ख) क्या सरकार गन्ना उत्पादकों को उनके गन्ने की देय बकाया राशि के भुगतान कराने के प्रयास कर रही है;

(ग) यदि हां, तो गन्ना उत्पादकों को देय राशि का कब तक भुगतान कर दिया जाएगा;

(घ) क्या सरकार उन्हें देय बकाया राशि पर ब्याज का भुगतान सुनिश्चित करेगी;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) गन्ना उत्पादकों को गन्ना दिये जाने के समय तुरन्त भुगतान सुनिश्चित करने के लिए क्या संस्थागत कदम उठाने पर विचार किया जा रहा है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) एक विवरण संलग्न है जिसमें पहली अक्तूबर, 1987 को स्थिति के अनुसार निजी, सहकारी और सरकारी क्षेत्र की मिलों सहित चीनी मिलों के प्रति गन्ने के मूल्य की बकाया राशि की राज्यवार स्थिति दी गई है।

(ख) और (ग) गन्ने के मूल्य का शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करने की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होती है जिनके पास ऐसे भुगतान करवाने के लिए आवश्यक शक्तियां और फील्ड संगठन हैं। केन्द्रीय सरकार स्थिति पर निगरानी रखती है। राज्य सरकारों को गन्ने के मूल्य का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर उच्चतम स्तर पर लिखा गया है। केन्द्रीय सरकार ने कुछेक नीति विषयक उपाय भी किए हैं ताकि चीनी उद्योग गन्ने के मूल्य का शीघ्रता से भुगतान कर सके। इन उपायों में गन्ने के सांविधिक न्यूनतम मूल्य में वृद्धि करना, मुक्त बिक्री की चीनी के अनुपात में वृद्धि करना, जल्दी/देर तक पेराई कराने के लिए उत्पादन शुल्क में छूट देना, चीनी उद्योग के लिए उपयुक्त ऋण सुविधाओं की व्यवस्था करना, मूल्य को उपयुक्त स्तरों पर बनाये रखने के लिए मुक्त बिक्री की चीनी के मूल्यों पर नजर रखना आदि शामिल हैं। इन उपायों और राज्य सरकारों द्वारा किये गये प्रयत्नों के फलस्वरूप, 31 अक्तूबर को स्थिति के अनुसार 1986-87 मौसम के बकायों की राशि कम होकर केवल 9.77 करोड़ रुपये रह गई है जोकि गन्ने के कुल मूल्य का केवल 0.5 प्रतिशत बैठती है। पिछले मौसम के दौरान रिकार्ड पेराई होने के बावजूद भी बकाया राशि निम्नतम रही है। शेष बकायों का शीघ्रता से भुगतान करवाने के लिए प्रयत्न जारी हैं।

(घ) और (ङ) गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 में यह व्यवस्था है कि गन्ने के मूल्य का गन्ने की सुपुर्दगी के 14 दिनों के अन्दर भुगतान किया जाना होता है। इस व्यवस्था को लागू करने की प्राथमिक जिम्मेदारी भी राज्य सरकारों की होती है जिनके पास आवश्यक शक्तियां और फील्ड संगठन हैं। हाल ही में इस मामले में राज्यों के मुख्य मंत्रियों को लिखा गया है।

(च) जैसाकि पहले उल्लेख किया गया है, गन्ना (नियंत्रण) आदेश में 14 दिनों के अन्दर भुगतान करने के लिए पहले ही व्यवस्था है। नीति विषयक उपायों के अलावा, जिनके बारे में पहले ही उल्लेख कर दिया गया है, भारतीय रिजर्व बैंक उद्योग की ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं का समय-समय पर मूल्यांकन करता है और उद्योग को उपयुक्त ऋण सुविधाएं सुलभ की जाती हैं। महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्यों में, मूल्यों की अग्रिम रूप से घोषणा की जाती है ताकि फैक्ट्रियां समय पर भुगतान कर सकें।

विवरण

पहली अक्तूबर, 1987 को स्थिति के अनुसार भुगतान न किया गया गन्ने का मूल्य

(आंकड़े लाख रुपयों में)

राज्य	मौसम	और पहले के मौसम
आंध्र प्रदेश	18.57	41.47
असम	0.06	—
बिहार	419.55	93.90
गोआ	29.62	—
गुजरात	17.56	53.60
हरियाणा	1.91	0.03
कर्नाटक	790.27	27.22
केरल	20.56	40.94
मध्य प्रदेश	2.02	3.62
महाराष्ट्र	187.75	281.81
नागालैंड	14.83	—
उड़ीसा	0.24	0.33
पांडिचेरी	0.25	1.54
पंजाब	9.48	—
राजस्थान	0.01	—
तमिलनाडु	173.97	1.06
उत्तर प्रदेश	624.96	283.88
पश्चिम बंगाल	2.64	8.78
अखिल भारत	2314.25	838.18

तार कार्यालयों के कर्मचारियों द्वारा धरना और हड़ताल

2623. **श्री बलवंत सिंह रामूवालिया :**

श्री इन्द्रजीत गुप्त :

डा० चिन्ता मोहन :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तार कार्यालयों के कर्मचारियों ने अपनी कुछ मांगों के समर्थन में अक्तूबर, 1987 के अन्तिम सप्ताह में धरना दिया था और भूख हड़ताल की थी;

(ख) यदि हां, तो कर्मचारियों की मांगों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) (क) जी, हां।

(ख) तार परियात का संचालन कम्प्यूटर द्वारा करने के विरुद्ध मांग की थी।

(ग) तारों के पारेषण में विलंब को रोकने के लिए न्यूतम संख्या में कम्प्यूटर उपयोग में लाए गए हैं। इस मामले पर यूनियनों के साथ विचार किया गया था। उन्हें बताया गया है कि स्टाफ में किसी प्रकार की कटौती नहीं की जाएगी। स्टाफ तैनाती और प्रशिक्षण पर नई तकनालॉजी के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए एक समिति गठित की गई है। समिति में स्टाफ में प्रतिनिधियों को भी शामिल किया गया है।

उड़ीसा में भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में चावल का न होना

2624. **श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया :**
डा० चिन्ता मोहन :

क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 23 अगस्त, 1987 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "उड़ीसा एफ०सी० आई० गोडाउन्स विदआउट राइस" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अक्तूबर, 1987 में भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में उपभोग के लिए उपयुक्त चावल की कितनी मात्रा उपलब्ध थी; और

(घ) गत तीन वर्षों में भारतीय खाद्य निगम के इन गोदामों द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए चावल की कितनी मात्रा सप्लाई की गई ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) जी, हां।

(ख) 15-8-1987 की स्थिति के अनुसार, भारतीय खाद्य निगम के पास उड़ीसा में अपने गोदामों में जारी करने योग्य 40,000 मीटरी टन चावल का स्टाक था। अगस्त, 1987 के दौरान जिला कोरापुट में चावल की उठाई गयी मात्रा 3723 मीटरी टन थी जबकि उस जिले के लिए 3840 मीटरी टन का उप-आवंटन किया गया था।

(ग) पहली अक्तूबर, 1987 को स्थिति के अनुसार, भारतीय खाद्य निगम के पास राज्य में जारी करने योग्य 40,366 मीटरी टन चावल का स्टाक उपलब्ध था।

(घ) उड़ीसा में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत 1984 से 1986 तक के दौरान भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से चावल का उठाव इस प्रकार था :—

(हजार मीटरी टन)

	उठाना
1984	42.9
1985	92.5
1986	59.5

पंजाब, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा चंडीगढ़ में खाना पकाने की गैस के रिफिल सिलेण्डरों की कमी

2625. **श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया :**

डा० चिन्ता मोहन :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अक्तूबर, 1987 के अन्तिम सप्ताह में पंजाब, हरियाणा, जम्मू और काश्मीर हिमाचल प्रदेश, तथा चण्डीगढ़ में खाना पकाने की गैस के रिफिल सिलेण्डरों की अचानक कमी हो गई थी;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में विस्तृत तथ्य क्या है;

(ग) क्या इन क्षेत्रों में सामान्य दिनों में भी उपभोक्ताओं को रिफिल सिलेण्डर 15 से 25 दिन के बाद मिलता है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) खाना पकाने की गैस के सिलेण्डरों की सप्लाई की स्थिति सुधारने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) से (घ) पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़ और जम्मू और कश्मीर सहित देश के कई भागों में एल० पी० जी० के रिफिलों की सप्लाई में संचय हुआ जो बल्कि उत्पाद की उपलब्धता में कमी, परिवहन समस्याओं और अन्य प्रचालनगत बाधाओं के कारण था।

(ङ) कोयाली/कम्बई से और आयात के जरिए बल्कि एल० पी० जी० का प्रबन्ध करके सप्लाई बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

[**अनुवाद**]

रसायन उद्योग हेतु संदर्शी योजना

2626. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल :**

श्री भद्रेश्वर तांती :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रसायन उद्योग के संवर्धन के क्षेत्रों, आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकीय उन्नयन के क्षेत्रों का पता लगाने के लिए रसायन उद्योग हेतु एक संदर्शी योजना तैयार करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए योजना में मध्यम और दीर्घकालीन मांग और साधनों का पता लगा लिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं ?

उद्योग मंत्रालय में रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग राज्य में मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) रसायन उद्योग के लिए एक परिप्रेक्ष्य योजना तैयार करने हेतु सरकार द्वारा गठित शीर्षस्थ समिति की रिपोर्ट को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। रिपोर्ट उपलब्ध होते ही अपेक्षित ब्यौरे सदन के पटल पर रख दिए जाएंगे।

ऊर्जा के क्षेत्र में भारत-इटली सहयोग

2627. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल :**

डा० वी० वेंकटेश :

क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इटली ने ऊर्जा के क्षेत्र में भारत के साथ सहयोग बढ़ाने में कोई रूचि दिखाई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) हाल ही में हुए विचार-विमर्श के दौरान, दौरे पर आए हुए इटली के प्रतिनिधमण्डल ने ऊर्जा के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग को सुदृढ़ करने में रूचि दिखाई है। इस बात पर सहमति हुई थी कि सहयोग के सुनिश्चित क्षेत्रों का पता लाने की संभाव्यताओं की आगे जांच की जानी चाहिए।

इंडियन पेट्रो-केमिकल्स कारपोरेशन लि० की विस्तार योजना

2628. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल :**

श्री भद्रेश्वर तांती :

डा० वी० वेंकटेश :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन पेट्रो-केमिकल्स कारपोरेशन लि०, की विस्तार योजना निर्धारित समय पर पूरी हो जाएगी;

(ख) यदि हां, तो क्या कंपनी और विस्तार करने की योजना बना रही है; और

(ग) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

उद्योग मंत्रालय में रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) से (ग) बड़ोदा इसके परिसर में जाइलीन्स विस्तार परियोजना के अलावा, इंडियन पेट्रोकेमिकलस कार्पो० लिमिटेड (आई० पी० सी० एल०) की, मुख्य विस्तार परियोजनाएं सामान्यतः कार्यक्रम के अनुसार चल रही हैं।

आई० पी० सी० एल० 1167 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से महाराष्ट्र में नागोथाने में एक मेगा परियोजना अर्थात् एम०जी०सी०सी० की स्थापना भी कर रहा है और वह भी निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चल रही है। तथापि इस परियोजना के विस्तार का मामला भी आई० पी० सी० एल० के विचाराधीन है जो फीडस्टाक की उपलब्धता, आर्थिक व्यवहार्यता, आदि पहलू पर निर्भर है।

[हिन्दी]

बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर जिलों में ट्रांसफार्मर लगाने के लिए ऋण

2629. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन : क्या ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र में बाड़मेर, जैसलमेर, और जोधपुर जिलों के गांव 30 से 200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में छोटे-छोटे समूहों में फैले हुए हैं;

(ख) क्या ग्रामीण विद्युतीकरण निगम राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड को प्रत्येक गांव में एक ट्रांसफार्मर लगाने के लिए ऋण देता है;

(ग) क्या एक ट्रांसफार्मर इतने बड़े गांव की घरेलू आवश्यकता पूरी कर सकता है;' और

(घ) यदि नहीं, तो क्या निगम इतने बड़े रेगिस्तानी क्षेत्र के गांवों में ट्रांसफार्मरों की संख्या बढ़ाने के लिए ऋण देने पर विचार करेगा ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्रा (श्रीमती सुशीला रोहतगा) (क) राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड के अनुसार, बाड़मेर, जैसलमेर तथा जोधपुर जिलों में कुछ गांव काफी अधिक क्षेत्र में फैले हुए हैं और उनकी जनसंख्या की सघनता कम है।

(ख) से (घ) किसी गांव में वितरण ट्रांसफार्मर की व्यवस्था, उस गांव की विद्युत भार संबंधी मांग के आधार पर ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा की जाती है। ऐसे मामलों में, जब किसी गांव में विद्युत भार की मांग कम होती है; उस गांव की विद्युत-भार की आपूर्ति पड़ोसी गांव के ट्रांसफार्मर से एल० टी० लाइनों के माध्यम से की जाती है। इसी प्रकार, विद्युत भार की मांग को देखते हुए किसी गांव में एक से अधिक ट्रांसफार्मर भी लगाया जा सकता है।

आयल इंडिया लिमिटेड द्वारा राजस्थान में तेल की खोज

2630. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयल इंडिया लिमिटेड ने राजस्थान के किन-किन रेगिस्तानी क्षेत्रों में तेल और गैस की खोज का कार्य शुरू किया है;

(ख) इस संबंध में आयल इंडिया लिमिटेड की अब तक की उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आयल इंडिया लिमिटेड ने अब तक किसी क्षेत्र में छिद्रण कार्य शुरू किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) छिद्रण उपकरण उपलब्ध कराकर छिद्रण कार्य कब तक शुरू कराया जाएगा; और

(च) वर्ष 1987-88 के दौरान आयल इंडिया लिमिटेड द्वारा शुरू किए जाने वाले कार्यों का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) आयल इंडिया लि० (ओ० आई० एल०) ने राजस्थान में मुख्यतः जैसलमेर और बिकानेर जिलों में अन्वेषी कार्य आरम्भ किया है।

(ख) आयल इंडिया लि० ने लगभग 8400 लाइन किलोमीटर का भूकम्पीय सर्वेक्षण कार्य पहले ही पूरा कर लिया है।

(ग) से (ङ) राजस्थान क्षेत्र में अन्वेषी खुदाई कार्य के वर्ष 1988 की प्रथम तिमाही तक आरम्भ हो जाने की संभावना है। अन्वेषी खुदाई आरम्भ करने में कुछ विलम्ब हुआ है क्योंकि विश्व बैंक के मानदण्डों और प्रक्रियाओं के अनुरूप खुदाई करार देने में समय लगा। इस क्षेत्र में अन्वेषी खुदाई के लिए आंशिक रूप से वित्तीय प्रबन्ध विश्व बैंक द्वारा किया जाएगा।

(च) वर्ष 1987-88 के दौरान आयल इंडिया लिमिटेड की 262 लाइन किलोमीटर के भूकम्पीय सर्वेक्षण और 15000 मीटर की खुदाई करने की योजना है।

रामगढ़, राजस्थान में गैस पर आधारित ताप संयंत्र

2631· **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के रामगढ़ में बहुत पहले एक गैस पर आधारित संयंत्र स्थापित करने की मंजूरी दी गई थी परन्तु अभी तक उसका निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार का इसे प्राथमिकता देने और गैस पर आधारित इस संयंत्र को शीघ्र स्थापित करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो यह संयंत्र कब तक स्थापित किया जाएगा ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (ग) रामगढ़ में 3 मेगावाट क्षमता का एक गैस पर आधारित विद्युत संयंत्र अगस्त, 1984 में स्वीकृत किया गया था परन्तु राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड और तेल तथा प्राकृतिक गैस की आयोग के बीच प्राकृतिक गैस की कीमत के बारे में समझौता न होने के कारण उपस्कर के लिए आर्डर नहीं दिए गए थे। गैस की कीमत के संबंध में अन्तिम निर्णय ले लिए जाने के बाद गैस टर्बाइन संयंत्र की खरीद हेतु विश्वव्यापी निविदाएं आमंत्रित की गई थीं। राज्य बिजली बोर्ड द्वारा सूचित किया गया है कि यूनिट को संभवतः मुख्य संयंत्र के लिए आर्डर देने के बारे में निर्णय ले लिए जाने के 15 महीनों के भीतर चालू किया जा सकेगा।

[अनुवाद]

कर्नाटक में ताप विद्युत परियोजनाएं

2632. **श्री एस०बी० सिदनाल** :

श्रीमती बसवराजेश्वरी :

श्री जी०एस० बसवराजू

क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक राज्य ने केन्द्रीय सरकार से राज्य में ताप विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने का अनुरोध किया था;

(ख) यदि हां, तो स्वीकृत की गई परियोजनाओं का ब्योरा क्या है;

(ग) इन ताप विद्युत परियोजनाओं के कब तक स्थापित कर दिए जाने की संभावना है; और

(घ) उन पर कुल कितनी धनराशि खर्च होगी ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (घ) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

कर्नाटक राज्य प्राधिकारियों से प्राप्त ताप-विद्युत परियोजनाओं के ब्यौरे

क्र० सं०	स्कीम का नाम	क्षमता (मेगावाट)	अनुमानित लागत करोड़ रु० में)	क्या अनुमोदित कर दी गई है या नहीं	चालू करने का कार्यक्रम
1	2	3	4	5	6
1.	रायचूर ताप-विद्युत केन्द्र युनिट-3	210	159.88	अनुमोदत	1990-91
2.	रायचूर ताप-विद्युत केन्द्र यूनिट-4	210	225.10 225.10	अनुमोदित	मुख्य संयंत्र तथा उपस्कर के लिए आर्डर देने के बाद चालू करने का कार्यक्रम निर्धारित किया जा सकेगा।
3.	कोलार, बिदर, जमाखंडी तथा इन्दी में डीजल जनरेटिंग सैट	77.76	50.80	अनुमोदित	—वही—
4.	बंगलौर में जी०टी० सैट	120	59.00	अनुमोदित	—वही—
5.	मंगलौर में नंदीकुर में ताप-विद्युत केन्द्र	420	614.24	—	स्कीम, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में अप्रैल, 1987 में प्राप्त हुई थी जिसकी विभिन्न मूल्यांकन एजेंसियों के परामर्श से जांच की जा रही है और इसके सम्बन्ध में तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति के बारे में बिजली (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा 29(2) के अंतर्गत मैसर्ज के०पी०सी०एल० द्वारा वैधानिक अपेक्षाओं को पूरा किए जाने, जल आदि जैसे सभी निवेशों की उपलब्धता सुनिश्चित हो जाने और पर्यावरण संबंधी स्वीकृति सहित सभी स्वीकृतियां प्राप्त हो जाने के बाद विचार किया जाएगा। चालू करने का कार्यक्रम स्कीम, स्वीकृत हो जाने के बाद निर्धारित किया जाएगा।

आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता संबंधी समिति

2633. **श्री एस०बी० सिदनाल** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने और मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए किए जाने वाले उपाय निश्चित करने के लिए एक समिति स्थापित की है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस समिति में राज्य सरकारों का भी प्रतिनिधित्व है;

(ग) यदि हां, तो इस समिति के स्थापित किए जाने से वस्तुओं की उपलब्धता और मूल्य वृद्धि को रोकने में किस सीमा तक सहायता मिली है; और

(घ) समिति द्वारा प्रस्तावित कार्यवाहियों और की गई कार्यवाहियों का ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री एच०के०एल० भगत) : (क) से (घ) भारत सरकार ने आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों तथा उनकी उपलभ्यता की पुनरीक्षा करने के लिए विभिन्न स्तरों पर समितियां गठित की हैं। ये समितियां समय-समय पर निर्णय लेती है/सिफारिशें करती है। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को इन समितियों में प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। तथापि, जैसाकि केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा किया जा रहा है, राज्य सरकारें भी अपनी ओर से आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों तथा उनकी उपलभ्यता की परिवीक्षा कर रही है। केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों से निरंतर संपर्क बनाए हुए है। लिए गए विभिन्न निर्णयों को केन्द्रीय तथा राज्य दोनों ही सरकारों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। पिछले कुछ महीनों में इन समितियों ने बहुत से निर्णय किए हैं, जिनमें नेफेड तथा राज्यव्यापार निगम द्वारा दालों का आयात करना, सूखा-पीड़ित क्षेत्रों में और अधिक उचित दर की दुकानें खोलना, खाद्य तेलों का अधिक मात्रा में आयात करना तथा प्याज के निर्यात की गति को धीमा करना शामिल है। इन समितियों के विचार-विमर्श के जरिए आवश्यक वस्तुओं की उपलभ्यता में सुधार लाने तथा उनके मूल्यों में वृद्धि को रोकने में सहायता मिली है।

बंगलौर शहर में भूतपूर्व सैनिकों को सार्वजनिक टेलीफोन बूथ दिया जाना

2634. **श्री बी०एस० कृष्ण अय्यर** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर शहर में सार्वजनिक टेलीफोन बूथ केवल शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को ही दिए जाते हैं; और

(ख) क्या सरकार का इस योजना में भूतपूर्व सैनिकों को भी शामिल करने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) प्राइवेट गारंटी शुदा अटेंडेंट टाइप के सार्वजनिक टेलीफोन केवल शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को प्रदान किए जाते हैं। तथापि, प्राइवेट गारंटी शुदा सी०सी०बी० सार्वजनिक टेलीफोन और विभागीय सी०सी०बी० एवं अटेडेंट टाइप के टेलीफोन देश में सभी जगहों पर प्रदान किए जाते हैं।

(ख) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

जमशेदपुर में खाना पकाने की गैस की सप्लाई

2635. **श्री बी०एस० कृष्ण अय्यर** : क्या **पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों से जमशेदपुर में खाना पकाने की गैस की सप्लाई अनियमित चल रही है;

(ख) क्या सरकार को यह जानकारी है कि लोगों को बुकिंग कराने के दो महीने बाद भी गैस के सिलिंडर नहीं मिल रहे हैं;

(ग) क्या जमशेदपुर के खाना पकाने की गैस के डीलरों ने "पैसा दो और सिलेंडर ले जाओ" (कैश एण्ड कैरी) प्रणाली आरम्भ की है, जिसके अन्तर्गत खाना पकाने की गैस के प्रयोक्ता को एक कार्ड दिया जाता है और उसे बहुत दूर स्थित गोदाम से सिलेंडर लाना पड़ता है;

(घ) क्या प्रगोक्ता को गोदाम से सिलेंडर ले जाने की अनुमति देना जोखिमपूर्ण नहीं है; और

(ङ) यदि हां, तो जमशेदपुर में खाना पकाने की गैस की सप्लाई में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; अथवा उठाए जाने का विचार है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) और (ख) जी, नहीं। किसी खास वितरणशिप के साथ अस्थाई कमी या समस्याओं को छोड़कर आम तौर पर सप्लाई नियमित है।

(ग) सामान्य रूप से उन व्यक्तियों को छोड़कर जिन्होंने भुगतान करो और ले जाओ स्कीम के लिए विकल्प दिया है जो दो रुपया प्रति सिलिंडर की छूट के हकदार हैं, रिफिलों की घर में सुपुर्दगी करने के लिए एल०पी०जी० वितरकों को अनुदेश हैं।

(घ) जी, नहीं। यदि उपभोक्ता मानक सुरक्षा दिशा निर्देशों का पालन करता है, तो सिलिंडर ले जाने में कोई जोखिम नहीं है।

(ङ) उत्पाद की उपलब्धता को बढ़ाने तथा रिफिल डिलीवरी प्रणाली में सुधार करने और इस स्थान पर बाटलिंग क्षमता बढ़ाने के लिए कदम पहले से ही उठाए गए हैं। इन उपायों से जमशेदपुर में एल०पी०जी० सप्लाई की स्थिति आने वाले सप्ताहों में सामान्य स्तर पर आ जाने की संभावना है।

चीनी का उत्पादन

2636. **श्री एस० एम० गुरड्डी** :
श्री एस० बी० सिदनाल :

क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी के उत्पादन में अगस्त, 1987 के दौरान कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो पिछले वर्ष की तुलना में इसमें किस सीमा तक कमी आई है;

(ग) सितम्बर और अक्तूबर, 1987 में क्या स्थिति रही है;

(घ) वर्ष, 1987-88 के 11 महीनों के दौरान चीनी का कुल कितना उत्पादन हुआ तथा वर्ष, 1986-87 की तुलना में यह किस सीमा तक कम था; और

(ङ) वर्ष 1987-88 में चीनी का कम उत्पादन होने के कारण देश में इसकी कमी को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) सितम्बर, 1987 के दौरान 0.45 लाख मीटरी टन चीनी का उत्पादन हुआ और अक्तूबर, 1987 में 22-10-1987 तक यह उत्पादन 0.45 लाख मीटरी टन था।

(घ) 1987-88 के लिए चीनी का मौसम पहली अक्तूबर, 1987 को आरम्भ हुआ। इसलिए 1987-88 के 11 महीनों के उत्पादन की तुलना 1986-87 के साथ करना सम्भव नहीं होगा।

(ङ) सरकार के पास घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए चीनी का पर्याप्त स्टाक है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में पिथौरागढ़ जिले में टेलीफोन केन्द्रों का दर्जा बढ़ाना तथा कुछ और सार्वजनिक टेलीफोन लगाना

2637. **श्री हरीश रावत** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिले पिथौरागढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में दूर संचार सेवा अभी भी पिछड़ी हुई है; और

(ख) यदि हां, तो वर्तमान टेलीफोन केन्द्रों का दर्जा बढ़ाने और इस जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में और सार्वजनिक टेलीफोन लगाने के लिए कौन से कदम उठाने का विचार है और अब तक उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) जी नहीं।

टेलीफोन एक्सचेंज : पिथौरागढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में इस समय 13 टेलीफोन एक्सचेंज काम कर रहे हैं। इसमें से, 4 मैनुअल तथा शेष कम क्षमता के आटोमेटिक एक्सचेंज हैं।

पी० सी० ओ० : पिथौरागढ़ जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य कर रहे लंबी दूरी के पी० सी० ओ० की संख्या 29 है।

(ख) **टेलीफोन एक्सचेंज** : पिथौरागढ़ के एक मैनुअल एक्सचेंज के स्थान पर 400 लाइनों का एक इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज 19-5-87 को संस्थापित किया गया है। अन्य एक्सचेंजों का विस्तार मांग होने पर किया जाएगा जो फिलहाल शून्य है।

पी० सी० ओ० : किसी स्थान पर पी० सी० ओ० विभागीय षटकोषीय योजना के अनुसार खोले जाते हैं। इसके अंतर्गत 5 कि० मी० का षटकोणीय क्षेत्र निर्धारित होता है और प्रत्येक षटकोणीय क्षेत्र में लंबी दूरी का पी० सी० ओ० खोला जाता है। इस समय, पिथौरागढ़ के 79 षटकोणीय क्षेत्रों में से, 29 षटकोणीय क्षेत्रों में यह सुविधा उपलब्ध है। इस जिले के शेष षटकोणीय क्षेत्रों में, लंबी दूरी का पी० सी० ओ० सुविधा प्रदान करने का कार्य चल रहा है और इसकी व्यवस्था निधि की उपलब्धता पर निर्भर करती है।

उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा जिले में भिक्यासैण में डाकघर-भवन का निर्माण

*2638. **श्री हरीश रावत** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :*

(क) क्या अल्मोड़ा जिले (उत्तर-प्रदेश) में भिक्यासैण में डाकघर-भवन का निर्माण करने के लिए स्थल का चयन कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इस भवन के निर्माण पर कुल कितनी धनराशि खर्च करने का विचार है और इस भवन पर कुल कितनी लागत आने का अनुमान है और इसके निर्माण कार्य के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्यक्त (क) के उत्तर को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न ही, नहीं उठता।

[अनुवाद]

नागपुर में इलैक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करना

2639. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागपुर में इलैक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने का प्रस्ताव काफी समय से सरकार के पास लंबित है;

(ख) यदि हां; तो इस संबंध में अब तक क्या प्रयास किए गए हैं; और

(ग) नागपुर में प्रस्तावित यह इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज कब तक स्थापित कर दिया जाएगा और यह कब तक कार्य करना आरंभ कर देगा ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) (क) जी, हां।

(ख) और (ग) मैसर्स आई० टी० आई० मनकापुर के सप्लाई कार्यक्रम में से नागपुर के लिए 10,000 लाइनों के एक ई-10 बी० डिजिटल इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज का 1987-88 में आबंटन किया गया है। उपस्कर की सप्लाई प्रारंभ हो गई है और एक्सचेंज 1988-89 के दौरान चालू होने की संभावना है।

सातवीं योजना में राष्ट्रीय पन-बिजली निगम के लिए धन राशि का आबंटन

2640. **श्रीमती किशोरी सिंह** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं योजना में राष्ट्रीय पन-बिजली निगम के लिए आबंटित धन राशि में वृद्धि की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसमें वृद्धि किए जाने से पन-बिजली क्षेत्र की उत्पादन क्षमता में वृद्धि सुनिश्चित की जा सकेगी; और

(घ) क्या पन-बिजली निगम ने विभिन्न बांधों जैसे दुलहस्ती, चमेरा, टिहरी आदि के लिए विदेशी निर्माण फर्मों के साथ डिजाइन संबंधी परामर्शदायी सेवाएं प्रदान करने लिए करार भी किए हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) सातवीं योजना में राष्ट्रीय जल विद्युत निगम के लिए अनुमोदित परिव्यय 1500 करोड़ रुपए था। हाल ही में इस राशि को संशोधित करके 2843.30 करोड़ रुपए किया गया है।

(ग) जी, हां।

(घ) चमेरा जल विद्युत परियोजना, चरण-1 (3 × 180 मेगावाट) के संबंध में डिजाइन और इंजीनियरी, प्राप्ति, परियोजना प्रबन्ध, निर्माण प्रबंध संबंधी सेवाओं और प्रौद्योगिकी के अन्तरण के लिए राष्ट्रीय जल विद्युत निगम ने मैसर्ज एस० एन० सी०/ए०सी० आर० ई० एस०, कनाडा के साथ एक समझौता किया है।

दूरसंचार सुविधाओं का विस्तार करना

2641. **श्रीमती किशोरी सिंह** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सराकार का दूर संचार सुविधाओं का विस्तार करने का प्रस्ताव है जैसाकि सरीन समिति ने सुझाव दिया है;

(ख) क्या प्रस्तावित विस्तार के लिए कर्मचारियों की वर्तमान संख्या पर्याप्त रहेगी;

(ग) क्या "इंस्टिट्यूट आफ इलैक्ट्रानिक एण्ड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर्स" के दूर संचार सलाहकार निकाय ने इस संबंध में कोई सुझाव दिए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उन सुझावों पर क्या कार्यवाही की गई है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) जी, नहीं। हालांकि सरकार का दूर संचार सुविधाओं का काफी विस्तार करने का प्रस्ताव है, फिर भी कुल निवेश योग्य संसाधनों के सीमित मात्रा में उपलब्ध होने के कारण, सरीन-समिति द्वारा निर्धारित तारीखों तक मांग करने पर, टेलीफोन कनेक्शन देने का सुझाव स्वीकार कर पाना संभव नहीं है।

(ख) सेवाओं के विस्तार को मद्देनजर रखते हुए स्टाफ में कुछ सामान्य वृद्धि करनी पड़ेगी। तथापि, प्रति कर्मचारी टेलीफोनों की संख्या द्वारा माप की जाने वाली उत्पादकता में पर्याप्त सुधार होगा।

(ग) इंस्टिट्यूट ऑफ इलैक्ट्रानिक एक टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर्स ने अपनी ही एक दूरसंचार सलाहकार समिति का गठन किया है। इस समिति ने सितम्बर, 1987 में दूर संचार के लिए मानव संसाधन विकास पर एक सेमिनार का आयोजन किया था। समिति ने सेमिनगर में व्यक्त विभिन्न विचारों का एक सार 10 नवम्बर, 1987 को विभाग में भेजा है।

(घ) विभाग कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों की योजना बनाते समय सेमिनार में व्यक्त टिप्पणियों और विचारों पर समुचित ध्यान दिया जाएगा।

दूसरी श्रेणी की डाक विमानों से ले जाने की की योजना

2642. **श्रीमती किशोरी सिंह** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक शीघ्र पहुंचाने हेतु दूसरी श्रेणी की डाक विमानों से ले जाने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो इसे किस तारीख से क्रियान्वित किया जाएगा; और

(ग) क्या डाक शीघ्र पहुंचाने के किसी अन्य तरीके पर भी विचार किया जा रहा है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) और (ख) जी नहीं। सामान्य नीति के बतौर द्वितीय श्रेणी की डाक को हवाई जहाज द्वारा ले जाने की कोई योजना नहीं है। तथापि, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, त्रिपुरा राज्य (कलकत्ता के लिए और कलकत्ता से) और लद्दाख क्षेत्रों (वर्ष की नियन अवधियों में) जैसे दूरवर्ती क्षेत्रों में डाक विवतरण में तेजी लाने के लिए इन स्थानों के लिए द्वितीय श्रेणी की डाक को पहले ही हवाई प्रभार के बिना हवाई जहाज से ले जाया जा रहा है।

(ग) डाक वितरण में तेजी लाने के तरीकों की लगातार जांच की जाती है। अब तक 20 शहरों के बीच द्रुत डाक सेवा प्रारंभ की चा चुकी है। इस सेवा के अंतर्गत भेजे जाने वाली वस्तुएं अपने गंतव्य पर 24 से 72 घंटों में निश्चित रूप से वितरित कर दी जाती हैं। ऐसा न होने पर द्रुत डाक सेवा प्रभार वापस कर दिया जाता है।

[हिन्दी]

ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन और टेलीग्राफ सेवाओं में सुधार

2643. **श्री अख्तर हसन** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1987-88 के दौरान उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन और टेलीग्राफ की बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(ख) क्या वर्ष 1986-87 के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त किया गया था;

(ग) इस लक्ष्य के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में मुजफ्फर नगर जिले को क्या सुविधाएं प्रदान की गई; और

(घ) क्या उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में इन सेवाओं का विस्तार करने के लिए कोईनई योजनाएं तैयार की गई हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) 1987-88 के दौरान उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में लंबी दूरी के 75 सार्वजनिक टेलीफोन खोलने का लक्ष्य रखा गया था। इसमें से, जितने डाकघर ग्रामीण क्षेत्रों में खोले जाएंगे उनमें फोनोकॉम आधार पर तार सुविधाएं सुलभ की जाएंगी।

(ख) जी, हां।

(ग) 1986-87 के दौरान मुजफ्फर नगर जिले में लंबी दूरी के पांच सार्वजनिक टेलीफोन घर खोले गए।

(घ) 1987-88 के दौरान उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में लंबी दूरी के 75 सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने की योजना है।

उत्तर प्रदेश में इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज खोलना

2644. **श्री अख्तर हसन** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में 180 इलैक्ट्रानिक टैलेक्स एक्सचेंज स्थापित करने के

कार्यक्रम के अन्तर्गत, 1986-87 के दौरान उत्तर प्रदेश में ऐसे कितने एक्सचेंज स्थापित किए गए हैं;

(ख) 1987-88 के दौरान उत्तर प्रदेश में किन-किन स्थानों में ऐसे एक्सचेंज स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या उत्तर प्रदेश के मुजफ्फर नगर जिले में भी ऐसा कोई एक्सचेंज स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो वह कहां स्थापित किया जाएगा; और

(ङ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) उत्तर प्रदेश में 1986-87 के दौरान कोई इलैक्ट्रानिक टेलेक्स एक्सचेंज चालू नहीं किया गया। सातवीं योजना के प्रस्तावों में समूचे देश में विभिन्न किस्म के 100 नए टेलेक्स एक्सचेंज स्थापित करने का विचार है।

(ख) (i) सूरजपुर।

(ii) हरिद्वार।

(ग) जी, नहीं।

(घ) लागू, नहीं।

(ङ) मुजफ्फर नगर में 20 लाइनों वाला एक स्ट्रोजर टेलेक्स एक्सचेंज है जिसमें 11 कनेक्शन कार्य कर रहे हैं तथा प्रतीक्षा-सूची में कोई नाम नहीं है। इसे इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज में बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

औद्योगिक अल्कोहल पर आधारित रसायनों के उपयोग के लिए ऋण की अनुमति देने की योजना

2645. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने औद्योगिक अल्कोहल पर आधारित रसायनों के उपयोग के लिए ऋण की अनुमति देने की एक विशेष योजना की घोषणा की है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

उद्योग मंत्रालय में रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) ये ब्यौरे सभा पटल पर रखी गई अधिसूचना में उपलब्ध हैं।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 5118/87]

पश्चिम बंगाल में रूपनारायणपुर स्थित हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड के एकक के विस्तार का प्रस्ताव

2646. **श्री पूर्ण चन्द्र मलिक** :

श्री मानिक सान्याल :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड के रूपनारायणपुर स्थित एकक के विस्तार का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड के रूपनारायणपुर एकक में जेली भरी हुई केबलों के निर्माण की क्षमता में 18 लाख किलोमीटर (सी० के० एम०) का विस्तार करने से सम्बन्धित प्रस्ताव पर सरकार ने पहले विचार किया था, लेकिन सातवीं योजना के दूर संचार प्रायोजना लक्ष्यों पर अन्तिम रूप से निर्णय होने तक आस्थगित किया गया था। तथापि, मांग के साथ-साथ संसाधनों की भी कमी की वजह से आगे अब तक कोई प्रगति नहीं हो सकी। इसी बीच, कम्पनी को परियोजना की अनुमानित लागत में संशोधन करने के लिए कहा गया है।

(ग) प्रश्न ही, नहीं उठता।

सोयाबीन संसाधित करने वाले यूनिटों के लिए लाइसेंस

2647. **डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सोयाबीन के 1990 तक के कुल उत्पादन का अनुमान लगाए बिना सोयाबीन संसाधित करने की फैक्टरियों को लगाने के लिए लाइसेंस दिये थे; और

(ख) वर्ष 1990 तक सोयाबीन का कितना उत्पादन होने का अनुमान है और सोयाबीन को संसाधित करने वाली मौजूदा फैक्टरियों की संसाधित करने की कुल क्षमता कितनी है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) जी, नहीं।

(ख) 1989-90 तक सोयाबीन का उत्पादन 12.75 लाख मी० टन होने की आशा है। सोयाबीन के संसाधन हेतु मौजूदा क्षमता 11.59 लाख मी० टन है।

गैस टरबाइन पर आधारित बिजली संयंत्र

2648. **श्री वी० तुलसीराम** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बिजली की कमी को पूरा करने के लिए गैस टरबाइन पर आधारित बिजली संयंत्रों को भारत में लगाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है, जैसाकि दिनांक 27 अक्तूबर, 1987 के ''हिन्दुस्तान टाइम्स'' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) गैस टरबाइन पर आधारित इन बिजली संयंत्रों को किन-किन राज्यों में स्थापित किया जाएगा; और

(घ) इन संयंत्रों द्वारा बिजली का कितना उत्पादन करने की संभावना है और वे किस हद तक देश की आवश्यकताओं को पूरा करेंगे ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (घ) गैस टरबाइन संयंत्रों को स्थापित करने से सम्बन्धित प्रस्तावों की जांच गैस/ईंधन की उपलब्धता, क्षेत्र की विद्युत सम्बन्धी आवश्यकताओं और अन्य सम्बन्धित तकनीकी-आर्थिक पहलुओं को ध्यान में रखकर की जाती है।

देश में इस समय कुल 898.5 मेगावाट क्षमता के गैस पर आधारित विद्युत संयंत्र प्रचालन में हैं। सातवीं योजना अवधि के दौरान गैस पर आधारित निम्नलिखित विद्युत संयंत्रों को स्थापित किए जाने/स्थापित करने का प्रस्ताव है :—

क्रम सं०	7वीं योजना के दौरान चालू की गई/ चालू की जाने वाली संभावित परियोजनाओं के नाम	क्षमता
1	2	3
राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की परियोजनाएं		
(1)	गैस पर आधारित संयुक्त साइकिल विद्युत परियोजना, अंटा (राजस्थान)	3 × 100 मेगावाट
(2)	गैस पर आधारित संयुक्त साइकिल विद्युत परियोजना, औरिया (उत्तर प्रदेश)	4 × 100 मेगावाट
(3)	गैस पर आधारित संयुक्त साइकिल विद्युत परियोजना कवास (गुजरात)	4 × 100 मेगावाट
राजस्थान		
(4)	रामगढ़ गैस टरबाईन परियोजना	1 × 3 मेगावाट
त्रिपुरा		
(5)	वारामूरा गैस टरबाईन	2 × 5 मेगावाट पहले ही चालू कर दी गई है।
(6)	वारामूरा गैस टरबाईन परियोजना (एन० ई० सी० प्रबन्धकीय परियोजना)-यूनिट-3	1 × 5 मेगावाट
(7)	रोखिया में गैस टरबाईन परियोजना	2 × 5 मेगावाट
असम		
(8)	लकवा गैस टरबाईन-यूनिट-4 (सोपान-1)	1 × 5 मेगावाट पहले ही चालू कर दी गई है।
(9)	लकवा गैस टरबाईन सोपान-2 परियोजना-यूनिट 5 से 8	4 × 15 मेगावाट
महाराष्ट्र		
(10)	उरण गैस टरबाईन	4 × 100 मेगावाट पहले ही चालू कर दी गई है।

गैस पर आधारित और विद्युत संयंत्रों की स्थापना सतत आधार पर गैस की उपलब्धता पर निर्भर करता है। समस्त निवेशों की उपलब्धता सुनिश्चित हो जाने तथा अपेक्षित स्वीकृतियां प्राप्त कर लिए जाने के बाद सुनिश्चित प्रस्तावों का तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से मूल्यांकन किया जाता है।

सुपर बाजार द्वारा परीक्षण प्रयोगशाला पर व्यय

2649. **श्री कमला प्रसाद सिंह** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सुपर बाजार की खाद्य प्रयोगशाला पर कितना मासिक व्यय होता है, उसमें से सुपर बाजार के माध्यम से बिक्री के लिए अपनी वस्तुएं पेश करने वाली पार्टियों से कितनी धनराशि वसूल की जाती है और कितनी धनराशि परीक्षण प्रभार के रूप में सुपर बाजार द्वारा वहन की जाती है;

(ख) क्या केन्द्रीय भण्डार के पास ऐसी कोई प्रयोगशाला नहीं है और तब भी इसके बिक्री केन्द्रों द्वारा बेची जाने वाली दालें सस्ती तथा अच्छी किस्म की हैं;

(ग) क्या प्रयोगशाला केवल खाद्य वस्तुओं के परीक्षण के लिए बनाई गई हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) सुपर बाजार की गुणता परीक्षण प्रयोगशाला द्वारा वर्ष 1985-86 के दौरान परीक्षण के लिए किया गया मासिक औसत व्यय, जिसमें सामग्री/रसायनों की लागत भी शामिल है, लगभग 16,620 रुपए था, जबकि परीक्षण शुल्क की मासिक औसत वसूली लगभग 3200 रुपये थी।

(ख) केन्द्रीय भण्डार की कोई परीक्षण प्रयोगशाला नहीं है। तथापि, सुपर बाजार और केन्द्रीय भण्डार दोनों का प्रयास अच्छी किस्म की वस्तुएं उचित दरों पर बेचना है। कभी-कभी मूल्यों में अन्तर होता है जो दालों की गुणता और खरीद के समय बाजार में प्रचलित उनके भावों पर निर्भर करता है।

(ग) और (घ) जी नहीं। खाद्य पदार्थों के अलावा, प्रयोगशाला साबुनों, अपमार्जकों, गन्धहर (डिओडरेन्ट्स), फिनाइल, अगरबत्तियों, दियासलाइयों आदि जैसी अन्य वस्तुओं का भी परीक्षण करती है।

एकाधिकार और अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग द्वारा जारी किए गए निषेधादेश तथा उसे प्राप्त शिकायतें

2650. **श्री कमला प्रसाद सिंह** : क्या **उद्योग मंत्री** एकाधिकार और अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग द्वारा जारी किए गए निषेधादेशों के बारे में 21 अप्रैल, 1987 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7350 के उत्तर के सम्बन्ध में उन मामलों की सूची सभा पटल पर रखाने की की कृपा करेंगे जिन मामलों में गत 12 महीनों के दौरान एकाधिकार और अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग द्वारा निषेधादेश जारी किए गए;

(क) एकाधिकार और अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग तथा जांच और पंजीकरण महानिदेशक को पिछले 12 महीनों के दौरान इस प्रकार के स्थगन आदेशों का पालन न किए जाने की कितनी शिकायतें मिली और इन शिकायतों पर की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है; और

(ख) स्थगन आदेशों के उचित कार्यान्वयन की सुनिश्चित करने के लिए एकाधिकार और अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग तथा जांच और पंजीकरण महानिदेशक द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम): 1-11-86 से 31-10-87 की अवधि के दौरान एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग ने जिन मामलों में व्यादेश जारी किए हैं, वे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(क) और (ख) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग के समक्ष व्यादेश के अभिकथित उल्लंघन का एक आवेदन-पत्र दायर किया गया है और आयोग ने प्रतिवादी पक्ष को उसका उत्तर दायर करने के लिए निर्देश दिया है। यदि व्यादेशों का उल्लंघन हो, तो एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 में आयोग और महानिदेशक (जांच एवं पंजीकरण) को सत्र-न्यायालय में अभियोग दायर करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं।

विवरण

1-11-86 से 31-10-87 की अवधि के दौरान एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग द्वारा जिन मामलों व्यादेश पारित किए गए उनकी सूची

क्रम सं०	प्रतिवादी का नाम	व्यादेश की तारीख
1	2	3
1.	मै० पोलर इन्डस्ट्रीज लिमिटेड, कलकत्ता	11-11-86
2.	मै० खेतान केमिकल्स एण्ड फर्टीलाइजर्स लि०, नई दिल्ली	17-11-86
3.	मै० श्रीमती एन० सन्था कुमारी, कोट्टायम	23-12-86
4.	मै० भार्गव क्लीनिक, गया	8-1-87
5.	मै० इण्डियन रेयन कार्पोरेशन लि०, बम्बई	9-1-87
6.	मै० आई० ओफिक लीजिंग लिमिटेड, नई दिल्ली	19-1-87
7.	मै० माड्रन सूटिंग लि०, जयपुर	22-1-87
8.	मै० यूनिवर्सल लगेज मैन्यु फै० कं०, बम्बई	29-1-87
9.	मै० यूनिवर्सल लगेज मैन्यु फै०कं०लि०, बम्बई	29-1-87
10.	मै० ओरीयन्टल फाइनेंस एण्ड एक्सजेंज, मद्रास	19-2-87
11.	मै० भारत ओवरसीज फाइनेंस एण्ड इन्डस्ट्रीयल इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन, मद्रास	27-2-87
12.	मै० स्टालियन शौक्स लिमिटेड, नई दिल्ली	27-2-87
13.	मै० नेहा लीजिंग एण्ड होलीडेज लि०, नई दिल्ली	2-3-87
14.	मै० सौराष्ट्र बालपैन प्रा० लि०, बम्बई	20-3-87
15.	मै० नल्ली सिल्क ट्रेडर्स, मद्रास	25-3-87
16.	मै० मंगलौर बैन्कर एण्ड फाइनेंशियल कारपोरेशन बंगलौर	31-3-87
17.	मै० ए० एन० लैंड एण्ड फाइनेंस कं० दिल्ली	2-4-87

1	2	3
18.	मै० ट्रावनकोर फाइनान्स कं०, बम्बई	3-4-87
19.	मै० मनजोग बिल्डर्स बंगलौर	9-4-87
20.	मै० बोम्बे फ्लोर मर्चेन्ट्स एसोसियेशन, बम्बई	20-4-87
21.	मै० एम० एम० रिक्षार्ट्स लि०, नई दिल्ली	23-4-87
22.	मै० माडन वलन्स लि०, जयपुर	27-4-87
23.	मै० एल० सी० टेक्साटाइल्स, बम्बई	29-4-87
24.	मै० नबोला फाइनांसर्स, कोचीन	5-5-87
25.	मै० डालमियां रिसोर्ट्स इन्टरनेशनल, नई दिल्ली	8-5-87
26.	मै० साउथ दिल्ली होल्डिंग प्रा० लि०, नई दिल्ली	8-5-87
27.	मै० कलाइमगल सुबह, कोमारापालयम्	12-5-87
28.	मै० यूनीवर्सल लगेज मैन्यु फै० कंपनी, बम्बई	19-5-87
29.	मै० आर० चम्पकलाल (असम) एण्ड कंपनी, गुवाहटी	19-5-87
30.	मै० इण्डियन रेयन कारपोरेशन, बेरावल	22-5-87
31.	मै० जया शक्ति फाइनान्सर्स, मद्रास	26-5-87
32.	मै० खेतान केमिकल्स फर्टिलाइजर्स लि०,	27-5-87
33.	मै० चरखा डिटरजेन्ट्स एण्ड सोप इन्टर प्राइजेज, दिल्ली	1-6-87
34.	मै० पनामा टेक्सटाइल्स, बम्बई	1-6-87
35.	मै० नल्ली सिल्क ट्रेडर्स, मद्रास	6-6-87
36.	मै० प्रोफेशनल फार्म्स (प्रा०) लि०, कुरुक्षेत्र	9-6-87
37.	मै० समारियास हाउसिंग फाइनान्स लि०, मद्रास	30-6-87
38.	मै० ईगल फ्लास्क प्रा० लि०, पुणे	2-7-87
39.	मै० जवाहर चिकित्सा केन्द्र, गया	3-7-87
40.	मै० वैद्य श्री ज्वाला प्रसाद, गया	3-7-87
41.	मै० प्रकाश क्लीनिक्स (आर०) अमृतसर	3-7-87
42.	मै० न्यू लाइफ जनरल फाइनान्स एण्ड इन्वेस्टमेंट कम्पनी लि०, चंडीगढ़	8-7-87
43.	मै० अंसल रिसार्टस एण्ड होटल्स लि०, नई दिल्ली	8-7-87
44.	मै० मै० धन्या फाइनान्स एण्ड इण्डस्ट्रियल इन्वै०, मद्रास	10-7-87
45.	मै० सर्वोदय फाइनान्स एण्ड इन्वेस्टमेंट कंपनी, मद्रास	10-7-87
46.	मै० सूर्या फाइनान्स, मद्रास	14-7-87
47.	मै० ओरियन्टल फाइनान्स एण्ड एक्सचेंज कं० मद्रास	15-7-87
48.	मै० बम्बई किराना कलर केमिकल, मर्चेन्ट एसोसियेशन, बम्बई	17-7-87
49.	मै० बसी लैंड डेवलमेंट, मिदनापुर	20-7-87
50.	मै० शालीमार फाइनेंसर्स, कोचीन	20-7-87
51.	मै० नागार्जुन मलिका, कुइतीरम	20-7-87
52.	मै० आदित्य फाइनेंस एण्ड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, बम्बई	22-7-87
53.	मै० कमल लोचन कारपोरेशन (भारत), नई दिल्ली	28-7-87

1	2	3
54.	मै० यूनाइटेड एन्टरप्राइजेज, नागपुर	3-8-87
55.	मै० जैटकिंग इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड, बम्बई	10-8-87
56.	मै० ट्रक यूनियन, दाउसा	26-8-87
57.	मै० गुड्स ट्रांसपोर्ट आपरेटर्स यूनियन, अलवर	28-8-87
58.	मै० श्रीफूड्स लिमिटेड, खोपोली	1-9-87
59.	मै० पंजाब फार्मस एण्ड फोरेस्ट (पी) लिमिटेड, चण्डीगढ़	2-9-87
60.	मै० मिल्क फूड लिमिटेड, पटियाला	18-9-87
61.	मै० डिस्को इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड, नई दिल्ली	7-9-87
62.	मै० न्यू इण्डिया फाइनेंशियल कारपोरेशन, मद्रास	9-9-87
63.	मै० मिल्क फूड लिमिटेड, पटियाला	24-9-87
64.	मै० इण्डियन शेविंग प्रोडक्ट्स, भिवाडी	29-9-87
65.	मै० इण्डियन शेविंग प्रोडक्ट्स, भिवाडी	29-9-87
66.	मै० इण्डिया मैनेजमैंट डेवलपमेंट, इन्स्टीट्यूट, नोएडा	1-10-87
67.	डा० सिंह, नई दिल्ली	7-10-87
68.	मै० पीको इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड, कलकत्ता	9-10-87
69.	मै० मैगनम इण्डिया कारपोरेशन, नई दिल्ली	30-10-87
70.	मै० एन्टरप्राइजेज, नई दिल्ली	30-10-87
71.	मै० कोलाडेस बेवेरेजज और अन्य, साहिबाबाद	15-7-87
72.	मै० एस० के० एग्रो एन्टरप्राइजेज (पी०) लि०, नई दिल्ली	12-3-87
73.	मै० हिन्दुस्तान प्रोटीन्स लि०, गाजियाबाद	19-6-87
74.	मै० गोल्ड वैली एग्रो डेवलपमेंट, बम्बई	20-5-87

कागज बनाने के लिए अपरम्परांगत कच्चे माल का प्रयोग

2651. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कागज उत्पादन नियंत्रण आदेश को वापस लेने का कागज उद्योग में क्षमता उपयोग के सुधार में किस हद तक सहायता मिलेगी; और

(ख) कागज बनाने के लिए अपपरांगत कच्चे माल के प्रयोग को प्रोत्साहन देने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) शैक्षिक क्षेत्र को छपाई के सफेद कागज के वितरण को युक्तिसंगत बनाने का प्रश्न पिछले कुछ समय से सरकार का ध्यान आकर्षित करता रहा है। कागज उद्योग ने सरकार को बताया था कि छपाई के सफेद कागज की आपूर्ति पर कानूनी आदेश लागू रहने से उद्योग की वित्तीय स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इस दृष्टि से तथा कार्यान्वयन में आई कठिनाइयों को देखते हुए, कागज (उत्पादन विनियमन) आदेश, 1978 तथा कागज (नियंत्रण) आदेश, 1979, 22 जनवरी, 1987 से रद्द कर दिये गये हैं।

(ख) कागज बनाने के लिए गैर-पारम्परिक कच्चे माल के उपयोग को प्रोत्साहन देने हेतु कागज उद्योग को निम्नलिखित राहतें तथा रियायतें प्रदान की गई हैं :—

(1) खोई से बनी लुग्दी के 75 प्रतिशत भार वाले कागज को उत्पादन शुल्क से छूट दी गई है।

(2) गैर-पारम्परिक कच्चे माल से बना लुग्दी के 50 प्रतिशत भार से तैयार कागज और गत्ते के निर्माण पर रियायती दरों पर उत्पादन शुल्क लिया जाता है।

(3) कागज के छोटे कारखानों को क्रमिक स्लैबों के लिए स्फीत्यात्मक आधार पर उत्पादन शुल्क के भुगतान की सुविधा दी गई है, जो कागज बनाने के लिए मुख्य रूप से गैर-पारम्परिक कच्चे माल का उपयोग करते हैं।

(4) रद्दी कागज के आयात को खुले सामान्य लाइसेंस (ओ० जी० एल०) के अन्तर्गत रखा गया है।

(5) कृषि अवशेषों, रद्दी कागज तथा लुग्दी से लिखाई, छपाई तथा लपेटने के कागज का उत्पादन करने के मामले में औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता समाप्त कर दी गई है।

केरल में टेलीफोन कनेक्शन देना

2652. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल दूर-संचार मण्डल में वर्ष 1987-88 की प्रथम छमाही में कितने नये टेलीफोन कनेक्शन दिये गये और वर्ष 1987-88 के लक्ष्यों के अनुसार कितने और टेलीफोन कनेक्शन दिए जाएंगे; और

(ख) वर्ष 1987-88 के दौरान केरल में टेलीफोन एक्सचेंजों का विस्तार करने के यदि कोई प्रस्ताव हैं, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) केरल दूरसंचार सर्किल में वर्ष 1987-88 की पहली छमाही के दौरान (30-9-1987 तक) प्रदान किये गये नये टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या 3213 है और 6787 और कनेक्शन 1987-88 के निर्धारित लक्ष्य के अन्तर्गत दूसरी छमाही में दिए जाने की संभावना है।

(ख) केरल में 1987-88 के दौरान टेलीफोन एक्सचेंजों के संस्थापन/विस्तार किए जाने का योजना है। कुछ मुख्य एक्सचेंजों के ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

1. एर्नाकुलम	2000 लाइनें
2. त्रिवेन्द्रम	1000 लाइनें
3. तेल्लिचेरी	3000 लाइनें
4. कालीकट	900 लाइनें
5. वेस्टलैंड	300 लाइनें
6. मन्नार	400 लाइनें
7. एस० एल० पुरम	400 लाइनें
8. कोचीन	400 लाइनें

इसके अतिरिक्त, 1987-88 के दौरान कुछ छोटे एक्सचेंजों के संस्थापन/विस्तार करने का प्रस्ताव है।

केरल में खाद्य तेल उत्पादक एककों की स्थापना

2653. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित/वित्त पोषित खाद्य तेल उत्पादक एकक हैं; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केरल में नारियल का तेल अथवा अन्य खाद्य तेलों का निर्माण/डिब्बा बन्द करने के के लिए एकक स्थापित करने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार केरल में ऐसे कोई एकक स्थापित करने के बारे में विचार कर रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री एच०के०एल० भगत) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही, नहीं उठता।

दिल्ली में सार्वजनिक वितरण प्रणाली से बेचे जाने वाले पामोलीन तेल की अन्यत्र बिक्री करना

2654. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** :
श्री कमला प्रसाद सिंह :

क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली थोक उपभोक्ता सहकारी भंडार लिमिटेड और उचित दर दुकानों द्वारा पामोलीन तेल की काला बाजारी के लिए गैर-कानूनी बिक्री किए जाने की सूचनाएं प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो प्राप्त सूचनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री एच०के०एल० भगत) : (क) और (ख) दिल्ली प्रशासन के अनुसार दिल्ली थोक उपभोक्ता सहकारी भंडार लिमिटेड में रिकार्ड में जाली इन्दराज करके आर०बी०डी० ताड़ के तेल तथा रेपसीड तेल से संबंधित धनराशि का गबन करने के बारे में उन्हें जनवरी, 1987 में एक शिकायत मिली थी। उन्हें, उचित दर की दुकानों द्वारा पामोलीन सहित खाद्य तेलों की अन्यत्र बिक्री करने की सामान्य शिकायतें भी प्राप्त हुई थीं।

(ग) दिल्ली थोक उपभोक्ता सहकारी भंडार लिमिटेड द्वारा प्राथमिक जांच करने के पश्चात, एक स्टोर-कीपर को निलम्बित किया गया था और उसके खिलाफ विभागीय जांच शुरू की गई थी।

जहां तक सासान्य शिकायतों का सम्बन्ध है, दिक्ली प्रशासन ने 1-8-87 से 31-10-87 के दौरान 759 छापे मारे हैं और दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही शुरू की है।

बम्बई हाई में गैस का जलाया जाना

2655. **श्री प्रकाश बी० पाटिल** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई हाई में इस समय जलाकर नष्ट की जा रही गैस को कम्प्रेस करना और इसे घरेलू उपयोग अथवा औद्योगिक प्रयोजनों के लिए वितरित करना तकनीक रूप से सम्भव है;

(ख) बम्बई हाई में इस समय गैस की कितनी मात्रा जलाकर नष्ट की जा रही है; और

(ग) इसके उपयोग के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) जो सम्बद्ध गैस इस समय बम्बई हाई से जलायी जा रही है उसे कम्प्रेस करना तकनीकी रूप में सम्भव है किन्तु 1992 के बाद बम्बई हाई से सम्बद्ध गैस के प्रत्याशित उत्पादन में कमी को देखते हुए तथा औद्योगिक और/या घरेलू उपभोक्ताओं के विकास में और सम्बद्ध आधारभूत सुविधाओं को बनाने में अनिवार्य रूप से लगने वाले गेस्टेशन पीरियड को देखते हुए यह व्यवहार्य नहीं होगा।

(ख) बम्बई हाई और उसके आस-पास के क्षेत्रों से प्रतिदिन औसतन लगभग 6.00 मि० घन मीटर सम्बद्ध गैस जलाई जा रही है।

(ग) बम्बई हाई से गैस के उपयोग के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं :—

— हिन्दुस्तान पेट्रोलियन का० लि०, बम्बई गैस कम्पनी, हिन्दुस्तान ओर्गेनिका केमिकल्स, सीकौम, एम० जी० सी० सी०, गुजरात इंनवेस्टमेंट कारपोरेशन लि० और हैवी वाटर परियोजना जैसे और उपभोक्ताओं को लेना।

— अपतट गैस कम्प्रेसरों का नवीकरण और अतिरिक्त गैस के लिए अतिरिक्त संपीड़न सुविधाएं।

— गैस के परिवहन और सप्लाई के लिए अतिरिक्त गैस पाइपलाइन/गैस ग्रिडों का निर्माण।

— हाजीरा में एल०पी०जी० निकालने का संयंत्र और उरान में सी/2 सी/3 निकालने की सुविधाओं की स्थापना।

बिजली के बल्वों के स्थान पर ट्यूब लाइन लगाना

2656. **श्री प्रकाश बी० पाटिल** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिजली के बल्वों के स्थान पर ट्यूब लगाने से ऊर्जा खपत में पर्याप्त बचत होगी;

(ख) क्या बिजली की बचत के बारे में कोई अध्ययन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या ट्यूब लाइटों के बेहतर इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए कोई योजना है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान द्वारा "टू स्ट्रैट्जिस फार इलेक्ट्रिक लोड लेवलिंग फार इंडिया" परियोजना शीर्षक के अधीन इस विषय पर एक अध्ययन कार्य किया गया था जिसे ऊर्जा

सलाहकार बोर्ड द्वारा प्रायोजित किया गया था। दक्षिण बम्बई में किए गए सर्वेक्षण के आधार पर टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान ने अनुमान लगाया है कि देश में इनकेन्डेसेंट लैम्पों के स्थान पर फ्लोरिसेंट लैम्प लगाकर प्रणाली में 8726 मेगावाट की व्यस्ततमकालीन क्षमता की बचत की जा सकेगी तथा इस प्रकार लगभग 10.58 बिलियन ऊर्जा की बचत की जा सकेगी जिसका मूल्य 1.14 रुपए प्रति यूनिट सीमान्त लागत पर वर्ष में 1206 करोड़ रुपए होगा। ये उपलब्धियां केवल सूचनात्मक प्रवृत्ति की हैं और इन उपलब्धियों की पुष्टि करने के लिए आगे और कार्य किए जाने हैं।

(घ) फ्लोरिसेंट लैम्पों के इस्तेमाल को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने फ्लोरिसेंट लैम्पों के उत्पाद शुल्क में यथा मूल्य पर 20% अर्थात् 2.00 रुपए प्रति लैम्प की कीमत 7-3-87 से कम कर दी है। इसके अलावा सरकार द्वारा ऊर्जा संरक्षण सम्बन्धी चलाए गए प्रचार अभियान में भी ट्यूब लाइटों के इस्तेमाल पर जोर दिया जा रहा है।

भारत और श्रीलंका द्वारा संयुक्त रूप से तेल की खोज

2657. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और श्रीलंका द्वारा संयुक्त रूप से तेल की खोज शुरू करने हेतु कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) तेल की खोज के कार्य के लिए किन-किन क्षेत्रों को चुना गया है; और

(घ) यह कार्य कब शुरू होने की संभावना ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) से (घ) इस समय भारत और श्रीलंका द्वारा संयुक्त रूप से तेल की खोज किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

क्रेडिट कार्ड पब्लिक टेलीफोन का आयात

2658. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्रेडिट कार्ड पब्लिक टेलीफनों का आयात करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन्हें सार्वजनिक उपयोग के लिए कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

विश्व के औद्योगिक उत्पादन में भारत का अंश

2659. **श्री पी० पेंचालैया** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व के औद्योगिक उत्पादन में भारत का अंश बढ़ रहा है अथवा घट रहा है; और

(ख) तत्सम्बन्धी चालू वर्ष ब्यौरा क्या हैं ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) विश्व विकास रिपोर्ट, 1987 के अनुसार, विनिर्माण में वृद्धि मूल्य के सम्बन्ध में देशों के मध्य भारत का वर्ष 1984 में 12वां स्थान था जबकि 1970 में इसका स्थान 14वां था।

बिजली के प्रेषण और वितरण में होने वाली क्षति को कम करने हेतु प्रोत्साहन योजनाएं

2660. **श्रीमती बसव राजेश्वरी** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बिजली के प्रेषण और वितरण में होने वाली क्षति को कम करने के लिए एक प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत राज्य विद्युत बोर्डों को पुरस्कार देने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो प्रोत्साहन योजना का ब्योरा क्या है; और

(ग) बिजली के प्रेषण और वितरण में होने वाली क्षति में कितनी कमी हुई है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) स्कीम के अन्तर्गत उन राज्य बिजली बोर्डों/बिजली विभागों और इनके वितरण प्रभागों को पुरस्कार प्रदान किया जाएगा जोकि पारेषण और वितरण हानियों के लिए निर्धारित की गई कमी का लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे। कोई भी व्यक्ति तथा संस्थान जो कि किसी वैज्ञानिक पद्धति का का विकास करता है अथवा पारेषण और वितरण हानियों को कम करने के लिए व्यवाहरिक सुझाव देता है, पुरस्कार प्राप्त करने का पात्र होगा। इस स्कीम को चालू वित्तीय वर्ष से क्रियान्वित किया जाना है।

चीनी विकास निधि से अनुसंधान संस्था को सहायता

2661. **श्रीमती बसव राजेश्वरी** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह निर्णय किया है कि कुछ अपेक्षाओं को पूरा करने वाली, कुछ अलाभकारी अनुसंधान संस्थाएं चीनी विकास निधि से सहायता प्राप्त करेने के लिए योग्य समझी जाएंगी और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन संस्थाओं के क्या नाम हैं जिन्हें चीनी विकास निधि से सहायता दिए जाने का विचार है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) और (ख) जी, हां। निम्नलिखित विवरण/कसौटी के अनुरूप संस्थान अनुसंधान योजनाओं, न कि वाणिज्यिक शोषण के उद्देश्य के लिए चीनी विकास निधि से सहायक अनुदान प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे :—

(1) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की अपनी पंजीकरण योजना के अंतर्गत मान्यता प्राप्त या आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 (i) (ii) या 35 (i) (iii) के अन्तर्गत उसके और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा अनुमोदित संस्थान/वैज्ञानिक अनुसंधान एसोसियेशन/उद्योग के अन्दर अनुसंधान तथा विकास यूनिट।

(2) मृदा परीक्षण के प्रयोजन के लिए चीनी प्रतिष्ठानों द्वारा स्थापित प्रयोगशालाएं और जैविक नियंत्रण प्रयोगशालाएं जिनके लिए क्षेत्र के सम्बन्धित कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा योजनाएं मूल्यांकित और अनुमोदित की गई हैं।

वनस्पति उद्योग को वनस्पति तेल की सप्लाई

2662. **श्री बृज मोहन महन्ती :**
श्री सी० माधव रेड्डी :

क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वनस्पति तेल उद्योग को वनस्पति के उत्पादन के लिए वर्ष 1986-87 और 1987-88 के दौरान (आज तक) आयातित वनस्पति तेल की कुल कितनी मात्रा सप्लाई की गई;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि वनस्पति उद्योग को रियायती मूल्य पर आयातित तेल प्राप्त होने बावजूद इस उद्योग ने हाइड्रोजनित तेल और परिष्कृत तेल के मूल्य बढ़ा दिए, यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या वनस्पति के मूल्य के संबंध में इस उद्योग से कोई समझौता किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार वनस्पति उद्योग के राष्ट्रीयकरण पर विचार कर रहा है ताकि इसके उत्पादन में दक्षता लाई जा सके और इसके मूल्य स्थिर रखे जा सकें, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) 1986-87 तथा 1987-88 के दौरान वनस्पति एककों को सप्लाई किए गए आयातित तेलों की कुल मात्रा निम्नवत हैं :—

तेल वर्ष (नवम्बर-अक्तूबर)	आबंटित की गई मात्रा (मी० टनों में)
1986-87	5,08,825
1987-88	75,031

(ख) और (ग) वनस्पति उद्योग के साथ एक स्वैच्छिक मूल्य व्यस्था की गई है जो 26 अगस्त, 1987 से लागू है। इस व्यवस्था के अनुसार, सारे देश में वनस्पति घी के 15 कि० ग्रा० के टीन का अधिकतम उपभोक्ता मूल्य 335/-रुपए (स्थानीय करों को छोड़कर) नियत किया गया है। तब से, वनस्पति उद्योग द्वारा वनस्पति घी के मूल्यों में वृद्धि करने की कोई घटना सरकार के ध्यान में नहीं आई है।

परिष्कृत तेल तैयार करने के लिए वनस्पति तेल उद्योग को आयातित तेल सप्लाई नहीं किए जाते हैं।

(घ) जी, नहीं।

त्रिवेन्द्रम और पालघाट के बीच आप्टिकल फाइबर लाइन बिछाना

2663. **श्री वी० एस० विजयराघवन : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिवेन्द्रम से पालघाट तक टेलीफोन के लिए आप्टिकल फाइबर लाइन बिछाने का एक प्रस्ताव है; और

(ख) *यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?*

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) जी, हां ।

(ख) त्रिवेन्द्रम से त्रिचूर संभाग के लिए ऑप्टिकल फाइबर प्रणाली हेतु परियोजना की मंजूरी दे दी गई है और आवश्यक केबिल और उपकरण आदि विदेशों से प्राप्त किए जा रहे हैं । यह संभाग 1989-90 के दौरान चालू होने की संभावना है । त्रिचूर से पालघाट संभाग के लिए परियोजना की स्वीकृति दी जा रही है तथा इस संभाग के लिए सामग्री देश के सप्लाई कर्त्ताओं से प्राप्त की जाएगी यह संभाग 1991-92 के दौरान चालू होने की संभावना है ।

राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ द्वारा दालों का आयात

2664. **श्री एच० बी० पाटिल** :
चौधरी राम प्रकाश :
श्री मुरलीधर माने :

क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दालों की कमी को पूरा करने तथा मूल्य स्तर को बनाए रखने के लिए भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ लिमिटेड को इसके आयात के लिए प्राधिकृत किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) और (ख) जी नहीं । तथापि, कोई भी वाणिज्यिक संगठन खुले सामान्य लाइसेंस के तहत दालों का आयात करने के लिए स्वतंत्र है ।

स्थानीय सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों की स्थापना

2665. **प्रो० नारायण चन्द्र पाराशर** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लम्बी दूरी के सार्वजनिक केन्द्रों के प्रावधान हेतु षटकोणीय योजना प्रारम्भ करने के पश्चात से यह अनुदेश जारी किए गए हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में एक्सचेंजों के स्थानीय क्षेत्राधिकार के भीतर कोई भी स्थानीय सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र मंजूर/स्थापित न किया जाए;

(ख) यदि हां, तो विभागीय उप-डाकघरों, विभागेतर उप-डाकघरों और विभागेतर शाखा डाकघरों में स्थानीय सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र मंजूर और स्थापित न किए जाने का क्या औचित्य है जबकि ऐसे सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र स्थापित करने से जनता को "फोन-काम" के रूप में तार सेवाएं भी उपलब्ध होंगी;

(ग) यदि हां, तो क्या विभागीय उप डाकघरों, विभागेतर उप-डाकघरों और विभागेतर शाखा डाकघरों में स्थानीय सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र मंजूर/स्थापित किए जाएंगे; और

(घ) षटकोणीय योजना प्रारम्भ करने के पश्चात से सर्किल-वार कितने स्थानीय सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र (एक) मंजूर किए गए और (दो) स्थापित किए गए हैं तथा हिमाचल प्रदेश

में जिला-वार किन-किन स्थानों पर ऐसे स्थानीय सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र स्थापित किए गए हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) जी, नहीं ।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) विभागीय उप-डाकघर, अतिरिक्त विभागीय उपडाकघरों में तथा अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघरों में स्थानीय सार्वजनिक टेलीफोनों की मंजूरी संस्थान का कार्य तकनीकी दृष्टि से व्यवहार्य होने से तथा मांग के आधार पर दी जाती है ।

(घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

कर्नाटक को चीनी का आवंटन

2666. **श्री श्रीकांत दत्त नर्रासहराज वाडियर** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष, 1987-88 में कर्नाटक के लिए चीनी की कुल कितनी मात्रा का आवंटन किया गया है;

(ख) क्या कर्नाटक सरकार ने राज्य के लिए केन्द्रीय पूल से आवंटन किए जाने वाले चीनी के कोटे में वृद्धि करने का अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो चालू वित्तीय वर्ष के दौरान चीनी के आवंटन में कितनी वृद्धि की गई है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) (क) लेवी चीनी का मासिक कोटा 1-10-1986 को स्थिति के अनुसार परियोजित जनसंख्या के लिए प्रति व्यक्ति 425 ग्राम की उपलब्धता के आधार पर फरवरी, 1987 से बढ़ाकर 3.32 लाख मीटरी टन कर दिया गया था । तदनुसार कर्नाटक का लेवी चीनी का मासिक कोटा अक्तूबर, 1983 से जनवरी, 1987 के दौरान आवंटित 16,843 मीटरी टन से बढ़ाकर फरवरी, 1987 से 17,769 मीटरी टन कर दिया गया था । उपर्युक्त कोटे के अलावा, सितम्बर और अक्तूबर, 1987 के महीनों के लिए प्रत्येक मास कर्नाटक को 2, 675 मीटरी टन का त्यौहार लेवी कोटा भी आवंटित किया गया था ।

(ख) और (ग) लेवी चीनी के मासिक कोटे समान सिद्धान्तों के अनुसार आवंटित किए जाते हैं और न कि राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों से प्राप्त मांग/अनुरोधों के आधार पर । कर्नाटक सरकार से सितम्बर, 1987 में लेवी चीनी का मासिक कोटा बढ़ाने के लिए प्राप्त अनुरोध पर उन्हें उपर्युक्त स्थिति तदनुसार स्पष्ट कर दी गई है ।

चीनी का रक्षित भंडार

2667. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंह राज वाडियार** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 सितम्बर, 1987 को, केन्द्रीय पूल में चीनी भंडार की क्या स्थिति है;

(ख) क्या केन्द्रीय पूल में चीनी के रक्षित भंडार में वृद्धि करने की आवश्यकता है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का वर्तमान रक्षित भंडार को बढ़ाने का प्रस्ताव है; और

(घ) इसके लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) आंशिक नियंत्रण की मौजूदा नीति के अधीन सरकार द्वारा चीनी का कोई केन्द्रीय पूल नहीं बनाया जाता है। तथापि, आन्तरिक जरूरतों को पूरा करने के लिए 30 सितम्बर, 1987 को स्थिति के अनुसार स्टाक में देशी और आयातित चीनी की पर्याप्त मात्रा थी।

(ख) से (घ) सरकार इस समय चीनी का कोई बफर स्टाक नहीं रख रही है।

उड़ीसा में कोयले तथा जल से बिजली का उत्पादन

2668. **श्री सोमनाथ रथ** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिजली उत्पादन के लिए उड़ीसा में विभिन्न परियोजनाएं कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या विशेष रूप से कोयले तथा जल से बिजली पैदा करने का प्रस्ताव है, यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं;

(ग) क्या उड़ीसा में कोयले तथा जल प्रवाह से विजली पैदा करने के लिए पर्याप्त प्राकृतिक संसाधन हैं;

(घ) क्या इस संबंध में कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) सातवीं योजनावधि के दौरान उड़ीसा में निम्नलिखित जल विद्युत परियोजनाओं पर आधारित 483.5 मेगावाट क्षमता जोड़ने के लक्ष्य को पूर किया जाना है :—

	क्षमता (मेगावाट)
(1) रेंगाली	100.00 (चालू की जा चुकी है)
(2) अपर कोलाब	240.00
(3) हीराकुड चरण-III	37.5
(4) पोट्टेरू	6.0
(5) रेंगाली विस्तार	100.0
	483.5

अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत विभाग की निम्नलिखित परियोजनाएं/कार्यक्रम भी क्रियान्वित किए जा रहे हैं :—

(1) पुरी में 550 किलोवाट की वायु-फार्म परियोजना का विस्तार करके इसे 1.1 मेगावाट का किया जा रहा है।

(2) डी० ए० एन० आई० डी० ए० सहायता परियोजना के अन्तर्गत कुईपंडर में 90 किलोवाट की एक पायलट वायु टर्बाइन स्थापित की जाती है।

(3) राज्य के विभिन्न भागों में 237 वायु पम्प स्थापित किए गए हैं और 50 और पम्प स्थापित किए जा रहे हैं।

(4) 4 किलोवाट क्षमता के 3 वायु बैटरी चार्जर स्थापित किए जा रहे हैं।

(5) 6 ऊर्जा ग्राम परियोजनाएं पूरी हो गई हैं और एक अन्य स्थापित की जा रही है।

(6) लगभग 150 सौर फोटोवोलटाइक सड़क रोशनी प्रणालियां स्थापित की जा रही हैं।

(ख) उपर्युक्त परियोजनाओं के अतिरिक्त आठवीं और नवीं योजनाओं के दौरान राज्य क्षेत्र में क्रियान्वयन हेतु निम्नलिखित जल विद्युत और ताप विद्युत परियोजनाएं हाथ में लिए जाने की परिकल्पना की जागई है।

परियोजना का नाम	क्षमता (मेगावाट)
(क) जल विद्युत परियोजनाएं	
1. अपर इन्द्रावती	600
2. अपर कोलाब विस्तार	80
3. बलीमेला	120
(ख) ताप विद्युत परियोजनाएं	
1. इब ताप विद्युत केन्द्र	840
2. इब विस्तार	1000

इसके अतिरिक्त पूर्वी क्षेत्र में सातवीं, आठवीं और नौवीं योजनावधियों के दौरान लाभ देने हेतु निर्धारित केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं से भी उड़ीसा राज्य को उसका हिस्सा मिलेगा। इन परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) से (ङ) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने 60% भार अनुपात पर 1983 मेगावाट कुल जल विद्युत क्षमता का पता लगाया है जिसमें से 60% भार अनुपात पर 567.5 मेगावाट का विकास किया जा चुका है। वर्ष, 1986-87 के दौरान उड़ीसा में कोयले का कुल उत्पादन 7.07 मिलियन टन हुआ था। यह आशा की जाती है कि 1989-90 तक यह बढ़कर 12.85 मिलियन टन और 194-95 तक 39.64 मिलियन टन हो जाएगा।

विवरण

क्रम सं०	परियोजना का नाम	स्थापित क्षमता (मेगावाट)	क्षमता संबंधी लाभ		
			7वीं योजना के दौरान (1985-90)	8वीं योजना के दौरान 1990-95 (मेगावाट)	9वीं योजना के दौरान (1995-2000)
1	2	3	4	5	6
जल विद्युत परियोजनाएं					
स्वीकृत परियोजनाएं					
	कोइल कारो	4 × 172.5+ 1 × 20			710

1	2	3	4	5	6
केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत स्कीमें					
	रणजीत II	3 × 20		60	
नई परिकल्पित स्कीमें					
	1. सिंघीक	1000			750
	2. किश्तो बाजार (पी० एस० टी० ओ० आर०)	1050		300	
ताप विद्युत परियोजनाएं					
स्वीकृत परियोजनाएं					
	1. फरक्का सु० ता० वि० केन्द्र चरण-I	3 × 210	630	1000	
	2. फरक्का सु० ता० वि० केन्द्र चरण II	2 × 500		1000	
	3. कहलगांव सु०ता०वि० केन्द्र	4 × 210		840	
के० वि० प्र० द्वारा स्वीकृत स्कीम					
	तलचेर सु० ता० वि० केन्द्र	2 × 500		500	500
नई परिकल्पित स्कीमें					
	1. कहलगांव विस्तार	2 × 500			1000
	2. फरक्का-6	1 × 500			
	3. तलचेर सु०ता०वि० केन्द्र II	2 × 500			1000

दिल्ली और उड़ीसा के गंजम जिले में ब्रह्मपुर के बीच एस० टी०डी० सेवा

2669. **श्री सोमनाथ रथ** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में दिल्ली और जिला मुख्यालयों के बीच एस० टी० डी० सुविधा उपलब्ध कराने पर विचार कर रही है;

(ख) क्या दिल्ली और उड़ीसा के गंजम जिले में ब्रह्मपुर के बीच एस० टी० डी० सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी; और

(ग) यदि हां, तो कब तक शुरू की जाएगी ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) मार्च, 1988 तक।

आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम में लिनियर ऐल्किल बेंजिन प्लांट की स्थापना

2670. **श्री सी० माधव रेड्डी** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम में लिनियर ऐल्किल बेंजिल के उत्पादन के लिए एक पेट्रो-रसायन काम्पलेक्स की स्थापना हेतु परियोजना-प्रस्ताव को स्वीकृति दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

रेजर ब्लेड निर्माताओं द्वारा अनुचित व्यापारिक व्यवहार

2671. **श्री सी० माधव रेड्डी** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में रेजर ब्लेड निर्माता एकाधिकार व्यापारिक व्यवहार का सहारा ले रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) सरकार को यह मालूम होने पर कि रेजर ब्लेड उद्योग में एकाधिकारिक व्यापार प्रथाएं विद्यमान हैं, सरकार ने एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 31(1) के अन्तर्गत इसे एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग को संदर्भित किया है।

कोयला कंपनियों द्वारा शोषण

2672. **श्री अनिल बसु** :
श्री अजित कुमार साहा :

क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इण्डिया लि०, को 40 किलोग्राम घरेलू कोयले पर केवल 7 रुपये मिलते हैं जबकि इसी मात्रा के लिए उपभोक्ता को वास्तव में 30 रुपये से अधिक और कुछ मामलों में तो 50 रुपये तक देते पड़ते हैं; और

(ख) यदि हां, तो पूरे देश में कोयला कम्पनियों द्वारा किए जा रहे इस शोषण को रोकने के लिए सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) और (ख) साफ्ट कोक के लिए सरकार द्वारा घरेलू उपयोग हेतु निश्चित एक्स-कोलियरी कीमत रु० 175 प्रति टन है जोकि 40 किलोग्राम के लिए रु० 7/- बनती है। साफ्ट कोक का वितरण और उसकी कीमत का विनियमन संबद्ध राज्य सरकार के कार्य क्षेत्र में रहता है। घरेलू उपभोक्ता साफ्ट कोक की जो कीमत अदा करते हैं उसमें एक्स-कोलियरी कीमत के अलावा अन्य कई कारक शामिल रहते हैं—जैसे परिवहन की लागत, रख-रखाव ओर वितरण का खर्च तथा यथास्थिति लागू अन्य सांविधिक कर आदि। इस सम्बन्ध में कोयला कंपनियों द्वारा उपभोक्ताओं का कोई शोषण नहीं हो रहा है।

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना करना

2673. **श्री विष्णु मोदी :**

श्री शांति धारीवाल :

श्री महेन्द्र सिंह :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने हमारे देश के पिछड़े क्षेत्रों में अपने उद्योग लगाने के लिए अपनी इच्छा व्यक्त की है बशर्ते कि उन्हें एकाधिकार और अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग और विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अधीन कुछ रियायतें दी जाएं;

(ख) यदि हां, तो ऐसी कम्पनियों का ब्यौरा क्या है जो भारत में अपने उद्योग लगाने के लिए इच्छुक हैं और उनके द्वारा मांगी गई रियायतों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन बहुउद्देशीय कम्पनियों द्वारा किए गये प्रस्तावों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) केन्द्रीय रूप से घोषित पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन देने तथा औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि को सुगम बनाने की दृष्टि से सरकार ने कई योजनाओं की घोषणा की है जैसे कि केन्द्रीय रूप से घोषित पिछड़े क्षेत्रों में स्थापना के लिए कुछ उद्योगों को लाइसेंस मुक्त करना तथा एम०आर०टी०पी० अधिनियम और फेरा के क्षेत्र में आने वाली कंपनियों के संबंध में निर्यात दायित्व में कमी करना। इन सुविधाओं का लाभ उठाना संबंधित कंपनियों का कार्य है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही, नहीं उठते।

राजस्थान में टेलीफोन सलाहकार समितियां

2674. **श्री विष्णु मोदी** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ऐसे क्षेत्रों में जिनमें अभी तक टेलीफोन सलाहकार समितियां नहीं हैं, टेलीफोन सलाहकार समितियां गठित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उनमें से कितनी समितियां राजस्थान में गठित की जाएंगी और उनके द्वारा शामिल किए जाने वाले क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है;

(घ) इस समय राजस्थान में कितनी टेलीफोन समितियां कार्य कर रही हैं और वे कहां-कहां स्थित हैं उनमें कौन-कौन सदस्य हैं और उनके निदेश पद, आदि के बारे में पूर्ण ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या देश में टेलीफोन सलाहकार समितियों के गठन को विनियमित करने के लिए कोई मानदंड निर्धारित किया गया है; और

(च) यदि हां, तो इसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) और (ख) जी, हां। किसी राज्य/संघ शासित क्षेत्र/टेलीफोन जिले में दूर संचार सलाहकार समितियों के अतिरिक्त, प्रत्येक सेकेंडरी स्विचन क्षेत्र के लिए एक दूर संचार सलाहकार समिति का गठन किया जाता है।

(ग) राजस्थान के निम्नलिखित प्रन्दह सेकेंडरी स्विचन क्षेत्रों के लिए दूर संचार सलाहकार समितियों का पुनर्गठन करने का प्रस्ताव है :—

सलाहकार समिति	क्षेत्र
1. अजमेर	अजमेर
2. अलवर	अलवर
3. बक्सवाड़ा	बक्सवाड़ा और डूंगरपुर
4. बाड़मेर	बाड़मेर और जैयसलमेर
5. भरतपुर	भरतपुर, धौलपुर
6. भीलवाड़ा	भीलावाड़ा और चित्तौड़गढ़
7. बीकानेर	बीकानेर
8. जोधपुर	जोधपुर
9. कोटा	कोटा, झालावाड़
10. नागपुर	नागपुर, चूरू
11. पाली	पाली, सिरोही (आबू) जालौर
12. सवाई माधोपुर	सवाई माधोपुर, टौंक कुण्डी
13. श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर
14. सीकार	सीकार और झुनझुनू
15. उदयपुर	उदयपुर

(घ) 28 सदस्यों की एक टेलीफोन सलाहकार समिति जयपुर के लिए तथा 32 सदस्यीय दूर-संचार सलाहकार समिति राजस्थान के लिए क्रमश: 10-7-87 और 25-5-87 को दो वर्ष की अवधि हेतु पुनर्गठित की गई है।

इन समितियों के कार्य का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है जिसे सभा पटल पर रखा गया है।

(ङ) और (च) सेकेंडरी स्विचन क्षेत्रों के आधार पर दूरसंचार सर्किलों के पुनर्गठन के साथ-साथ जो कि प्रचालन/प्रबन्ध यूनिटें होंगी, प्रत्येक सेकेंडरी-स्विचन क्षेत्र के लिए एक सलाहकार समिति का गठन किया जाएगा।

विवरण

दूरसंचार/टेलीफोन सलाहकार समितियों के कार्य :

(क) दूर संचार सेवाओं के कार्य को मानीटर करना तथा इनमें सुधार की दृष्टि से विभाग को सलाह देना।

(ख) टेलीफोन प्रयोगताओं तथा दूरसंचार विभाग के बीच परस्पर निकट संबंध स्थापित करना।

(ग) जनता को यह विश्वास दिलना कि उनकी शिकायतों को सही ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा है तथा उन पर सही तरीके से कार्यवाही की जाती है।

(घ) टेलीफोन सेवाओं में सुधार तथा विकास करने के लिए विभाग द्वारा की जा रही कार्यवाही का प्रचार करना।

(ङ) टेलीफोन उपस्करों एवं लाइनों में कमी को निपटने के लिए जनता से सहयोग एवं धैर्य दिखाने के लिए विभाग की सहायता करना।

(च) ओ० वाई० टी० और गैर-ओ० वाई० टी० विशेष श्रेणियों के अंतर्गत प्रतीक्षा सूची के विभिन्न आवेदकों के मामले में तुलनात्मक गुण-दोष का संयुक्त रूप से मूल्यांकन करके व्यवहार्य तथा समता के आधार पर नियमानुसार बिना बारी के टेलीफोन कनेक्शन देने के लिए विभाग को सलाह देना।

नहाने के साबुन बनाने वाले उद्योग की अधिष्ठापित क्षमता

2675. **श्री शांताराम नायक** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में नहाने के साबुन बनाने वाले औद्योगिक एककों की संख्या कितनी है;

(ख) उनकी अधिष्ठापित क्षमता क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि देश में नहाने के साबुन की भिन्न-भिन्न तरह की टिकियों का उत्पादन होने के बावजूद, आम आदमी को उचित मूल्य पर उचित स्तर का नहाने का साबुन नहीं मिलता; और

(घ) यदि हां, तो क्या उनके मंत्रालय का इस संबंध में कोई सुधारात्मक कदम उठाने का विचार है?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) 3,65,400 मी० टन की अधिष्ठापित क्षमता वाले संगठित क्षेत्र के 52 औद्योगिक एकक देश में नहाने के साबुने का उत्पादन कर रहे हैं।

(ग) और (घ) इन एककों द्वारा उत्पादित विभिन्न प्रकार के साबुन, विभिन्न वर्ग के उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं के अनुरूप विभिन्न कीमतों पर बाजार में उपलब्ध हैं। साबुन उद्योग पर सरकार द्वारा मूल्य तथा वितरण नियंत्रण लागू नहीं किया गया है। तथापि, सरकार इस बात से अवगत है कि साबुनों की कीमतों में वृद्धि होने की प्रवृत्ति मुख्य रूप से साबुन के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले औद्योगिक तेलों की कीमतों में वृद्धि होने के कारण दिखाई दे रही है। सरकार ने कमी को पूरा करने के लिए साबुन बनाने में प्रयुक्त होने वाले 20,000 मी० टन और तेलों का आयात करने का निर्णय लिया है तथा अतिरिक्त मात्रा का आयात करने के लिए आवश्यक कदम उठाये गये हैं।

महाराष्ट्र में केन्द्रीय सरकार द्वारा सहायता प्राप्त औद्योगिक परियोजनाएं

2676. **प्रो० मधु दंडवते** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र राज्य में केन्द्रीय सरकार द्वारा सहायता प्राप्त कितनी औद्योगिक परियोजनाएं स्थित हैं और उनके क्या नाम हैं;

(ख) सितम्बर, 1987 की स्थिति के अनुसार चल रही परियोजनाओं के नाम क्या हैं और इनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 1987-88 में केन्द्रीय सरकार द्वारा सहायता प्राप्त औद्योगिक परियोजनाओं के लिए क्या नये प्रस्ताव हैं ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) महाराष्ट्र में केन्द्रीय क्षेत्र/केन्द्रीय सरकार द्वारा सहायता प्राप्त क्षेत्र में महत्वपूर्ण औद्योगिक परियोजनाओं में निम्नलिखित परियोजनाओं को सातवीं योजना में शामिल किया गया है :—

1. सेल, केन्द्रीय विपणन संगठन।
2. मैंगनीज और इण्डिया लिमिटेड।
3. बालमेर लॉरी एण्ड कम्पनी, बम्बई।
4. इंडो बर्मा पेट्रोलियम कम्पनी इंजीनियरिंग डिवीजन, नासिक।
5. भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (एरोमैटिक्स)।
6. आई० पी० सी० एल०—महाराष्ट्र गैस कम्पलैक्स, नागोथाने।
7. राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टीलाइजर्स।
   (क) थाल में गैस पर आधारित परियोजना।
   (ख) ट्रांबे परियोजना।
8. हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स।
   रेसायनी (प्रतिस्थापन और नवीकरण)।
9. हिन्दुस्तान इन्सैक्टीसाइड्स लिमिटेड,
   रेसायनी (डी० डी० टी० परियोजना)।
10. हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड/प्रतिस्थापन चल रही योजनाएं/और नवीकरण एस० एण्ड टी०।
11. पिछड़े क्षेत्र को राजसहायता।
12. नेशनल बाइसिकल कारपोरेशन ऑफ इण्डिया।
13. हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड, औरंगाबाद।
14. रिचर्डसन एण्ड कूडास लिमिटेड, बम्बई।
15. आटोमोबाइल रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इण्डिया, पुणे।
16. कम्प्यूटर मेंटीनेंस कारपोरेशन लिमिटेड।
17. नेशनल सेंटर फॉर सॉफ्टवेयर डेवलमेंट एण्ड कम्प्यूटिंग टेकनीक (एन०सी०एस०डी०टी०)।
18. इलेक्ट्रानिक्स टेस्टिंग डेवलपमेंट सेन्टर (ई० टी० डी० सी०)।
19. इलेक्ट्रानिक्स क्षेत्रीय परीक्षण प्रयोगशाला।
20. विशेष संघटक और सामग्री कार्यक्रम।

21. अभिकलिज सहायता प्राप्त अभिकल्प कार्यक्रम (सी० ए० डी०)।

22. सोसाइटी फॉर एपलाईड माइक्रोवेव इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग एण्ड रिसर्च।

23. नेशनल उच्च वोल्टता प्रत्यक्ष चालू परियोजना।

24. इलेक्ट्रानिक अभिकल्प और प्रौद्योगिकी केन्द्र।

25. भारी जल संयंत्र थाल वैसेट।

26. थाल आवास।

27. भारी जल संयंत्र कार्यालय।

28. यूरेनियम कारपोरेशन आॅफ इण्डिया लिमिटेड, कार्यालय तथा आवासीय बस्ती, नागपुर।

29. भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र।

30. भारत सरकार टकसाल, बम्बई।

31. भारत सरकार मुद्रणालय, नासिक रोड।

32. करन्सी नोट प्रेस, नासिक रोड।

33. निर्यात निरीक्षण परिषद।

34. सांताकुंज इलोक्ट्रानिक्स निर्यात संवर्धन जोन।

35. राष्ट्रीय वस्त्र निगम।

36. विज्ञान और प्रौद्योगिकी (डब्ल्यू० आर० ए, बी० आई० टी० आर० ए०, एस० ए० एस० एम० आई० आर० ए०)।

(ग) महाराष्ट्र सरकार के वार्षिक योजना प्रस्ताव में शामिल वर्ष 1987-88 में केन्द्र सरकार द्वारा सहायता प्राप्त नई औद्योगिक परियोजनाएं निम्न प्रकार हैं :—

1. उद्योग रहित जिले का अवस्थाना परक विकास।

2. नानदेड़ जिले में अवसर लाभ (अपारच्यूनिटी प्रोफिट्स)।

राज्यों में खाद्य तेल की कमी

2677. **प्रो० मधु दंडवते** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पामोलीन तेल तथा अन्य लोकप्रिय ब्रांडों के तेल की कमी थी और ये उपलब्ध नहीं हो रहे थे;

(ख) क्या यह सच है कि कुछ राज्यों में यह तेल बिल्कुल भी उपलब्ध नहीं था; और

(ग) इस तेल की कमी के क्या कारण हैं जबकि इसका भारी मात्रा में आयात किया गया था?

संसदीय कार्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) से (ग) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए विभिन्न प्रकार के आयातित खाद्य तेल, जिनमें पामोलीन का तेल भी शामिल है, आबंटित किए जा रहे हैं। किसी राज्य को किस प्रकार के तेल की आपूर्ति की जाए यह बात उस राज्य की मांग पर निर्भर करती है और कुछ

राज्यों में पामोलीन का आबंटन नहीं किया जाता। सभी आयातित खाद्य तेलों, जिनमें पामोलीन भी शामिल है, के आबंटन में पिछले पांच महीनों में उत्तरोत्तर वृद्धि की गई है।

सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पूर्वी तट पर खोज कार्य

2678. **श्री रेणुपद दास** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत बंगाल की खाड़ी में पूर्वी तट पर और तट से दूर खोज सम्बन्धी छिदण कार्य शुरू किया गया है;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितने कुंए खोदे गए हैं; और

(ग) इसके क्या परिणाम निकले ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) 15, कृष्णा गोदावरी के अपतटीय थाले में दो कुंओं में तेल/गैस मिली है।

टेलीफोन के उपकरणों का आयात

2679. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में टेलीफोन लाइनों और टेलीफोन के अन्य उपकरणों की मांग को पूरा करने के संबंध में सरकार की क्या नीति है;

(ख) क्या सरकार का टेलीफोन लाइनों और स्विचिंग गियर आदि, जैसे उपकरणों के आयात को जारी रखने का विचार है;

(ग) क्या सरकार का उत्कृष्टता और मात्रा, दोनों दृष्टि से देश में इनके उत्पादन की क्षमता बढ़ाने का विचार है;

(घ) क्या देश में इनके उत्पादन की क्षमता बढ़ाने के लिए कोई दीर्घकालिक योजना तैयार की गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(च) इस कार्य के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) दूर संचार विभाग का यह भरसक प्रयत्न रहा है कि यथासंभव शीघ्र मांग करने पर टेलीफोन कनेक्शन सुलभ कराए जाएं। तथापि, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक संसाधनों का आबंटन करना संभव नहीं रहा है।

(ख) उम्मीद है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 15 लाख नये कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे जिसके लिए विभाग के लिए योजना आबंटन में पर्याप्त वृद्धि करने की आवश्यकता होगी। इस पर भी 1990 तक लगभग 15 से 20 लाख तक की वृद्धि प्रतीक्षा-सूची में होने की संभावना है।

(ग) वर्ष 2000 तक मांग प्राप्त होने पर टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए विभाग ने एक महत्वपूर्ण भावी योजना तैयार की है जिसके लिए 35 लाख की मौजूदा सीधी एक्सचेंज लाइनों में वृद्धि करके लगभग 2 करोड़ करना होगा तथा आगामी 13 वर्षों में लगभग

50,000 करोड़ रुपये का निवेश करना होगा योजना आयोग के विचारार्थ यह भावी योजना प्रस्तुत की जा रही है ।

(घ) से (च) दूर संचार विभाग की यह नीति है कि दूर संचार उपस्करों के उत्पादन के संबंध में गुणता एवं परिष्कृतता की दिशा में अधिकतम आत्म-निर्भरता प्राप्त की जाये । नेटवर्क के संतुलित विकास को सुनिश्चित करने के लिए विभाग इस दिशा में एक व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाता रहा है ।

1948 में आई० टी० आई०, की प्रथम यूनिट स्थापित करने के साथ ही विभाग विभिन्न प्रकार के उपस्करों की क्षमता में वृद्धि करता रहा है और पर्याप्त देशी उत्पादन क्षमता के लिए नई यूनिटें स्थापित करता रहा है । इस नीति को जारी रखने का प्रस्ताव है । भावी योजना पर एक बार अन्तिम निर्णय लेने के बाद देशी उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने के लिए एक लंबी दूरी की योजना तैयार की जाएगी ।

बायो-गैस संयंत्र स्थापित करना

2680. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा की बढ़ती हुई समस्याओं की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इन समस्याओं को हल करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(ग) क्या अधिक से अधिक बायो-गैस संयंत्र लगाये जाने को प्रोत्साहित किया गया है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) जी, हां ।

(ख) ग्रामीण ऊर्जा समस्या के समाधान के लिए किए जा रहे उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित भी शामिल हैं :—

(i) आपरंपरिक ऊर्जा स्रोत पर आधारित प्रौद्योगिकी जो काफी परिपक्व हो चुकी है, का व्यापक रूप से उपयोग ।

(ii) अपारम्परिक ऊर्जा की उदीयमान प्रौद्योगिकियों को प्रदर्शन, क्षेत्र परीक्षण, जनजागृति आदि के द्वारा प्रोत्साहन देना ।

(iii) दीर्घकालीन भावी योजनाओं के क्षेत्र में अनुसंधान तथा विकास गतिविधियों को तेज करना ।

(iv) देश में अब तक 8.5 लाख से अधिक बायो-गैस संयंत्र और 30 लाख से भी अधिक चूल्हे लगाये जा चुके हैं जिनसे देहातों को काफी मात्रा में लाभ पहुंचने लगा है । इन गतिविधियों में विस्तार करने का प्रस्ताव है । तथापि इस विस्तार की गति इस क्षेत्र के लिए उपलब्ध कराये गये वित्तीय नियतन पर निर्भर है ।

(ग) जी, हां ।

[हिन्दी]

बिहार में रुग्ण उद्योग

2681. **प्रो० चन्द्र भानु देवी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले कुछ वर्षों के दौरान बिहार में रुग्ण उद्योगों की संख्या में वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपनाई गई रुग्णता की परिभाषा के अनुसार देश में बैंकों द्वारा सहायता प्राप्त रुग्ण औद्योगिक एककों के आंकड़े रिजर्व बैंक द्वारा ही एकत्र किए जाते हैं। रिजर्व बैंक से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार बिहार राज्य में दिसम्बर, 1984 से जून 1986 तक रुग्ण एककों की संख्या निम्न प्रकार है :—

समाप्त अवधि तक	बड़े रुग्ण एककों की संख्या	रुग्ण लघु औद्योगिक एककों की संख्या
दिसम्बर, 1984	14	5652
दिसम्बर, 1985	17	8570
जून, 1986	16	9304

(ख) आंतरिक तथा बाहरी दोनों प्रकार के अनेक कारण जैसे कुप्रबन्ध, निधियों का अन्यत्र उपयोग, प्रारंभिक अवस्था में त्रुटिपूर्ण योजना, प्रौद्योगिकीय गतप्रयोगता, बाजार में मंदी, बिजली तथा कच्चे-माल की कमी, औद्योगिक संबंध आदि औद्योगिक रुग्णता के लिए जिम्मेदार हैं।

[अनुवाद]

पश्चिम बंगाल को रेपसीड तेल का आबंटन

2682. **डा० सुधीर राय** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में खाद्य तेल की कमी का मुख्य कारण पश्चिम बंगाल को रेपसीड तेल की कम सप्लाई होना है; और

(ख) यदि हां, तो वर्तमान कठिनाई को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) जी, नहीं।

(ख) पश्चिम बंगाल को आयातित रेपसीड तेल का आबंटन जून, 1987 से उत्तरोत्तर बढ़ाया गया है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में विदिशा में गंज बसोदा में खाना पकाने की गैस एजेंसी खोलना

2683. **श्री राज कुमार राय** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री मध्य प्रदेश में विदिशा में गंज बसौदा के लिए खाना पकाने की गैस एजेंसी के आबंटन के बारे में 21 अप्रैल, 1987 के

अतारांकित प्रश्न संख्या 7325 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में गंज बसौदा में खाना पकाने की गैस एजेंसी कब तक खोली जाएगी ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : मध्य प्रदेश के विदिशा में गंज बसौदा नामक स्थान पर एल० पी० जी० की डिस्ट्रीब्यूटरशिप देने के संबंध में चयन किए गए उम्मीदवार को आई० ओ० सी० द्वारा आशय-पत्र (एल० ओ० आई०) 14 नवम्बर, 1987 को जारी किया गया है। चूंकि एल० पी० जी० की डिस्ट्रीब्यूटरशिप को वास्तव में चालू करने से पूर्व कई प्रकार के कदम उठाने पड़ते हैं, अत: यह बताना संभव नहीं है कि यह डिस्ट्रीब्यूटराशिप किस विशिष्ट तिथि को चालू कर दी जाएगी।

[अनुवाद]

केरल में रबड़ पर आधारित उद्योगों की स्थापना करना

2684. **श्री के० कुन्जम्बु** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने राज्य में रबड़ पर आधारित उद्योगों की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर सरकार क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही, नहीं उठते।

पूर्व और दक्षिण क्षेत्र की विद्युत ग्रिडों को जोड़ने में प्रगति

2685. **श्री पी० एम० सईद** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व और दक्षिण क्षेत्र की विद्युत ग्रडों का आपस में जोड़ने के कार्य में प्रगति हो रही है;

(ख) यह कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है; और

(ग) क्या अन्य स्रोतों से प्राप्त ऊर्जा को भी इकट्ठा किया जाएगा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इससे कुल कितना लाभ होगा ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) दक्षिण क्षेत्र में आन्ध्र प्रदेश और पूर्वी क्षेत्र में उड़ीसा के बीच पारेषण लिंक पहले से ही विद्यमन है और लगभग 100 मेगावाट की विद्युत का आदान-प्रदान किया जा रहा है।

(ग) वर्तमान अन्त: क्षेत्रीय लिंकों को सशक्त बनाया जा रहा है ताकि अन्य स्रोतों से भी विद्युत का अधिक आदान-प्रदान किया जा सके। जहां तक पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्रों का संबंध है, जब केन्द्र द्वारा प्रायोजित लोअरसिलेरु अपर सिलेरु—बलिमेला लिंग मार्च, 1990 तक पूरा हो जाएगा तब लगभग 250 मेगावाट की विद्युत का आदान-प्रदान किया जाना संभव होगा।

नई कोयला परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विलंब होना

2686. **श्री पी० एम० सईद** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अभी हाल ही में उनका ध्यान नई कोयला परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विलंब होने सहित कोयला मजदूरों को पेश आ रही कुछ समस्याओं की ओर दिलाया गया था;

(ख) यदि हां, तो इन मजूदरों को पेश आ रही अन्य समस्याओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन समस्याओं को हल करने और नई कोयला परियोजनाओं के कार्यान्वयन में होने वाले विलंब को दूर करने हेतु प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) से (ग) कोलियरी कामगारों के सम्मुख आने वाली समस्याओं के संबंध में समय-समय पर कामगारों अथवा उनकी यूनियनों अथवा अन्य लोगों और महत्वपूर्ण व्यक्तियों से अभिवेदन प्राप्त होते हैं। यह समस्याएं सेवा मामलों, कार्य-स्थल की दशाओं, खनिक कालोनियों और धौराओं में रहने की दशाओं और सुविधाओं संबंधी विभिन्न प्रकार की होती हैं। कोयला कंपनियों में इन समस्याओं को देखने और सुलझाने की दृष्टि से शिकायतें दूर करने की सुस्थापित क्रियाविधियां और कल्याण-व्यवस्थाएं हैं।

समय-समय पर ऐसे अभिवेदन भी प्राप्त होते हैं जिनमें परियोजनाएं पूरा करने में होने वाले विलम्ब का जिक्र होता है। यह विलम्ब मुख्यत: भूमि और उपकरणों के समय पर उपलब्ध नहीं होने के कारण तथा वन/पर्यावरण संबंधी मंजूरियां आदि देर से मिलने के कारण होता है। कोयला परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए क्रियाविधियां युक्तिपूर्ण बनाने तथा प्रशासनिक प्रबन्ध मजबूत करने के उपाय किए गए हैं। इन उपायों में निम्नलिखित बातें शामिल हैं :—

(1) यथार्थवादी परियोजना कार्यान्वयन योजनाएं तैयार करना;

(2) परियोजना रिपोर्टों के अनुमोदन होने तक अग्रिम कार्यवाई की मंजूरी;

(3) पर्याप्त धन देना सुनिश्चित करना;

(4) मासिक फ्लैश रिपोर्ट के जरिए प्रभावकारी निगरानी;

(5) परियोजना को शीघ्रता से पूरा करने के लिए परियोजना प्राधिकारियों पर लगातार दबाव;

(6) अन्तर-मंत्रालय समन्वय और परस्पर कार्रवाई;

(7) परियोजना पूरी करने में देरी न्यूनतम करने के लिए संबंधित मंत्रालयों, राज्य सरकारों, उपकरण सप्लायरों, परामर्शदाओं और अन्य संबंधित एजेंसियों के साथ घनिष्ठ अनुवर्ती कार्रवाई।

करनाल रिफाइनरी के पूरा होने में हुई प्रगति

2687. **डा० दत्ता सामन्त** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हरियाणा में करनाल स्थिति टाटा इंडियन आयल रिफाइनरीज के पूरा होने में अब तक क्या प्रगति हुई है और इस पर अब कितनी धनराशि खर्च की जा चुकी है; और

(ख) इसके किस तारीख तक चालू होने की आशा है और रिफाइनरी में विभिन्न उत्पादों की निर्धारित क्षमता क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) और (ख) करनाल रिफाइनरी परियोजना के बारे में सहमति ज्ञापन पर 22-5-1987 को हस्ताक्षर किए गए थे। आई०ओ० सी० और टाटा केमिकल्स लिमिटेड के अधिकारियों का एक परियोजना दल बनाया गया है। परियोजना स्थल का आरम्भिक कार्य आरम्भ हो गया और ब्यौरे वार परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है। संयुक्त उद्यम कम्पनी के रूप में निगमन का कार्य हाथ में लिया गया है। ज्ञापन और संगम-अनुच्छेद का मसौदा भी तैयार है।

2. इसको हाथ में लेने की आरम्भिक तिथि अर्थात् अक्तूबर, 1982 से अब तक करनाल रिफाइनरी परियोजना पर कुल 9.15 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं।

3. रिफाइनरी को चालू करने की प्रत्याशित तारीख मई, 1992 है। विभिन्न उत्पादों की लक्ष्यांकित क्षमता इस प्रकार है :—

	"000" टनों में
एल० पी० जी०	110
नैफ्था	398
मोटर स्प्रिट	100
ए० टी० एफ०	1135
एस० के०	564
एच० एस० डी०	2116
एल० डी० ओ०	83
हैवी पेट्रोलियम स्टाक	925
सल्फर	22

पेप्सी कोला

2688. **डा० दत्ता सामन्त** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने देश में पेप्सी कोला परियोजना को मंजूरी देने के बारे में क्या अन्तिम निर्णय किया है; और

(ख) क्या अमरीका ने इस संबंध में भारत सरकार से कोई अभ्यावेदन किया हैं ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) विभिन्न संसाधित खाद्यों और मृदु पेय सान्द्रणों के उत्पादन के लिए टाटा की एक कम्पनी और यू० एस० ए० की मै० पेप्सी कं० इंक० के साथ संयुक्त-उद्यम की स्वीकृति के लिए मै० पंजाब एग्रो-इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन के आवेदन पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) इस सम्बन्ध में संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार से कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

उड़ीसा में वनस्पति एकक लगाना

2689. श्री हरिहर सोरन : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में वनस्पति संयंत्र लगाने के सम्बन्ध में उड़ीसा सरकार से कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं; और

(ख) कितने आवेदनों पर सरकार ने मंजूरी प्रदान की है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) और (ख) वनस्पति संयंत्र स्थापित करने के लिए उड़ीसा सरकार से 1973 से लेकर अब तक छः आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से एक आवेदन पर सरकार द्वारा मंजूर दी जा चुकी है।

माडर्न ब्रेड के उत्पादन में कमी

2690. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माडर्न ब्रेड के दैनिक उत्पादन में 30,000 डबलरोटी की कमी आ गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह सच है कि माडर्न फूड इंडस्ट्रीज (इण्डिया) लिमिटेड, निविदाएं आमन्त्रित करने की स्थापित प्रथाओं का उल्लंघन करके केवल एक ही फ्लोर मिल से मैदा खरीद रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) नियमों और सामान्य प्रक्रिया का अनुपालन करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) और (ख) जी, नहीं। अप्रैल-सितम्बर, 1987 के दौरान माडर्न ब्रेड का उत्पादन पिछले वर्ष की उसी अवधि की तुलना में 22 लाख मानक रोटियों तक अधिक हुआ था।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही, नहीं उठता।

(ङ) कंपनी ने सभी सामग्री के लिए मानक क्रय कार्यविधि निर्धारित की है और कंपनी के सभी यूनिटों द्वारा इसका कड़ाई के साथ अनुसरण किया जाता है।

सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों द्वारा बिजली का उत्पादन

2691. प्रो० पराग चालिहा : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों द्वारा किया गया कुल उत्पादन देश के कुल ऊर्जा उत्पादन का कितना प्रतिशत था;

(ख) क्या सार्वजनिक क्षेत्र के बिजली संयंत्रों की प्रचालन क्षति में वृद्धि हो रही है;

(ग) यदि हां, तो संयंत्रवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा हानि में वृद्धि होने के मुख्य कारण क्या हैं; और

(घ) इस हानि को कम करने के लिए यदि कोई कार्यवाही करने पर विचार किया जा रहा है, तो वह क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) अपेक्षित सूचना नीचे दिये गये अनुसार है :—

वर्ष	राज्य बिजली बोर्ड	केन्द्रीय क्षेत्र	निजी क्षेत्र
	कुल उत्पादन का प्रतिशत	कुल उत्पादन का प्रतिशत	कुल उत्पादन का प्रतिशत
1985-86	68.0	26.2	5.8
1986-87	68.6	25.9	5.5
1987-88 (अप्रैल-अक्तूबर)	67.5	27.0	5.5

(ख) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

असम में बिजली की मांग और उत्पादन

2692. **प्रो० पराग चालिहा** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सामान्यतया सम्पूर्ण देश में और विशेषकर असम में अगले पांच वर्षों के लिए बिजली की मांग और उत्पादन के संबंध में क्या अनुमान है;

(ख) इसके लिए कितनी राशि के नये पूंजीनिवेश की व्यवस्था की गई है और क्या नई विद्युत परियोजनाओं की लागत और उनकी निर्माण अवधि मूलत: परिकल्पित सीमाओं के अन्तर्गत है, यदि नहीं, तो इसका बिजली सम्बन्धी समग्र स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा है;

(ग) नई प्रारम्भ की गई परियोजनाओं में बिजली-उत्पादन की प्रति मेगावाट लागत कितनी है; और

(घ) इस समय कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं में कुल कितनी बिजली का उत्पादन किया जायेगा वे कहां-कहां स्थित हैं और इनमें से प्रत्येक परियोजना की बिजली उत्पादन क्षमता कितनी होगी ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) बारहवें विद्युत सर्वेक्षण प्रतिवेदन के आधार पर अगले 5 वर्षों के लिए समस्त देश और असम की विद्युत की अनुमानित आवश्यकताएं और उत्पादन नीचे दिए गए अनुसार हैं :—

वर्ष	बिजली की आवश्यकताएं (बिलियन यूनिट)		उपलब्धता (बिलियन यूनिट)	
	अखिल भारत	असम	अखिल भारत	असम
1988-89	247.16	2.28	231.10*	2.57*
1989-90	269.38	2.54	254.97*	3.14*
1990-91	295.50	2.79	इस अवधि के लिए विद्युत उत्पादन का आकलन अभी नहीं किया गया है ।	
1991-92	324.21	3.07		
1992-93	355.77	3.38		

*सातवीं योजना के प्रारम्भ में अनुमानित ।

(ख) सातवीं योजना में असम के लिए विद्युत क्षेत्र का अनुमोदित परिव्यय 485.0 करोड़ रुपए है जिसमें 57.03 करोड़ रुपये नई विद्युत उत्पादन स्कीमों के लिए शामिल है। सातवीं योजना में राज्य योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित नई स्कीम अनुमोदित की गई थी :—

1. डालैमा जल विद्युत (` × 2 मेगावाट) अनुमानित लागत 4. .0 करोड़ रुपये। उपर्युक्त के अलावा, केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत 203.17 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से (विद्युत उत्पादन का भाग) कठलगुड़ी में एक गैस टबाईन परियोजना (280 मेगावाट) अनुमोदित की गई थी।

(ग) असम में नई परियोजनाओं की प्रति मेगावाट अनुमानित लागत (केवल विद्युत उत्पादन का भाग) नीचे दिये गये अनुसार है :—

परियोजना	लागत प्रति मेगावाट (करोड़ रुपए)
1. डालैमा जल विद्युत (केन्द्रीय क्षेत्र)	1.1
2. कठलगुड़ी गैस टर्बाईन (केन्द्रीय क्षेत्र)	0.725

(घ) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

असम में क्रियान्वयनाधीन परियोजनाएं

1. राज्य क्षेत्र

(क) जल विद्युत

नाम	क्षमता (मेगावाट)
1. कारबी लांघपी	2.50
2. धनसिरी	15 × 1.33
3. डालैमा	4

(ख) ताप विद्युत

1. चन्द्रपुर विस्तार	30
2. लकवा गैस टर्बाईन (सोपान दो)	4 × 15
3. बारगोलाई	2 × 30

2. केन्द्रीय क्षेत्र

1. कठलगुड़ी गैस टर्बाईन	280

पूर्वोत्तर क्षेत्र को जारी किए गए औद्योगिक लाइसेंस

2693. **प्रो० पराग चालिहा** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र औद्योगिक रूप से पिछड़ा क्षेत्र हैं;

(ख) यदि हां, तो इस क्षेत्र में केन्द्रीय सरकार की सहायता से नये औद्योगिक यूनिट स्थापित करने के लिए हाल के वर्षों में क्या ठोस कदम उठाये गये हैं; और

(ग) पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों में से प्रत्येक राज्य को पिछले तीन वर्षों के दौरान कुल कितने

औद्योगिक लाइसेंस जारी किए हैं और उनमें से कितनों का वास्तव में उपयोग हुआ है और/अथवा कार्य प्रारम्भ हुआ है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) किसी क्षेत्र के औद्योगिकरण का प्राथमिक उत्तरदायित्व सम्बन्धित राज्य सरकार का होता है । फिर भी, केन्द्र सरकार पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन/रियायतें देकर इनके प्रयासों में मदद करती हैं । सम्पूर्ण पूर्वोत्तर क्षेत्र को श्रेणी "क" के अन्तर्गत रखा गया है जो 25% की दर से उच्चतम दर की केन्द्रीय राजसहायता पाने का पात्र है जिसकी अधिकतम सीमा 25 लाख रु० (पूर्वोत्तर क्षेत्र के पहाड़ी जिलों में इलेक्ट्रानिक उद्योगों की स्थापना के लिए 50 लाख रु०) है । पिछले चार वर्षों में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विभिन्न राज्यों को निम्नलिखित आशयपत्र, औद्योगिक लाइसेंस और तकनीकी विकास महानिदेशालय के पंजीकरण जारी किए गए हैं :—

राज्य का नाम	1984 आ० पत्र	1984 औ० लाई०	1984 त०वि० म०नि० के पंजीकरण	1985 आ० पत्र	1985 औ० लाई०	1985 ता०वि० म०नि० के पंजीकरण	1986 आ० पत्र	1986 औ० लाई०	1986 त०वि० म०नि० के पंजीकरण	1987 (सितम्बर, 87 तक) आ० पत्र	1987 (सितम्बर, 87 तक) औ० लाई०	1987 (सितम्बर, 87 तक) त०वि० म०नि० के पंजीकरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
असम	14	8	12	12	12	15	20	5	7	6	3	10
अरुणाचल प्रदेश	2	3	5	1	6	—	1	1	—	1	1	—
मणीपुर	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—
मेघालय	2	—	—	1	—	—	1	2	—	—	—	—
मिजोरम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
नागालैंड	1	2	3	—	—	—	4	—	—	—	—	—
त्रिपुरा	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—
	19	14	15	16	18	15	27	8	8	7	4	10

किसी औद्योगिक परियोजना को फलीभूत होने में सामान्यत: 3 से 4 वर्ष तक लगते हैं ।

असम में इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज

2694. **प्रो० पराग चालिहा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम में कितने कस्बों में पहले ही इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किये गये हैं

और वर्ष 1987-88 और 1988-89 में कितने अन्य ऐसे एक्सचेंजों की व्यवस्था करने की योजना बनाई जा रही है;

(ख) असम के कछार जिले में कितने कस्बों में इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किए जा चुके हैं और वर्ष 1987-88 और 1988-89 में कितने अन्य कस्बों में ऐसे एक्सचेंज स्थापित करने की योजना बनाई है;

(ग) क्या शिवसागर जिला मुख्यालय में ऐसे एक्सचेंज के लिए काफी समय से की जा रही मांग की उपेक्षा कर जिले के एक छोटे कस्बे, नजीरा में एक इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज स्थापित किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो इसका क्या कारण हैं; और

(ङ) शिवसागर जिले में इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज कब तक स्थापित किया जायेगा ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) असम के चार नगरों में इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों की व्यवस्था कर दी गई है। दो नगरों में 1987-88 के दौरान इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज संस्थापित किए जाने की योजना है। तीन नगरों में 1988-89 के दौरान इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज स्थापित करने तथा 1988-89 में एक एक्सचेंज का विस्तार किये जाने की योजना है।

(ख) हाफ्लांग 1987 में पहले ही संस्थापित किया जा चुका है।

सिल्चर में 1987-88 तथा हेलाकांडी में 1988-89 के दौरान इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज संस्थापित करने की योजना है।

(ग) निजीरिया में इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज के संस्थान का प्रस्ताव विचाराधीन है।

(घ) सामान्यतया इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज उपस्कर के आबंटन में मैनुअल एक्सचेंज को बदलने अथवा कम क्षमता के एम० ए० एक्स-III आटोमेटिक एक्सचेंजों को प्राथमिकता दी जाती है।

(ङ) किसी निश्चित संभावित समय का उल्लेख इस स्थिति में कर पाना संभव नहीं है क्योंकि शिवसागर की मांग पूरी करने के लिए स्वदेशी इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज उपलब्ध नहीं हैं।

कोल इंडिया लि० में निदेशकों की नियुक्ति

2995. **श्री तारिक अनवर** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की बोर्ड आफ कोल इण्डिया लि० तथा उसकी सहायक कंपनियों में निदेशकों की नियुक्ति उक्त कंपनियों के कर्मचारियों में से करने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो इन नियुक्तियों की क्या प्रक्रिया है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) जी, हां।

(ख) यह निर्णय लिया गया है कि कोल इंडिया लि० के निदेशक बोर्ड और प्रत्येक सहायक कंपनी के निदेशक बोर्ड में चार-चार निदेशक नामित किये जायें। यह नामित कामगार निदेशक कर्मचारियों के चार वर्गों के प्रतिनिधि होंगे। यह चार वर्ग हैं अर्द्ध कुशल/अकुशल कामगार, कुशल कामगार, पर्यवेक्षी कार्मिक और कार्यपालक अधिकारी। सहायक कंपनियों के बोर्डों में नामित निदेशकों का चुनाव अलग-अलग वर्गों के ऐसे कर्मचारी करेंगे जो कंपनी की नियमित सेवा में हैं। यह चुनाव गुप्त मतदान द्वारा होगा और इसका संचालन मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) करेंगे। सभी कोयला कंपनियों

के कामगार निदेशकों के प्रत्येक वर्ग में एक-एक कामगार निदेशक चुना जायेगा जो कोल इंडिया लि० के बोर्ड में नामित किया जाएगा। चूंकि कामगार निदेशकों के चार वर्ग होंगे इसलिए कोल इण्डिया लि० के बोर्ड में चार कामगार निदेशक हो जाएंगे। कामगार निदेशकों का कार्यकाल सामान्यतया दो वर्ष रहेगा।

अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक के बिना सरकारी क्षेत्र की यूनिट

2696. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र की घाटा उठा रही उन युनिटों के नाम क्या हैं जिनमें अध्यक्ष और/अथवा प्रबन्ध निदेशक के पद वर्ष के दौरान तीन महीने से अधिक समय तक रिक्त पड़े रहे; और

(ख) भविष्य में इन पदों को बिना किसी देरी के भरने की सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) 31-10-1987 की उपलब्ध जानकारी के अनुसार सरकारी क्षेत्र के ऐसे 12 उद्योगों की सूची संलग्न विवरण दी गई। जिनमें इस वर्ष के दौरान अध्यक्ष और/अथवा प्रबन्ध निदेशक के पद तीन महीने से अधिक समय तक रिक्त पड़े रहे हैं। इन्होंने वर्ष 1985-86 के दौरान घाटा उठाया था जिसके परीक्षित लेखे उपलब्ध हैं।

(ख) स्थानपन्न व्यवस्थाएं इसलिए की जाती हैं ताकि काम में हानि न हो। रिक्त पदों को भरने की चयन प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है।

विवरण

सरकारी क्षेत्र के घाटा उठाने वाले उद्यमों के नाम जिनमें इस वर्ष के दौरान तीन महीने से अधिक समय तक अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक के पद रिक्त पड़े रहे हैं।

1. भारत ब्रेक्स एण्ड वाल्व्स लि०।
2. भारत लैदर कारपोरेशन लि० (18-11-87 को कार्यभार ग्रहण किया)।
3. भारत प्रोसेस अण्ड मेकेनिकल इंजीनियर्स लि०।
4. भारत पम्पस एण्ड कम्प्रेशर्स लि०।
5. भारतीय रुई निगम लि०।
6. इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इण्डिया) लि०।
7. हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लि०।
8. नागालैण्ड पल्प एण्ड पेपर कम्पनी लि०।
9. ने०टे०का० (महाराष्ट्र नार्थ) लि०।
10. ने० टे० का० (साउथ महाराष्ट्र) लि०।
11. ने०टे०का० (उत्तर प्रदेश) लि०।
12. स्कूटर्स इण्डिया लि०।

उत्तर प्रदेश तथा हमीरपुर में पेट्रोल पम्प खोलना और एस० के० ओ० डीलरशिप देना

2697. **श्री स्वामी प्रसाद सिंह** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में चालू वर्ष तथा वर्ष 1988 के दौरान नई एस० के० ओ० डीलरशिप देने और पेट्रोल पम्प खोलने के प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसी अवधि के दौरान हमीरपुर में भी नई एस० के० ओ० डीलरशिप देने और पेट्रोल पम्प खोलने के कुछ प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी वर्षवार ब्यौरा क्या है और इस सम्वन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) विपणन योजना 1987-88 तक उत्तर प्रदेश में लगभग 50 नयी एस० के० ओ०/एल० डी० ओ० डीलरशिपें तथा लगभग 340 खुदरा बिक्री केन्द्र खोलने के तेल कम्पनियों के प्रस्ताव हैं।

(ख) सूचना एकत्र करने में लगने वाले निहित प्रयास वांछित प्रयोजन के अनुरूप नहीं होंगे।

(ग) जी, हां।

(घ) चरखरी (10-9-87 को आशय पत्र जारी किया गया) और मुसकरा (तेल चयन बोर्ड, (उत्तर) के पास लम्बित) में एक-एक खुदरा बिक्री केन्द्र खोलने तथा चरखरी (तेल चयन बोर्ड (उत्तर) द्वारा जिलाधीश से पेनल की प्रतिज्ञा की जा रही रही है) में एक एस० के० ओ०/एल० डी० ओ० एजेंसी खोलने का तेल कम्पनियों का प्रस्ताव है।

(ङ) उपर्युक्त (घ) को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

राज्यों में मझौली और बड़ी विद्युत परियोजनाएं

2698. **डा० ए० के० पटेल** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में मझौली और बड़ी विद्युत परियोजनाओं की स्वीकृति, निर्माणाधीन और पूरा होने की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) उनके चालू होने की पूर्व अनुमानित और अब अनुमानित निर्धारित तिथियां क्या-क्या हैं; और

(ग) प्रत्येक परियोजना के मामले में अनुमानित लागत में कितनी-कितनी वृद्धि हुई है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

आन्ध्र प्रदेश के पिछड़े एवं आदिवासी क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना

2699. **श्री बी० तुलसीराम** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार की नई नीति के अनुसार आंध्र प्रदेश के पिछड़े एवं आदिवासी क्षेत्रों में केन्द्रीय सरकार की सहायता से स्थापित किए गए उद्योगों का ब्यौरा क्या है;

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा इन उद्योगों को दिए गए प्रोत्साहन एवं सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ग) आन्ध्र प्रदेश के महबूब नगर जिले में किन-किन आदिवासी एवं पिछड़े क्षेत्रों का नई नीति के अन्तर्गत चयन किया गया तथा वहां उद्योग स्थापित किए गए; और

(घ) वर्ष 1986-87 और 1987-88 के दौरान इन उद्योगों को कितनी धनराशि सहायया के रूप में दी गई तथा वर्ष 1988-89 और 1989-90 के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) आन्ध्र प्रदेश प्रदेश के केन्द्रीय रूप से घोषित पिछड़े जिलों में उद्योग स्थापित करने के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान निम्नलिखित आशय-पत्र, औद्योगिक लाइसेंस और तकीनीकी विकास महानिदेशालय के पंजीकरण जारी किए गए हैं :—

	1984			1985	
आशय पत्र	औद्योगिक लाइसेंस	तकनीकी विकास महादिनेशालय पंजीकरण	आशय पत्र	औद्योगिक लाइसेंस	तकनीकी विकास महानिदेशालय पंजीकरण
056	023	135	088	037	133

	1986			1987 (सित० तक)	
आशय पत्र	औद्योगिक लाइसेंस	तकनीकी विकास महानिदेशालय पंजीकरण	आशय पत्र	औद्योगिक लाइसेंस	तकनीकी विकास महानिदेशालय पंजीकरण
072	022	048	042	016	065

(ख) एम० आर० टी० पी०/फेरा कम्पनियों को छोड़कर केन्द्रीय रूप से घोषित वर्ग "ख" के पिछड़े जिलों में उद्योग स्थापित करने के लिए 15 प्रतिशत (अधिकतम 15 लाख रु०) केन्द्रीय निवेश राजसहायता दी जाती है और वर्ग "ग" के पिछड़े जिलों में 10 प्रतिशत (अधिकतम 10 लाख रु०) केन्द्रीय निवेश राजसहायता दी जाती है।

(ग) महबूब नगर जिले के महबूब नगर जाधचेरला, शादनगर, कलवाकुर्ती और अमंगल ब्लाकों को वर्ग "ख" का औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा क्षेत्र और शेष ब्लाकों को वर्ग "ग" का औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा क्षेत्र माना गया है।

(घ) आन्ध्र प्रदेश में औद्योगिक एककों को वित्तीय वर्ष 1986-87 के दौरान 14.05 करोड़ रु० और वित्तीय वर्ष 1987-88 (अक्तूबर 1987 तक) में 3.54 करोड़ रु० की राशि केन्द्रीय निवेश राजसहायता के रूप में दी गई है। यह राजसहायता पहले आओ पहले पाओ के आधार दी जाती है, अतः किसी विशेष राज्य के लिए कोई राशि निर्धारित नहीं की गई है।

आन्ध्र प्रदेश में मोटरगाड़ी उद्योग की स्थापना

2700. **श्री बी० तुलसीराम** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में मोटरगाड़ी उद्योग की स्थापना के लिए सिफारिश किए गए कितने आवेदन केन्द्रीय सरकार को प्राप्त हुए;

(ख) उनमें से कितने आवेदनों पर विचार किया गया और उन्हें लाइसेंस जारी किए गए;

(ग) कितने आवेदन लम्बित पड़े हैं और उसके क्या कारण हैं; और

(घ) कितने आवेदन रद्द किए गए हैं ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) पिछले 3 वर्षों में आन्ध्र प्रदेश में तीन पहिए वाले डीजल ऑटो रिक्शा, विशेष प्रयोजन के भारी वाहन तथा यात्री कारों के लिए आटोमोबाइल एककों की स्थापना करने हेतु 5 आवेदन प्राप्त हुए थे। यात्री कारों के लिए प्राप्त एक आवेदन तमिनाडू में दूसरे स्थापना-स्थल के लिए है। किसी भी आवेदन पर आन्ध्र प्रदेश सरकार की कोई विशिष्ट सिफारिश प्राप्त नहीं हुई थी।

(ख) उपर्युक्त 5 आवेदनों में से अभी किसी को भी औद्योगिक लाइसेंस जारी नहीं किया गया है।

(ग) प्रथम दृष्टया अस्वीकृति के विरुद्ध 3 आवेदकों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, जो लम्बित हैं। हैं। इन अभ्यावेदनों पर सरकार द्वारा तैयार की जा रही आटोमोबाइल नीति को ध्यान में रख कर विचार किया जाएगा।

(घ) दो आवेदकों को सरकार ने अन्तिम रूप से रद्द कर दिया है।

औषध तथा औषध निर्माण उद्योग के लिए परिवर्तन दरों (कन्संन चार्ट) में वृद्धि पर विचार करने के लिए समिति

2701. **श्री जी० एस० बसवराजू** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने औषध तथा औषध निर्माण उद्योग के लिए परिवर्तन दरों (कन्वर्सन चार्ट) में वृद्धि करने पर विचार करने के लिए एक समिति नियुक्त की है;

(ख) यदि हां, तो समिति के सदस्य कौन-कौन हैं तथा इसके मुख्य उद्देश्य क्या हैं;

(ग) क्या समिति द्वारा सिफारिशें की गई हैं; और

(घ) यदि हां, तो इन्हें किस सीमा तक कार्यान्वित किया गया है ?

उद्योग मंत्रालय में रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) इस समिति का गठन परिवर्तन और पैकेजिंग मानदण्डों में संशोधन करने के लिए किया गया है। समिति की संरचना नीचे दी जाती है :—

1. निदेशक (फार्मास्युटिकल्स इन्डस्ट्री) रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग	अध्यक्ष
2. बी०आई०सी०पी० का प्रतिनिधि	सदस्य

3. डा० एम०ए० पंटेल, कमिश्नर, खाद्य और औषध नियन्त्रण प्रशासन, गुजरात सरकार — सदस्य

4. उप विकास आयुक्त (पी०आई०), रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग — सदस्य सचिव

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही, नहीं उठता।

कोल इण्डिया लि० की प्रबन्ध व्यवस्था में कर्मचारियों को भागीदार बनाना

2702. **श्री के० रामचन्द्र रेड्डी :**

श्री यशवन्त राव गडाख पाटिल :

क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने कोल इंडिया लि० और इसके सहायक एककों की प्रबन्ध व्यवस्था में कर्मचारियों को भागीदार बनाने की योजना को मंजूरी दे दी है; और

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) और (ख) कोल इण्डिया लि० और उसकी सहायक कम्पनियों में, प्रबन्ध में कामगारों की भागीदारी, संयुक्त परामर्शी फोरमों के जरिए, कोलियरी और एरिया स्तर पर पहले से ही चल रही है। इस भागीदारी प्रबन्ध व्यवस्था को अधिक मजबूत करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि कोल इण्डिया लि० के निदेशक बोर्ड और प्रत्येक सहायक कम्पनी के निदेशक बोर्ड में चार-चार निदेशक नामित किए जाएं। यह नामित कामगार निदेशक कर्मचारियों के चार वर्गों के प्रतिनिधि होंगे। यह चार वर्ग हैं अर्द्ध कुशल/अकुशल कामगार, कुशल कामगार, पार्यवेक्षी कार्मिक और कार्यपालक अधिकारी। सहायक कम्पनियों के बोर्डों में नामित निदेशकों का चुनाव अलग अलग वर्गों के ऐसे कर्मचारी करेंगे जो कम्पनी की नियमित सेवा में हैं। यह चुनाव गुप्त मतदान द्वारा होगा और इसका संचालन मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) करेंगे। सभी कोयला कम्पनियों के कामगार निदेशकों के प्रत्येक वर्ग में से एक-एक कामगार निदेशक चुना जागगा जो कोल इण्डिया लि० के बोर्ड में नामित किया जाएगा। चूंकि कामगार निदेशकों के चार वर्ग होंगे इसलिए कोल इण्डिया लि० के बोर्ड में चार कामगार निदेशक हो जाएंगे। कामगार निदेशकों का कार्यकाल सामान्यतया दो वर्ष रहेगा।

सूखे से प्रभावित राज्यों को खाद्यान्नों का आबंटन और राज्यों द्वारा उठा गए खाद्यान्न

2704. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान बाढ़ और सूखे से प्रभावित राज्यों को, लोगों के उपभोग के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्यान्नों और आवश्यक वस्तुओं की राज्य-वार कितनी अतिरिक्त सप्लाई की गई;

(ख) राज्यों ने राज्य-वार वार्षिक प्राप्ति से कितनी अधिक मात्रा में खाद्यान्न और आवश्यक वस्तुएं प्राप्त की; और

(ग) प्रत्येक राज्य में प्रभावित लोगों की संख्या के विषय में क्या आकलन किया गया है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

केरल में किराए के भवनों में स्थित टेलीफोन एक्सचेंज

2705. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में कितने टेलीफोन एक्सचेंज किराए के भवनों में कार्य कर रहे हैं;

(ख) प्रत्येक वर्ष कितना किराया दिया जाता है;

(ग) नए टेलीफोन एक्सचेंज भवनों के निर्माण के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(घ) इन एक्सचेंजों का ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

आन्ध्र प्रदेश में कुड्डापेट जिले के राजमपेटा में सीधे डायल घुमाकर टेलीफोन करने की सुविधा

2706. **श्री के० रामचन्द्र रेड्डी** :

श्री ए० जे० वी० बी० महेश्वर राव :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुवैत में रह रहे अनेक लोगों ने भारत सरकार को आन्ध्र प्रदेश के कुड्डापेट जिले में 'राजमपेटा' शहर के लिए सीधे डालय घुमाकर टेलीफोन करने की सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में एक ज्ञापन भेजा है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने राजमपेटा शहर को सीधे डायल घुमाकर टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाए हैं; और

(ग) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) विभाग में ऐसा कोई ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) सीमित संसाधन होने के कारण सभी प्राथमिक स्थानों पर अभी तक एस० टी० डी० सुविधा प्रदान नहीं की गई है । राजमपेट जैसे गैर प्राथमिक स्थानों पर प्राथमिक अपेक्षाएं पूरी होने के बाद विचार किया जाएगा ।

ग्रामीण क्षेत्रों में डाकघरों को बन्द करना

2707. **श्री के० रामचन्द्रन रेड्डी** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश के कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के ग्रामीण क्षेत्रों में कितने डाकघर बन्द किए गए; और

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों में डाकघर बन्द करने के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) जानकारी निम्न प्रकार है :—

सर्किल	ग्रामीण क्षेत्रों में बन्द किए गए डाकघरों की संख्या (1986-87)
आन्ध्र प्रदेश	4
कर्नाटक	9
तमिलनाडु	शून्य
केरल	शून्य

(ख) डाकघरों को बन्द करने के लिए कोई मानदंड नहीं है। कार्यभार लागत और आय का अन्दाजा लगाने के लिए आवधिक पुनरीक्षा की जाती है। पुनरीक्षा के परिणामों के आधार पर सक्षम प्राधिकारियों द्वारा निम्नलिखित की जांच करना और उचित निर्णय लेना अपेक्षित है :—

(i) विभागीय उप-डाकघरों के मामलों में उनका प्रतिदिन का कार्यभार 5 घंटे से कम है और यदि ऐसा हो, तो क्या डाकघर को अतिरिक्त विभागीय डाकघर में बदला जा सकता है।

(ii) अतिरिक्त विभागीय डाकघरों के मामले में क्या घाटा निर्धारित सीमा के भीतर है और यदि नहीं, तो क्या स्थापना में कमी करके लागत में कमी की जा सकती है अथवा क्या डाकघर को बन्द किया किया जा सकता है।

डाकघरों को बन्द करना

2708. **श्री ए०जे० वी० बी० महेश्वरी राव** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने डाकघर, उप-डाकघरों और शाखा डाकघरों को बन्द किया गया है और इसके क्या कारण हैं;

(ख) इससे कितने कर्मचारी प्रभावित हुए हैं और उनमें से कितनों को वैकल्पिक नियुक्तियां की गई हैं; और

(ग) शेष कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए कौन से कदम उठाए गए हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) वर्ष 1986-87 के दौरान 445 डाकघर बन्द किए गए। इनमें से कितने उप-डाकघर थे और कितने शाखा डाकघर, इससे संबंधित जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) और (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

आन्ध्र प्रदेश में कृषि पर आधारित उद्योग

2709. **श्री ए० जे० वी०बी० महेश्वर राव** :
श्री के० रामचन्द्र रेड्डी :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार धान, नारियल और केले का विपुल कृषि उत्पादन का उपयोग करने हेतु इस क्षेत्र में कुछ कृषि पर आधारित उद्योग स्थापित करने का विचार है;

(ख) इस क्षेत्र में उद्योग लगाने हेतु लाइसेंस के लिए कितने आवेदन पत्र केन्द्रीय सरकार के पास लंबित हैं; और

(ग) यदि हां, तो लाइसेंस कब तक जारी कर दिए जाएंगे ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) कृषि पर आधारित उद्योगों की स्थापना के लिए समय-समय पर प्राप्त प्रस्तावों पर वर्तमान नीति के अनुसार गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाता है ।

(ख) और (ग) 19-11-1987 की स्थिति के अनुसार, आन्ध्र प्रदेश में स्थापना हेतु उद्योग (विकास तथा विनियमन), अधिनियम, 1951 के उपबन्धों के अन्तर्गत औद्योगिक लाइसेंसों की मंजूरी के लिए 52 आवेदनों पर कार्रवाई की जा रही थी। औद्योगिक लाइसेंस आवेदनों के ब्यौरे तब तक प्रकट नहीं किए जाते हैं, जब तक कि सरकार उन पर अन्तिम निर्णय नहीं ले लेती ।

गोदावरी नदी पर पुल

2710. **श्री ए० जे० वी० बी० महेश्वर राव** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का अपनी परिवहन सुविधा के लिए नरसापुर और कोटिपलयी में गोदावरी नदी पर पुलों का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) और (ख) आन्ध्र प्रदेश सरकार का नरसापुर में गोदावरी नदी के वशिष्ट शाखा पर एक पुल बनाने का प्रस्ताव है । इस पुल के निर्माण के लिए 12 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत का आधा अंश तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग देगा ।

भारतीय खाद्य निगम की भंडारण क्षमता

2711. **श्री हुसैन दलवाई** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में भारतीय खाद्य निगम के गोदामों की भंडारण क्षमता कितनी है;

(ख) क्या यह सच है कि भारतीय खाद्य निगम अपनी भंडारण क्षमता से अधिक खाद्यान्न भंडारों की खरीद करता है;

(ग) यदि हां तो भंडारण क्षमता से अधिक कितनी मात्रा खरीदी जाती है; और

(घ) भारतीय खाद्य निगम द्वारा उस अतिरिक्त भंडार के संरक्षण हेतु क्या कदम उठाए जाते हैं जिसे भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में नहीं रखा जा सकता ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) पहली अक्तूबर, 1987 को स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम के पास खाद्यान्नों के भण्डारण के लिए दोनों अपनी और किराए की ढकी हुई क्षमता 207.6 लाख मीटरी टन थी ।

(ख) और (ग) भारतीय खाद्य निगम द्वारा समर्थन मूल्यों पर खाद्यान्नों की वसूली की जाती है ताकि किसानों को मूल्य समर्थन दिया जा सके जिससे वे खाद्यान्नों के अपने स्टाक को बेच सकें। भारतीय खाद्य निगम के पास 1984 से 1987 तक के वर्षों में अधिकतम स्टाक और इन वर्षों के दौरान निगम के पास उपलब्ध ढकी हुई भण्डारण क्षमता का ब्यौरा नीचे दिया जाता है :—

(आंकड़े मिलयन मीटरीटन में

को स्थित	ढकी क्षमता	भारतीय खाद्य निगम के पास अधिकतम स्टाक का स्तर
1-7-1984	18.65	16.35
1-7-1985	19.81	19.86
1-7-1986	21.34	19.34
1-7-1987	21.10	16.73

(घ) खाद्यान्नों के स्टाक को यथासम्भव ढके हुए गोदाम में रखा जाता है। खाद्यान्नों का जो शेष स्टाक ढके हुए गोदामों में नहीं रखा जा सकता उसे कवर-एवं-प्लिंथ (कैंप) भण्डारण के अन्तर्गत रखा जाता है। कवर-एवं प्लिथ (कैंप) भण्डारण के अन्तर्गत स्टाक की रक्षा करने के लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा निम्नलिखित पग उठाए जाते हैं :—

(1) कैंप भण्डारण में भंडारित स्टाक के लिए उचित ड्रेनेज और निभार की व्यवस्था की जाती है;

(2) स्टाक को पोलीथीन कवरों से ढका जाता है और कवरों को नाइलोन के रस्सों से बांधा जाता है;

(3) अनाज को स्वस्थ स्थिति में बनाए रखने के लिए साफ मौसम के दौरान खुले में स्टाक को हवा लगाई जाती है; और

(4) कीटाणुओं से संक्रमण, चूहों, पक्षियों आदि से क्षति की रोकथाम करने के लिए नियतकालिक निरीक्षण किया जाता है।

महाराष्ट्र में जयगढ़ में एक पेट्रो-रसायन उद्योग समूह की स्थापना

2712. **श्री हुसैन दलवाई** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र के पश्चिमी तट पर जयगढ़ पत्तन के निकट एक पेट्रो-रसायन परियोजना को मंजूरी दी है;

(ख) उक्त परियोजना में कितने व्यक्तियों को रोजगार मिलने की संभावना है और इस परियोजना के कार्यान्वयन पर कुल कितनी लागत आएगी; और

(ग) यह परियोजना गैर सरकारी क्षेत्र में होगी अथवा सरकारी क्षेत्र में स्थापित की जाएगी ?

उद्योग मंत्रालय में रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही, नहीं उठते ।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्नों की खरीद और भंडार

2713. **श्री हुसैन दलवाई :**
श्री रेणुपद दास :

क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम द्वारा विभिन्न राज्यों में प्रति वर्ष औसतन कितनी मात्रा में खाद्यान्नों की खरीद की जाती है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान खरीदे गए खाद्यान्नों की मात्रा का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान उक्त खाद्यान्नों की खरीद के लिए प्रति वर्ष कितनी कीमत अदा की गई ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) और (ख) भारतीय खाद्य निगम द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान सीधे वसूल किए गए और राज्यों से लिए गए खाद्यान्नों की कुल मात्रा निम्नानुसार थी :—

(लाख मीटरी टन में)

वर्ष	वसूल की गई मात्रा — गेहूं	धान	चावल	ली गई/सुपुर्द की गई गेहूं की मात्रा
1984-85	21.25	19.88	73.56	57.47
1985-86	25.97	20.61	71.21	65.48
1986-87	35.95	15.74	74.61	78.71

(पिछले वर्ष के स्टाक शामिल हैं)

भारतीय खाद्य निगम द्वारा सामान्यता चावल की सीधी वसूली की जाती है ।

(ग) गेहूं और धान की समर्थन मूल्यों पर वसूली की गई थी । ये मूल्य निम्नानुसार थे :—

	1984-85 रबी/खरीफ रुपए/क्विंटल	1985-86 रबी/खरीफ रुपए/क्विंटल	1986-87 रबी/खरीफ रुपए/क्विंटल
गेहूं	152	157	162
धान			
साधारण	137	142	146
बढ़िया	141	146	150
उत्तम	145	150	154

राज्य सरकारी द्वारा अधिसूचित किए गए सांविधिक मूल्यों पर लेवी के अधीन चावल की वसूली की गई थी ।

एस० टी० डी० सुविधा के लिए मानदंड

2714. **श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में किन-किन स्थानों पर एस० टी० डी० सुविधा उपलब्ध कराई गई है;

(ख) इन स्थानों का क्या महत्व है जिसके कारण से वहां यह सुविधा उपलब्ध कराई गई है; और

(ग) एस० टी० डी० सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मानदंड निर्धारित किए गए हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) मध्य प्रदेश के उन स्थानों के नाम जहां कि एस० टी० डी० सुविधा प्रदान कर दी गई है संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) अनुबन्ध-1 में दिए गए स्थान एस० टी० डी० सुविधा प्रदान किए जाने के लिए अपनाये जाने वाले मानदंड पूरा करते हैं।

(ग) सीमित संसाधनों की उपलब्धता को मद्देनजर रखते हुए, एस० टी० डी० सुविधा प्रदान किये जाने के लिए स्थानों के निर्धारण के लिए निम्नलिखित मानदंड अपनाये जाते हैं :—

(एक) राज्यों की राजधानियां।

(दो) संघ शासित क्षेत्र की राजधानियां।

(तीन) जिला मुख्यालय।

(चार) 1000 लाइनों की क्षमता तथा इससे अधिक के आटोमेटिक टेलीफोन एक्सचेंज।

(पांच) विश्वसनीय संचारण माध्यम के साथ जुड़े हुए आटोमेटिक एक्सचेंज।

विवरण

मध्य प्रदेश में एस०टी०डी० सुविधा वाले स्थान

भोपाल

बिलासपुर

बुरहानपुर

देवास

दुर्ग (भिलाई सहित)

धार

ग्वालियर (मोरार सहित)

इन्दौर (मऊ सहित)

जबलपुर

जावरा

कटनी (जबलपुर के साथ पाइंट-टू-पाइंट एस० टी० डी० सेवा)

खंडवा

मन्दसौर

मुरैना

रायपुर

रीवा

रायगढ़

सागर

सीहोर (भोपाल के साथ पाइंट-टू-पाइंट एस० टी० डी० सेवा)

सियोनी

सतना

उज्जैन

विदिशा (भोपाल के साथ पाइंट-टू-पाइंट एस० टी० डी० सेवा)

पश्चिम बंगाल में रूपानारायणपुर में हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड की यूनिट का विस्तार

2715. **श्री मानिक सान्याल** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तकनीकों के पुराने पड़ जाने से पश्चिम बंगाल में हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड की रूपनारायणपुर यूनिट में 1988-89 में "पेपर इन्सुलेटिड ड्राई कोर केबल्स" का उत्पादन रुक जाएगा;

(ख) यदि हां, तो हिन्दुस्तान केबल्स "रूपनारायणपुर यूनिट" ने वर्ष 1981 में 18 लाख "सी० के० एम० जेली फिल्ड केबल्स" के विस्तार का प्रस्ताव किया था;

(ग) क्या (जी० आई० बी०) ने उपर्युक्त प्रस्ताव की सिफारिश की थी;

(घ) क्या सरकार ने उपर्युक्त योजना को मंजूरी दे दी है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) दूर-संचार विभाग ने हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड को एच०सी०एल० की रूपनारायणपुर यूनिट में बनाए गए ड्राई कोर केबल्स की खरीद की अवस्था के बारे में अपना आशय बता दिया है। फिर भी इसमें कुछ समय लग सकता है।

(ख) से (घ) हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड के रूपनारायणपुर एकक में जेली भरी हुई केबलों के निर्माण की क्षमता में 18 लाख किलोमीटर (सी० के० एम०) का विस्तार करने से सम्बन्धित प्रस्ताव पर सरकार ने 1983 में पहले विचार किया था, लेकिन सातवीं योजना के दूर संचार प्रायोजना लक्ष्यों पर अंतिमरूप से निर्णय होने तक आस्थगित किया गया था। तथापि, मांग के साथ-साथ संसाधनों की भी कमी की वजह से आगे अब तक कोई प्रगति नहीं हो सकी। इसी बीच कम्पनी को परियोजना की अनुमानित लागत में संशोधन करने के लिए कहा गया है।

(ङ) प्रश्न ही, नहीं उठता।

तेल क्षेत्र में स्वदेशीकरण

2716. **श्री भद्रेश्वर तांती :**

डा० वी० वेंकटेश :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तेल क्षेत्र में स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए त्रि-स्तरीय संरचना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य रूप रेखा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) और (ख) सरकार ने तेल क्षेत्र संबंधी उपकरणों और सेवाओं के देशीकरण के लिए एक तीन टीयर वाला संगठनात्मक प्रबन्ध किया है जो निम्न प्रकार है :—

(i) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग और ऑयल इण्डिया लि० में आयात प्रतिस्थापन पर दल/देशीकरण कक्ष।

(ii) तेल उद्योग विकास बोर्ड में मुख्य परामर्शदाता के अधीन एक देशीकरण पर एक अध्ययन दल।

(iii) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन देशीकरण पर सचिवों की उच्चाधिकार प्राप्त समिति।

जबकि देशीकरण कक्ष और अध्ययन दल प्रत्याशी उद्यमियों को आवश्यक दिशा-निर्देश देने के लिए देशी उद्योग के साथ परस्पर कार्यवाही कर रहे हैं, तो दूसरी ओर सचिवों की उच्चाधिकार प्राप्त समिति तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, आयल इण्डिया लिमिटेड और गैस अथारिटी आफ इण्डिया लि० द्वारा आयात किए जाने के लिए देशी पहलू से स्वीकृति प्राप्त करने और नीति सम्बन्धी मामलों पर सिफारिशें करती हैं।

[हिन्दी]

बिजली उत्पादन क्षमता

2717. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस वर्ष देश के विभिन्न भागों में पड़े सूखे और बाढ़ से देश में बिजली का उत्पादन बुरी तरह प्रभावित हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए क्या योजना तैयार की है कि भविष्य में सूखे और बाढ़ से बिजली उत्पादन की कुल क्षमता प्रभावित न हो ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) अप्रैल से अक्तूबर, 1987 के दौरान कुल विद्युत उत्पादन लक्ष्य से लगभग 3% कम था और इसका मुख्य कारण, देश के विभिन्न भागों में सूखे के परिणामस्वरूप जलाशयों का जल-स्तर कम होने के कारण जल-विद्युत उत्पादन में कमी होना है। इस अवधि के दौरान ताप-विद्युत उत्पादन लक्ष्य से लगभग 1.3% अधिक था।

(ख) देश में विद्युत की उपलब्धता में सुधार करने के लिए किए जा रहे विभिन्न उपायों में

शामिल हैं—नई क्षमता को शीघ्र चालू करना, विद्यमान क्षमता का इष्टतम समुपयोजन करना, पारेषण और वितरण हानियों में कमी लाना, लघु निर्माण-अवधि वाली परियोजनाओं को चालू करना और भार प्रबन्ध तथा ऊर्जा संरक्षण सम्बन्धी उपायों को कार्यान्वित करना आदि।

[अनुवाद]

मनुगुरु आंध्र प्रदेश में सुपर ताप बिजली घर की स्थापना

2718. **श्री बी० शोभनाद्रीश्वर राव** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में मनुगुरु में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा स्थापित किए जाने वाले 200 मिलिवाट के सुपर ताप बिजली घर की स्थापना के कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) देरी के कारण क्या हैं; और

(ग) मनुगुरु सुपर ताप बिजली घर का कार्य फिर से कब तक शुरू होगा ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (ग) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा वर्तमान में आंध्र प्रदेश में मानगुरु में एक सुपर ताप-विद्युत परियोजना स्थापित करने के संबंध में व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार की जा रही है। परियोजना के कार्यान्वियन के संबंध में इसकी तकनीकी-आर्थिक संभाव्यता सुनिश्चित हो जाने और निधियों तथा कोयले की उपलब्धता सहित सभी आवश्यक निवेशों के सुनिश्चित हो जाने के बाद ही विचार किया जा सकता है।

पशु और अन्य जानवरों से ऊर्जा प्राप्त करना

2719. **डा० ए०के०पटेल** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में उपयोग की जाने वाली कुल ऊर्जा का 66 प्रतिशत भाग पशु और अन्य जानवरों से मिलता है, जबकि कोयला और पेट्रोलियम उत्पादों से केवल 14 प्रतिशत के लगभग ऊर्जा मिलती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन आंकड़ों को कैसे निकाला गया है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और चालू वर्ष में उपर्युक्त साधनों का विकास करने और प्रोत्साहन देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और इसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(घ) इस सम्बन्ध में चालू योजनाएं क्या हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) इस बारे में एक गैर-सरकारी प्रकाशन में विवरण प्रकाशित हुआ है। तथापि, दिए गए आंकड़ों के संबंध में कोई प्राधिकृत स्रोत अथवा आधार का उल्लेख नहीं किया गया है।

(ग) और (घ) पशुओं से प्राप्त होने वाले स्रोतों से प्राप्त होने वाली ऊर्जा का विकास करने और इसके उपयोग को प्रोत्साहन देने हेतु पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा चालू योजना के दौरान किए जाने वाले उपायों में अनुसंधान तथा विकास और सर्वेक्षण तथा निदर्शन परियोजनाएं शामिल हैं जिनके लिए अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत विभाग द्वारा 1.17 करोड़ रुपए का कुल व्यय स्वीकृत किया गया है। निदर्शन कार्यक्रमों के अन्तर्गत किसानों को सुधरी हुई ठेला गाड़ियां और उपकरण दिखाए जा रहे हैं। भारवाही पशुओं की शक्ति में सुधार करने से सम्बन्धित कार्यक्रमों के लिए वर्ष 1987-88 के बजट में 2 करोड़ रुपए का परिव्यय निर्धारित किया गया है।

6 ए० पी० ए० का उत्पादन

2720. **डा० कृपा सिन्धु भोई** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "6 अमिलो पेनिसिलिन एसिड" (6 ए० पी० ए०) का पेनिसिलिन-जी के स्थान पर यदि पेनिसिलन-बी द्वारा अन्जाइमेटिक प्रक्रिया से उत्पादन किया जाता है तो भिन्न मशीनरी की आवश्यकता होती है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो लघु उद्योगों को पेनिसिलिन-बी के कच्चे माल को जारी किए जाने की अनुमति क्यों नहीं दी जाती है ?

उद्योग मंत्रालय में रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) और (ख) 6-ए० पी० ए० के उत्पादन में रसायन, एंजाइमों का प्रकार प्रक्रिया पैरामीटर आदि आरम्भिक कच्चे माल और प्रौद्योगिकी पर निर्भर करेंगे। इनसे संयंत्र और उपकरणों के डिजाइन का निर्धारण होगा। सरकार की नीति के अनुसार पेंसिलिन-जी का उपयोग करने वाले एककों को केवल पेंसिलिन-जी० का आयात करने कीअनुमति दी जाती है और इसके स्थान पर पेन्सिलिन-बी का आयात करने की अनुमति नहीं दी जाती है ।

मैसर्स बंगाल केमिकल्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि० द्वारा भूमि और भवनों का बेचा जाना

2721. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगाल केमिकल्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि० के प्रबन्धकों द्वारा बम्बई स्थित अपनी तथाकथित फालतू भूमि और भवनों को वास्तविक सम्पदा के बढ़े हुए मूल्यों पर बेचने के लिए मंजूरी मांगी गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसी मंजूरी दे दी गई है, जबकि कम्पनी की भविष्य में अपने उत्पादन और क्षमत को सुधारने की कोई योजना नहीं है; और

(ग) क्या राष्ट्रीयकृत केमिकल और फार्मास्युटिकल्स फर्मों की, जिन्हें उनके भूतपूर्व निजी मालिकों द्वारा रुग्ण बनाया गया था, एक अकेली इकाई में मिलाया जाएगा ?

उद्योग मंत्रालय में रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) और (ख) बंगाल रसायन और फार्मास्युटिकल्स लि० का फिलहाल प्रभादेवी, बम्बई में मामूली सा कार्य-संचालन है क्योंकि उनके वर्तमान स्थल में विस्तार की अनुमति नहीं है। अपनी पुन:स्थापन योजना के एक भाग के रूप में कम्पनी का विचार प्रभादेवी, बम्बई में अपनी वर्तमान निर्माण सुविधाओं को महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम की थाणे-पार में फ्रीक एस्टेट में स्थानांतरित करने का है । अत: उन्होंने टी० सी० सी० थाणे क्षेत्र में उपयुक्त भूमि के आबंटन और अपने प्रभादेवी स्थित सम्पत्ति का औद्योगिक से आवासीय रूप में उपयोग करने की अनुमति के लिए महाराष्ट्र सरकार से सम्पर्क किया है ताकि वे उक्त भूमि का आवासीय भूमि के रूप में निपटान कर सकें और उससे धनराशि प्राप्त कर सकें जिसकी कंपनी को पुनरारम्भ के लिए उनको तत्काल आवश्यकता है ।

(ग) फिलहाल सरकार के पास कलकत्ता स्थित राष्ट्रीयकृत तीन औषध कंपनियों को मिलाने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

विद्युत एककों की स्थापना के लिए विदेशी सहायता संघों से प्राप्त प्रस्ताव

2723. **श्री प्रकाश बी० पाटिल** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में विद्युत एककों की स्थापना करने में सहयोग करने/सहायता करने के लिए विदेशी सहायता संबंधी संघों से प्राप्त अनेक प्रस्ताव काफी समय से सरकार के विचाराधीन पड़े हैं यद्यपि देश में बिजली की कमी है;

(ख) यदि हां, तो विदेशी सहायता संघों द्वारा पेश किए गए सरकार के पास दो वर्ष से अधिक समय से पड़े विचाराधीन प्रस्तावों का परियोजनावार ब्यौरा क्या है;

(ग) इतनी लम्बी अवधि के विलंब के क्या कारण हैं; और

(घ) उन्हें कब तक मंजूरी दिए जाने की संभावना है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) विद्युत परियोजनाओं के कार्यान्वियन के लिए स्वदेशी संसाधनों पर निर्भरता को प्राथमिकता दी जाती है। विदेशी सहायता विशेष मामलों में गुण-दोषों के आधार पर प्राप्त की जाती है और इस बारे में प्रत्येक मामले की परिस्थितियों पर समग्र रूप से विचार किया जाता है। विदेशी व्यापार संघों से प्राप्त कोई विस्तृत और पूर्ण प्रस्ताव दो वर्ष से अधिक समय से लम्बित नहीं है।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

कोयले का आयात

2724. **श्री प्रकाश बी० पाटिल** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयले की भारी मात्रा आयात करनी पड़ती है क्योंकि भारतीय कोयले में राख की मात्रा बहुत अधिक होती हैं और यह सभी औद्योगिक कार्यों के लिए उपयुक्त नहीं है;

(ख) क्या अमरीका में एक सस्ती लागत वाली प्रौद्योगिकी का विकास किया गया है जिसके प्रयोग से कोयले की राख नहीं बचेगी और इसका सभी प्रयोजनों के लिए पूरा-पूरा उपयोग किया जा सकेगा;

(ग) क्या इस प्रौद्योगिकी के आयात के लिए कोई कदम उठाए गए हैं; और

(घ) आयात कम करने तथा अपने संसाधनों का भरपूर उपयोग करने के लिए कौन से कदम उठाए गए हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) जी, नहीं। चूंकि भारतीय कोककर कोयले में राख का अंश अधिक होता है इसलिए मिश्रण कार्य के लिए, तथा कोककर कोयले के भारतीय उत्पादन की पूरक मात्रा के रूप में भी, प्राइम कोककर कोयले का सीमित मात्रा में आयात किया जाता है। पिछले दो वर्षों में इस्पात क्षेत्र द्वारा भारतोय कोककर कोयले के उठान तथा आयात की गई मात्रा का विवरण नीचे दिया गया है :—

(आंकड़े मिलियन टनों में)

वर्ष	भारतीय कोककर कोयले का उठान	आयातित मात्रा
1985-86	24.49	2.45
1986-87	23.39	2.56

अकोककर कोयले के मामले में, उत्तम क्वालिटी के कोयले का ओपेन जनरल लाइसेंस पर आयात करने की अनुमति दे दी गई है और ऐसे लाइसेंसों के अधिकारी उद्योग सीमित मात्रा में आयात करते हैं।

(ख) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

एकाधिकार और अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम तथा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के उपबन्धों के क्षेत्राधिकार से निकाले गए उद्योग

2725. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एकाधिकार और अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम/विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के उपबन्धों के क्षेत्राधिकार से 52 और उद्योग समूहों को अलग किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उन उद्योग समूहों के नाम क्या हैं, जो अभी भी इन अधिनियमों के क्षेत्राधिकार में आते हैं;

(ग) क्या छूट कुछ शर्तों के अन्तर्गत दी गई हैं;

(घ) यदि हां, तो ये शर्तें क्या हैं;

(ङ) क्या किसी कम्पनी को इन शर्तों का उल्लंघन करते पाया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी कम्पनियों के विरुद्ध यदि कोई कार्यवाही की गई है, तो वह क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (घ) अधिसूचना सं० सा० आ० 65(अ) दिनांक 21-2-1986 जिसकी प्रति 28-2-1986 को सदन के पटल पर रखी गई थी, द्वारा सरकार ने एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 22क के उपबन्धों के अन्तर्गत 52 उद्योगों को छूट प्रदान की है जिनके लिए एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार कम्पनियों को उक्त अधिनियम की धारा 21 या 22 के अन्तर्गत सरकार का अनुमोदन प्राप्त नहीं करना होता है। जिन शर्तों के अन्तर्गत इस प्रकार की छूट उपलब्ध है उनकी संख्या उक्त अधिसूचना में दी गई है।

तथापि, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम कम्पनियों को इन समूहों के उद्योगों के सम्बन्ध में विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत स्वीकृति प्राप्त करनी होती है।

(ङ) और (च) सरकार की जानकारी में इस प्रकार का कोई मामला नहीं आया है। किसी भी मामले में, इस सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने पर ही एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार कंपनियों के लिए छूट उपलब्ध है।

राज्यों द्वारा गैस का उपयोग

2726. **प्रो० मधु दंडवते** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का प्राकृतिक गैस के उस राज्य में उपयोग से संबंधित नीति पर पुनर्विचार करने का प्रस्ताव है जहां वह पायी जाती है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) और (ख) प्राकृतिक गैस के उपयोग को उसी समय में परिसीमित करने की कोई नीति नहीं है जिस राज्य में गैस पाई जाए। प्राकृतिक गैस के सभी विखंडनों के अधिकतम आर्थिक उपयोग की दृष्टि से देश के आर्थिक विकास की समग्र प्राथमिकताओं पर विचार करके प्राकृतिक गैस के उपयोग को निर्धारित किया जाता है।

विद्युत परियोजनाओं तथा कोयला खनन परियोजनाओं का स्वीकृति के लिए लम्बित होना

2727. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य तथा केन्द्रीय क्षेत्र की बड़ी संख्या में विद्युत परियोजनाएं तथा कोयला खनन परियोजनाएं पर्यावरण संबंधी स्वीकृति न मिलने के कारण लंबित पड़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्य तथा केन्द्रीय क्षेत्र की उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) ये परियोजनाएं स्वीकृति के लिए कब से लम्बित पड़ी हैं;

(घ) इन परियोजनाओं को शीघ्र स्वीकृति देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) इन परियोजनाओं पर कितनी लागत आएगी; और

(च) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

राष्ट्रीय पन-बिजली निगम द्वारा बिजली की परियोजनाओं का निष्पादन

2728. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय पन-बिजली निगम द्वारा अब तक कितनी बिजली परियोजनाओं का निष्पादन शुरू किया गया है;

(ख) उनमें से अब तक कितनी परियोजनाएं पूरी की जा चुकी हैं; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अन्य बिजली परियोजनाओं को पूरा करने के संबंध में क्या प्रगति हुई है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) राष्ट्रीय जल विद्युत निगम द्वारा अब तक निम्नलिखित 9 जल-विद्युत परियोजनाएं क्रियान्वयन हेतु हाथ में ली गई हैं :—

1. हिमाचल प्रदेश में बैरास्यूल जल-विद्युत परियोजना (180 मेगावाट)।
2. मणिपुर से लोकटक जल-विद्युत परियोजना (150 मेगावाट)।
3. नेपाल में देवीघाट जल-विद्युत परियोजना (14.1 (मेगावाट)।
4. जम्मू व कश्मीर में सलाल जल-विद्युत परियोजना (345 मेगावाट)।

5. जम्मू व कश्मीर में दुल हस्ती जल-विद्युत परियोजना (390 मेगावाट)।

6. हिमाचल प्रदेश में चमेरा जल-विद्युत परियोजना (540 मेगावाट)।

7. उत्तर प्रदेश में तनकपुर जल-विद्युत परियोजना (120) मेगावाट)।

8. बिहार में कोयले कारी परियोजना (710 मेगावाट)।

9. जम्मू व कश्मीर में उरी जल-विद्युत परियोजना (480 मेगावाट)।

इनमें से 4 परियोजनाएं अर्थात् बैरास्यूल लोकटक, सलाल तथा देवीघाट जल-विद्युत परियोजनाएं राष्ट्रीय जल-विद्युत निगम द्वारा पूरी कर ली गई हैं।

(ग) शेष पांच परियोजनाओं के संबंध में अब तक हुई प्रगति नीचे दिए गए अनुसार हैं :—

(एक) दुलहस्ती जल-विद्युत परियोजना

आधारभूत संरचना और निर्माण-पूर्व कार्यों के पूरे हो जाने के बाद परियोजना के मुख्य निर्माण कार्यों पर कार्य पर शुरू हो गया है। फ्रांस के एक कन्सोर्टियम के साथ परियोजना के टर्न-की आधार पर क्रियान्वयन के लिए ठेके पर हस्ताक्षर हो जाने के बाद 57 महीने में परियोजना को पूरा करने का कार्यक्रम है। ठेके को अन्तिम रूप देने के लिए विस्तृत विचार-विमर्श चल रहा है।

(दो) चमेरा जल-विद्युत परियोजना

आवश्यक आधारभूत सूविधाओं के पूरा हो जाने के बाद परियोजना की प्रमुख संरचनाओं पर कार्य चल रहा है। परियोजना के मई, 1991 तक पूरी हो जाने की आशा है;

(तीन) टनकपुर जल-विद्युत परियोजना

आधारभूत सुविधाओं से संबंधित कार्य पूरा हो गया है। परियोजना की प्रमुख संरचनाओं पर कार्य चल रहा है। परियोजना मार्च, 1990 तक पूरी हो जाने की आश है।

(चार) कोइल कारो जल-विद्युत परियोजना

राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय जल-विद्युत निगम को अब तक सौंपी 191 एकड़ भूमि पर कुछ आधारभूत सुविधाएं स्थापित किए जाने के अलावा, परियोजना के लिए अपेक्षित भूमि के अधिग्रहण के संबंध में स्थानीय लोगों के संगठित विरोध के कारण परियोजना का कोई प्रमुख निर्माण कार्य शुरू नहीं किया जा सका। "भूमि के बदले भूमि" तथा पुनर्वास संबंधी उदार उपाय अपनाने के लिए अनुरोध करते हुए परियोजना से प्रभावित कुछ लोगों ने उच्चतम न्यायालय में रिट याचिका भी दायर कर दी है। भू-स्वामियों को विस्थापित करने पर रोक लगाते हुए न्यायालय ने अन्तरिम आदेश जारी किए हैं।

(पांच) उड़ीसा जल-विद्युत परियोजना

राष्ट्रीय जल विद्युत निगम को परियोजना के आधारभूत विकास कार्य शुरू करने के लिए प्राधिकृत कर दिया गया है, जो कि प्रगति पर हैं।

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा कुंओं की खुदाई

2729. श्री एच० एन० नन्जे गौड़ा : क्या तेल और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा वर्ष, 1987-88 में कुंओं की खुदाई से संबंधी कोई प्रस्ताव तैयार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो कुंओं की खुदाई के लिए कौन-कौन से क्षेत्रों को चुना गया है, अब तक कितने कुंए खोदे गए हैं और इन पर कुल कितनी धनराशि खर्च की जाएगी;

(ग) क्या कर्नाटक में भी कुछ कुंए खोदे जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) और (ख) जी, हां। तेल एवं प्राकृति गैस आयोग ने वर्ष 1987-88 के दौरान निम्नलिखित थालों/क्षेत्रों में 202 कुंओं की खुदाई की है जबकि योजना 381 कुंओं की खुदाई की थी :—

क्रम सं०	तटीय क्षेत्र	वर्ष 1987-88 के लिए प्रस्तावित कुंओं की सं०	अप्रैल से अक्तूबर, 1987 खोदे गए कुंओं की सं०
1	2	3	4
1.	कैम्बे बेसिन (गुजरात)	163	98
2.	कच्छ-सौराष्ट्र (गुजरात)	1	—
3.	राजस्थान	4	2
4.	ऊपर असम नागालैंड हिलस एंड कच्छार	72	34
5.	असम-अराकन फोल्ड बैल्ट (त्रिपुरा)	1	5
6.	पश्चिमी बंगाल	—	2
7.	कृष्णा-गोदावरी (आंध्र प्रदेश)	7	7
8.	कावेरी बेसिन (तमिलनाडू/पांडिचेरी)	6	5
9.	हिमालयन फुटहिल्स एंड गंगा वैली (बिहार, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश)	3	2
	अपतटीय क्षेत्र		
1.	बम्बई	102	40
2.	केरल-कोंकण-लक्ष्यद्वीप	1	—
3.	अण्डमान	2	1

1	2	3	4
4.	कच्छ-सौराष्ट्र	4	—
5.	कृष्णा-गोदावरी	2	1
6.	कावेवरी	5	4
7.	पश्चिम बंगाल	2	1
	जोड़ :	381	202

वर्ष 1987-88 (संशोधित अनुमान) के दौरान अन्वेषण और विकास संबंधी खुदाई पर किए जाने वाले कुल व्यय का अनुमान 886.11 करोड़ रुपए हैं जिसमें पूंजीगत उपलब्धियां शामिल नहीं है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) तेल का उत्पादन किया जाता है और कुछेक मामलों के अतिरिक्त इसका संचय तलछटी चट्टानों में होता है। कर्नाटक में हाल की तलछटी चट्टानों के अतिरिक्त केवल अग्नेय और रूपान्तरित चट्टानें हैं। अतः यह क्षेत्र तेल अन्वेषण की दृष्टि से संभावनापूर्ण नहीं समझा गया है।

कर्नाटक राज्य में डाकघर खोलना

2730. **श्री एच० एन० नन्जे गौड़ा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक राज्य में कितने नए डाकघर खोले गए हैं; और

(ख) कितने नए डाकघर खोलने की मांग की गई है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) वर्ष 1985-86 के दौरान कर्नाटक में एक नया डाकघर खोला गया था और 1986-87 के दौरान कोई भी डाकघर नहीं खोला गया वर्ष 1987-88 के दौरान अभी तक एक नए डाकघर की स्वीकृति दी गई है।

(ख) पोस्टमास्टर जनरल कर्नाटक सर्किल ने चालू वर्ष के दौरान नए डाकघर खोलने के लिए 5 (पांच) और प्रस्ताव भेजे हैं जिनकी जांच की जा रही है। कर्नाटक में नए डाकघर खोलने के लिए लंबित पड़े आवेदनों की संख्या का पता लगाया जा रहा है और जानकारी सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा राज्यों से लिया जाने वाला ब्याज

2731. **श्री महेन्द्र सिंह** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, नई दिल्ली का लाभ प्रति वर्ष बढ़ता जा रहा है; यदि हां, तो गत तीन वर्षों में कितना लाभ हुआ;

(ख) क्या निगम अन्य संगठनों से कम ब्याज दर पर ऋण लेता है और राज्यों से ऊंची ब्याज दर वसूल करता है; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का मध्य प्रदेश राज्य को दिए गए। ऋणों पर राज्य से वसूल किए जा रहे ब्याज की दर में कटौती करने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी, हां। ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान अर्जित किया गया लाभ निम्नानुसार है :—

(लाख रुपए में)

	1984-85	1985-86	1986-87
कर के भुगतान के बाद लाभ	1331.52	1619.32	2379.90

(ख) निगम भारत सरकार से तथा बाजार ऋण के माध्यम से ऋण प्राप्त करता है और उसे थोड़ी सी अधिक ब्याज-दर पर संवितरित करता है ताकि सेवा प्रभारों और निगम द्वारा वित्त-पोषित हरिजन बस्तियों, ग्रामीण विद्युत सहकारी संस्थाओं आदि से संबंधित स्कीमों के लिए कम ब्याज दर पर ऋण दिए जाने के फलस्वरूप अन्तर को पूरा किया जा सके।

(ग) ग्राम विद्युतीकरण निगम के ऋणों पर वसूल किए जाने वाले ब्याज की दर मध्य प्रदेश सहित सभी राज्यों के लिए समान है।

[अनुवाद]

करनाली नदी परियोजना के बारे में नेपाल के साथ बातचीत

2732. **श्री प्रकाश वी० पाटिल** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या करनाली नदी परियोजना के बारे में हाल ही में नेपाल के साथ बातचीत हुई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या कोई समझौता हुआ है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि, नहीं तो किन-किन क्षेत्रों में मतभेद है और इसे किस प्रकार दूर किया जाएगा ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) करनाली समिति द्वारा निर्णय लिया गया था कि तकनीकी स्तर की एक समिति परियोजना संबंधी कार्य और आगे आने वाली कठिनाइयों की नियमित रूप से समीक्षा करेगी ताकि उन्हें दूर करने के लिए समुचित उपाय किए जा सके। इसके द्वारा परामर्शदाताओं के लिए उपयुक्त मार्गदर्शी सिद्धान्त तथा निर्देश तैयार करने हेतु प्रारंभिक रिपोर्ट की भी समीक्षा की जाएगी। समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया था कि परामर्शदाताओं को परियोजना के संबंध में विस्तृत संभाव्यता रिपोर्ट शीघ्र देने के लिए कहा जाएगा।

औषधों और मध्यवर्ती औषधों के लिए आयात नीति

2733. **डा० कृपा सिन्धु भोई** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयात नीति की वह प्रक्रिया क्या है, जिसके अन्तर्गत औषधों और मध्यवर्ती औषधों का वितरण सरकारी क्षेत्र के किसी औषध निर्माता एकक को सौंपा जा सकता है;

(ख) क्या यह नीति सरकार द्वारा स्वीकार की गई चावड़ा समिति की सिफारिश के विपरीत नहीं है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकारी क्षेत्र की किसी कंपनी द्वारा इन औषधों की बिक्री, मूल्य संबंधी किन मानदंडों के अधीन रहते हुए की जा सकती है ?

उद्योग मंत्रालय में रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सदन के पटल रख दी जाएगी ।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत बीमारियों की रोकथाम के लिए अपेक्षित औषधियां

2734. **डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत बीमारियों की रोकथाम के लिए लगभग 90 औषधियों का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन औषधियों के मूल्य नियंत्रण की सिफारिश की गई थी;

(ग) क्या बाद में औषधियों की सूची में कमी कर दी गई थी; और

(घ) यदि हां, तो सूची को किस आधार पर कम किया गया तथा सूची में हटाई गई औषधियों के नाम क्या हैं ?

उद्योग मंत्रालय में रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह : (क) से (घ) मूल्य नियंत्रण के लिए श्रेणी 1 में शामिल की गई औषधें स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की सिफारिशों पर आधारित हैं और औषध (मूल्य नियंत्रण), आदेश, 1987 में दी गई हैं । जिसकी प्रतियां 27 अगस्त, 1987 को सदन के पटल पर रखी गई थीं ।

नारियल की जटा पर लेवी

2735. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नारियल की जटा संबंधी सरकार की तीन सूत्रीय लेवी नीति की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ख) नारियल की जटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के बारे में सरकार की नीति की मुख्य बातें क्या हैं ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) 1-9-1986 से एक वर्ष की अविध के लिए परीक्षण के आधार पर केरल राज्य में नारियल जटा को सड़ाने के स्थल पर सड़ी हुई नारियल जटा तथा हरी जटा पर एक लेवी योजना शुरू की गई थी । इस योजना में नारियल जटा की खरीद के लिए 30 प्रतिशत की अधिकतम सीमा की परिकल्पना की गई है और इस लेवी प्रणाली के अन्तर्गत सड़ी हुई/हरी नारियल जटा पर देय मूल्य का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा । इस योजना को शुरू करने से, अनिवार्य वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत नारियल जटा नियंत्रण आदेश, 1973 को निरस्त करके इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर

ले जाने पर लगे प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया गया है। उपर्युक्त लेवी योजना को 1-9-87 से चालू वर्ष योजना अवधि के अन्त तक अर्थात् 31-3-1990 तक बढ़ा दिया गया है।

— ———

12.05 म० प०

[अनुवाद]

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आप सबको बुलाऊंगा। कृपया बैठ जाइए।

कुमारी ममता बनर्जी (जादवपुर) : कृपया मुझे बोलने की अनुमति दीजिए। यह मामला काफी महत्वपूर्ण है। प्रधान मंत्री और बैंकिंग मंत्री हमरे प्रति काफी कृपालु हैं, परन्तु बैंक प्रबन्ध नहीं सुनते हैं···**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : महोदया, आप अपने स्थान पर बैठ जाइए। क्या आप वास्तव में कोई मामला उठाना चाहती हैं अथवा क्या आप मामले को उलझाना चाहती हैं ?

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं। मेरी अनुमति के बिना यदि कोई व्यक्ति बोलता है तो उसे सभा की कार्यवाही में शामिल नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थानों पर बैठ जाइए। मैं आपका नाम पुकारूंगा।

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : महोदया, कृपया पहले आप अपने स्थान पर बैठ जाइए। आप आपने स्थान पर बैठ जाइए। यह क्या है ? आप अनावश्यक रूप से ऐसा क्यों कर रही हैं ? महोदया, पहले अपने स्थान पर बैठ जाइए, मैं आपका नाम पुकारूंगा।

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय कृपया आप मुझे यह बताइए कि क्या आप अंग्रेजी समझती हैं अथवा नहीं। मुझे यह बताइए कि मैं आपसे किस भाषा में बात करूं ? मैंने आपसे अनुरोध किया है कि आप अपने स्थान पर बैठ जाइए, परन्तु आप ऐसा नहीं कर रही हैं, बल्कि आप बोले जा रही हैं। पहले अपने स्थान पर बैठ जाइए, मैं आपका नाम पुकारूंगा।

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपने-अपने स्थान पर बैठ जाइए। आप सबका नाम पुकारूंगा। मैं आप में से प्रत्येक का नाम पुकारूंगा। आप बोल क्यों रहे हैं ?

(व्यवधान)**

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री रामधन, आपका मामला राज्य का विषय है। हम इसे स्थगन प्रस्ताव के रूप में यहां नहीं उठा सकते हैं। इसलिए मैं उसकी अनुमति नहीं दे सकता। आपने कोई मामला उठाया है और स्थगन प्रस्ताव रखा है ; मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता हूं क्योंकि यह महाराष्ट्र राज्य सरकार की समस्या है। आप जाएं और इसे वहां उठाइए···।

[**हिन्दी**]

श्री राम धन (लालगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, संविधान के निर्माता डा० अम्बेडकर के ग्रंथों से कुछ अंश निकाले जा रहे हैं। यह सारे देश के दलितों का सवाल है।

(व्यवधान)**

[**अनुवाद**]

उपाध्यक्ष महोदय : जी, नहीं,। सब हो गया। आप इसे वहां उठा सकते हैं। यह राज्य का विषय है। आप इसे वहां उठाइए। जी, नहीं; आप इसे यहां नहीं उठा सकते क्योंकि इसका संबंध राज्य सरकार से है, हम इस बारे में कुछ नहीं कर सकते।

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपने-अपने स्थान पर बैठ जाइए। सब हो गया। (**व्यवधान**) श्री राम धन, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए। मैंने आपको बताया है कि यह राज्य का विषय है। मैं आपको इस ढंग से यहां इस पर चर्चा करने की अनुमति नहीं दे सकता। सब हो गया है। इस बारे में कार्यवाही राज्य सरकार द्वारा की जा चुकी है। मैं अब इसमें कुछ नहीं कर सकता। यह मामला वहां के सदस्यों द्वारा वहां उठाया जाना चाहिए।

[**हिन्दी**]

श्री रामधन : उपाध्यक्ष महोदय, डा० अम्बेडकर स्टेट सब्जेक्ट नहीं है।

[**अनुवाद**]

उपाध्यक्ष महोदय : यह कार्यलाही राज्य सरकार द्वारा की गई थी। मैं यही बात आपको बता रहा हूं। इसलिए, मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता। अब श्री चटर्जी ?

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : मैंने उस अत्याचारपूर्ण तरीके के बारे में स्थगन प्रस्ताव दिया है जिससे इस देश के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ व्यवहार किया जा रहा है। पुलिस आयुक्त को नियम विरुद्ध ढंग से बाहर भेजा गया था···।

उपाध्यक्ष महोदय : अधिकारियों द्वारा पहले ही कार्यवाही की जा चुकी है। उसके बारे में पूछताछ नहीं की जा सकती है। यदि फिर भी आप कुछ चाहते हैं तो आप ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दीजिए। मैं उस पर विचार करूंगा। आप इसे दीजिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी : अनेकों अधिकारियों के साथ इस तरह से दुर्व्यवहार किया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री चटर्जी, कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)**

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री राजकुमार राय (घोसी) : धर्मपाल सिंह रावत, उत्तर प्रदेश के सबसे ईमानदार आई० ए० एस० आफिसर हैं जो भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं···(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : सभा की कार्यवाही में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा ।

(व्यवधान)**

कुमारी ममता बनर्जी : हमारे प्रधान मंत्री महोदय और बैंकिंग मंत्री महोदय संसद सदस्यों के प्रति बड़े कृपालु हैं और वे हमारी समस्याओं को सुनते हैं । परन्तु बैंकों का प्रबन्ध संसद सदस्यों की बात नहीं सुनता है । वे बड़ी अशिष्टता से हमारे साथ दुर्व्यव्यहार करते हैं । आज इंटक यूनियन पहले ही दिल्ली में जीवन प्रकाश बिल्डिंग के सामने धरने पर बैठ रहा है और प्रबंध की गतिविधियों के खिलाफ 50 संसद सदस्य इसमें भाग ले रहे हैं क्योंकि वे विभिन्न क्षेत्रों में हमारे अधिकारियों और कर्मचारियों को तंग कर रहे हैं और उनका अपमान कर रहे हैं। हम इस सभा में पूर्ण चर्चा चाहते हैं और सरकार को भ्रष्ट प्रबन्ध के खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए । (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे उनका अभ्यावेदन प्राप्त हो गया है । मैं इसे संबंधित मंत्री को भेज दूंगा । पूर्ण तथ्यों का पता लगा लेने के बाद मैं अपको सूचित कर दूंगा ।

कुमारी ममता बनर्जी : हम चर्चा चाहते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं पहले तथ्यों का पता लगाऊंगा ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं पहले तथ्यों का पता लगाऊंगा ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं मंत्री महोदय से तथ्यों का पता लगाने का प्रयास करूंगा और तब आपको जानकारी दूंगा ।

(व्यवधान)

श्री बृजमोहन महन्ती (पुरी) : पिछले साल से इण्डियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस से सम्बद्ध लगभग 1000 बैंक कर्मचारियों को दण्डित किया गया है, उन्हें ट्रेड यूनियन अधिकारों से वंचित किया जा रहा है । ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना दी गई है । कृपया इसकी अनुमति दें ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : पहले मैं तथ्यों का पता लगाऊंगा, उसके बाद इस पर विचार करूंगा ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : सबसे पहले मैं तथ्यों का पता लगाऊंगा उसके बाद ही यह निर्णय दूंगा कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को स्वीकार किया जा सकता है या नहीं । इससे पहले मैं क्या कह सकता हूं ।

(व्यवधान)

**कार्यवाही वृतात्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

श्री के० राममूर्ति (कृष्णगिरि) : भारतीय स्टेट आई० एन० टी० यू० सी० यूनियनों को अपना कार्यकरने की अनुमति नहीं दे रहा। क्या यह कार्य पालन का प्रजातंत्रिक तरीका है ?

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप उसी मामले को उठा रहे हैं जिसे कुमारी ममता बनर्जी ने उठाया था।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : बस, मैं पहले मंत्री जी से तथ्यों का पता लगाऊंगा उसके बाद इस पर विचार करूंगा।

(व्यवधान)

श्री आशुतोष लाहा (डमडम) : कलकत्ता के आसपास, विशेषकर साल्ट लेक क्षेत्र में तथा कलकत्ता के पूर्वी भाग में, मस्तिष्क ज्वर से स्वास्थ्य को बहुत खतरा है। इस क्षेत्र में लगभग एक लाख सुअर इधर-उधर घूमते रहते हैं। इनसे स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य को खतरा है। इसके लिए कौन कार्यवाही करेगा ? राज्य सरकार कोई कार्यवाही नहीं कर रही है···**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, मैं अनुमति नहीं दे सकता।

श्री सोमनाथ रथ (आस्का) : कृपया बैंकों के बारे में चर्चा की अनुमति दें। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्षमहोदय : तथ्यों का पता लगाने के बाद ही मैं इसकी अनुमति दूंगा, अब नहीं।

(व्यवधान)

श्री शान्ताराम नायक (पणजी) : क्या आप बैंक के मामले पर चर्चा के लिए हमें आश्वासन दे रहे हैं ?

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : तथ्यों का पता लगाने के बाद ही मैं इस पर विचार करूंगा।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : पिछले दो सप्ताह से मेरा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आपके पास विचाराधीन पड़ा है। यह बहुत गम्भीर मामला है। उड़ीसा सीमेंट लि० के प्रबंधकों ने राजनगर में अपनी रिफ्रेक्टरी यूनिट में गैर-कानूनी तालाबंधी घोषित कर दी है। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : आप लिखित रूप में दीजिए।

श्री बसुदेव आचार्य : मैंने एक.ध्यानकर्षण प्रस्ताव की सूचना दी है। 5000 श्रमिक बेरोजगार हो गए हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं पता लगाऊंगा।

श्री तम्पन थामस (मवेलिकरा) : मैंने इससे पहले एयर इण्डिया द्वारा प्रधान मंत्री जी को "चोगम" के लिए ले जाने हेतु हुए 15 करोड़ रु० के खर्च के बारे में स्थगन प्रस्ताव दिया है, इसके बाद मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : पहले वाले मामले को मैं नहीं ले सकता अब मैं उसकी अनुमति नहीं दे सकता।

श्री थम्पन थामस : यह बहुत गम्भीर मामला है। जब देश में सूखा पड़ा हुआ है और प्रधान मंत्री द्वारा 15 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। यह 'इण्डिया टुडे' में प्रकाशित हुआ है। यदि यह सच है···**(व्यवधान)**

इण्डिया एक्स प्रेस ने भी इसे छापा है। हम इस पर चर्चा चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अनुमति नहीं दे सकता।

(व्यवधान)

श्री पी० कुलनदईवेलू (गोबिचेट्टिपालयम) : श्रीलंका के बारे में मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा है कि भारतीय शांति सेना ने हमला कर दिया है युद्ध विराम का क्या हुआ ? मैं जानना चाहता हूं कि युद्ध-विराम की अवधि बढ़ाई गई है या नहीं और क्या सरकार इस बारे में वक्तव्य दे रही है या नहीं। कल मैंने इसके लिए आग्रह किया था।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री जी यहां नहीं हैं। मैं आपका संदेश उन तक पहुंचा दूंगा और पता लगाने का प्रयास करूंगा।

श्री पी० कुलनदईवेलू : आप मंत्री जी से अब इस बारे में जो स्थिति है उस पर वक्त० देने के लिए कह सकते हैं। **(व्यवधान)**

श्री शांताराम नायक : बैंक वाले मामले में, आप हमें यह नहीं बता रहे कि चर्चा की अनुमति दी जाएगी या नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने किस बारे में प्रस्ताव दिया है ? क्या आपने स्थगन प्रस्ताव दिया है ?

श्री शांता राम नायक : यदि आप हमें आश्वासन दें तो मैं एक प्रस्ताव दूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आश्वासन नहीं दे सकता।

(व्यवधान)

श्री हन्नान मोल्लाह (उल्बेरिया) : भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने उत्कल विश्वविद्यालय एक कार्य सौंपा था तथा उत्कल विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग के अध्यक्ष श्री पटनायक से उड़ीसा के औद्योगिक विकास पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। अब भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के चेयरमैन रिपोर्ट बदलने के लिए उन पर दबाव डाल रहें हैं और रिपोर्ट में से कुछ अंश हटाने के लिए कह रहे हैं। उन्हें फोन पर धमकी दी जा रही है। उनकी पत्नी को भी टेलीफोन पर धमकी दी गई।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इसे मंत्री महोदय तक पहुंचा दूंगा तथा इसका पता लगाऊंगा।

श्री हन्नान मोल्लाह : यह गम्भीर मामला है। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री सी० जंगा रेड्डी (हनमकोंडा) : जो पैडी खराब हो गई है उसको कोई खरीदने वाला नहीं है। फूड कार्पोरेशन का जो सपोर्ट प्राइस है उस पर कोई लेने वाला नहीं है, किसान परेशान हैं···

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आप लिखकर दीजिए।

(व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : वे जो कुछ कह रहे हैं हमने उसके बारे में कुछ नहीं सुना।

उपाध्यक्ष महोदय : यह ठीक है। आप चिन्ता न करें।

(व्यवधान)

श्री शांताराम नायक : यदि आपने कोई सहानुभूतिपूर्ण टिप्पणी की होती तो हम संतुष्ट हो जाते। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में शामिल न किया जाए।

(व्यवधान)**

12·18 म० प०

सभा पटल पर रखे गए पत्र

मारुति उद्योग लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1986-87 के कार्यचालन तथा वार्षिक प्रतिवेदन की समीक्षा

[अनुवाद]

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :

(1) मारूति उद्योग लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1986-87 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(2) मारूति उद्योग लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1986-87 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गईं। देखिए संख्या एल०टी० 5078/87]

कोयले के मूल्यों में संशोधन करने के कारण अतिरिक्त राजस्व के बारे में अतारांकित प्रश्न संख्या 1341 के 4 अगस्त, 1987 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने तथा उत्तर में शुद्धि करने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण

ऊर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे) : मैं (एक) कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा कोयल के मूल्यों में संशोधन करने के कारण अतिरिक्त राजस्व के बारे में श्री ई० अय्यपू रेड्डी द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 1341 के 4 अगस्त, 1987 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने तथा (दो) उत्तर में शुद्ध करने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी तथा संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 5079/87]

** कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

खाद्य निगम अधिनियम, 1964 के अंतर्गत अधिसूचना

संसदीय कार्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : मैं खाद्य निगम अधिनियम, 1964 की धारा 45 की उपधारा (5) के अंतर्गत भारतीय खाद्य निगम (कर्मचारी) (98वां संशोधन) विनियम, 1987, जो 16 अक्तूबर, 1987 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 44/एफ०सं०ई०पी० 8-1/84 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 5080/87]

बोंगाईगांव रिफाइनरी एण्ड पेट्रो-केमिकल्स लिमिटेड और लुब्रिजोल इण्डिया लि० बम्बई के वर्ष, 1986-87 के कार्यचालन तथा वार्षिक प्रतिवेदनों की समीक्षा

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(क) (एक) बोंगाईगांव रिफाइनरी एण्ड पेट्रो-केमिकल्स लिमिटेड के वर्ष 1986-87 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बोंगाईगांव रिफाइनरी एण्ड पेट्रो-केमिकल्स लि० का वर्ष 1986-87 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 5081/87]

(ख) (एक) लुब्रिजोल इंडिया लिमिटेड, बम्बई के वर्ष 1986-87 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) लुब्रिजोल इंडिया लिमिटेड, बम्बई, का वर्ष, 1986-87 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या० एल० टी० 5082/87]

(2) (एक) राजस्थान में पेट्रोल-पम्पों के बारे में श्री वृद्धि चन्द्र जैन द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 3479 के 18 अगस्त, 1987 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने तथा (दो) उत्तर में शुद्धि करने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 5083/87]

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 तथा सीमा शुल्क अधिनियम, 1982 के अन्तर्गत अधिसूचना

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के

अंतर्गत केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (छठा संशोधन) नियम, 1987, जो 15 सितम्बर, 1987 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० सा०का०नि० 782(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी० 5084/87]

(2) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) का०आ० 986(अ), जो 16 नवम्बर, 1987 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आस्ट्रिया के, शिलिंग, डच गिल्डर, पौंड स्टर्लिंग तथा स्विस फ्रैंक को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को उपर्युक्त मुद्राओं में बदलने की पुनरीक्षित दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) का०आ० 987(अ), जो 13 नवम्बर, 1987 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो डेनमार्क के क्रोनर को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को उपर्युक्त मुद्रा में बदलने की पुनरीक्षित विनिमय दर के बारे मे है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गईं। देखिए संख्या एल०टी० 5085/87]

पेट्रोलियम अधिनियम, 1934, कम्पनी अधिनियम, 1956 और एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनिमम, 1969 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्माल इण्डस्ट्री एक्सटेंशन ट्रेनिंग, हैदराबाद के वर्ष, 1986-87 का वार्षिक प्रतिवेदन और उसके कार्यकरण की समीक्षा

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : मैं निम्न लिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं :—

(1) पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 की धारा 29 की उपधारा (4) के अन्तर्गत पैट्रोलियम (संशोधन) नियम, 1987 जो 2. जून, 1987 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० (591) (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 5086/87]

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 642 की उपधारा (3) के अन्तर्गत कम्पनी (निक्षेप स्वीकृति) संशोधन नियम, 1987 जो 12 अक्तूबर, 1987 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का०नि० 850 (अ) में यह प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 4087-87]

(3) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 22क की उपधारा (3) के अन्तर्गत अधिसूचना सं० का०आ० 960(अ), जो 28 अक्तूबर, 1987 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, तथा जिसके द्वारा यह निदेश दिया गया है कि एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969

की धारा 21 और 22 के उपबन्ध किसी ऐसे माल का उत्पादन बढ़ाने या किन्हीं ऐसी सेवाओं की व्यवस्था करने के, जो अनन्य रूप से भारत से बाहर निर्यात के लिए आशयित हो तथा/या किसी मुक्त व्यापार क्षेत्र में स्थापित या स्थापित किए जाने के लिए प्रस्तावित उपक्रम से संबंधित हो, के लिए किसी प्रस्ताव पर लागू नहीं होंगे, की एक बात प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी०** 5088/87]

(4) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्माल इण्डस्ट्री एक्सटेंशन ट्रेनिंग, हैदराबाद के वर्ष 1986-87 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्माल इण्डस्ट्री एक्सटेंशन ट्रेनिंग, हैदराबाद के वर्ष 1986-78 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी०** 5089/87]

हिन्दुस्तान एण्टी-बायोटिक्स लिमिटेड, पिंपरी, पुणे के वर्ष, 1986-87 के कार्यकरण की समीक्षा और उसका वार्षिक प्रतिवेदन

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : मैं श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह की ओर से कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) हिन्दुस्तान एण्टी-बायोटिक्स लिमिटेड, पिंपरी, पुणे के वर्ष 1986-87 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(2) हिन्दुस्तान एण्टी-बायोटिक्स लिमिटेड, पिंपरी, पुणे का वर्ष 1986-87 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेख तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

———

12.20 म०प०

कार्य मंत्रणा समिति

चवालीसवां प्रतिवेदन

[**अनुवाद**]

संसदीय कार्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि यह सभा 23 नवम्बर, 1987 को सभा में प्रस्तुत किए गए कार्य मंत्रणा समिति के 44वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि यह सभा 23 नवम्बर, 1987 को सभा में प्रस्तुत किए गए कार्य मंत्रणा समिति के 44वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

12.21 म०प०

नियम 377 के अधीन मामले

[अनुवाद]

(एक) कन्याकुमारी में रबड़ पर आधारित उद्योग स्थापित करने की आवश्यकता

श्री एन० डेनिस (नागरकोइल) : रबड़ पर आधारित उद्योग या रबड़ कारखाना स्थापित करने के लिए देश में कन्याकुमारी जिला बहुत ही उपयुक्त स्थान है। हमारे देश में यहां पर प्रति यूनिट रबड़ उत्पादन सबसे अधिक है और यह रबड़ उच्च कोटि का है। कुल रबड़ उत्पादन में यह केरल के बाद दूसरे स्थान पर है। कन्याकुमारी को औद्योगिक रूप से पिछड़ा जिला वर्गीकृत किया गया है और इस वर्गीकरण के परिणामस्वरूप यहां के लोगों में बड़ी आशाएं हैं। परन्तु लम्बे अर्से से उन्हें देखकर निराशा हो रही है कि इस पिछड़ेपन की पहचान केवल कागजों में है और वहां उद्योग स्थापित करके इसे प्रतिरूप प्रदान नहीं किया जा रहा है। यह बात खेदजनक है कि न सरकारी क्षेत्र में और न ही गैर-सरकारी क्षेत्र में यहां एक भी उद्योग स्थापित नहीं किया है। यहां साक्षरता की प्रतिशत अधिक है। शिक्षित और अशिक्षित बेरोजगारों, महिला और पुरुष दोनों ही, की बढ़ती संख्या चिंता का विषय बन गई है। अन्य पिछड़े क्षेत्रों को जो प्रोत्साहन और संरक्षण दिया गया है वह देश के दक्षिण में इस दूरस्थ स्थान को नहीं दिया गया। इस क्षेत्र में अत्यधिक बेरोजगारी और आर्थिक ह्रास को देखते हुए कन्याकुमारी जिले में रबड़ पर आधारित उद्योग या टायर फैक्टरी लगाना न्यायोचित और उचित है सरकार से मेरा अनुरोध है कि इस मामले में शीघ्र कदम उठाए।

(दो) खाड़ी क्षेत्र में विमान किराए में एयर इंडिया द्वारा कमी किए जाने की आवश्यकता

श्री वी० एस० विजयराघवन (पालघाट)* : ऐसी शिकायतें मिली हैं कि एयर इंडिया द्वारा खाड़ी के देशों के यात्रियों से अधिक किराया वसूल किया जा रहा है। यह बताया गया है कि यह किराया इस क्षेत्र में अन्य एयरलाइन्स द्वारा दिए जाने वाले किराए से बहुत अधिक है। उदाहरणतया, एयर इंडिया द्वारा बम्बई से दोहा का किराया 980 रियाल वसूल किया जा रहा है जबकि दोहा से बम्बई का किराया 1588 रियाल वसूल किया जा रहा है। इसका मतलब है एक ही दूरी के किराए में 608 रियाल का अन्तर है। इस संबंध में यह ध्यान देने योग्य बात यह है कि खाड़ी के देशों में स्थित किसी भी एयरलाइन द्वारा दोहा से बम्बई का किराया केवल 973 क्वार्टर रियाल वसूल किया जा रहा है। यह भी बताया गया है कि एयर इंडिया द्वारा मौसम के अनुसार किराया घटाया-बढ़ाया जाता है।

एयर इंडिया द्वारा वसूल किए जाने वाले अधिक किराए के लिए खाड़ी के देशों के यात्रियों में रोष है। इनमें अधिकतर यात्री कम वेतन पाने वाले श्रमिक होते हैं।

---

*मूलत: तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

पाकिस्तान एयरलाइन्स ने पाकिस्तानी यात्रियों से प्राप्त अभ्यावेदनों के आधार पर अनेक बार पाक-खाड़ी क्षेत्र में किराया घटाया है। परन्तु, एयरइंडिया ने इस संबंध में अब तक कोई कार्यवाही नहीं की है।

अतः सरकार से मेरा अनुरोध है कि खाड़ी क्षेत्र में किराया कम करने के लिऐ शीघ्र कदम उठाए।

(तीन) **उड़ीसा की चिल्का झील की गाद निकालने और उसका पर्यटन केन्द्र के रूप में विकास करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की मांग**

श्री बृजमोहन महन्ती (पुरी) : चिल्का झील, उड़ीसा, के निर्गम द्वार बंगाल की खाड़ी में हैं, परन्तु इन निर्गम द्वारों में गाद भर गई है। इसके परिणामस्वरूप चिल्का झील की मछली पकड़ने की क्षमता पर प्रभाव पड़ा है और बाढ़ का पानी आसानी से समुद्र में नहीं पहुंच रहा है। इसकी बजह से उस क्षेत्र में बाढ़ ने तबाही मचा दी है। चिल्का झील के आस-पास के क्षेत्र पर अवैध रूप से कब्जा हो गया है और अवैध कब्जा जारी है। इससे चिल्का झील के प्राकृतिक सौन्दर्य पर प्रभाव पड़ा है।

अतः इसकी गाद को निकालने के लिए सहायता दी जाए और इसका पर्यटन केन्द्र के रूप में विकास किया जाए।

(चार) **भूतपूर्व सैनिकों के लिए, विशेषकर सीमा सुरक्षा बल में आरक्षित सभी रिक्त स्थानों को नियमों में उपयुक्त संशोधन करके भरने की आवश्यकता**

श्री अजय मुशरान (जबलपुर) : केन्द्रीय और राज्य सरकारों ने भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास के लिए विभिन्न क्षेत्रों में स्थान आरक्षित किए हैं। इसके बावजूद भी, सरकारी विभागों द्वारा इन आरक्षित रिक्त स्थानों को भरने के लिए सरकार के अनुदेशों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है और बड़ी संख्या में रिक्तियां कालातीत हो रही है। इसके परिणामस्वरूप प्रतिवर्ष सेवा-निवृत्त होने वाले 60,000 सेना कर्मियों को वैकल्पिक रोजगार नहीं मिल पाता।

उदाहरणतया, गत वर्ष सीमा सुरक्षा बल में 1500 रिक्तियां कालातीत हो गईं क्योंकि एक नियम के अनुसार एक भूतपूर्व सैनिक की सीमा सुरक्षा बल में भर्ती होने की शर्त यह है कि सेवा निवृत्ति के दो वर्ष पहले वह भर्ती हो सकती है। सीमा सुरक्षा बल में चयन प्रक्रिया लम्बी है और प्रायः एक वर्ष से अधिक समय लग जाता है, इसलिए सेवा-निवृत्त कर्मियों को सेवा-निवृत्ति के दो वर्ष के अन्दर सीमा सुरक्षा बल में भर्ती होना संभव नहीं है।

यह सार्वजनिक महत्व की बात है कि भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रिक्तियों का उचित उपयोग किया जाए और सीमा सुरक्षा बल में पुनः रोजगार संबंधी नियमों में उपयुक्त संशोधन किया जाए ताकि भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रिक्तियों को समय पर भरा जा सके।

(पांच) **तूफान और वर्षा से हाल ही में हुई क्षति को देखते हुए उड़ीसा को अधिक केन्द्रीय सहायता प्रदान करने की मांग**

श्री जगन्नाथ पटनायक (कालाहांडी) : महोदय, जबकि उड़ीसा राज्य, देश के अन्य अनेक भागों की तरह भयंकर सूखे की चपेट में नहीं है, हाल की असमय वर्षा और तूफान ने रबी की फसल को भारी हानि पहुंचाई है।

नवीनतम स्थिति को ध्यान में रखते हुए पूर्ण 'सूखा-उन्मूलन' उपायों और केन्द्रीय सहायता की पुनरीक्षा की जानी चाहिए। उड़ीसा राज्य का स्थिति का मुकाबला करने के लिए अधिक धनराशि की आवश्यकता होगी।

(छः) महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र के विकास के लिए विशेष तदर्थ अनुदान राशि मंजूर करने की आवश्यकता

श्री हुसैन दलवाई (रत्नगिरि) : कोंकण उस समय से ही उपेक्षित पिछड़ा हुआ तटीय क्षेत्र है जब वह बम्बई प्रेसीडेंसी के रूप में जाना जाता था। जब 1960 में नया भाषायी महाराष्ट्र राज्य बना, विदर्भ क्षेत्र के रूप में ज्ञात मध्य प्रदेश और मराठवाड़ा क्षेत्र के रूप में ज्ञात पूर्व हैदराबाद राज्य का भाग, महाराष्ट्र में शामिल कर दिए गए थे। महाराष्ट्र राज्य के पुनर्गठन के समय नागपुर समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था, जिसमें सरकार द्वारा दो नए जोड़े गए राज्यों के लोगों को यह आश्वासन दिया गया कि उनके विकास के लिए उन्हें अधिक सहायता प्रदान की जाएगी ताकि उनके विकास कार्य राज्य के शेष क्षेत्रों के विकास कार्यों के बराबर आ सकें।

यद्यपि कोंकण मूल बम्बई क्षेत्र का अत्यधिक पिछड़ा हुआ और आर्थिक दृष्टि से उपेक्षित क्षेत्र का, नागपुर समझौते में इस बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया। जब कोंकण विकास परिषद् का कोंकण क्षेत्र की बिल्कुल उपेक्षा के लिए आन्दोलन करने के लिए बम्बई में पहला सम्मेलन हुआ तब मुख्य मंत्री ने क्षेत्र के विकास के लिए एक करोड़ रु० की तदर्थ अनुदान राशि दी थी। यह अनुदान राशि पिछड़े क्षेत्र की भारी आवश्यकता को पूरा करने अपर्याप्त थी।

आज, इस पिछड़े क्षेत्र और अन्य प्रगतिशील क्षेत्रों के विकास में भारी अन्तर को देखते हुए कोंकण क्षेत्र को महाराष्ट्र राज्य के शेष क्षेत्र के बराबर विकसित करने के लिए कम से कम 1500 करोड़ रुपए तदर्थ अनुदान की आवश्यकता है।

चूंकि हमारे प्रधान मंत्री व्यक्तिगत रूप से विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों की आर्थिक विषमता को समाप्त करने के लिए काफी इच्छुक हैं, कोंकण क्षेत्र के लोगों ने अपने विकास सम्मेलन में अपनी विकासात्मक विषमताओं को दूर करने के लिए सर्वसम्मति से 1500 करोड़ रु० की तदर्थ राशि की मांग की है। भारत सरकार को अपने आगामी वित्तीय बजट में अत्यधिक उपेक्षित पिछड़े कोंकण क्षेत्र के विकास के लिए यह तदर्थ राशि स्वीकृत करनी चाहिए।

(सात) आन्ध्र प्रदेश के नैल्लोर जिले में, जतलकनूपुर गांव में वर्तमान कर्मचारी-रहित रेल फाटक पर कर्मचारी तैनात करने की आवश्यकता

श्री पी० पेंचालैया (नैल्लोर) : उपाध्यक्ष महोदय, अनुबोल मंडलम् नैल्लोर जिला, आन्ध्र प्रदेश में जतलकनपुर गांव रेलवे मार्ग और जी०एन०टी० रोड के पश्चिम की ओर स्थित है। रेलवे मार्ग और जी०एन०टी० रोड के पश्चिमी भाग पर कई गांव और कई संस्थान स्थित हैं।

उपरोक्त गांव से आने वाले लोगों को प्रत्येक चीज के लिए जैसे अनिवार्य वस्तुओं रसायनिक खाद, उर्वरकों और अन्य दैनिक उपयोग की वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए कर्मचारी रहित रेल फाटक को पार करना पड़ता है।

इस समय, फाटक को पार करते समय लोगों के लिए कोई सुरक्षा प्रबन्ध नहीं है और इस फाटक पर कई दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं।

इसलिए, मैं माननीय रेल मंत्री से इस कर्मचारी-रहित फाटक पर कर्मचारी नियुक्त करने का अनुरोध करता हूं ताकि जीवन और परिवहन की सुरक्षा हो सके।

(आठ) बाढ़ों को नियंत्रित करने और असम को विद्युत की आपूर्ति करने के लिए गेरुकामुख परियोजना को पूरा करने की आवश्यकता

श्री गोकुल सैकिया (लखीमपुर) : महोदय, असम में अपूर्व बाढ़ ने मानव जीवन, पशुओं और फसलों को अत्यधिक प्रभावित किया है। इसमें कोई शक नहीं है कि केन्द्रीय सरकार ने राहत के लिए कुछ सीमा तक धनराशि दी है और राज्य सरकार का तंत्र भी बाढ़ राहत कार्यक्रम में व्यस्त है लेकिन राहत अपर्याप्त है।

मेरे विचार में ब्रह्मपुत्र नदी का तल धीरे-धीरे ऊंचा होता जा रहा है। अत्यधिक व्यवहारिक कार्य जो केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जा सकता है वह ब्रह्मपुत्र के तल को खोदना है, जिसमें निस्संदेह बहुत अधिक धनराशि खर्च होगी, ताकि सहायक नदियों का जल ब्रह्मपुत्र नदी में समा सके।

यदि गेरूकामुख परियोजना शीघ्र पूरी हो जाती है, तब काफी हद तक बाढ़ को नियंत्रित कर लिया जाएगा और इससे असम के लोगों को पर्याप्त बिजली की सप्लाई भी हो सकेगी।

अत: केन्द्रीय सरकार से मेरा अनुरोध है कि असम के लोगों को प्रतिवर्ष नियमित रूप से आ रही बाढ़ से बचाने के लिए भारी धनराशि और श्रमशक्ति प्रदान की जाए।

— ———

12.30 म०प०

संविधान (छप्पनवां संशोधन) विधेयक

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम अगली मद पर विचार करेंगे। वह भारत के संविधान में और संशोधन करने के लिए विधेयक के संबंध में मद सं० 11 है। कार्य मंत्रणा समित द्वारा इस मद के लिए दो घंटों का समय निर्धारित किया गया है। चर्चा सायं 3.30 बजे पूरी हो जाएगी और इसके बाद मंत्री महोदय उत्तर देंगे। इसलिए मैं माननीय सदस्यों से संक्षेप में अपनी बात कहने के लिए अनुरोध करता हूं। अब श्री चिंतामणि पाणिग्रही विधेयक प्रस्तुत करेंगे।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिंतामणि पाणिग्रही) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

महोदय, संविधान किसी देश की राज्य व्यवस्था का आधारभूत साधन है और लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं के अनुसार इसके प्रशासन के मूल लक्ष्य उपलब्ध कराता है। हमने अपना संविधान देश की एकता और अखण्डता को मजबूत करने और लोगों में समानता और भाईचारे को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्वीकार किया है।

ऐतिहासिक मजबूती के कारण हमारा संविधान अंग्रेजी में स्वीकार किया गया था। हमारे संविधान ने हिन्दी को संघ की राजभाषा के रूप में घोषित किया है। इस समय संविधान में हमारी राज भाषा हिन्दी में संविधान के प्रामाणिक-पाठ की व्यवस्था करने सम्बन्धी कोई उपबन्ध नहीं है।

इस बात पर बल देने की आवश्यकता नहीं है कि संविधान, जो लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप उनकी भावी प्रगति के लिए मार्ग-निदेश करता है, लोगों की अपनी भाषा में अवश्य मिलना चाहिए। आज मैं जो संशोधन पुरःस्थापित कर रहा हूं वह इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए है।

संविधान का हिन्दी अनुवाद संविधान सभा के संकल्प के अनुसार तैयार करवा लिया गया है और इस पर सदस्यों ने भी हस्ताक्षर किए हैं। तथापि, इस अनुवाद को संविधान का प्रामाणिक रूप स्वीकार नहीं किया गया। राजभाषा अधिनियम, 1963 में केन्द्रीय अधिनियमों का हिन्दी में प्रामाणिक अनुवाद कराने का प्रावधान है। परन्तु संविधान का हिन्दी में प्रामाणिक पाठ उपलब्ध कराने का कोई प्रावधान नहीं है।

चार राज्यों, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान में स्थित उच्च न्यायालयों को अपनी कार्यवाही, निर्णयों, आदेशों, डिग्री इत्यादि में अंग्रेजी के साथ-साथ हिन्दी का प्रयोग करने की अनुमति प्रदान की गई है। हिन्दी भाषी राज्यों में अधीनस्थ न्यायालयों में सामान्यतः हिन्दी का प्रयोग किया जाता है। हिन्दी भाषी क्षेत्रों में अनेक विश्वविद्यालयों में विधिक शिक्षा हिन्दी भाषा में प्रदान की जाती है। इन क्षेत्रों में हिन्दी में संविधान का प्रामाणिक पाठ उपलब्ध न होने के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए बहुत समय पहले से यह मांग की गई है कि संविधान का हिन्दी में प्रामाणिक पाठ उपलब्ध कराया जाना चाहिए। यह संशोधन इस मांग को पूरा करने में सहायक होगा।

विधेयक पारित होने के बाद संविधान में आज तक हुए संशधनों सहित संविधान का हिन्दी में अनुवाद यथाशीघ्र राष्ट्रपति के प्राधिकार में राज पत्र में प्रकाशित कर दिया जाएगा। उस अनुवाद को हिन्दी में संविधान का प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा। इसी प्रकार संविधान के बाद संशोधनों का प्रामाणिक पाठ भी राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा। इससे न्यायालयों में हिन्दी के प्रयोग को प्रोत्साहन मिलेगा, जहां हिन्दी के प्रयोग की अनुमति प्रदान की गई है। इससे अहिन्दी भाषी लोगों के हितों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि अंग्रेजी में संविथान का प्रामाणिक पाठ पहले से ही उपलब्ध है।

हमारी स्वतंत्रता की 40वीं वर्ष गांठ पर इस विधेयक को पारित करने से—यह हमारी जनता के लिए एक उपहार होगा – इससे हम अपने करोड़ों लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने की दिशा में कदम उठाने में समर्थ होंगे।

श्री पी० कुलनवईवेलू (गोबिचेट्टिपालयम) : महोदय, यह उपहार नहीं है। वास्तव में यह शिकायत है।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : संघ की राजभाषा के रूप में हिन्दी को उचित स्थान प्रदान करने के लिए भी यह महत्वपूर्ण कदम होगा।

मुझे विश्वास है कि इस विधेयक को सभा के सभी सदस्यों का समर्थन प्राप्त होगा। मेरा अनुरोध है कि इस विधेयक पर विचार किया जाए और सर्वसम्मति से पारित किया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री के० रामचन्द्र रेड्डी (हिन्दूपुर): उपाध्यक्ष महोदय, इस संविधान (संशोधन) विधेयक द्वारा, जो सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, उन क्षेत्रों के लोगों के लिए कुछ सुविधाओं की मांग की गई है जिनमें लोगों की भाषा हिन्दी है। यद्यपि बहुत समय पहले 1950 में संविधान का हिन्दी पाठ तैयार किया गया था, परन्तु इसे प्रामाणिक अनुवाद का रूप देने, कानूनी स्वीकृति प्रदान करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया। हिन्दी भाषी राज्यों में, अप्रामाणिक हिन्दी अनुवाद पर निर्भर किया जाता है, जिससे न्यायालयों को संविधान का उल्लेख करना होता है। यद्यपि संविधान सभा द्वारा 1950 में हिन्दी पाठ को स्वीकृति प्रदान कर दी गई, पिछले 37 वर्षों से पहली बार इस सरकार द्वारा संविधान का हिन्दी में प्रामाणिक पाठ की व्यवस्था के लिए प्रयास किये गये हैं। कभी भी प्रयास न करने से देर में प्रयास किया जाना ही अच्छा है। कम से कम, अब यह संविधान का हिन्दी अनुवाद लेकर आगे आये हैं और मैं सरकार के इस प्रस्ताव की प्रशंसा करता हूं यद्यपि यह काफी देर से प्रस्तुत किया गया है।

परन्तु, इसके साथ ही साथ मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि ऐसा अधूरा संविधान केवल हिन्दी भाषी राज्यों में रहने वाले थोड़े से वर्गों के लोगों के लिए ही है और इससे देश के अन्य भाषाओं के लोगों का ध्यान नहीं रखा जाता। इस देश में बहुत-सी भाषाएं हैं। संविधान की आठवीं अनुसूची में, 14 भाषाएं शामिल की गई हैं। यह भाषाएं किसी भी रूप में हिन्दी से कम नहीं हैं। इन भाषाओं की परम्परा बहुत अच्छी है, साहित्यिक विषयवस्तु बहुत अच्छी है और बहुत ही मधुर भाषाएं हैं। जब देश में ऐसी भाषाएं हैं तो ऐसा विधेयक पुरस्थापित करने के क्या कारण हैं जिसमें केवल हिन्दी भाषा के प्रामाणिक अनुवाद की मांग की गई हो? आप अन्य भाषाओं की उपेक्षा क्यों कर रहे हैं? मंत्री महोदय ने कहा है कि जहां तक संविधान का सम्बन्ध है हिन्दी भाषा राज्यों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। यह बहुत सही बात है और मैं भी इस कठिनाई को समझता हूं। परन्तु आप यह क्यों समझते हैं कि अन्य प्रादेशिक भाषाओं दक्षिण में तेलगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ बोली जाती है, पश्चिम में मराठी और गुजराती बोली जाती हैं और पूर्व में उड़िया, और बंगाली बोली जाती हैं, की उपेक्षा की जानी चाहिए? यह भाषाएं भाषा के प्रत्येक पहलू की दृष्टि से किसी भी रूप में हिन्दी से कम नहीं है। यह बहुत पुरानी भाषाएं हैं। इनमें बहुत अधिक साहित्यिक विषय भी हैं। जब ऐसी बात है तो आप इनको उपेक्षा क्यों करते हैं? जब उन क्षेत्रों के लोग और न्यायालय संविधान के राजकीय पाठ का उल्लेख करना चाहते हैं, तो उनको कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए क्योंकि सविधान का अंग्रेजी रूपान्तर उपलब्ध है और इसलिए वह अंग्रेजी रूपान्तर का उल्लेख कर सकते हैं। यह बहुत ही विशिष्ट तर्क है जिसे मैं समझ नहीं पा रहा। यदि ऐसा है, तो हिन्दी भाषी राज्यों में भी, उन लोगों के संविधान के अंग्रेजी रूपान्तर का उल्लेख करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। हिन्दी भाषी लोगों के समक्ष क्या कठिनाई आ रही है? इससे पता चलता है कि सरकार हिन्दी भाषी राज्यों के साथ अलग से व्यवहार करने का प्रयास कर रही है और अन्य राष्ट्रीय भाषाओं की उपेक्षा कर रही है जो किसी भी रूप में हिन्दी से कम नहीं है—मैं यह भी कह सकता हूं कि यह भाषाएं कई दृष्टियों से हिन्दी भाषा से समृद्ध हैं। आप ऐसा क्यों समझते हैं कि इन भाषाओं की उपेक्षा की जानी चाहिए? मुझे बहुत अधिक प्रसन्नता होती यदि सरकार ने इस विधेयक को प्रस्तुत करते समय न केवल हिन्दी अपितु आठवीं अनुसूची में शामिल सभी 14 अथवा 15 भाषाओं को शामिल किया होता। सरकार को ऐसा करने में क्या बाधा सामने आयी? आप प्रादेशिक भाषाओं से साथ ऐसा पक्षपातपूर्ण व्यवहार क्यों कर रहे हैं? ऐसा करके क्या आप समझते हैं कि आप हिन्दी भाषा की सहायता कर रहे है? मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि भारत देश के प्रति ऐसी अनुदारतापूर्वक रुचि दिखाकर और

प्रादेशिक भाषाओं के प्रति ऐसा सौतेला व्यवहार दिखाकर आप हिन्दी भाषा को बिल्कुल भी समर्थन नहीं दे रहे हैं। वास्तव में आप अहिन्दी भाषी लोगों के दिलों में हिन्दी भाषा की छवि को बिगाड़ रहे हैं। आप ऐसा प्रभाव उत्पन्न कर रहे हैं कि आप बलपूर्वक हिन्दी भाषा उन पर लादने का प्रयास कर रहे हैं। आप हिन्दी भाषी लोगों के दिलों में इस प्रकार का डर पैदा कर रहे हैं। हिन्दी भाषी लोगों को आगे आना चाहिए और यह देखना चाहिए कि उन लोगों के मन से यह डर दूर किया जाए। आप यह डर दूर करने का प्रयास नहीं कर रहे। इसलिए इस देश के लिए यह अच्छा नहीं है। यद्यपि हमारी भाषाएं भिन्न-भिन्न हैं परन्तु सम्पूर्ण देश की परम्परा एक ही है। हम सब भारतीय हैं। हम अलग-अलग भाषाएं बोलते हैं। परन्तु आप देख सकते हैं कि जो लोग अन्य भाषाएं बोलते हैं, वह भी यह महसूस करते हैं कि उनकी उपेक्षा की जा रही है। वह महसूस करते हैं कि उन्हें हिन्दी भाषी लोगों के बराबर नहीं समझा जाता। जब तक आप इस प्रकार का वातावरण पैदा नहीं करते जिससे कि सब लोगों का डर समाप्त किया जाए, मैं नहीं समझता कि आप इस देश की अखण्डता की सुरक्षा करने में समर्थ होंगे। लोगों के डर को समाप्त किए बिना और इस नीति को अपना कर आप देश की अखण्डता को भी नुकसान पहुंचाएंगे।

मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि न केवल हिन्दी में संविधान के प्रामाणिक पाठ का अपितु संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल सभी प्रादेशिक भाषाओं के प्रामाणिक पाठ के लिए संशोधन प्रस्तुत करें और विभिन्न प्रदेशों में रहने वाले लोगों के दिलों में पैदा हुए डर को समाप्त करें।

मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि भारत में रहने वाले सभी लोगों, जो विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, को सन्तुष्ट करने के लिए इस संशोधन को प्रस्तुत करें।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री नरेश चन्द्र चतुर्वेदी (कानपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, संविधान का यह 56वां संशोधन विधेयक सरकार ने यहां पर प्रस्तुत करके राष्ट्र की उस आवश्यकता की पूर्ति की है जो काम आज से 38 साल पहले हो जाना चाहिए था। अभी जब हमारे माननीय सदस्य श्री रेड्डी साहब ने अपने भाषण में कुछ बातें उठाईं तो मुझे लगा कि सैद्धांतिक रूप से हम में किसी में भी कोई मतभेद नहीं है लेकिन यहां तो उस तरह की कोई चर्चा ही नहीं है। यहां तो आवश्यकता बिल्कुल दूसरी चीज की है। इसलिए जब आफिशियल लैंग्वेज का प्रमाण-पाठ प्रस्तुत करने का प्रश्न उठा उस समय सम्पूर्ण भारतीय भाषाओं, अनुसूची (8) में वर्णित भाषाओं का जिक्र करना मैं समझता हूं बहुत समीचीन नहीं है। हमको मालूम होना चाहिए कि संविधान सभा में 299 सदस्यों के बीच में जब अंग्रेजी का प्रमाण-पाठ तैयार हुआ था तो संविधान सभा के 278 सदस्यों ने उस पर हस्ताक्षर किये थे और हिन्दी का जो पाठ तैयार हुआ था उस पर संविधान सभा के 282 सदस्यों ने हस्ताक्षर किये थे। यानी हिन्दी के पाठ पर 4 माननीय सदस्यों के हस्ताक्षर अधिक थे और सम्पूर्ण देश के नेतागण, विद्वान उस संविधान सभा में उपस्थित थे, उन्होंने ही उसको पास किया था। आज 55 संशोधन हो जाने के बाद एक तकनीकी फार्मूला लगाकर हिन्दी के प्रमाण-पाठ को, जो 26 जनवरी, 1950 से लागू होना चाहिए था और एक प्रकार से संविधान सभा उसको पास कर चुकी थी—अंग्रेजी का जिस तरह से पास किया गया था, उसी तरह हिन्दी का प्रमाण-पाठ भी पास किया गया था, दोनों ही वर्जन एक साथ संविधान सभा में पास किए थे, प्राणामिक रूप से पास किए थे और सभी ने उस पर हस्ताक्षर किए थे। बल्कि हिन्दी के प्रमाण-पाठ

में चार हस्ताक्षर अधिक थे—अंग्रेजी के प्रमाण-पाठ में 278 और हिन्दी के प्रमाण-पाठ में 282 संविधान सभा के सदस्यों के हस्ताक्षर हुए थे। इसके बावजूद भी इस तरह की बातें होते होते 40 वर्षों से तो हम देखते रहे हैं कि 26 जनवरी, 1950 को जब हमारा संविधान लागू किया गया था इस देश पर, और अंग्रेजी के प्रमाण-पाठ को मान लिया गया लेकिन अदालतों में हिन्दी के प्रमाण-पाठ को इसलिए स्वीकर नहीं किया गया कि जिस संविधान की रचना संविधान सभा ने की थी, उसके बाद जो संशोधन हुए हैं लोक सभा के द्वारा, उन संशोधनों की प्रामाणिकता तब तक मान्य नहीं होगी संविधान में जब तक कि लोक सभा उन पर अपनी मोहर लगाकर संविधान का अंग उसको नहीं बनाती। आज मैं समझता हूं कि उस कमी की पूर्ति भारत सरकार करने जा रही है। जो काम 37-38 साल पहले हो जाना चाहिए था, वह काम आज हो रहा है।

भारतीय संविधान के 17 वें भाग में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि हिन्दी भारत की सरकारी आफिशियल लैंग्वेज के रूप में है। देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है। उसके बाद आफिशियल लैंग्वेज में भारत के संविधान का प्रमाण-पाठ न हो, तो इससे बड़ा मखौल और क्या हो सकता है। मैं समझता हूं कि उसकी ओर ध्यान न जाकर इस बात की ओर केवल ध्यान जाए कि सम्पूर्ण भाषाओं में प्रमाण पाठ उपलब्ध हो, इसमें तो किसी को ऐतराज हो ही नहीं सकता है। हमारे भारत की सभी भाषाएं हमारी अपनी भाषाएं हैं। वे सब हमारी मातृभाषा, राष्ट्रभाषा के रूप में हैं और हमे शाबनी रहेंगी। उनकी समृद्धता, उनकी समक्षता, उनकी योग्यता और हिन्दी का विनम्र सेवक होने के नाते, एक लेखक होने के नाते मैं यह बात फिर कहता हूं कि हिन्दी का लेखक, पाठक, सम्पूर्ण भारतीय भाषाओं से बहुत कुछ सीखता है, बहुत कुछ लेता है, बहुत कुछ प्रभावित होता है और जो कुछ उसकी शक्ति है, वह उसको भी देखता है। यहां कहीं पर भी संघर्ष का प्रश्न नहीं उठता है, कहीं पर भी इस प्रकार की कोई चीज नहीं उठती कि आज जब हिन्दी का आफिशियल लैंग्वेज का प्रमाण पाठ पास किया जाए, तो उस समय अनुसूची की आठवीं सूची को बार-बार लाकर यह कहा जाए कि यह काम तब किया जाए, जबकि सबके साथ हो। मैं समझता हूं कि हमारी इसी प्रवृत्ति में परिवर्तन होना चाहिए। मुख्य परिवर्तन यहां पर यह होना चाहिए कि अंग्रेजी इस देश से जानी चाहिए और भारतीय भाषाएं पूरी तरह से आनी चाहिए। हिन्दी आए, बंगला आए, गुजराती आए, तमिल आए, तेलुगू आए— ये सब भाषाएं आनी चाहिए। ये सब तब आएंगी, जब हम लोग उसको पूरे प्रेम के साथ और सद्भावना के साथ उस भाषा का प्रयोग करेंगे और उसकी शक्ति संवर्द्धित करेंगे। इसलिए मेरा एक ही निवेदन है कि इस समय अन्य किसी भी प्रश्न को उठाने की आवश्यकता नहीं है और इसी बातचीत को करते-करते जो थोपने और लादने वाले शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं, इनकी बात करना बन्द कर दें। मैं यह बात विनम्रता से निवेदन करना चाहता हूं कि हिन्दी के बोलने वाले या हिन्दी जिनकी मातृभाषा है या हिन्दी जिनकी भाषा है, उनके भी सीने में दिल धड़कता है। ऐसा नहीं है कि अन्य भाषा-भाषियों के सीने में तो दिल धड़कता है और हिन्दी वालों के दिल नहीं धड़कता है। कृपया जब कभी इस प्रकार का प्रयोग करें तो यह मानकर चलें कि हिन्दी भी आप ही की भाषा है और तब उसके साथ कोई भी इस प्रकार का भेदभाव या बर्ताव करते हैं तो राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय अखण्डता व राष्ट्रीय सद्भावना को आप क्षति पहुंचाते हैं। इसलिए कोई भी भाषा, कोई भी भाषा-भाषी किसी का भी नाम लेकर थोपने और लादने की बात करना बन्द कर दें, तभी इस देश की एकता बनी रहेगी। अन्यथा एक के विरुद्ध दूसरा और दूसरे के विरुद्ध तीसरा, यह काम चलने वाला नहीं है। देर आयद, दुरुस्त आयद—यह बात बिल्कुल ठीक है, यह काम भारत सरकार अब 38

साल बाद करने जा रही है, उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। अपने सभी मित्रों को, सदस्यों को और सारे भाषा-भाषियों को इस बात के लिए मुबारकबाद देना चाहता हूं कि भारतीय संविधान के इस एक 56 वें संशोधन इस देश के लिए एक अत्यन्त प्रसन्नता का अवसर है। भारत सरकार ने एक शुभ घड़ी प्रदान की है, जिस पर भारतीय भाषा-भाषियों, भारतीय संविधान के निर्माता, भारतीय संविधान से प्रेम करने वाले और भारत का प्रत्येक निवासी गर्व करेगा कि भारत सरकार ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया और उसके लिए हम आपको बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं।

[अनुवाद]

श्री जगन्नाथ कौशल (चण्डीगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सभा के समक्ष यह विधेयक लाने के लिए सरकार को बधाई देता हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदव, वे अंग्रेजी में बोल रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री जगन्नाथ कौशल : मैं अपने भाई की बात मानकर हिन्दी में बोलता हूं।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह बहुत महत्वपूर्ण है। मैं इसका उल्लेख करूंगा।

[हिन्दी]

श्री जगन्नाथ कौशल : इस बिल का श्रेय भारत सरकार को जाता है और मैं भी उसमें थोड़ा-सा हिस्सा लेना चाहता हूं। मैं सदन को याद कराना चाहता हूं, जब मुझे लॉ-मिनिस्टर होने का सौभाग्य था तो हाउस में एक दफा यह सवाल बहुत जोरों से उठा था। तो उस वक्त मेम्बराज ने और खासतौर से स्वीकार साहब ने···

[अनुवाद]

श्री पी० कुलनदईवेलू : उन्होंने कानून का केवल अंग्रेजी में अध्ययन किया है, हिन्दी में नहीं।

[हिन्दी]

श्री जगन्नाथ कौशल : उसके बावजूद मैं हिन्दी बोल सकता हूं और हिन्दी लिख सकता हूं और मैं आपको बताऊं कि बी०ए० में मैंने संस्कृत में एक कम्पलसरी सबजेक्ट के रूप में लिया था और उसको पास किया था।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : अब आप सब कुछ भूल गए हैं।

[हिन्दी]

श्री जगन्नाथ कौशल : वह इसलिए भूल गया कि हमारे दोस्तों की कम्पनी में अंग्रेजी में सब चलता रहा और जहां तक हिन्दी का ताल्लुक है, मैं एक बात और सदन को बताना चाहता हूं। जब मैं बिहार का गवर्नर हो कर गया, तो जितनी देर बिहार में रहा, मैं सिर्फ हिन्दी में ही बोला बल्कि बहुत दफा जब कोई हाई कोर्ट का फंक्शन या कोई और फंक्शन होता था, तो वहां के लोग अंग्रेजी में स्पीच लिख कर लाते थे और मैं हिन्दी में बोलता था। तो जहां तक हिन्दी का ताल्लुक है, मुझे यह कहने में आपत्ति नहीं है कि हमारे दोस्त हिन्दी के खिलाफ नहीं हैं। यह बात मैं बार-बार दोहराना

चाहता हूं कि उनके कहने की मंशा सिर्फ यही है कि हिन्दी के साथ-साथ जो बाकी जुबान हैं, उनकी भी तरक्की होनी चाहिए। इसमें हमें भी कोई एतराज नहीं है। मैंने जैसा कहा था, मैं याद कराना चाहता हूं···

श्री इब्राहिम सुलेमान सेट (मंजेरी) : आपके भाषण में हिन्दी कम है और उर्दू ज्यादा है।

شری ابراہیم سلیمان سیٹھ (منجیری) آپ کے بھاشن میں ہندی کم ہے اور اردو زیادہ ہے۔

श्री जगन्नाथ कौशल : मेरे भाषण में सही माइनों में हिन्दुस्तानी है, हिन्दी भी है और उर्दू भी है।

श्री इब्राहिम सुलेमान सेट : यही गांधीजी चाहते थे।

[شری ابراہیم سلیمان سیٹھ : یہی گاندھی جی چاہتے تھے۔]

श्री जगन्नाथ कौशल : जो मैं बोलता हूं वह सचमुच में हिन्दुस्तानी है, आप चाहे उसे हिन्दी कहिए या उर्दू कहिये लेकिन वह सबका मिला-जुला स्वरूप है।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : मंत्री महोदय हिन्दी में नहीं बोल सकते।

[हिन्दी]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही) : मैंने हिन्दी में बोला है। **(व्यवधान)**···

श्री जगन्नाथ कौशल : मैं फिर याद कराना चाहता हूं। स्पीकर साहब ने मुझे खास तौर पर यह कहा कि लॉ मिनिस्टर का यह फर्ज बनता है कि जो लेकूना उस वक्त रह गए थे कांस्टीटुयेन्ट एम्सेबली की इच्छा पूरी न होने की वजह से, उसको पूरा करने का प्रयास करें। मैंने वायदा किया था कि अगर इसमें कोई कानूनी अड़चन है, तो हम उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। हमने उस चीज को स्टडी किया और स्टडी करने के बाद एर्टोनी जनरल आफ इन्डिया को यह रेफर किया गया। एर्टोनी जनरल आफ इन्डिया ने राय यह दी कि कांस्टीट्यूशन को एमेंड करने में कोई आपत्ति नहीं है। उनकी राय मानकर जब यह बिल तैयार किया गया है, तो मैं यह समझता हूं कि चतुर्वेदी जी ने ठीक बात कही है कि यह बात तो जब विधान अंग्रेजी में एडोप्ट किया गया था, उसी वक्त होनी चाहिए थी। यह बिल्कुल सही है कि उस वक्त कांस्टीटुयेन्ट एसेम्बली ने एक रेजोलूशन पास किया था और वह रेजोलूशन यह था कि प्रेसीडेंट आवश्यक कदम उठाए ताकि आथोरिटेटिव टैक्स्ट हिन्दी में भी माना जाए। उसका ट्रांसलेशन एडोप्ट किया कांस्टीटुयेन्ट एसेम्बली के मैम्बरान ने लेकिन कोर्ट्‌स ने कहा कि यह आथोरिटेटिव टैक्स्ट नहीं है। उस कमी को पूरा करने के लिए अब आथोरिटेटिव टैक्स्ट बनाया गया है। मैं जो अल्फाज एमेंडमेंट के थे, उनको आपके नोटिस में लाना चाहता हूं। वे अल्फाज ये हैं :

[अनुवाद]

"इस अनुच्छेद के अन्तर्गत प्रकाशित इस संविधान तथा तत्सम्बन्धी प्रत्येक संशोधन के अनुवाद को सभी प्रयोजनों के लिए हिन्दी भाषा का प्राधिकृत रूप माना जाए।"

[हिन्दी]

तो अब यह आथोरिटेटिव टैक्स्ट बन गया है।

अब जहां तक मेरे दोस्तों का यह सवाल है कि इसका तरजुमा बाकी भाषाओं में भी होना चाहिए, मैं आपको बताना चाहता हूं और मेरे दोस्तों को और कम से कम श्री चटर्जी को तो मालूम होगा कि कांस्टीट्यूशन का तरजुमा लगातार सभी भाषाओं में हो रहा है और अगर मेरी याददाश्त सही है, तो 9, 10 भाषाओं में इसका तरजुमा हो चुका है।

[अनुवाद]

श्री पी० कुलनदईवेलू : लेकिन प्राधिकृत नहीं।

श्री तम्पन थामस : इस पर सरकारी मुहर बनाई जानी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री जगन्नाथ कौशल : मैं इसीलिए कहना चाहता हूं कि आप बैकग्राऊंड को भूल गए। बैकग्राऊंड यह है कि कांस्टीच्युएंट असेम्बली का यह रिजोल्यूशन था कि—

[अनुवाद]

यह अनुवाद संविधान सभा द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव के अनुसरण में तैयार किया गया था जिसमें राष्ट्रपति को संविधान का हिन्दी में अनुवाद करवाने के लिए प्राधिकृत किया गया था।

[हिन्दी]

मैंने तो स्टार्ट ही यहां से किया था। कांस्टीच्युएंट असेम्बली ने जो बात कही थी, उसके परसुएंस में हिन्दी का ट्रांसलेशन उसी वक्त किया था। लेकिन अब यह कहना कि बाकी जितनी भाषाओं में तरजुमा हुआ है, उसको भी अथारिटेटिव मान लिया जाए, यह बात बिल्कुल दूसरी है। इस बात का इस बिल से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं बार-बार एक ही बात को एम्फेसाईज करना चाहता हूं कि यह तो कांस्टीच्युएंट असेम्बली की बात को आज अमली जामा पहनाया गया है और हमने इसको अथोराइज्ड टैक्स्ट के रूप में पार्लिमेंट में पेश किया है और संविधान में संशोधन किया है।

मैं यह कहना चाहता हूं कि जो वायदा मैंने बतौर लॉ मिनिस्टर पूरा किया था, उसका श्रेय पाणिग्रही जी को जा रहा है। मैं उनको भरपूर मुबारकबाद देता हूं। सचमुच में इन्होंने उस कमी को पूरा किया है और हमको इस कमी को बहुत पहले पूरा कर लेना चाहिए था। बाकी भाषाओं का जो सवाल है, वह सेप्रेट इशू है, उसको सेप्रेट तौर पर कंसीडर किया जा सकता है। लेकिन है···

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : जब सभी मान्यता प्राप्त भाषाए हैं तो अलग से क्यों ?

श्री सोमनाथ चटर्जी : मेरा एक व्यवधा का प्रश्न है। क्या माननीय सदस्य को व्हिप मिला था ?

श्री तम्पन थामस : तब यह विशेषाधिकार का मामला होगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी : उन्हें एक नोट दिया गया था। क्या यह व्हिप है। जब मामला माननीय अध्यक्ष महोदय के विचाराधीन है तो और व्हिप कैसे भेजा जा सकता है ? यह बहुत ही आपत्तिजनक है।

[हिन्दी]

श्री जगन्नाथ कौशल : मेरे फाजिल दोस्त को जिस बात पर एतराज है, यह मैं उनको सुना देता हूं।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : इसीलिए, यदि यह व्हिप है, क्या आपने व्हिप भेजा ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला दीक्षित) : मैंने व्हिप नहीं भेजा। मैंने उन्हें नोट नहीं भेजा। यदि मैंने भेजा भी है तो आप ऐसा क्यों सोचते हैं ?

[हिन्दी]

श्री जगन्नाथ कौशल : मैं इस झगड़े में पड़ना नहीं चाहता। लेकिन नोट में यह लिखा है कि 12 भाषाओं में ट्रांसलेशन हो चुका है। मैं मिस्टर चटर्जी को याद कराऊं कि मुझे जहां तक इम्प्रेशन है वह यह है कि 9-10 भाषाओं में ट्रासलेशन हुआ है। **(व्यवधान)** बंगला में हो चुका है। **(व्यवधान)** उर्दू में हो चुका है। तमिल में हो चुका है।

बाकी जहां तक इनके व्हिप का सवाल है, मैं उस झगड़े में पड़ना नहीं चाहता। क्योंकि मैं तो आलरेडी एक डिसीप्लीन्ड सोल्जर कांग्रेस का हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : कौन-सी कांग्रेस ?

श्री जगन्नाथ कौशल : एक ही कांग्रेस है, बाकी कोई कांग्रेस नहीं है।

जहां तक इस बिल का सवाल है, मैं समझता हूं कि इस बिल में कंट्रोवर्सी का सवाल ही पैदा नहीं होता। इस बिल पर जो हम सब को चाहिए कि हम भारत सरकार को धन्यवाद दें। हिन्दी में अथोरिटेटिव टेक्स्ट का न होना एक बहुत बड़ी कमी थी जो कि अब पूरी कर दी गई है।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, एक बजने वाला है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप दो मिनट के लिए अपने विचार व्यक्त कीजिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, श्री जगन्नाथ कौशल जिनका, मैं बहुत सम्मान करता हूं, उन्होंने अपनी योग्यता के कारण अपना मंत्री पद खो दिया है। महोदय, मैं यह पूरी तरह स्पष्ट कर देता हूं कि मैं हिन्दी के विरुद्ध नहीं हूं। इस सुन्दर भाषा को विवादास्पद हमारे कुछ माननीय मित्रों जैसे हिन्दी अंध भक्त ने बनाया है। परन्तु, महोदय, मैं माननीय मंत्री जी के प्रारम्भिक शब्दों को सुनने को बहुत उत्सुक था कि "स्वतन्त्रता प्राप्ति के चालीसवें वर्ष में देशवासियों को यह एक उपहार है।"

1.00 म०प०

अनजान व्यक्तियों द्वारा हिन्दी अनुवाद का उपहार ऐसे तरीके से दिया जाता है जिसके बारे में

अभी फैसला किया जाना है। ये लोग कौन हैं। चालीस वर्षों में सरकार की आश्चर्यजनक प्रगति यह है कि 64% लोग अभी भी अनपढ़ हैं, यद्यपि श्री कौशल के अनुसार कांग्रेस आज भी वही है जो पहले थी। चाहे आप इसे हिन्दी या उर्दू या अरबी या फारसी या उड़िया में बना लें, ये लोग इस बात से अनभिज्ञ रहेंगे कि देश के संविधान का उनके लिए कोई प्रयोजन है, इसके क्या प्रावधान हैं—मौलिक अधिकार नाम की कोई चीज है, उनको इसका पता नहीं है। वे उस अव्यवस्था के शिकार हैं जो इस देश के संविधान के उपबन्धों को लागू करने के नाम पर बनाई जा रही हैं।

अतः जहां तक हमारा सम्बन्ध है, इन लम्बी चौड़ी बातों का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य भोजन काल के बाद बोलना जारी रखें। हम अब 2 बजे पुनः समवेत होने के लिए मध्याह्न भोजन के लिए सभा को स्थगित करते हैं।

1.01 म०प०

तत्पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 बजे म०प० तक के लिए स्थगित हुई।

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 2.03 म०प० पर पुनः समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

संविधान (छप्पनवां) संशोधन विधेयक

[जारी]

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सोमनाथ चटर्जी अपना भाषण जारी रखें।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, संविधान के अनुच्छेद 343 के अन्तर्गत संघ की राज भाषा हिन्दी देवनागरी लिपि में होगी। इसके बाद उप-अनुच्छेद (2) में कहा गया है—

> "खण्ड (1) में किसी बात के होते हुए भी इस संविधान के प्रारम्भ से 15 वर्ष की अवधि के लिए संघ के उन सब राजकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा प्रयोग की जाती रहेगी, जिनके लिए ऐसे प्रारम्भ से ठीक पहले वह प्रयोग की जाती थी।"

ये 15 साल कब समाप्त हुए ? संविधान के अनुच्छेद 343 तथा उप-अनुच्छेद (2) के क्रियान्वयन हेतु क्या उपाय किए जा रहे हैं। भारत सरकार मद्रास दूरदर्शन से हिन्दी समाचार का प्रसारण बन्द करने के लिए राजी हो गई है। क्यों ? क्योंकि आप अपने सहयोगी दलों को खुश करना चाहते हैं। क्या यह संविधान के उपबन्धों तथा उसकी भावना के अनुरूप है।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : इससे हमें दुगना नुकसान होगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी : नहीं, मैं आपको यह दिखाना चाहता हूं कि यह सरकार उचित समय पर सही दृष्टिकोण तथा भावना से सही कार्य नहीं कर सकती। प्रत्येक कार्य में तुच्छ राजनीतिक स्वार्थ हैं। जहां तक हिन्दी का संबंध है इसके लिए वे तमिलनाडु में समझौता करेंगे।

मंत्री महोदय यहां आज इस देश की जनता को तोहफा देने की बात कर रहे हैं और सभा को निरक्षरता के बारे में याद दिलाया है। यह तोहफा किनको दिया है। यह तोहफा नागालैंड को

है ? क्या यह उपहार तमिलनाडु की जनता के लिए है ? क्या यह तोहफा उड़ीसा के लोगों के लिए है। यह तोहफा किन लोगों के लिए है।

एक माननीय सदस्य : पश्चिम बंगाल के लिए।

श्री विपिन पाल दास (तेजपुर) : हिन्दी भाषी लोग एक हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : सर्वप्रथम, कम से कम लोगों को साक्षर तो बनाएं। इस देश की यह विडम्बना है। हम अपने संविधान की बात करते हैं। मंत्री जी ने हमें याद दिलाया कि यह देश का मूलभूत कानून है। लेकिन देश के लाखों लोग यह नहीं जानते कि देश के संविधान में क्या लिखा है। उनको अपने मौलिक अधिकारों का भी पता नहीं है। उनको इस बात का भी पता नहीं है कि सरकार की इस देश को जनता के प्रति क्या जिम्मेदारी है। यही कारण है कि लोगों में एकता की भावना नहीं आ रही, लोगों में बहुत बंटवारा है तथा असमानता है।

अब, विभिन्न भाषाओं के प्रति सरकार का दृष्टिकोण क्या है ? प्रत्येक व्यक्ति यह बात कहता है कि सभी भाषाओं के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। मंत्री महोदय भी अपने उत्तर में वही बात कहेंगे। मुझे विश्वास है कि उनके पास लिखित उत्तर पहले से तैयार है।

उपाध्यक्ष महोदय : वे पहले से परिकल्पना कर रहे हैं कि आप क्या कहने जा रहे हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : नहीं, नहीं, श्री वेंगलराव की तरह कल जो कुछ हमने कहा, उन्होंने तैयार किया हुआ उत्तर दिया।

उपाध्यक्ष महोदय : वे जानते हैं कि आप क्या पूछेंगे। इसलिए, वे उत्तर तैयार कर लेते हैं। दोनों पक्ष ही इसी तरह हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : बहुत अच्छे, यदि आप हमें यह सम्मान देना चाहते हैं तो ठीक है।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : हम सोमनाथ बाबू को जानते हैं···

श्री सोमनाथ चटर्जी : लोगों के जीवन में भाषा का क्या महत्व है ? यह अपनी भावनाएं व्यक्त करने, बात कहने का तरीका है। भाषा द्वारा संस्कृति का पता चलता है। इसलिए हमारे संविधान में सावधानी से एक अनुसूची को समाविष्ट किया गया है जिसे आठवीं अनुसूची कहते हैं, जिसमें कतिपय भाषाओं को समाविष्ट किया गया है ताकि उनका विकास हो सके। आप लोगों की आकांक्षाओं की अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। आप उनकी भाषा का गला घोंट कर उनका गला नहीं घोंट सकते हैं। इसलिए महोदय, आपके राज्य में आप हिन्दी लादने के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। क्यों ? क्योंकि यह आपकी अपनी भाषा के विकास में हस्तक्षेप करेगी।

भाषा के विकास के प्रति इस सरकार का क्या रवैया है ? हम आठवें दशक से इस सभा में नेपाली भाषा की मांग करते आ रहे हैं। कम से कम पांचवीं लोक सभा से इस बारे में जानता हूं। हम संविधान में संशोधन की मांग करते आ रहे हैं। यहां विधेयक लाए गए और इस सरकार द्वारा इस आधार पर कि भाषा के विकास से विघटनकारी प्रकृतियों को बढ़ावा मिलेगा, निर्भीकता से अस्वीकृत कर दिए गए।

अब यह सरकार क्या कर रही है ? मैं नहीं जानता कि मेरे बड़े अच्छे मित्र श्री चिन्तामणि पाणिग्रही को किस प्रकार परिचालन की अनुमति दी गई है। आज क्या स्थिति है ? आज केन्द्र सरकार

भी नेपाली को भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए सहमत है। प्रारम्भ से ही इसमें कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए, मैं इस विधेयक के खिलाफ नहीं हूं। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। भारत के संविधान का उचित प्रमाणित अनुवाद होना चाहिए परन्तु क्या अन्य भाषाओं के प्रति भी समान व्यवहार, समान रवैया नहीं होना चाहिए ? कितने उच्च न्यायालयों में यह अनुवाद प्रस्तुत किया जा सकता है ? उत्तरी भारत को छोड़कर, केवल चार उच्च न्यायालयों में जैसाकि मंत्री महोदय ने बताया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इन चार उच्च न्यायालयों में निर्णय हिन्दी में दिए जाते हैं। जहां तक मैं जानता हूं एक या दो न्यायाधीशों ने ऐसा किया है। यदि मंत्री महोदय को बेहतर जानकारी है तो मैं अपनी बात को सही कर लूंगा। अन्य राज्यों के लोगों के साथ क्या होगा ? क्या बंगालियों, तमिलों, आन्ध्रवासियों को संविधान अपनी मातृभाषा में पढ़ना और सीखना नहीं चाहिए ? इसके बारे में एक भी शब्द नहीं बोला गया है। हम अनेकता में एकता की बात करते हैं। हम कहते हैं कि भारतीय संस्कृति, विभिन्न संस्कृतियों तथा लोकाचारों का समन्वय है। मैं नहीं जानता कि यह विधेयक अचानक क्यों लाया गया है। जहां तक सरकार का सम्बन्ध है इसे प्राथमिकता देने की क्या आवश्यकता है ? मैं मंत्री महोदय से संविधान के अनुवाद के लिए किए गए बजट प्रावधान के बारे में जानना चाहता हूं। इस पर कितना खर्च आएगा तथा इसमें कितना समय लगेगा ? इस कार्य के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी ? यह शक्ति सरकार को दी गई है। राष्ट्रपति के नाम से सरकार के पास वह शक्ति होगी। क्या इस पर भावी लागत को प्रकाशित किया जाएगा ? आपके अनुवादक कौन होंगे ? अनुवादकों का यह चयन करने के लिए संविधान में क्या मार्गदर्शी निर्देश निर्धारित किए गए हैं। हमारे राष्ट्रपति, जिन्हें हम सर्वोच्च आदर देते हैं, सरकारी कार्यों में साहसिक प्रयास करते हैं, जिसकी हम सब प्रशंसा करते हैं।

इसलिए, यदि श्री चिन्तामणि पाणिग्रही को इस पर कार्यवाही करने की आजादी मिल गई है तो क्या वे उनका चयन करेंगे या कोई अन्य व्यक्ति उनका चयन करेगा। चयन करने तथा परीक्षा लेने के लिए कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं की गई है। कोई व्यक्ति यह कहेगा कि यह अनुवाद ऐसा है जिस प्रकार टेनिस के खेल का अनुवाद किया गया था कि घास पर गेंद पटा-पट। मैं नहीं जानता इससे किस प्रकार का अनुवाद सामने आएगा। यहां तक कि महान विद्वान व्यक्ति श्री जगन्नाथ कौशल काफी गम्भीर प्रयास करने के बावजूद, बोलते समय उर्दू, अंग्रेजी तथा अन्य भाषाओं के प्रयोग से नहीं बच सकते हैं। साहित्यिक व्यक्ति श्री चतुर्वेदी भी अपने हिन्दी के भाषण में अंग्रेजी का प्रयोग करते हैं। इन बातों के बारे में सोचा ही नहीं गया है। जहां तक प्राथमिकता देने तथा सरकार के कार्यकरण का सम्बन्ध है, वे यह अनुवाद कार्य उत्तरी भारत में चुनाव आने तक करते रहेंगे। मेरा मात्र यही अनुमान है। तब वे यह कहेंगे, "देखिए यह सरकार हिन्दी बोलने वाली जनता का कितना ध्यान रखती है, हिन्दी भाषी क्षेत्र से सबसे अधिक संख्या में संसद सदस्य आते हैं। इसलिए मुझे आपकी भाषा की चिंता है और यह अनुवाद मौजूद है।" श्री कुलनदईवेलु यद्यपि इसका विरोध करेंगे परन्तु अन्ततोगत्वा वे इसे स्वीकार कर लेंगे—मुझे आशा है वे विरोध नहीं करेंगे। उन्होंने दक्षिण, पूर्व और उत्तर पूर्व की आशा छोड़ दी है और उनकी एक मात्र आशा हिन्दी भाषी क्षेत्र रह गई है—केवल यही क्षेत्र बचा है।

एक माननीय सदस्य : नागालैण्ड के बारे में आपके क्या विचार हैं ?

श्री सोमनाथ चटर्जी : नागालैण्ड 'ए०जी०पी० ब्लाकेड' के कारण अपवाद है, अन्यथा आपको यह प्राप्त नहीं हुआ होता।

मैं सभा का अधिक समय नहीं लेना चाहता । मैं केवल यही कहूंगा कि भाषा और संविधान के साथ खिलवाड़ न करें ? आप छप्पन बार खिलवाड़ कर चुके हैं। केवल कुछ संशोधन ही सही हैं जिन्हें हम सबसे समर्थन दिया है, जैसे 'प्रिवी पर्सस' को समाप्त करना, जमींदारी को समाप्त करना, पहला संशोधन, दूसरा संशोधन आदि । ये संशोधन नेहरू के समय में किए गए थे क्योंकि नेहरू के विचार में और उनके दृष्टिकोण से ये अभिशाप थे ।

एक माननीय सदस्य : बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बारे में आपके क्या विचार हैं ?

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह काफी पहले की बात है और उस समय नेहरू के विचारों का प्रभाव था ।

जैसा कि मैं निवेदन कर रहा था, आपको भाषा तथा इस देश के संविधान के साथ नहीं खेलना चाहिए । इस संविधान तथा संशोधनकारी प्रक्रिया का अगले चुनावों में अपने निराशावादी कार्य का समर्थन कराने के लिए उपयोग न करें ।

यदि आपको इस बात की काफी चिंता है इस देश के लोगों को यह जानकारी होनी चाहिए कि संविधान में क्या लिखा हुआ है, तो हिन्दी की अतिराष्ट्रीयता के आगे मत झुकिए, आप इस देश की जनता के बीच संवैधानिक उपबन्धों का प्रचार करना चाहते हैं, आपको यह जानना चाहिए कि यहां की अधिकांश जनता हिन्दी भाषी नहीं है और इसलिए आपको आश्वासन देना चाहिए कि आप सभी भाषाओं के प्राधिकृत अनुवाद उपलब्ध कराएंगे । आप समग्र देश की जनता के प्रति वचन दें । तथ्य तो यह है कि स्वतंत्रता-प्राप्ति के चालीस वर्ष बाद भी हिन्दी इस देश की एकमात्र सरकारी काम-काज की भाषा नहीं बन पायी है, इससे पता चलता है कि यह सरकार इस बारे में गम्भीर नहीं है सिवाए इसके कि यह किसी विशेष समय पर जनता के किसी विशेष वर्ग को बताने के लिए प्रयोग की जाती है ।

जब मैंने अपने आदरणीय मित्र श्री जगन्नाथ कौशल के भाषण में व्यवधान डाला था तो वह केवल स्थिति के खोखलेपन, अत्यधिक अवास्तविकता दिखाने के लिए था जिसके लिए उन्हें खड़ा होना पड़ा था और एक विधेयक पर हिन्दी अनुवाद के लिए अंग्रेजी में बोलना पड़ा था। यह ओछापन नहीं था, मैं स्थिति की अवास्तविकता दिखाना चाहता था । तब वे हिन्दी न बोलकर मिली जुली हिन्दुस्तानी भाषा बोलने लगे । इसलिए यह वचन दिया जाना चाहिए। सरकार को शर्म आनी चाहिए—उन्हें शर्म नहीं आती है, उन्हें चिन्ता होनी चाहिए—कि 46 वर्ष के बाद हमारी 64 प्रतिशत जनता अशिक्षित है और 76 प्रतिशत महिलाएं अभी अशिक्षित हैं । श्रीमती शीला दीक्षित जी, आप उन कुछ सौभाग्यशालियों में से एक हो। मुझे आपसे ईर्ष्या नहीं है; मैं चाहता हूं कि सिवाय राजनीति के प्रत्येक आपके समान हो। इसलिए, हमारी राजनीति में से इन विकृतियों को दूर कर दिया जाना चाहिए । आपने लोगों को अंधेरे में रखा हुआ है । आप नवोदय विद्यालयों का प्रयोग कर रही हैं जिसके परिणामस्वरूप इस देश में कम से कम संख्या में छात्रों को अच्छी शिक्षा मिल सकेगी । शिक्षा और साक्षरता का उचित प्रसार नहीं हुआ है । बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मुहैया कराने की कोई नीति नहीं है, जो मेरे विचार से पहली प्राथमिकता होनी चाहिए । मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं कि आप इस पर कितनी धनराशि खर्च करेंगे ? धन के अभाव में फैक्टरियां बन्द हो रही हैं। कल एक माननीय सदस्य, भूतपूर्व उद्योग मंत्री 13 करोड़ रुपए के लिए चिल्ला रहे थे। केन्द्रीय सरकार के पास 13 करोड़ रुपए न होने के कारण बायलर बनाने वाली एक बड़ी यूनिट चल ही नहीं सकती है । एक के बाद एक

फैक्टरी बन्द हो रही है। बेरोजगारी बढ़ रही है। निरक्षरता बढ़ रही है। यहां आप विधिवत् यहां आती हैं और कहती हैं कि आप इस देश के लोगों को एक उपहार, एक दान देंगी। 40 वर्ष बाद आप एक हिन्दी अनुवाद दे रही हैं जिसे कोई पढ़ नहीं पाएगा अथवा समझ नहीं पाएगा। परन्तु आप अपने आपको सन्तुष्ट रखना और शाबाशी देना चाहती हैं। यह दोहरी, तिहरी नीति नहीं चलेगी। यदि आप भाषा के विकास के बारे में गम्भीर हैं, तो हम देश के लोगों को साक्षर बनाया जाना चाहिए और सभी भाषाओं को फलने-फूलने देना चाहिए ' सभी भाषाओं का विकास होना चाहिए। ऐसी वचनबद्धता होनी चाहिए अन्यथा मुझे नहीं पता उन्होंने अनुच्छेद 394(क) को क्यों चुना। मैं पुस्तक, संविधाम, के एक अन्य मुद्रित अंक के सम्बन्ध में होगा। एक और नया खण्ड प्रकाशित करना होगा परन्तु इससे लोगों को लाभ नहीं होगा।

[हिन्दी]

श्री जैनुल बशर (गाजीपुर) : माननीय उपाध्यक्ष जी, "देर आयद दुरुस्त आयद" की कहावत इस बिल पर लागू होती है। आजादी के और संविधान लागू होने के इतने दिनों के बाद आज इस बात के लिए संविधान में संशोधन किया जा रहा है कि संविधान का एक वैध अनुवाद बनाया जाए और उसको वैधता प्रदान की जाए जबकि संविधान का एक वैध हिन्दी अनुवाद संविधान सभा ने ही मंजूर किया था और उस संविधान के वैध हिन्दी अनुवाद को, जिस पर संविधान सभा के सदस्यों के हस्ताक्षर थे, अभी तक वैध नहीं माना जाता रहा, अभी तक केवल अंग्रेजी भाषा में लिखा हुआ संविधान ही हमारे देश में वैध माना जाता रहा है।

मैं चटर्जी साहब से इत्तफाक करता हूं कि संविधान की धारा 343 खुद संविधान पर नहीं लागू होती और दूसरी बातों को तो छोड़ दीजिए। उसमें लिखा है कि हिन्दी राजभाषा होगी, अंग्रेजी 1: वर्षों तक राजभाषा के रूप में काम करती रहेगी, 15 वर्ष कब के बीत गए और 15 वर्षों के बाद क्या से क्या हो गया। इसी देश में हमारे संविधान निर्माताओं ने एकमत से हिन्दी को इस देश की सरकारी भाषा, इस देश की राजभाषा घोषित किया था, उस वक्त कहीं कोई विवाद नहीं था, न तो तमिलनाडु में विवाद था न देश के किसी दूसरे भाग में इस बात का विवाद था कि हिन्दी इस देश की राष्ट्र-भाषा न हो। अगर उसी समय ही हिन्दी को उसका दर्जा दे दिया गया होता, अगर उसी समय से ही अंग्रेजी के महत्व को कम किया गया होता और हिन्दी के महत्व को अधिक बल दिया गया होता तो मैं समझता हूं बहुत कुछ ठीक हो गया होता। लेकिन सारी खराबी इसलिए पैदा हुई कि हमने संविधान में लिख दिया लेकिन हिन्दी को वास्तविक तौर से राष्ट्र भाषा का दर्जा दे नहीं पाए। हम अंग्रेजी को ही राष्ट्र-भाषा के रूप में स्वीकार करते रहे और अंग्रेजी में ही सारा काम-काज होता रहा। मुझे इस बात को कहते हुए शर्म आती है कि आजादी के इतने दिनों बाद अंग्रेजी का महत्व घटा नहीं है, बल्कि बढ़ रहा है। और इसका नुकसान किसको पहुंच रहा है? इसका नुकसान इस देश के आम आदमियों को पहुंच रहा है। आज अंग्रेजी मीडियम के स्कूलों की संख्या पहले के मुकाबले में बहुत बढ़ती जा रही है। आज अंग्रेजी की बड़ी से बड़ी वकालत करने वाले अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम के स्कूलों में भेज रहे हैं। क्यों भेज रहे हैं? देश के 90 प्रतिशत आदमी इस सारे गोरख-धंधे से काफी दूर हैं। आज अंग्रेजी समृद्धि की पहचान बन गई है, आज अंग्रेजी विद्वता की पहचान हो गई हैं, आज अंग्रेजी अकलमंदी और चतुराई की पहचान हो गई है। (व्यवधान) बात सही है कि आज अंग्रेजी गुलामी की निशानी है।

आज कहां-कहां अंग्रेजी बोली जाती है और कैसे बोली जाती है? हम हिन्दुस्तानी तो अंग्रेजी

का भी मजाक उड़ाते हैं। मैं कहता हूं अगर कोई अंग्रेज हमारे सदन की कार्यवाही को अंग्रेजी में सुनें तो वह अपना माथा ठोक लेगा। इस सदन में अंग्रेजी कितनी गलत बोली जाती है इसको अंग्रेजी के विद्वान जानते होंगे। मैं किसी का नाम नहीं ले सकता क्योंकि मैं खुद भी अंग्रेजी का जानकार नहीं हूं लेकिन इतना समझ में जरूर आता है कि इस सदन में अंग्रेजी कितनी सही बोली जाती है और कितनी गलत बोली जाती है। आज अंग्रेजी, दफ्तरों में अफसरों की भाषा है। हमारे देश में जो बड़े-बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं उनकी भाषा अंग्रेजी है। देश के हावाई अड्डों पर अंग्रेजी बोली जाती है। रेलगाड़ी के फर्स्ट-क्लास, एयर कण्डीशण्ड डिब्बों में अंग्रेजी बोली जाती है। बकाया कहीं भी अंग्रेजी नहीं बोली जाती है। आप मानें या न मानें लेकिन वास्तविकता यह है कि वगैर सरकार के सहारे के हिन्दी इस देश की सम्पर्क भाषा बन चुकी है। जहां तक आम आदमियों का सवाल है, जहां तक साधारण जनता का सवाल है, हिन्दी आज इस देश की सम्पर्क भाषा बन गई है, सरकार उसे चाहे उसे मान्यता दे या न दे। आज आप बंगलौर में चले जाइये, आम आप त्रिवेंद्रम और कोचीन चले जाइए, आज आप हैदराबाद चले जाइए, कलकत्ता या भुवनेश्वर चले जाइए, आम आदमी, बिना पढ़े-लिखे आदमी की आपस में बातचीत करने की भाषा हिन्दी ही है। आज कहीं भी जाइए वहां कुली, टैक्सी वाले, दूकानदार, सेल्समैन सभी लोग अपना काम हिन्दी में चला सकते हैं, अंग्रेजी में नहीं चला सकते। (व्यवधान) मद्रास का भी वही हाल है, वहां पर भी सभी लोग हिन्दी में बोलते हैं। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि स्वयं तमिलनाडु में हिन्दी भाषा जानने वालों की संख्या बराबर बढ़ रही है। तमिलनाडु में सिर्फ हिन्दी को राजनीति का निशाना बनाया गया है। वहां पर हिन्दी राजनीति की शिकार है। वहां हिन्दी जानने वाले लोग अंग्रेजी बिल्कुल नहीं जानते। इस देश की 90 प्रतिशत जनता जो है वह हिन्दी जानती है। आने-जाने वाले लोग हिन्दी समझते हैं। जब वास्तविक रूप से हिन्दी हमारे देश की सम्पर्क भाषा बन चुकी है तो सरकारी तौर से हिन्दी देश की सम्पर्क भाषा क्यों नहीं बन सकती।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : वह हिन्दी सिनेमा के लिए है।

[हिन्दी]

श्री जैनुल बशर : हिन्दी सिनेमा का भी रोल कम नहीं है। आप भी जाते होंगे और लोग तो जाते हैं ही।

उपाध्यक्ष जी, कुलनदईवेलू साहब कहेंगे कि हिन्दी ग्रामरलैस लैंग्वेज है, इसकी कोई ग्रामर नहीं है। इसकी कोई ग्रामर नहीं है, तो यही तो इसकी विशेषता है। मुझे बड़ी खुशी होती है, जब इस सदन में गुजरात के माननीय संसद सदस्य, महाराष्ट्र के, उड़ीसा के, आन्ध्र प्रदेश के व अन्य राज्यों के संसद सदस्य हिन्दी में भाषण करते हैं। टूटी-फूटी हिन्दी, क्योंकि हिन्दी की ग्रामर नहीं है, अच्छा है, इसलिए ग्रामरलैस लैंग्वेज होने से ही सम्पर्क भाषा बन सकती है। साहित्य कभी सम्पर्क भाषा नहीं बनता है, हमेशा बोल-चाल की भाषा ही सम्पर्क भाषा बनती है। साहित्य की रचना सम्पर्क भाषा नहीं बनती है।···(व्यवधान)··· इसी भाषा में धीरे-धीरे सभी भाषाओं के शब्द मिलते जायेंगे— अंग्रेजी के, बंगला के, तेलगू के, तमिल के—तब यह देश की सम्पर्क भाषा होगी। जब सभी भाषा के शब्द हिन्दी में मिलते जायेंगे, तो यह एक विशाल सम्पर्क भाषा का रूप ले लेगी। लेकिन उपाध्यक्ष जी, सबसे बड़ी बात है कि हमको···(व्यवधान)

श्री एम० रघुमा रेड्डी (नलगोंडा) : डिप्टी स्पीकर को सिखाना है हिन्दी। ···(**व्यवधान**)

[**अनुवाद**]

श्री सोमनाथ चटर्जी : उन्होंने पहले ही हिन्दी कक्षाओं में जमा शुरू कर दिया है।

[**हिन्दी**]

श्री जैनुल बशर : ये जानते हैं और आप भी जानते हैं।···(**व्यवधान**)

[**अनुवाद**]

उपाध्यक्ष महोदय : आप टूटी-फूटी अंग्रेजी बोलेंगे, तो मैं आपकी आलोचना करूंगा।··· (**व्यवधान**)

[**हिन्दी**]

श्री जैनुल बशर : उपाध्यक्ष जी, सबसे बड़ी बात यह है कि हिन्दी से प्रति आज हम लोगों की हीन भावना है, जिसको दूर करना पड़ेगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी : दूसरी भाषाओं के प्रति भी बोलिए।

श्री जैनुल बशर : हिन्दी के प्रति हमारी हीन भावना है, जिसको दूर करना पड़ेगा।

हमारे बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के जो हिन्दी भाषी लोग हैं, वे बहुत अच्छी हिन्दी में भाषण कर सकते हैं, लेकिन वे इसलिए नहीं करते कि वे कम काबिल समझे जायेंगे। इसीलिए नहीं करते उनकी काबलियत पर, उनकी योग्यता पर प्रश्न चिह्न लग जाएगा। यही बात हमारे अधिकारी जो सैक्रेटेरिट में, दफ्तरों में बैठे हैं, वे भी हिन्दी में काम नहीं करना चाहते। वे समझते है कि हिन्दी में काम करने से उनकी काबलियत पर प्रश्न-चिह्न लग जाएगा। उनकी योग्यता पर प्रश्न चिह्न लग जाएगा। यही कारण है कि हिन्दी आज मनोवैज्ञानिक तौर से हीनता का शिकार है। खुद हम हिन्दी भाषी लोग, जो हिन्दी के क्षेत्र से आते हैं, नहीं समझते हैं कि हिन्दी में बोलने से, हिन्दी में लिखने से या हिन्दी में काम करने से हीनता हो जाएगी। मैं तो कहता हूं, आइए, पहले हिन्दी भाषी लोग हिन्दी में काम करना शुरू करें। हिन्दी भाषी लोग हिन्दी में अपना काम-काज, सब कुछ काम शुरू करें, तो दूसरे लोग भी हिन्दी में काम करेंगे। आज हमारे गुजरात और बंगाल के साथी कितनी अच्छी हिन्दी में अपनी बात कहते हैं और समझते हैं। इसलिए वास्तविक रूप से हिन्दी आज देश की सम्पर्क भाषा है। चाहे कुलनदईवेलू साहब इसको कितना ही नकारें, कितना ही उससे इन्कार करें, कितना ही राजनीति का निशाना बनायें, लेकिन इसमें दो रायें नहीं हैं कि हिन्दी आज देश की सम्पर्क भाषा बन चुकी है। साधारण लोगों के लिए, आम आदमियों के लिए हिन्दी सम्पर्क भाषा है।

उसी तरह से, उपाध्यक्ष जी, हमारे देश की और भी बहुत सी भाषायें हैं। हिन्दी केवल आसानी के लिए सम्पर्क भाषा बनाई गई है। हमारा कभी यह दावा नहीं है, हम कभी यह क्लेम नहीं करते हैं कि हिन्दी बंगला से ज्यादा अच्छी है, तेलगू से ज्यादा अच्छी है, तमिल से ज्यादा अच्छी है, उड़िया से ज्यादा अच्छी है—सभी भाषायें अपने-आप में अच्छी हैं। सभी भाषायें अपने आप में धनी हैं। सभी भारत की मातृभूमि में पैदा हुई हैं। सभी हमारी भाषायें हैं। हम सभी का आदर करते और इज्जत करते हैं। हिन्दी सम्पर्क भाषा केवल इसलिए बनाई गई थी क्योंकि इस देश में हिन्दी समझने और बोलने वाले लोगों की संख्या बहुत अधिक थी। केवल इसी कारण हिन्दी को सम्पर्क

भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। इसलिए नहीं कि उसका साहित्य बड़ा है, उसका साहित्य धनी है, उसका साहित्य विशाल है। मैं स्वयं जानता हूं कि बंगला भाषा का साहित्य काफी धनी है, विशाल है और समृद्ध है परन्तु इस देश में बंगला भाषा समझने और बोलने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है जब कि हिन्दी बोलने और समझने वाले लोगों की संख्या बहुत अधिक है। हिन्दी को सम्पर्क भाषा बनाने के पीछे एक मन्तव्य यह भी था कि दूसरी भाषाएं अपने-अपने क्षेत्रों में फलती-फूलती रहें। संविधान में सभी भाषाओं को फलने-फूलने का अधिकार दिया गया है। मैं चाहता हूं कि संविधान का सभी अन्य भारतीय भाषाओं में तर्जुमा होना चाहिए और उसे विधिमान्यता मिलनी चाहिए। संविधान का सभी भाषाओं में अनुवाद होने के साथ-साथ कलकत्ता हाई कोर्ट में संविधान के बंगला भाषा में हुए अनुवाद को मान्यता मिलनी चाहिए, मद्रास हाई कोर्ट में संविधान के तमिल अनुवाद को विधिमान्यता मिलनी चाहिए। क्यों नहीं मिलनी चाहिए। संविधान का चाहे किसी भी भाषा में अनुवाद हो, सभी को विधिमान्यता मिलनी चाहिए। यह तो उस राज्य के न्यायाधीशों पर निर्भर करता है कि वे कैसे अपने फैसले देना चाहते हैं, किस चीज का क्या अर्थ निकालते हैं, किस चीज को कैसे समझाते हैं।

उपाध्यक्ष जी, केवल इतना ही काफी नहीं है। यहां बहुत सही सवाल पूछा गया कि यह अनुवाद कब होगा। मैं भी जानना चाहता हूं कि आप कितने दिन और लगायेंगे। हमारी संविधान सभा ने 15 वर्षों में अंग्रेजी को हटाकर बिल्कुल हिन्दी लाने का फैसला किया था, कहीं इस कार्य में भी तो आप 15 साल और नहीं लगा देंगे। वैसे चुनावों से इसका कोई मतलब नहीं है, हिन्दी-भाषी लोग किसी भावना में बहने वाले नहीं हैं। वोट देने या न देने से इसका कोई ताल्लुक नहीं है फिर भी मैं जानना चाहता हूं कि कितनी जल्दी आप इसे कर सकेंगे। दूसरे मैं यह भी जानना चाहूंगा कि हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने में आप कितनी तेजी से काम करेंगे।

वैसे तो आपने हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं, हिन्दी की क्लासेज लगायी जाती हैं लेकिन सरकारी कामकाज में हिन्दी का प्रयोग नहीं बढ़ रहा है या बिल्कुल न के बराबर बढ़ रहा है। बजट के दौरान जब हमारे सामने विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की रिपोर्ट आती हैं, उनमें कैसी हिन्दी का प्रयोग किया जाता है, हम उस रिपोर्ट को पढ़ लेते हैं लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकलता। आप भारत के शासन, भारत की विधि को, कानून को, आम जनता तक तभी पहुंचा सकेंगे जब आप हिन्दी में सरकारी कामकाज को बढ़ायें। बिना इसे बढ़ावा दिए कुछ नहीं किया जा सकता।

इन शब्दों के साथ मैं इस संविधान संशोधन बिल का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि धीरे-धीरे सारे देश के लोग हिन्दी को सम्पर्क भाषा के रूप में मान्यता देंगे, विशेषकर तमिलनाडु के लोगों से अपील करना चाहूंगा कि वे हिन्दी के रास्ते में रुकावटें उत्पन्न न करें, हिन्दी से उनका कोई नुकसान होने वाला नहीं है, बल्कि फायदा ही है। तमिलनाडु में संस्कृत की बहुत प्राचीन परम्परा रही है, उनको हिन्दी सीखने में कोई परेशानी नहीं है, वे लोग अधिक से अधिक हिन्दी सीख रहे हैं इसलिए इस प्रश्न को लेकर हमारे मित्र कुलनदईवेलू साहब हिन्दी को राजनीति के अखाड़े में न लायें। हमने कभी हिन्दी को राजनीति का माध्यम नहीं बनाया है और न हिन्दी को कभी तमिलनाडु या किसी दूसरे राज्य के ऊपर थोपे जाने की बात कही है। हिन्दी-भाषी लोगों के दिमाग में ऐसी चीजें आने का सवाल ही नहीं है। इसलिए मैं समझता हूं कि आने वाले समय में भी हिन्दी इस देश में अपना वास्तविक स्थान पा सकेगी।

[अनुवाद]

श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर (बंगलौर दक्षिण) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं, परन्तु बिना शर्त नहीं। इससे पहले मैं इस सभा से बाहर जाऊं, मैं हिन्दी में भाषण करना चाहता हूं। परन्तु मुझे आशा है कि तत्काल चुनाव होने वाले नहीं हैं। मुझे आशा है कि मैं अभी दो वर्ष रहूंगा।

फिर भी मुझे खेद है कि इस विधेयक का संचालन करते समय माननीय मंत्री श्री पाणिग्रही ने कहा था कि गैर-हिन्दी भाषा राज्यों में, हम संविधान की अंग्रेजी प्रति का संदर्भ दे सकते हैं क्योंकि हम हिन्दी समझ नहीं सकते हैं।

मैं सचमुच उस वक्तव्य को पसन्द नहीं करता। उन्हें कहना चाहिए कि भारत सरकार संविधान में मान्यताप्राप्त सभी क्षेत्रीय भाषाओं में प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध कराएगी। गैर हिन्दी भाषी लोगों पर इस संशोधन का क्या प्रभाव पड़ेगा ? यह आवश्यक है। कोई भी विरोध नहीं करता विशेषकर कर्नाटक जैसे राज्य, हम हिन्दी के खिलाफ नहीं हैं क्योंकि हम हिन्दी को भाषा की एक कड़ी के रूप में चाहते हैं, हमने इसे स्वीकार किया है। हमने त्रिभाषा सूत्र को स्वीकार किया है। परन्तु उसी प्रकार, हम अपनी भाषा का विकास करना चाहते हैं—हर भाषायी राज्य राज्य की भाषा का विकास करना चाहता है। इसे संविधान से मान्यता प्राप्त है। भारत सरकार को इस बात के लिए कदम उठाने चाहिए कि सभी भाषाओं में प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध की जाएं।

आप इस बात से अवगत हैं कि राज्य में विधानमंडल तथा प्रशासनिक भाषा राज्य की क्षेत्रीय भाषा है। उदाहरण के लिए तमिलनाडु में तमिल, कर्नाटक में कन्नड़, आंध्र प्रदेश में तेलुगू, केरल में मलयालम और पश्चिम बंगाल में बंगाली है। इसलिए अपनी क्षेत्रीय भाषा में संविधान की प्रमाणिक प्रतियां के अभाव में ज्यादातर सदस्य, विधायकों को मजबूर होकर अंग्रेजी प्रति का संदर्भ देना पड़ता है। अब जब आपके पास संविधान की प्रमाणिक प्रति हिन्दी में है, क्या आप नहीं समझते कि आप गैर हिन्दी भाषी राज्यों के साथ भेदभाव कर रहे हैं ? क्या इस प्रकार की छवि गैर हिन्दी राज्यों पर नहीं पड़ेगी ? इसलिए, मैं भारत सरकार पर यह दबाव देना चाहूंगा कि राष्ट्रीय अखण्डता के हित में आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, एकता और अखण्डता के हित में, मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि संविधान की प्रमाणिक प्रतियां सभी क्षेत्रीय भाषाओं, जो संविधान के अन्तर्गत मान्यताप्राप्त हैं, में उपलब्ध कराए। यह उतना महंगा काम नहीं है। ऐसा संशोधन लाने में क्या हानि है। क्या यह हमारे देश के लिए उचित नहीं होगा ? हमारे पास इतनी भाषाएं हैं। क्या यह राष्ट्र की एकता को मजबूत नहीं करेगा ? यदि कोई कारण है तो आप इसे सदन के समक्ष क्यों नहीं लाते ? मंत्री महोदय, इसके कारण बतायें। शुरू में ही मैंने कहा है कि हम हिन्दी के खिलाफ नहीं हैं, हम इसे मान्यता देते हैं, हम चाहते हैं कि हिन्दी एक सम्पर्क भाषा के रूप में विकसित हो। परन्तु इसी समय मैं यह मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहूंगा कि भारत सरकार ने हिन्दी का गैर हिन्दी राज्यों में विकास करने के लिए सियाए कुछ स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान देने के सिवाय और कोई कदम नहीं उठाए हैं। गैर हिन्दी राज्यों में हिन्दी के विकास के लिए आपने क्या किया है ? आप कैसे चाहते हैं कि उन राज्यों के लोग हिन्दी सीखें ? मैं यहां पिछले तीन साल से हूं और बड़ी कठिनाई से मैं सिर्फ सदस्यों की हिन्दी समझ सकता हूं। विशेषकर हिन्दी साहित्य के कुछ हिन्दी भाषण हैं जिन्हें किसी भी तरह नहीं समझ सकता। हममें से अनेक इसे नहीं समझ सकते हैं। निस्संदेह कुछ लोग समझते हैं। श्री चतुर्वेदी ने जो कहा मैंने पूरी तरह समझा। इसलिए इसकी भाषा सरल होनी चाहिए विशेषकर जब आप हिन्दी का

विकास करना चाहते हैं। आप कृपया देखें कि सभी लोगों द्वारा समझी जाने वाली एक सरल हिन्दी का विकास किया जाए।

मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। मैं तमिलनाडु के बारे में नहीं जानता। यदि आप कर्नाटक में किसी भी जगह जाएं आप देखेंगे कि जिस किसी के पास भी टी० वी० हैं वह रामायण शृंखला को देखने के लिए 9.30 बजे अपने टी० वी० को चलाने से नहीं चूकता क्योंकि यह न सिर्फ दिलचस्प ही है बल्कि इसमें बोली जाने वाली हिन्दी इतनी सरल है कि वे लोग जो हिन्दी से अनभिज्ञ हैं जो हिन्दी का क, ख, ग भी नहीं जानते, इसे समझ सकते हैं। इसलिए ऐसी भाषा का विकास किया जाना चाहिए। आप साहित्यिक भाषा को साहित्य के आंकड़ों के लिए छोड़ दें। आपको ऐसी साधारण हिन्दी का विकास करना चाहिए जो सभी द्वारा समझी जा सके।

अब राष्ट्रीय अखण्डता की बात करें। आप जानते हैं कि पंडित जी ने तीन त्रिभाषा फार्मूला तैयार किया और सिर्फ एक या दो राज्यों को छोड़कर इसे लगभग सभी राज्यों ने स्वीकार किया। इस तीन त्रिभाषा फार्मूले के कार्यान्वियन के लिए भारत सरकार ने क्या कदम उठाये हैं। हमारे दक्षिणी राज्यों में ज्यादातर इसे कार्यान्वित किया है। सिर्फ थोड़े से उपलब्ध संसाधनों से हम त्रिभाषा फार्मूले को कार्यान्वित कर रहे हैं। लेकिन क्या मैं पूछ सकता हूं कि हिन्दी भाषी राज्यों में कितने लोग किसी भी दक्षिण भारतीय भाषा को बोल सकते हैं? क्या केन्द्रीय सरकार ने किसी भी तीसरी भाषा को पढ़ाने का प्रयास किया है या मलयालम या कन्नड़ का क, ख, ग भी पढ़ाने का प्रयास किया है? (**व्यवधान**) नहीं, ऐसा नहीं किया गया है। तो आप राष्ट्रीय अखण्डता की आशा कैसे करते हैं? यह स्वीकृत नीति है। त्रिभाषा नीति को एक राज्य नीति के रूप में स्वीकार किया गया है। परन्तु उसी प्रकार उत्तरी राज्यों में एक तीसरी भाषा पढ़ाने का प्रयास नहीं किया गया है। (**व्यवधान**)

मैं अपील करता हूं कि यदि आप देश की एकता और अखण्डता में दिलचस्पी रखते हैं तो मैं अपने सभी हिन्दी भाषी मित्रों से एक दक्षिण भारतीय भाषा, कोई भी गैर हिन्दी भाषा, सीखने की अपील करता हूं। आपको यह सीखनी चाहिए (**व्यवधान**) यही कारण है कि ऐसी धारणा बन गई है कि आप हिन्दी थोप रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : बंगाली या कोई दूसरी भाषा क्यों नहीं?

श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर : मैं कहता हूं कि हिन्दी के अतिरिक्त कोई भाषा जरूरी नहीं कि दक्षिण भारतीय भाषा हो। ज्यादातर राज्यों में कानून राज्य की क्षेत्रीय भाषाओं में बनाए जाते हैं। उदाहरण के लिए तमिलनाडु में तमिल में कर्नाटक में कन्नड़ में इत्यादि। ज्यादातर विधेयक राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए आते हैं। यह अत्यावश्यक है कि आप संविधान में संशोधन लाएं ताकि हमारे पास संविधान की प्रमाणिक प्रतियां सभी क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध हो सकें। मुझे आशा है कि मंत्री महोदय श्री पाणिग्रही चर्चा का उत्तर देते समय, अवश्य एक सकारात्मक उत्तर देंगे और कोशिश करेंगे कि इसे सुनिश्चित करने के लिए अन्य संशोधन लाए जाएं। श्री कौशल ने कहा है कि संविधान का फर्जी भाषाओं में अनुवाद पहले ही हो चुका है (**व्यवधान**) इस मामले में मंत्री महोदय को साथ-साथ संशोधन भी करना चाहिए था। इस विचार से मैं आशा करता हूं कि मंत्री महोदय एक विशेष आश्वासन देंगे कि संविधान को क्षेत्रीय भाषाओं में प्रमाणिक किया जाएगा और इस शर्त के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बालकवि बैरागी।

[हिन्दी]

श्री बालकवि बैरागी (मंदसौर) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं इस संविधान (छप्पनवें) संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूं और इस बात पर खुशी जाहिर करता हूं, व्यक्त करता हूं कि इस सदन में अभी तक जितने भी महानुभाव इस विधेयक पर बोले हैं, वे चाहे किसी भी दल के रहे हों, उन सब ने इस संशोधन विधेयक का विरोध नहीं किया। इस पर उन्होंने अपने सुझाव भी दिए हैं। इससे मुझे ऐसा लगता है कि सभी चाहते हैं कि यह संशोधन विधेयक पास हो और इसको पास करने में सबकी मर्जी है।

मैं आदरणीय सोमनाथ जी को बहुत बधाई देता हूं, उनका धन्यवाद भी करता हूं कि उन्होंने भी इस विधेयक का विरोध नहीं किया। मैं उनसे उम्मीद करता था कि वे कुछ बातें बंगला भाषा में बोलेंगे लेकिन एक बात भी वे बंगला में नहीं बोल पाए। अपने इतने बड़े भाषण में एक बात भी बंगला में नहीं बोले। **(व्यवधान)**

एक माननीय सदस्य : अंग्रेजी का मोह छोड़िए।

श्री बालकवि बैरागी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने सारे क्षेत्र की ओर से निवेदन करना चाहता हूं कि हमने किसी ने भी इस सदन में यह नहीं कहा कि इस देश की किसी भी भाषा की उन्नति न हो। हम तो यह चाहेंगे कि सारे देश की भाषाओं में संविधान का प्रमाणिक अनुवाद आ जाए। लेकिन मैं इतना भर पाणिग्रही जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जैसा कि कौशल जी ने कहा कि उनके वक्त में यह प्रस्ताव जिसको आज आप लाए हैं और उपहार दे रहे हैं, इस बात का मेरे अग्रज, मेरे बड़े भाई ने उपहास करने की कोशिश की। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जो आपने छापकर दिया है, उसको देख लें, इसको लाने में भी आपने दस महीने देर कर दी, 27 फरवरी 1987 को आप इसको ला चुके थे, लेकिन पूरा एक वर्ष गुजर गया, यह हिन्दी के संयम और शक्ति की पराकाष्ठा है। दूसरी भाषाओं के अनुवाद के बारे में पूछा गया है तो अगर हम बचकाना उत्तर देना चाहते तो यह दे सकते थे कि जब हिन्दी को 38 वर्ष तक प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है तो बाकी भाषाओं को भी कम से कम 38 वर्ष प्रतीक्षा करने दो, लेकिन हम यह उत्तर नहीं देना चाहेंगे। हम चाहेंगे कि समस्त भाषाओं में अनुवाद हो, वे संपुष्ट हों, संपूर्ण हों, और इस देश में आगे आएं। मैं आपके माध्यम से सोमनाथ दादा से निवेदन करना चाहता हूं, उन्होंने यह कहा कि केवल 4 हाईकोर्ट में हिन्दी का अनुवाद पेश किया जाएगा तो क्यों इसके लिए इतना कर रहे हैं, मैं क्या कहूं सोमनाथ जी से, मेरे बड़े भाई हैं, पितातुल्य हैं।

(व्यवधान)

मेरे पितातुल्य हैं, यह कहने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वे क्यों संविधान का अनुवाद बंगला में करवा रहे हैं, यह तो सिर्फ एक ही हाईकोर्ट में चलेगा, केवल कलकत्ता में चलेगा, तमिल का केवल मद्रास में चलेगा। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह न्यायालय के लिए नहीं है, लोगों को जानना चाहिए कि संविधान क्या है।

[हिन्दी]

श्री बालकवि बैरागी : आप उधर बात करिए, मुझसे क्यों बात करते हैं मेरे पूज्य पिताजी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत कम समय लूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा। सोमनाथ जी संविधान के इतने बड़े भाष्यकार हैं, वकील हैं, उन्होंने हिन्दी का उपहास करते हुए टेनिस के अनुवाद के बारे में कुछ कहा पटापट गेंद वगैरह कुछ···। (**व्यवधान**)

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, मैं इसे स्पष्ट करता हूं। मैंने कहा कि अनुवाद उचित अनुवाद होना चाहिए। टेनिस की तरह अनुवाद नहीं होना चाहिए।

[हिन्दी]

"घास के ऊपर गेंद पटापट।"

[अनुवाद]

संविधान का अनुवाद ऐसा नहीं होना चाहिए। अनुवाद उचित होना चाहिए। मैं हिन्दी की आलोचना नहीं कर रहा हूं। मेरे दोस्त गलत समझ रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री बालकवि बैरागी : मैं निवेदन करना चाहता हूं, मैंने पहले भी कहा था और श्री मिर्धा जी ने उत्तर दिया था, मैंने कहा था कि इस देश में हिन्दी के खिलाफ एक साजिश चल रही है कि इसको जितना कठिन हो सके, उतना कठिन बना दिया जाए, ताकि अहिन्दी क्षेत्र वाले कठिन भाषा के नाम पर इसको अस्वीकार कर दें। सरकार की बैंचों से इसका उत्तर दिया गया था कि ऐसी साजिश नहीं है और हिन्दी सरल होगी। जैसा अय्यर साहब ने कहा, मैं उनकी बात से सौ फीसदी सहमत हूं कि हिन्दी सरल होनी चाहिए और सबकी समझ में आनी चाहिए। आज अगर हम दूसरी भाषाओं के शब्द हिन्दी में चला रहे हैं तो माननीय सदस्यों को इसका बुरा नहीं मानना चाहिए। मैं आज इसको एक उपहार मानता हूं जो आप 38/40 साल के बाद दे रहे हैं, इसको हम एक उपहार के रूप में स्वीकार करते हैं। हमारे पूर्वजों ने संविधान के हिन्दी और अंग्रेजी अनुवादों पर दस्तखत किए, वे कम से कम हम से ज्यादा बुद्धिमान और दूरदर्शी थे, उनके एक हाथ को आपने सम्मान दिया और दूसरे को नहीं दिया, लेकिन आज भी हम इसको उपहार के तौर पर स्वीकार करते हैं।

दूसरी भाषाओं के शब्दों के उपयोग का कारण यह है कि हिन्दी की पाचन शक्ति बहुत है, हिन्दी ने उनको जब पचा लिया तो अब उनको कैसे निकालें, उनको हम बाहर नहीं निकाल सकते। हम एक मुकाम पर इनका वन्दन करते हैं, जब सारे देश को अंग्रेजी ने पचा लिया, आपने कृपा करके उस चुनौती को स्वीकार किया और देश को अंग्रेजी के पेटे से निकाला और हिन्दी ने अगर 2-4 शब्दों को पचा लिया, स्वीकार कर लिया तो उसका मजाक मत कीजिए। हिन्दी हमारी भाषा है और उत्तम पाचन शक्ति वाली भाषा है। मेरी मां कहती है "ट्रेन लेट है"। इसमें एक भी शब्द हिन्दी का नहीं है। लेकिन मेरी मां, बाप, बेटा और हम सब समझते हैं। अगर ये मजाक अंग्रेजी में करें तो मुझे इतना ही कहना है कि उस अंग्रेजी का क्या करेंगे जब एक बिना पढ़ा-लिखा देहात का आदमी मुझे अपनी बेटी की शादी का कार्ड भेजता है और शान से अंग्रेजी में लिखता है—

'काइंडली कम एंड एटेंड माई डाटर्स वेडिंग सेरिमनी।

[अनुवाद]

क्या यह ठीक है ?

[हिन्दी]

अगर आप मजाक करने लगेंगे तो मजाक हर भाषा का हो जाएगा । आप चाहें तो कार्यवाही में से निकाल दीजिए । मैं, कुलनदईवेलू जी से हार्दिक निवेदन करना चाहता हूं, अपील नहीं करना चाहता हूं । इन्होंने कहा है कि मद्रास में कोई भी हिन्दी नहीं बोलता है । मैं कहता हूं, हुजूर, मुझसे मिलो । मैं हिन्दी का एक छोटा सा कवि हूं और बालकवि बैरागी मेरा नाम है, मध्य प्रदेश में रहता हूं और आपकी ठीक पीठ पर बैठा हूं, यह कहना चाहूंगा कि हर साल मद्रास में दो कवि सम्मेलन हिन्दी में पढ़ता हूं । मद्रास ही इलाका है, वह शहर है जहां हिन्दी के एक-एक कवि सम्मेलन के टिकट का मूल्य पाच सो रुपए होता है । मैं अर्ज करना चाहता हूं, अगर यह सदन और इस सदन का कोई सदस्य यह कहे कि हिन्दी "ग्रामरलैस लैंग्वेज" है तो मैं ग्यारह दिसम्बर तक का समय इनको देता हूं । वे, भारतवर्ष की कौन सी भाषा में हिन्दी का व्याकरण चाहते हैं, मुझसे बात कर लें । मैं उनके घर पर आकर उनकी अर्पित कर दूंगा । मैं कहना चाहूंगा कि हिन्दी ग्रामरलैस लैंग्वेज नहीं है । अपने ज्ञान में वर्द्धन कर लीजिए । हिन्दी के पास ग्रामर है । यह अलग बात है कि हम उसका उपयोग करें या न करें । मैं कोशल साहब को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने आज इस पुराने क्षण को याद दिलाया । हम इसको आपका उपहार मानते हैं । अभिशाप, अंग्रेजी का इस देश में चल रहा है । वह बन्द हो गया है और उपहार हमारी मां का है, वह कैसा भी हो, हमें स्वीकार हो जाएगा । हमें खुशी है और हम बहुत आभार मानते हैं । मेरे एक विद्वान मित्र ने कहा कि यह देश अपढ़ लोगों का देश है । अगर अपढ़ लोगों का देश है तो अंग्रेजी को क्यों बढ़ावा दे रहे हैं, हिन्दी को चलने दीजिए । अपढ़ लोग बड़े विचित्र हैं, अंग्रेजी समझते हैं और हिन्दी नहीं समझते हैं । यह आपका कौन सा तर्क है, मेरी समझ में नहीं आया । सत्तर प्रतिशत महिलाएं अंग्रेजी समझती हैं और हिन्दी नहीं समझतीं, यह तर्क मेरी समझ में नहीं आता और किसी के गले नहीं उतरने वाला है । कामन मैन से चाहे कितना विरोध करें, बहुत आसान बात है । क्या हिन्दी का विरोध करने से सरकार बनेगी । ये हिन्दी का विरोध करेंगे, हमें आपत्ति नहीं होगी यह हिन्दी का समर्थन करके सरकार बनाएंगे तो हमें आपत्ति नहीं होगी । लेकिन एक बात याद रखिए । हमने 38 साल इंतजार किया और 38 सालों में हमने कोशिश की और देखा कि कौन सी भाषा हिन्दी के बदले में इस देश में उभरकर ऊपर आ सकती है, लिंक लैंग्वेज के तौर पर । इन 38 सालों में एक भी भाषा उभरकर नहीं आई और जो भाषा आई, वह हिन्दी है । अगर आज उसका विरोध किया जाता है तो हमें तकलीफ होती है । हमसे कहा गया कि यह चुनाव में काम आएगी । हम इस भाषा का चुनाव में उपयोग नहीं करेंगे । चुनाव के लिए राजनीति की भाषा अलग होगी है । बगैर इस भाषा के भी इस देश में कांग्रेस ने सात सरकारें बनाई हैं और आगे फिर बन जाएंगी । मुझे माफ कर देना, आपने जो सरकारें बनाई हैं अगर बंगाल में वोट लेने के लिए जाते हैं तो बंगला में बोलते हैं, तमिलनाडु में तमिल, केरल में मलयालम, कर्नाटक में कन्नड़ और आसाम में असमिया बोलते हैं ।···(**व्यवधान**)

श्री जी० एम० बनातवाला (पोनान्नी) : मैं केरल से बगैर मलयालम बोले भी जीतकर आया हूं ।

श्री बालकवि बैरागी : आप शायर मिजाज आदमी हैं । आपने जिस भाषा का प्रयोग किया वह आपकी आखों और दिल की भाषा थी, मोहब्बत की थी, जज्बात की थी जिसने आपको जिताया और

यहां भेज दिया। हम अपने-अपने प्रदेश में अपनी-अपनी भाषा में बोलकर सरकारें बनाते हैं। लेकिन जब पार्लियामेंट में आते हैं तो पता नहीं अपने सिर के ऊपर बैठने वाले किन लोगों से डर जाते हैं और अंग्रेजी में शुरू हो जाते हैं। माननीय उपाध्यक्ष जी, आप एक महीने के लिए इस देश में अंग्रेजी के अखबार बन्द करवा दीजिए। ये सब लोग हिन्दी में या अपनी-अपनी भाषा में बोलने लगेंगे। मेरी ओर से, बाल-बच्चों की ओर से, मेरी पीढ़ियों की ओर से और मेरे अबोध पिता की ओर से पाणिग्रही जी को बधाई कि आप यह ला रहे हैं और हमको भेंट दे रहे हैं।···(**व्यवधान**) हम राजीव सरकार का और राजीव जी का अभिनन्दन करते हैं और आपको धन्यवाद देना चाहते हैं।···(**व्यवधान**)

3.00 म० प०

केवल एक भाषा सीखें। हम तो चाहते हैं कि बंगाल का बेटा, बंगाल ने हिन्दी को पाला है, गुजरात ने हिन्दी को पाला है, तमिलनाडु और केरल में हिन्दी पली है, वहां के लोगों ने पाला है हिन्दी को। हम चाहते हैं कि इस पवित्र भावना का परिचत इस सदन में सभी दें। संविधान का अनुवाद हुआ, 38 साल बाद ही सही, लेकिन अपने पुरखों के श्राद्ध के तौर पर और हिन्दी की सेवा के तौर पर स्वीकार करें।

इन शब्दों के साथ मैं आपको बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं और आपका समर्थन करता हूं।

[**अनुवाद**]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री कुलनदईवेलू।

श्री तम्पन थामस : महोदय, श्री कुलनदईवेलू को तमिल में बोलने दें, ताकि तमिल समझने वाले अन्य सदस्य भी समझ सकें। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वे तमिल में बोलें···(**व्यवधान**)

डॉ० एस० जगतरक्षकन (चेंगलपट्टु) : महोदय, यदि आपके पास अनुवादक है, तो वे तमिल में बोलेंगे···(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपा व्यवस्था बनाए रखिए···

[**हिन्दी**]

श्री भागवत झा आजाद (भागलपुर) : मैं इनका समर्थन करता हूं। मैं भी चाहता हूं कि वे तमिल में बोलें।

[**अनुवाद**]

डॉ० एस० जगतरक्षकन : क्या आपको अनुवादक मिल गया है···(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवस्था बनाए रखिए। कृपया मेरी बात सुनें। आप अनावश्यक रूप से समस्याएं क्यों पैदा कर रहे हैं। मत बात उन पर छोड़ दें कि वे हिन्दी, तमिल या मलयालम किसमें बोलना चाहते हैं। आप तमिल में बोलने के लिए ही क्यों बल दे रहे हैं। यह उनकी इच्छा की बात है। अन्यथा उन्हें प्रश्न काल और किसी भी मौके पर तमिल में बोलना पड़ेगा। आप उन्हें मजबूर क्यों कर रहे हैं। यह उन पर छोड़ दें। अनावश्यक रूप से समस्याएं पैदा न करें।

श्री पी० कुलनदईवेलू (गोबिचेट्टिपालयम) : उपाध्यक्ष महोदय, यह विधेयक गलत समय पर लाया गया है···(**व्यवधान**)

वास्तव में, हमारे मंत्री महोदय ने इस विधेयक को प्रस्तुत करने और इसे पारित करवाने के लिए गलत समय चुना है। एकता लाने के बजाय इस विधेयक से फूट बढ़ेगी या देश में अखंडता के बजाय विघटन बढ़ेगा (व्यवधान)। वास्तव में इस विधेयक में संविधान का प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद करने की बात कही गयी है ताकि हिन्दी अंग्रेजी का स्थान ले सके। क्या मैं मंत्री महोदय से जान सकता हूं···(व्यवधान)

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिंतामणि पाणिग्रही) : अंग्रेजी का स्थान लेने के लिए नहीं।

श्री पी० कुलनदईवेलू : ठीक है। कुछ समय गुजर जाने के बाद वे हिन्दी को ला रहे हैं इसलिए यह विधेयक लाया गया है। मैं इस बात को अच्छी तरह जानता हूं···(व्यवधान) ठीक है। महोदय, वे हिन्दी में प्राधिकृत अनुवाद ला रहे हैं। यह हिन्दी किस प्रकार की है या यह हिन्दी किस सबडिवीजन की है, जिसका प्रयोग संविधान के अनुवाद के लिए किया जा रहा है? कृपया मंत्री महोदय यह बताएं। हिन्दी के अनेक सब-डिवीजन हैं, ये तीन सौ से अधिक हैं। खड़ी बोली और अन्य ऐसे ही हैं। यहां तक कि मध्य प्रदेश के रहने वाले उत्तर प्रदेश की हिन्दी नहीं समझते। बिहार और उड़ीसा की हिन्दी बिलकुल भिन्न है···(व्यवधान)। महोदय, मैं पूरे समय धैर्य से काम लेता रहा। मेरे मित्र बहुत कुछ कह रहे हैं। श्री जैनुल बशर और श्री बालकवि बैरागी के भाषणों के कारण मेरे हाथ मजबूत हैं। यह सत्य है कि हिन्दी टूटी-फूटी भाषा है। इसका कोई व्याकरण नहीं है।

[हिन्दी]

श्री नरेश चन्द्र चतुर्वेदी (कानपुर) : कौन कहता है कि हिन्दी बगैर ग्रामर है? आप गलत कह रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री पी० कुलनदईवेलू : यह उन्होंने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। श्री जैनुल बशर ने कहा है कि यह सर्वमान्य तथ्य है कि हिन्दी व्याकरणहीन है···(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवस्था बनाए रखिए।

श्री जैनुल बशर : मैंने ऐसा नहीं कहा है। मैंने कहा है कि···(व्यवधान)

डॉ० एस० जगतरक्षकन : केवल आपने यह बात स्वीकार की है···(व्यवधान)। आपने कहा है कि हिन्दी व्याकरण विहीन है···(व्यवधान) केवल आपने कहा है कि हिन्दी टूटी फूटी भाषा है।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि उन्होंने ऐसा कहा है तो उनका यह आशय कदापि नहीं हो सकता। यदि आप ऐसी कल्पना भी करते हैं, तो भी ऐसा नहीं है।

श्री पी० कुलनदईवेलू : महोदय, वास्तव में यह विधेयक केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत भाषा नीति और गैर हिन्दी क्षेत्रों के लोगों को पण्डित जवाहर लाल नेहरू द्वारा दिए गए आश्वासनों के विरुद्ध है। वास्तव में वह नई पीढ़ी के भाग्य के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। आज आप संविधान का अनुवाद कर रहे हैं, कल आप भारतीय दंड संहिता, सिविल प्रक्रिया संहिता और भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता का अनुवाद करेंगे, क्योंकि देश में अनेक कानून अंग्रेजी में हैं। यदि इन कानूनों का अनुवाद किया गया तो अव्यवस्था और गड़बडी फैलेगी। मैं सदन को एक ऐतिहासिक तथ्य की याद दिलाना

चाहता हूं। महोदय, वर्ष 1965 में तमिलनाडु हिन्दी विरोधी आंदोलन, चला था। वर्ष 1965 में इसी सदन में एक राजभाषा विधेयक प्रस्तुत किया गया था। परन्तु इस विधेयक के कारण तमिलनाडु में आंदोलन शुरू हो गया था जिसके कारण दो केन्द्रीय मंत्रियों, वी० सी० सुब्रह्मण्यम और ओ० वी० अलगेसन ने केन्द्रीय मंत्रिमण्डल से त्यागपत्र दे दिया था। आशंका और तमिलनाडु में आन्दोलन को देखते हुए उन्होंने केन्द्रीय मंत्रिमण्डल से त्यागपत्र दे दिया था। माननीय प्रधानमंत्री, श्री लाल बहादुर शास्त्री ने उनसे कहा था कि आप अपना त्याग-पत्र वापस ले लें और मैं गैर हिन्दी भाषी लोगों को आश्वासन देता हूं कि उनकी भाषा को भी शामिल किया जाएगा और तत्कालीन प्रधानमंत्री पण्डित जवाहर लाल नेहरू द्वारा दिए गए आश्वासन को संविधान में शामिल किया जाएगा। यह आश्वासन श्री लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। मैं जानना चाहता हूं कि क्या वर्तमान मंत्रालय या पिछले मंत्रालय ने इस आश्वासन को पूरा किया है? उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया। माननीय प्रधान मंत्री उस पद पर बैठे हुए हैं, जहां भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री बैठे थे, जहां माननीय प्रधान मंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू बैठे थे। उसी स्थान पर अब आप बैठे हैं लेकिन उनके द्वारा दिए गए आश्वासन अभी तक संविधान में सम्मिलित नहीं किए गए हैं। कृपया आप इसका उत्तर दें।

महोदय, अनेक दिग्गजों जैसे श्री जगन्नाथ कौशल भूतपूर्व विधि मंत्री, श्री सोमनाथ चटर्जी, बार-एट-लॉ और अनेक दिग्गजों ने कानून का अध्ययन किया है और उनकी शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से हुई है, हिन्दी माध्यम से नहीं हुई है। मैं यहां एक तथ्य बता दूं कि हमारे माननीय प्रधान मंत्री ने अपनी शिक्षा इन स्कूल में प्राप्त की है जहां शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी है, हिन्दी नहीं। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? यदि ऐसा मामला है तो आप यहां हिन्दी क्यों लाए हैं? अब इसकी क्या आवश्यकता है? जब अनेक कार्यक्रम ठीक से कार्यान्वित नहीं किए जा रहे हैं, तो इस संशोधन को करने की क्या आवश्यकता है? वास्तव में हमें यहां प्राकृतिक विपत्तियों के संबंध में चर्चा करनी चाहिए जिनका हाल में देश ने सामना किया है। लेकिन यहां महत्व और प्राथमिकता केवल हिन्दी को दी जा रही है। आप यहां इसको प्राथमिकता क्यों देते हैं? नियम 193 के अन्तर्गत देश में प्राकृतिक विपत्तियों पर चर्चा करने के बजाय आपने इस संशोधन विधेयक को प्राथमिकता दी है। ऐसी जल्दी में कार्रवाई क्यों की गई है? अब इस विधेयक को पास करने की क्या आवश्यकता है? यदि यह विधेयक पास कर दिया जाता है, तो आपका कहने का यह अर्थ है कि देश में प्रत्येक व्यक्ति को भोजन मिल जाएगा? क्या आपका मतलब है कि देश में प्रत्येक व्यक्ति का अपना घर हो जाएगा? देश में 60 प्रतिशत से अधिक लोग गरीबी की रेखा से नीचे रहते हैं। आप इस कानून को इस समय लाना क्यों चाहते हैं? वास्तव में तमिलनाडु और गैर हिन्दी भाषी राज्यों द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। क्या आप इसका उत्तर दे सकते हैं? यदि एक भाषा राज भाषा बनाई जाती है, यदि एक भाषा राजभाषा के रूप में मान ली जाती है तो वह पर्याप्त रूप से सम्पन्न भाषा होनी चाहिए और वह एक जानी मानी भाषा होनी चाहिए। यह अवश्य ही ऐतिहासकि रूप से स्वीकृत भाषा होनी चाहिए। मैं जानना चाहता हूं, क्या हिन्दी में ये सभी विशेषताएं हैं। आप भलीभांति जामते हैं एक हिन्दी धारावाहिक रामायण, जो हम प्रति सप्ताह देख रहे हैं, में भी आप तमिल अक्षर देख सकते हैं। विष्णु भी सर्वप्रथम केवल तमिल में पढ़ा गया था। तमिल 2000 वर्षों से भी अधिक पुरानी ऐतिहासिक भाषा है। जब ऐसा है, तब आप तमिल को राजभाषा के रूप में स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं? लेकिन आप केवल हिन्दी को राजभाषा के रूप में स्वीकार करना चाहते हैं। जब संविधान में 15 भाषाओं को मान्यता प्रदाम की गई है, तब आप सभी भाषाओं को

राजभाषा के रूप में स्वीकार क्यों नहीं करते और सभी 15 भाषाओं में संविधान को अनुवादित क्यों नहीं करते ?

उदाहरण के लिए श्रीलंका जैसे छोटे देश को देखें। श्रीलंका में तीन राजभाषाएं हैं अर्थात् नं० 1 सिंहली, नं० 2 तमिल और नं० 3 अंग्रेजी। वह तीन भाषाओं को स्वीकार करते हैं। हमारे देश में 70 करोड़ लोग हैं, लेकिन उनके यहां 1 करोड़ 60 लाख लोग हैं। उन्होंने 3 भाषाओं को राजभाषाओं के रूप में स्वीकार किया है। लेकिन, भारत में 70 करोड़ लोग हैं। हम सभी 15 भाषाओं को राजभाषाओं के रूप में स्वीकार क्यों नहीं कर लेते ? उदाहरण के लिए, सिंगापुर को लें। उनके यहां सरकारी राजभाषाओं के रूप में तीन भाषाएं हैं। मलेशिया में, तीन राजभाषाएं हैं। हम यहां ऐसा क्यों नहीं करते हैं ? आप इसे भारत के लिए सिद्धान्त रूप में स्वीकार क्यों नहीं करते जोकि बहु-भाषाई और बहु-जातीय विशाल देश है। आपका भोजन और मेरा भोजन काफी भिन्न है। आप अधिक मसाले प्रयोग नहीं करते लेकिन हम प्रयोग करते हैं। जब भारत में ऐसा है तो आप तमिल अथवा मलयालम अथवा तेलुगू अथवा कन्नड़ अथवा बंगला को राजभाषा के रूप में स्वीकार क्यों नहीं करते ? यह सभी भाषाएं सरकारी स्तर बनाए रखने के लिए अच्छी सम्पन्न हैं। इन भाषाओं को अवश्य ही स्वीकार किया जाना चाहिए।

अब एक भाषा के लिए कितना व्यय हो रहा है। आप केवल हिन्दी के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। आप धन कैसे प्राप्त करते हैं। हम कर दे रहे हैं। अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में भी लोग कर दे रहे हैं और यह कर की राशि केवल एक भाषा अर्थात् हिन्दी के लिए खर्च की जा रही है। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं ? ऐसा क्यों है। मैं कहता हूं जब आप इस प्रकार का कानून ला रहे हैं, जब आप इस प्रकार का विधेयक ला रहे हैं तो वहां एकता की बजाय फूट पैदा होगी, अखंडता की बजाय अनेकता आएगी। यही कारण है कि मैं इस पर बल दे रहा हूं। मैं विधेयक का विरोध करता हूं क्योंकि आप तमिल और अन्य भाषाओं को बिल्कुल प्राथमिकता और प्रधानता नहीं दे रहे हैं। वास्तव में मूल अधिकारों से हमें वंचित रखा जा रहा है। हमें केन्द्रीय सरकार के सम्मुख अनुरोध करने का अधिकार प्राप्त है। हमें अपनी भाषाओं को समान स्थान देने के लिए केन्द्रीय सरकार पर दबाव डालने का पूरा अधिकार है। जब ऐसा है तो आप वह महत्त्व क्यों नहीं दे रहे हैं ?

जहां तक इस मामले का संबंध है, यह बहुत संवेदनशील और नाजुक मामला है। इस तथ्य को न भूलें कि दक्षिण में तमिलनाडु में ही नहीं बल्कि बंगाल और अन्य राज्यों में भी यह संवेदनशील और नाजुक मामला है। हिन्दी कट्टर पंथियों को संतुष्ट करने के लिए आप यह विधेयक लाए हैं। अत: मैं इस सरकार की निन्दा करता हूं। आपने यह विधेयक दिन में इतने देर में क्यों रखा है ? इसकी क्या आवश्यकता है ? हम श्रीलंका में सामने आ रही समस्याओं को सुलझाने में समर्थ नहीं हैं। युद्ध-विराम का क्या हुआ ? कल 7 बजे तक वहां युद्ध-विराम रहा ? इसके बाद क्या युद्ध-विराम जारी रहेगा अथवा नहीं हम नहीं जानते। हमें बताया नहीं गया। कोई मंत्री भी यहां यह वक्तव्य देने के लिए उपस्थित नहीं है कि अन्य लड़ाई जारी है अथवा युद्ध विराम जारी है। जब ऐसा है, आप ऐसा विधेयक क्यों लाते हैं ? मैं आपको एक तथ्य बताऊंगा। मेरे माननीय मित्र, श्री चतुर्वेदी कह रहे थे कि अंग्रेजी देश से जानी चाहिए। जब अंग्रेजी देश से जाती है तो अनेक दिग्गजों को देश से जाना होगा। क्या आप इसे स्वीकार करते हैं ? मैं श्री चतुर्वेदी की मन: स्थिति जानता हूं क्योंकि हमारे माननीय प्रधान मंत्री की शिक्षा अंग्रेजी में हुई है। यही कारण है कि वह इस देश से अंग्रेजी के जाने पर बल देते हैं। क्या ऐसा नहीं है ?

मैं आपको एक तथ्य बताता हूं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र प्रसाद ने कहा था :—

"अंग्रेजी भाषा ने हमें निकट और निकट लाई है।"

आप इसके बारे में क्या कहते हैं ? अंग्रेजी भाषा ने स्वतंत्रता संग्राम में हमारी मदद की है। क्या आप सहमत नहीं हैं ? आप अंग्रेजों जैसे कपड़े पहन रहे हैं ? आप अंग्रेजी बोल रहे हैं लेकिन इस समय हमारे श्री चतुर्वेदी कहते हैं कि अंग्रेजी इस देश से जानी चाहिए। यह कैसे हो सकता है ?

(व्यवधान)

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि दक्षिण में तमिल लोगों की आकाक्षाएं पूरी की जानी चाहिए।

पंडित जवाहर लाल नेहरू और श्रीमती इंदिरा गांधी ने इस सदन में बहुत बार आश्वासन दिया है कि जब तक अहिन्दी भाषी चाहेंगे अंग्रेजी बनी रहेगी। यह पंडित जवाहर लाल नेहरू ने कहा था। यह आश्वासन हमारे संविधान में सम्मिलित किया गया है। इसके अतिरिक्त, सभा में प्रश्नकाल में भी हमें क्षेत्रीय भाषा, हमारी मातृभाषा में प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं है। ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों किया जाता है ? इस सभा में केवल अंग्रेजी और हिन्दी में साथ-साथ अनुवाद किया जाता है क्षेत्रीय भाषा में नहीं। मुख्य प्रश्न और अनुपूरक प्रश्नों को क्षेत्रीय भाष में पूछना सम्भव होना चाहिए और सभा को प्रत्येक सदस्य को अपनी भाषा में बोलने के लिए मदद करनी चाहिए। धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री योगेश्वर प्रसाद योगेश (चतरा) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे पाणिग्रही जी जो विधेयक लाए हैं यह भारतीय एकता के लिए, राष्ट्रीय एकता के लिए काफी लाभप्रद है। पाणिग्रही जी जब राज्य सभा में हिन्दी में भाषण कर रहे थे तो सारे भारत के लोगों ने इसका बड़ा स्वागत किया और अखबारों में इसकी प्रशस्ति में सारी बातें आईं। अभी जिन मित्रों ने अंग्रेजी की प्रशस्ति में इतनी सारी बातें कही हैं उनको मैं याद दिलाना चाहता हूं, वह यह समझें कि जब वह विदेशों में जाकर अपनी भारतीय भाषा नहीं बोलकर अंग्रेजी में बोलते हैं तो इनकी स्थिति या इनका सम्मान किस प्रकार से होता है, उनके प्रति मन में जिस प्रकार का अवमूल्यन होता है उसको भी सोचने की आवश्यकता है।

रूस के जो भी बड़े-बड़े राजनेता आते हैं, अपनी भाषा में बोलते हैं। दूसरे देशों के राजनेता भी यहां अपनी भाषा में बोलते हैं लेकिन पोलिटिकल पार्टीज के लोग जो हैं, श्री सोमनाथ चटर्जी के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि इन्हीं के प्रदेश से एक आदमी, एक कामरेड रूस में गया था उसने जब रूस में अंग्रेजी में भाषण देना शुरू किया तो वहां श्रोताओं में से एक व्यक्ति ने कहा "अरे मोशाय, आपनी बांग्ला भाषा में बेनलो केनो" आप बंगला में ही क्यों नहीं बोल रहे हैं। तो यह अंग्रेजी में भाषण देने वाले लोग सचमुच में यह समझते हैं कि यह रौब डालने वाली भाषा है और इसकी वजह से जो लोग अपनी मातृभाषा में अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति कर सकते हैं उनके प्रति भी एक इन्फीरियोरिटी की प्रवृति, एक हीन भावना पैदा करना चाहते हैं।

इनके सम्बन्ध में मैं एक बिहारी का दोहा कोट करना चाहता हूं। बिहारी जी ने कहा है कि "अरे मेरी बीर जैसे तैसे इन आंखिन ते भड़ गयो, अबीर पे अहीर तो कढ़्यो नहीं"।

यानी एक गोपी की आंख में अबीर का टुकड़ा गिर गया तो एक दूसरी गोपी ने अपने आंचल के छोर से जब अबीर का टुकड़ा निकाल कर पूछा सखी, अब कैसा लग रहा है तो उसने कहा कि अबीर का टुकड़ा तो आंख से निकल गया अहीर का छोकरा दिल से नहीं निकला।

उसी प्रकार से हमारे जो लोग अंग्रेजी भाषा बोलने वाले हैं—इस देश से अंग्रेज तो चले गए लेकिन उनके मन में अभी भी अंग्रेजियत बरकरार है। मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप इसी तरह से अंग्रेजियत को अपने मन में पालपोस कर रखेंगे तो भारत में कभी एकता नहीं आयेगी। हिन्दी के नाम पर देश में आप जिस तरह से एकता पैदा करना चाहते हैं उससे डिसइंटिग्रेशन आयेगा और देश टूटेगा। आपके लिए और हमारे लिए शर्म की बात है कि अंग्रेजी हम लोगों को जोड़ कर रख रही है, एक विदेशी भाषा हम लोगों को जोड़कर रख रही है। इससे अधिक दुर्भाग्य की बात और कोई नहीं हो सकती है। (व्यवधान) लोगों ने कहा कि आप तमिल में बोलिए लेकिन आप तमिल में नहीं बोल सके। आपने अपनी मातृभाषा का समादर नहीं किया। (व्यवधान) मैं जानता हूं तमिल के बारे में कहा जाता है, तमिल में बोलने की देवताओं में भी श्रद्धा है लेकिन अफसोस की बात है कि आपने तमिल में भी बोलने की श्रद्धा नहीं हुई। आपने इतना भी कष्ट नहीं उठाया। उपाध्यक्ष महोदय, तमिल एक श्रेष्ठ भाषा है लेकिन इस सारे देश को जोड़ने की अगर कोई भाषा है तो हिन्दी है। आज जितने हिन्दी भाषी लोग हैं उनमें बड़ा समादर है भाषा के लिए और इसका साहित्य बड़ा सम्पन्न है। लेकिन जब कभी एकता की बात होती है, जब कभी हिन्दी की बात आती है तो कुछ खास चन्द किस्म के लोग हैं जो एकता टूटने का भय दिखाते हैं। आज मैं तमिलनाडु प्रदेश की बात बताता हूं कि वहां पर किस प्रकार की लोगो में भावना है। जब वहां पर आम लोगों से बात की जाती है तो वे कहते हैं हिन्दी से हमारा कोई विरोध नहीं है। चन्द मुट्ठी भर ऐसे लोग हैं जो अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग हैं, जो घन्नासेठ हैं, जो पूंजीपतियों के साथ मिले हुए होते हैं वही इस प्रकार की भावनाओं को उभारने की कोशिश करते हैं अन्यथा तमिलनाडु प्रदेश में या दक्षिण भारत में आम लोगों में हिन्दी के प्रति विद्वेष की भावना नहीं है। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि ऐसे चन्द लोगों की भावनाओं की परवाह नहीं की जानी चाहिए। ये खुद अपने प्रदेश के लोगों की भावनाओं की कद्र नहीं कर सकते हैं। उनकी भावनाओं की पूर्ति भी ये यहां पर नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए मैं अधिक समय न लेते हुए यही कहना चाहूंगा कि पाणिग्रही जी देश की अखण्डता को बरकरार रखने के लिए, देश के हित में जो संविधान संशोधन विधेयक लाए हैं उसका मैं आदर करता हूं और स्वागत करता हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्रीमती गीता मुखर्जी। महोदया, कृपया अपना भाषण संक्षिप्त रखें, क्योंकि मंत्री महोदय उत्तर देना चाहते हैं।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : महोदय, उस मामले में आपको अन्य लोगों पर नियन्त्रण रखना चाहिए था। **(व्यवधान)** महोदय, भारतीय संविधान में अंग्रेजी तथा हिन्दी दोनों भाषाओं के प्रयोग की व्यवस्था की गई थी और हमें यह दृष्टिगोचर होता है कि भविष्य में हम विदेशी भाषा के स्थान पर एक राष्ट्रीय भाषा ला सकेंगे। दुर्भाग्यवश, हम ऐसा नहीं कर पाये हैं। केवल हिन्दी को ही राजभाषा बनाया गया है। **(व्यवधान)** वास्तविक स्थिति यही है। यह एक काफी संवेदनशील प्रश्न है। इसलिए, हमें छिछोरापन नहीं दिखाना चाहिए। **(व्यवधान)** मैं कामना करता हूं कि सभी संसद सदस्यों को एक शपथ लेनी चाहिए कि वे अपने बच्चों को किसी भी अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में नहीं भेजेंगे। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : यहां चुनौतियां मत दीजिए ।

श्रीमती गीता मुखर्जी : महोदय, मैं विधेयक का समर्थन करती हूं । जहां तक इस मामले का सम्बन्ध है हमारा आपके साथ कोई झगड़ा नहीं है । परन्तु, महोदय, मैं अन्य दावों का भी समर्थन करती हूं जो काफी न्यायोचित है कि सभी अन्य भारतीय भाषाओं में भी प्राधिकृत अनुवाद उपलब्ध कराया जाना चाहिए । कुछ सीमा तक यह कार्य पहले ही किया जा चुका है । उचित शुद्धियों आदि सहित प्राधिकृत अनुवाद कराने का प्राधधान होना चाहिए । यह प्रावधान वहां होना चाहिए था ।

वर्तमान परिवर्तनशील स्थिति को देखते हुए मैं इस विधेयक का समर्थन करती हूं । यदि मैं किसी अन्य विस्तार में जाऊं तो मुझे माफ कर देना । यह अनुवाद के सम्बन्ध में संविधान संशोधन है । मेरे विचार में अनुवाद काफी महत्वपूर्ण है । इस अवसर पर जब हम संविधान संशोधन विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं, क्या हमें स्वयं संविधान तथा इसके विभिन्न उपबन्धों को स्मरण नहीं करना चाहिए और यह देखना चाहिए कि उनका किस हद तक पालन किया जा रहा है—केवल रूप विधान की दृष्टि से नहीं बल्कि व्यवहारिक दृष्टि से भी । जब आप यह पाएंगे तो आप शर्मिन्दा हो जाएंगे कि जहां तक निर्देशक सिद्धांतों का सम्बन्ध है, अब तक उनका अधिक पालन अनुपालन की बजाय उल्लघन करके किया गया है । जीविका के पर्याप्त साधनों के अधिकार को ही लें । क्या राज्य को उस ढंग से निदेश दिया जा रहा है ? क्या उसकी गारंटी दी गई है ? जी, नहीं । तब समुदाय की सामग्री संसाधनों का स्वामित्व तथा नियंत्रण इतने बढ़िया तरीके से बांटा जाना चाहिए ताकि आम आदमी के उद्देश्य की पूर्ति हो सके । क्या ऐसा किया जा रहा है ? जी, नहीं अब तक कोई भूमि सुधार नहीं किया गया है । तब आर्थिक प्रणाली का परिचालन इस ढंग से किया जाना चाहिए कि धन एक जगह एकत्र न हो सके । परन्तु राज्य को इस ढंग से चलाया जा रहा है कि धन का केन्द्रीयकरण हो रहा है । इसके बाद, पुरुषों तथा महिलाओं दोनों के लिए समान कार्य के समान वेतन—यह बात भी वास्तविकता से काफी परे है । तब कामगारों पुरुषों तथा महिलाओं के स्वास्थ्य और शक्ति और बच्चों की सुकुमार आयु का दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए । परन्तु क्या हो रहा है ? उनका प्रतिदिन, प्रति मिनट दुरुपयोग किया जा रहा है । इसलिए, मैं इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगी कि इस अवसर पर संविधान को याद किया जाना चाहिए । जीविका के पर्याप्त साधनों का तात्पर्य काम करने के अधिकार से है···।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त करने का प्रयास करें ।

श्रीमती गीता मुखर्जी : महोदय, आप मुझे समय नहीं दे रहे हैं । इसलिए, मैं विस्तारपूर्वक नहीं बोल रही हूं । मैं समझती हूं कि इस अवसर पर प्रत्येक वक्ता कम से कम संविधान का उल्लेख करेगा और वास्तव में ऐसा राज्य बनाने की शपथ लेगा जो वास्तव में इन निर्देशक सिद्धान्तों का पालन करे । वर्तमान सत्तारूढ़ दल इस कार्य के लिए पूर्णतया असफल है । (**व्यवधान**) इसलिए, मैं यह कहूंगी । संविधान का प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद तो ठीक है, परन्तु साथ ही अन्य मान्यताप्राप्त सभी क्षेत्रीय भाषाओं में भी संविधान के प्राधिकृत अनुवाद की व्यवस्था होनी चाहिए । (**व्यवधान**) अन्त में, परन्तु अन्तिम नहीं, मैं यह याद दिलाना चाहती हूं कि नेपाली, मणिपुरी तथा कोंकणी जैसी कुछ भाषाओं को, तुरन्त मान्यता दी जानी चाहिए । (**व्यवधान**)

श्री भद्रेश्वर तांती (कलियाबोर) : महोदय, मैं मंत्री महोदय को यह संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत करने के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा और मैं इसका समर्थन करता हूं ।

महोदय, यह कहा जाता है कि भारत का संविधान हमारे महान देश की जनता की बाईबल

है। इसे 26 नवम्बर, 1949 को स्वीकृत किया गया था। यदि ऐसी बात है, यदि वह हमारे देश की जनता की बाईबल है तो हमारे देश के कितने लोग इस बाईबल के बारे में जानते हैं ? क्या इस विशिष्ट बाईबल की लोगों का शिक्षा देना सरकार की वचनबद्धता नहीं है ? श्री सोमनाथ चटर्जी ने कहा है कि 76 प्रतिशत हमारी माताएं तथा बहनें अशिक्षित हैं। अब आप इस विधेयक को ला रहे हैं। इससे किसको लाभ होगा ? उसे कौन पढ़ेगा ? आपके द्वारा यह विधेयक लाने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु इसे कौन पढ़ेगा ? क्या संविधान के अन्तर्गत यह गारंटी नहीं दी गई है कि इस देश की जनता को शिक्षा दी जाएगी ? हमारी महिला कामगार बीड़ी कामगार, गलियों में बेकार घूमने वाले व्यक्ति सभी लोग आज अशिक्षित हैं; वे वर्तमान कानून के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। औद्योगिक मजदूर श्रमिक कानूनों तथा उनके लिए स्वीकृत अन्य कानूनों के बारे में कुछ नहीं जानते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त करने का प्रयास करें।

श्री भद्रेश्वर तांती : महोदय, कृपया मुझे दो मिनट का समय दीजिए। महोदय, आपने उन कानूनों को देखा है जो सरकार द्वारा पिछले 40 सालों से बनाये गये हैं, वे हमारे देश की अधिकांश जनता के लिए और कुछ नहीं बल्कि उपेक्षणीय वस्तु है। यह बेकार कानून है क्योंकि लोग शिक्षित नहीं हैं। हमारे देश की अनपढ़ जनता के लिए कानूनों की भरमार है। आप कानून बनाने में सिद्धहस्त हैं परन्तु आप कानून को कार्यान्वित न करने में भी सिद्धहस्त हैं। आप एक अपराध करते हैं और न्यायालय में जाकर कहते हैं, "मैं कानून के बारे में कुछ नहीं जानता हूं। इसलिए मैंने यह अपराध किया है।" परन्तु एक कहावत है कि 'कानून की अज्ञानता बचाव नहीं है।' जब तक लोगों को शिक्षित नहीं किया जाता ये कानून बेकार हैं। मेरा सरकार से अनुरोध है कि जब आप लोगों के लिए कानून बना रहे हैं परन्तु देश की जनता को शिक्षित करने की बात को भी याद रखिये। अन्यथा ये कानून कुछ न बनकर रद्दी कागज के टुकड़े भर रह जाएंगे।

[हिन्दी]

श्री सी० जंगा रेड्डी (हनमकोंडा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और यह जो बिल आप लाये हैं, वह बहुत संतोष की बात है। राष्ट्रभाषा वह भाषा हो सकती है, जो हिन्दुस्तानी जुबान में हो। अंग्रेजी कभी हमारी राजभाषा नहीं हो सकती और लिंक भाषा नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती है। हम भूल कर रहे हैं। पालियामेंट में बात करते हुए हम श्रीलंकन तमिल बोलते हैं मगर उनको श्रीलंकन इन्डियन्स बोलने का किसी में दम नहीं है। श्रीलंका में रहने वाले तमिल नहीं हैं, वे इन्डियन हैं, यह बात हम भूल रहे हैं। सेन्ट्रल हाल में जब गोर्बाचेव आते हैं तो अंग्रेजी जानते हुए भी वे रसन भाषा में बोलते हैं लेकिन हमारे प्रधान मंत्री जी अंग्रेजी में बोलते हैं। यह शर्म की बात है। हिन्दी में बात होनी चाहिए। यू० एन० ओ० में भी इन्डियन लैंगुएज में बोलना चाहिए लेकिन हम विदेशों में भी हिन्दी में नहीं बोलते हैं। पालियामेंट में हमारे हिन्दी जानने वाले भाई भी अंग्रेजी में बोलते हैं। प्रोफेसर तिवारी अंग्रेजी में बोलते हैं। यह शर्म की बात है। हिन्दी में बात करने की कोशिश करनी चाहिए। हिन्दी हमारी राष्ट्रभाषा है और भाषा के नाम पर इस देश में आन्दोलन चला और हिन्दुस्तानी के नाम पर गांधी जी इस देश में स्वतन्त्रता लाये। जैसे आन्ध्र प्रदेश में उर्दू के खिलाफ आंध्र भाषा उद्यमम चला, निजाम के खिलाफ एक आन्दोलन चला और निजाम सरकार को हटाया, उसी तरह से भाषा के नाम पर हम लोगों में एकता ला सके और स्वाधीनता प्राप्त कर सके। मेरे मित्र जो बाजू में बैठे हुए हैं, वहां तमिलनाडु में 90 परसेन्ट लोग हिन्दी जानते हैं मगर वोटों की खातिर हिन्दी के खिलाफ ये एक आन्दोलन चला रहे हैं···(व्यवधान)···

छोटी-छोटी दुकानों पर जाइए, बड़ी दुकानों पर जाइए, वे लोग हिन्दी में बोलते हैं और साधारण जानता हिन्दी भी जानती है लेकिन ये हिन्दी के खिलाफ आन्दोलन चलाते हैं वोट लेने के लिए।

[अनुवाद]

डा० एस० जगतरक्षकन : हम इसकी अनुमति नहीं देंगे। यह गलत है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यदि यह असंसदीय है तो हम देखेंगे।

श्री पी० कुलनदईवेलू : आप यह कैसे जानते हैं कि 90 प्रतिशत हिन्दी जानते हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सी० जंगा रेड्डी : मैं अनपार्लियामेंटरी कभी नहीं बोलता हूं।

(व्यवधान)

श्री सी० जंगा रेड्डी : पांच पैसे में पान देगा, वहां किसी से कोई चावल लाएगा, रोटी लाएगा, सब हिन्दी जानते हैं। रिक्शा चलाने वाला हिन्दी जानता है। होटल में रहने वाले सब लोग हिन्दी जानते हैं। मगर वे लोग उन्हें बहका कर के सब लोग आन्दोलन करवाते हैं। इनको अपने यहां लोकल लेंगुएज में सब काम करना चाहिए। **(व्यवधान)**

मैं यह बताना चाहता हूं कि दक्षिण के चार राज्य हैं—केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। लेकिन तमिलनाडु के लोग चित्तूर के बार्डर पर जाकर हिन्दी के विरुद्ध आन्दोलन करने लगे। आंध्र में कभी किसी ने हिन्दी के खिलाफ आन्दोलन नहीं किया। मुझे अफसोस है कि वे लोग बहका कर के वोटों के लिए आन्दोलन करवाते हैं। **(व्यवधान)** किसी को बहका कर हिन्दी का विरोध नहीं किया जाना चाहिए। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री जंगा रेड्डी, कृपया अपना भाषण समाप्त करें। **(व्यवधान)** यही कारण है कि आपको अनुमति दे रहा हूं। जब मैं कहता हूं कि आपको संक्षेप में कहना चाहिए तो आपको संक्षिप्त भाषण देना चाहिए। **(व्यवधान)** मैं उनके भाषण को कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल करने की अनुमति नहीं दे रहा हूं। **(व्यवधान)** अब और कुछ कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं होगा।

(व्यवधान)*

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : महोदय, कृपया मुझे तीन मिनट के लिए बोलने दें।

(**उपाध्यक्ष महोदय** : हर सदस्य समान है। मैं अनुमति नहीं दे सकता।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : उपाध्यक्ष यह युक्तिसंगत नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप हर समय युक्तिसंगत नहीं होने की बात करते हैं। जब मैंने आपको भाषण के लिए बुलाया तो आपने भाषण नहीं दिया।

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

प्रो० सैफुद्दीन सोज : जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। इसमें कोई झगड़ा नहीं है। हिन्दी राष्ट्रभाषा है और इस राष्ट्रभाषा में आईन का तर्जुमा जरूर होना चाहिए और जनाबे सदर के उस पर दस्तखत होने चाहिएं। इसमें मुखालिफत की बात कोई नहीं है। जो लोग इसकी मुखालिफत करते हैं वे हिन्दुस्तान की यकजहती की मुखालिफत करते हैं।

मैं इस मौके पर इस एवान में यह बताता चाहता हूं कि इस मुल्क में दिलों को जोड़ने की बात होनी चाहिए और जब जुनू को जोड़ना होता है तो हमें जुबान के मसले पर जरा फराखदिली की बात करनी चाहिए। आप जब हिन्दी की बात करते हैं तो मैं कहना चाहता हूं कि हिन्दी और उर्दू एक हैं। हिन्दुस्तान की आजादी की तवारीख में उर्दू के नगमे ने, उर्दू की नजम ने, उर्दू की गजल ने, उर्दू के काफिये वे, हसरत मोहानी से लेकर जवाहर लाल नेहरू तक, जंगे आजादी में कमाल किया था। इस शायरी के लिए महात्मा जी ने उर्दू सीखी। उन्होंने हिन्दुस्तानी का नाम इसको दिया। इसलिए मैं उर्दू की वकालत नहीं कर रहा हूं, सिर्फ दरख्वास्त कर रहा हूं।

यहां पर कई लोगों ने कहा, गीता मुखर्जी ने, सोमनाथ चटर्जी ने और दूसरे लोगों ने भी इस बिल का समर्थन किया। मैं भी इस बिल को बहुत जरूरी कहता हूं। उन्होंने कहा इस विल को इससे पहले आना चाहिए था। मैं भी इसकी हिमायत करता हूं कि यह बिल इससे पहले आना चाहिए था। लेकिन मैं इस मौके पर आपसे एक दरख्वास्त करता हूं कि हमारे आईने के आठवें शैड्यूल में जितनी जबानें हैं उन सब जबानों में इसका तर्जुमा होना चाहिए। मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूं। इस वक्त हमारे जनाब वजीरे आजम यहां तशरीफ रखते हैं। आपने रूस में कजाकिस्तान का नाम सुना होगा। मैं तो कजाकिस्तान गया नहीं। लेकिन वहां करीब दस लाख लोग रहते हैं और उन दस लाख लोगों की दस जबानें हैं। लेकिन सोवियत रशिया ने यह कोशिश की कि उन दस जवानों की प्रमोशन हो, और उन दस जबानों में वहां किताबें मिलती हैं। हर जबान की किताब मिलती है। हमारा मुल्क जब गरीबी से जंग करके आगे बढ़ रहा है, अमीरी की तरफ बढ़ने के लिए हमारे कदम उठ रहे हैं तो मैं दरख्वास्त करूंगा कि यही काफी नहीं है कि इसका तर्जुमा तमाम जबानों में हो···(**व्यवधान**)

پروفیسر سیف الدین سوز: جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب۔ میں اس بل کا
سمرتھن کرتا ہوں۔ اس میں کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ ہندی راشٹر بھاشا ہے
اور اس راشٹر بھاشا میں آئین کا ترجمہ ضرور ہونا چاہئے۔ اور جناب صدر
کے اس پر دستخط ہونے چاہئیں۔ اس میں مخالفت کی کوئی بات نہیں ہے
جو لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں وہ ہندوستان کی یک جہتی کی
مخالفت کرتے ہیں۔

میں اس موقع پر اس ایوان میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس ملک میں دلوں کو جوڑنے کی بات ہونی چاہیئے اور جب جنیؤ کو جوڑنا ہوتا ہے تو ہمیں زبان کے مسئلے پر ذرا فراخدلی کی بات کرنی چاہیئے۔ آپ جب ہندی کی بات کرتے ہیں تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہندی اور اردو ایک ہیں ہندوستان کی آزادی کی تواریخ میں اُردو کے نغمے نے اُردو کی نظم نے اُردو کی غزل نے اُردو کے قافیئے نے حسرت موہانی سے لیکر جواہرلال نہرو تک جنگ آزادی میں ایک کمال کیا تھا۔ اِس شاعری کیلئے مہاتما گاندھی جی نے بھی اردو سیکھی۔ انہوں نے ہندوستانی کا نام اسکو دیا اس لئے میں اردو کی وکالت آپ سے نہیں کر رہا ہوں صرف درخواست کر رہا ہوں

یہاں پر کئی لوگوں نے کہا۔ گیتا مکھرجی نے سومناتھ چٹرجی نے اور دوسرے لوگوں نے بھی اس بل کا سمرتھن کیا۔ میں بھی اس بل کو بہت ضروری کہتا ہوں۔ انہوں نے کہا اس بل کو اس سے پہلے آنا چاہیئے تھا۔ لیکن میں اس موقع پر آپ سے ایک درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے آئین کے آٹھویں شیڈول میں جتنی زبانیں ہیں ان سب زبانوں میں اسکا ترجمہ ہونا چاہیئے۔

میں آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں۔ اِس وقت ہمارے جناب وزیر اعظم یہاں تشریف رکھتے ہیں۔ آپ نے رُوس میں قزاقستان کا نام سُنا ہوگا۔ میں تو قزاقستان گیا نہیں۔ لیکن وہاں قریب دس لاکھ لوگ رہتے ہیں۔ اور اُن دس لاکھ لوگوں کی دس زبانیں ہیں۔ لیکن سوویت رشیا نے یہ کوشش کی کہ اِن دس زبانوں کی پرورش

ہو اور اُن دس زبانوں میں وہاں کتابیں ملتی ہیں۔ ہر زبان کی کتاب ملتی ہے۔ ہمارا ملک
جب غریبی سے جنگ کرکے آگے بڑھ رہا ہے امیری کی طرف بڑھنے کیلئے، ہمارے
قدم اٹھ رہے ہیں تو میں درخواست کروں گا کہ یہی کافی نہیں ہے کہ اسکا ترجمہ تمام زبانوں
میں ہو .... (انٹرپشن) [E]

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : बस इतना ही। अब समय नहीं है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सभी सदस्यों को नहीं बुला सकता। मंत्री को भी उत्तर देना है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जी०एम० बनातवाला (पोन्नानी) : जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, आईन में तरमीम का मसविदा-ए-कानून आया है, मैं इसकी ताईद के लिए खड़ा हुआ हूं। एक कमी रह गई थी, एक काम रह गया था, खुदा का शुक्र है कि आज यह काम आप पूरा कर रहे हैं। यह हिन्दी का हक था, वह उसको मिल रहा है, इस पर हमें कुछ कहना नहीं है। यकीनी तौर पर हिन्दी के तरजुमे को मुस्तनद तर्जुमा समझना चाहिए, उसको आईनी हक हासिल होना चाहिए और यही किया जा रहा है। मैं इस मुक्तसर वक्त के अन्दर सिर्फ इस बात को रखना चाहता हूं कि हिन्दी के साथ-साथ वे तमाम जुबानें जो आईन की आठवीं फहरिस्त में शामिल थीं, उनके साथ हकतलफी न हो, उनको भी उनका हक मिले, इस बात को भी आपको तसलीम करना चाहिए। हिन्दी के साथ-साथ उनके साथ हकतलफी न हो, तमाम कानूनीतौर पर यह लाजमी होना चाहिए कि आठवें शेड्यूल के अन्दर जितनी जुबानें दर्ज हैं, उर्दू समेत, उन सबका तर्जुमा हो और उन सबके तर्जुमे को कानूनी और आईनी हैसियत हासिल हो। आज आप कह सकते हैं कि 15 में से 12 भाषाओं में तर्जुमा हो चुका है, लेकिन इतना कहना ही काफी नहीं है, बल्कि उनको आईनी दर्जा उसी तरह से देना चाहिए, जिस तरह से आज इस तरमीमी बिल के जरिए हिन्दी के तर्जुमे को जायज तरीके पर आईनी हक दिया जा रहा है।

उर्दू की हैसियत एक खास हैसियत है, कश्मीर की बात छोड़िए, उसको स्पेशल स्टेटस दिया गया है कांस्टीट्यूशन में, दूसरी रियासतों में उर्दू सरकारी जबान में है और इसलिए उर्दू की तरफ खास तवज्जह दी जानी चाहिए। इकबाल ने कहा है—

गेसुए उर्दू मिन्नत जजीरे शाना है,
शमा-यह-सौदाई दिल सोजी-ए-परवाना है।

उर्दू का तराना—"सारे जहां से अच्छा हिन्दोस्तां हमारा" सबसे ज्यादा मशहूर है और कौमी तराना है।

हिन्दी के साथ-साथ उर्दू के तर्जुमे को आईनी और कानूनी हक मिले, इस बात पर मैं जोर देना चाहता हूं और इसके साथ-साथ तमाम जुबानों को भी यह हक मिलना चाहिए।

شری جی ایم بنات والا(پونانی) جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب - آئین میں ترمیم کا مسودہ قانون آیا ہے - میں اسکی تائید کیلئے کھڑا ہوا ہوں - ایک کمی رہ گئی تھی - ایک کام رہ گیا تھا - خدا کا شکر ہے کہ آج یہ کام آپ پورا کر رہے ہیں - یہ ہندی کا حق تھا وہ اسکو مل رہا ہے اس پر ہمیں کچھ کہنا نہیں ہے - یقینی طور پر ہندی کے ترجمے کو مستند ترجمہ سمجھنا چاہیئے اسکو آئینی حق حاصل ہونا چاہیئے اور یہی کیا جا رہا ہے - میں اس مختصر وقت کے اندر صرف اس بات کو رکھنا چاہتا ہوں کہ ہندی کے ساتھ ساتھ وہ تمام زبانیں جو آئین کے آٹھویں فہرست میں شامل ہیں اُن کے ساتھ حق تلفی نہ ہو - اُن کو بھی اُن کا حق ملے . اس بات کو بھی آپ کو تسلیم کرنا چاہیئے - ہندی کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ حق تلفی نہ ہو - قانونی طور پر یہ لازمی ہونا چاہیئے کہ آٹھویں شیڈول کے اندر جتنی زبانیں درج ہیں اردو سمیت اُن سب کا ترجمہ ہو اور ان سب کے ترجمے کو قانونی اور آئینی حیثیت حاصل ہو - آج آپ کہہ سکتے ہیں کہ پندرہ میں بارہ بھاشاؤں میں ترجمہ ہو چکا ہے لیکن اتنا کہنا ہی کافی نہیں ہے بلکہ اُن کو آئینی درجہ اس طرح سے دینا چاہیئے جس طرح سے آج اِس ترمیمی بل کے ذریعہ ہندی کے ترجمہ کو جائز طریقہ پر آئینی حق دیا جا رہا ہے

اُردو کی حیثیت ایک خاص حیثیت ہے - کشمیر کی بات چھوڑ دیئے اسکو اسپیشل اسٹیٹس دیا گیا ہے - کانسٹی ٹیوشن میں دوسری ریاستوں میں اردو سرکاری زبان میں ہے اور اسی لئے اردو کی طرف خاص توجہ دی جانی چاہیئے - اقبال نے کہا ہے :-

گیسوئے اردو ابھی منت پزیر شانہ ہے ۔ شمع یہ سودائیے دل سوزیٔ پروانہ ہے

اردو کا ترانہ - "سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا" سب سے زیادہ مشہور ہے اور قومی ترانہ ہے - ہندی کے ساتھ اردو کے ترجمے کو آئینی اور قانونی حق ملے اس بات پر میں زور دینا چاہتا ہوں اور اسکے ساتھ ساتھ تمام دوسری زبانوں کو بھی یہ حق ملنا چاہیئے -

[अनुवाद]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सभी सदस्यों का अत्यन्त ही आभारी हूं···(**व्यवधान**)

[हिन्दी]

कई माननीय सदस्य : हिन्दी में बोलिए।

(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवस्था बनाएं।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया परन्तु जैसा कि श्री जगन्नाथ कौशल द्वारा ध्यान दिलाया गया, इसके उद्देश्य सीमित हैं।

(**व्यवधान**)

[हिन्दी]

श्री राम नगीना मिश्र : हिन्दी में बोलिए।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : माननीय उपाध्यक्ष महोदय मैं सबका आभारी हूं।

(**व्यवधान**)

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : पहले दो मिनट हिन्दी में बोलूंगा और फिर अंग्रेजी में बोलूंगा।

(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

श्री पी० कुलनदईवेलू : हम अंग्रेजी में चाहते हैं। आप हिन्दी के कट्टरपंथियों से क्यों डरते हैं ?

(**व्यवधान**)

श्री पी० कुलनदईवेलू : क्या आप हिन्दी कट्टरपंथियों से डरते हैं ? आपने अपना भाषण अंग्रेजी में शुरू किया था। आपको अंग्रेजी में ही जारी रखना पड़ेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आप बैठें।

श्री भागवत झा आजाद : दोनों भाषाओं में बोलें।

डा० एस० जगतरक्षकन : हम ऐसा नहीं होने देंगे। (**व्यवधान**)

श्री पी० कुलनदईवेलू : आप हिन्दी कट्टरपंथियों से क्यों डरते हैं ? आपने अपना भाषण अंग्रेजी में शुरू किया था। यह क्या है ? (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया मंत्री के भाषण को सुनें।

[हिन्दी]

श्री सी० जंगा रेड्डी : हिन्दी या अंग्रेजी में नहीं अपनी उड़िया भाषा में बोलिए। अपनी मातृभाषा में बोलिए। (**व्यवधान**)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवस्था बनाएं।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : महोदय, मैं उन सभी सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया। परन्तु मेरे विचार से इस चर्चा का बहुत सीमित उद्देश्य है, जैसा मेरे मित्र श्री जगन्नाथ कौशल ने ध्यान दिलाया है। इसका उद्देश्य सिर्फ भारत के संविधान के हिन्दी पाठ को प्रमाणिक करना है।

संविधान सभा ने इसे पहले ही सहमति दे दी है। हम संविधान सभा के प्रस्ताव को सिर्फ कार्यान्वित कर रहे हैं। इसलिए एक लम्बे समय के बाद हम कम से कम संविधान सभा के प्रस्ताव को कार्यान्वित कर रहे हैं। हम इस संसद के आभारी हैं। यह एक ऐतिहासिक समय है, जब हमारी जनता की अभिलाषा को पूरा करके हमारी सरकार तथा संसद उन्हें एक उपहार दे रही है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवस्था बनाए रखें।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : एक बार फिर मैं यह उल्लेख करता हूं कि इसका अर्थ अन्य क्षेत्रीय भाषा के साथ सौतेला व्यवहार करना नहीं है। हम सभी क्षेत्रीय भाषाओं का सम्मान करते हैं। मैं यह भी पढ़ सकता हूं कि दिनांक 26-1-1965 से लागू 1968 के अधिनियम संख्या 1 द्वारा प्रतिस्थापित राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 53 द्वारा संघ के सरकारी कार्यों के लिए अंग्रेजी भाषा के प्रयोग की अनुमति है। इसलिए मैं प्रधान मंत्री नेहरू, इंदिरा जी तथा राजीवजी के द्वारा दिए आश्वासनों को जारी रख रहा है **(व्यवधान)** हमने राजभाषा अधिनियम में यह अश्वासन दिया है। जहां तक अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद का सम्बन्ध है, इनमें अनुवाद होते हैं। राजभाषा अधिनियम की धारा 7 के अन्तर्गत राज्यपाल को उच्च न्यायालय में अंग्रेजी के अतिरिक्त दूसरी भाषा के प्रयोग को प्रमाणित करना होता है। केवल चार उच्च न्यायालयों/राज्य सरकारों ने हमें लिखा है। इसलिए, उन्हें आपने उच्च न्यायालयों में हिन्दी का प्रयोग करने की अनुमति दी गई है। दुर्भाग्यवश कोई अन्य राज्य सरकार ऐसा करने के लिए आगे नहीं बढ़ी है। अन्य भाषाओं के लिए ऐसे कानूनों के सम्बन्ध में उचित समय पर विचार किया जा सकता है। किसी अन्य क्षेत्रीय भाषा के लिए सौतेला व्यवहार नहीं किया जाता। हम भारत की सभी क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देना चाहते हैं। यदि कोई भाषा आठवीं अनुसूची में शामिल नहीं की जाती उसका यह अर्थ नहीं है कि हम उस भाषा को विकसित करने के लिए मदद करने का प्रयत्न नहीं कर रहे हैं। सातवीं पंचवर्षीय योजना में, हमने सभी आधुनिक भारतीय भाषाओं के विकास के लिए 11.6 करोड़ रु० आबंटित किए हैं। इसलिए कोई सौतेला व्यवहार नहीं किया गया है। संभवतः आप कुछ उत्तेजित हो गए और विवाद में पड़ गए हैं।

श्री पी० कुलनदईवेलू : जी, नहीं।

श्री चिंतामणि पाणिग्रही : आप हृदय से कोमल हैं। मैंने हमेशा आपको सहज पाया है। संभवतः श्रीलंका आपके मस्तिष्क में है, आप इस विवाद में पड़े हैं।

श्री पी० कुलनदईवेलू : जी, नहीं।

डा० एस० जगतरक्षकन : यह हमारे लिए अन्तर्मन की बात है। **(व्यवधान)**

श्री चिंतामणि पाणिग्रही : अपने भाषणों में, अनेक माननीय सदस्यों ने इस विधेयक को समर्थन

दिया है। मैं उनके समर्थन का स्वागत करता हूं। मुझे एक बूढ़ी स्त्री के बारे में एक कहानी याद आती है जो सभी बीमारियों के लिए एक दवाई जानती थी। वह सिर दर्द के लिए अफीम की कुछ कम मात्रा और टाईफाइड के लिए कुछ अधिक मात्रा देती थी। इसी प्रकार कुछ मित्रों ने उद्योग, शिक्षा, बेरोजगारी, निरक्षरता और श्रीलंका आदि जैसे कुछ विषय उठाए हैं जिन्हें इस विधेयक से कुछ लेना-देना नहीं है। इसका चुनाव से भी कोई सम्बन्ध नहीं है। मैं नहीं जानता कुछ माननीय सदस्यों के मस्तिष्क में चुनाव की बात क्यों आई। यह एक महान् एतिहासिक अवसर है। हम विधान सभा के संकल्प को कार्यान्वित करेंगे और सर्वसम्मति से इसे स्वीकार करेंगे। यदि इसे सर्वसम्मत्ति से स्वीकार कर लिया जाता है तो मैं बहुत आभारी होऊंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव को सदन के मतदान के लिए रखने से पूर्व मैं यह बता देना चाहता हूं कि यह संविधान (संशोधन) विधेयक है तथा इस पर मतदान विभाजन द्वारा होगा।

दीर्घाएं खाली कर दी जाएं।
अब दीर्घाएं खाली हो गई हैं।

प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

लोक सभा में मतविभाजन हुआ।

मत विभाजन सं० 3] 3.57 म० प०

पक्ष में

अंजैया, श्रीमती मनम्मा
अंसारी, श्री जियाउर्रहमान
अंसारी, श्री अब्दुल हन्नान
अख्तर हसन, श्री
अग्रवाल, श्री जय प्रकाश
अडईकलराज, श्री एल०
अतीतन, श्री आर० धनुषकोडी
अब्दुल गफूर, श्री
अब्बासी, श्री के० जे०
अर्जुन सिंह, श्री
अरुणाचलम, श्री एम०
अलखराम, श्री
अवस्थी, श्री जगदीश
अहमद, श्रीमती आबिदा
अहमद, श्री सरफराज
आचार्य, श्री वसुदेव
आजाद, श्री गुलाम नबी
आजाद, श्री भागवत झा
आनन्द सिंह, श्री
उरांव, श्रीमती सुमति
ऐंगती, श्री बीरेन सिंह
ओडेयार, श्री चनैया
कमलनाथ, श्री
कमला कुमारी, कुमारी
कांबले, श्री अरविन्द तुलसीराम
कामत, श्री गुरुदास
कामसन, प्रो० मिजिनलंग
किदवई, श्रीमती मोहसिना
किन्दर लाल, श्री
किस्कू, श्री पृथ्वी चन्द

कुंवर राम, श्री
कुचन, श्री गंगाधर एस०
कुजूर, श्री मारिस
कुप्पुस्वामी, श्री सी० के०
कुमारमंगलम, श्री पी० आर०
कुरियन, प्रो० पी० जे०
कुरूप, श्री सुरेश
कुरेशी, श्री अजीज
केन, श्री लाला राम
केयूर भूषण, श्री
कौल, श्रीमती शीला
कौशल, श्री जगन्नाथ
कृष्ण कुमार, श्री एस०
कृष्ण सिंह, श्री
क्षीरसागर, श्रीमती केशरबाई
खत्री, श्री निर्मल
खां, श्री असमल शेर
खां, श्री मोहम्मद अयूब
खां, श्री रहीम
खिरहर, श्री राम श्रेष्ठ
गंगा राम, श्री
गढ़वी, श्री बी० के०
गहलोत, श्री अशोक
गांधी, श्री राजीव
गामित, श्री सी० डी०
गायकवाड़, श्री रणजीत सिंह
गुप्त, श्रीमती प्रभावती
गुहा, डा० फूलरेणु
गोमांगों, श्री गिरिधर
गोस्वामी, श्री दिनेश
गोहिल, श्री जी० बी०
गौंडर, श्री ए० एस०
गौडा, श्री एच० एन० नन्जे
घोरपडे, श्री एम० वाई०
घोलप, श्री एस० जी०
घोष, श्री तरुण कान्ति
घोष, श्री विमल कान्ति
घोषाल, श्री देवी
चटर्जी, श्री सोमनाथ
चतुर्वेदी, श्री नरेश चन्द्र
चतुर्वेदी, श्रीमती विद्यावती
चन्द्रशेखर, श्रीमती एम०
चन्द्रशेखरप्पा, श्री टी० वी०
चन्द्राकर, श्री चन्दू लाल
चन्द्रेश कुमारी, श्रीमती
चव्हाण, श्री अशोक शंकर राव
चव्हाण, श्रीमती प्रेमलाबाई
चिदम्बरम्, श्री पी०
चौधरी, श्रीमती ऊषा
चौधरी, श्री जगन्नाथ
चौधरी, श्री मनफूल सिंह
चौधरी, श्री सैफुद्दीन
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जदेजा, श्री डी० पी०
जय मोहन, श्री ए०
जाटव, श्री कमोदीलाल
जायनल अबेदिन, श्री
जितेन्द्र प्रसाद, श्री
जितेन्द्र सिंह, श्री
जुझार सिंह, श्री
जेना, श्री डाल चन्द्र
जैन, श्री निहाल सिंह
जैन, श्री वृद्धि चन्द्र
जैनुल बशर, श्री
झांसी लक्ष्मी, श्रीमती एन० पी०
झिकराम, श्री एम० एल०
ठक्कर, श्रीमती ऊषा
डामर, श्री सोमजी भाई
डिगाल, श्री राधाकांत
डेनिस, श्री एन०

डोगरा, श्री गिरधारी लाल
डोण गांवकर, श्री साहब राव पाटिल
ढिल्लन, डा० जी० एस०
तपेश्वर सिंह, श्री
तारादेवी, कुमारी डी० के०
तारिक अनवर, श्री
तिग्गा, श्री साइमन
तिलकधारी सिंह, श्री
तिवारी, प्रो० के० के०
तोमर, श्रीमती ऊषा रानी
त्यागी, श्री धर्मवीर सिंह
त्रिपाठी, डा० चन्द्र शेखर
थामस, प्रो० के० वी०
थामस, श्री थम्पन
थुंगन, श्री पी० के०
थोरट, श्री भाऊसाहिब
दलवाई, श्री हुसैन
दलबीर सिंह, श्री
दाभी, श्री अजीत सिंह
दास, श्री अनादि चरण
दास, श्री बिपिनपाल
दास मुन्शी, श्री प्रिय रंजन
दास, श्री सुदर्शन
दिग्विजय सिंह, श्री
दिग्विजय सिंह, श्री
दिघे, श्री शरद
दिनेश सिंह, श्री
दीक्षित, श्रीमती शीला
दूबे, श्री भीष्म देव
देव, श्री वी० किशोरचन्द्र एस०
देव, श्री सन्तोष मोहन
देवरा, श्री मुरली
देवी, प्रो० चन्द्र भानु
नटवर सिंह, श्री के०

नवल प्रभाकर, श्रीमती सुन्दरवती
नामग्याल, श्री पी०
नायक, श्री शांताराम
नायकर, श्री डी० के०
नारायणन, श्री के० आर०
नीखरा, श्री रामेश्वर
पंजा, श्री ए० के०
पंत, श्री कृष्ण चन्द्र
पकीर मोहम्मद, श्री ई० एस० एम०
पटनायक, श्री जगन्नाथ
पटेल, श्री अहमद एम०
पटेल, श्री यू० एच०
पटेल, श्री राम पूजन
पनिका, श्री राम प्यारे
पराशर, प्रो० नारायण चन्द
पवार, श्री सत्यनारायण
पांडे, श्री दामोदर
पांडे, श्री मदन
पांडे, श्री मनोज
पाटिल, श्री एच० बी०
पाटिल, श्री प्रकाश बी०
पाटिल, श्री बालासाहेब विखे
पाटिल, श्री यशवंतराव गडाख
पाटिल, श्री विजय एन०
पाटिल, श्री वीरेन्द्र
पाटिल, श्री शिवराज बी०
पाठक, श्री चन्द्र किशोर
पाणिग्रही, श्री चिन्तामणि
पाणिग्रही, श्री श्रीबल्लभ
पारधी, श्री केशवराव
पुजारी, श्री जनार्दन
पुरोहित, श्री बनवारी लाल
पुष्पा देवी, कुमारी
पूरन चन्द्र, श्री

पेंचालैया, श्री पी०
पेरूमान, डा० पी० वल्लल
पोतदुखे, श्री शांताराम
प्रकाश चन्द्र, श्री
प्रधान, श्री के० एन०
प्रधान, श्री के०
प्रभु, श्री आर०
फर्नान्डीज, श्री ओस्कर
फैलीरो, श्री एडुआर्डो
बघेल, श्री प्रताप सिंह
बनर्जी, कुमारी ममता
बनातवाला, श्री जी० एम०
बलरामन, श्री एल०
बसवराजेश्वरी, श्रीमती
बालगौड़, श्री टी०
बाली, श्रीमती वैजयन्तीमाला
बीरबल, श्री
वीरेन्द्र सिंह, राव
वीरेन्द्र सिंह, श्री
बुदानिया, श्री नरेन्द्र
बुन्देला, श्री सुजान सिंह
बैठा, श्री डूमर लाल
भक्त, श्री मनोरंजन
भगत, श्री एच० के० एल०
भट्टम, श्री श्रीराम मूर्ति
भरत सिंह, श्री
भुपति, श्री जी०
भूमिज, श्री हरेन
भुरिया, श्री दिलीप सिंह
भोई, डा० कृपा सिन्धु
भोसले, श्री प्रतापराव बी०
मनोरमा सिंह, श्रीमती
मलिक, श्री धर्मपाल सिंह
मलिक, श्री पूर्णचन्द्र
महन्ती, श्री बृजमोहन
महाजन, श्री वाई० एस०
महावीर प्रसाद, श्री
माधुरी सिंह, श्रीमती
मानवेन्द्र सिंह, श्री
माने, श्री मुरलीधर
मालवीय, श्री बापूलाल
मावणि, श्रीमती पटेल रामाबेन रामजीभाई
मिर्धा, श्री राम निवास
मिश्र, श्री उमाकान्त
मिश्र, श्री जी० एस०
मिश्र जी नित्यानन्द
मिश्र, श्री राम नगीना
मिश्र, श्री श्रीपति
मिश्र, डा० प्रभात कुमार
मीरा कुमार, श्रीमती
मुंडाकल, श्री जार्ज जोसफ
मुखर्जी, श्रीमती गीता
मुशरान, श्री अजय
मूर्ति, श्री एम० वी० चन्द्रशेखर
मेहता, श्री हरुभाई
मोतीलाल सिंह, श्री
मोदी, श्री विष्णु
मोरे, प्रो० रामकृष्ण
यशपाल सिंह, श्री
याजदानी, डा० गुलाम
यादव, श्री आर० एन०
यादव, श्री कैलाश
यादव, श्री डी० पी०
यादव, श्री बलराम सिंह
यादव, श्री महावीर प्रसाद
यादव, श्री राम सिंह
यादव, श्री विजय कुमार
यादव, श्री श्याम लाल

योगेश, श्री योगेश्वर प्रसाद
रंगनाथ, श्री के० एच०
रघुराज सिंह, चौधरी
रथ, श्री सोमनाथ
राउत, श्री भोला
राज करन सिंह, श्री
राजहंस, डा० गौरी शंकर
राजू, श्री आनन्द गजपति
राजू, श्री विजय कुमार
राजेश्वरन, डा० वी०
राठवा, श्री अमर सिंह
राठौड़, श्री उत्तम
राम, श्री रामस्वरूप
राम सिंह, श्री
राम अवध प्रसाद, श्री
रामचन्द्रन, श्री मुल्लापल्ली
राम समुझावन, श्री
राम धन, श्री
राम प्रकाश, चौधरी
राम बहादुर सिंह, श्री
राममूर्ति, श्री के०
रामाश्रय प्रसाद सिंह, श्री
रामुलू, श्री एच० जी०
राय, श्री राज कुमार
राव, श्री के० एस०
राव, श्री जे० चोक्का
राव, श्री जे० वेंगल
राव, श्री पी० वी० नरसिंह
राव, श्री वी० शोभनाद्रीश्वर
राव, श्री वी० कृष्ण
रावणी, श्री नवीन
रावत, श्री प्रभुलाल
रेड्डी, श्री एम० रघुमा
रेड्डी, श्री सी० माधव

लाहा, श्री आशुतोष
लोवांग, श्री वांगफा
वन, श्री दीप नारायण
वनकर, श्री पूनमचन्द मीठाभाई
वर्मा, श्रीमती ऊषा
वर्मा, डा० सी० एस०
वासनिक, श्री मुकुल
विजयराघवन, श्री वी० एस०
वीरसेन, श्री
वेंकटेशन, श्री पी० आर० एस०
वैराले, श्री मधुसूदन
व्यास, श्री गिरधारीलाल
शंकरानन्द, श्री बी०
शक्तावत, प्रो० निर्मला कुमारी
शर्मा, श्री प्रताप भानु
शास्त्री, श्री हरिकृष्ण
शाह, श्री अनूपचन्द
शाही, श्री ललितेश्वर
शिगडा, श्री डी० बी०
शिवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री
शैलेश, डा० बी० एल०
श्री निवास प्रसाद, श्री वी०
संकटा प्रसाद, डा०
संखवार, श्री आशकरण
संतोष कुमार सिंह, श्री
सईद, श्री पी० एम०
सकरगयम, श्री कालीचरण
सत्येन्द्र चन्द्र, श्री
सलाउद्दीन, श्री
साठे, श्री वसंत
साहा, श्री अजित कुमार
साहा, श्री गदाधार
साही, श्रीमती कृष्णा
साहु, श्री शिव प्रसाद

सिंह, श्री कमला प्रसाद
सिंह, श्री कृष्ण प्रताप
सिंह, श्री के० एन०
सिंह, श्री डी० जी०
सिंह, श्री भानु प्रताप
सिंह, श्री लाल विजय प्रताप
सिंह, श्री एस० डी०
सिंहदेव, श्री के० पी०
सिद्दनाल, श्री एस० बी०
सिद्दीक, श्री हाफिज मोहम्मद
सिन्धिया, श्री माधवराव
सिन्हा, श्रीमती रामदुलारी
सुन्दर सिंह, चौधरी
सुखराम, श्री
सुखवन्स कौर, श्रीमती
सुन्दरराज, श्री एन०
सुब्बूरमन, श्री ए० जी०
सुमन, श्री रामप्यारे
सुरेन्द्रपाल सिंह, श्री
सुल्तानपुरी, श्री के० डी०
सूर्यवंशी, श्री नरसिंह
सेट, श्री अजीज
सेट, श्री इब्राहीम सुलेमान
सेठी, श्री अनन्त प्रसाद
सेठी, श्री प्रकाश चन्द्र
सेन, श्री भोला नाथ
सोढी, श्री मनकूराम
सोरन, श्री हरिहर
सोलंकी, श्री कल्याण सिंह
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
स्पैरो, श्री आर० एस०
स्वैल, श्री जी० जी०
षण्मुख, श्री पी०
हरपाल सिंह, श्री
हाल्दर, प्रो० एम० आर०

विपक्ष में

*जेना, श्री चिन्तामणि

*शर्मा, श्री नन्द किशोर

उपाध्यक्ष महोदय : शुद्धि के अध्यधीन**, मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है :

पक्ष में : 339
विपक्ष में : 2

प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से अन्यून बहुमत से पारित हुआ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

*गलती से विपक्ष के लिए मतदान किया।

**निम्नलिखित सदस्यों ने भी पक्ष में मतदान किया : सरदार बूटा सिंह, सर्वश्री लक्ष्मण मलिक, चिन्तामणि जेना, श्रीमती जयन्ती पटनायक, सर्वश्री नन्द किशोर शर्मा, माणिकराव होडल्य गावीत, राम कुमार मीणा, चिरंजी लाल शर्मा, कमला प्रसाद रावत, जी०आई० पटेल, जी०एस० बसवराजु, डा० दत्ता सामन्त, सर्वश्री के० रामचन्द्र रेड्डी, वी०एस० कृष्ण अय्यर, अब्दुल रशीद काबुली, प्रो० सैफुद्दीन सोज, सर्वश्री भद्रेश्वर तांती, अताउर्रहमान, मतिलाल हंसदा, राज मंगल पांडे और सी० जंगा रेड्डी।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम विधेक पर खण्ड-वार विचार आरम्भ करेंगे।

खण्ड 2—भाग 22 के शीर्षक में संशोधन

उपाध्यक्ष महोदय : खण्ड 2 को सदन में मतदान के लिए रखने से पूर्व मैं यह बता देना चाहता हूं कि संविधान (संशोधन) विधेयक है अतः इस पर मतदान विभाजन द्वारा होगा।

दीर्घाएं पहले ही खाली कर दी गई हैं। प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ।

मत विभाजन सं० 4 **3.59 म०प०**

पक्ष में

अंजैया, श्रीमती मनम्मा
अंसारी, श्री जियाउर्रहमान
अंसारी, श्री अब्दुल हन्नान
अख्तर हसन, श्री
अग्रवाल, श्री जय प्रकाश
अडईकलराज, श्री एल०
अतीतन, श्री आर० धनुषकोडी
अब्दुल गफूर, श्री
अब्दुल हमीद, श्री
अब्बासी, श्री के० जे०
अर्जन सिंह, श्री
अरुणाचलम, श्री एम०
अलखाराम, श्री
अवस्थी, श्री जगदीश
अहमद, श्रीमती आबिदा
अहमद, श्री सरफराज
आचार्य, श्री वसुदेव
आजाद, श्री गुलाम नबी
आजाद, श्री भागवत झा
आनन्द सिंह, श्री
उरांव, श्रीमती सुमति
ऐंगती, श्री बीरेन सिंह
ओडेयार, श्री चनैया
कमलनाथ, श्री
कमला कुमारी, कुमारी
कांबले, श्री अरविन्द तुलसीराम
काबुली, श्री अब्दुल रशीद
कामत, श्री गुरुदास
कामसन, प्रो० मिजिनलंग
किदवई, श्रीमती मोहसिना
किन्दर लाल, श्री
किस्कू, श्री पृथ्वी चन्द
कुंवर राम, श्री
कुचन, श्री गंगाधर एस०
कुजूर, श्री मोरिस
कुप्पुस्वामी, श्री सी०के०
कुमारमंगलम, श्री पी० आर०
कुरियन, प्रो० पी० जे०
कुरूप, श्री सुरेश
कुरेशी, श्री अजीज
केन, श्री लाला राम
केयुर भूषण, श्री
कौल, श्रीमती शीला
कौशल, श्री जगन्नाथ
कृष्ण कुमार, श्री एस०
कृष्ण सिंह, श्री
क्षीरसागर, श्रीमती केशरबाई
खत्री, श्री निर्मल

खां, श्री असलम शेर
खां, श्री मोहम्मद अयूब
खां, श्री रहीम
खिरहर, श्री राम श्रेष्ठ
गंगा राम, श्री
गढ़वी, श्री बी०के०
गहलौत, श्री अशोक
गांधी, श्री राजीव
गामित, श्री सी० डी०
गायकवाड़, श्री रणजीत सिंह
गुप्त, श्रीमती प्रभावती
गुहा, डा० फूलरेणु
गोमांगों, श्री गिरिधर
गोस्वामी, श्री दिनेश
गोहिल, श्री जी० बी०
गौडर, श्री ए० एस०
गौडा, श्री एच० एन० नन्जे
घोरपडे, श्री एम०वाई०
घोलप, श्री एस०जी०
घोष, श्री तरुण कान्ति
घोष, श्री विमल कान्ति
घोषाल, श्री देवी
चटर्जी, श्री सोमनाथ
चतुर्वेदी, श्री नरेश चन्द्र
चतुर्वेदी, श्रीमती विद्यावती
चन्द्रशेखर, श्रीमती एम०
चन्द्रशेखरप्पा, श्री टी० वी०
चन्द्राकर, श्री चन्दू लाल
चन्द्रेश कुमारी, श्रीमती
चव्हाण, श्री अशोक शंकरराव
चव्हाण, श्रीमती प्रेमलाबाई
चिदम्बरम, श्री पी०
चौधरी, श्रीमती ऊषा
चौधरी, श्री जगन्नाथ
चौधरी, श्री मनफूल सिंह
चौधरी, श्री सैफुद्दीन
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जदेजा, श्री डी०पी०
जय मोहन, श्री ए०
जाटव, श्री कमोदीलाल
जायनल अबैदिन, श्री
जितेन्द्र प्रसाद, श्री
जितेन्द्र सिंह, श्री
जुझार सिंह, श्री
जैना, श्री चिन्तामणि
जैन, श्री निहाल सिंह
जैन, श्री वृद्धि चन्द्र
जैनुल बशर, श्री
झांसी लक्ष्मी, श्रीमती एन०पी०
झिकराम, श्री एम०एल०
ठक्कर, श्रीमती ऊषा
डामर, श्री सोमजी भाई
डिगाल, श्री राधाकांत
डेनिस, श्री एन०
डोगरा, श्री गिरधारी लाल
डोण गांवकर, श्री साहब राव पाटिल
ढिल्लन, डा० जी०एस०
तपेश्वर सिंह, श्री
तारादेवी, कुमारी डी०के०
तारिक अनवर, श्री
तिग्गा, श्री साइमन
तिलकधारी सिंह, श्री
तिवारी, प्रो० के०के०
तोमर, श्रीमती ऊषा रानी
त्यागी, श्री धर्मवीर सिंह
त्रिपाठी, डा० चन्द्र शेखर

थामस, प्रो० के०वी०
थामस, श्री थम्पन
थुंगन, श्री पी०के०
थोरट, श्री भाऊसाहिब
दलवाई, श्री हुसैन
दलबीर सिंह, चौधरी
दाभी, श्री अजीत सिंह
दास, श्री अनादि चरण
दास, श्री बिपिनपाल
दास मुन्शी, श्री प्रिय रंजन
दास, श्री सुदर्शन
दिग्विजय सिंह, श्री
दिघे, श्री शरद
दिनेश सिंह, श्री
दीक्षित, श्रीमती शीला
दूबे, श्री भीष्म देव
देव, श्री वी० किशोरचन्द्र एस०
देव, श्री सन्तोष मोहन
देवरा, श्री मुरली
देवी, प्रो० चन्द्र भानु
नटवर सिंह, श्री के०
नवल प्रभाकर, श्रीमती सुन्दरवती
नामग्याल, श्री पी०
नायक, श्री शांताराम
नायकर, श्री डी०के०
नारायणन, श्री के०आर०
नीखरा, श्री रामेश्वर
पंजा, श्री ए०के०
पंत, श्री कृष्ण चन्द्र
पकीर मोहम्मद, श्री ई०एस०एम०
पटनायक, श्री जगन्नाथ
पटनायक, श्रीमती जयन्ती
पटेल, श्री अहमद एम०
पटेल, श्री यू०एच०
पटेल, श्री जी०आई०
पटेल, श्री राम पूजन
पराशर, प्रो० नारायण चन्द
पवार, श्री सत्यनारायण
पांडे, श्री दामोदर
पांडे, श्री मदन
पांडे, श्री मनोज
पाटिल, श्री एच०बी०
पाटिल, श्री प्रकाश बी०
पाटिल, श्री बालासाहेब बिखे
पाटिल, श्री यशवंतराव गडाख
पाटिल, श्री विजय एन०
पाटिल, श्री वीरेन्द्र
पाटिल, श्री शिवराज बी०
पाठक, श्री चन्द्र किशोर
पाणिग्रही, श्री चिन्तामणि
पाणिग्रही, श्री श्रीबल्लभ
पारधी, श्री केशवराव
पुजारी, श्री जनार्दन
पुरोहित, श्री बनवारी लाल
पुष्पा देवी, कुमारी
पूरन चन्द्र, श्री
पेंचालैया, श्री पी०
पेरूमान, डा० पी० वल्लल
प्रोतदुखे, श्री शांताराम
प्रकाश चन्द्र, श्री
प्रधान, श्री के०एन०
प्रधान, श्री के०
प्रभु, श्री आर०
फर्नान्डीज, श्री ओस्कर
फैलीरो, श्री एडुआर्डो
बघेल, श्री प्रताप सिंह

बनर्जी, कुमारी ममता
बनातवाला, श्री जी०एम०
बलरामन, श्री एल०
बसवराजेश्वरी, श्रीमती
बाली, श्रीमती वैजयन्तीमाला
बीरबल, श्री
वीरेन्द्र सिंह, राव
वीरन्द्र सिंह, श्री
बुदानिया, श्री नरेन्द्र
बुन्देला, श्री सुजान सिंह
बूटा सिंह सरदार
बैठा, डूमर लाल
**बैरागी, श्री बालकवि
ब्रह्मदत्त, श्री
भक्त, श्री मनोरंजन
भगत, श्री एच०के० एल०
भट्टम, श्री श्रीराम मूर्ति
भरत सिंह, श्री
भुपति, श्री जी०
भूमिज, श्री हरेन
भुरिया, श्री दिलीप सिंह
भोई, डा० कृपा सिधु
भोसले, श्री प्रतापराव बी०
मनोरमा सिंह, श्रीमती
मलिक, श्री धर्मपाल सिंह
मलिक, श्री पूर्णचन्द्र
मलिक, श्री लक्ष्मण
महन्ती, श्री बृजमोहन
महाजन, श्री वाई०एस०
महावीर प्रसाद, श्री
माधुरी सिंह, श्रीमती
मानवेन्द्र सिंह, श्री
मालवीय, श्री बापूलाल,
मावणि, श्रीमती पटेल रमाबेन रामजीभाई
मिर्धा, श्री राम निवास
मिश्र, श्री उमाकान्त
मिश्र, श्री जी०एस०
मिश्र, श्री नित्यानन्द
मिश्र, राम नगीना
मिश्र, श्री श्रीपति
मिश्र, डा० प्रभात कुमार
मीरा कुमार, श्रीमती
मुंडाकल, श्री जार्ज जोसफ
मुखर्जी, श्रीमती गीता
मुशरान, श्री अजय
मूर्ति, श्री एम०वी० चन्द्रशेखर
मेहता, श्री हरुभाई
मोतीलाल सिंह, श्री
मोदी, श्री विष्णु
मोरे, प्रो० रामकृष्ण
यशपाल सिंह, श्री
याजदानी, डा० गुलाम
यादव, श्री आर०एन०
यादव, श्री कैलाश
यादव, श्री डी०पी०
यादव, श्री बलराम सिंह
यादव, श्री महाबीर प्रसाद
यादव, श्री राम सिंह
यादव, श्री विजय कुमार
यादव, श्री श्याम लाल
योगेश, श्री योगेश्वर प्रसाद
रंगनाथ, श्री के०एच०
रघुराज सिंह, चौधरी
रथ, श्री सोमनाथ

**गलत स्थान से मतदान किया।

राउत, श्री भोला
राज करन सिंह, श्री
राजहंस, डा० गौरी शंकर
राजू, श्री आनन्द गजपति
राजू, श्री विजय कुमार
राजेश्वरन, डा० वी०
राठवा, श्री अमर सिंह
राठौड़, श्री उत्तम
राम, श्री रामस्वरूप
राम अवध प्रसाद, श्री
रामचन्द्रन, श्री मुल्लापल्ली
राम समुझावन, श्री
राम सिंह, श्री
राम धन, श्री
राम प्रकाश, चौधरी
राम बहादुर सिंह, श्री
राममूर्ति, श्री के०
रामुलू, श्री एच०जी०
राय, श्री राज कुमार
राव, श्री के०एस०
राव, श्री जे० चोक्का
राव, श्री जे० वेंगल
राव, श्री पी०वी० नरसिंह
राव, श्री वी० शोभनाद्रीश्वर
राव, श्री वी० कृष्ण
रावणी, श्री नवीन
रावत, श्री कमला प्रसाद
रावत, श्री प्रभुलाल
रेड्डी, श्री के० रामचन्द्र
रेड्डी, श्री सी० जंगा
रेड्डी, श्री एम० रघुमा
रेड्डी, श्री सी० माधव
लाहा, श्री आशुतोष
लोवांग, श्री वांगफा

वन, श्री दीप नारायण
वनकर, श्री पूनमचन्द मीठाभाई
बर्मा, श्रीमती ऊषा
वर्मा, डा० सी०एस०
वासनिक, श्री मुकुल
विजयराघवन, श्री वी०एस०
वीरसेन, श्री
वेंकटेशन, श्री पी०आर०एस०
बैराले, श्री मधुसूदन
व्यास, श्री गिरधारीलाल
शंकरानन्द, श्री बी०
शक्तावत, प्रो० निर्मला कुमारी
शर्मा, श्री चिरंजीलाल
शर्मा, श्री नन्द किशोर
शर्मा, श्री प्रताप भानु
शास्त्री, श्री हरिकृष्ण
शाह, श्री अनूपचन्द
शाही, श्री ललितेश्वर
शिगडा, श्री डी०बी०
शिवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री
शैलेश, डा० बी०एल०
श्री निवास प्रसाद, श्री वी०
संकटा प्रसाद, डा०
संखवार, श्री आशकरण
संतोष कुमार सिंह, श्री
सईद, श्री पी०एम०
सकरगयम, श्री कालीचरण
सत्येन्द्र चन्द्र, श्री
सलाउद्दीन, श्री
साठे, श्री वसंत
साहा, श्री अजित कुमार
साहा, श्री गदाधर
साही, श्रीमती कृष्णा
साहु, श्री शिव प्रसाद

सिंह, श्री कमला प्रसाद
सिंह, श्री कृष्ण प्रताप
सिंह, श्री के०एन०
सिंह, श्री डी०जी०
सिंह, श्री भानु प्रताप
सिंह, श्री लाल विजय प्रताप
सिंह, श्री एस०डी०
सिंहदेव, श्री के०पी०
सिद्नाल, श्री एस० बी०
सिद्दीक, श्री हाफिज मोहम्मद
सिन्धिया, श्री माधवराव
सिन्हा, श्रीमती रामदुलारी
सुन्दर सिंह, चौधरी
सुखराम, श्री
सुखवन्स कौर, श्रीमती
सुन्दरराज, श्री एन०
सुब्बूरमन, श्री ए०जी०
सुमन, श्री रामप्यारे
सुरेन्द्रपाल सिंह, श्री
सुल्तानपुरी, श्री के०डी०
सूर्यवंशी, श्री नरसिंह
सेट, श्री अजीज
सेट, श्री इब्राहीम सुलेमान
सुठी, श्री अनन्त प्रसाद
सेठी, श्री प्रकाश चन्द्र
सेन, श्री भोला नाथ
सोज, प्रो० सैफुद्दीन
सोढी, श्री मनकूराम
सोरन, श्री हरिहर
सोलंकी, श्री कल्याण सिंह
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
स्पैरो, श्री आर०एस०
स्वैल, श्री जी०जी०
षण्मुख, श्री पी०
हंसदा, श्री मतिलाल
हरपाल सिंह, श्री
हाल्दार, प्रो० एम०आर०

उपाध्यक्ष महोदय : शुद्धि के अध्यधीन**, मत-विभाजन का परिणाम इस प्रकार है :—

पक्ष में	349
विपक्ष में	शून्य

प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से अन्यून बहुत से पारित हुआ ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

**निम्नलिखित सदस्यों ने भी अपने पक्ष में मतदान किया : श्री माणिकराव होडल्या गावीत, टी० बाल गौड, जी०एस० बसवराजु, डाल चन्द्र जैन, डा० दत्ता सामन्त, सर्वश्री लाल डहोमा, मुरलीधर माने, वी० एस० कृष्ण अय्यर, भद्रेश्वर तांती, अताउर्रहमान, रामाश्रय प्रसाद सिंह और राज मंगल पांडे ।

खण्ड 3 नए अनुच्छेद 394-क का अन्तःस्थापन

श्री पी० कुलनदईवेलू (गोबिचेट्टिपालयम) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 1, पंक्ति 11,—

"थे," **के पश्चात्** "और संविधान की आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भाषाओं में अनुवाद को," **अन्तःस्थापित किया जाएं।** (2)

पृष्ठ 1, पंक्ति 12,—

"हिन्दी भाषा" **के स्थान पर** "संविधान की आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भाषाओं" **प्रतिस्थापित किया जाए।** (3)

पृष्ठ 2, पंक्ति 5,—

"हिन्दी भाषा" **के स्थान पर** "संविधान की आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भाषाओं" **प्रतिस्थापित किया जाए।** (5)

पृष्ठ 2, पंक्ति 13,—

"हिन्दी भाषा" **के स्थान पर** "संविधान की आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भाषाओं" **प्रतिस्थापित किया जाए।** (6)

श्री तम्पन थामस (मवेलिकरा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 1, पंक्ति, 12,—

"हिन्दी भाषा" **के स्थान पर** "प्रादेशिक भाषाओं" **प्रतिस्थापित किया जाए।** (4)

4.00 म० प०

श्री पी० कुलनदईवेलु : महोदय, अपने संशोधनों के सम्बन्ध में मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय भाषाओं में से पन्द्रह को पहले ही संविधान की आठवीं अनुसूची में मान्यता प्रदान कर दी गई है। अतः उन्हें भी हिन्दी समान महत्व और स्तर प्रदान किया जाना चाहिए। जब संविधान का अनुवाद हिन्दी में किया जाने वाला है, तो अन्य भाषाओं के साथ भी वही व्यवहार किया जाना चाहिए और संविधान का अनुवाद अन्य भाषाओं में भी किया जाना चाहिए।

श्री तम्पन थामस : महोदय, जब हम कहीं कोई चर्चा करते हैं, तो ऐसा पूरे अधिकार के साथ किया जाना चाहिए। इसलिए, उस भाषा में संविधान की प्रामाणिक व्याख्या उपलब्ध होनी चाहिए जो कि भाव प्रकटीकरण के लिए उस क्षेत्र में बोली जाती है। यद्यपि मैं अपनी भाषा बहुत अच्छी प्रकार बोल सकता हूं परन्तु आप उसे समझ पाने में असमर्थ होंगे।

**मैं शुद्ध मलयालम में बोल सकता हूं। देश में उत्पन्न विभिन्न स्थितियों पर विचार करते हुए, हमें सभी भाषाओं में बोलने का प्रबन्ध करना चाहिए।

कोई बात कितनी ही महत्वपूर्ण क्यों न हो लेकिन यदि आप उसे समझ नहीं पाते तो इसका लाभ नहीं है। केवल आधा दर्जन लोग इसे समझ पाएंगे।

अतः इसी प्रकार हमारे देश में मेरे जैसे बहुत से लोग हैं। उन्हें भी यह जान लेना चाहिए कि

**मूलतः मलयालम में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

संविधान क्या है। इसीलिए मैं अपने संशोधन पर बल दे रहा हूं और यह कह रहा हूं कि संविधान का अनुवाद क्षेत्रीय भाषाओं में किया जाना चाहिए। मैं ऐसा विश्वास से कह रहा हूं।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही) : महोदय, इसमें कोई बाध्य नहीं है; हमने पहले ही संविधान का 12 क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद कर लिया है। यदि कोई भी राज्य सरकार यह चाहती है कि संविधान का उनकी क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद होना चाहिए, तो उन्हें विशिष्ट प्राधिकारी को लिखना चाहिए और राष्ट्रपति द्वारा प्राधिकृत किए जाने पर इसे क्षेत्रीय भाषा में अनुदित किया जा सकता है। **(व्यवधान)**

श्री दिनेश गोस्वामी (गुवाहाटी) : अनुवाद होगा, परन्तु विधिक पवित्रता और प्रमाणिकरण नहीं होगा। अतः आप इसके लिए कोई कानून क्यों नहीं लाते हैं ? **(व्यवधान)**

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : जब आप हिन्दी भाषा के लिए एक कानून ला रहे हैं, तो आप अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के लिए भी कानून क्यों नहीं ला सकते ? **(व्यवधान)**

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : आपको इसके लिए केन्द्र को लिखना चाहिए। **(व्यवधान)**

श्री पी० कुलनदईवेलु : आप अन्य भाषाओं के लिए भी आश्वासन दीजिए। **(व्यवधान)**

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : हिन्दी भाषी क्षेत्रों की चार राज्य सरकारों ने पहले ही अपने उच्च न्यायालयों में हिन्दी के प्रयोग के लिए केन्द्रीय सरकार को लिखा है। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया कोई बाधा नहीं डालिए। क्या मैं श्री कुलनदईवेलु द्वारा पेश किए गए संशोधनों को सभा में मतदान के लिए रखूं ?

प्रश्न यह है···

कुछ माननीय सदस्य : हम संशोधनों पर मतदान करना चाहते हैं। **(व्यवधान)**

श्री बी० शंकरानन्द (चिकोड़ी) : केवल एक संशोधन पर ही मतदान हो सकता है। आप सभी संशोधन पर मतदान नहीं करवा सकते हैं। **(व्यवधान)**

श्री पी० कुलनदईवेलु : मैं मतदान पर जोर नहीं दे रहा हूं; मैं केवल ध्वनि मत पर जोर दे रहा हूं। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : आप कौन से संशोधन पर मतदान करवाना चाहते हैं ?

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : मैं इस बात पर बल देता हूं कि यह मतदान द्वारा होना चाहिए। मुझे ऐसा कहने का अधिकार है क्योंकि यह सभा की सम्मति है। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बनातवाला, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। मैं श्री कुलनदईवेलु से जानना चाहता हूं। उन्होंने चार संशोधन दिए हैं। मैंने कहा था कि मैं पहले उन्हें ध्वनि मत के लिए रखूंगा और यदि प्रस्तावक चाहे, तब ही मैं उन्हें मतदान के लिए रखूंगा। उस समय किसी ने आपत्ति नहीं की थी। अब आप परिणाम के बारे में आपत्ति कर रहे हैं। इसलिए, मैं जानना चाहता हूं कि क्या वे चाहते हैं कि मैं प्रत्येक संशोधन को अलग-अलग या चारों संशोधनों को एक साथ मतदान के लिए रखूं।

कुछ माननीय सदस्य : महोदय सभी चारों को एक साथ।

श्री बी० शंकरानन्द : उपाध्यक्ष महोदय, संशोधन के प्रस्तावक का कहना है कि वे एक विशिष्ट प्रस्ताव या संशोधन पर मतदान कराना चाहते हैं।

श्री कुलनदईवेलु किसी मतदान पर जोर नहीं दे रहे हैं, फिर पता नहीं समस्या क्या है।

उपाध्यक्ष महोदय : वे केवल परिणाम के लिए आपत्ति कर रहे हैं।

प्रश्न यह है :

पृष्ठ 1, पंक्ति 11,—

"थे", **के पश्चात्** "और संविधान की आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भाषाओं में अनुवाद को," **अन्तःस्थापित किया जाए।** (2)

पृष्ठ 1, पंक्ति 12,—

"हिन्दी भाषा" **के स्थान पर** "संविधान की आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भाषाओं" **प्रतिस्थापित किया जाए।** (3)

पृष्ठ 2, पंक्ति 5,—

"हिन्दी भाषा" **के स्थान पर** "संविधान की आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भाषाओं" **प्रतिस्थापित किया जाए।** (5)

पृष्ठ 2, पंक्ति 13,—

"हिन्दी भाषा" **के स्थान पर** "संविधान की आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भाषाओं" **प्रतिस्थापित किया जाए।** (6)

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ।

मत-विभाजन सं० 5]

[4.09 म०प०

पक्ष में

अण्णानम्बी, श्री आर०
अब्दुल हमीद, श्री
आचार्य, श्री वसुदेव
कुरूप, श्री सुरेश
गोस्वामी, श्री दिनेश
चटर्जी, श्री सोमनाथ
चौधरी, श्री सैफुद्दीन
जनार्दनन, श्री कादम्बुर
जायनल अबेदिन, श्री
झांसी लक्ष्मी, श्रीमती एन० पी०
देव, श्री वी० किशोरचन्द्र एस०
*नटवर सिंह, श्री के०
*पटनायक, श्रीमती जयन्ती
पटेल, श्री जी० आई०
पेंचालैया, श्री पी०
बनातवाला, श्री जी० एम०
भट्टम, श्री श्रीराम मूर्ति
मलिक, श्री पूर्णचन्द्र
मुखर्जी, श्रीमती गीता
राजू, श्री आनन्द गजपति
राजू, श्री विजय कुमार
राम बहादुर सिंह, श्री
राव, श्री वी० शोभनाद्रीश्वर
रेड्डी, श्री के० रामचन्द्र

*गलती से पक्ष में मतदान किया।

संखवार, श्री आशकरण
रेड्डी, श्री सी० माधव
रेड्डी, श्री एम० रघुमा
साहा, श्री अजित कुमार
साहा, श्री गदाधर
सेट, श्री इब्राहीम सुलेमान
सेल्वेन्द्रन, श्री पी०
षण्मुखम, श्री ए० सी०
हंसदा, श्री मतिलाल

विपक्ष में

अंसारी, श्री जियाउर्रहमान
अंसारी, श्री अब्दुल हन्नान
अख्तर हसन, श्री
अग्रवाल, श्री जय प्रकाश
अडईकलराज, श्री एल०
अतीतन, श्री आर० धनुषकोडी
अब्दुल गफूर, श्री
अब्बासी, श्री के० जे०
अर्जुन सिंह, श्री
अरुणाचलम, श्री एम०
अलखराम, श्री
अवस्थी, श्री जगदीश
अहमद, श्रीमती आबिदा
अहमद, श्री सरफराज
आजाद, श्री गुलाम नबी
आजाद, श्री भागवत झा
आनन्द सिंह, श्री
उरांव, श्रीमती सुमति
ऐंगती, श्री बीरेन सिंह
ओडेयार, श्री चनैया
कमलनाथ, श्री
कमला कुमारी, कुमारी
कांबले, श्री अरविन्द तुलसीराम
कामत, श्री गुरुदास
कामसन, प्रो० मिजिनलंग
किदवई, श्रीमती मोहसिना
किन्दर लाल, श्री
किस्कू, श्री पृथ्वी चन्द
कुंवर राम, श्री
कुचन, श्री गंगाधर एस०
कुजूर, श्री मारिस
कुप्पुस्वामी, श्री सी० के०
कुमारमंगलम, श्री पी० आर०
कुरियन, प्रो० पी० जे०
कुरेशी, श्री अजीज
केन, श्री लाला राम
केयूर भूषण, श्री
कौल, श्रीमती शीला
कौशल, श्री जगन्नाथ
कृष्ण कुमार, श्री एस०
कृष्ण सिंह, श्री
क्षीरसागर, श्रीमती केशरबाई
खत्री, श्री निर्मल
खां, श्री असमल शेर
खां, श्री मोहम्मद अयूब
खां, श्री रहीम
खिरहर, श्री राम श्रेष्ठ
गंगा राम, श्री
गढ़वी, श्री बी० के०
गहलौत, श्री अशोक
गांधी, श्री राजीव
गामित, श्री सी० डी०
गायकवाड़, श्री रणजीत सिंह
गावीता श्री मानिकराव होडल्या
गुप्त, श्रीमती प्रभावती
गुहा, डा० फूलरेणु
गोमांगों, श्री गिरिधर
गोहिल, श्री जी० बी०

गौंडर, श्री ए० एस०
घोलप, श्री एस० जी०
घोष, श्री तरुण कान्ति
घोष, श्री बिमल कान्ति
घोषाल, श्री देवी
चतुर्वेदी, श्रीमती विद्यावती
चन्द्रशेखर, श्रीमती एम०
चन्द्रशेखरप्पा, श्री टी० वी०
चन्द्राकर, श्री चन्दू लाल
चन्द्रेश कुमारी, श्रीमती
चव्हाण, श्री अशोक शंकर राव
चव्हाण, श्रीमती प्रेमलाबाई
चिदम्बरम्, श्री पी०
चौधरी, श्रीमती ऊषा
चौधरी, श्री जगन्नाथ
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जदेजा, श्री डी० पी०
जय मोहन, श्री ए०
जितेन्द्र प्रसाद, श्री
जितेन्द्र सिंह, श्री
जुझार सिंह, श्री
जैना, श्री चिन्तामणि
जैन, श्री निहाल सिंह
जैन, श्री वृद्धि चन्द्र
जैनुल बशर, श्री
झिकराम, श्री एम० एल०
ठक्कर, श्रीमती ऊषा
डामर, श्री सोमजी भाई
डिगाल, श्री राधाकांत
डेनिस, श्री एन०
डोगरा, श्री गिरधारी लाल
डोण गांवकर, श्री साहब राव पाटिल
ढिल्लन, डा० जी० एस०

तपेश्वर सिंह, श्री
तारादेवी, कुमारी डी० के०
तारिक अनवर, श्री
तिग्गा, श्री साइमन
तिलकधारी सिंह, श्री
तिवारी, प्रो० के० के०
तोमर, श्रीमती ऊषा रानी
त्यागी, श्री धर्मवीर सिंह
त्रिपाठी, डा० चन्द्र शेखर
थामस, प्रो० के० वी०
थुंगन, श्री पी० के०
थोरट, श्री भाऊसाहिब
दलवाई, श्री हुसैन
दलबीर सिंह, श्री
दाभी, श्री अजीत सिंह
दास, श्री अनादि चरण
दास, श्री बिपिनपाल
दास मुन्शी, श्री प्रिय रंजन
दास, श्री सुदर्शन
दिग्विजय सिंह, श्री
दिग्विजय सिंह, श्री
दिघे, श्री शरद
दिनेश सिंह, श्री
दीक्षित, श्रीमती शीला
दूबे, श्री भीष्म देव
देव, श्री सन्तोष मोहन
देवरा, श्री मुरली
नवल प्रभाकर, श्रीमती सुन्दरवती
नामग्याल, श्री पी०
नायक, श्री शांताराम
नायकर, श्री डी० के०
नारायणन, श्री के० आर०
नीखरा, श्री रामेश्वर

पंजा, श्री ए० के०
पंत, श्री कृष्ण चन्द्र
पटनायक, श्री जगन्नाथ
पटेल, श्री अहमद एम०
पटेल, श्री यू० एच०
पनिका, श्री राम प्यारे
पराशर, प्रो० नारायण चन्द
पवार, श्री सत्यनारायण
पांडे, श्री दामोदर
पांडे, श्री मनोज
पांडे, श्री राजमंगल
पाटिल, श्री एच० बी०
पाटिल, श्री प्रकाश बी०
पाटिल, श्री बालासाहेब विखे
पाटिल, श्री यशवंतराव गडाख
पाटिल, श्री विजय एन०
पाटिल, श्री वीरेन्द्र
पाटिल, श्री शिवराज बी०
पाठक, श्री चन्द्र किशोर
पाणिग्रही, श्री चिन्तामणि
पाणिग्रही, श्री श्रीबल्लभ
पारधी, श्री केशवराव
पुजारी, श्री जनार्दन
पुरोहित, श्री बनवारी लाल
पुष्पा देवी, कुमारी
पूरन चन्द्र, श्री
पेरूमान, डा० पी० वल्लल
पोतदुखे, श्री शांताराम
प्रकाश चन्द्र, श्री
प्रधान, श्री के० एन०
प्रधानी, श्री के०
प्रभु, श्री आर०

फर्नान्डीज, श्री ओस्कर
फैलीरो, श्री एडुआर्डो
बघेल, श्री प्रताप सिंह
बलरामन, श्री एल०
बसवराजेश्वरी, श्रीमती
बालगौड़, श्री टी०
बाली, श्रीमती वैजयन्तीमाला
बीरबल, श्री
बीरेन्द्र सिंह, राव
वीरेन्द्र सिंह, श्री
बुदानिया, श्री नरेन्द्र
बुन्देला, श्री सुजान सिंह
बूटासिंह सरदार
बैठा, श्री डूमर लाल
बैरागी, श्री बालकवि
ब्रह्मदत्त श्री
भगत, श्री एच० के० एल०
भरत सिंह, श्री
भूमिज, श्री हरेन
भुरिया, श्री दिलीप सिंह
भोई, डा० कृपा सिन्धु
भोसले, श्री प्रतापराव बी०
मनोरमा सिंह, श्रीमती
मलिक, श्री धर्मपाल सिंह
मलिक, श्री लक्ष्मण
महन्ती, श्री बृजमोहन
महाजन, श्री वाई० एस०
महावीर प्रसाद, श्री
माधुरी सिंह, श्रीमती
मानवेन्द्र सिंह, श्री
माने, श्री मुरलीधर

मालवीय, श्री बापूलाल
मावणि, श्रीमती पटेल रामाबेन रामजीभाई
मिर्धा, श्री राम निवास
मिश्र, श्री उमाकान्त
मिश्र, श्री जी० एस०
मिश्र, श्री राम नगीना
मिश्र, श्री श्रीपति
मिश्र, डा० प्रभात कुमार
मीणा श्री रामकुमार
मीरा कुमार, श्रीमती
मुंडाकल, श्री जार्ज जोसफ
मुशरान, श्री अजय
मूर्ति, श्री एम० वी० चन्द्रशेखर
मेहता, श्री हरुभाई
मोतीलाल सिंह, श्री
मोदी, श्री विष्णु
मोरे, प्रो० रामकृष्ण
यशपाल सिंह, श्री
याजदानी, डा० गुलाम
यादव, श्री आर० एन०
यादव, श्री कैलाश
यादव, श्री डी० पी०
यादव, श्री बलराम सिंह
यादव, श्री महावीर प्रसाद
यादव, श्री राम सिंह
यादव, श्री विजय कुमार
यादव, श्री श्याम लाल
योगेश, श्री योगेश्वर प्रसाद
रंगनाथ, श्री के० एच०
रघुराज सिंह, चौधरी
रथ, श्री सोमनाथ
राउत, श्री भोला
राज करन सिंह, श्री
राजहंस, डा० गौरी शंकर
राजेश्वरन, डा० वी०
राठवा, श्री अमर सिंह
राठौड़, श्री उत्तम
राम, श्री रामस्वरूप
राम अवध प्रसाद, श्री
रामचन्द्रन, श्री मुल्लापल्ली
राम समुझावन, श्री
राम धन, श्री
राम प्रकाश, चौधरी
राममूर्ति, श्री के०
रामाश्रय प्रसाद सिंह, श्री
रामुलू, श्री एच० जी०
राय, श्री राज कुमार
राव, श्री जे० चोक्का
राव, श्री जे० वेंगल
राव, श्री पी० वी० नरसिंह
राव, श्री वी० कृष्ण
रावणी, श्री नवीन
रावत, श्री कमला प्रसाद
रावत, श्री प्रभुलाल
रेड्डी श्री सी० जंगा
लाहा, श्री आशुतोष
लोवांग, श्री वांगफा
वनकर, श्री पूनमचन्द मीठाभाई
वर्मा, श्रीमती ऊषा
वर्मा, डा० सी० एस०
वासनिक, श्री मुकुल
विजयराघवन, श्री वी० एस०
वेंकटेशन, श्री पी० आर० एस०
वैराले, श्री मधुसूदन
व्यास, श्री गिरधारीलाल
शंकरानन्द, श्री बी०
शक्तावत, प्रो० निर्मला कुमारी

शर्मा, श्री चिरंजीलाल
शर्मा, श्री नन्द किशोर
शर्मा, श्री प्रताप भानु
शास्त्री, श्री हरिकृष्ण
शाह, श्री अनूपचन्द
शाही, श्री ललितेश्वर
शिगडा, श्री डी० बी०
शिवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री
शैलेश, डा० बी० एल०
श्री निवास प्रसाद, श्री वी०
संकटा प्रसाद, डा०
सईद, श्री पी० एम०
सकरगयम, श्री कालीचरण
सत्येन्द्र चन्द्र, श्री
सलाउद्दीन, श्री
साठे, श्री वसंत
साही, श्रीमती कृष्णा
सिंह, श्री कमला प्रसाद
सिंह, श्री कृष्ण प्रताप
सिंह, श्री के० एन०
सिंह, श्री डी० जी०
सिंह, श्री लाल विजय प्रताप
सिंह, श्री एस० डी०
सिंह, सन्तोष कुमार
सिंहदेव, श्री के० पी०
सिद्दनाल, श्री एस० बी०
सिद्दीक, श्री हाफिज मोहम्मद
सिन्धिया, श्री माधवराव
सिन्हा, श्रीमती रामदुलारी
सुन्दर सिंह, चौधरी
सुखराम, श्री
सुखवन्स कौर, श्रीमती
सुन्दरराज, श्री एन०
सुब्बूरमन, श्री ए० जी०
सुमन, श्री रामप्यारे
सुरेन्द्रपाल सिंह, श्री
सुल्तानपुरी, श्री के० डी०
सूर्यवंशी, श्री नरसिंह
सेट, श्री अजीज
सेठी, श्री अनन्त प्रसाद
सेठी, श्री प्रकाश चन्द्र
सेन, श्री भोला नाथ
सोढी, श्री मनकूराम
सोरन, श्री हरिहर
सोलंकी, श्री कल्याण सिंह
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
स्पैरो, श्री आर० एस०
स्वैल, श्री जी० जी०
षण्मुख, श्री पी०
हरपाल सिंह, श्री
हाल्दर, प्रो० एम० आर०

उपाध्यक्ष महोदय : शुद्धि के अध्यधीन**, मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है :

पक्ष में : 33

विपक्ष में : 305

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री थम्पन थामस द्वारा पेश किए गए संशोधन को सभा में मतदान के लिए रखता हूं। जो सदस्य उसके पक्ष में हों, कृपया वे 'हां' कहें ।

कुछ माननीय सदस्य : हां ।

उपाध्यक्ष महोदय : जो सदस्य उसके विरोध में हों, वे 'ना' कहें।

कुछ माननीय सदस्य : नहीं ।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से निर्णय नहीं के पक्ष में हुआ ।

श्री थम्पन थामस : नहीं, महोदय। 'हां' के पक्ष में मैं मत विभाजन कराना चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"पृष्ठ 1, पंक्ति 12,—

"हिन्दी भाषा" **के स्थान पर** "प्रादेशिक भाषाओं" **प्रतिस्थापित किए जाए** । (4)"

लोकसभा में मत-विभाजन हुआ ।

मत विभाजन सं० 6] **4.11 म० प०**

विपक्ष में

अताउर्रहमान, श्री
अब्दुल हमीद, श्री
आचार्य, श्री वसुदेव
काबुली, श्री अब्दुल रशीद
कुरूप, श्री सुरेश
गोस्वामी, श्री दिनेश
चटर्जी, श्री सोमनाथ
चौधरी, श्री सैफुद्दीन
जनार्दनन, श्री कादम्मुर
जायनल श्री अबैदिन,
झांसी लक्ष्मी, श्रीमती एन० पी०
*तांती, श्री भद्रेश्वर
थामस, श्री थम्पन
देव, श्री वी० किशोरचन्द्र एस०

**निम्नलिखित सदस्यों ने भी पक्ष में मतदान में भाग लिया :—

पक्ष में : डा० दत्ता सामन्त, श्री जी० भूपति और श्री तम्पन थामस ।

विपक्ष में : श्री के० नटवर सिंह, श्रीमती जयन्ती पटनायक, सर्वश्री मनोरंजन भक्त, ई० एस० एस० फकीर मुहम्मद, जी०आई० पटेल०, भानु प्रतापसिंह, वीरसेन, दीप नारायण वन, मदन पाण्डे, जी० एम० बसवराजु, डाल चन्द्र जैन, एम० वाई० घोरपडे, एच० एन० नन्जे गौड़ा, लाल दुमोहा, नरेश चन्द्र चतुर्वेदी, राम पूजन पटेल और भद्रेश्वर तांती ।

*गलती से विपक्ष के लिए मतदान किया ।

पेंचालैया, श्री पी०
भट्टम, श्री श्रीराम मूर्ति
भुपति, श्री जी०
*मलिक, श्री पूर्णचन्द्र
*मानवेन्द्र सिंह, श्री
राजू, श्री आनन्द गजपति
राजू, श्री विजय कुमार
राम बहादुर सिंह, श्री
राव, श्री वी० शोभनाद्रीश्वर
रेड्डी श्री के० रामचन्द्र
रेड्डी श्री सी० जंगा
रेड्डी, श्री एम० रघुमा
रेड्डी, श्री सी० माधव
साहा, श्री अजित कुमार
साहा, श्री गदाधार
सेल्वेन्द्रन, श्री पी०
*सोज, प्रो० सैफुद्दीन
सोढी, श्री मनकूराम (बस्तर)
हंसदा, श्री मतिलाल

विपक्ष में

अंजैया, श्रीमती मनेम्मा
अंसारी, श्री जियाउर्रहमान
अंसारी, श्री अब्दुल हन्नान
अख्तर हसन, श्री
अग्रवाल, श्री जय प्रकाश
अडईकलराज, श्री एल०
अतीतन, श्री आर० धनुषकोडी
अब्बासी, श्री के० जे०
अर्जन सिंह, श्री
अरुणाचलम, श्री एम०
अलखाराम, श्री
अवस्थी, श्री जगदीश
अहमद, श्रीमती आबिदा
अहमद, श्री सरफराज
आजाद, श्री गुलाम नबी
आजाद, श्री भागवत झा
आनन्द सिंह, श्री
उरांव, श्रीमती सुमति
ऐंगती, श्री बीरेन सिंह
ओडेयार, श्री चनैया
कमलनाथ, श्री
कुमारी कमला कुमारी,
कांबले, श्री अरविन्द तुलसीराम
कामत, श्री गुरुदास
कामसन, प्रो० मिजिनलंग
किदवई, श्रीमती मोहसिना
किन्दर लाल, श्री
किस्कू, श्री पृथ्वी चन्द
कुंवर राम, श्री
कुचन, श्री गंगाधर एस०
कुजूर, श्री मारिस
कुप्पुस्वामी, श्री सी०के०
कुमारमंगलम, श्री पी० आर०
कुरियन, प्रो० पी० जे०
कुरेशी, श्री अजीज़
केन, श्री लाला राम
केयुर भूषण, श्री
कौल, श्रीमती शीला
कौशल, श्री जगन्नाथ
कृष्ण कुमार, श्री एस०
कृष्ण सिंह, श्री

*गलती से पक्ष में मतदान किया ।

क्षीरसागर, श्रीमती केशरबाई
खत्री, श्री निर्मल
खां, श्री असलम शेर
खां, श्री मोहम्मद अयूब
खां, श्री रहीम
खिरहर, श्री राम श्रेष्ठ
गंगा राम, श्री
गढ़वी, श्री बी०के०
गहलौत, श्री अशोक
गांधी, श्री राजीव
गामित, श्री सी० डी०
गायकवाड़, श्री रणजीत सिंह
गावीत, श्री मानिक राव होडल्या
गुप्त, श्रीमती प्रभावती
गुहा, डा० फूलरेणु
गोमांगों, श्री गिरिधर
गोहिल, श्री जी० बी०
गौंडर, श्री ए० एस०
गौडा, श्री एच० एन० नन्जे
घोरपड़े, श्री एम०वाई०
घोलप, श्री एस०जी०
घोष, श्री तरुण कान्ति
घोष, श्री विमल कान्ति
घोषाल, श्री देवी
चतुर्वेदी, श्री नरेश चन्द्र
चतुर्वेदी, श्रीमती विद्यावती
चन्द्रशेखर, श्रीमती एम०
चन्द्रशेखरप्पा, श्री टी० वी०
चन्द्रेश कुमारी, श्रीमती
चव्हाण, श्री अशोक शंकरराव
चव्हाण, श्रीमती प्रेमलाबाई
चिदम्बरम, श्री पी०
चौधरी, श्रीमती ऊषा
चौधरी, श्री जगन्नाथ
चौधरी, श्री मनफूल सिंह
जगतनक्षन, डा० एस०
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जदेजा, श्री डी०पी०
जय मोहन, श्री ए०
जाटव, श्री कमोदीलाल
जितेन्द्र प्रसाद, श्री
जितेन्द्र सिंह, श्री
जुझार सिंह, श्री
जैना, श्री चिन्तामणि
जेना, श्री डाल चन्द्र
जैन, श्री निहाल सिंह
जैन, श्री वृद्धि चन्द्र
जैनुल बशर, श्री
झिकराम, श्री एम०एल०
ठक्कर, श्रीमती ऊषा
डामर, श्री सोमजी भाई
डिगाल, श्री राधाकांत
डेनिस, श्री एन०
डोगरा, श्री गिरधारी लाल
डोण गांवकर, श्री साहब राव पाटिल
ढिल्लन, डा० जी०एस०
तपेश्वर सिंह, श्री
तारादेवी, कुमारी डी०के०
तारिक अनवर, श्री
तिग्गा, श्री साइमन
तिलकधारी सिंह, श्री
तिवारी, प्रो० के०के०
तोमर, श्रीमती ऊषा रानी
त्यागी, श्री धर्मवीर सिंह
त्रिपाठी, डा० चन्द्र शेखर
थामस, प्रो० के०वी०
थुंगन, श्री पी०के०
थोरट, श्री भाऊसाहिब

दलवाई, श्री हुसैन
दलबीर सिंह, चौधरी
दाभी, श्री अजीत सिंह
दास, श्री अनादि चरण
दास, श्री बिपिनपाल
दास मुन्शी, श्री प्रिय रंजन
दास, श्री सुदर्शन
दिग्विजय सिंह, श्री
दिग्विजय सिंह श्री
दिघे, श्री शरद
दिनेश सिंह, श्री
दीक्षित, श्रीमती शीला
दूबे, श्री भीष्म देव
देव, श्री सन्तोष मोहन
देवरा, श्री मुरली
देवी, प्रो० चन्द्र भानु
नटवर सिंह, श्री के०
नवल प्रभाकर, श्रीमती सुन्दरवती
नामग्याल, श्री पी०
नायक, श्री शांताराम
नारायणन, श्री के०आर०
नीखरा, श्री रामेश्वर
पंजा, श्री ए०के०
पंत, श्री कृष्ण चन्द्र
पकीर मोहम्मद, श्री ई०एस०एम०
पटनायक, श्री जगन्नाथ
पटेल, श्री अहमद एम०
पटेल, श्री यू०एच०
पटेल, श्री जी०आई०
पटेल, श्री राम पूजन
पनिका, श्री रामप्यारे
पराशर, प्रो० नारायण चन्द
पवार, श्री सत्यनारायण
पांडे, श्री दामोदर
पांडे, श्री मदन
पांडे, श्री मनोज
पांडे, श्री राजमंगल
पाटिल, श्री एच०बी०
पाटिल, श्री प्रकाश बी०
पाटिल, श्री बालासाहेब बिखे
पाटिल, श्री यशवंतराव गडाख
पाटिल, श्री विजय एन०
पाटिल, श्री वीरेन्द्र
पाटिल, श्री शिवराज बी०
पाठक, श्री चन्द्र किशोर
पाणिग्रही, श्री चिन्तामणि
पाणिग्रही, श्री श्रीबल्लभ
पारधी, श्री केशवराव
पुजारी, श्री जनार्दन
पुरोहित, श्री बनवारी लाल
पुष्पा देवी, कुमारी
पूरन चन्द्र, श्री
पेरूमान, डा० पी० वल्लल
पोतदुखे, श्री शांताराम
प्रकाश चन्द्र, श्री
प्रधान, श्री के०एन०
प्रधानी, श्री के०
प्रभु, श्री आर०
फर्नान्डीज, श्री ओस्कर
फैलीरो, श्री एडुआर्डो
बघेल, श्री प्रताप सिंह
बनर्जी, कुमारी ममता
बलरामन, श्री एल०
बसवराजेश्वरी, श्रीमती
बाली, श्रीमती बैजयन्तीमाला
बीरबल, श्री
वीरेन्द्र सिंह, राव
वीरन्द्र सिंह, श्री
बुदानिया, श्री नरेन्द्र

बुन्देला, श्री सुजान सिंह
बूटा सिंह सरदार
बैठा, डूमर लाल
बैरागी, श्री बालकवि
भक्त, श्री मनोरंजन
भगत, श्री एच०के० एल०
भरत सिंह, श्री
भूमिज, श्री हरेन
भुरिया, श्री दिलीप सिंह
भोई, डा० कृपा सिंधु
भोसले, श्री प्रतापराव बी०
मनोरमा सिंह, श्रीमती
मलिक, श्री धर्मपाल सिंह
मलिक, श्री लक्ष्मण
महन्ती, श्री बृजमोहन
महाजन, श्री वाई०एस०
महावीर प्रसाद, श्री
माधुरी सिंह, श्रीमती
माने, श्री मुरलीधर
मालवीय, श्री बापूलाल,
मावणि, श्रीमती पटेल रमाबेन रामजीभाई
मिर्धा, श्री राम निवास
मिश्र, श्री उमाकान्त
मिश्र, श्री जी०एस०
मिश्र, श्री नित्यानन्द
मिश्र, राम नगीना
मिश्र, श्री श्रीपति
मिश्र, डा० प्रभात कुमार
मीणा, श्री रामकुमार
मीरा कुमार, श्रीमती
मुंडाकल, श्री जार्ज जोसफ
मुशरान, श्री अजय
मूर्ति, श्री एम०वी० चन्द्रशेखर
यादव, श्री कैलाश

मेहता, श्री हरुभाई
मोतीलाल सिंह, श्री
मोदी, श्री विष्णु
मोरे, प्रो० रामकृष्ण
यशपाल सिंह, श्री
याजदानी, डा० गुलाम
यादव, श्री आर०एन०
यादव, श्री डी०पी०
यादव, श्री बलराम सिंह
यादव, श्री महावीर प्रसाद
यादव, श्री राम सिंह
यादव, श्री विजय कुमार
यादव, श्री श्याम लाल
योगेश, श्री योगेश्वर प्रसाद
रंगनाथ, श्री के०एच०
रघुराज सिंह, चौधरी
रथ, श्री सोमनाथ
राउत, श्री भोला
राज करन सिंह, श्री
राजहंस, डा० गौरी शंकर
राजेश्वरन, डा० वी०
राठवा, श्री अमर सिंह
राठौड़, श्री उत्तम
राम, श्री रामस्वरूप
राम अवध प्रसाद, श्री
रामचन्द्रन, श्री मुल्लापल्ली
राम समुझावन, श्री
राम सिंह, श्री
राम धन, श्री
राम प्रकाश, चौधरी
राममूर्ति, श्री के०
रामाश्रय प्रसाद सिंह, श्री
रामुलू, श्री एच०जी०

राय, श्री राज कुमार
राव, श्री जे० चोक्का
राव, श्री जे० वेंगल
राव, श्री पी०वी० नरसिंह
राव, श्री वी० कृष्ण
रावणी, श्री नवीन
रावत, श्री कमला प्रसाद
रावत, श्री प्रभुलाल
लाल डुहोमा, श्री
लाहा, श्री आशुतोष
लोवांग, श्री वांगफा
वन, श्री दीप नारायण
वनकर, श्री पूनमचन्द मीठाभाई
वर्मा, श्रीमती ऊषा
वर्मा, डा० सी०एस०
वासनिक, श्री मुकुल
विजयराघवन, श्री वी०एस०
वीरसेन, श्री
वेंकटेशन, श्री पी०आर०एस०
बैराले, श्री मधुसूदन
व्यास, श्री गिरधारीलाल
शंकरानन्द, श्री बी०
शक्तावत, प्रो० निर्मला कुमारी
शर्मा, श्री चिरंजीलाल
शर्मा, श्री नन्द किशोर
शर्मा, श्री प्रताप भानु
शास्त्री, श्री हरिकृष्ण
शाह, श्री अनूपचन्द
शाही, श्री ललितेश्वर
शिगडा, श्री डी०बी०
शिवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री
शैलेश, डा० बी०एल०
श्री निवास प्रसाद, श्री वी०
संकटा प्रसाद, डा०
संखवार, श्री आशकरण
सईद, श्री पी०एम०
सकरगयम, श्री कालीचरण
सत्येन्द्र चन्द्र, श्री
सलाउद्दीन, श्री
साठे, श्री बसंत
साही, श्रीमती कृष्णा
साहु, श्री शिव प्रसाद
सिंह, श्री कमला प्रसाद
सिंह, श्री कृष्ण प्रताप
सिंह, श्री के०एन०
सिंह, श्री डी०जी०
सिंह, श्री लाल विजय प्रताप
सिंह, श्री एस०डी०
सिंह, संतोष कुमार
सिंहदेव, श्री के०पी०
सिंहनाल, श्री एस० बी०
सिद्दीक, श्री हाफिज मोहम्मद
सिन्धिया, श्री माधवराव
सिन्हा, श्रीमती रामदुलारी
सुन्दर सिंह, चौधरी
सुखराम, श्री
सुखवन्स कौर, श्रीमती
सुन्दरराज, श्री एन०
सुब्बूरमन, श्री ए०जी०
सुमन, श्री रामप्यारे
सुरेन्द्रपाल सिंह, श्री
सुल्तानपुरी, श्री के०डी०
सूर्यवंशी, श्री नरसिंह
सेट, श्री अजीज
सेठी, श्री अनन्त प्रसाद
सेठी, श्री प्रकाश चन्द्र
सेन, श्री भोला नाथ
सोरन, श्री हरिहर

सोलंकी, श्री कल्याण सिंह
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
स्पैरो, श्री आर०एस०
स्वैल, श्री जी०जी०
षण्मुख, श्री पी०
हरपाल सिंह, श्री
हाल्दार, प्रो० एम०आर०

उपाध्यक्ष महोदय : शुद्धि के अध्यधीन**, मत-विभाजन का परिणाम इस प्रकार है :—

पक्ष में : 33
विपक्ष में : 320

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : इससे पहले कि मैं खण्ड 3 को सभा में मतदान के लिए रखूं, मैं यह कहना चाहता हूं कि इसके संविधान (संशोधन) विधेयक होने के कारण मतदान विभाजन द्वारा ही होगा।

अब दीर्घाएं पहले ही खाली हो गई हैं।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 3, विधेयक का अंग बने।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ।

मत-विभाजन सं० 7] **[4.14 म०प०**

पक्ष में

अंजैया, श्रीमती मनेम्मा
अंसारी, श्री जियाउर्रहमान
अंसारी, श्री अब्दुल हन्नान
अख्तर हसन, श्री
अग्रवाल, श्री जय प्रकाश
अडईकलराज, श्री एल०
अताउर्रमान, श्री
अब्दुल गफूर, श्री
अब्बासी, श्री के० जे०
अर्जुन सिंह, श्री
अरुणाचलम, श्री एम०
अलखराम, श्री
अवस्थी, श्री जगदीश
अहमद, श्रीमती आबिदा
अहमद, श्री सरफराज
आचार्य, श्री वसुदेव
आजाद, श्री गुलाम नबी
आजाद, श्री भागवत झा
आनन्द सिंह, श्री
उरांव, श्रीमती सुमति
कमलनाथ, श्री
कमला कुमारी, कुमारी

**निम्नलिखित सदस्यों ने भी मत विभाजन में भाग लिया :—

पक्ष में : डा० दत्ता सामन्त और श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर।

विपक्ष में : श्री ब्रह्मदत्त, श्रीमती जयन्ती पटनायक, सर्व श्री अब्दुल गफूर, डी० के० नायकर, टी० बाला गौड़, मानकू राम सोढी, मानवेन्द्र सिंह और भद्रेश्वर तांती।

कांबले, श्री अरविन्द तुलसीराम
काबुली, श्री अब्दुल रशीद
कामत, श्री गुरुदास
कामसन, प्रो० मिजिनलंग
किदवई, श्रीमती मोहसिना
किन्दर लाल, श्री
किस्कू, श्री पृथ्वी चन्द
कुंवर राम, श्री
कुचन, श्री गंगाधर एस०
कुजूर, श्री मारिस
कुप्पुस्वामी, श्री सी० के०
कुमारमंगलम, श्री पी० आर०
कुरियन, प्रो० पी० जे०
कुरूप, श्री सुरेश
कुरेशी, श्री अजीज
केन, श्री लाला राम
केयूर भूषण, श्री
कौल, श्रीमती शीला
कौशल, श्री जगन्नाथ
कृष्ण कुमार, श्री एस०
कृष्ण सिंह, श्री
क्षीरसागर, श्रीमती केशरबाई
खत्री, श्री निर्मल
खां, श्री असमल शेर
खां, श्री मोहम्मद अयूब
खां, श्री रहीम
खिरहर, श्री राम श्रेष्ठ
गंगा राम, श्री
गढ़वी, श्री बी० के०
गहलौत, श्री अशोक
गांधी, श्री राजीव
गामित, श्री सी० डी०
गायकवाड़, श्री रणजीत सिंह
गावीत श्री मानिकराव होडल्या
गुप्त, श्रीमती प्रभावती
गुहा, डा० फूलरेणु
गोमांगों, श्री गिरिधर
गोस्वामी, श्री दिनेश
गोहिल, श्री जी० बी०
गौडर, श्री ए० एस०
गौडा, श्री एच० एन० नन्जे
घोरपडे, श्री एम० वाई०
घोलप, श्री एस० जी०
घोष, श्री तरुण कान्ति
घोष, श्री विमल कान्ति
घोषाल, श्री देवी
चटर्जी, श्री सोमनाथ
चतुर्वेदी, श्री नरेश चन्द्र
चतुर्वेदी, श्रीमती विद्यावती
चन्द्रशेखर, श्रीमती एम०
चन्द्रशेखरप्पा, श्री टी० वी०
चन्द्राकर, श्री चन्दू लाल
चन्द्रेश कुमारी, श्रीमती
चव्हाण, श्री अशोक शंकर राव
चव्हाण, श्रीमती प्रेमलाबाई
चिदम्बरम्, श्री पी०
चौधरी, श्रीमती ऊषा
चौधरी, श्री जगन्नाथ
चौधरी, श्री मनफूल सिंह
चौधरी, श्री सैफुद्दीन
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जदेजा, श्री डी० पी०
जय मोहन, श्री ए०
जाटव, श्री कमोदीलाल
जायनल अबेदिन, श्री
जितेन्द्र प्रसाद, श्री
जितेन्द्र सिंह, श्री
जुझार सिंह, श्री

जैना, श्री चिन्तामणि
जैन, श्री डालचन्द्र
जैन, श्री निहाल सिंह
जैन, श्री वृद्धि चन्द्र
जैनुल बशर, श्री
झांसी लक्ष्मी, श्रीमती एन० पी०
झिकराम, श्री एम० एल०
ठक्कर, श्रीमती ऊषा
डामर, श्री सोमजी भाई
डिगाल, श्री राधाकांत
डेनिस, श्री एन०
डोण गांवकर, श्री साहब राव पाटिल
ढिल्लन, डा० जी० एस०
तपेश्वर सिंह, श्री
तांतीं, श्री भद्रेश्वर
तारादेवी, कुमारी डी० के०
तारिक अनवर, श्री
तिग्गा, श्री साइमन
तिलकधारी सिंह, श्री
तिवारी, प्रो० के० के०
तोमर, श्रीमती ऊषा रानी
त्यागी, श्री धर्मवीर सिंह
त्रिपाठी, डा० चन्द्र शेखर
थामस, प्रो० के० वी०
थुंगन, श्री पी० के०
थोरट, श्री भाऊसाहिब
दलवाई, श्री हुसैन
दलबीर सिंह, श्री
दाभी, श्री अजीत सिंह
दास, श्री अनादि चरण
दास, श्री बिपिनपाल
दास मुन्शी, श्री प्रिय रंजन
दास, श्री सुदर्शन
दिग्विजय सिंह, श्री
दिग्विजय सिंह, श्री
दिघे, श्री शरद
दिनेश सिंह, श्री
दीक्षित, श्रीमती शीला
दूबे, श्री भीष्म देव
देव, श्री वी० किशोरचन्द्र एस०
देव, श्री सन्तोष मोहन
देवरा, श्री मुरली
देवी, प्रो० चन्द्र भानु
नटवर सिंह, श्री के०
नवल प्रभाकर, श्रीमती सुन्दरवती
नामग्याल, श्री पी०
नायक, श्री शांताराम
नायकर, श्री डी० के०
नारायणन, श्री के० आर०
नीखरा, श्री रामेश्वर
पंजा, श्री ए० के०
पंत, श्री कृष्ण चन्द्र
पकीर मोहम्मद, श्री ई० एस० एम०
पटनायक, श्री जगन्नाथ
पटनायक, श्रीमती जयन्ती
पटेल, श्री अहमद एम०
पटेल, श्री यू० एच०
पटेल, श्री जी० आई०
पटेल, श्री राम पूजन
पनिका, श्री राम प्यारे
पराशर, प्रो० नारायण चन्द
पवार, श्री सत्यनारायण
पांडे, श्री दामोदर
पांडे, श्री मदन
पांडे, श्री मनोज
पांडे, श्री राजमंगल
पाटिल, श्री एच० बी०
पाटिल, श्री प्रकाश बी०

पाटिल, श्री बालासाहेब विखे
पाटिल, श्री यशवंतराव गडाख
पाटिल, श्री विजय एन०
पाटिल, श्री वीरेन्द्र
पाटिल, श्री शिवराज वी०
पाठक, श्री चन्द्र किशोर
पाणिग्रही, श्री चिन्तामणि
पाणिग्रही, श्री श्रीबल्लभ
पारधी, श्री केशवराव
पुजारी, श्री जनार्दन
पुरोहित, श्री बनवारी लाल
पुष्पा देवी, कुमारी
पूरन चन्द्र, श्री
पेंचालैया, श्री पी०
पेरूमान, डा० पी० वल्लल
पोतदुखे, श्री शांताराम
प्रकाश चन्द्र, श्री
प्रधान, श्री के० एन०
प्रधानी, श्री के०
प्रभु, श्री आर०
फर्नान्डीज, श्री ओस्कर
फैलीरो, श्री एडुआर्डो
बघेल, श्री प्रताप सिंह
बनर्जी, कुमारी ममता
बनातवाला, श्री जी० एम०
बलरामन, श्री एल०
बसवराजेश्वरी, श्रीमती
बालगौड़, श्री टी०
बाली, श्रीमती वैजयन्तीमाला
बीरबल, श्री
वीरेन्द्र सिंह, राव
वीरेन्द्र सिंह, श्री
बुदानिया, श्री नरेन्द्र
बुन्देला, श्री सुजान सिंह
बूटासिंह सरदार

बैठा, श्री डूमर लाल
बैरागी, श्री बालकवि
ब्रह्मदत्त श्री
भक्त, श्री मनोरंजन
भगत, श्री एच० के० एल०
भट्टम, श्री श्रीराम मूर्ति
भरत सिंह, श्री
भुपति, श्री जी०
भूमिज, श्री हरेन
भुरिया, श्री दिलीप सिंह
भोई, डा० कृपा सिन्धु
भोसले, श्री प्रतापराव बी०
मनोरमा सिंह, श्रीमती
मलिक, श्री धर्मपाल सिंह
मलिक, श्री पूर्णचन्द्र
मलिक, श्री लक्ष्मण
महन्ती, श्री बृजमोहन
महाजन, श्री वाई० एस०
महावीर प्रसाद, श्री
माधुरी सिंह, श्रीमती
मानवेन्द्र सिंह, श्री
माने, श्री मुरलीधर
मालवीय, श्री बापूलाल
मावणि, श्रीमती पटेल रामाबेन रामजीभाई
मिर्धा, श्री राम निवास
मिश्र, श्री उमाकान्त
मिश्र, श्री जी० एस०
श्रिम जी नित्यानन्द
मिश्र, श्री राम नगीना
मिश्र, श्री श्रीपति
मिश्र, डा० प्रभात कुमार
मीणा श्री रामकुमार
मीरा कुमार, श्रीमती
मुंडाकल, श्री जार्ज जोसफ
मुखर्जी, श्रीमती गीता

मुशरान, श्री अजय
मूर्ति, श्री एम० वी० चन्द्रशेखर
मेहता, श्री हरुभाई
मोतीलाल सिंह, श्री
मोदी, श्री विष्णु
मोरे, प्रो० रामकृष्ण
यशपाल सिंह, श्री
याजदानी, डा० गुलाम
यादव, श्री आर० एन०
यादव, श्री कैलाश
यादव, श्री डी० पी०
यादव, श्री बलराम सिंह
यादव, श्री महावीर प्रसाद
यादव, श्री राम सिंह
यादव, श्री विजय कुमार
यादव, श्री श्याम लाल
योगेश, श्री योगेश्वर प्रसाद
रंगनाथ, श्री के० एच०
रघुराज सिंह, चौधरी
रथ, श्री सोमनाथ
राउत, श्री भोला
राज करन सिंह, श्री
राजहंस, डा० गौरी शंकर
राजू, श्री आनन्द गजपति
राजू, श्री विजय कुमार
राजेश्वरन, डा० वी०
राठवा, श्री अमर सिंह
राठौड़, श्री उत्तम
राम, श्री रामस्वरूप
राम अवध प्रसाद, श्री
रामचन्द्रन, श्री मुल्लापल्ली
राम समुझावन, श्री
राम धन, श्री
राम सिंह, श्री
राम प्रकाश, चौधरी
राम बहादुर सिंह, श्री
राममूर्ति, श्री के०
रामाश्रय प्रसाद सिंह, श्री
रामुलू, श्री एच० जी०
राय, श्री राज कुमार
राव, श्री के०एस०
राव, श्री जे० चोक्का
राव, श्री पी० वी० नरसिंह
राव, श्री वी० शोभनाद्रीश्वर
राव, श्री वी० कृष्ण
रावणी, श्री नवीन
रावत, श्री कमला प्रसाद
रेड्डी, श्री के० रामचन्द्र
रेड्डी, श्री सी० जंगा
रेड्डी, श्री एम० रघुमा
रेड्डी, श्री सी० माधव
लाल डहोमा, श्री
लाहा, श्री आशुतोष
लोवांग, श्री वांगफा
वन, श्री दीप नारायण
वनकर, श्री पूनमचन्द मीठाभाई
वर्मा, श्रीमती ऊषा
वर्मा, डा० सी० एस०
वासनिक, श्री मुकुल
विजयराघवन, श्री वी० एस०
वीरसेन, श्री
वेंकटेशन, श्री पी० आर० एस०
वैराले, श्री मधुसूदन
व्यास, श्री गिरधारीलाल
शंकरानन्द, श्री बी०
शक्तावत, प्रो० निर्मला कुमारी
शर्मा, श्री चिरंजीलाल
शर्मा, श्री नन्द किशोर
शर्मा, श्री प्रताप भानु
शास्त्री, श्री हरिकृष्ण

शाह, श्री अनूपचन्द
शाही, श्री ललितेश्वर
शिगडा, श्री डी० बी०
शिवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री
शैलेश, डा० बी० एल०
श्री निवास प्रसाद, श्री बी०
संकटा प्रसाद, डा०
संखवार, श्री आशकरण
सईद, श्री पी० एम०
सकरगयम, श्री कालीचरण
सत्येन्द्र चन्द्र, श्री
सलाउद्दीन, श्री
साठे, श्री वसंत
साहा, श्री अजित कुमार
साहा, श्री गदाधर
साही, श्रीमती कृष्णा
साहु, श्री शिव प्रसाद
सिंह, श्री कमला प्रसाद
सिंह, श्री कृष्ण प्रताप
सिंह, श्री के० एन०
सिंह, श्री डी० जी०
सिंह, श्री भानु प्रताप
सिंह, श्री लाल विजय प्रताप
सिंह, श्री एस० डी०
सिंह, सन्तोष कुमार
सिंहदेव, श्री के० पी०
सिद्दनाल, श्री एस० बी०
सिद्दीक, श्री हाफिज मोहम्मद
सिन्धिया, श्री माधवराव
सिन्हा, श्रीमती रामदुलारी
सुन्दर सिंह, चौधरी
सुखराम, श्री
सुखवन्स कौर, श्रीमती
सुन्दरराज, श्री एन०
सुब्बूरमन, श्री ए० जी०
सुमन, श्री रामप्यारे
सुरेन्द्रपाल सिंह, श्री
सुल्तानपुरी, श्री के० डी०
सूर्यवंशी, श्री नरसिंह
सेट, श्री अजीज
सेट, श्री इब्राहीम सुलेमान
सेठी, श्री अनन्त प्रसाद
सेठी, श्री प्रकाश चन्द्र
सेन, श्री भोला नाथ
सोज, प्रो० सैफुद्दीन
सोढी, श्री मनकूराम
सोरन, श्री हरिहर
सोलंकी, श्री कल्याण सिंह
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
स्पैरो, श्री आर० एस०
स्वैल, श्री जी० जी०
षण्मुख, श्री पी०
हंसदा, श्री मतिलाल
हाल्दर, प्रो० एम० आर०

विपक्ष में

*राव, श्री जे० वेंगल

अब्दुल हमीद, श्री

उपाध्यक्ष महोदय : शुद्धि के अध्यधीन,** मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है :

पक्ष में : 352

विपक्ष में : 2

प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से अन्यून बहुमत से पारित हुआ ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड-एक—संक्षिप्त नाम

संशोधन किया गया ।

"पृष्ठ 1, पंक्ति 3,—

'छप्पनवां' के स्थान, पर 'अट्ठावनवां' प्रतिस्थाति किया जाए । (1)

(श्री चिन्तामणि पाणिग्रही)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 1, यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गए ।

[हिन्दी]

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक, यथा संशोधित, पारित किया जाए ।"

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : इससे पहले कि मैं यह प्रस्ताव सभा में मतदान के लिए रखूं कि विधेयक, यथा संशोधित, पारित किया जाए, मैं यह कहना चाहता हूं कि इसके संविधान (संशोधन) विधेयक होने के कारण मतदान मत विभाजन द्वारा ही होगा ।

*गलती से विपक्ष में मतदान किया ।

**निम्नलिखित सदस्यों ने भी पक्ष में मतदान किया :—पक्ष में : सर्वश्री जे० वेंगल राव, वीरेन सिंह एंगटी, गिरधारी लाल डोगरा, हरपाल सिंह, चनैया ओडेयार, जी० एस० बसवराजु, डा० दत्ता सामन्त, श्री आर० अनुषकोडी अतीतन, श्री प्रभु लाल रावत और श्री वी० एस कृष्ण अय्यर ।

अब दीर्घाएं पहले ही खाली कर दी गई हैं ।

प्रश्न यह है :

"कि विधेयक, यथा संशोधित, पारित किया जाए ।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ ।

मत विभाजन सं० 8] [4.16 म०प०

पक्ष में

अंजैया, श्रीमती मनेम्मा
अंसारी, श्री जियाउर्रहमान
अंसारी, श्री अब्दुल हन्नान
अख्तर हसन, श्री
अग्रवाल, श्री जय प्रकाश
अडईकलराज, श्री एल०
अताउर्रहमान श्री
अतीतन, श्री आर० धनुषकोडी
अब्दुल गफूर, श्री
अब्दुल हमीद, श्री
अब्बासी, श्री के० जे०
अर्जन सिंह, श्री
अरुणाचलम, श्री एम०
अलखाराम, श्री
अवस्थी, श्री जगदीश
अहमद, श्रीमती आबिदा
अहमद, श्री सरफराज
आचार्य, श्री वसुदेव
आजाद, श्री गुलाम नबी
आजाद, श्री भागवत झा
आनन्द सिंह, श्री
उरांव, श्रीमती सुमति
ऐंगती, श्री बीरेन सिंह
ओडेयार, श्री चनैया
कमलनाथ, श्री
कुमारी कमला कुमारी,
कांबले, श्री अरविन्द तुलसीराम
कामत, श्री गुरुदास
काबुली, श्री अब्दुल रशीद
कामसन, प्रो० मिजिनलंग
किदवई, श्रीमती मोहसिना
किन्दर लाल, श्री
किस्कू, श्री पृथ्वी चन्द
कुंवर राम, श्री
कुचन, श्री गंगाधर एस०
कुजूर, श्री मारिस
कुप्पुस्वामी, श्री सी०के०
कुमारमंगलम, श्री पी० आर०
कुरियन, प्रो० पी० जे०
कुरूप, श्री सुरेश
कुरेशी, श्री अजीज
केन, श्री लाला राम
केयुर भूषण, श्री
कौल, श्रीमती शीला
कौशल, श्री जगन्नाथ
कृष्ण कुमार, श्री एस०
कृष्ण सिंह, श्री
क्षीरसागर, श्रीमती केशरबाई
खत्री, श्री निर्मल
खां, श्री असलम शेर
खां, श्री मोहम्मद अयूब
खां, श्री रहीम
खिरहर, श्री राम श्रेष्ठ
गंगा राम, श्री
गढ़वी, श्री बी०के०
गहलौत, श्री अशोक
गांधी, श्री राजीव

गामित, श्री सी० डी०
गायकवाड़, श्री रणजीत सिंह
गावीत, श्री मानिक राव होडल्या
गुप्त, श्रीमती प्रभावती
गुहा, डा० फूलरेणु
गोमांगों, श्री गिरिधर
गोस्वामी, श्री दिनेश
गोहिल, श्री जी० बी०
गौंडर, श्री ए० एस०
गौडा, श्री एच० एन० नन्जे
घोलप, श्री एस०जी०
घोष, श्री तरुण कान्ति
घोष, श्री विमल कान्ति
घोषाल, श्री देवी
चतुर्वेदी, श्री नरेश चन्द्र
चतुर्वेदी, श्रीमती विद्यावती
चन्द्रशेखर, श्रीमती एम०
चन्द्रशेखरप्पा, श्री टी० वी०
चन्द्रकार, श्री चन्दूलाल
चन्द्रेश कुमारी, श्रीमती
चव्हाण, श्री अशोक शंकरराव
चव्हाण, श्रीमती प्रेमलाबाई
चिदम्बरम, श्री पी०
चौधरी, श्रीमती ऊषा
चौधरी, श्री जगन्नाथ
चौधरी, श्री मनफूल सिंह
चौधरी, श्री सैफुद्दीन
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जदेजा, श्री डी०पी०
जय मोहन, श्री ए०
जाटव, श्री कमोदीलाल
जायनल अबेदिन, श्री
जितेन्द्र प्रसाद, श्री
जितेन्द्र सिंह, श्री
जुझार सिंह, श्री
जैना, श्री चिन्तामणि
जैन, श्री निहाल सिंह
जैन, श्री वृद्धि चन्द्र
जैनुल बशर, श्री
झांसी लक्ष्मी, श्रीमती एन० पी०
ठक्कर, श्रीमती ऊषा
डामर, श्री सोमजी भाई
डेनिस, श्री एन०
डोगरा, श्री गिरधारी लाल
डोण गांवकर, श्री साहब राव पाटिल
ढिल्लन, डा० जी०एस०
तपेश्वर सिंह, श्री
तांती, श्री भद्रेश्वर
तारादेवी, कुमारी डी०के०
तारिक अनवर, श्री
तिग्गा, श्री साइमन
तिलकधारी सिंह, श्री
तिवारी, प्रो० के०के०
त्यागी, श्री धर्मवीर सिंह
त्रिपाठी, डा० चन्द्र शेखर
थामस, प्रो० के०वी०
थुंगन, श्री पी०के०
दलवाई, श्री हुसैन
दलबीर सिंह, श्री
दाभी, श्री अजीत सिंह
दास, श्री अनादि चरण
दास, श्री बिपिनपाल
दास मुन्शी, श्री प्रिय रंजन
दास, श्री सुदर्शन
दिग्विजय सिंह, श्री
दिग्विजय सिंह श्री
दिघे, श्री शरद
दिनेश सिंह, श्री

दीक्षित, श्रीमती शीला
दूबे, श्री भीष्म देव
देव, श्री बी० किशोरचन्द्र एस०
देव, श्री सन्तोष मोहन
देवरा, श्री मुरली
देवी, प्रो० चन्द्र भानु
नटवर सिंह, श्री के०
नवल प्रभाकर, श्रीमती सुन्दरवती
नामग्याल, श्री पी०
नायक, श्री शांताराम
नायकर, श्री डी०के०
नारायणन, श्री के०आर०
नीखरा, श्री रामेश्वर
पंजा, श्री ए०के०
पंत, श्री कृष्ण चन्द्र
फकीर मोहम्मद, श्री ई०एस०एम०
पटनायक, श्री जगन्नाथ
पटनायक, श्रीमती जयन्ती
पटेल, श्री अहमद एम०
पटेल, श्री जी०आई०
पनिका, श्री रामप्यारे
पराशर, प्रो० नारायण चन्द
पवार, श्री सत्यनारायण
पांडे, श्री दामोदर
पांडे, श्री मदन
पांडे, श्री मनोज
पांडे, श्री राजमंगल
पाटिल, श्री एच०बी०
पाटिल, श्री प्रकाश बी०
पाटिल, श्री बालासाहेब बिखे
पाटिल, श्री यशवंतराव गडाख
पाटिल, श्री विजय एन०
पाटिल, श्री वीरेन्द्र
पाटिल, श्री शिवराज बी०

पाठक, श्री चन्द्र किशोर
पाणिग्रही, श्री चिन्तामणि
पाणिग्रही, श्री श्रीबल्लभ
पारधी, श्री केशवराव
पुजारी, श्री जनार्दन
पुरोहित, श्री बनवारी लाल
पुष्पा देवी, कुमारी
पूरन चन्द्र, श्री
पेंचालैया, श्री पी०
पेरूमान, डा० पी० वल्लल
पोतदुखे, श्री शांताराम
प्रकाश चन्द्र, श्री
प्रधान, श्री के०एन०
प्रधानी, श्री के०
प्रभु, श्री आर०
फर्नान्डीज, श्री ओस्कर
फैलीरो, श्री एडुआर्डो
बघेल, श्री प्रताप सिंह
बनर्जी, कुमारी ममता
बनातवाला, श्री जी०एम०
बलरामन, श्री एल०
बसवराजेश्वरी, श्रीमती
बालगौड़, श्री टी०
बाली, श्रीमती वैजयन्तीमाला
बीरबल, श्री
वीरेन्द्र सिंह, राव
वीरन्द्र सिंह, श्री
बुदानिया, श्री नरेन्द्र
बुन्देला, श्री सुजान सिंह
बूटा सिंह सरदार
बैठा, श्री डूमर लाल
बैरागी, श्री बालकवि
ब्रह्मदत्त, श्री
भक्त, श्री मनोरंजन

भगत, श्री एच०के० एल०
भट्टम, श्री श्रीराम मूर्ति
भरत सिंह, श्री
भुपति, श्री जी०
भूमिज, श्री हरेन
भुरिया, श्री दिलीप सिंह
भोई, डा० कृपा सिंधु
भोसले, श्री प्रतापराव बी०
मनोरमा सिंह, श्रीमती
मलिक, श्री धर्मपाल सिंह
मलिक, श्री पूर्णचन्द्र
मलिक, श्री लक्ष्मण
महन्ती, श्री वृजमोहन
महाजन, श्री वाई०एस०
महावीर प्रसाद, श्री
माधुरी सिंह, श्रीमती
मानवेन्द्र सिंह, श्री
माने, श्री मुरलीधर
मालवीय, श्री बापूलाल,
मावणि, श्रीमती पटेल रमाबेन रामजीभाई
मिर्धा, श्री राम निवास
मिश्र, श्री उमाकान्त
मिश्र, श्री जी०एस०
मिश्र, श्री नित्यानन्द
मिश्र, राम नगीना
मिश्र, श्री श्रीपति
मिश्र, डा० प्रभात कुमार
मीणा, श्री रामकुमार
मीरा कुमार, श्रीमती
मुंडाकल, श्री जार्ज जोसफ
मुखर्जी, श्रीमती गीता
मुशरान, श्री अजय
मूर्ति, श्री एम०वी० चन्द्रशेखर
मेहता, श्री हरुभाई
मोतीलाल सिंह, श्री
मोदी, श्री विष्णु
मोरे, प्रो० रामकृष्ण
यशपाल सिंह, श्री
याजदानी, डा० गुलाम
यादव, श्री आर०एन०
यादव, श्री कैलाश
यादव, श्री डी०पी०
यादव, श्री बलराम सिंह
यादव, श्री महावीर प्रसाद
यादव, श्री राम सिंह
यादव, श्री विजय कुमार
यादव, श्री श्याम लाल
योगेश, श्री योगेश्वर प्रसाद
रंगनाथ, श्री के०एच०
रघुराज सिंह, चौधरी
रथ, श्री सोमनाथ
राउत, श्री भोला
राज करन सिंह, श्री
राजहंस, डा० गौरी शंकर
राजू, श्री आनन्द गजपति
राजू, श्री विजय कुमार
राजेश्वरन, डा० वी०
राठवा, श्री अमर सिंह
राठौड़, श्री उत्तम
राम, श्री रामस्वरूप
राम अवध प्रसाद, श्री
रामचन्द्रन, श्री मुल्लापल्ली
राम समुझावन, श्री
राम धन, श्री
राम सिंह, श्री
राम प्रकाश, चौधरी
राम बहादुर सिंह, श्री
राममूर्ति, श्री के०
रामश्रय प्रसाद सिंह, श्री
रामुलू, श्री एच०जी०
राय, श्री राज कुमार

राव, श्री के० एस०
राव, श्री जे० चोक्का
राव, श्री जे० वेंगल
राव, श्री पी०वी० नरसिंह
राव, श्री वी० शोभनाद्रीश्वर
राव, श्री वी० कृष्ण
रावणी, श्री नवीन
रावत, श्री कमला प्रसाद
रेड्डी, श्री के० रामचन्द्र
रेड्डी, श्री एम० रघुमा
रेड्डी, श्री सी० माधव
लाल डुहोमा, श्री
लाहा, श्री आशुतोष
लोवांग, श्री वांगफा
वन, श्री दीप नारायण
वनकर, श्री पूनमचन्द मीठाभाई
वर्मा, श्रीमती ऊषा
वर्मा, डा० सी०एस०
वासनिक, श्री मुकुल
विजयराघवन, श्री वी०एस०
वीरसेन, श्री
वेंकटेशन, श्री पी०आर०एस०
वैराले, श्री मधुसूदन
व्यास, श्री गिरधारीलाल
शंकरानन्द, श्री बी०
शक्तावत, प्रो० निर्मला कुमारी
शर्मा, श्री चिरंजीलाल
शर्मा, श्री नन्द किशोर
शर्मा, श्री प्रताप भानु
शास्त्री, श्री हरिकृष्ण
शाह, श्री अनूपचन्द
शाही, श्री ललितेश्वर
शिंगडा, श्री डी०बी०

शिवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री
शैलेश, डा० बी०एल०
श्री निवास प्रसाद, श्री वी०
संकटा प्रसाद, डा०
संखवार, श्री आशकरण
संतोष कुमार सिंह, श्री
सईद, श्री पी०एम०
सकरगयम, श्री कालीचरण
सत्येन्द्र चन्द्र, श्री
सलाउद्दीन, श्री
साठे, श्री वसंत
साहा, श्री अजित कुमार
साहा, श्री गदाधर
साही, श्रीमती कृष्णा
साहु, श्री शिव प्रसाद
सिंह, श्री कमला प्रसाद
सिंह, श्री कृष्ण प्रताप
सिंह, श्री के०एन०
सिंह, श्री डी०जी०
सिंह, श्री भानु प्रताप
सिंह, श्री लाल विजय प्रताप
सिंह, श्री एस०डी०

सिंहदेव, श्री के०पी०
सिंहनाल, श्री एस० बी०
सिद्दीक, श्री हाफिज मोहम्मद
सिन्धिया, श्री माधवराव
सिन्हा, श्रीमती रामदुलारी
सुन्दर सिंह, चौधरी
सुखराम, श्री
सुखवन्स कौर, श्रीमती
सुन्दरराज, श्री एन०
सुब्बूरमन, श्री ए०जी०

सुमन, श्री रामप्यारे
सुरेन्द्रपाल सिंह, श्री
सुल्तानपुरी, श्री के०डी०
सूर्यवंशी, श्री नरसिंह
सेट, श्री अजीज
सेट, श्री इब्राहीम सुलेमान
सेठी, श्री अनन्त प्रसाद
सेठी, श्री प्रकाश चन्द्र
सेन, श्री भोला नाथ
सोज, प्रो० सैफुद्दीन
सोढी, श्री मनकूराम
सोरन, श्री हरिहर
सोलंकी, श्री कल्याण सिंह
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
स्पैरो, श्री आर०एस०
षण्मुख, श्री पी०
हंसदा, श्री मतिलाल
हरपाल सिंह, श्री
हाल्दार, प्रो० एम०आर०

उपाध्यक्ष महोदय : शुद्धि के अध्यधीन,** मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है :

पक्ष में : 347

विपक्ष में : शून्य

प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से अन्यून बहुमत से पारित हुआ ।

विधेयक, संशोधित रूप में, संविधान के अनुच्छेद 368 के उपबन्धों के अनुसार अपेक्षित बहुमत द्वारा पारित हुआ ।

———

4.16 म० प०

प्राकृतिक आपदाओं, विशेषकर सूखा, बाढ़ और तूफान से उत्पन्न स्थिति के बारे में चर्चा

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा प्राकृतिक आपदाओं, विशेषकर सूखा, बाढ़ और तूफान से उत्पन्न स्थिति के बारे में नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा करेगी जिसके लिए 2 घंटे दिए गए हैं ।

कार्य मंत्रणा समिति में 23 नवम्बर, 1987 को दी गई सहमति के अनुसार चर्चा प्रारम्भ करने वाले को 20 मिनट तथा प्रत्येक अन्य सदस्य को 10 मिनट दिए जाएंगे । दो सदस्यों वाले छोटे ग्रुपों को यह विकल्प दिया जाएगा कि वे इस चर्चा में भाग लें अथवा वीरवार, 26 नवम्बर, 1967 को होने वाली आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि सम्बन्धी चर्चा में भाग लें ।

मैं सदस्यों पर इस बात के लिए दबाव दूंगा कि वे दिए गए समय का कड़ाई से पालन करें । निर्धारित समय से अधिक समय लेने वाले किसी भी सदस्य के भाषण को सभा का कार्यवाही में शामिल ननीं किया जाएगा ।

*'निम्नलिखित सदस्यों ने भी पक्ष में मतदान किया :—सर्वश्री गुरुदास कामथ, राधाकांत डिगाल, यू० एच० पटेल, प्रभु लाल रावत, जी० जी० स्वैल, मोहन लाल झिकराम, जी० एस० बसवराजु, डाल चन्द्र जैन, एम० वाई० घोरपड़े, डा० दत्ता सामन्त, श्री राम पूजन पटेल, श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर, श्री सी० जंगा रेड्डी और श्रीमती ऊषा, रानी तोमर ।

श्री दिनेश गोस्वामी (गुवाहाटी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्राकृतिक आपदाओं, विशेषकर सूखा, बाढ़ और तूफान से उत्पन्न स्थिति के बारे में नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा करने के लिए खड़ा हुआ हूं। यद्यपि चर्चा में प्राकृतिक आपदा विशेषकर सूखा, बाढ़ और तूफान शामिल हैं, फिर भी मैं दो कारणों की वजह से अपने आपको बाढ़ों तक ही सीमित रखूंगा।

4.19 म० प०

[श्री सोमनाथ रथ पीठासीन हुए]

प्रथमतः मुझे जितना समय मिला है उसके अन्दर मैं सभी प्राकृतिक आपदाओं के बारे में चर्चा नहीं कर पाऊंगा और दूसरे मैं यह महसूस करता हूं कि तूफान और सूखे पर उन सदस्यों द्वारा चर्चा की जाए जिनके पास उन प्राकृतिक आपदाओं के बारे में जानकारी मौजूद है।

प्रति वर्ष असम बाढ़ों द्वारा तबाह हो जाता है और इस वर्ष हमारे यहां जो बाढ़े आई थीं वे अपने परिमाण तथा संख्या में अभूतपूर्व थीं। कुछ महीनों के थोड़े से समय के अन्दर एक के बाद एक पांच बार बाढ़ आईं वे इतनी भयंकर बाढ़ और उनकी परिमाण जिनका वर्णन करना मुश्किल है। आज भी दो महीने से भी ज्यादा समय पहले जब बाढ़ का पानी कम हो गया है, अभी भी ऐसे क्षेत्र मौजूद हैं जहां लोग वापस नहीं जा सके हैं।

सभापति महोदय, सभा में कोई व्यवस्था बनी रहनी चाहिए।

सभापति महोदय : कृपया व्यवस्था बनाए रखिए।

श्री दिनेश गोस्वामी : आज भी पिछली बार जो बाढ़ आई थी उसके बाद 2 महीने से ज्यादा समय बीत गया है, अभी भी ऐसे क्षेत्र मौजूद हैं जहां लोग अपने पुराने घरों को वापस नहीं जा पाए हैं। लोग अपने घरों को जाने की स्थिति में नहीं हैं। बाढ़ के दौरान ऐसे क्षेत्र मौजूद थे जहां खाने का सामान गिराना भी असंभव था क्योंकि समस्त क्षेत्र पूर्णतया जल से आलावित था।

मैं माननीय मंत्री महोदय के लाभ के लिए कतिपय आंकड़े दूंगा जिनके पास ये आंकड़े पहले ही मौजूद हैं। परन्तु मेरे विचार में मुझे यह जानकारी खुद सभा को भी देनी चाहिए। मुश्किल से 2 करोड़ की जनसंख्या वाले असम में 52.12 लाख की आबादी पर पांच बाढ़ों का प्रमुख पड़ा है। उसका तात्पर्य है कि एक चौथाई से भी ज्यादा जनसंख्या पर बाढ़ का प्रभाव पड़ा है। 13932 वर्ग मील का क्षेत्र जलप्लावित हुआ, 309653 घर क्षतिग्रस्त हुए, लगभग एक लाख की संख्या में पशुधन की हानि हुई, 7011 गांवों पर इसका प्रभाव पड़ा और आप हमारे किसानों की उस दुर्दशा का अन्दाजा लगा सकते हैं जब 5.96 लाख हैक्टेयर जमीन पर उगी समग्र फसल क्षतिग्रस्त हो गई थी। इन बाढ़ों के दौरान 95 जानें गई। तीसरी बाढ़ आने तक हमारे पास 87 राहत शिविर थे। पिछली दो बाढ़ों के बारे में मैं आंकड़े प्राप्त नहीं कर सका। इसलिए शिविरों के आंकड़े केवल तीसरी बाढ़ तक ही हैं।

ब्रह्मपुत्र नदी में आई बाढ़ों के पूरे प्रकोप का असम राज्य को सामना करना पड़ता है। जैसा कि आप जानते हैं ब्रह्मपुत्र इस देश की सभी नदियों से महान् है और वास्तव में जब इस देश की सभी अन्य नदियों को स्त्रीलिंग से सम्बोधित किया जाता है जैसे 'गंगा मां' ब्रह्मपुत्र को 'पुत्र' समझा जाता है, ब्रह्मा का पुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी मुख्यतया असम राज्य से होकर गुजरती है। उससे भिन्न गंगा कई राज्यों से

होकर गुजरती है और यही कारण है कि नदी के समस्त प्रकोप का सामना सापेक्ष रूप से विकसित हो रहे असम राज्य को करना पड़ता है। प्रत्येक वर्ष यह न केवल भारी समस्याएं, मुश्किलें पैदा कर देती है और जान-माल का भी नुकसान करती है बल्कि इसमें तथा किसानों को बेहतर खेती करने की प्रणालियां अपनाने का प्रोत्साहन भी पूर्णतया खत्म हो गया है। यद्यपि किसान यह जानते हैं कि वे सभी प्रकार की नई प्रणालियों का प्रयोग कर सकते हैं, वे यह भी जानते हैं कि वे पूर्णतया प्रकृति पर निर्भर हैं क्योंकि किसी भी समय उनकी फसलों पर बाढ़ों का प्रभाव पड़ जाता है। यही कारण है कि इस तथ्य के बावजूद कि असम में कृषि विकास की काफी क्षमता है, वहां कृषि क्षेत्र में वास्तव में कोई विकास नहीं हुआ है। और वास्तव में हम कृषि क्षेत्र में किसी प्रकार के सुधार की आशा नहीं कर सकते हैं जब तक कि हम इस समस्या को युद्ध स्तर पर न सुलझाएं।

असम सरकार ने 385.15 करोड़ रुपए की मांग की है। यह मांग पहली तीन बाढ़ों के लिए थी। मैं नहीं जानता कि क्या असम सरकार ने पिछली दो बाढ़ों के लिए कोई मांग प्रस्तुत की है। परन्तु धनराशि अधिक होगी। आप इस बात से भली-भांति सहमत होंगे कि हमने जो धनराशि मांगी है वह काफी उपयुक्त है। हमने बाढ़ नियंत्रण उपायों के लिए 119 करोड़ रुपए, कृषि के लिए 12.12 करोड़ रुपए, खाद्य एवं सम्भरण के लिए 13.03 करोड़ रुपए तथा अनुग्रहपूर्ण राहत के लिए 19.40 करोड़ रुपए मांगे थे। महोदय, मैं इन सब बातों की गहराई में नहीं जाना चाहता। माननीय मंत्री महोदय तथा यह सभा यह जानते हैं कि इन बाढ़ों के दौरान असम काफी दिनों तक देश के दूसरे हिस्सों से कट गया था। हवाई सम्पर्क को छोड़कर भूमि पर रेलों, अथवा ट्रकों अथवा मोटरों द्वारा कोई सम्पर्क नहीं रह गया था जिसके परिणामस्वरूप सभी वस्तुओं के दाम बढ़ गए थे। यह सभा असम की जनता की दुर्दशा का भली-भांति अन्दाजा लगा सकती है जब एक समय में प्याज 40 रुपए प्रति किलो बिक रहा था। मेरे विचार में एक बहुमूल्य वस्तु जो मेरे कुछ मित्र किसी विशेष समय पर अपने बक्सों में असम ले जाया करते थे वह और कोई कीमती वस्तु नहीं प्याज ही था।

हमें एक और समस्या का सामना करना पड़ा है—वस्तुतः यह नई समस्या नहीं है—परन्तु यह समस्या समान रूप से अपनी तरह की एक बड़ी समस्या है और वह समस्या भूक्षरण की है।

जब बाढ़ का पानी कम हो जाता है तो यह भूक्षरण की समस्या छोड़ जाता है। हमने भूक्षरण में एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यापारिक नगर-डिब्रूगढ़ खो दिया है। आज समस्त मजुली, जो विश्व में 1,250 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र वाला सबसे बड़ा तीरवर्ती द्वीप है, वास्तविक उपप्लव का सामना कर रहा है क्योंकि प्रत्येक वर्ष यह क्षेत्र भूक्षरण के कारण कम होता जा रहा है। मेरे अपने चुनाव क्षेत्र में एक बहुत ही महत्वपूर्ण नगर, हो सकता है वह बहुत बड़ा नगर न हो, परन्तु व्यापारिक नगर है, पालसबारी भूक्षरण से पूर्णतया तहस-नहस हो गया है। लोग वहां गए और उन्होंने वहां पास के क्षेत्र में अपने मकान तथा चौके-चूल्हे बनाए, नए व्यापारिक केन्द्र खोले परन्तु वह क्षेत्र—मैं हाल ही में वहां गया था—भूक्षरण के भीषण हमले का सामना कर रहा है। मुकालमुआ का क्षेत्र भूक्षरण का सामना कर रहा है, और इससे असम राज्य में नई समस्या पैदा हो गई है। असम सरकार ने समस्या की जटिलता को देखते हुए, उस धनराशि के अलावा जो उन्होंने केन्द्र सरकार से मांगी है, कतिपय विशिष्ट उपाय सुझाए हैं। भारत सरकार को प्रस्तुत पांच-सूत्री कार्यक्रम के अनुसार केन्द्र सरकार को यह सुझाव दिया गया है कि ब्रह्मपुत्र से प्रभावित समस्त क्षेत्र को विशिष्ट अनुदान दिया जाना चाहिए। यह ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब भी बाढ़ आए तो हम भिखारियों की तरह केन्द्र सरकार के पास आएं।

हम सौ करोड़ अथवा कुछ सौ करोड़ रुपए मांगते हैं और उनमें से हमें कुछ करोड़ रुपए दिए जाते हैं और फिर हम अगली बाढ़ का इंतजार करते हैं, इस तरह से लोगों को सदा के लिए इस समस्या से ग्रस्त रहना पड़ेगा।

जब हम 21वीं शती में पहुंचने की बात कर रहे हैं, जब विज्ञान ने अनेक कठिनाइयों पर विजय पा ली है उस समय हमारा लोगों से यह कहना कि हमें परिस्थितियों के साथ समझौता करना ही पड़ेगा, तो मेरे विचार में यह हमारी राष्ट्रीय प्रगति के लिए शर्म की बात है और मैं विश्वास करता हूं कि कुछ बहुत ही गम्भीर उपाय करने पड़ेंगे जिनका मैं बाद में जिक्र करूंगा।

असम सरकार ने ब्रह्मपुत्र से प्रभावित समस्त क्षेत्र के लिए विशिष्ट अनुदान की मांग की है। हमने बाढ़ नियंत्रण सम्बन्धी निर्माण कार्यों के लिए वार्षिक आवंटन में बढ़ोतरी करने के लिए कहा है क्योंकि स्वयं ब्रह्मपुत्र बोर्ड ने अपनी मास्टर योजना में यह कहा है कि असम राज्य के पास बाढ़ नियंत्रण सम्बन्धी निर्माण कार्यों के लिए इस समय उपलब्ध धनराशि पर्याप्त नहीं है, और इस राशि से बाढ़ की समस्या का स्थायी रूप से अथवा पर्याप्त रूप से समाधान नहीं किया जा सकता। मैं नहीं समझता कि बाढ़ की समस्या का स्थायी समाधान हो सकता है; इसको कम किया जा सकता है और इसे तब तक कम नहीं किया जा सकता जब तक कि कुछ बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं शुरू नहीं की जातीं। मैं सभा का ध्यान उन बहुउद्देश्यीय परियोजनाओं की तरफ आकर्षित करूंगा जो ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा तैयार की गई हैं। हमने अगले 15 वर्षों के लिए बाढ़ नियंत्रण हेतु 400 करोड़ रुपए की और ऋण के रूप में शत प्रतिशत ऋण की मांग की है क्योंकि समस्या यह है कि आप जो धनराशि देते हैं—जब यह राहत कार्य के लिए आती है—वह धनराशि हमारे योजनागत संसाधनों में से काट ली जाती है जिसके फलस्वरूप विकास कार्य रुक जाते हैं। अतएव, लघु उपायों के लिए यद्यपि राज्य को तदर्थ राहत उपायों के लिए कतिपय धनराशि दी जाती है, वह धनराशि उस विशेष समय पर गरीब व्यक्तियों की मदद करती है, परन्तु अन्ततोगत्वा राज्य के विकास कार्य रुक जाते हैं। दुर्भाग्यवश मुझे यह कहना चाहिए कि केन्द्र सरकार हमारे अनुरोध पर बहुत कम धनराशि देती रही है। केन्द्रीय सहायता में से सीमान्त धन घटाकर जो धनराशि असम को दी गई है वह 57.25 करोड़ रुपए है जबकि हमारी मांग 385 करोड़ रुपए की थी। तटबन्धों का अधिकांश भाग बह गया है, सड़कें टूट गई हैं। वास्तव में ऊपरी असम को निचले असम से जोड़ने वाला केवल एकमात्र राष्ट्रीय मार्ग वस्तुतः काफी लम्बे समय से सम्पर्क में नहीं रहा है। इन सबके लिए हमने 119 करोड़ रुपए मांगे हैं और हमें धर्मार्थदान के रूप में 27 करोड़ रुपए की धनराशि दी गई है, कृषि के लिए बहुत ही सीमित 4 करोड़ रुपए की धनराशि दी गई है; वस्तुतः बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए स्वास्थ्य तथा निःशुल्क राहत के लिए कोई धनराशि नहीं दी गई है।

प्रति वर्ष इस समस्या के बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं है। इस समस्या के बारे में हमें जो कुछ करना है वह स्थायी रूप से करना है।

हम अनेक वर्षों से केन्द्रीय सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि ब्रह्मपुत्र एक ऐसी नदी है जिसकी जिस पर असम सरकार अकेली नियंत्रण नहीं कर सकती। हमें खुशी है कि असम लोगों के दबाव डालने पर संसद के एक अधिनियम द्वारा ब्रह्मपुत्र बोर्ड का गठन किया गया है। ब्रह्मपुत्र बोर्ड का अधिनियम, 1980 पारित हो गया है और ब्रह्मपुत्र बोर्ड स्थापित हो गया है। ब्रह्मपुत्र बोर्ड अधिनियम

के उपबन्धों में कहा गया है कि ब्रह्मपुत्र बोर्ड इस समस्या को सुलझाने के लिए बना है। मैं ब्रह्मपुत्र बोर्ड अधिनियम की धारा 12 को पढ़कर सुनाता हूं जो ब्रह्मपुत्र घाटी में बाढ़ नियंत्रण के लिए संबंधित है।

धारा 12 इस प्रकार है :

"12. ब्रह्मपुत्र-घाटी में बाढ़ आदि के नियंत्रण के लिए मास्टर प्लान :—(1) इस अधिनियम और नियमों के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए बोर्ड ब्रह्मपुत्र-घाटी में सर्वेक्षण और अन्वेषण करेगा तथा ब्रह्मपुत्र-घाटी में बाढ़ और तटअपरदन के नियंत्रण तथा जल निकास के सुधार के लिए मास्टर प्लान तैयार करेगा।"

मुझे ज्ञात हुआ है कि अब मास्टर प्लान तैयार कर लिया गया है। दो बहुद्देशीय परियोजनाओं की परियोजना रिपोर्टें अब भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में स्वीकृति के लिए पड़ी है।

धारा 13 इस प्रकार है :

"13. बोर्ड के अन्य कृत्य—(1) बोर्ड—

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा यथाअनुमोदित मास्टर प्लान में प्रस्ताविक बांधों और अन्य परियोजनाओं के बारे में विस्तृत रिपोर्टें और प्राक्कलन तैयार करेगा···

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित मास्टर प्लान में प्रस्तावित बहुउद्देशीय बांधों और उनसे सम्बद्ध संकर्मों का सन्निर्माण केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से करेगा और ऐसे बांधों तथा संकर्मों का अनुरक्षण और संचालन करेगा।"

अब, हमें बताया गया है कि ब्रह्मपुत्र बोर्ड ने मास्टर प्लान तैयार कर लिया है और दो बहुत महत्वपूर्ण परियोजनाओं के सुझाव दिए गए हैं, एक सबनश्री परियोजना है और अन्य दिहांग परियोजना है। विशेषज्ञों द्वारा कुछ वर्ष पहले किए गए एक अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि देश में विभिन्न नदियों द्वारा ले जाई जाने वाली कुल गाद का 50 प्रतिशत अकेले ब्रह्मपुत्र द्वारा ले जाया जाता हैं; जिसके परिणामस्वरूप गाद को ले जाने में 50 प्रतिशत सहयोग ब्रह्मपुत्र का है और ब्रह्मपुत्र का तल लगातार प्रतिवर्ष ऊंचा हो रहा है। प्रतिवर्ष बाढ़ का घनत्व और स्तर बढ़ रहा है।

यह भाग्य की विडम्बना है कि उस समय जब हम बाढ़, पानी की अधिकता से पीड़ित हैं शेष देश जल की कमी से प्रभावित हो रहा है, इससे दिखाई पड़ता है कि हमारे देश के जल संसाधन प्रबन्ध में कुछ कमी है।

एक माननीय सदस्य : देश की योजना।

श्री दिनेश गोस्वामी : यहां कोई समेकित जल संसाधन परियोजना अथवा योजना नहीं है।

अब, ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा तैयार की गई परियोजना रिपोर्ट से पता चलता है कि यदि दिहांग परियोजना चालू की जाती है तो इससे ब्रह्मपुत्र नदी की 40 प्रतिशत गाद की समस्या हल हो जाएगी; इस प्रकार इससे ब्रह्मपुत्र नदी की 40 प्रतिशत गाद की समस्या हल नहीं की जा सकती है और जिसके परिणामस्वरूप काफी हद तक बाढ़ की समस्या भी हल हो जाएगी। एक अन्य, सबनश्री परियोजना 7 प्रतिशत गाद के लिए है और विशेषज्ञों का विचार है कि यद्यपि सबनश्री परियोजना काफी हद तक असम के निचले भाग में कार्यरत है, बाढ़ की समस्या हल होगी।

इसके अतिरिक्त, सबनश्री और दिहांग परियोजनाओं में भारी बिजली उत्पादन क्षमता है। सबनश्री में 4800 मे० वा०, और दिहांग में 20,000 मे० वा० बिजली उत्पादन की क्षमता है और इस बिजली उत्पादन क्षमता का सभी पूर्वोत्तर राज्यों को लाभ होगा। यदि इन सबनश्री और दिहांग परियोजनाओं का निर्माण कर लिया जाता है, यदि इन बहुउद्देशीय परियोजनाओं का निर्माण कर लिया जाता है, तो हमारी बाढ़ की समस्या हल हो जाएगी और यह दो परियोजनाएं सभी पूर्वी राज्यों, उत्तर प्रदेश को भी बिजली पहुंचाने में समर्थ होंगी क्योंकि हमारी बिजली की आवश्यकता काफी कम है।

यह भी पाया गया है कि यदि हम जल प्रभावित क्षेत्र अथवा प्रभावित जनसंख्या के संबंध में विभिन्न तथ्यों और आंकड़ों को देखते हैं तो ये दो परियोजनाएं बहुत रुचिकर और आकर्षक परियोजनाएं हैं। मैं इस सभा के लाभ के लिए ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा तैयार की गई सबनश्री परियोजना के तुलनात्मक आंकड़े साथ ही कुछ बहुउद्देश्यीय परियोजनाओं जो अब चालू हैं, के आंकड़े दूंगा। उदाहरण के लिए, सरदार सरोबार परियोजना का जलमग्न क्षेत्र 370 वर्ग कि०मी० है जबकि सबनश्री में जलमग्न क्षेत्र 193 वर्ग कि०मी० होगा। सरदार सरोबार द्वारा प्रभावित जनसंख्या 41,600 होगी, भाखड़ा नांगल में यह 36,000, नर्मदा सागर में यह 80,000, ब्यास में यह 80,000 है लेकिन सबनश्री में यह केवल 7,500 होगी। प्रति वर्ग कि०मी० जलमग्न क्षेत्र में सरदार सरोबार से 112 लोग, भाखड़ा से 213 लोग, ब्यास से 307 लोग और सबनश्री से केवल 38 लोग प्रभावित होते हैं।

सरदार सराबोर से उत्पादित प्रति मे०वा० बिजली क्षमता से 23 लोगों को, भाखड़ा से 34 लोगों को और सबनश्री से केवल 1.56 लोग प्रभावित होते हैं। ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा जो गणना की गई है उससे पता चलता है कि 1984 के मूल्यों के आधार पर बिजली 21 पैसे प्रति यूनिट से कम पर जोकि भारत में सबसे सस्ती है, उपलब्ध होगी। इसलिए यदि आप जलमग्न क्षेत्र, प्रति मे०वा० बिजली से प्रभावित जनसंख्या अथवा बिजली के मूल्यों को देखते हैं, तो यह अत्यधिक महत्वपूर्ण परियोजना है। दिहांग कुछ उच्चाकांक्षी परियोजना है क्योंकि इसमें लगभग 8,000 करोड़ रु० की आवश्यकता है जबकि सुबनश्री परियोजना में केवल लगभग 3,068 करोड़ रु० की आवश्यकता है। परियोजना को शीघ्र चालू करने के लिए हमने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है, प्रधान मंत्री और कृषि मंत्री ने लिखा है। अब यहां एक बात है कि इस परियोजना के लिए अरुणाचल सरकार की सहमति की आवश्यकता होगी। मेरे विचार में अरुणाचल इस देश का एक भाग है और अरुणाचल में केन्द्र में सत्तारूढ़ दल की सरकार है। इसलिए, मेरा इस सभा से अनुरोध है कि यद्यपि इस समय वित्तीय कठिनाई के कारण दिहांग परियोजना को शुरू करना संभव नहीं हो सकता, भारत सरकार को अरुणाचल सरकार से तत्काल चर्चा कर सुबनश्री परियोजना को चालू करना चाहिए।

जहां तक भूकटाव का संबंध है, असम के एक भाग में यह पता लगाने के लिए एक प्रयोगात्मक योजना शुरू की गई है कि क्या वहां किया गया प्रयोग अन्य भागों में भी सफलतापूर्वक लागू किया जा सकता है। अब, पुन: यह प्रयोग गुमी नामक क्षेत्र में सफल रहा है। अब, हमारे बाढ़ नियंत्रण मंत्री ने भारत सरकार को लिखा है कि क्योंकि यह तरीका सफल रहा है इसलिए गम्भीर भूकटाव वाले क्षेत्रों में इस तरीके को प्रयोग में लाया जाना चाहिए। उन्हें कुछ समय पहले योजना आयोग के उपाध्यक्ष से भी एक पत्र मिला है कि यदि वास्तव में गुमी परीक्षण सफल रहता है तो यह तरीका अन्य क्षेत्रों और विशेषत: दो क्षेत्रों मुकालमुआ और मोरियाहोल्ला में भी प्रयोग किया जाएगा। लेकिन दुर्भाग्यवश,

हमने देखा है कि वास्तव में यह पत्र और सिफारिशें सरकार के अभिलेखागारों में ही हैं। मैंने इस सरकार से इसलिए अनुरोध किया है क्योंकि मैंने सैकड़ों परिवार निराश्रय होते देखे हैं। एक बार वे अपना घर परिवार और घर छोड़ देते हैं तो उनका सब कुछ समाप्त हो जाता है। सैकड़ों परिवारों ने पहले ही घर-परिवार खो दिया है और अन्य यदि आप कुछ नहीं करेंगे तो अन्य हजारों भी खो देंगे। मेरा सरकार से अनुरोध है कि आप कुछ उपाय करें। आखिरकार असम में हमारे पास यह वैध शिकायत है। मैं राजनीति को आड़े आने देना नहीं चाहता। सूखा बहुत गम्भीर समस्या है, हम इसे अस्वीकार नहीं कर सकते। लेकिन जो भी कारण हो—कोई भी सूखे और बाढ़ के लिए सरकार के दृष्टिकोण के मामले में राजनैतिक मंशा की शिकायत कर सकता है। सभी ने सूखे के बारे में चर्चा की है, लेकिन जब असम में एक के बाद एक बाढ़ से विनाश हो रहा था तो किसी ने बाढ़ के बारे में चर्चा नहीं की। यहां मैं एक बात कहूंगा कि दुर्भाग्यवश, स्वतंत्रता दिवस अर्थात् 15 अगस्त को महत्वपूर्ण संदेश में, जब असम बाढ़ से पीड़ित था, संदेश में बाढ़ के संबंध में एक शब्द भी नहीं कहा गया। इसकी लोगों पर यह प्रतिक्रिया थी कि "क्या हम इस देश का भाग नहीं हैं ?" मैं किसी राजनीति में पडना नहीं चाहता लेकिन मैं महसूस करता हूं कि यह भावना जो वहां के लोगों में है वह संप्रेषित की जानी चाहिए। यदि आप देश में अखण्डता की भावना बनाए रखना चाहते हैं तो आपको अवश्य ही इस देश के सभी भागों के लोगों में एकता की भावना पैदा करनी होगी और इस मुसीबत के समय में लोग इन मामलों के लिए भावुक हो जाएंगे। ऐसा जानबूझकर अथवा अनजाने में हो सकता है। अनजाने में हुई गलती से भी मतभेद पैदा हो सकता है।

प्रो० एन०जी० रंगा (गुंटूर) : जब केन्द्रीय मंत्री महोदय ने यह वक्तव्य दिया हम सभी को इससे दुःख हुआ है। आप क्यों समझते हैं कि हमने असम को छोड़ दिया है ?

श्री दिनेश गोस्वामी : मैं विस्तार में जाना नहीं चाहता।

इसलिए, मैं बहुत ही नम्र भाषा में लोगों की भावनाओं को व्यक्त कर रहा हूं। मैंने राजनीति को इसमें जोड़ने का प्रयास नहीं किया क्योंकि मानवीय समस्याओं के लिए हमें राजनीति का सहारा नहीं लेना चाहिए। इसलिए मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि नेमी उत्तर देने के स्थान पर, जो हम कई वर्षों से सुन रहे हैं आप मेरे द्वारा उठाए गए प्रस्तावों में बारे में कुछ सकारात्मक उत्तर दें। उदाहरण के लिए—ब्रह्मपुत्र बोर्ड— इतना अधिक महत्वपूर्ण बोर्ड बहुत समय में चेयरमैन के बिना है, इस बोर्ड में न कोई चेयरमैन है और न ही कोई वाइस चेयरमैन है।

मैं सभा का अधिक समय नहीं लेना चाहता क्योंकि बहुत से अन्य सदस्य भी बोलना चाहते हैं। मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि स्थायी और अल्पावधि उपायों के लिए और अधिक धनराशि आबंटित की जानी चाहिए क्योंकि केवल बाढ़ के समय दी गई धनराशि से राज्यों को सहायता प्राप्त नहीं होगी क्योंकि यह धनराशि राज्य योजना प्रक्रिया से प्राप्त की गई है। अतः राहत के अतिरिक्त, स्थायी उपाय भी किए जाने चाहिए।

ब्रह्मपुत्र बोर्ड की एक कमी यह है कि इस बोर्ड ने सुभानसीरी और दिहांग दो परियोजनाएं बनाई हैं। यदि परियोजनाओं को शुरू किया जाए तो इन परियोजनाओं को पूरा होने में 13 से 14 वर्ष का समय लगेगा। लोग अपनी विपत्तियों के शमन के लिए 13-14 वर्ष तक इन्तजार नहीं कर सकते। परन्तु ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा कोई अल्पावधि उपाय नहीं किए गए हैं। मैंने प्रधान मंत्री जी को लिखा था।

उन्होंने मुझे उत्तर दिया कि जहां तक कटाव का सम्बन्ध है, उन्होंने ब्रह्मपुत्र बोर्ड को इसकी जांच के लिए लिखा है। मेरा माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध है कि ब्रह्मपुत्र बोर्ड से शीघ्र परियोजनाएं तैयार करने के लिए कहें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लोगों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए अल्पावधि उपाय किये जा रहे हैं। उन्होंने समय-समय पर बहुत सी परियोजनाओं के बारे में सुझाव दिया है परन्तु कुछ भी नहीं किया गया। इसलिए, मेरा यह ठोस सुझाव है कि स्थायी उपायों के लिए यदि शीघ्र ही दिहांग परियोजना का कार्यान्वियन संभव नहीं है तो कम से कम सुभानसीरी परियोजना का कार्यान्वयन किया जाये। ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा बांध बनाकर अथवा समस्या के निपटान के लिए किसी और तरीके से शीघ्र ही अल्पावधि उपाय किए जाने चाहिए। मेरा दूसरा सुझाव है कि ब्रह्मपुत्र पर पूरी तरह नियंत्रण पाने के लिए विशिष्ट कोष बनाया जाये। मेरा तीसरा सुझाव है कि यह शत प्रतिशत ऋण सहायता के रूप में दिया जाये क्योंकि असम राज्य यह बोझ नहीं सह सकता। यदि असम राज्य सहायता के रूप में इसे वहन करता है तो स्पष्ट रूप से हम योजना में अधिक धनराशि दिखाएंगे, परन्तु यह धनराशि कुल योजना संसाधनों में से ही ली जाएगी। कृपया भूक्षरण प्रभावित क्षेत्रों में लोगों की सुरक्षा के लिए शीघ्र उपाय करें। यदि हम शीघ्र उपाय करेंगे तो इनमें से कुछ क्षेत्रों को हम बचा सकेंगे। इसलिए, मुझे आशा है कि माननीय मंत्री महोदय मेरे द्वारा दिये गये सुझावों का उत्तर देंगे और वह इस सभा में नेमी उत्तर नहीं देंगे अपितु अधिक सकारात्मक और ठोस उत्तर देंगे।

श्री एम० रघुमा रेड्डी (नलगोंडा) : इस वर्ष में तीसरी बारी हम बाढ़ और सूखे पर चर्चा कर रहे हैं। मुझे मंत्री महोदय से वही घिसापिटा उत्तर प्राप्त होने की आशा है।

इस बारी सूखा पिछले वर्षों की अपेक्षा अलग प्रकार है। इस बार 21 राज्यों के 265 जिले भयंकर सूखे की चपेट में और 9 राज्यों के 118 जिले बाढ़ की चपेट में आये हैं। इस सूखे और बाढ़ से लगभग 454.20 लाख हेक्टेयर क्षेत्र और 29 करोड़ से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं।

कुछ भी हो, भयंकर सूखा और बाढ़ प्राकृतिक घटना है। मैं नहीं जानता कि भगवान प्रकृति को सता रहे हैं अथवा प्रकृति मनुष्यों को सता रही है। इस समस्या का स्थायी हल होना चाहिए। प्रत्येक वर्ष राज्य कुछ धनराशि की मांग करते हैं और आप उन्हें नगण्य धनराशि देते हैं। वास्तव में राज्य भारत सरकार के समक्ष भिखारी बन गये हैं। उन्हें भीख मांगनी पड़ती है। आप उन्हें धनराशि दे देते हैं। आप अधिकतम राशि दर्शाते हैं और आठवां वित्त आयोग आपकी बाईबल है। आप कहते हैं कि 1046 करोड़ रुपये अधिकतम राशि है इससे अधिक आप उन्हें नहीं दे सकते। यह सीमित धनराशि आपको सभी सूखा और बाढ़ प्रभावित राज्यों को देनी है। इस वर्ष, राज्यों ने 1 /,800 करोड़ रुपये धनराशि का अनुरोध किया और आपने केवल 820 करोड़ रुपये दिये हैं। पिछले वर्ष भी राज्यों ने 4072 करोड़ रुपये की मांग की और आपने केवल 669 करोड़ रुपये दिए। यह स्थिति है। आयोजकों को इस समस्या के बारे में सोचना चाहिए और समाधान खोजने का प्रयास करना चाहिए। आखिरकार, यह विषय केवल कृषि मंत्रालय का ही नहीं है अपितु यह विषय सभी विभागों का है। निश्चय ही आप कह सकते हैं कि यह मंत्रिमण्डल की सामूहिक जिम्मेदारी है। मेरे विद्वान मित्र, जिन्होंने मुझसे पहले बोला था, ने ब्रह्मपुत्र बोर्ड के बारे में बात कही है। यह विषय जल संसाधन मंत्रालय से सम्बन्धित है। वे मंत्री महोदय यहां नहीं हैं। यहां योजना मंत्री और वित्त मंत्री को भी उपस्थित होना चाहिए। यदि यह मंत्री उपस्थित नहीं हैं तो मुझे बुरा नहीं लगेगा। यदि माननीय मंत्री महोदय जल संसाधन मंत्री और अन्य सम्बन्धित मंत्रियों तक हमारी भावनाओं को पहुंचा सकें। हमारा विचार

यह है कि जब कभी भी सूखा पड़ता है, तो केवल कृषि मंत्रालय ही इससे सम्बन्धित होता है। कृषि मंत्रालय से बीजों, खादों, कीटनाशक दवाओं अथवा कुछ एकमुश्त उपायों और आकस्मिक योजनाओं के बारे में बात की जा सकती है परन्तु कृषि मंत्रालय द्वारा स्थायी उपायों और स्थायी समाधानों के बारे में सभा में आश्वासन नहीं दिया जा सकता।

जहां तक आठवें वित्त आयोग का सम्बन्ध है। उनके द्वारा वह नियमों में परिवर्तन क्यों नहीं किया जाता ? ये नियम किसलिए हैं ? ये नियम किनके लिए हैं ? जब सभी राज्यों में क्षति हुई है, जब 1/3 जनसंख्या पीड़ित है, तो वह आठवें वित्त आयोग को क्यों नहीं छोड़ते ? वे वास्तव में क्या दे रहे हैं ? वे केवल योजना अग्रिम देते हैं। वे राज्यों को योजना अग्रिम 5 प्रतिशत देते हैं और वह भी 50 प्रतिशत राज्य बजट में से और 50 प्रतिशत वे देते हैं। ये यह केवल ऋण के रूप में दिया जाता है। यह ऋण के रूप में दिया जाता है न कि दयावश दिया जाता है। यह अनुदान नहीं है। वे आठवें वित्त आयोग की रिपोर्ट का अनुपालन नहीं कर रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि यदि लगातार 4-5 वर्ष तक सूखा पड़ता रहे, तो 100 प्रतिशत अनुदान सहायता दी जानी चाहिए ··**(व्यवधान)**

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : वित्त आयोग की रिपोर्ट में यह कहीं भी नहीं लिखा गया। रिपोर्ट को पढ़े बिना आप न बोलें। यदि आप रिपोर्ट पढ़ें तो उसमें कहीं भी यह लिखा नहीं हुआ है।

श्री एम० रघुमा रेड्डी : यदि मुझे ठीक से याद हो तो पृष्ठ 70 पर खण्ड 33 अथवा इसी प्रकार की किसी खण्ड में यह लिखा हुआ है। इसमें लिखा गया है कि यदि सूखा स्थायी हो तो 100 प्रतिशत अनुदान सहायता दी जानी चाहिए।

श्री योगेन्द्र मकवाना : ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ।

श्री एम० रघुमा रेड्डी : यदि मैंने गलत कहा हो तो आप इसे ठीक कर सकते हैं। मैं इसमें सुधार करने की शर्त की अधीन यह बात कहा रह हूं। मकवाना जी यह निर्विवाद है। महोदय, मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय इस बात पर विचार करें कि जब 5-6 वर्षों तक लगातार सूखा पड़े, तो ऐसी स्थिति में 100 प्रतिशत अनुदान सहायता दी जाये, यदि 3-4 वर्षों तक सूखा पड़े तो 75% अनुदान सहायता और 25% ऋण दिया जाये। ऐसा किया जाना चाहिए।

प्रारम्भ से मैंने बहुत से सुझाव दिए हैं। जब हमारे माननीय मंत्री महोदय अध्यक्ष थे, जब मंत्री महोदय इस पद पर थे, तो डा० के० एल० राव ने गंगा-कावेरी सम्बन्धी एक योजना का प्रस्ताव दिया था। यदि ऐसा सम्भव नहीं है तो उन्होंने इस महानदी-गोदावरी-कृष्णा और कावेरी योजना को शुरू क्यों नहीं किया। यह प्रायद्वीपीय योजना है। इस योजना को अभी तक शुरू नहीं किया गया। यहां बहुत सी स्थायी परियोजनाएं हैं। कृषि के लिए मुख्य निवेश पानी है। जहां पानी नहीं है वहां आप कुछ नहीं कर सकते। हमारे पास पर्याप्त पानी है। अभी हम असम और भारत के अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में बाढ़ से पीड़ित हैं परन्तु दक्षिण भारत में लोग पानी की कमी से पीड़ित हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहता हूं कि यहां तक कि आंध्र प्रदेश में भी, सात जिले समुद्री तूफानों और बाढ़ से पीड़ित हैं जबकि अन्य जिलों में पानी की कमी है। यह अद्भुत घटना है। अत: इस समस्या का स्थायी समाधान होना चाहिए। कुछ ठोस उपाय किए जाने चाहिए। आखिरकार, उन्होंने आंध्र प्रदेश को 69 करोड़ रुपये दिये हैं। यह कह सकते हैं कि उन्होंने जो राशि दे दी है उससे अधिक और नहीं दे

सकते । मैं समझता हूं कि श्री मकवाना जी यह कहने के लिए तैयार हैं कि राज्य ने सम्पूर्ण धनराशि खर्च नहीं की है । वह ऐसा कहेंगे । बहुत बार उन्होंने एक ही बात को दोहराया है । मैं किसी प्रकार के विवाद में नहीं पड़ता चाहता···(व्यवधान)

श्री योगेन्द्र मकवाना : जब मैं बोलता हूं तो मैं प्रमाण सहित बोलता हूं । मैं आपकी तरह झांसा नहीं देता ।

श्री एम० रघुमा रेड्डी : मैं आपको झांसा नहीं देता । मैं यह कह रहा हूं कि हम समस्या का स्थायी समाधान चाहते हैं चाहे समस्या राजस्थान की हो या गुजरात की अथवा हरियाणा की हो चाहे पंजाब की । यहां तक कि पंजाब और हरियाणा में भी, जहां 85 प्रतिशत क्षेत्र सिंचाई योग्य है, जहां बहुत सी स्थायी सिंचाई परियोजनाएं हैं, वहां भी सूखे की स्थिति है ।

खाद्य उत्पादन की बात करते हुए मैं नहीं जानता कि वह इस संकट का सामना किस प्रकार करेंगे । इस वर्ष हो सकता है कि उनके समक्ष यह संकट न आये परन्तु अगले वर्ष उन्हें इसके परिणाम प्राप्त होंगे । इस वर्ष उनके पास अत्यधिक स्टाक है, यहां तक कि गांवों में किसानों के घरों में भी कुछ स्टाक है जो वह इस वर्ष में खाएंगे । परन्तु अगले वर्ष क्या होगा ? अगले वर्ष के लिए उन्हें स्टाक कहां से प्राप्त होगा ? उनका कहना है कि इस वर्ष उत्पादन 1500 लाख टन होगा । माननीय मंत्री जी बता सकते हैं कि उसमें से उन्हें कितना मिल पाएगा । क्या खरीफ की फसल में यह मात्रा 300 लाख टन होगी अथवा 400 टन ? रबी की फसल में आप 700 अथवा 750 टन प्राप्त कर सकते हैं । किन्तु चालू वित्त वर्ष के दौरान क्या आप 1640 लाख टन का निर्धारित लक्ष्य पूरा कर पाएंगे ? 1990 के अंत तक आप 1750 लाख टन का लक्ष्य कैसे प्राप्त कर पाएंगे । इतनी मात्रा कहां से आएगी ?

कृषि मंत्री (डा० जी० एस० ढिल्लों) : हम इसे अवश्य प्राप्त करेंगे ।

श्री एम० रघुमा रेड्डी : अब, आप कितनी और भूमि के लिए सिंचाई सुविधाएं दे पाएंगे ? क्या 600 लाख हैक्टेयर के लिए ? क्या आप 650 लाख अथवा 700 लाख हैक्टेयर के लिए योजना बना रहे हैं ? स्रोत क्या हैं ? आप इन्हें कैसे विकसित करेंगे ? क्या आप हमें यह बताएंगे कि क्या यह भूमिगत जल से, तालाबों द्वारा सिंचाई से अथवा बड़ी परियोजना की सिंचाई से सम्भव होगा ? मैं जानना चाहता हूं कि क्या इसके लिए आपने कोई योजना बनाई है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार राष्ट्रीय परियोजना के लिए राज्य सरकार की सहायता लेने के बारे में विचार कर रही है । देश में लगातार सूखा पड़ने के कारण विकास योजना प्रभावित हुई है । देश में विकास कार्य शुरू करने के लिए हम आपके बजट के लिए 50% दे रहे हैं । किन्तु राज्य सरकारें कैसे चलती है ? मैं अनुरोध करूंगा कि और अधिक परियोजनाएं बनाकर आपको स्थायी योजना के बारे में सोचना चाहिए । आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर में वास्तव में सामान्य जल स्तर 590 फुट होता था । आज यह 540 फुट है । वहां लगभग 50 फुट पानी कम है । वे इस जल स्तर से काम नहीं चला पा रहे । नागार्जुन सागर से लगभग 6 लाख हैक्टेयर भूमि की सिंचाई की जानी है । इस खरीफ फसल में उन्होंने केवल 2 लाख हैक्टेयर भूमि पर बुवाई की है । रबी की फसल में हमने लगभग 5 लाख हैक्टेयर भूमि की सिंचाई करने का वायदा किया था ।

डा० जी० एस० ढिल्लों : स्थायी उपाय के लिए आपका यह ज्ञापन है । यह स्थायी नहीं होगा ।

श्री एम० रघुमा रेड्डी : मेरा स्थायी ज्ञापन चाहे कुछ भी कहे लेकिन मैं पूरे देश की तरफ से बोल रहा हूं। यद्यपि मैं आन्ध्र प्रदेश का हूं तथापि मैं यहां भारतीय किसानों की ओर से बोल रहा हूं। मैं भारत के लोगों की भावना प्रगट कर रहा हूं। आप मुझे आन्ध्र प्रदेश तक ही सीमित मत कीजिए। मैं इस सभा का सदस्य हूं। चाहे कोई भी मामला हो उसके लिए कोई स्थायी उपाय होना चाहिए। आन्ध्र प्रदेश में ऐसी बहुत सी परियोजनाएं हैं जो लम्बित पड़ी हैं, न केवल आन्ध्र प्रदेश में बल्कि कर्नाटक में भी लम्बित पड़ी हैं और जहां कहीं भी पानी उपलब्ध है आपको इसका उपयोग करना चाहिए। हमें स्थायी परियोजनाएं बनानी चाहिए, तभी हम इस समया को हल कर सकते हैं।

महोदय, मैं एक महत्वपूर्ण विषय, अर्थात ऊर्जा, का उल्लेख करना चाहता हूं। माननीय ऊर्जा मंत्री जी यहां उपस्थित नहीं हैं। महोदय, आन्ध्र प्रदेश में सभी जल परियोजनाओं को नुकसान हुआ है। कृष्णा तथा तुंगभद्रा नदियों में जल की कमी के कारण श्रीकाकुलम, नागार्जुन परियोजना जैसी परियोजनाएं प्रभावित हुई हैं। गोदावरी में भी जल स्तर कम हो गया है। हम कई ताप परियोजनाएं, कई परमाणु बिजली परियोजाएं चाहते हैं। आन्ध्र प्रदेश बिजली की कमी से प्रभावित है। वहां बिजली की 30% से 40% तक की कमी है। बिजली की कमी के कारण कृषि बुरी तरह प्रभावित होगा। महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि भारत सरकार आगे आए और अन्य पड़ौसी राज्यों से आन्ध्र प्रदेश को बिजली दे।

महोदय, योजना की निगरानी के बारे में मैं आपके ध्यान में एक बात लाना चाहूंगा कि स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए आपके अधिकारियों का दल आन्ध्र प्रदेश आया था। केन्द्रीय मंत्री के वहां आने तथा राजनीतिक भाषण देने और स्थानीय प्रशासन तथा राज्य सरकार के कार्य में हस्तक्षेप करने की क्या जरूरत थी ? जब राज्य सरकार में चुने हुए प्रतिनिधि मौजूद हैं, जब वहां राज्य सरकार है, आपने अपने उद्योग राज्यमंत्री श्री अरुणाचलम को वहां भेजा। उन्होंने वहां परेशानी खड़ी की। उन्होंने वहां राजनीतिक समस्याएं खड़ी कीं। उन्होंने कुछ ऐसे वक्तव्य दिए जिनसे आन्ध्र प्रदेश के लोगों की भावानाओं को ठेस पहुंची। इसलिए, मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे भविष्य में किसी मामले को राजनीतिक रूप देने के लिए किसी मंत्री को न भेजें। यह किसानों का मामला है। यह भारत की जनता का मामला है। यह हमारे राज्य का मामला है, यह केवल आन्ध्र प्रदेश या कर्नाटक का ही मामला नहीं है। चाहे कोई राज्य हो, आपको उन लोगों का विश्वास करना चाहिए जो वहां काम कर रहे हैं, जो आपकी भांति चुने गए हैं और जिन्होंने वहां अपनी सरकार बनाई है।

श्री योगेन्द्र मकवाना : क्या आप अपने मुख्य मंत्री की अनुमति से बोल रहे है ? क्योंकि आपके मुख्य मंत्री ने एक वक्तव्य दिया था कि कोई भी आन्ध्र प्रदेश का दौरा नहीं कर रहा है। आपके मुख्य मंत्री का यह वक्तव्य था।

श्री एम० रघुमा रेड्डी : नहीं, यह दौरा राज्य सरकार के कार्यों की देख-रेख करने से भिन्न है। हम माननीय मंत्री जी का स्वागत करते हैं किन्तु हम वहां के कार्य का संचालन आपको नहीं करने देना चाहते। वहां चुनी हुई सरकार है। वहां अधिकारी हैं। वहां चुनी हुई संस्था है। वे अपनी समस्याएं खुद देखेंगे।

डा० जी० एस० ढिल्लों : आप हमारा अपने राज्य में स्वागत करते हैं। आपका मुख्य मंत्री

हमारा स्वागत करता है। किन्तु जब हम वहां निगरानी के लिए वहां जाते हैं तो वह हमारा स्वागत करने को तैयार नहीं।

[हिन्दी]

श्री मनोज पाण्डे (बेतिया): सभापति महोदय, इस वर्ष जो प्राकृतिक आपदा हमारे भारतवर्ष पर आई है उसके विषय में बहुत सारी जानकारी माननीय सदन में आ चुकी है। मैं थोड़े से शब्दों में उत्तर बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश, खासकर इन दो क्षेत्रों के विषय में माननीय मंत्री जी से, आपके मार्फत, कुछ बातें कहना चाहता हूं।

उत्तर बिहार में हर वर्ष बाढ़ की स्थिति होती है। माननीय रघुमा रेड्डी जी ने भी कुछ बातें कहीं, जिस तरह लगातार 4 साल या 5 साल सूखे की स्थिति होती है ठीक उसी तरह से लगातार 4 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल से उत्तर बिहार में और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बाढ़ आ रही है और इस बाढ़ का परमानेण्ट सोल्यूशन हम अभी तक नहीं निकाल पाए हैं। शार्ट टर्म मैजर्स के रूप में तो मदद केन्द्र सरकार राज्य सरकारों को किया ही करती है और शार्ट टर्म मैजर्स का महत्व बड़ा शार्ट में ही हुआ करता है, उसका कोई लांग टर्म असर नहीं होता है। शार्ट टर्म मैजर्स के रूप में जितना खर्च हम हर वर्ष बाढ़ में या सुखाड़ में कर रहे हैं यदि हम लांग टर्म मैजर्स में उतना खर्च करें तो मेरे विचार से परमानेण्ट सोल्यूशन की ओर हम बढ़ पायेंगे।

गंगा-कावेरी के विषय में रघुमा जी ने जो बात कही कि उस समय 13 हजार करोड़ की योजना थी और आज वह बढ़कर 44 हजार करोड़ की हो गई है। पैसे के चलते हम हर 5 वर्ष के बाद उस योजना को सारी बात करके टाल देते हैं; मेरा कहना है कि हर वर्ष सिर्फ पैसे की कमी की वजह से लांग टर्म मैजर्स का नाम हम छोड़ते चले जाते हैं और शार्ट टर्म मैजर्स में हम उतना ही पैसा खर्च करते चले जा रहे हैं। आखिर कब तक इस तरह की बात से हम अपने आपको संतुष्ट कर पायेंगे? मेरा कहने का मतलब है कि पैसा 13 हजार करोड़ भी नहीं था और आज 44 हजार करोड़ रुपया भी नहीं रहेगा और आज से 10 साल बाद एक लाख करोड़ की योजना वह होगी तो वह भी हम नहीं सोच पायेंगे कि कहां से पैसा लायेंगे लेकिन इस प्रोसेस में पिछले 40 साल में कितने 13 हजार करोड़ रुपए हम खर्च कर चुके हैं। यदि हम इस तरफ ध्यान देते तो मेरा यह अनुमान है कि हम गंगा-कावेरी स्कीम को आज कम से कम पूरा करने की स्थिति में होते, सिर्फ यह कहकर कि गंगा-कावेरी के लिए इतनी बड़ी मात्रा में पैसा कहां से आयेगा, इसमें पीछे हम पड़ जाते हैं और इस स्कीम को ऐसे ही छोड़ जाते हैं जबकि इस स्कीम से कितने प्रदेशों को फायदा होने वाला है, यदि हम इसका अन्दाजा लगायें तो मेरा यह अनुमान है कि जितना पैसा शार्ट टर्म मैजर्स से हमने इन प्रदेशों में पिछले 40 वर्षों में खर्च किया है···

5 00 म० प०

उसमें हम गंगा-कावेरी स्कीम से भी बड़ी-बड़ी स्कीमें पूरी कर चुके होते। शार्ट टर्म मेजर्स के अन्तर्गत तो जब कहीं आग लगे उसके पश्चात् हम कुवां खोदें और निकालें तब तक तो आग की विभीषिका का पता नहीं कहां की कहां पहुंच जाएगी। इस तरह से कुवां खोदते-खोदते और पानी निकालते-निकालते हम कहां पहुंच रहे हैं पर हमारी समस्यायें ज्यों की त्यों हैं। हर साल बाढ़ में करोड़ों रुपए की हानि होती है, हर साल तबाही ही तबाही होती है और हम नेपाल सरकार पर आश्रित रहते हैं।

हमारे परमानेन्ट सोल्यूशन के लिए नैपाल सरकार की जिम्मेदारी होती है और इस माननीय सदन में बार-बार इस बात की चर्चा हुई है कि हमारी बाढ़ नियन्त्रण से सम्बन्धित समस्याओं का समाधान नैपाल सरकार के हाथ में है। केन्द्र सरकार ने नैपाल सरकार से बात की है इसके पूर्व भी, लेकिन अभी तक उसका नतीजा नहीं निकला है। मैं इस बात से वाकिफ हूं कि नैपाल सरकार और भारत सरकार के बीच इस सम्बन्ध में हम कोई नतीजा नहीं निकाल पायेंगे। इसमें काफी समय लगेगा। लेकिन जिस तरह से हर वर्ष बाढ़ से हम परेशान रहते हैं लोगों से हम क्या कहें ? यह कहें कि नैपाल सरकार हमारी बात नहीं मान रही है इसलिए हम परमानेन्ट सोल्यूशन की तरफ नहीं जा पा रहे हैं ?

हर वर्ष एन० आर० ई० पी०, आर० एल० ई० जी० पी० के अन्तर्गत रोड्स और पुलिया हम बनवाते हैं। उनका बनवाना ही सिर्फ हमारा काम है। एक तरफ हम बनवायें और दूसरी तरफ बाढ़ से वह पुलिया और रोड्स टूट जायें। दूसरे साल आप फिर उसी पुलिया और सड़क को बनवायें। इस तरह से हर साल एक ही रोड और एक ही पुलिया पर खर्चा किया जाता है। हर साल हम पैसा देते हैं। सेन्टर स्टेट गवर्नमेंट्स को असिस्टेन्स देती है, मार्जिन मनी देती है और वह पैसा एक ही रोड और पुलिया पर खर्च हो जाता है। इसके बजाये आप परमानेन्ट सोल्यूशन की तरफ ध्यान दें। यदि पैसे की व्यवस्था सातवीं पंचवर्षीय योजना में नहीं हो सकती है तो आठवीं पंचवर्षीय योजना में भी इस विषय में सोच सकते हैं। इस विषय में आपको कुछ न कुछ करना ही होगा। हर वर्ष हमारे बिहार में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, असम में बाढ़ की समस्या पैदा होती है। ब्रह्मपुत्र में हर वर्ष बाढ़ आती है। कारण यह है कि जितनी भी नदियां हैं वह भर गई हैं इसलिए जब भी पानी का आवेग आता है तो पानी किनारे की तरफ भागता है जिससे इरोजन होता है। जाहिर है उससे गांव कटेंगे और बस्तियां उजड़ेंगी। हर साल कितने ही लोग बहकर नैपाल से हमारे क्षेत्र में आते हैं। पिछले वर्ष कम से कम डेढ़ हजार नैपाली नागरिक मरे हुए बहकर हमारे क्षेत्र में आए। चूंकि वे नैपाल सरकार के नागरिक थे इसलिए हमारे यहां उनका कोई रिकार्ड नहीं है।

इसलिए मेरा निवेदन है कि आपको सबसे पहले परमानेन्ट सोल्यूशन की तरफ ध्यान देना चाहिए। यदि आप गंगा का पानी कावेरी की तरफ ले जाते हैं तो बाढ़ के समय में आप गंगा का पानी कावेरी में दे सकते हैं जबकि कावेरी में सुखाड़ होता है, वहां पानी कम होता है। उस समय आप गंगा से कावेरी में पानी दे सकते हैं। उससे यहां पर बाढ़ की विभीषिका भी कम होगी और वहां पर भी सुखाड़ में कमी आएगी। इस प्रकार से एक प्रोजेक्ट से आप दो लाभ उठा सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्तर बिहार में नदियां हर वर्ष भरती चली जा रही हैं।

5.04 म०प०

[श्रीमती बसवराजेश्वरी पीठासीन हुई।]

नैपाल सरकार से हमारी बातचीत तेजी से होनी चाहिए। इस ओर हमें विशेष रूप से प्रयत्नशील होना चाहिए। यदि नैपाल सरकार राजी न हो तो उसका एक राजनीतिक कारण मैं आपको देता हूं, बार्डर के उस तरफ से हमें जो इंफार्मेशन मिली है उसके आधार पर मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि बार्डर के उस पार कई ऐसे प्रोजेक्टस नैपाल सरकार और चीन सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं। जिसमें कि पानी को रोकने की व्यवस्था है और रिजरवायर बनाने की व्यवस्था है। जब पानी को रोका जाता है और रिजरवायर भर जाते हैं, तो उनको छोड़ा जाता है। इस प्रकार उस पानी का वेग सीधे

भारतवर्ष के हमारे बार्डर पर वार करता है और हमें डुबोते ही चला जाता है। इस तरह से यदि कोई प्लान हमारे बार्डर पर नैपाल सरकार चला रही है, तो वह अपने क्षेत्र के लिए, हमारे लिए बहुत ही घातक है। इसका मैं आपको एक सबसे ज्वलन्त उदाहरण देता हूं। पिछले वर्ष की बाढ़ में हजारों नेपाल नागरिकों का मरना और उन शवों का हमारी टैरेटरी में आना, इसकी जानकारी नेपाल सरकार को पूर्ण तरीके से है, लेकिन वह कभी भी इस बात को हमारी जानकारी में नहीं देना चाहती है। इस प्रकार यह राजनीति हो रही है, इसको भी इंटरनेशनल तरीके से सोचने की जरूरत होगी। इस तरह से हम कम से कम अपने इलाकों में बाढ़ के विषय में सोचें और दूसरे इलाकों से यदि प्रभावित हो रहे हैं, तो उन इलाकों को भी देखने की आवश्यकता है।

बिहार सरकार को इस साल इस प्राकृतिक विपदा से काफी लॉस हुआ है और वह अत्यधिक है, जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार जब भी बाढ़ की विभीषिका आती है तो थोड़ा पैसा दिया जाता है और बराबर यह कोशिश होती है कि सारे लोगों तक रिलीफ के काम पहुंचें, लेकिन रिलीफ के काम में हमेशा गड़बड़ी होती है। गड़बड़ियों का जो डाइमैंशन होता है, वह हर साल बढ़ता ही चला जाता है। केन्द्रीय सरकार यदि किसी चीज को बनाने के लिए फ्लड में मार्जिनमनी के आधार पर पैसा देती है तो उसका इस्तेमाल उसी इलाके पर होना चाहिए जहां के लिए वह पैसा दिया गया है। दुर्भाग्यवश कुछ प्रदेश ऐसे हैं, जो दिए गए पैसे का गलत इस्तेमाल करते हैं। फण्ड्स का डाइवर्सिफिकेशन होता है, इसलिए इस विषय पर भी सोचने की जरूरत है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वे राज्य सरकारों को यह निर्देश दें कि जो भी पैसा रिलीफ के काम में दिया जाता है, वह रिलीफ के काम में ही खर्च हो, जिस काम के लिए दिया जाता है। उसके अलावा उस पैसे का खर्च न हो, यह बहुत ही आवश्यक है। वरना, ऐसे तो पैसे का दुरुपयोग होगा ही, जैसे कि हर वर्ष होता है। इसी सदन में माननीय मंत्री जी ने इस बारे में कई प्रदेशों का हवाला दिया है। जैसे बिहार के विषय में मैं आपको कहना चाहूंगा। बिहार में इस साल हानि हुई है, जिसके लिए करीब छः सौ करोड़ रुपए की मांग की गई थी एसिस्टैंस के रूप में। मार्जिन-मनी हमारी करीब 35 करोड़ रुपए है और 35 करोड़ रुपए का खर्च पहले ही किया जा चुका है और सौ करोड़ रुपए की आवश्यकता तत्काल थी। लेकिन दुर्भाग्यवश अभी तक हमें 62 करोड़ रुपए ही मिले हैं। जहां तक मेरी जानकारी है, बिहार में जो इस साल फ्लड आया है, उसको देखते हुए 26 जिले पूर्णतया फ्लड-अफैक्टेड जिले हैं। इनके लिए राज्य सरकार ने कुछ और पैसों की मदद मांगी है। मेरा आपसे निवेदन होगा कि बिहार सरकार को फ्लड एसिस्टैंस के लिए कुछ और पैसों की व्यवस्था करें, ताकि इस साल की जो विभीषिका है, उस विभीषिका से हम प्राण पा सकें।

श्रीमती प्रभावती गुप्त (मोतीहारी) : आदरणीय सभापति महोदया, बाढ़, सूखा और प्राकृतिक विपदाओं पर एक विशेष उल्लेख के जरिए माननीय सदस्य, श्री दिनेश गोस्वामी जी, ने चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान किया है।

मैं आपको बताना चाहती हूं कि इससे पहले अभूतपूर्व सूखा आया और देश की तीन-चौथाई आबादी भयानक सूखे की चपेट में आ गई थी। सूखे के अलावा बंगाल, बिहार, असम और मेघालय में जो प्रलयंकारी और विनाशकारी बाढ़ आई है, उससे हमारी आर्थिक अर्थ-व्यवस्था एकदम चरमरा गयी है। अभी गोस्वामी जी ने कहा कि असम में जो भयानक बाढ़ आई, उसके बारे में किसी को चिन्ता नहीं है और केन्द्र सरकार को भी चिन्ता नहीं है और ब्रह्मपुत्र नदी घाटी योजना के बारे में उन्होंने

जिक्र किया । जो भयानक बाढ़ वहां पर आई और जिस तरह से नेशनल हाईवेज वहां पर क्षतिग्रस्त हुए और ऊपरी और निचले असम का आवागमन अवरुद्ध हो गया, उसके लिए हम लोगों की सहानुभूति उनके साथ है और रहेगी। यह बात जरूर है कि वहां पर हमेशा हमेशा प्रलयंकारी बाढ़ आती है। बंगाल में भी आई लेकिन बिहार में जो इस साल बाढ़ आई, वह अभूतपूर्व बाढ़ थी । 30-35 सालों से मैं समाज सेवा का काम करती हूं और गांव गांव घूमने का मुझे मौका मिलता है लेकिन इस साल और गए गुजरे साल भी ऐसी भयंकर बाढ़ आई कि प्रलय का दृश्य उपस्थिति हो गया और सारी धरती जल प्लावन हो गई और ऐसा लगता था कि बाढ़ से करीब 7-8 करोड़ आबादी में से 3 करोड़ आबादी पीड़ित थी । काफी धन और जन की हानि हुई । प्रधान मंत्री जी वहां पर गए और हमें इस बात की खुशी है कि प्रधान मंत्री जी ने इन दोनों समस्याओं को बहुत ही गंभीरतापूर्वक ग्रहन किया और केन्द्रीय स्तर पर मंत्रि-मंडल की उप समिति बनाई और हर एक सप्ताह केन्द्र में समस्या का जायजा लिया जाता है और जो भी सहायता हो सकी, वह सब सहायता उपलब्ध कराई गई । मंत्रि-मंडल के सदस्य भी वहां पर गए और हम यह देख रहे हैं कि दो मंत्री यहां पर बैठे हुए हैं, दोनों कृषि मंत्री बैठे हुए हैं, यह खुशी की बात है लेकिन मैं यह महसूस करती हूं कि कृषि मंत्री तो रहे ही लेकिन उनके साथ-साथ सिंचाई मंत्री जी को भी रहना चाहिए । बाढ़ और सूखा और भयानक चक्रवात भी हमारे इलाके में आया है, जिसका मैं जिक्र करूंगी । इनके कारण हमारे यहां काफी जनसंख्या प्रभावित हुई है । मैं समझती हूं कि सप्लाई मिनिस्टर को भी यहां पर रहना चाहिए था क्योंकि इन सब चीजों के चलते भयानक महंगाई, कमर-तोड़ महंगाई पूरे राष्ट्र में छाई हुई है। उन्हें भी इस चीज को देखना चाहिए। रोज एनाउन्समैंट होते है कि हम चीजों की कीमतें कम रहे कर हैं लेकिन मुझे लगता नहीं है कि वे कम हुई हों। राजधानी में रहने वालों, महानगरों में रहने वालों और शहरों में रहने वालों को तो दो समय का खाना नसीब हो जाता है लेकिन आज गांवों में क्या हालत है मैं एक छोटी सी कविता कह कर, आपको बताना चाहती हूं :

करे खानाबदोशी की खुदा खुद खानसामा ने ।
कि हर शव पे नई मंजिल, नया दाना, नया पानी ।।

तो यह हालत उन लोगों की हो गई है और सरकार के कानों पर जूं नहीं रेंगती । खानाबदोशों की तरह वे लोग घूम रहे हैं । उनके छप्पर उजड़ गए, घर उजड़ गए और अभी बिहार में, मैं समझती हूं कि यदि आंकड़े लिए जाएं, तो पशु तो मरे ही हैं काफी लोग भी मरे हैं। हमारे इलाके में गंडक का इलाका है और जहां की शस्य श्यामला धरती है और उत्तर भारत में बिहार की धरती नामी है, वहां की धरती का जो स्वायल टेस्टिंग हुआ है, तो पाया गया कि बहुत अच्छी धरती है। वहां पर आज क्या हालत है । भुखमरी का आलम है, भुखमरी के कगार पर वहां लोग खड़े हैं । जब ऐसी हालत है, तो मैं पूछना चाहती हूं कि 40 साल की आजादी के बाद भी इस तरह का रोना क्यों रोया जाता है । बाढ़ और सुखाड़ तो आते ही रहते हैं और चक्रवात भी कभी-कभी आता है और अग्नि-कांड भी कभी-कभी होते हैं । अभी हमारे इलाके में भयानक चक्रवात आया, तूफान से भी ज्यादा उसका वेग था, हवाई जहाज की रफतार से भी ज्यादा उसका वेग था। हजारों घर उजड़ गए । ···(**व्यवधान**)···सभापति महोदय, मुझे समय दीजिए । वहां की हालत बहुत खराब है ।

एक बात मैं यह कहना चाहती हूं कि बाढ़ और सुखाड़ की समस्या का निदान करने के लिए 1986-87 में 4,762 करोड़ रुपए की जरूरत थी लेकिन केन्द्र सरकार ने पूरे देश के

अन्दर 6 9 करोड़ रुपए स्वीकृत किए। क्या इससे समस्या का निदान कर सकेंगे और क्या इससे पूरे देश के अन्दर बाढ़ और सुखाड़ से लोगों को रिलीफ और सहायता पहुंचा सकेंगे? नहीं पहुंचा सकेंगे। बाढ़ अगस्त के महीने में आती है, सरकार को नावों का इंतजाम पहले से करना चाहिए लेकिन नावों का इन्तजाम पहले से नहीं होता है और जब बाढ़ आ जाती है, तो हाय हाय मचने लगती है और फिर यह सोचते हैं कि लोगों को कैसे इधर से उधर पहुंचाया जाए। आर्मी की बोट्स जाती हैं और आर्मी के पर्सोनेल जाते हैं और वे खाना गिराते हैं और पानी के पैकेट गिराते हैं। आप इस समस्या का स्थाई समाधान क्यों नहीं करते हैं? आपको कोई निदान करना चाहिए।

हमारे यहां बिहार में नदी घाटी योजना बनी, कोसी नदी योजना बनी। कोसी नदी को रिवर आफ सोरो, शोक नदी कहा जाता था। उस इलाके में यह ऐसी नदी थी जैसी कि चाइना की एक नदी है। उसी तरह से उसमें बांध बांधा गया। लेकिन आज वहां क्या हालत हो गई है? मैं ऐसा महसूस करती हूं कि हमारे यहां जो तटबंध है वे पुराने हो गए हैं। वे तटबंध अब तटबंध नहीं रहे। उनका स्तर बहुत नीचे आ गया है। उनमें एक इंच भी मिट्टी नहीं डाली गई। इस सरकार ने कोई मिट्टी नहीं डाली। उस इलाके के लोगों को डूबने के लिए छोड़ दिया गया है। इसके लिए आप क्या करना चाहते हैं? इस समस्या का आप क्या निदान करेंगे? आप इतना पैसा रिलीफ के लिए देते हैं, उस पैसे से वहां सरकार मिट्टी क्यों नहीं डालती, वहां के तटबंध की मरम्मत क्यों नहीं करती? हमारे इलाके में तटबंध में गैप छोड़ा हुआ है। इसके लिए हम पच्चीसों सालों से बिहार विधान सभा में कहते रहे, आज तक यहां भी कहते रहे लेकिन क्यों नहीं उस तटबंध की भराई हुई? क्यों इस तरह से गैप छोड़ा हुआ है? मैं एक बात और कहना चाहती हूं। हमारा चम्पारण का इलाका बहुत उपजाऊ इलाका है। वह नेपाल की तराई का इलाका है। वह पूरे देश का अन्न भंडार बन सकता है। वह पूरे देश को खिला सकता है। लेकिन आजकल वहां जिस तरह की बाढ़ आती है वैसी हमें तो अपनी याददास्त में याद नहीं है। मैं वहां अपने इलाके के गांवों में घूमने गई तो 25 सौ हजार लोग आगए और मुझसे कहने लगे कि पहले लगातार पानी गिरता रहता था लेकिन इतनी भयानक बाढ़ कभी नहीं आती थी। आज क्या कारण है कि इतनी भयानक बाढ़ वहां आती है। क्यों सरकार करोड़ों रुपया बांध बनाने, डेम बनाने पर खर्च करके नदियों के पानी के वास्तविक बहाव को रोकती है? मेरी केन्द्र सरकार से यह मांग है कि गंडक योजना जो आपने बनाई है, उस योजना के अपूर्ण चलते दोनों चम्पारण के इलाकों में, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, खगरिया में बाढ़ आती है। एक भयानक बर्बादी का आलम वहां हो जाता है।

मैं केन्द्र सरकार से कहना चाहती हूं कि केन्द्र सरकार गण्डक ड्रेनेज स्कीम का इंतजाम कराए। गण्डक ड्रेनेज की स्कीम पड़ी हुई है। वह 150 करोड़ रुपए की स्कीम है। मुझे विश्वास है कि वर्ल्ड बैंक भी इसके लिए पैसा दे सकता है। अगर वह एक बार न दे तो फेजवाईज योजना बनाई जाए और फेजवाईज योजना बना कर वहां की समस्या का निदान कीजिए। अगर वहां की समस्या का आप निदान नहीं करेंगे तो वहां हमेंशा बाढ़ आती रहेगी और एक दिन वहां ऐसा आएगा कि वहां धरती का नामो-निशान भी नहीं रहेगा।

दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहती हूं कि पश्चिमी कोसी नहर और पूर्वी कोसी नहर की योजना खटाई में पड़ी हुई है। नेपाल सरकार से इस योजना को भी कियान्वित कराइए।

[अनुवाद]

सभापति महोदया (श्रीमती बसवराजेश्वरी) : महोदय, कृपया समाप्त कीजिए। आपका समय पूरा हो चुका है।

[हिन्दी]

श्री पी० नामग्याल (लद्दाख) : इस पर कल भी डिस्कशन हो जाए क्योंकि इस पर काफी लोग बोलने वाले हैं।

डा० गौरी शंकर राजहंस : यह बहुत जरूरी है।

[अनुवाद]

सभापति महोदया : मैंने बहुत ढ़ील दी है।

[हिन्दी]

श्रीमती प्रभावती गुप्त : सभापति महोदया, मेरा आपसे कहना है कि वहां पूर्णिया जिले, खगरिया के लोगों को परेशानी है। समस्तीपुर के लोगों को परेशानी है। पूरा बिहार इस तरह से पानी में डूब रहा है। मैं आज की सभा में यह कहना चाहती हूं कि वहां केन्द्र सरकार को प्रभावकारी कदम उठाने चाहिएं। वहां हमको बचाने के लिए, हमको जीवित रखने के लिए कदम उठाने चाहिएं। आप हमको भगवान के भरोसे पर मत छोड़िए। हमें खानाबदोश लोग मत बनाइए। नेपाल से यह नदी निकलती है, नेपाल से बहकर पानी आता है और पूरे इलाके को जलमग्न कर देता है। इन नदियों के पानी को रोकने के लिए केन्द्र सरकार नेपाल सरकार से बात करे और उन इलाकों में जलाशयों का निर्माण करें। आप रिलीफ के नाम पर सहायता देने पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। क्या आप इन योजनाओं को पूरा नहीं कर सकते हैं, इनको पूरा करवाइए।

एक बात मैं चक्रवात के बारे में कहना चाहती हूं। मेरा चम्पारण क्षेत्र बाढ़ से अछूता नहीं था, लेकिन 19 अक्तूबर को हमारे यहां भयानक तूफान आ गया। हम तूफान के बारे में सुनते थे कि मद्रास में आता है, आंध्र प्रदेश में आता है, लेकिन 17 तारीख को मैं अपने इलाके के गांव-गांव में घूमकर आई हूं, वहां पर लोगों के घर बरबाद हो गए हैं, झोपड़ियों का नाम-निशान नहीं है। दो सौ लोग घायल हो गए हैं और 6-7 आदमी मर गए हैं। हाई वे पर जीप जा रही थी, वह उलट-पुलट कर खेतों में जा गिरी, इतना भयानक तूफान आया। सरकार ने सहायता पहुंचाई है, लेकिन वह अपर्याप्त है, मेरी मांग है कि जिस इलाके में तूफान आया है वह गरीबों का इलाका है, हरिजन किसानों और भूमिहीन मजदूरों का इलाका है, वहां पर राज्य सरकार को निर्देश दें कि कम से कम दो महीने तक मुफ्त राशन की व्यवस्था करें, उनके ऋण माफ करें और उनकी झोपड़ियां और घर बनाने के लिए कम से कम दस हजार रुपए दे, सौ रुपए से उनका कुछ नहीं होगा। **(व्यवधान)**

मैंने जो वहां की दुर्दशा देखी है; वह मैं कह रही हूं। मेरी मांग है कि वहां पर स्थाई उपाय किए जाएं। **(व्यवधान)**

गण्डक ड्रेनेज योजना का इंतजाम किया जाए नहीं तो बिहार की अर्थव्यवस्था चरमरा रही है। रबी की फसल भी ठीक नहीं है, बिजली की हालत खराब है, ट्यूबवैल बेकार पड़े हुए हैं, इसलिए

बिजली उपलब्ध कराएं ताकि सिंचाई का उचित प्रबंध हो सके। ट्रांसमीटर चालू कराए जाएं, ताकि लोग राहत महसूस करें। गंडक ड्रेनेज योजना और कोसी नहर योजना को शीघ्र मंजूर किया जाए। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करती हूं और विश्वास करती हूं कि जो कुछ मैंने सुझाव दिए हैं, उनपर केन्द्र सरकार ध्यान देगी। धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री तम्पन थामस (मवेलिकरा) : सभापति महोदया, एक बार एक नीरो नाम का राजा था। जब रोम जल रहा था तो वह अपनी बांसुरी बजा रहा था। इसी तरह हमारे देश का एक बादशाह है। रिपोर्टों के अनुसार जब यह देश सूखे की चपेट में आया हुआ है और हर व्यक्ति उस महिला सदस्य की भांति चिल्ला रहा है जिन्होने अभी-अभी कुछ देर पहले कहा था—चोगम में भाग लेने के लिए हमारी सरकार ने 15 करोड़ रु० खर्च किए। उनके लिए एयर इण्डिया की दो उड़ानें थीं। एक उड़ान को शयन कक्ष तथा भोजन कक्ष से सुसज्जित किया गया (**व्यवधान**) ये सब बातें समाचारपत्रों में प्रकाशित हुई हैं। देश में यह सब हो रहा है···

श्री रामसिंह यादव (अलवर) : ये आरोप बेबुनियाद हैं। इनका कोई आधार नहीं। ये आरोप कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किए जाने चाहिए। (**व्यवधान**)

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : आप भी उसी प्रकार से असंगत बातें कह रहे हैं।

श्री तम्पन थामस : मैंने माननीय अध्यक्ष महोदय को लिखित रूप में दिया है। इसका कोई उत्तर नहीं दिया गया। समाचार देखने के बाद, मैंने इस बारे में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी।

सभापति महोदया : व्यक्तिगत आरोप मत लगाइये। आप सूखे तथा बाढ़ पर ही बोलिए।

श्री तम्पन थामस : मैं जानना चाहता हूं कि इस देश में सूखे के दौरान भी इन लोगों द्वारा धन लूटा जा रहा है। मैं आपके ध्यान में यही बात लाना चाहता हूं।

सभापति महोदया : आप सूखे तथा बाढ़ पर ही बोलिए। व्यक्तिगत आरोप न लगाइये।

श्री तम्पन थामस : मैं कोई व्यक्तिगत बात नहीं कह रहा हूं। मैंने लिखकर दिया है। राज्य सभा में भी यह मामला उठाया गया था। मैंने समाचारपत्रों में प्रकाशित रिपोर्ट के आधार पर ही कहा है।

श्री रामसिंह यादव : उस रिपोर्ट की सत्यता क्या है?

श्री तम्पन थामस : यह सच है। यदि आप सूखे के नाम पर पैसा खर्च कर रहे हैं तो आप इस सभा के प्रति उत्तरदायी हैं।

सभापति महोदया : मि० थामस, आप सम्बन्धित विषय पर क्यों नहीं बोलते।

श्री तम्पन थामस : महोदय, मैं सम्बन्धित विषय पर ही बोल रहा हूं। मैं पैसे के दुरुपयोग तथा उन लोगों के, जिनके पास इस देश की सत्ता है, द्वारा सूखे को राजनीतिक रूप देने के बारे में बोल रहा हूं। (**व्यवधान**)

श्री सोमनाथ रथ (आस्का) : इसका उससे कैसे सम्बन्ध है? (**व्यवधान**)

श्री रामसिंह यादव : यह आरोप है। उन्हें अनुमति नहीं दी जा सकती है।

श्री तम्पन थामस : लेकिन आप इसे कैसे निकाल सकते हैं ? **(व्यवधान)**

सभापति महोदया : मैं रिकार्ड देखूंगा । आप अपना भाषण जारी रखें ।

श्री तम्पन थामस : मेरे भाषण में मेरे मित्रों ने व्यवधान डाला है।

सभापति महोदया : नहीं नहीं, मैं कोशिश करूंगा कि वे व्यवधान न डालें ।

श्री तम्पन थामस : बात यह है कि ऐसी परिस्थिति में सरकार बेकार के कार्यों पर पैसों का दुरुपयोग करती है । अक्सर यहां हम औपचारिकताएं पूरी करते हैं । लोग यहां चीखते चिल्लाते आते हैं और केन्द्र सरकार से कहते हैं पैसा दो, पैसा दो इत्यादि ।

गंगा-कावेरी परियोजना का क्या हो रहा है ? क्या उसकी कोई संभावना है ? उसे कार्यान्वित करने के लिए क्या आपने कोई कदम उठाया है ? इस देश की स्थिति क्या है ? मेरे राज्य केरल में प्रति व्यक्ति आय 127 रु० है । बिहार में यह 97 रु० है । विश्व औसत क्या है ? जब हम इसकी तुलना दूसरे देशों से करते हैं तो हमारे देश की स्थिति क्या है ? इनकी वृद्धि की दर क्या है ? हमारे देश में प्रति व्यक्ति आय पिछले वर्ष सिर्फ .06 प्रतिशत बढ़ी । इसका अर्थ क्या है ? पैसा कहां जाता है ? क्या भारत एक गरीब देश है । नहीं यह एक गरीब देश नहीं है ? इसके पास पर्याप्त संसाधन हैं । यदि इनका समुचित प्रबंध और उपयोग किया जाये तो इस देश के लोगों का जीवन बहुत ही अच्छा हो सकता है बशर्ते कि ऐसा करने की दूरदर्शिता एवं प्रयास हो । इसके बजाय मैं यह महसूस करता हूं कि प्रशासक—सत्ताधारी लोग— सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं और हमारे देश की निधियों का भी दुरुपयोग कर रहे हैं ।

मैंने यह भी पाया है कि वे सूखे को राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं । नागालैंड में क्या हुआ है ? नागालैंड में कोई सूखा नहीं पड़ा था। स्थिति वहां बिल्कुल ही भिन्न थी । इण्डियन एक्सप्रेस में एक समाचार प्रकाशित हुआ था कि भारत सरकार द्वारा भेजे एक पत्र के आधार पर नागालैंड सरकार एक ज्ञापन तैयार करे और इसे चुनाव के ठीक पहले भेजे । समाचार पत्र में यह पूछा गया है कि क्या यह सूखा राहत है या राजनीतिक राहत है ? यदि वहां कोई सूखा नहीं है और पैसा वोट पाने के लिए चुनाव के ठीक पहले भेजा गया है, तो यह सिर्फ धनराशि का दुरुपयोग है ।

श्री सोमनाथ रथ : बेशक आपको नागालैंड चुनाव के परिणाम से दुःख हुआ होगा ।

श्री रामसिंह यादव : हमें आपसे सहानुभूति है । यह सिर्फ राजनीतिक निराशा है और कुछ नहीं । **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : मंत्री महोदय अपना उत्तर देते समय इसके बारे में कहेंगे । आप इस प्रकार की व्याख्या क्यों कर रहे हैं ?

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप बाधा क्यों डालते हैं ?

(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री यादव आप कृपया अपने स्थान पर बैठें । मंत्री महोदय उत्तर देंगे ।··· **(व्यवधान)** ···वे कुछ कहना चाहते हैं ।

श्री रामसिंह यादव : क्या नागालैंड सरकार को ज्ञापन देने का कोई अधिकार नहीं है ?

(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री थामस आप कृपया जारी रहें।

श्री तम्पन थामस : जिस विषय को मैंने उठाया है मैं मंत्री महोदय से उसका उत्तर चाहता हूं क्योंकि नागालैंड में कोई सूखा नहीं पड़ा है। किस प्रयोजन के लिए नागालैंड को पैसा दिया गया ? कृपया इसे स्पष्ट करें। **(व्यवधान)**

श्री तम्पन थामस : आप इस विषय को राजनीतिक बना रहे हैं। मंत्री महोदय राज्यों का दौरा करते तथा वक्तव्य देते हैं। आपको इस पर रोक लगानी है।

कृषि मंत्री (डा० जी० एस० ढिल्लों) : महोदय, मैं चर्चा में ऐसी अप्रासंगिक बातों पर ध्यान नहीं दूंगा। नागालैंड चुनाव का इससे क्या सम्बन्ध है ? इस यात्रा का इससे क्या सम्बन्ध है ? संगत मुद्दे नहीं उठाते हैं, तो मैं आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं दूंगा।

(व्यवधान)

श्री तम्पन थामस : मैं आपको प्रेस रिपोर्ट दिखा सकता हूं। **(व्यवधान)**

श्री रामसिंह यादव : इण्डियन एक्सप्रेस विपक्ष के लिए एक आदर्श समाचार पत्र है।

सभापति महोदय : कृपया उन्हें बोलने दीजिए। बाधा मत डालिए।

श्री तम्पन थामस : मेरा विषय यह है कि जब देश सूखे से पीड़ित है, तो इस स्थिति का स्थायी समाधान करने के लिए सरकार द्वारा कोई प्रयास नहीं किए गए हैं। मंत्री महोदय को इस सम्बन्ध में किए गए उपायों की जानकारी सदन में देनी चाहिए। क्या उन्होंने कोई सहायता दी है ? कितनी धनराशि विश्व बैंक से ली गई तथा राज्यों को कितनी धनराशि दी गई ? यह देखते हुए कि यह देश सूखे से पीड़ित है क्या वे हमारी सहायता करने का वचन दे सकते हैं ? मुझे भय है कि यदि ऐसी स्थिति जारी रही तो हमें इथियोपिया तथा अन्य अफ्रीकी देशों जैसी स्थिति का सामना करना होगा। 400 लोग मर गये क्योंकि उन्हें पानी नहीं मिल सका। और हमारे राज्य की स्थिति क्या है ?

श्री चिन्तामणी जेना (बालासोर) : मैं इसका कड़ाई से विरोध करता हूं। आप इसे कैसे जानते हैं ? **(व्यवधान)**

एक माननीय सदस्य : कालाहंडी मेरे राज्य में है। यह सही नहीं है। **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : व्यवधान क्यों डाल रहे हैं।

श्री तम्पन थामस : पेयजल की कमी से लोग मर रहे हैं। और इसे हमने देखा है। इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं है। **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : जो कुछ भी आप कहना चाहते हैं बाद में कह सकते हैं। उन्हें बाधा मत पहुंचाइए।

श्री तम्पन थामस : जब वर्तमान सरकार, वामपंथी सरकार सत्ता में आई तो इसने लोगों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 66 करोड़ रुपये खर्च किए। क्या आप जानते हैं मेरे राज्य द्वारा मिर्च,

अदरख, चाय, काफी इत्यादि का निर्यात करके केन्द्रीय कोषागार को कितनी धनराशि दी जाती है? विदेशी मुद्रा के कुल राजस्व का लगभग 14 प्रतिशत मेरे राज्य से आता है। परन्तु इसके बदले आप क्या लाभ दे रहे हैं। मैं किसी की दया नहीं चाह रहा हूं। हमें हमारा उचित हिस्सा दें। लेकिन केन्द्रीय सरकार ने ऐसा नहीं किया। इसके बजाय वे इसे विभिन्न कामों पर खर्च कर रहे हैं जिनके बारे में मैंने अभी बताया है। वे पैसा "योगम" तथा श्रीलंका में लड़ाई पर खर्च कर रहे हैं। लगभग 20 करोड़ रु० श्रीलंका की लड़ाई पर प्रतिदिन खर्च हो रहे हैं। मैं इसका कड़ा विरोध करता हूं। जब हमारे देश के लोग पानी के लिए तरस रहे हैं आप 20 करोड़ रु० प्रतिदिन श्रीलंका पर खर्च कर रहे हैं। इसलिए मेरा विचार है कि सरकार इस ओर कोई प्रयास नहीं कर रही है। मैं इस पर स्पष्टीकरण चाहता हूं। मेरी राज्य सरकार ने ज्ञापन दिया था। मुख्य मंत्री यहां आये थे और ज्ञापन दिया था। यह उनके पास है। वे इसका उत्तर दे सकते हैं। मैं यहां ज्ञापन पर ध्यान नहीं दिलाना चाहता परन्तु मैं उनके रवैये की ओर सदन को ध्यान दिलाना चाहता हूं। लाभ देने में उन्होंने गैर कांग्रेसी राज्यों को अलग कर दिया है। उन्होंने लोगों का अंशदान ले लिया और पैसे का दुरुपयोग किया। मैं इस बात का उत्तर चाहूंगा। जैसाकि मेरे दोस्त ने बताया है हम धनराशि के लिए रो रहे हैं और उन्होंने केवल दिखावा किया है। परन्तु उन्होंने क्या किया। कितनी सहायता उन्होंने दी है? कितना पैसा उन्होंने बेकार न खर्च कर बचाया है? सूखा को क्या प्राथमिकता दी गई है? जनसंख्या का 38 प्रतिशत अभी भी गरीबी रेखा के नीचे है। राजस्थान के गरीब गडरियों तथा अन्य लोगों को पानी की खोज में भटकना पड़ता है तथा खानाबदोश जिन्दगी गुजारनी पड़ती है। रास्ते में आदमी तथा जानवर दोनों मरते हैं। राजस्थान में यह स्थिति है। कालाहंडी की स्थिति के बारे में हमें अच्छी तरह से पता है। इन सूखा पीड़ित क्षेत्रों की तस्वीर सभी जगह है। लेकिन हमें दूसरे चित्रों से ज्यादा मतलब है। इसलिए जो मैंने कहा, वह बहुत संगत है। इस सरकार की प्राथमिकताएं क्या हैं? संसाधनों को विभिन्न राज्यों में वितरित करने का केन्द्रीय सरकार का तरीका क्या है?

अपने राज्य की समस्याओं को मैं जानता हूं। मेरे राज्य ने पहले कभी भी सूखे का सामना नहीं किया। परन्तु पिछले दो वर्षों से लगातार सूखा पड़ रहा है। खेती का तरीका मेरे राज्य में अनोखा है क्योंकि यदि एक बार यह प्रभावित होता है तो यह हमेशा के लिए प्रभावित हो जाता है। उदाहरण के लिए आप काली मिर्च की लताओं को लें। काली मिर्च निर्यात का सामान है और देश को इसके निर्यात से अत्यधिक धनराशि प्राप्त होती है। काली मिर्च का मूल्य 12 रु० से बढ़कर 68 रु० हो गया है। लेकिन अब काली मिर्च की खेती नहीं होती और अगली खेती शुरू करने में 5 वर्ष लगेंगे। नारियल की क्या स्थिति है? जब एक बार नारियल का पेड़ क्षतिग्रस्त हो जाता है तो आपको वृक्षों का दोबारा रोपण करना पड़ेगा और केवल सात साल के बाद ही वह फल देते हैं तथा उस फसल से लाभ उठाने में लगभग 10 से 15 वर्ष लगेंगे। जिस तरीके से इन हानियों का मूल्यांकन किया जाता है मैं उन्हें जानना चाहूंगा। उन हानियों की भरपाई कैसे होती है? क्या मूल्यांकन की पद्धतियों की समीक्षा की जाती है? ऐसा कुछ नहीं होता है। मेरा निवेदन है कि भारत सरकार द्वारा इस बारे में किए गए अध्ययन उचित नहीं थे। वे लोगों की सहायता करने के बजाए इन सभी मामलों से अनावश्यक रूप से राजनीतिक लाभ उठा रहे हैं। हम मंत्री महोदय से एक स्पष्टीकरण चाहते हैं।

श्री सोमनाथ रथ (आस्का): देश में हमारी याद का सबसे भयंकर अकाल पड़ा है। अपने आकार तथा फैलाव में यह अपने किस्म का भयंकर अकाल है। कई राज्य जिनमें उड़ीसा भी शामिल है

तथा कम से कम दो संघ राज्य क्षेत्र विभिन्न सीमा तक अकाल से पीड़ित हैं । लगभग 265 जिलों पर अकाल का असर पड़ा है ।

हमारे प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी देश में वे पहले आदमी थे जिन्होंने अकाल पर अपनी चिन्ता व्यक्त की थी । जिस क्षण केन्द्र ने अकाल की गुरुता महसूस की, उसी समय हमने देश के अंदर तथा बाहर संसाधन जुटाने के लिए कदम उठाए हैं और इससे पहले कि राज्य से कोई रिपोर्ट पहुंचे तथा केन्द्र सरकार को अन्तिम आकलन उपलब्ध हो, विभिन्न राज्यों को तदर्थ आधार पर 80 करोड़ रुपए दिए गए । प्रधान मंत्री ने अकाल से पीड़ित देश के हर कोने का दौरा किया है और उन्होंने राज्य सरकार के मंत्री तथा अधिकारियों से इस बारे में चर्चा की है और कार्यवाही करने का भी सुझाव दिया है ताकि लोगों की मांगें पूरी की जा सकें । यह स्वभाविक है कि कभी-कभी राज्य अपनी मांगें बढ़ा-चढ़ा कर बताते हैं ।

महोदया, मैं माननीय मंत्री महोदय से एक बात जानना चाहता हूं । केन्द्र सरकार राज्य सरकारों को धन देती है । परन्तु क्या केन्द्र सरकार का कोई ऐसा अभिकरण मौजूद है जो इस बात को देखे कि क्या केन्द्र सरकार द्वारा दिए गए धन का अभिप्रेत उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है और यह धनराशि अकाल से बुरी तरह प्रभावित लोगों के पास पहुंचती है ? मैं यह भी सुझाव देता हूं कि राज्य के मंत्रियों तथा अधिकारियों के साथ परामर्श करके प्रत्येक राज्य में समस्या की गहराई का विस्तार से अनुमान लगाने के लिए कुछ कदम उठाए जाने चाहिए और तद्नुसार राहत पहुंचाई जानी चाहिए । मेरा यह भी सुझाव है कि अकाल से पीड़ित क्षेत्रों को तुरन्त राहत देने धन के दुरुपयोग और दूसरे कामों में उपयोग को रोकने के लिए तरीके तैयार करने हेतु स्थायी उपाय करने के लिए कार्यवाही की जानी चाहिए । राज्यों को उन क्षेत्रों की बजाय जिन पर सामान्य प्रभाव पड़ा है उन क्षेत्रों को अधिक सहायता प्रदान करनी चाहिए जिन पर अधिक प्रभाव पड़ा है । धन अनुदान, खाद्यान्न, कृषि आदान, पोषाहार आदि की सप्लाई राज्य के माध्यम से की जानी चाहिए, परन्तु यह सामग्री प्रभावित क्षेत्रों के जरूरतमन्द लोगों के पास अवश्य पहुंचनी चाहिए और इसका दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए । जरूरतमन्द लोगों को समय पर सहायता देना एक महत्वपूर्ण बात है । माननीय मंत्री महोदय की जानकारी के लिए केन्द्र द्वारा उड़ीसा सरकार को 50 करोड़ रुपए दिए गए थे । उड़ीसा अकाल से बुरी तरह प्रभावित राज्य है । मेरा जिला—गंजम—जो एक कृषि प्रधान जिला है, अकाल से बुरी तरह प्रभावित है । मैं यह बात इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि यह मेरा जिला है, परन्तु मैं यह सरकार की रिपोर्ट के आधार पर कह रहा हूं । माननीय प्रधान मंत्री ने भी उस जिले का दौरा किया है । यह अच्छा रहा होता यदि उन्हें गंजम जिले के बुरी तरह प्रभावित अन्य भागों में भी ले जाया गया होता । उसके बाद की गई अनुवर्ती कार्यवाही समुचित नहीं है । उस जिले को एक करोड़ से भी कम रुपए दिए गए हैं ।

उड़ीसा में 13 जिले हैं । पीने के पानी के लिए भी इस वर्ष सामान्य वर्षों में आवंटित की जाने वाली धनराशि से भी कम धनराशि आवंटित की गई है । जिला अकाल से पीड़ित है । बड़ी मुश्किल से थोड़ी-सी रबी की फसल उगाई गई थी, परन्तु बाद में वर्षा के कारण खराब हो गई । गंजम जिले में यदि कृषिकों को एक बाल्टी दिया जाता है तो वे एक बाल्टी चावल अथवा एक बाल्टी सब्जियां देंगे। वहां के लोग बड़े परिश्रमी हैं । प्रधान मंत्री ने भी उनके परिश्रम की सराहना की थी । कृषिकों को बीज नहीं मिल रहे हैं । जो रबी की थोड़ी-बहुत फसल उगाई गई थी वह अब भारी वर्षा होने तथा

तूफान आने के बाद नष्ट हो गई है। इसलिए लोगों को भारी कष्ट में हैं। केन्द्र सरकार को राज्यों को एक मुश्त अनुदान नहीं देने चाहिए। उन्हें ये निधियां ऐसे क्षेत्रों को देनी चाहिए जहां के लोगों पर अकाला का सबसे बुरा प्रभाव पड़ा है और अकाल की गहनता तथा फैलाव को ध्यान में रखा जाना चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया गया तो इसका दुरुपयोग होगा तथा इसका इस्तेमाल दूसरे कार्यों के लिए किया जाएगा और हम समस्या को नहीं सुलझा सकेंगे। सबसे अधिक प्रभावित व्यक्तियों को इसका लाभ नहीं मिलेगा, यद्यपि केन्द्र तथा प्रधान मंत्री का इरादा यह है कि उन्हें आवंटित की गई धनराशि का लाभ मिलना चाहिए। हमारे सभी कार्यक्रम दोषपूण कार्यान्वियन तथा धन का दूसरे कार्यों के लिए उपयोग किए जाने के कारण असफल रहे। इसे रोकने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। पीने के पानी की समस्या को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। केन्द्र द्वारा दी गई निधियों को समय पर खर्च नहीं किया जाता है। उचित आधारभूत ढांचा तैयार नहीं किया जाता है और इस प्रकार मेरे सुझाव के अनुसार एक अभिकरण बनाया जाना चाहिए। मैं एक बात और कहना चाहता हूं और वह मार्गदर्शी निर्देशों के बारे मे है। केन्द्र केवल योजना तैयार करने के लिए ही राज्य सरकारों को मार्गदर्शी निर्देश देता है, परन्तु उन्हे कार्यान्वित करने के लिए राज्यों पर निर्भर करता है।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : आप कागजात सभा-पटल पर क्यों नहीं रख देतें।

श्री सोमनाथ रथ : निधियों का सर्वोत्तम इस्तेमाल कैसे किया जाए इसकी जांच के लिए एक अभिकरण बनाया जाना चाहिए। देश में एक राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा आयोग होना चाहिए। हमें अकालों तथा बाढ़ों का सामना करने के लिए स्थायी उपायों की आवश्यकता है। हमारे देश में नदी घाटियां, पानी के बेसिन तथा बारहमासी नदियां मौजूद हैं। जल संसाधन मंत्रालय की बैठक में प्रधान मंत्री ने कहा है कि नदियों, नदी घाटियों तथा नदी के थालों को विभिन्न राज्यों से जोड़ा जाना चाहिए। इस काम को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। अकाल का सामना करने के लिए दिए गए धन को ऐसी कच्ची सड़कों के निर्माण पर खर्च नहीं किया जाना चाहिए जिनका निर्माण करना आसान है तथा जो जल्दी से ध्वस्त हो जाती है।

माननीय मंत्री महोदय को यह भी देखना चाहिए कि अकाल का सामना करते समय कृषि कार्यों की सफलता के लिए प्राथमिकता अत्यधिक महत्वपूर्ण निविष्टियों को दी जाती है। भारत में बड़ी-बड़ी बारहमासी नदियां बहती हैं। यहां नदी घाटियों में भूमिगत छुपे पानी का एक समुद्र भी मौजूद है। विद्यमान उपलब्ध प्रौद्योगिकी से यह अनुमान लगाया गया है कि 1300 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई क्षमता का निम्न प्रकार विकास किया जा सकता है :—

बड़ी तथा मझोली योजनाएं-585 लाख हेक्टेयर
छोटी सिंचाई योजनाएं-550 लाख हेक्टेयर
कुल : 1135 लाख हेक्टेयर

प्रौद्योगिकी का विकास हो जाने से यह आंकड़े 1485 लाख हेक्टेयर हो जाने की आशा है; परन्तु छठी योजना के अन्त तक केवल 680 लाख हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता का ही उपयोग किया जा सका था। सातवीं योजना के लिए और 130 लाख हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता विकसित करने का प्रस्ताव है। यदि हम इस गति से आगे बढ़े तो मैं समझता हूं कि हम अपने लक्ष्य पर पहुंच जाएंगे।

श्री योगेन्द्र मकवाना : आप पहली और दूसरी योजनाओं में आवंटित धनराशि का जिक्र क्यों नहीं करते हैं ?

श्री सोमनाथ रथ : मैं उस बात का जिक्र करने जा रहा हूं। जैसाकि मैंने पहले कहा है हम सन् 2000 ई० तक अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। और अधिक तीव्र गति से सिंचाई क्षमता का विकास करने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए; और यदि आवश्यक हो, तो निधियों का इस उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाना चाहिए और इस कार्य को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

सातवीं योजना में यह सुझाव दिया गया है कि केवल चालू बड़ी तथा मझोली सिंचाई परियोजनाओं को ही चालू रखना चाहिए और कुछ हद तक छोटी परियोजनाओं का निर्माण किया जा सकता है। यदि ऐसी बात है तो हम अकालों तथा बाढ़ों का सामना कैसे करेंगे ?

समुद्र में बहने वाले पानी को जो बाढ़ों के दौरान संकट पैदा करता है, उपयोग सिंचाई कार्यों के लिए किया जा सकता है और सिंचाई क्षमता का तेजी से विकास करने के लिए अधिक संसाधन आवंटित किए जाने चाहिए। इस संबंध में मैं माननीय मंत्री से आग्रह करूंगा कि उड़ीसा में चालू परियोजनाओं को पूरा किया जाना चाहिए और अधिक धन दिया जाना चाहिए। इन्द्रावती परियोजना के निर्माण के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। हरभंगी परियोजना का निर्माण करने के लिए निर्धारित धनराशि को 10 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 43 करोड़ रुपए कर दिया गया है। 4 करोड़ रुपए दे दिए गए हैं, परन्तु इस धनराशि का अब तक उपयोग नहीं किया गया है। भगुआ परियोजना 25 वर्षों से चलती आ रही है। केवल कर्मचारियों के वेतन का ही भुगतान किया जा रहा है, परिणाम कुछ नहीं निकल रहा है। मुख्य बांध का निर्माण शुरू नहीं हुआ है। इसी तरह बिलुआमारा, कुपाती तथा अन्य परियोजनाओं, जिन्हें सातवीं योजना में शामिल किया गया है, को शुरू किया जाना चाहिए। भारत सरकार को इन सभी छोटी परियोजनाओं को शीघ्र कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देने चाहिए।

[हिन्दी]

श्री मदन पांडे (गोरखपुर) : मैडम, इसके पहले कि मैं कुछ कहना आरम्भ करूं मैं कृषि मंत्रालय को तीन बातों के लिए बधाई देना चाहता हूं। पहली बधाई इस बात के लिए है कि इन्होंने कई दिन पहले बाढ़ और सूखे के सम्बन्ध में जो सही स्थिति इस देश की है उसकी जानकारी कराने वाला एक बयान हमारे सामने रखा था और उसके आधार पर जो कुछ उसमें खामी खूबी हो, उसे बताने का मौका हमको मिला। दूसरी बात की बधाई इसलिए देना चाहता हूं कि सैंकड़ों वर्ष में सबसे अधिक भयंकर अकाल जिस वर्ष में पड़ा हुआ हो उसमें एक भी व्यक्ति को भूखों नहीं मरने दिया गया है। तीसरी बात, जिसके लिए मैं कृषि मंत्रालय को बधाई देना चाहता हूं, वह इतमिनान के साथ हमारी बातें सुनकर उन पर कुछ निर्णय करने के मूड में मालूम पड़ते हैं।

महोदय, मुझे लगता है कि हमारे विपक्ष के लोगों ने, इस वक्त जो बहस हो रही है, उसके स्तर को जितने ऊंचे स्तर पर पहुंचाने का प्रयास गोस्वामी जी ने किया था उससे कुछ नीचे लाने का प्रयास हो रहा है। मसलन खामख्वाह इसमें राजनीति देखने के बजाय यदि इस समय अपोजीशन सर्वसम्मति से इस सरकार के सामने वह सुझाव रखता जिससे कि हम इस विपत्ति से सदा-सदा के लिए पिण्ड छुड़ा सकते तो अच्छा होता।

मैं मंत्री जी के सामने बहुत विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि 40 साल हमारी स्वतन्त्रा को बीतने के बाद भी यदि हम अभी तक प्रकृति की तरफ ही अपनी फसलों के लिए देखते हैं तो हमारे लिए यह गौरव की बात नहीं है। यह हमने जरूर किया है कि लोगों को भूखों नहीं मरने दिया है लेकिन आज आधा हिन्दुस्तान बाढ़ से तबाह है और आधा हिन्दुस्तान सूखे से तबाह है, यह एक सिक्के के दो पहलू हैं। इन दो पहलुओं को एक में मिलाने का प्रयास जो हमारा 40 साल तक हुआ उसमें मिलाने की चेष्टा हमें करनी चाहिए। प्रश्न इस बात का है कि पानी और मौसम में, 20-25 साल का रिकार्ड देखा जाय तो, परिवर्तन हुए हैं। मैं गोरखपुर जिले की बात आपको बताऊं कि 60 इंच वर्षा का जो औसत था वह आज घटकर 36-40 पर आ गया है और वह भी अनसरटेन हो गया है। चूंकि मैं गोरखपुर का फीगर मुझे मालूम है लेकिन सारे हिन्दुस्तान में आप देखेंगे तो वर्षा का जो साइकिल था, उस साइकिल में घोर परिवर्तन हुआ है।

दूसरी बात सोचने की और भी है कि हमारे देश की जो नदियां हैं, केवल दक्षिण की नदियों को छोड़कर हमारे स्तर की जितनी बाकी नदियां हैं उनका ओरिजिन, उनका विकास अधिकांश विदेशी धरती पर हुआ है जैसे ब्रह्मपुत्र के बारे में गोस्वामी जी कह रहे थे, यह बिल्कुल सही बात है कि उसका करीब-करीब 3/4 हिस्सा तिब्बत और इसके बोर्डर के ऊपर बहता है और जब यहां आती है तो सारी विपत्ति इधर आसाम से लेकर, बंगलादेश वाले बेचारे तो यहां कोई बोलने वाले हं नहीं, बंगलादेश में ले जाकर पैदा कर देती है।

ठीक इसी प्रकार गंगा, मानसरोवर से कहिए, गंगोत्री से कहिए, गंगा और यमुना का स्रोत हमारे देश में है, हम उसकी दवा कर सकते हैं लेकिन बिहार की कोसी नदी है, गण्डक है जो उत्तर भारत की महामोह कही जाती है उनका ओरिजिन नेपाल है इसलिए उसकी दवा खोजनी होगी। मैं मंत्री जी से कहूंगा कि अब आप सीरियस होइये, अगर 40 साल भारत के आजाद होने के बाद भी हम केवल आसमान की ओर देखते रहें तो यह मुनासिब नहीं है, इस स्थिति को हमें बदलना चाहिए। बड़ी-बड़ी योजनाओं की रूप-रेखा बनाई जा चुकी है। गोरखपुर में रापती और घाघरा के बीच में जो नेपाल का हिस्सा है, वहां पर बहुत बड़ा रिजरवायर बन सकता है। इस सम्बन्ध में नेपाल सरकार से बात होनी चाहिए। इस सम्बन्ध में पहले बातें हुई हैं, लेकिन अंतिम रूप से नहीं हुई हैं। इस तरह से अगर नदी घाटी योजनाएं जगह-जगह पर बनाई जाएं, तो जलाशय बनेंगे और उससे कहीं पर सूखे और बाढ़ की नौबत नहीं आएगी। इस तरह की बात हमको सोचनी चाहिए।

तात्कालिक सहायता जो आपने दी है, वह ठीक है। जो आपकी सामर्थ्य थी, वह आपने दी है। और भी अगर हो सके, तो देने का प्रयत्न करें। वर्ल्ड-बैंक से जो मिला है, जापान से जो मिला है, या कहीं से भी मिलता है, इस समय हमारी विपत्ति में जो भी सहायता दे सके, वह सहायता ली जानी चाहिए और वहां पहुंचानी चाहिए। लेकिन यह तत्कालिक उपाय ही हैं। जो लौंग-टर्म उपाय हो सकते हैं, उसकी तरफ आपका ध्यान विशेष रूप से जाना चाहिए। जब बाढ़ और सुखाड़ हमारे सिर पर हो, उसी समय हम बैठ कर सोचें, यह मुनासिब बात नहीं है। जब बाढ़ और सूखा न रहें, उस समय हमें इस पर विचार करना चाहिए— यह मेरा आपसे नम्र निवेदन है।

मंत्री जी से यह भी निवेदन है कि गंगा-कावेरी की चर्चा हमारे अन्य मित्रों ने भी यहां पर की है, इधर के मित्रों ने भी की है। मैं स्वयं कोई इंजीनियर नहीं हूं, लेकिन गंगा-कावेरी की यह योजना एक इंजीनियर ने बनाई थी, जो कि संयोग से इस सदन में भी रहे हैं। उन्होंने इस सम्बन्ध में बहुत कुछ

सुझाव दिए हैं। मैं चाहता हूं कि मंत्रालय फाइलों से उन सुझावों को निकाले और उन पर गौर करे। जिस तरह से हम बिजली का ग्रिड बनाते हैं, उसी प्रकार अगर इस देश को सूखे और बाढ़ से बचाना है, तो हमें वाटर-ग्रिड बनाना होगा। उसकी रूप-रेखा कैसे तैयार होगी, इस सम्बन्ध में संसद सदस्य कुछ सुझाव दे सकते हैं। लेकिन जो विशेषज्ञ हैं, उनकी राय और मश्विरा लेना चाहिए। एक पंचवर्षीय योजना का सारे का सारा पैसा भी यदि आप इस पर खर्च कर दें, तो वह वर्थव्हाइल होगा। यदि हम अन्न की समस्या और सूखे व बाढ़ से जो त्रस्त हैं, उनकी समस्या हल कर लें तो दूसरी चीजों के लिए हम थोड़ा सा वेट कर सकते हैं।

अन्त में मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि राज्यों को जो आपने अनुदान दिया है, उसको और बढ़ाने की आवश्यकता है। मैं जिस राज्य से यहां पर आता हूं, उसमें 57 जिले हैं, जिनमें से 55 जिलों को सरकारी तौर पर आपने सूखे से त्रस्त घोषित कर दिया है, लेकिन दो जिले बाकी बचे हैं तथा इनमें मेरा भी एक जिला है। इसलिए जो भी सूखा-घोषित क्षेत्र नहीं हैं, उनको भी आप सूखाग्रस्त मानकर चलें, क्योंकि अगर एक जगह आग लगती है, तो बगल में भी उसकी झुलस जरूर पड़ती है। इसलिए इन जिलों को भी उतनी ही मात्रा में सहायता दी जानी चाहिए, जितनी मात्रा में आप दूसरे जिलों को दे रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि मैंने जो सुझाव दिए हैं, उनके ऊपर मंत्री जी और सरकार की तवज्जह जाएगी और इस समस्या का समाधान अगली पंचवर्षीय योजना में निकाल लिया जाएगा, तभी ठीक होगा।

इन शब्दों के साथ मैं आपको पुनः धन्यवाद देता हूं।

श्री विजय कुमार यादव (नालन्दा) : सभापति महोदया, आज का विषय बाढ़ और सूखाड़ का देश के भविष्य के लिए और देश के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह बात सही है कि सरकार को यह जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी चाहिए। और इसको फराखदिली से कबूल करना चाहिए कि 40 वर्षों की आजादी के बाद भी आज देश में बाढ़ और सुखाड़ से जो नुकसान हो रहा है, उसको रोकने में सक्षम हम नहीं हुए हैं। यह सरकार की असफलता है।

6.00 म०प०

बाढ़ को रोका नहीं जा सकता है, सुखाड़ पड़ने से रोका नहीं जा सकता है, लेकिन सुखाड़ से देश को नुकसान होता है, बाढ़ से भी देश को नुकसान होता है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप अपना भाषण कल जारी रख सकते हैं।

6.01 म०प०

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार, 25 नवम्बर, 1987/4 अग्रहायण, 1909 (शक) के ग्यारह बजे म०पू० तक के लिए स्थगित हुई।

दि इण्डियन प्रेस, राजा पार्क, दिल्ली